अनुसूचित जातियों

और

अनुसूचित जनजातियों

के

आयुक्त

की

रिपोर्ट

NIEPA
G0155

वर्ष 1977-78

(परिशिष्ट)

भाग 2

305.5606
BHA;2-CR

National Educational Planning and Administration
LIBRARY
155

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय 2	
	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सांविधानिक संरक्षणों का संचालन	
1.	लोक सभा/विधान सभाओं में स्थानों की संख्या (सीमा निर्धारण आदेश, 1976)	1
2.	1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान की आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठकों में महत्वपूर्ण विचार-विमर्शित विषय और प्रस्तावित सिफारिशें	2
	अध्याय 3	
	जनशक्ति योजना-सेवा सुरक्षण	
3.	एक जनवरी, 1978 को रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रतिशत बताने वाला विवरण .	3
4.	विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला न्यायाधिशों/अवर जिला न्यायाधीशों/सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित-जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बताने वाला विवरण	3
5.	1977-78 (1977 की परीक्षा) में अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण पाने और अंतिम रूप से चुने जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या बताने वाला विवरण	4
6.	ऐसे पदों के लिए आवेदन करने, परीक्षा में बैठने वाले और उन पर नियुक्ति के लिए चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या बताने वाला विवरण, जिन पर भरती के लिए 1977 के दौरान स्टाफ प्रवरण आयोग ने परीक्षाएं आयोजित की थीं.	5
7.	**विवरण संख्या 1**—31 दिसम्बर, 1977 को इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी शिल्पों में प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षार्थियों तथा उनमें शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षार्थियों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण	6
	विवरण संख्या 2—31 दिसम्बर, 1977 को प्रवर्तित स्थानों की शिल्पकार संख्या, पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या और प्रतिशत बताने वाला विवरण	7
	विवरण संख्या 3—31 दिसम्बर, 1977 को काम कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की राज्यवार संख्या, प्रवर्तित स्थानों की संख्या, पंजी पर स्थानों की संख्या, पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या और प्रतिशत को बताने वाला विवरण .	9
8.	**विवरण संख्या 1**—प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का परिपालन—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिल्प प्रशिक्षुओं की नियुक्ति	10
	विवरण संख्या 2—स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु	10
9.	**विवरण संख्या 1**—1977 में अनुसूचित जातियों के बारे में रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गये कार्य का विवरण . .	11
	विवरण संख्या 2—1977 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के बारे में रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गये कार्यों का विवरण .	12
	विवरण संख्या 3—31 दिसम्बर, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर शैक्षिक स्तरों के अनुसार वर्गीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बताने वाला विवरण . . .	13
	विवरण संख्या 4—31 दिसम्बर, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या और उनका मोटे तौर पर व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकरण दर्शाने वाला विवरण	13
10.	**विवरण संख्या 1**—1975 के दौरान अनारक्षण के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या बताने वाला विवरण . . .	13
	विवरण संख्या 2—1975 के दौरान आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण दिखाने वाला विवरण	14
11.	1977 के दौरान राज्य लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण .	14
12.	**विवरण संख्या 1**—विभिन्न राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित प्रतिशत का विवरण बताने वाला विवरण	15
	विवरण संख्या 2—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हेतु आरक्षण के आदेशों को अमल में लाने की दृष्टि से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई रोस्टर प्रणालियों को बताने वाला विवरण	16
	विवरण संख्या 3—विभिन्न सरकारों द्वारा अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली रियायतों और छूटों को बताने वाला विवरण	18
13.	विभिन्न राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी मामले के पुनरावलोकन के लिए 1976-77 और 1977-78 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों में राज्य स्तर की समितियों के संविधान बताने वाला विवरण .	20

1	2	3
14.	राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अधीन सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण	21
15.	कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सुरक्षण उपायों क कार्यान्वयन पर किए गये अध्ययन की रिपोर्ट	23
16.	भारतीय खाद्य निगम (मुख्यालय), नई दिल्ली के अधीन सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन	24
17.	अप्रैल 1978 को गार्डनरीच शिप बिल्डिंग और इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता, में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षण का अध्ययन	28
18.	दुर्गापुर इस्पताल संयंत्र, दुर्गापुर के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सुरक्षण उपायों के कार्यान्वय और अध्ययन की रिपोर्ट	30
19.	16 और 17 जनवरी, 1978 को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, की समूह सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातीयों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन	32
	अनुबंध 1—1 जनवरी, 1977-1978 की हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स [illegible]टेड की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों का प्रतिनिधित्व बताने वाला विवरण	37
	अनुबंध 2—1975, 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में भर्ती स्थिति बताने वाला विवरण .	37
	अनुबंध 3— 75, 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में पदोन्नतियों की स्थिति बताने वाला विवरण	37
20.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन	38
21.	16 और 17 मई, 1978 को भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन	42
22.	अप्रैल 1978 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट	45
23.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	47
24.	17 और 18 जनवरी, 1978 को हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज-I और II, बंगलौर की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन.	50
25.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	52
26	भारतीय राज्य व्यापार निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन—14, 15 और 17 अप्रैल, 1978	56
27.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	61
28.	भारत के महापंजीयक के कार्यालय, नई दिल्ली के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन को रिपोर्ट	63
29.	दक्षिण-पूर्व रेलवे, कलकत्ता के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षणो के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन को रिपोर्ट	64
30.	आकाशवाणी, मद्रास के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन को रिपोर्ट	67
31.	इंटिग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	68
32.	समुद्रपार संचार सेवा, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	71
33.	समुद्रपार संचार सेवा, मद्रास के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	72
34.	भाग 1—जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट	73
	भाग 2—डाक घरों के वरिष्ठ अधीक्षक, मध्य डिवीजन, नई दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के अध्ययन को रिपोर्ट	76
35.	पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली अंचल, नई दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन हेतु रखे गए रोस्टरों तथा अन्य अभिलेखों के अध्ययन की रिपोर्ट	78

1	2	3
36.	केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क समाहर्ता के बंगलौर स्थित कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कार्मियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में 21 जनवरी, 1978 को किए गए अध्ययन की रिपोर्ट	81
37.	भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, कानपुर के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के 17 और 18 मई, 1978 को किए गए अध्ययन की रिपोर्ट	83
38.	भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, मद्रास की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट	87
39.	नेशनल शूगर इंस्टिट्यूट, कानपुर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के 13 और 14 मार्च, 1978 को किए गए अध्ययन की रिपोर्ट	88
40.	सहायक निदेशक, जन शिक्षण, मैसूर के कार्यालय समेत कर्नाटक सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के कार्यान्वयन का सामान्य अध्ययन	92
41.	तमिलनाडु सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट	96
42.	पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट	98
43.	**विवरण संख्या 1**—जनवरी, 1976 से मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनिधित्व की स्थिति बताने वाला विवरण (31-7-78 की स्थिति)	100
	विवरण संख्या 2—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ चलाए गए मामलों की स्थिति (31-7-1978 को बताने वाला विवरण)	101
	अध्याय 4	
	आर्थिक विकास	
44.	**विवरण संख्या 1**—अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974–75, 1975–76, 1976–77 के दौरान परिव्यय और व्यय तथा 1977–78 के दौरान राज्य क्षेत्र में परिव्यय और व्यय बताने वाला विवरण	102
	विवरण संख्या 2—अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974–75, 1975–76, 1976–77 के दौरान परिव्यय और व्यय तथा 1977–78 के दौरान राज्य क्षेत्र में परिव्यय और व्यय बताने वाला विवरण	105
45.	राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए निधि निर्धारित करने की दिशा में उठाए गए कदम	107
46.	अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से निर्धारित निधि	108
47.	ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता का विवरण	109
	अध्याय 5	
	भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम	
48.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय द्वारा मार्च, 1978 में रोहतास जिले के बिशरामपुर गाँव में हुई घटनाओं की जांच के लिए अप्रैल, 1978 में भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्ट	110
49.	1977–78 के दौरान एस०एफ०डी०ए०/एम०एफ०ए०एल० एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छोटे/उपांतिक किसानों, खेतिहर मजदूरों को प्राप्त लाभों को बताने वाला विवरण	120
	अध्याय 6	
	शैक्षिक विकास	
50.	1977–78 के दौरान जयपुर और डुंगरपुर जिलों में सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन	124
51.	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कन्या छात्रावासों की योजना के अधीन 1976-77 वर्ष में किया गया व्यय और 1977–78 के लिए प्रदत्त परिव्यय	124
52.	1976–77 के दौरान पंजाब में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रदत्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का जातिवार आवंटन बताने वाला विवरण	125
	अध्याय 7	
	सामाजिक विकास	
53.	विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चालित कानूनी सहायता कार्यक्रम	125
54.	अस्पृश्यता और अत्याचारों के मामलों के लिए राज्य में स्थापित विशेष संगठन	126
55.	लखनऊ में आयोजित हरिजन और समाज कल्याण विषय पर संगोष्ठि में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपायुक्त श्री एस० के० कौल द्वारा पाठित—सामाजिक अशक्तताओं की सीमा और उनसे उत्पन्न तनाव तथा उनसे निपटने के लिए अपेक्षित सामाजिक कानूनों ढांचा-शीर्षक से शोधपत्र	127
56.	1977-78 वर्ष के दौरान अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया कार्य	131

1	2	
	अध्याय 8	
	जनजातीय विकास	
57.	आदिवासी उप-योजना के लिए राज्य सेक्टर और विशेष केन्द्रीय साहायता से मिलने वाली निधियां . . .	133
58.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की तैयारी की प्रगति बताने वाला विवरण . . .	134
59.	आदिम जातियों के रूप में पहचाने गये/पहचाने जाने वाले समुदाय बताने वाला विवरण . . .	134
60.	आदिम जातियों के लिए विकास कार्यक्रम के वास्ते राज्य सरकारों को दी गई धनराशियां बताने वाला विवरण .	135
61.	आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं द्वारा 1977-78 के दौरान पूरे किये गये शोध अध्ययन	135
62.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर खोज-अध्ययनों पर लगे अन्य संस्थानों की सूची . . .	136
63.	1977–78 के दौरान अन्य संस्थानों द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य	136
	अध्याय 9	
	अत्याचार और उत्पीड़न	
64.	महाराष्ट्र राज्य में मराठवाडा क्षेत्र में हुई घटनाओं के संबंध में औरंगाबाद, परबनी और नांदेड जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त श्री शिशिर कुमार के 11 से 14 अगस्त, 1978 तक के दौरे की रिपोर्ट .	137
65.	आगरा शहर में 1 और 2 मई, 1978 को अनुसूचित जातियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने तथा लाठीचार्ज करने की घटना से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्ट .	142

परिशिष्ट 1

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 2.9)

लोकसभा/विधान सभाओं में स्थानों की संख्या

(सीमा निर्धारण आदेश, 1976)

क्रम संख्या और राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लोक सभा			विधान सभा		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
राज्य :						
1. आन्ध्र प्रदेश	42	6	2	294	39	11
2. आसाम	14	1	2	126	8	16
3. बिहार	54	8	5	324	46	28
4. गुजरात	26	2	4	182	12	25
5. हरियाणा	10	2	..	90	17	..
6. हिमाचल प्रदेश	4	1	..	68	15	3
7. जम्मू व कश्मीर	6	..	..	76*	6	..
8. कर्नाटक	28	4	..	224	29	2
9. केरल	20	2	..	140	12	2
10. मध्य प्रदेश	40	5	8	320	42	64
11. महाराष्ट्र	48	3	3	288	17	17
12. मणिपुर	2	..	1	60	1	19
13. मेघालय	2	..	..	60	..	..
14. नागालैंड	1	..	..	60	..	..
15. उड़ीसा	21	3	5	147	22	34
16. पंजाब	13	3	..	117	29	..
17. राजस्थान	25	4	3	200	32	24
18. सिक्किम	1	..	..	32†	1	..
19. तमिलनाडु	39	7	..	234	42	2
20. त्रिपुरा	2	..	1	60	7	17
21. उत्तर प्रदेश	85	18	..	425	89	1
22. पश्चिमी बंगाल	42	8	2	294	59	17
जोड़	525	77	36	3821	525	282
संघ शासित क्षेत्र :						
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समह	1	..	..	..	..	..
24. अरुणाचल प्रदेश	2	..	..	30	..	..
25. चण्डीगढ़	1	..	..	..	..	..
26. दादरा व नगर हवेली	1	..	1	..	..	..
27. दिल्ली	7	1	..	56**	9	..
28. गोवा, दमन एवं दीव	2	..	..	30	1	..
29. लक्षद्वीप	1	..	1	..	..	.
30. मिजोराम	1	..	..	30	..	..
31. पांडिचेरी	1	..	..	30	5	..
जोड़	17	1	2	176	15	..
कुल जोड़	542	78	38	3997	540	282

टिप्पणी:--*पाकिस्तानी अधिकार के क्षेत्र के लिए 24 स्थान शामिल हैं।

†साधा चुनाव-क्षेत्र के लिए आरक्षित 1 स्थान शामिल है।

**महानगर परिषद के चुनाव क्षेत्र।

परिशिष्ट 2

(संदर्भ के लिए देखिए 2.51)

1977–78 के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठकों में महत्वपूर्ण विचार विमर्शित विषय और प्रस्तावित सिफारिशें

24–5–78 को हुई मध्य प्रदेश आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक

'पाताल-गंगा' परियोजना और नल-कूपों की सामान्य योजना पर विचार विमर्श के दौरान सदस्यों ने 'डग वैल' की योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भी रखा। सुझाव था कि आदिम जातियों के जीवन में शराब के महत्व और शराब पीने के दुष्प्रभाव को देखते हुए आदिवासी क्षेत्रों में शराब बनाने और उसे रखने से सम्बन्धित नियमों में धीरे-धीरे परिवर्तन किया जाए ताकि 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण 'नशाबन्दी' नीति पर अमल हो सके। जनजातियों के योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर, सिझोरा, बदवानी और जसपुर में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय किया गया। 1977–78 वर्ष के दौरान दस नए मैट्रिक पूर्व छात्रावास खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया। सिफारिश थी कि उपयोजना क्षेत्रों में 12 आश्रम-विद्यालय और इन से बाहर 3 आश्रम-विद्यालय खोले जाएँ। यह भी प्रस्ताव था कि 'हल्बा कोस्टी' जनजाति को अनुसूचित जनजाति की मान्यता न दी जाए। सूचना दी गयी कि 24 जिलों में ग्राम्य रोजगार परिवर्धन योजनाओं ने काम शुरू कर दिया, जिनके अन्तर्गत जनजातियों को 3 रुपये प्रतिदिन की दर से 100 दिनों का रोजगार मिलेगा।

2. 23–1–78 को हुई उड़ीसा आदिवासी सलाहकारें परिषद की बैठक

सुझाव था कि आश्रम-विद्यालयों, कन्या-आश्रमों और उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों तथा उनसे बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। छात्रवृत्तियों के भुगतान में विलम्ब से बचने के लिए सुझाव था कि कियोनझार और मयूरगंज जिलों में काम कर रही पास बुक प्रणाली की जाँच की जाए और उन्हें दूसरे जिलों में भी लागू किया जाए। एक ऐसा ज्ञापन तैयार करने का भी सुझाव था, जिसमें वन-विभाग द्वारा आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल करने की कार्रवाईयों का विस्तृत विवरण हो ताकि परिषद उन पर विचार कर सके। उड़ीसा उप क्षेत्रीय अचल संपत्ति हस्तान्तरण (अनुसूचित जनजाति द्वारा) विनियम, 1956 और उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दर्ज आदिवासी भूमियों के गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरण संबंधी मामलों को, जहाँ तक सम्भव हो सके, उन क्षेत्रों की कैंप-अदालतों में निपटाया जाए, जहाँ ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक हो। इस कार्य के लिए जहाँ भी जरूरी हो, विशेष अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। सभी शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए, किन्तु आदिवासियों को अपने पारंपरिक मादक पेयों को तैयार करने की छूट दी जाए।

3. 27–2–78 को हुई राजस्थान आदिवासी सलाहकार-परिषद की बैठक

सिफारिश थी कि उपयोजना क्षेत्रों से बाहर रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 5,46,000 जनजातियों के लिए 27 नये खण्ड खोले जाएं। परिषद ने सुझाव दिया कि विशेष पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया जाए ताकि इन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। स्वयंसेवी संगठनों की तकनीकी योग्यता बढ़ाने के लिए इनमें समाज-विज्ञान के स्नातकों और स्नातकोत्तरों के नियोजन का प्रस्ताव था। सामान्य कोटे में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती के लिए सुझाव दिया गया कि जनकल्याण विभाग में इनके नामों का पंजीकरण करते समय साथ ही इन जातियों के उम्मीदवारों को अपने नाम रोजगार-कार्यालयों में दर्ज करा लेने चाहिए ताकि उन्हें सामान्य रिक्तियों में भी भर्ती किया जा सके।

4. 27–4–78 को हुई पश्चिमी बंगाल आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक

परिषद ने सुझाव दिया कि मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की आय-सीमा साधन-परीक्षा लेने के संदर्भ में 300 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर देनी चाहिए। सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि पुस्तक अनुदान की दर में भी काफी वृद्धि की जानी चाहिए। छात्रावास अनुदान की राशि भी 60 रुपये प्रतिमास बढ़ा देनी चाहिए और परीक्षा में एक बार की असफलता को पुस्तक-अनुदान बन्द करने का आधार न माना जाए। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के सिलसिले में सदस्यों का विचार था कि एक ही माता पिता या अभिभावक के, संख्या का खयाल किए बिना, सभी संरक्षितों को वृत्तिकाएँ दी जानी चाहिए। सदस्यों का विचार था कि अनुसूचित जाति समुदायों की दीन आर्थिक स्थितियों को देखते हुए भरण-व्यय की वर्तमान दरों में भी वृद्धि की जानी चाहिए। यह भी प्रस्ताव था कि दिवस विद्यार्थियों की वृत्तिका भी दर 40 रुपये से 60 रुपये और छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए 70 रुपये से 120 रुपये कर देनी चाहिए।

अनुसूचित जनजातियों के निर्धन व्यक्तियों के लिए कच्चे झोंपडे बनाने के संबंध में, परिषद ने सुझाव दिया कि कच्चे झोंपड़ों की छतें एस्बेस्टास या लोहे की नालीदार चादरों की बनाई जाएं ताकि निधियों का बेहतर उपयोग हो सके। परिषद ने सुझाव दिया कि टी०सी०पी० सी० में विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षार्थियों की मासिक वृत्ति की दर 40 रुपये से 80 रुपये प्रतिमास और प्रशिक्षण पूरा होने पर दी जाने वाली एकमुश्त राशि का अनुदान भी 300 रुपये से 500 रुपये कर दिया जाना चाहिए। सिफारिश थी कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आदिवासी विकास सहयोग निगम लि० के माध्यम से विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण जारी किए जाने चाहिए। इच्छा व्यक्त की गयी कि स्थानीय खंड विकास अधिकारियों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के विशेष अधिकारियों को जाति-प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार दे देना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग परेशानी से बच सकें। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि विवाह या स्वास्थ्य चिकित्सा के आधार पर जनजातियों को अपनी जमीनें गैर जनजाति के लोगों को बेचने की अनुमति दे देनी चाहिए।

परिशिष्ट 3

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.6)

1 जनवरी, 1978 को रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण का प्रतिशत बताने वाला विवरण

श्रेणी	स्थायी/अस्थायी	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या
प्रथम श्रेणी .	स्थायी	6.7	0.9
	अस्थायी	4.7	0.9
द्वितीय श्रेणी .	स्थायी	11.1	1.6
	अस्थायी	10.4	1.7
तृतीय श्रेणी .	स्थायी	10.6	1.7
	अस्थायी	13.4	4.0
चतुर्थ श्रेणी (सफाई वालों को छोड़कर)	स्थायी	17.4	4.7
	अस्थायी	20.1	7.9
चतुर्थ श्रेणी (सफाईवाला)	स्थायी	87.6	1.4
	अस्थायी	67.6	2.5
जोड़ .	स्थायी	16.9	3.3
	अस्थायी	19.3	5.9

परिशिष्ट 4

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.26)

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों/सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	न्यायालय का नाम पद्धति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आसाम .	न्यायिक सेवा	122	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	जिला न्यायाधीश	81	4	1
3.	गुजरात .	1. न्यायाधीश सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट, अहमदाबाद जिनमें प्रिसिपल जज शामिल हैं	14	..	..
		2. जिला तथा सेशन जज	20	..	..
		3. सहायक न्यायाधीश	19	..	..
		4. जज स्माल कॉज कोर्ट (चीफ जज शामिल)	9	..	..
			+2	..	..
		अहमदाबाद/बड़ौत/सूरत	+2	..	..
		5. मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समेत)	14	..	..
		6. सिविल जज (सीनियर डिविजन)	36	..	..
		7. सिविल जज (जूनियर डिविजन)	176	5	..
4.	हरियाणा	1. हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा	28 (कार्यरत सं० 14)	..	..
		2. हरियाणा सिविल सेवा (जूडिशियल ब्रांच)	96 (कार्यरत सं० 81)	5	..
5.	हिमाचल प्रदेश	जिला जज	11	1	..
6.	कर्नाटक .	जिला जज	52	2	..
7.	केरल .	1. जिला जज	16	..	..
		2. सेलेक्शन ग्रेड जिला जज एवं अपर जिला जज	5	1	..
8.	मध्य प्रदेश	1. जिला और सेशन जज	52	..	..
		2. सहायक सेशन जज	108	..	..
		3. सिविल जज	387	35	27
9.	महाराष्ट्र .	1. जिला जज	32	3	..
		2. सहायक जज	42	..	..
		3. स्माल कॉज कोर्ट जज	5	..	..
		4. सिविल जज (सीनियर डिविजन)	69	1*	..
		5. सिविल जज (जूनियर डिविजन)	259	31*	3
		6. स्माल कॉज कोर्ट (जज)	28	1	..
		7. बम्बई मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट बम्बई	49	1	1
10.	मेघालय .	1. जिला एवं सेशन जज	1	..	..
		2. सहायक जिला एवं सेशन जज	1	..	1
		3. मुंसिफ	1	..	..
11.	नागालड .	नागालैंड में कोई पृथक न्यायालय नहीं			
12.	पंजाब .	1. उच्च न्यायिक सेवा	42	1	..
		2. पी०सी०एस० (न्यायिक शाखा)	175	34	..
13.	राजस्थान	राजस्थान न्यायिक सेवा	लागू नहीं	22	3
14.	तमिलनाडु	राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा	26	1	..
15.	त्रिपुरा .	जिला जज	33	..	2
16.	पश्चिमी बंगाल	1. उच्चतर न्यायिक सेवाएं	80	..	..
		2. सिविल न्यायिक सेवाएँ	418	6	..
संघ शासित क्षेत्र					
17.	अरूणाचल प्र०	कोई जज नहीं	..	..	..
18.	चण्डीगढ़ .	कोई जज नहीं	..	..	..
19.	दादरा व नगर-हवेली	1. सिविल जज तथा चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट	1	..	..
		2. अंशकालिक जिला और सेशन जज	1	..	..
20.	लक्षद्वीप .	कोई अलग न्यायालय नहीं	..	..	..
21.	पांडिचेरी	जिला जज	3	..	..
22.	गोवा, दमन व दीव	कोई जज नहीं	..	..	..
23.	मिजोरम .	कोई जिला जज नहीं	..	..	..

*एक नव-बौद्ध ।

टिप्पणी :—बिहार, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से कोई सूचना उपलब्ध नहीं ।

परिशिष्ट 5

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.62)

1977–78 (1977 की परीक्षा) में अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण पाने और अंतिम रूप से चुने जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या		परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या		अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की संख्या						स्वीकृत संख्या
						भा०प्र०से०		भा०प्र०से०		समवर्गी सेवा		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	41	26	36	15	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी	कोई नहीं	कोई नहीं	2	80
						*कोई नहीं	2	1	2	4	4)	
2.	अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास	24	2	24	2	1	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	60
3.	भा० प्र० से० आदि के लिए मंडलीय (परीक्षा पूर्व) प्रशिक्षण केन्द्र, पटियाला	38	13	28	13	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	संयुक्त सेवाओं में	कोई नहीं	कोई नहीं	50
4.	राव का आई० ए० एस० स्टडी सर्किल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	8	6	8	6	2	2	कोई नहीं	1*	1	1	30
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु प्रशासनिक सेवा में प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	19	19	16	15	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	40
6.	अखिल भारतीय परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, शिलांग	7	21	7	20	कोई नहीं	1 भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी	कोई नहीं	2 (भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी 1)	कोई नहीं	4‡ भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी 3)	50
				129	71							
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	21	..	17	..	..	..					40
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि	31	..	22	..	8**	..					40

†यह आंकड भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों के हैं।

*भारतीय पुलिस सेवा और समवर्गी सेवाओं के लिए संयुक्त नाम।

‡समवर्गी सेवाओं में सफल होने वाले इन 4 प्रशिक्षार्थियों/भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियो में वे दो प्रशिक्षार्थी/भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी भी शामिल हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा में सफल घोषित हुए।

**यह उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित इंजिनियरिंग सेवा परीक्षा में सफल हुए।

परिशिष्ट 6

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.64)

ऐसे पदों के लिए आवेदन करने, परीक्षा में बैठने वाले और उन पर नियुक्ति के लिए चुने गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या बताने वाला विवरण, जिन पर भर्ती के लिए 1977 के दौरान स्टाफ प्रवरण आयोग ने परीक्षाएं आयोजित की थीं

परीक्षा का नाम	आवेदन किया			परीक्षा में बैठे			नियुक्ति के लिए सिफारिश की गयी		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क) खुली परीक्षाएं									
क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 77	87,834	13,612 (15.50)	860 (0.98)	54,071	7,968 (14.74)	444 (0.82)	2,219	400 (18.03)	18 (0.81)
आयकर आदि के इंस्पेक्टरों की परीक्षा, 77	72,810	8,033 (11.12)	1,599 (2.14)	47,876	4,535 (9.47)	916 (1.91)	1,087	198 (18.22)	65 (5.98)
स्टेनोग्राफर साधारण ग्रेड परीक्षा, 77	5,518	190 (3.44)	22 (0.40)	4,433	131 (2.95)	14 (0.32)	443	4 (0.90)	.. (—)
सब-इंस्पेक्टर (कार्यपालक) दिल्ली पुलिस परीक्षा, 77	2,509	241 (9.61)	17 (0.68)	1,915	192 (10.03)	15 (0.78)	124	19 (15.32)	6 (4.84)
(ख) सीमित विभागीय परीक्षाएं									
क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 1977 (ग्रुप डी स्टाफ के लिए)	468	140 (29.91)	3 (0.64)	405	118 (29.14)	3 (0.74)	61	20 (32.79)	1 (1.64)
उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 77	867	108 (12.46)	2 (0.23)	648	84 (12.96)	1 (0.15)	71	24 (33.80)	.. (—)
अधीनस्थ कार्यालयों के लिए क्लर्क ग्रेड परीक्षा, 77 (ग्रुप डी)	1,041	200 (19.21)	45 (4.32)	526	106 (20.15)	25 (4.75)			
ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 77	265	6 (2.26)	1 (0.38)	202	3 (1.49)	1 (0.49)	30	1 (3.33)	.. (—)
ग्रेड 'डी' स्टेनोग्राफर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 77	527	30 (5.69)	1 (0.19)	384	19 (4.95)	.. (—)	94	1 (1.06)	.. (—)
सहायक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 77 (रेलवे बोर्ड)	40	3 (7.50)	.. (—)	28	2 (7.15)	.. (—)	2	1 (50.00)	.. (—)
उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1977 (रेलवे बोर्ड)	5	..	..	5	..	..	3	..	..

टिप्पणी.—कोष्ठकों में दी गयी संख्याएँ योग से प्रतिशत दर्शाती है

परिशिष्ट 7

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.71)

विवरण संख्या 1

31 दिसम्बर, 1977 को इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी शिल्पों में प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षार्थियों तथा उनमें शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षार्थियों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या			पंजी पर अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या			पंजी पर अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों की सं०		योग (खाना 5 में शामिल)
		इंजीनियरिंग शिल्प	गैर-इंजीनियरिंग शिल्प	योग	इंजी० शिल्प (खाना 2 में शामिल)	गैर-इंजी० शिल्प (खाना 4 में शामिल)	योग (खाना 5 में शामिल)	इंजी० शिल्प (खाना 3 में शामिल)	गैर-इंजी० शिल्प (खाना 4 में शामिल)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,619	268	8,887	1,271	48	1,319	247	14	261
2.	आसाम	2,302	211	2,513	267	26	293	246	20	266
3.	बिहार	12,135	66	12,201	1,413	11	1,424	1,236	14	1,250
4.	गुजरात	5,334	97	5,431	448	33	481	213	2	215
5.	हरियाणा	8,555	1,511	10,066	987	157	1,144	..	..	..
6.	हिमाचल प्रदेश	1,383	309	1,692	187	40	227	46	13	59
7.	जम्मू व कश्मीर	739	562	1,301	43	34	77	..	..	..
8.	कर्नाटक	4,892	113	5,005	548	6	554	11	..	11
9.	केरल	7,128	103	7,231	613	8	621	29	..	29
10.	मध्य प्रदेश	8,083	998	9,081	976	137	1,113	824	48	872
11.	महाराष्ट्र	19,722	1,439	21,161	2,435	218	2,653	670	41	711
12.	मणिपुर	362	108	470	4	..	4	97	28	125
13.	मेघालय	49	13	62	..	..	..	36	13	49
14.	नागालैंड	107	16	123	..	..	..	107	16	123
15.	उड़ीसा	3,401	365	3,766	389	32	421	373	28	401
16.	पंजाब	10,017	1,182	11,199	1,128	170	1,298	5	..	5
17.	राजस्थान	3,147	167	3,314	324	19	343	38	6	44
18.	तमिलनाडु	11,983	294	12,277	2,193	63	2,256	77	14	91
19.	त्रिपुरा	420	67	487	71	14	85	45	18	63
20.	उत्तर प्रदेश	21,155	2,646	23,801	2,975	333	3,308	9	5	14
21.	पश्चिमी बंगाल	8,316	127	8,443	838	18	856	58	7	65
22.	अरूणाचल प्रदेश	18	..	18	..	..	..	13	..	13
23.	चण्डीगढ़	390	262	652	68	29	97	..	..	..
24.	दिल्ली	4,749	1,447	6,196	591	226	817	6	..	6
25.	गोवा	320	..	320	1	..	1	..	..	..
26.	मिजोरम	96	..	96	..	..	..	93	..	96
27.	पांडिचेरी	194	31	225	31	3	34	4	..	4
	पूरे भारत से योग	143,616	12,402	156,018	17,801	1,625	19,426	4,486	287	4,773

विवरण संख्या 2

31 दिसम्बर, 1977 को प्रवर्तित स्थानों की शिल्पकार संख्या, पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या और प्रतिशत बताने वाला विवरण

क्रम सं०	शिल्प	प्रवर्तित स्थानों की संख्या	पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 4 में शामिल अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 4 के अनुपात में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत	खाना 4 में शामिल अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 4 के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
	इंजीनियरी शिल्प						
1.	इमारत निर्माता	384	284	39	13.2	39	13.2
2.	नक्शानवीस (सिविल)	3,349	3,552	392	11.0	55	1.5
3.	नक्शानवीस (मैकेनिकल)	4,030	4,129	400	9.7	74	1.8
4.	इलैक्ट्रिशियन	16,291	17,279	1,840	10.6	471	2.7
5.	इलैक्ट्रोप्लेटर	416	340	45	13.2	6	1.8
6.	फिटर	25,583	26,191	3,567	13.6	945	3.6
7.	यंत्र मैकेनिक	2,441	2,276	182	8.0	37	1.6
8.	मशीनिस्ट	11,967	12,101	1,451	12.0	358	3.0
9.	मशीनिस्ट (ग्राइन्डर)	2,052	2,003	246	12.3	76	3.8
10.	मैकेनिक मोटर वाहन	8,733	8,783	1,083	12.3	336	3.8
11.	रेफ्रीजेरेशन एवं एयर कंडीशनिंग मैकेनिक	2,172	2,060	132	6.4	10	0.5
12.	मैकेनिक (रेडियो एवं टेलीविजन)	4,178	3,905	306	7.8	32	0.8
13.	पैटर्न मेकर	1,168	879	104	11.8	28	3.2
14.	सर्वेक्षक	1,795	1,673	171	10.2	52	3.1
15.	टर्नर	160,003	16,184	2,097	13.0	493	3.0
16.	घड़ीसाज	304	262	42	16.0	8	3.1
17.	वायरमैन	10,275	10,189	1,295	12.7	447	4.4
18.	इलैक्ट्रोनिक्स	1,196	1,171	85	7.3	6	0.5
19.	टूल एवं डाई मेकर	924	926	102	11.0	8	0.9
20.	मिलराइट मैकेनिक/अनुरक्षण	244	277	21	7.6	1	0.4
21.	फार्म मैकेनिक	224	177	18	10.2	4	2.3
22.	लौहकार	2,371	1,736	275	15.8	78	4.5
23.	बढ़ई	3,824	2,928	549	18.8	90	3.1
24.	मैकेनिक (डीजल)	2,928	3,261	425	13.0	131	4.0
25.	मैकेनिक (ट्रैक्टर)	2,478	2,493	283	11.4	41	1.6
26.	सांचेकार	3,806	3,761	562	14.9	168	4.5
27.	रंगसाज	819	768	122	15.9	8	1.0
28.	नलसाज	1,305	1,263	171	13.5	44	3.5
29.	शीट मेटल वर्कर	2,862	2,422	333	13.7	76	3.1
30.	पोशिशसाज	48	52	8	15.4	..	..
31.	वैल्डर	9,790	10,156	1,434	14.1	364	7.4
32.	वायरलैस आपरेटर	146	135	21	15.6	..	..
	योग	144,106	143,616	17,801	12.4	4,486	3.1

विवरण संख्या 2

31 दिसम्बर, 1977 को प्रवर्तित स्थानों की शिल्पकार संख्या, पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों प्रशिक्षार्थियों की संख्या और प्रतिशत बताने वाला विवरण

क्रम सं०	शिल्प	प्रवर्तित स्थानों की संख्या	पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 4 में शामिल अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 4 के अनुपात में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत	खाना 4 में शामिल अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 4 के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
गैर-इंजीनियरी शिल्प							
1.	विरंजन, रंगाई एवं छपाई	80	90	9	10.0	..	..
2.	फैंसी तथा फिनिशिंग कपड़े की हाथ से बुनाई	224	116	26	22.4	8	5.2
3.	उनी कपड़े की हाथ से बुनाई	..	..	..	..	..	..
4.	मशीन से बुनाई (निटिंग)	256	229	18	7.9	1	0.4
5.	निवाड़, फीता, दरी एवं गालीचे की हाथ से बुनाई	16	16	1	6.3	..	..
6.	चरेलू बरतनों का उत्पादन	16	11	..	..	..	..
7.	खेल कूद के सामान (लकड़ी) का उत्पादन	16	..	..	..	..	..
8.	खेलकूद के सामान (विविध) का उत्पादन	..	..	.	..	..	..
9.	जूते आदि का उत्पादन	64	34	22	64.7	..	..
10.	सूटकेस तथा चमड़े के दूसरे सामान का उत्पादन	176	82	25	30.5	..	..
11.	खेलकूद के सामान (चमड़ा) का उत्पादन	16	18	..	..	..	..
12.	जिल्दसाजी	192	134	25	18.7	5	3.7
13.	हाथ से कम्पोज करना और प्रूफ पढ़ना	668	553	76	13.7	12	2.2
14.	छपाई मशीन चालक	512	436	71	16.3	16	3.7
15.	कटाई-सिलाई	2,976	3,235	392	12.1	73	2.3
16.	फल-सब्जियों का परिरक्षण	52	37	4	10.8	1	2.7
17.	कशीदाकारी एवम् सूईकारी	638	627	37	5.9	7	1.1
18.	रेशमी एवं ऊनी कपड़े की बुनाई	..	..	..	..	..	..
19.	बेंत, विलो एवं बांसका काम	16	17	6	35.3	3	17.6
20.	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	4,418	4,321	525	12.1	143	3.3
21.	आशुलिपिक (हिन्दी)	2,354	2,446	388	15.9	18	0.7
	योग	12,690	12,402	1,625	13.1	287	2.3
	महायोग : (इंजी०+गैर-इंजी०)	156,796	156,018	19,426	12.3	4,773	3.1

विवरण संख्या 3

31 दिसम्बर, 77 को काम कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की राज्यवार संख्या, प्रवर्तित स्थानों की संख्या, पंजी पर स्थानों की संख्या, पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या और प्रतिशत को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	काम कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या	प्रवर्तित स्थानों की संख्या	पंजी पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 5 में शामिल अनु० जाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 5 के अनुपात में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत	खाना 5 में शामिल अनु० जनजाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	खाना 5 के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों का अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	8,200	8,887	1,319	14.8	261	2.9
2.	आसाम	8	3,060	2,513	293	11.7	266	10.6
3.	बिहार	29	12,368	12,201	1,424	11.7	1,250	19.2
4.	गुजरात	18	5,600	5,431	481	8.9	215	4.0
5.	हरियाणा	17	8,012	10,066	1,144	11.4	.	..
6.	हिमाचल प्रदेश	7	1,916	1,692	1,227	13.4	59	3.5
7.	जम्मू एवम् कश्मीर	7	1,424	1,301	77	5.9	.	..
8.	कर्नाटक	14	5,288	5,005	554	11.1	11	0.2
9.	केरल	10	7,096	7,231	621	8.6	29	0.4
10.	मध्य प्रदेश	23	10,216	9,081	1,113	12.3	872	9.6
11.	महाराष्ट्र	32	19,952	21,161	2,653	12.5	711	3.4
12.	मणिपुर	1	440	470	4	0.9	125	26.6
13.	मेघालय	1	280	62	..	..	49	79.0
14.	नागालैंड	1	168	123	..	..	123	100.0
15.	उड़ीसा	10	3,848	3,766	421	11.2	401	10.6
16.	पंजाब	28	11,436	11,199	1,298	11.6	5	0.04
17.	राजस्थान	15	3,260	3,314	343	10.4	41	1.3
18.	तमिलनाडु	32	12,858	12,277	2,256	18.4	91	0.7
19.	त्रिपुरा	2	520	487	85	17.5	63	12.9
20.	उत्तर प्रदेश	50	24,214	23,801	3,308	13.9	14	0.1
21.	पश्चिमी बंगाल	17	9,764	8,443	856	10.1	65	0.8
22.	अरुणाचल प्रदेश	1	40	18	..	..	13	72.2
23.	चण्डीगढ़	2	768	652	97	14.9	..	..
24.	दिल्ली	7	5,372	6,196	817	13.2	6	0.1
25.	गोवा	1	328	320	1	0.3	..	..
26.	मिजोरम	1	152	96	.	..	96	100.0
27.	पांडिचेरी	1	216	225	34	15.1	4	1.8
	सारे भारत से योग	356	1,56,796	1,56,018	19,426	12.3	4,773	3.1

परिशिष्ट 8

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.72)

विवरण संख्या 1

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का परिपालन—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिल्प प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

31 दिसम्बर, 1967 को स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षण पा रहे कुल प्रशिक्षु	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षुओं की संख्या	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,409	472	63
2.	आसाम	1,244	203	119
3.	बिहार	5,880	366	306
4.	चण्डीगढ़	255	34	2
5.	दिल्ली	4,458	565	6
6.	गोवा	191	5	..
7.	गुजरात	6,901	362	196
8.	हरियाणा	3,901	191	4
9.	हिमाचल प्रदेश	626	91	7
10.	जम्मू व कश्मीर	671	10	..
11.	कर्नाटक	7,612	349	59
12.	केरल	6,107	303	14
13.	मध्य प्रदेश	2,423	283	127
14.	महाराष्ट्र	19,866	1,249	333
15.	उड़ीसा	2,572	291	254
16.	पांडिचेरी	325	71	..
17.	पंजाब	2,820	271	19
18.	राजस्थान	2,005	137	35
19.	तमिलनाडु	9,631	1,519	3
20.	उत्तर प्रदेश	10,731	1,211	..
21.	पश्चिमी बंगाल	10,687	826	175
22.	मेघालय	60	2	35
23.	त्रिपुरा	78	15	2
24.	मणिपुर	37	..	4
25.	नागालैंड	..	..	..
	राजकीय/निजी क्षेत्र की स्थापना का योग	1,04,490	8,831	1,763
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापना			
1.	पूर्वी क्षेत्र	13,104	2,085	1,013
2.	उत्तरी क्षेत्र	11,037	1,799	246
3.	दक्षिणी क्षेत्र	16,370	2,450	441
4.	पश्चिमी क्षेत्र	9,575	1,488	596
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापना का योग	50,086	7,822	2,296
	महायोग	54,576	16,653	4,059

विवरण संख्या 2

स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु

31 दिसम्बर 1977 को स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षु	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षु	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु
1.	आन्ध्र प्रदेश	593	22	..
2.	आसाम	81	1	..
3.	बिहार	1,030	10	6
4.	चण्डीगढ़	8	..	..
5.	दिल्ली	428	16	..
6.	गोवा	20	..	..
7.	गुजरात	1,001	10	3
8.	हरियाणा	303	2	1
9.	हिमाचल प्रदेश	23	..	..
10.	जम्मू व कश्मीर	11	..	..
11.	कर्नाटक	576	7	1
12.	केरल	563	2	..
13.	मध्य प्रदेश	395	8	5
14.	महाराष्ट्र	1,624	4	3
15.	उड़ीसा	655	12	7
16.	पांडिचेरी	..	..	..
17.	पंजाब	103	1	..
18.	राजस्थान	346	7	1
19.	तमिलनाड़	1,795	14	3
20.	उत्तर प्रदेश	1,538	30	4
21.	पश्चिमी बंगाल	2,113	12	3
22.	मेघालय	..	..	..
23.	त्रिपुरा	5	..	..
24.	मणिपूर	4	..	..
25.	नागालैंड	2	..	..
	राजकीय/निजी क्षेत्र की स्थापना का योग	13,217	158	37

परिशिष्ट 9

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.73)

विवरण संख्या 1

1977 में अनुसूचित जातियों के बारे में रोजगार कार्यालयों द्वारा किये गए कार्य का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	पंजीकरण किया	स्थापन किया	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों की संख्या	भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की संख्या	वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	33,504	6,365	6,137	4,159	80,262
2.	आसाम	7,357	428	120	70	12,445
3.	बिहार	42,438	2,710	1,701	713	99,473
4.	गुजरात	23,736	1,950	557	280	56,160
5.	हरियाणा	42,947	6,611	5,881	3,731	47,940
6.	हिमाचल प्रदेश	9,683	1,413	1,079	648	15,400
7.	जम्मू व कश्मीर	3,426	119	102	66	4,495
8.	कर्नाटक	16,508	2,984	4,795	2,588	49,949
9.	केरल	18,109	1,560	1,643	1,236	61,922
10.	मध्य प्रदेश	49,948	5,258	4,050	2,252	77,982
11.	महाराष्ट्र	65,527	6,344	3,978	1,876	1,59,996
12.	मणिपुर	100	1	35	15	508
13.	मेघालय	28	12	15	10	101
14.	नागालैंड	10	2	31	3	18
15.	उड़ीसा	13,158	1,348	1,227	558	27,700
16.	पंजाब	16,568	5,892	9,091	4,468	43,581
17.	राजस्थान	23,505	2,347	1,809	1,132	35,490
18.	सिक्किम *	..	..	..	..	..
19.	तमिलनाडु	51,465	5,254	4,570	2,804	1,35,516
20.	त्रिपुरा	439	55	59	44	3,206
21.	उत्तर प्रदेश	1,55,508	12,584	4,320	2,182	2,08,396
22.	पश्चिमी बंगाल	36,956	2,440	1,608	931	1,17,996
संघ शासित क्षेत्र						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	..	..	..	..	..
2.	अरुणाचल प्रदेश*	..	..	..	..	..
3.	चण्डीगढ़	3,570	387	546	216	546
4.	दादरा व नगर हवेली*	..	..	..	..	..
5.	दिल्ली	22,384	2,767	2,868	1,516	31,119
6.	गोवा	111	70	168	70	354
7.	लक्षद्वीप	2	..	3	..	6
8.	मिजोरम	..	..	..	..	..
9.	पांडिचेरी	385	72	205	72	1,873
10.	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय	..	..	1,371	321	..
	सारे भारत से कुल योग	6,37,372	68,973	57,969	31,961	12,81,88

*कोई रोजगार कार्यालय नहीं है ।

विवरण संख्या 2

1977 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के बारे में रोजगार कार्यालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकरण किया	स्थापन किया	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों की संख्या	भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की संख्या	वर्ष के अंत में चालू रजिस्टर पर संख्या
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,569	1,743	2,912	1,297	9,076
2.	आसाम	8,176	457	158	79	13,770
3.	बिहार	36,059	7,337	1,500	488	69,709
4.	गुजरात	11,717	1,902	947	334	17,750
5.	हरियाणा	24	6	125	8	26
6.	हिमाचल प्रदेश	1,559	314	303	116	2,180
7.	जम्मू व कश्मीर	..	..	..	..	2
8.	कर्नाटक	1,948	329	1,391	300	2,357
9.	केरल	1,590	245	584	200	5,431
10.	मध्य प्रदेश	30,966	5,365	5,283	2,312	38,532
11.	महाराष्ट्र	13,311	1,863	3,938	1,044	26,797
12.	मणिपुर	1,879	32	296	5	14,132
13.	मेघालय	2,809	135	79	77	4,735
14.	नागालैंड	1,715	177	883	421	2,437
15.	उड़ीसा	12,247	1,570	1,585	563	25,912
16.	पंजाब	..	..	333	..	3
17.	राजस्थान	10,354	1,025	1,083	535	15,208
18.	सिक्किम**	..	..	..	..	..
19.	तमिलनाडु	1,763	262	519	135	2,397
20.	त्रिपुरा	952	147	298	95	4,801
21.	उत्तर प्रदेश	1,010	164	592	76	1,031
22.	पश्चिमी बंगाल	8,897	2,385	699	200	20,767
संघ शासित क्षेत्र						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29	26	7	..	18
2.	अरुणाचल प्रदेश**	..	..	..	..	..
3.	चंडीगढ़	92	29	229	42	66
4.	दादरा व नगर हवेली**	..	..	..	..	..
5.	दिल्ली	796	236	1,266	146	1,082
6.	गोवा	..	..	139	..	2
7.	लक्षद्वीप	724	198	181	198	1,908
8.	मिजोरम्	5,896	321	961	299	7,371
9.	पांडिचेरी	..	..	64	..	4
10.	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय	..	..	1,112	97	..
	सारे भारत से कुल संख्या	1,61,082	26,258	27,467	9,087	2,87,504

**कोई रोजगार कार्यालय नहीं ।

विवरण संख्या 3

31 दिसम्बर, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर शैक्षिक स्तरों के अनुसार वर्गीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	शैक्षिक स्तर	31 दिसम्बर, 1977 को चालू रजिस्टर पर संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	मैट्रिक से नीचे (निरक्षरों समेत)	7,86,964	1,97,226
2.	मैट्रिक पास . .	2,99,963	56,096
3.	उच्चतर माध्यमिक पास व्यक्ति (इनमें इन्टरमीडिएट/स्नातक परीक्षाएं पास करने वाले भी शामिल हैं)	1,30,391	24,006
4	स्नातक (स्नातकोत्तर भी शामिल)		
	योग . . .	64,563	10,176
	1. कला . . .	42,177	6,956
	2. विज्ञान . .	7,300	961
	3. वाणिज्य . .	8,463	1,247
	4. यांत्रिकी . .	336	54
	5. आयुर्विज्ञान . .	397	46
	6. कृषि . . .	487	122
	7. विधि . .	273	6
	8. शिक्षा . .	4,466	622
	9. अन्य . .	664	162
	योग (शिक्षित-मैट्रिक और उससे ऊपर के) . .	4,94,917	90,278
	महायोग . . .	12,81,881	2,87,504

टिप्पणी:—

1. सूचना प्रतिवर्ष जून और दिसम्बर के अन्त की छमाहियों में एकत्र की गयी है ।

2. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और निर्देशन ब्यूरो से प्राप्त आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

विवरण संख्या 4

31 दिसम्बर, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या और उनका मोटे तौर पर व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकरण दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	व्यावसायिक वर्ग	31 दिसम्बर, 1977 को चालू रजिस्टर पर संख्या	
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1.	व्यावसायिक, तकनीकी और संबद्ध कामगर . .	42,790	6,884
2.	प्रशासनिक, कार्यपालक तथा प्रबन्ध संबंधी कामगर .	298	53
3.	लिपिक तथा अन्य संबद्ध कामगर	42,398	7,113
4.	बिक्री कामगर . .	119	25
5.	सेवा कामगर . .	1,56,062	9,256
6.	खेतिहर, मछुआरे, शिकारी, लकड़हारे और संबंद्ध कामगर .	3,612	669
7.	उत्पादन और संबद्ध कामगर, परिवहन उपस्कर संचालक और मजदूर . . .	1,03,751	36,902
8.	व्यवसाय के आधार पर अवर्गीकृत काम ढूंढने वाले :		
	(क) मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त, जिनमें अपढ़ और दूसरे लोग भी शामिल हैं .	5,10,366	1,56,188
	(ख) मैट्रिक और उससे अधिक, लेकिन स्नातक स्तर से कम के शिक्षा प्राप्त .	3,70,780	62,799
	(ग) स्नातक और उससे उच्च शिक्षा प्राप्त] . .	51,705	7,615
	योग . .	12,81,881	2,87,504

परिशिष्ट 10

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.77)

विवरण संख्या 1

1975 के दौरान अनारक्षण के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या बताने वाला विवरण

पद की श्रेणी	सीधी भर्ती			पदोन्नति			पुष्टि			महायोग		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
प्रथम श्रेणी . .	57	51	108	32	27	59	4	1	5	93	79	172
द्वितीय श्रेणी . .	82	121	203	667	402	1,069	24	21	45	773	544	1,317
तृतीय श्रेणी . .	5,290	1,972	7,262	350	726	1,076	43	44	87	5,683	2,742	8,425
चतुर्थ श्रेणी . .	2	17	19	2	27	29	1	2	3	5	46	51
सभी श्रेणियों का योग .	5,431	2,161	7,592	1,051	1,182	2,233	72	68	140	6,554	3,411	9,965

विवरण संख्या 2

1975 के दौरान आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण दिखानेवाला विवरण

	प्रथम श्रेणी			द्वितीय श्रेणी			तृतीय श्रेणी			चतुर्थ श्रेणी		
	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	योग	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	योग	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	योग	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	योग
अनारक्षण के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की कुल संख्या . .	93	79	172	773	544	1,317	5,683	2,742	8,425	5	46	51
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं .	93	79	172	773	544	1,317	5,683	2,742	8,3425	5	46	51
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध, लेकिन उपयुक्त नहीं पाए गए .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--
3. उनकी संख्या जिनके लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग सहमत नहीं हुआ . .	1	--	1	44	29	73	39	46	85	--	—	—
4. उनकी संख्या जिनके लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग सहमत हुआ . .	92	79	171	729	515	1,244	5,644	2,696	8,340	5	46	51
5. वह संख्या जिनके लिए कार्योत्तर अनुमति मांगी गई	2	—	2	3	2	5	5,041	1,632	6,673	—	—	—

परिशिष्ट 11

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.86)

1977 के दौरान राज्य लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य लोक सेवा आयोग का नाम	अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या	क्या अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति का है		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या	
			अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन-जाति	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन-जाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आसाम रा०लो०से०आ०	3	..	1	..	..
2.	गुजरात रा०लो०से०आ०	3	1	..	..	1
3.	हिमाचल प्रदेश रा०लो० से०आ० . .	2	..	..	..	..
4.	जम्मू व कश्मीर रा०लो० से०आ० . .	5	..	..	..	..
5.	कर्नाटक रा०लो०से०आ०	7	1	..	..	..
6.	केरल रा०लो०से०आ०	7	..	..	1	..
7.	मध्यप्रदेश रा०लो०से०आ०	5	..	..	..	1
8.	मणिपुर रा०लो०से०आ०	3	..	..	..	1
9.	मेघालय रा०लो०से०आ०	2	..	1	..	1
10.	उड़ीसा रा०लो०से०आ०	3	..	..	..	1
11.	पंजाब रा०लो०से०आ०	6	..	..	1	..
12.	तमिलनाडु रा०लो०से०आ०	6	..	..	1	..
13.	त्रिपुरा रा०लो०से०आ०	2	..	..	..	..
14.	उत्तर प्रदेश रा०लो० से०आ० . .	7	..	..	1	..
	योग .	61	2	2	4	5

परिशिष्ट 12

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.90)

विवरण संख्या 1

विभिन्न राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	जनसंख्या का प्रतिशत (1971 की जनगणना)		निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.27	3.81	14	4
2.	आसाम	6.10	12.84	7	12 (पहाड़ी क्षेत्र) 10 (मैदानी क्षेत्र)
3.	बिहार	14.10	8.75	14*	10*
4.	गुजरात	6.84	13.99	7	14
5.	हरियाणा	18.88	—	20	—
6.	जम्मू व कश्मीर	8.25	—	8	—
7.	कर्नाटक	13.14	0.78	15	3
8.	केरल	8.30	1.26	8	2
9.	मध्य प्रदेश	13.09	20.13	15 16	18 I व II श्रेणी के लिए 20 III व IV श्रेणी के लिए
10.	महाराष्ट्र	6.00	5.86	13**	7
11.	मणिपुर	1.53	31.17 I व II श्रेणी के लिए III व IV श्रेणी के लिए	15 2	7.5 32
12.	मेघालय	0.38	80.48	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13.	नागालैंड	—	88.60		
14.	उड़ीसा	15.09	23.11 सीधी भर्ती पदोन्नति	16 15.08 से अधिक नहीं	24 23.11
15.	पंजाब	24.71	— (सीधी भर्ती) पदोन्नति I व II श्रेणी पदोन्नति III व IV श्रेणी	25 14 20	— — —
16.	राजस्थान	15.82	12.13	16	12
17.	तमिलनाडु	17.75	0.75	18 (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए संयुक्त)	
18.	त्रिपुरा	12.39	28.94	13	29
19.	उत्तर प्रदेश	20.99	0.22 (सभी सेवाएं III श्रेणी (क्लर्क) IV श्रेणी	18 25 36	2‡ 2 5
20.	पश्चिमी बंगाल†	19.89	5.72	15	5

*बिहार :—बिहार सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में रह गयी कमी को पूरा करने के लिए आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार बढ़ाया गया है :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
प्रथम और द्वितीय श्रेणी	25%	20%
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी	30%	20%

**महाराष्ट्र :—आरक्षण की दृष्टि से अनुसूचित जातियों में नव-बौद्ध भी शामिल हैं।

†पश्चिमी बंगाल :—पश्चिमी बंगाल में आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार निर्धारित किया गया है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क) पश्चिमी बंगाल की उच्चतर न्यायिक सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं	15	5
(ख) पश्चिमी बंगाल सिविल सेवाएं (न्यायिक)	10	5
(ग) उन सेवाओं में, जहां कमी है	25	10

‡उत्तर प्रदेश :—जब तक आरक्षण का निर्धारित कोटा (अनुसूचित जातियों के लिए 18% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%) प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

विवरण संख्या 2

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हेतु आरक्षण के आदेशों को अमल में लाने की दृष्टि से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गयी रोस्टर प्रणालियों को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	रोस्टर में प्वाइन्टों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्वाइन्ट	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइन्ट
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	100	2, 16, 22, 27, 41, 47, 52, 62, 66, 72, 77, 87, 91 और 97	8, 33, 58 और 83
2.	आसाम	40	2, 17 और 32	5, 11, 20, 29, और 38 (पहाड़ी क्षेत्र) 8, 14, 25 और 35 (मैदानी क्षेत्र)
3.	बिहार	50* 50	1, 8, 15, 22, 29, 36 और 43 *1, 5, 7, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 31, 35, 37, 41, 45 और 47	3, 13, 23, 33 और 43 *3, 9, 13, 19, 23, 29, 33, 39, 43 और 49
4.	गुजरात	100	4, 18, 32, 46, 60, 74 और 88	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85 और 92
5.	हरियाणा	100	4, 8, 14, 18, 24, 28, 34, 38, 42, 50, 54, 58, 64, 68, 74, 78, 84, 88, 92 और 100	—
6.	जम्मू व कश्मीर	50+ 100**	3, 15, 27, 39 6, 3156 और 81	— —
7.	कर्नाटक	100	2, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98	33, 66 और 99
8.	केरल	100	4, 12, 24, 32, 52, 64, 72 और 84	44 और 92
9.	मध्य प्रदेश	40 I व II श्रेणी III व IV श्रेणी	4, 10, 16, 25, 31, और 38 4, 10, 17, 23, 29, 34 और 37	1, 7, 13, 19, 22, 28, 33 और 36 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 और 36
10.	महाराष्ट्र	100	1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89 और 97	2, 16, 30, 44, 58, 72 और 86
11.	मणिपुर	रोस्टर प्रणाली निर्धारित की गयी है, लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं		
12.	मेघालय	रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गयी		
13.	नागालैंड	सूचना उपलब्ध नहीं		
14.	उड़ीसा	100 (सीधी भर्ती) पदोन्नति :	3, 8, 18, 23, 28, 33, 43, 48, 53, 58, 68, 73, 78, 83, 93 और 98 विभिन्न प्रतिशतों के अनुसार विभिन्न रोस्टर	1, 6, 11, 13, 16, 21, 26, 31, 36 38, 41, 46, 51, 56, 61, 63, 66. 71, 76, 81, 86, 88, 91 और 96
15.	पंजाब	100 सीधी भर्ती पदोन्नति श्रेणी I व II पदोन्नति श्रेणी III व IV	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93 और 97 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87 और 94 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91 और 96	
16.	राजस्थान	40	1, 7, 14, 21, 28 और 35	4, 12, 22, 30 और 39
17.	तमिलनाडु	100	2, 8, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 49, 52, 58, 64, 70, 77, 83, 89, 95 और 99	(अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए संयुक्त)

1	2	3	4	5
18.	त्रिपुरा . .	100	4, 11, 18, 25, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82 और 89	1, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, 63, 66, 70, 73, 77, 80, 84, 87, 91, 93, 96 और 98
19.	उत्तर प्रदेश × .	25	1, 7, 13, 19 और 25 (एकान्तर चक्र में 25 प्वाइन्ट अनारक्षित माना जाए।)	हर एकान्तर चक्र में 24वां प्वाइन्ट अर्थात् दूसरा, चौथा, छठा आदि ।
20.	पश्चिमी बंगाल .	20	3, 13 और 18	प्वाइन्ट नं० 7

† 40 प्वाइन्टों के हर एकान्तर चक्र में (म०प्र०)

+सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 50 प्वाइन्ट रोस्टर (8% की दर से आरक्षण सहित) (जम्मू व कश्मीर)

**पदोन्नति के लिए 100-प्वाइन्ट रोस्टर (4% की दर से आरक्षण सहित) (जम्मू व कश्मीर)

*इस रोस्टर प्रणाली में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण का बढ़ा हुआ प्रतिशत शामिल है। (बिहार)

महाराष्ट्र :—आरक्षण की दृष्टि से अनुसूचित जातियों में नव-बौद्ध भी सम्मिलित हैं।

×**उत्तर प्रदेश** :—जब तक आरक्षण का निर्धारित कोटा (अनुसूचित जातियों के लिए 18% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%) पूरा नहीं भर लिया जाता तब तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के प्रतिशतों में वृद्धि कर दी है और उसी के अनुसार रोस्टर को इस प्रकार परिवर्धित कर दिया है :—

	प्रतिशत	पदों की कुल संख्या	आरक्षित प्वाइन्ट
(1) **लिपिकीय सेवाएँ**			
(क) अनुसूचित जातियाँ . . .	25%	20	1, 6, 11, 16, 20
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ . . .	कोई परिवर्तन नहीं		
(1) **अधीनस्थ सेवाएँ**			
(क) अनुसूचित जातियाँ . . .	45%	9	1, 4, 7, 8 और 9
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ . . .	कोई परिवर्तन नहीं		
(2) **तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवाएँ**			
(क) अनुसूचित जातियाँ . . .	25%	20	1, 5, 9, 13 और 17
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ . . .	2%	20	तीसरे चक्र में 10वां प्वाइन्ट और पांचवें चक्र में 20 वाँ प्वाइन्ट
(3) **चतुर्थ श्रेणी सेवाएँ**			
(क) अनुसूचित जातियाँ . . .	36%	25	1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और 25
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ . . .	5%	25	दूसरे व चौथे चक्रों में 24वां प्वाइन्ट

विवरण संख्या 3

विभिन्न सरकारों द्वारा अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली रियायतों और छूटों को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	क्या अलग-अलग पदों तथा छोटे संवर्गों के वर्गीकरण की पद्धति अपनाई जाती है ?	क्या अनु० जा०/अनु० जनजा० के लिए पृथक साक्षात्कार की पद्धति मौजूद है ?	क्या अनु० जा०/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन स्तरों में छूट कर किया जाता है ?	क्या आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की व्यवस्था है?	क्या आरक्षण के बाद रिक्तियों को आगे ले जाया जाता है ? (वर्ष सं०)	क्या आगे ले जाने वाले अंतिम वर्ष में आरक्षित रिक्तियां अनु० सू० जा० और अनु०ज०जा० के बीच विनिमेय है ?	क्या पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण है ?	क्या पुष्टि की चरण में आरक्षण की व्यवस्था है ?	अधिकतम आयु सीमा में छूट	किसी पद के चुनाव/परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्कों में रियायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	नही	नहीं	हाँ	हाँ	3 वर्ष	नहीं	नहीं	नहीं	5 वर्ष	पूरी छूट
2.	आसाम	—	—	—	—	2 वर्ष	—	नहीं@	—	2 वर्ष	—
3.	बिहार	हां	हां	हां	हां	3 वर्ष	हां	हां	—	5 वर्ष	चौथाई
4.	गुजरात	हां	हां	हां	हां	3 भर्ती अवसर	हां	हां	नहीं	5 वर्ष	चौथाई
5.	हरियाणा	—	—	—	—	2 वर्ष	नहीं	हां	—	5 वर्ष	—
6.	जम्मू व कश्मीर	—	—	हां	हां	अवधि नहीं है	नहीं (कोई अनु० जन-जनजाति नहीं)	हां	हां	5 वर्ष	आधी
7.	कर्नाटक	—	हां	—	—	2 भर्ती अवसर	—	—	—	5 वर्ष	चौथाई
8.	केरल	हां*	हां*	हां	नहीं	3 वर्ष	हां, हर बार विनिमय	नहीं	नहीं	5 वर्ष	चौथाई
9.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां	£अनिश्चित काल के लिए, बशर्ते कुल आरक्षण 45% तक सीमित रहे	नहीं	हां	नहीं	5 वर्ष	पूरी
10.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	‡नहीं	5 वर्ष	नहीं	हां	नहीं	5 वर्ष	आधी
11.	मणिपुर	—	—	हां	हां	3 वर्ष	हां	हां	हां	5 वर्ष	चौथाई
12.	मेघालय	नही	नहीं	नहीं	नहीं	1 वर्ष	नहीं	नहीं	नहीं	5 वर्ष	आधी
13.	नागालैंड					कोई सूचना उपलब्ध नहीं					
14.	उड़ीसा	—	—	—	हां	3 वर्ष	हां प्रतिवर्ष	हां	—	5 वर्ष	चौथाई
15.	पंजाब	नहीं	हांϕ	—	हां	2 वर्ष	नहीं कोई जन०जा० नहीं	हां	नहीं	5 वर्ष	चौथाई
16.	राजस्थान	—	—	हां प्रतियोगिता परिक्षाओं में	हां	3 वर्ष	—	हां	—	5 वर्ष	चौथाई
17.	तमिलनाडु	नहीं	—	हां	हां	कोई व्यवस्था नहीं	नहीं	नहीं	—	5 वर्ष	पूरी
18.	त्रिपुरा	—	—	—	हां	3 वर्ष	हां	हां	—	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां	हां	3 वर्ष	हां	हां	हां	5 वर्ष	चौथाई
20.	पश्चिमी बंगाल	नहीं	नहीं	हां	—	केवल सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	—	हां	नहीं	5 वर्ष	चौथाई

‡ **(महाराष्ट्र)** : पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को छोड़कर।

£ **(मध्य प्रदेश)** : पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए आगे ले जाने की पद्धति लागू नहीं।

* **(केरल)** : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गयी अस्थायी नियुक्तियों के मामलों में वर्गीकरण की पद्धति है। लेकिन अन्य पदों के लिए सरकार मामले पर विचार कर रही है।

* **(केरल)** : अगर सामान्य अपेक्षाओं को संतुष्ट करने वाले अनु०जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न मिलने पर पूरक सूची तैयार किए जाने की स्थिति में हो पृथक साक्षात्कार की व्यवस्था।

ϕ **(पंजाब)** : अगर आवेदन काफी संख्या में प्राप्त हुए हो तो अलग से साक्षात्कार की व्यवस्था।

@ **(आसाम)** : तृतीय और उससे उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बजाय अन्य जातियों के उम्मीदवारों को तरजीह देने के मामलों को मंत्री के पास अनुमोदनार्थ भेजा जाता है।

विवरण संख्या 3—जारी

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	क्या साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाए गए अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिए जाने की व्यवस्था है ?	क्या प्रवरण बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति में अनु० जा०/अनु०जनजा० के अधिकारियों के नामन की व्यवस्था है ?	क्या कार्य-प्रभारित स्थापना में दैनिक दर पदों में आरक्षण किया गया है ?	क्या अयोग्यता के आधार पर चुने गये अनु० जा०/अनु० जनजा० के उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में गिना जाता है ?	क्या हर विभाग में आरक्षण संबंधी नियमों को लागू करने के लिए किसी अफसर को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया और इस काम के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है ?	क्या राज्य की सरकारी सेवाओं में अनु० जा०/अनु०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के पुनरावलोकन के लिए कोई राज्य स्तर की समिति बनाई गई है ?	क्या राज्य सरकारों की सेवाओं में अनु० जा०/अनु० जनजा० के लिए निर्धारित आरक्षण की नीति का पालन निम्न के अंतर्गत आने वाले सेवाओं में भी किया जाता है ?			
								स्थानीय निकाय	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	सहायता अनुदान पा रहे स्वयंसेवी संगठन	सरकारी नियंत्रण या सरकार से अनुदान पाने वाले स्वायत्त निकाय/संस्थाएं
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आन्ध्र प्रदेश	हां	—	नहीं	नहीं	हां	—	हां	हां	हां	हां
2.	आसाम	—	—	हां	—	—	—	—	हां	—	—
3.	बिहार	विचाराधीन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	गुजरात	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	हरियाणा	हां	—	हां	हां	—	हां	—	हां	—	हां
6.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	नहीं	हां	हां (प्रवर्तन बोर्ड)	—	—	—	—
7.	कर्नाटक	—	हां	—	नहीं	—	—	—	हां	हां	हां
8.	केरल	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	मध्य प्रदेश	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां
11.	मणिपुर	हां	—	नहीं	—	हां, हर विभाग में विभागाध्यक्ष	हां	हां	—	—	हां
12.	नागालैंड					कोई सूचना उपलब्ध नहीं					
13.	उड़ीसा	हां	—	नहीं	—	हां, विभागाध्यक्ष	हां	हां	—	—	—
14.	पंजाब	हां	हां	—	नहीं	हां	हां	हां	हां	—	हां
15.	राजस्थान	हां	—	—	—	हां, विभागाध्यक्ष	हां	हां	हां	—	हां
16.	मेघालय	नहीं	हां	नहीं	नही	—	—	हां	हां	हां	हां
17.	तमिलनाडु	—	—	—	नहीं	—	हां	हां	—	हां	—
18.	त्रिपुरा	—	—	नहीं*	—	—	हां	हां**	हां**	हां**	—
19.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	विचाराधीन	विचाराधीन	हां	उत्तर प्रदेश में अनु० जा० एवं० अनु० जनजाति कमिश्नर	हां	हां	हां	हां
20.	पश्चिमी बंगाल	नहीं	—	—	नहीं	—	हां	हां	हां	नहीं	हां

*त्रिपुरा : कोई आरक्षण नहीं, लेकिन आरक्षण के मूल सिद्धांत का अनुपालन करते और निर्धारित आरक्षण प्रतिशत का ध्यान रखते हुए सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात का हर संभव प्रयास करें कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारो को उचित अनुपात में इन रिक्तियों पर नियुक्त किया जाए।

**त्रिपुरा : केवल सीधी भर्ती में।

परिशिष्ट 13

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.114)

विभिन्न राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी मामले का पुनरावलोकन के लिए 1976-77 और 1977-78 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों में राज्य स्तर की समितियों के संविधान बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य सरकार के नाम	समिति का प्रकार	अध्यक्ष	क्या इन अवधियों में समिति की बैठक हुई		क्या इन अवधियों में समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की	
				1976-77	1977-78	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विधायी समिति	उ०न०	उ०न०		उ०न०	
2.	आसाम	उ० न०	उ०न०	उ०न०		उ०न०	
3.	बिहार	योजना समिति	कल्याण मंत्री	उ०न०		उ०न०	
4.	गुजरात	राज्य स्तर की समिति	मुख्य मंत्री	उ०न०		उ०न०	
5.	हरियाणा	(1) राज्य स्तर का एकक (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विधान सभा समिति	मुख्य मंत्री	उ०न०		उ०न०	
6.	हिमाचल प्रदेश	उ०न०	उ०न०	उ०न०		उ०न०	
7.	जम्मू व कश्मीर	प्रवर्तन मंडल	उ०न०	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8.	कर्नाटक	उ० न०	उ०न०	उ०न०		उ०न०	
9.	केरल	राज्य सरकार स्तर की पुनरावलोकन समिति	मुख्य मंत्री	उ०न०		उ०न०	
10.	मध्य प्रदेश	उच्च स्तरीय समिति	मुख्य मंत्री	नहीं	नहीं	--	--
11.	महाराष्ट्र	राज्य स्तरीय रोजगार समिति	उ०न०	हां	उ०न०	हां	उ०न०
12.	मणिपुर	स्थायी समिति	जनजाति कल्याण प्रभारी मंत्री	उ०न०		उ०न०	
13.	मेघालय	मेघालय विधान सभा की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों की कल्याण संबंधी समिति	समाज कल्याण प्रभारी मंत्री पदेन अध्यक्ष	उ०न०		कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की	
14.	नागालैंड	उ० न०	उ०न०	उ०न०		उ०न०	
15.	उड़ीसा	स्थायी समिति	जनजाति एवं देहात कल्याण मंत्री	हां	उ०न०	हां	उ०न०
16.	पंजाब	स्थायी समिति	उ०न०	समिति से कोई रिपोर्ट पेश करने की अपेक्षा नहीं		—	—
17.	राजस्थान	स्थायी समिति	समाज कल्याण मंत्री	नहीं	उ०न०	नहीं	उ०न०
18.	तमिलनाडु	उच्च स्तरीय राज्य समिति	मुख्य सचिव	हां	उ०न०	नहीं	उ०न०
19.	त्रिपुरा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व संबंधी समिति	मुख्य सचिव	हां	उ०न०	हां	उ०न०
20.	उत्तर प्रदेश	राज्य स्तरीय समिति	मुख्य सचिव	हां	उ०न०	हां	उ०न०
21.	पश्चिमी बंगाल	(1) मंत्री स्तर की समिति (2) सचिव स्तर की समिति	मुख्य मंत्री मुख्य सचिव	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
संघ शासित क्षेत्र							
1.	अंडमान एवं निकोबार	—	ऐसी कोई समिति नहीं				
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	कोई सूचना नहीं दी गयी				
3.	चंडीगढ़	—	कोई सूचना नहीं दी गयी				
4.	दादरा व नागर हवेली	—	ऐसी कोई समिति नहीं				
5	दिल्ली	उच्च स्तरीय समिति	उप राज्यपाल	—	हां	—	हां
6.	गोवा, दमन व दीव	सलाहकार समिति राज्य स्तरीय समिति	मुख्य मंत्री	नहीं	नहीं	—	—
			मुख्य सचिव	—	हां	—	हां
7.	लक्षद्वीप	—	ऐसी कोई समिति नहीं				
8.	मिजोरम	—	कोई समिति नहीं				
9.	पांडिचेरी	प्रवर्तक एकक	मुख्य सचिव		उ०न०	उ०न०	

टिप्पणी :—उ०न० का अर्थ है सूचना उपलब्ध नहीं ।

परिशिष्ट 14

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.117)

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अधीन सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रथम श्रेणी					द्वितीय श्रेणी				
		कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जातियां	प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियां	प्रतिशत	कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जातियां	प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियां	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	422	16	3.80	2	0.50	3918	115	3.00	13	0.30
2.	आसाम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	गुजरात	2487	37	1.48	8	0.32	6875	239	3.47	57	0.82
5.	हरियाणा	896	31	3.50	—	—	3549	113	3.20	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	296	4	1.35	5	1·90	1101	84	7.63	98	8.90
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	2892	135	4.70	13	0.40	8598	395	4.60	42	0.50
9.	केरल	1326	31	2.34	3	0.23	10190	383	3.76	18	0.18
10.	मध्य प्रदेश	3533	53	0.93	9	0.03	19753	348	1.97	187	0.99
11.	महाराष्ट्र	4732	220	4.60	51	1.10	13094	777	5.90	139	1.40
12.	मेघालय	समेकित सूचना उपलब्ध नहीं									
13.	मणिपुर	107	1	0.90	5	5.00	612	5	0.80	63	10.00
14.	नागालैंड	94	—	—	54	57.50	381	—	—	185	48.50
15.	उड़ीसा	1396	14	1.00	3	0.20	4738	31	0.60	19	0.40
16.	पंजाब	1400	101	7.21	--	—	5792	345	5.96	—	
17.	राजस्थान	372	32	8.60	36	9.70	2009	258	12.30	226	11.30
18.	तमिलनाडु	5687	208	4.00	—	—	36926	4010	10.86	—	—
19.	त्रिपुरा	278	6	2.16	13	4.70	1327	44	3.31	58	4.35
20	उत्तर प्रदेश	2858	119	4.10	4	0.14	2381	422	3.40	15	0.12
21.	पश्चिमी बंगाल	3397	46	1.35	4	0.12	4441	89	2.00	16	0.36
संघ शासित क्षेत्र											
1.	अंडमान व निकोबार	41	—	—	—	—	86	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	288	2	0.69	39	13.14	868	57	6.68	97	11.17
3.	चंडीगढ़	159	3	1.90	—	—	456	10	2.10	—	—
4.	दादरा व नगरहवेली	9	1	11.11	—	—	21	1	4.76	1	4.76
5.	दिल्ली	1195	62	5.19	2	0.10	1053	95	9.02	3	0.28
6.	गोवा, दमन और दीव	355	4	1.20	3	0.90	626	7	1.10	—	0.28
7.	लक्ष द्वीप	11	—	—	—	—	70	—	—	28	40.00
8.	मिजोरम	168	4	2.38	105	62.50	466	32	6.87	342	73.39
9.	पांडिचेरी	128	1	0.78	—	—	456	31	6.80	1	0.22

परिशिष्ट 14—जारी

क्रमराज्य/संघ शासित सं० क्षेत्र का नाम	तृतीय श्रेणी					चतुर्थ श्रेणी					
	कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जातियां	प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियां	प्रतिशत	कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जातियां	प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियां	प्रतिशत	निम्न तारीख को यह स्थिति
1 2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. आन्ध्र प्रदेश .	78005	6257	8.00	691	0.90	21904	2634	12.00	361	1.65	1-1-73*
2. आसाम .		सूचना उपलब्ध नहीं									
3. बिहार .		वही									
4. गुजरात .	109497	9587	8.75	3659	3.34	2284	1615	70.70	51	2.23	1-1-75
5. हरियाणा .	104778	8786	8.40	—	—	26198	7300	27.90	—	—	1-1-77
6. हिमाचल प्रदेश	38249	3263	8.53	1022	2.67	11251	1722	15.30	578	5.13	1-1-67%
7. जम्मू व कश्मीर		सूचना उपलब्ध नहीं									
8. कर्नाटक .	229702	17502	7.60	1863	0.80	56587	9727	17.20	1334	2.40	1-1-75
9. केरल .	165210	11525	6.97	502	0.30	25902	3472	13.40	213	0.82	1-1-77
10. मध्य प्रदेश .	496357	32519	7.00	27794	5.89	98578	12141	12.30	7758	8.00	1-1-77
11. महाराष्ट्र .	275667	34622	12.70	9798	3.60	75832	18726	24.70	5299	7.00	1-1-78
12. मेघालय .		समेकित सूचना उपलब्ध नहीं									
13. मणिपुर .	12434	168	1.30	3099	25	7435	66	1.02	1569	21.00	1-1-73
14. नागालैंड .	8005	30	0.37	5980	73.80	6866	48	0.70	5596	82.90	31-3-67*
15. उड़ीसा .	122658	9499	7.70	8133	6.50	49629	8867	17.80	5414	10.90	1-1-71
16. पंजाब .	174384	21148	12.13	—	—	38720	14570	37.63	—	—	1-1-77
17. राजस्थान .	1004	112	11.20	50	5.00	790	171	21.80	96	12.20	31-3-75=
18. तमिलनाडु‡ .	2284	253	11.00	—	—	**	**	**	**	**	31-3-75†
19. त्रिपुरा .	23284	1612	6.92	2341	10.05	10084	1291	12.70	1995	18.79	31-3-77
20. उत्तर प्रदेश .	156495	13268	8.40	237	0.15	145241	23823	16.40	531	0.36	1-1-77
21. पश्चिमी बंगाल .	153173	4698	3.07	1493	0.97	87443	10227	11.70	2525	2.89	31-3-70
संघ शासित क्षेत्र											
1. अंडमान व निकोबार	3133	—	—	69	2.20	2164	—	—	74	3.40	1-1-72
2. अरुणाचल प्रदेश	9287	292	3.03	1779	19.95	6279	448	7.10	2468	6.70	1-1-78
3. चंडीगढ़ .	8943	887	9.90	11	0.12	2591	686	26.40	14	0.54	1-1-78
4. दादरा व नगरहवेली	1091	46	4.21	274	25.11	237	47	19.83	165	69.42	1-1-78
5. दिल्ली .	52009	3933	7.56	193	0.30	8844	2828	31.97	39	0.44	1-1-78
6. गोवा दमन और दीव	13163	147	1.10	19	0.01	5989	165	2.80	8	0.01	1-1-78
7. लक्षद्वीप .	1080	—	—	572	53.00	628	—	—	459	73.00	1-1-78
8. मिजोरम .	7602	142	1.87	6877	90.46	5307	215	4.05	4591	86.50	1-1-78
9. पांडिचेरी .	9561	638	6.67	6	0.06	4106	599	14.58	2	0.05	1-1-78

%सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, 1970-71 की रिपोर्ट से उद्धृत ।

*राजस्व विभाग, पंचायत राज्य विभाग और एच० और एम० ए०विभाग को छोड कर ।

=कुल 123 विभागों में से 96 विभागों से मिली सूचना शामिल हैं ।

‡चूंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए तमिलनाडु में पृथक आरक्षण नहीं, इसलिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं ।

†अपूर्ण (केवल 83 विभाग) ।

**सूचना सामान्य अधीनस्थ सेवाओं के बारें में है, जो तृतीय श्रेणी के पदों के अन्तर्गत दिखा दी गयी हैं ।

परिशिष्ट 15

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

कोल इंडिया लि०, कलकत्ता के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन पर किये गये अध्ययन की रिपोर्ट

कौल इंडिया लि० 1975 में बनायी गयी । इससे पहले यह संगठन कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1973 में बनी कोल माइन्स अथारिटी आँफ इंडिया के अन्तर्गत काम कर रहा था । राष्ट्रीयकरण अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी थी कि कोयला खानों के गैर कार्यपालक श्रेणियों में काम कर रहे समूचे अमले को निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों से स्थानान्तरण के आधार पर सेवा में रख लिया जाएगा और उन सभी स्रोतों को पूरी तरह से * * * * * चुका देने के बाद ही सीधी भर्ती की जाएगी । उपरोक्त समझौते के कारण उपरोक्त श्रेणियों में कोई भर्ती नहीं की गयी । किन्तु कार्यपालक श्रेणियों में काफी बड़ी संख्या में भर्ती की गयी, जिसके लिए 1976 से ही अधिकारियों ने अलग रोस्टर प्रारम्भ कर दिए थे। कुछ श्रेणियों में उन आरक्षित रिक्तियों का कैलेंडर वर्ष 1975 के दौरान भर्ती के आधार पर परिकलन किया गया, जो भरने से रह गयी थीं और उन्हें 1976 के प्रारम्भ में आगे ला कर दिखाया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 22 अप्रैल, 1978 को एक अध्ययन-दल ने कोल इंडिया लिमिटेड का दौरा किया । इस अध्ययन दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री बरयाम सिंह थे । इस अध्ययन के अन्तर्गत रोस्टर रजिस्टरों, समाचारपत्रों/रोजगार कार्यालय को भेजी गयी मांगों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के वैयक्तिक अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अध्ययन के दौरान निम्नलिखित अफसरों से विचार विमर्श किया गया :

1. श्री एस० डी० चन्द्र, कार्मिक-प्रभाग के अध्यक्ष
2. श्री एस० के० मुखर्जी, उप कार्मिक प्रबन्धक तथा
3. श्री डी० पी० मोयेत्रा, कार्मिक अधिकारी

अध्ययन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिनका उल्लेख संक्षेप में नीचे किया जाता है :

1. रोस्टर रखना

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अधिकांश मामलों में रोस्टर रजिस्टर 1976 से शुरू किये गये हैं । इनमें कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 1975 से भरी न गयी आरक्षित रिक्तियों को इकट्ठा करके दिखाया गया है । चूंकि मुख्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पिछले कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए ऐसी श्रेणियों के लिए कोई रोस्टर शुरू नहीं किया गया । किन्तु अनुकंपा और विवशता के कारणों के आधार पर इन श्रेणियों में कुछ नियुक्तियां की गयीं । लेकिन जहां तक कोयला खदानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न वर्गों की नियुक्तियों का सम्बन्ध है, सभी भर्तियां सम्बन्धित सहायक कम्पनियों द्वारा किये गये थे और इसलिए कौल इंडिया के मुख्यालय में इन से सम्बन्धित कोई रोस्टर नहीं था। ऐसे कार्यपालक पदों के लिए रोस्टर शुरु किया गया था, जिन पर ज्यादातर भर्ती खुले बाजार से सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत की गयी । रोस्टर की जांच-पड़ताल से पता चला कि वे उचित फार्म पर थे, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइन्ट और भरे न गये आरक्षित पूर्ववशिष्ट प्वाइन्ट सही-सही दिखाये गये थे । लेकिन साथ ही न भरी गयीं उन आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से भरे जाने से पहले अनारक्षित कराने के बारे में कोई संकेत नहीं था । रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन किसी नियुक्तकर्ता प्राधिकारी से नहीं कराया गया था और न ही नियमों के अनुसार प्रति कैलेंडर वर्ष के अन्त में तैयार किए जाने वाला जरूरी आरक्षण संक्षेप तैयार किया था । न भरे गये आरक्षित प्वाइन्टों के व्यपगमन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षण के विनिमय का भी कोई अवसर नहीं दर्शाया गया था । रोस्टरों का निरीक्षण किसी भी चरण में नहीं किया गया प्रतीत होता था और फलस्वरूप सम्पर्क अधिकारी द्वारा रोस्टरों के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता । वास्तव में नियमों के अनुसार अनिवार्य इस काम को करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए जाने वाला कोई सम्पर्क अधिकारी ही न था, लेकिन बताया यह गया कि कार्मिक प्रभार का अध्यक्ष ही मुख्यालय में आरक्षण आदेशों को लागू करने से संबंधित कार्य को देख रहा है। देश की विभिन्न भागों में अनेक सहायक कम्पनियां हैं और उनके सम्पर्क अधिकारी कोयला खदानों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का काम देख रहे हैं ताकि सहायक कम्पनियों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट विभिन्न सुरक्षण उपायों को प्रभावी ढंग से अमल में लाया जा सके । सुझाव दिया जाता है कि मुख्यालय में एक एकक कायम किया जाय, जिसका सीधा नियंत्रिण सम्पर्क अधिकारी (जिसका नामन किया जाए) के हाथों में हो और जिसे मुख्यालय में आरक्षण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा विभिन्न सहायक कम्पनियों के साथ समन्वयन का दायित्व सौंपा जाए । प्रस्तावित एकक फील्ड यूनिटों के दौरे पर इन्स्पेक्टर/अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकता है, जो वहां जाकर रोस्टरों की पड़ताल करें और आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों का मार्ग निर्देशन करें । मुख्यालय के कार्यालय के लिए इनकी रिपोर्ट सम्पर्क अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट का भाग बने ।

2. पदोन्नति में आरक्षण

यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्राधिकारी उन अनुदेशों से परिचित नहीं थे, जिनके अनुसार पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी अज्ञान की वजह से कोई रोस्टर नहीं रखा गया था। हालांकि निवेशन-संवर्गों में ऐसे बहुत ही कम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार थे, जिन्हें आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नत करने के लिए उन पर विचार किया जा सकता हो। फिर भी निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक की पदोन्नति के एक मामले में यह देखा गया कि अनुसूचित जाति का वह एक ही उम्मीदवार था और वैसे भी वह पदोन्नति के लिए हर प्रकार से योग्य था, लेकिन उसें पदोन्नत नहीं किया गया। यदि पदोन्नत पदों के लिए आदेशों पर अमल किया जाता तो वह उम्मीदवार पदोन्नत किया जा सकता था और उससें एक आरक्षित रिक्ति भरी जा सकती थी। उचित रहेगा कि प्राधिकारी इस मामले में उचित कदम उठाएं और आरक्षण आदेश सबसे पिछली तारीख से लागू किये जाएं तथा प्रभावित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उसी पिछली तारीख से सभी लाभों के साथ पदोन्नत कर दिया जाए ।

3. अनारक्षण

सरकारी अनुदेश तो यह है कि अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार न मिले तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने से पहले अनारक्षित कराना अनिवार्य है, जिसके लिए अध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक/संचालक-मंडल का अनुमोदन भी साथ होना चाहिए। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि इस पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर अनुमति लेकर इस त्रुटि को दूर करना जरूरी है।

4. विभागीय पदोन्नति समितियां

अध्ययन-दल को सूचित किया गया कि मुख्यालय के कार्यालय में वरिष्ट पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं है और इस कारण प्रबन्ध द्वारा ऐसी बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को संयुक्त नहीं किया जा सका। मौजूदा नियमों में व्यवस्था है कि यदि किसी संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध भी न हो तो निकट के किसी सरकारी कार्यालय/विभाग/उपक्रम में इस प्रकार के अधिकारियों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह के अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति/प्रवरण मंडल की बैठकों में यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रति न्याय और उनके लिए निर्दिष्ट सुविधाओं और रियायतों से उन्हें वंचित नहीं किया जाता है। प्रबन्ध से अनुरोध किया जाता है कि वह दूसरे मंत्रालयों और विभागों से संबद्ध अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की एक सूची तैयार करे और ऐसे अधिकारियों को अपनी विभागीय पदोन्नति समिति/प्रवरण मंडल की बैठकों में शामिल करे।

5. समाचार पत्रों में विज्ञापन, मांगें

1975-78 के दौरान केवल ऐसे कुछ ही पदों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए, जो केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ही थीं। किन्तु अधिकांश मामलों में यह देखा गया की रोजगार कार्यालय और समाचार पत्रों में भेजी गयी मांगों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की वास्तविक संख्या का कोई संकेत नहीं दिया गया था। साथ ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूटों और रियायतों का वास्तविक स्वरूप भी स्पष्ट नहीं बताया गया था। जब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता तथा प्रत्याशित उम्मीदवारों को उन्हें मिलने वाली छूटों/रियायतों की जानकारी नहीं दी जाती, तब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं भेजेंगे और प्रचार की उपादेयता समाप्त हो जाएगी। यह भी देखा गया कि मांगों/रिक्ति के परिपत्रों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संस्थाओं को नहीं भेजा जाता रहा है ऐसा किया जाना चाहिए था। सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या तथा उन्हें मिलने वाली छूटों/रियायतों के स्वरूप का हर समाचार पत्र के विज्ञापन में किया जाये। यह विज्ञापन अंग्रजी और प्रादेशिक भाषाओं में ऐसे समाचार पत्रों मे देना चाहिए, जो जनजातियों और अनुसूचित जातियों केबहुल संख्यक क्षेत्रों में खूब प्रचलित हो। नागालैंड, मिजोरम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और गुजरात ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें जनजातियों का भारी संख्या में संकेंद्रण है।

6. प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट

यह देखा गया कि विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं (प्रबन्ध प्रशिक्षु, कार्यपालक प्रशिक्षु) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा, बल्कि सही-सही कहें तो न के बराबर रहा। अध्ययन-दल के सामने जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये, उनसे यह पाया गया कि प्रबन्ध प्रशिक्षण योजना के लिए अनुसूचित जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं चुना गया। सुझाव दिया जाता है कि ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढने के ईमानदारी से प्रयास किये जाएं और उन्हें सही-सही प्रशिक्षण दिया जाए।

प्रबन्ध से अनुरोध किया गया कि वे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में अपने संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित/जनजातियों के कर्मचारियों के बारे में आंकडे देते हुए एक परा जरूर दे और उस पैरे में यह भी बताएं कि इस सम्बन्ध में वह सुधार के लिए कौन से कदम उठा रहा है और भविष्य में वह क्या करने जा रहा है।

परिशिष्ट 16

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भारतीय खाद्य निगम (मुख्यालय) नई दिल्ली के अधीन सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के पूर्वोपायों के कार्यान्वयन और उनके रोस्टरों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का मूल्यांकन करने के लिए सितम्बर, 1971 में इस संगठन के एक दल ने अध्ययन किया। इस अध्ययन-दल ने जो खोजें और निष्कर्ष प्रस्तुत किए, उन पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ मार्च, 1972 में उच्च-स्तरीय विचार विमर्श भी हुआ। इस अध्ययन-दल की रिपोर्ट को 1970-71 वर्ष की कमिश्नर की वार्षिक रिपोर्ट में 28 वें परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। 1971 में रोस्टरों और दूसरे अभिलेखों की जांच पड़ताल के बाद उस समय अध्ययन-दल ने जो तथ्य प्रस्तुत किये थे, वे यह थे : (1) रोस्टर निर्धारित फार्म पर नहीं रखे गये, (2) रोस्टर किस तारीख से रखने शुरू किए गए, उस तारीख का भी कहीं उल्लेख नहीं था, (3) व्यक्तियों के नामों के सामने उनकी नियुक्तियों की तारीखें नहीं दी गयी थीं, (4) न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे के वर्षों में बकाया सही-सही नहीं दिखाया गया, (5) आरक्षण का प्रतिशत बढ़ जाने के बाद रोस्टरों को परिशोधित नहीं किया गया, (6) रोस्टरों में बहुत से खाली स्थान थे, (7) निगम में पदों का वर्गीकरण सही नहीं किया था, (8) आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने की कार्यविधि का अनुसरण नहीं किया गया था और संभवतः संबंधित अधिकारियों ने उस कार्यविधि को सही तरह से समझा भी नहीं था, (9) विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की सही संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने भी भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण-आदेशों को लागू करने के मामले को हाथ में लिया और 7, 8 और 9 फरवरी, 1978 को निगम के प्रतिनिधियों क साक्ष्य लिए। विचार-विमर्श के दौरान संसदीय समिति ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के एक अध्ययनदल द्वारा रोस्टरों का विस्तृत अध्ययन कराने की इच्छा व्यक्त की। इस अध्ययन दल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहायक आयुक्त श्री आर०डी० अहीर, अनुसंधान अधिकारी बी० एम० मसन्द, अन्वेषक श्री बरयाम सिंह और अन्वेषक कुमारी बीना राय शामिल थे। इस दल ने 14 और 15 फरवरी, 1978 को अध्ययन किया और निम्नलिखित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया :

1. श्री एम० के० गर्ग	कार्मिक प्रबन्धक
2. श्री के० एस० गुप्ता	संयुक्त प्रबन्धक (स्थापना)
3. श्री मुरारी लाल	उप प्रबन्धक (ई–II)
4. श्री एन० एस० बोहरा	उप प्रबन्धक (ई० पी०)
5. श्री के० आर० सुब्रामणियम	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (आर० पी०)
6. श्री बी० पी० शर्मा	सहायक प्रबन्धक (ई–II)
7. श्री पी० के० सक्सेना	सहायक प्रबंधक (ई–ब–I)
8. श्री गुरमंगत सिंह	सहायक प्रबन्धक (एस० सैल)
9. श्री आर० पी० भटनागर	सहायक प्रबन्धक (ई० पी०)

इस अध्ययन से भी स्पष्ट हो गया है कि रोस्टरों और अन्य अभिलेखों के रखरखाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इस अध्ययन दल की महत्वपूर्ण टिप्पणियों आगे के पैरों में दी जाती हैं :

पदों का वर्गीकरण. —भारत सरकार के अनुदेशों का वर्गीकरण केवल अलग-अलग पदों और छोटे संवर्गों के मामले में ही किया जाना चाहिए। छोटे संवर्ग की परिभाषा भी दी गयी है, जो यह है कि ऐसे 20 पदों से कम की संस्वीकृत नफरी, जो केवल सीधी भर्ती से ही भरे जाते हों। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का इस प्रकार से वर्गीकरण कतई न किया जाए और ऐसे हर पद तथा संवर्ग के लिए अलग-अलग रोस्टर रखे जाएं, जिन पर आरक्षण के आदेश लागू होते हों। भारतीय खाद्य निगम के 9 मार्च, 1970 की विवरणिका में प्रथम श्रेणी के पदों (प्रथम कोटि) को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। बाद में 15 फरवरी, 1975 की परिशोधित विवरणिका में इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों के परिशोधन पर 15 नवम्बर, 1976 को प्रथम कोटि के पदों को निम्न लिखित 4 वर्गों में बांटा गया :

प्रथम वर्ग रु० 1200-1700 और उससे ऊपर के वेतन मान के पद

द्वितीय वर्ग : रु० 1100-1600 वेतनमान के पद

तृतीय वर्ग : सामान्य प्रशासन संवर्ग में रु० 700-1300 वेतनमान के पद

चतुर्थ वर्ग : अन्य संवर्गों में रु० 700-1300 वेतनमान के पद।

प्रथम और द्वितीय कोटि के पदों को आगे और 4 वर्गों में बांटा गया है—

(क) सामान्य प्रशासन संवर्ग, (ख) गोदाम संवर्ग, (ग) तकनीकी संवर्ग, (घ) संचलन, इंजीनियरी और अन्य संवर्ग। चतुर्थ वर्ग के पदों में केवल एक ही वर्ग आता है जिसमें सभी पद आ जाते हैं।

पता लगा कि हर कोटि के हर वर्ग में बहुत से ऐसे संवर्ग हैं जिनका नफरी 20 या उससे अधिक पदों की है और भर्ती और पदोन्नति के लिए जिनका वर्गीकरण कर दिया गया है। 1971 में अध्ययन-दल द्वारा भी इसी तरह की टिप्पणी की गयी थी, लेकिन उसके बावजूद वर्गीकरण की उसी प्रणाली पर अमल जारी रखा गया। सुझाव दिया जाता है कि 1977 तक के रोस्टरों को तत्कालीन रूप में ही रखा जा सकता है, लेकिन पहली जनवरी, 1978 से 20 या उससे अधिक पदों वाले संवर्ग/हर पद की भर्ती का रोस्टर रखे जाएं। ऐसा करते हुए मौजूदा संयुक्त रोस्टरों में पिछले वर्षों की बकाया रिक्तियों को संबंधित नए रोस्टरों में उचित रूप से वितरित कर दिया जाए। वैसे अनुदेशों का पालन करते हुए अलग-थलग पदों और छोटे संवर्गों के वर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं। यह अनुदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गयी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण संबंधी विवरणिका के छटे अध्याय में दिए गए हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर वर्गीकरण के आदेश लागू नहीं होते और ऐसे हर पद के लिए अलग से रोस्टर रखे जाएं, जिन पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं।

आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण. —1971 में अध्ययन-दल द्वारा की गयी टिप्पणी के बावजूद भारतीय खाद्य निगम ने आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की पद्धति का कतई अनुसरण नहीं किया। इस संबंध में प्राधिकारियों के दिमाग में यह संदेह है कि अगर रिक्तियों का अनारक्षण करा लिया गया और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया गया तो ऐसी रक्षित रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता। उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया कि निर्दिष्ट पद्धति पर अनुसरण करने के बाद रिक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनारक्षित कराया जा सकता है। उसके बाद रक्षित रिक्तियां नियमानुसार नहीं, बल्कि सैद्धान्तिक रूप से आगे ले जाई जाती हैं और जब अगली भर्ती में नई रिक्तियां पैदा होंगी तो उन्हें उस वर्ष की तत्कालीन आरक्षित रिक्तियों में जोड़ दिया जाएगा। पहले पिछले वर्षों की आगे लाई गयी रिक्तियों तथा मौजूदा आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष घटित होने वाली कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाता था। कार्यालय ज्ञापन सं० 16/3/73-स्था० (एस० सी० टी०) दिनांक 27 दिसम्बर, 1977 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन आदेशों के अनुसार 50 प्रतिशत की यह सीमा भी अब लाँघी जा सकती है, बशर्ते पद या संवग में आरक्षित समुदायों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्दिष्ट प्रतिशत से अभी भी कम बैठता हो। एक संदेह और था कि रिक्तियां अनारक्षित न करायी जाएं और उन्हें आगे भरे जाने के लिए खाली रखा जाए। फलस्वरूप उनके अनारक्षण की भी जरूरत नहीं। भारतीय खाद्य निगम में सोचने का तरीका कुछ इस तरह का था कि अगर दस रिक्तियां हैं तो उनमें से दो अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित हैं और एक अनुसूचित जनजातियों के लिए। वे सात सामान्य रिक्तियों को भर लेंगे और रक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के अनुपलब्ध होने के कारण शेष तीन आरक्षित रिक्तियों को खाली रखेंगे। जब वे सात रिक्तियों रोस्टर पर दिखायी गयीं तो वे प्वाइन्ट 1 से 7 पर पड़ सकती थीं। अगर गृह मंत्रालय के 2 अप्रैल, 1970 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध 2 का अनुसरण किया जाता तो दो रिक्तियां अनुसूचित जातियों और एक रिक्ति अनुसूचित जनजातियों के लिए तब भी बच रहती। फिर सभी सात रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने का मतलब उनसे आरक्षित रिक्तियों को भरना है। इस तरह उन रिक्तियों के अनारक्षण की समस्या ज्यो की त्यो ही। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो में अनारक्षण विधि अपेक्षाकृत अधिक सुगम है। तृतीय और चतुर्थ कोटि के पदों का अनारक्षण प्रबंध संचालक और प्रथम तथा द्वितीय कोटि के पदों का अनारक्षण संचालक मंडल द्वारा कराया जा सकता था। विचार विमर्श के दौरान संबंधित प्राधिकारी भाविष्य में अनारक्षण विधि का अनुसरण करने को सहमत हो गये और पक्का विश्वास है कि भविष्य में आरक्षित रिक्तियों को भरने में सभी विहित कदम उठाए जाएंगे।

सम्पर्क अधिकारी और उनके अधीन विशेष प्रकोष्ट.—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य को देखने वाला तत्कालीन सम्पर्क अधिकारी अगस्त, 1977 में इस काम के लिए नामित किया गया था। ज्ञात हुआ कि न तो पिछले सम्पर्क अधिकारी ने और न ही तत्कालीन सम्पर्क अधिकारी ने रोस्टरों के निरीक्षण की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका के पैरा 51 (iv) के अन्तर्गत इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। आशा की जाती है कि ज्यों ही सम्पर्क अधिकारी 1977 वर्ष की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के सूचनार्थ

भेज दी जाएगी । पता चला कि मुख्यालय में एक ऐसा एकक है, जिसमें एक सहायक प्रबन्धक सहायक ग्रेड I, सहायक ग्रेड II और एक टंकक काम करते हैं और यह एकक सीधे सम्पर्क अधिकारी के अधीन केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी कार्य को ही करता है । जहां तक भारतीय खाद्य निगम के अधीन अंचलों और क्षेत्रों का प्रश्न है, यह बताया गया कि उनमें इस तरह के एकक नहीं हैं, किन्तु कुछ अमला अपनी ड्यूटियों के अलावा इस कार्य को भी देख रहा है । मुख्यालय में यह एकक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को भी निपटाता है, किन्तु इसका कोई पृथक रजिस्टर नहीं रखा गया जिसमें शिकायतों आदि का पूरा ब्यौरा हो । अधिकारियों ने इस प्रकार के रजिस्टर रखने का वचन दिया है और उनमें अध्ययन-दल द्वारा दिये गए सुझावों को भी शामिल करने की सहमति प्रकट की है ।

वार्षिक रिपोर्ट.—भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार हर मंत्रालय/विभाग या संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में उनकी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े शामिल होने चाहिए और साथ ही उसमें सम्पर्क अधिकारी के अधीन कायम किए गए विशेष एकक के कार्यकलापों का भी उल्लेख होना चाहिए । भारतीय खाद्य निगम की 1975-76 वर्ष की एक वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अध्ययन-दल को दी गयी, लेकिन उसमें इस प्रकार के आंकड़े नहीं थे । किंतु संबंधित सहायक प्रबन्धक ने उस पैरे की एक प्रति अध्ययन-दल को दी, जो उसने 1976-77 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए दिया था और जिसमें भारतीय खाद्य निगम में हर पद-श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना दी गयी है । वास्तव में इस पैरे में विशेष एकक के कार्य कलापों से संबंधित एक टिप्पणी और शिकायतों की प्राप्ति तथा निपटान संबंधी विवरण भी होना चाहिए । संसदीय समिति को पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षण-आदेशों के पालन न करने से संबंधित शिकायतों के विवरण की एक प्रति दी गयी थी, जिसे देखने से पता चला कि भर्ती, पुष्टि, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि के मामलों से संबंधित कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 42 शिकायतों का निपटान कर दिया गया । लेकिन दिलचस्प बात यह देखने में आई कि निपटाई गई शिकायतों में से एक तिहाई यानी 14 शिकायतें ही प्रामाणिक पायी गई । यह बात प्रशंसनीय है कि 14 शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है, लेकिन यह तथ्य भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि इनसे दुगुनी शिकायतों को प्रामाणिक नहीं माना गया । परेशान करने, स्थानान्तरण, बकाया के भुगतान, छंटनी/सेवा समाप्ति आदि के मामलों से संबंधित शिकायतों के एक अन्य विवरण में पाया गया कि पिछले दो वर्षों में कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुई । इनमें 21 शिकायतों का निपटान कर दिया गया (8 प्रामाणिक पाई गई और उनकी शिकायतें दूर कर दी गयी तथा 13 शिकायतों प्रामाणिक नहीं पाई गई) । उपरोक्त दोनों विवरणों में 42 शिकायतें (हरेक में 21) अभी भी बकाया हैं और विचाराधीन हैं । सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों पर सहानुभूति से कम समय ले कर विचार किया जाए । उनके निपटान के बारे में भारतीय खाद्य निगम की वार्षिक रिपोर्ट में एक उपयुक्त पैरा शामिल कर देना चाहिए ।

प्रवरण-मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का नामन.—अध्ययन दल को उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 1976 और 1977 के दौरान प्रथम और द्वितीय कोटि के पदों की आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने पर विचार करने के लिए 1976 और 1977 में प्रवरण-मंडल की 12 बैठकें बुलायी गई, किन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक भी प्रतिनिधि इनमें शामिल नहीं किया गया । इसी प्रकार इसी अवधि में विभागीय पदोन्नति समितियों की 23 बैठकें हुई, जिनमें आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों पर विचार किया गया, किन्तु इनमें भी इन जातियों का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया गया । प्रवरण-मंडल या विभागीय पदोन्नति समितियों की ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई, जिसमें केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया गया हो । जहां तक तृतीय और चतुर्थ कोटि के पदों के लिए प्रवरण-मंडल की बैठकों का संबंध है, केवल 1977 वर्ष की सूचना ही उपलब्ध कराई गई । इससे पता चलता है कि आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों पर विचार करने के लिए बुलाई गई 14 बैठकों में से केवल 7 बैठकों में ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अफसरों को सम्मिलित किया गया । सुझाव है कि भारतीय खाद्य निगम प्रवरण-मंडल और विभागीय पदोन्नति समितियों की ऐसी बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को सम्मिलित करने का प्रयास करे और अगर उपयुक्त पद का ऐसा कोई अधिकारी निगम के किसी अंचल में न मिल सके तो दूसरे अंचलों या कृषि और सिंचाई मंत्रालय या किसी और मंत्रालय तक से ऐसा सदस्य आमन्त्रित किया जाए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सही-सही देखभाल हो ।

प्रशिक्षण योजनाएँ.—भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सांस्थानिक प्रशिक्षण या संस्था से बाहर प्रशिक्षण की अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । इस तरह के प्रशिक्षण में विदेशों में प्रशिक्षण और सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा परिसंवादों में भाग लेने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति भी शामिल है । इस के पीछे यही धारणा काम कर रही है कि इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के ऐसे पदों से जुड़े उच्चतर दायित्वों को वहन करने की क्षमता के लिए अपेक्षित ज्ञान प्राप्त होगा, जो प्रवरण-पद्धति के अनुसार पदोन्नति से भरे जाते हैं और इस पद्धति में फिलहाल आरक्षण का कोई अंश नहीं है । अध्ययन-दल को पिछले दो वर्षों (1976-77 और 1977-78) की उपलब्ध की गई सूचनाओं के अनुसार 9 उम्मीदवारों (5 अनुसूचित जातियों और 4 अनुसूचित जनजातियों के) को विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया, अन्य 9 को भारतीय खाद्य निगम से बाहर (सभी अनुसूचित जातियों के) प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और तीन (1 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति) को संगोष्ठियों और परिसंवादों आदि में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । प्रशंसनीय है कि भारतीय खाद्य निगम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के इस पक्ष का ध्यान रखा है, लेकिन सामान्य उम्मीदवारों समेत उन व्यक्तियों की कुल संख्या की सूचना उपलब्ध कराने पर अधिक स्पष्ट चित्र सामने आता है, जिन्हें इन्हीं पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया था ।

स्थानान्तरण संबंधी नीति.—ज्ञात हुआ कि प्रथम कोटि के पद वाले अधिकारियों को भारत में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है और द्वितीय तथा तृतीय कोटि के कर्मचारियों के स्थानान्तरण अंचल के भीतर ही हो सकता है । चतुर्थ कोटि के कर्मचारी क्षेत्र के भीतर ही स्थानान्तरित हो सकते हैं । महिला कर्मचारियों, अपंग व्यक्तियों के और गम्भीर रोगों की चिकित्सा कारणों के आधार वाले मामलों में इस नीति में छूट दी जा सकती है । यह अपवाद पर्याप्त वास्तविक हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामलों पर भी सहानुभूति से विचार करने की आवश्यकता है । संसदीय समिति की बैठक के दौरान एक ऐसे ही मामले पर विचार विमर्श हुआ था और तब इस बात पर जोर दिया गया था कि पदोन्नति पर स्थानान्तरण की निति का पुनरावलोकन जरूरी है ताकि इसकी परिधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सहानुभूति योग्य मामले भी आ जाएं ।

प्रशिक्षुप्रशिक्षण.—भारतीय खाद्यनिगम में प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की योजना पहली बार सितम्बर/अक्तुबर, 1977 में प्रारम्भ की गयी । इस योजना के अन्तर्गत दो पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये । एक पाठ्यक्रम लिपिकों (सामान्य) और दूसरा लेखा और हिसाब-किताब के लिए शुरू किया गया । हर पाठ्यक्रम में 30 सीटें थीं । हर पाठ्यक्रम में चार सीटें अनुसूचित जातियों और दो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई थीं । लेकिन अध्ययन दल को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार लिपिक (सामान्य) पाठ्यक्रम में कुल 24 प्रशिक्षणार्थी और लेखा तथा हिसाब-किताब के पाठ्यक्रम में 10 प्रशिक्षणार्थी थे । उनमें अनुसूचित जतियों के प्रशिक्षाणार्थी क्रमशः 5 और 2 थे । इन दोनों पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीद्वार नहीं था । इस संबंध में इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड बड़ौदा द्वारा जारी विज्ञापनों की प्रतियां संलग्न की गयी हैं जिनमें स्पष्ट लिखा गया है कि संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को कारपोरेशन में ही खपा लिया जाएगा । इंडियन पैट्रोकेमिकल्स भी भारत सरकार का ही उपक्रम है । यदि वह प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने यहां की व्यवस्था कर सकता है तो भारतीय खाद्य निगम के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव होना चाहिए । इसलिए वे ऐसी संभावना का पता लगाएं जिससे उनके द्वारा प्रशिक्षित अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति खाद्य निगम में ही खपा लिए जाएं । ऐसा करना विशेष रूप से इसलिए भी जरूरी है कि निगम में ऐसे समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी हैं ।

विशेष भर्ती.—ज्ञात हुआ कि भारतीय खाद्य निगम ने 1976 के दौरान विशेष भर्ती का अभियान चलाया था । किन्तु डेढ़ वर्ष के अंतराल के बाद भी अभी तक विशेष भर्ती के अंतिम परिणाम प्रकाश में नहीं आए हैं । बताया गया कि यह सूचना संसदीय समिति को देने के लिए अंचलों/क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और ज्यों ही यह सूचना उपलब्ध हुई, इसे अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय में भेज दिया जाएगा ।

झाड़ूकशों तथा सफाईवालों के लिए विशेष योजना.—जब अध्ययन दल ने चतुर्थ श्रेणी के भरे हुए पदों के आंकड़े तथा निगम में पहले से ही कार्यरत झाड़ूकशों, फर्राशों तथा चौकीदारों में से इन पदों पर रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछा तो बताया गया कि अधिकारियों की इस संबंध में जारी आदेशों का ज्ञान नहीं । उनका ध्यान कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 जनवरी, 1976 की ओर दिलाया गया, जिसके अनुसार चपरासी संवर्ग के 25 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाएंगे, जिन्हें अपेक्षित साक्षरता स्तर के ऐसे झाड़ूकशों, फर्राशों और चौकीदारों से भरा जाना चाहिए जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति उनके मार्ग-निर्देशन और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है । प्रस्तुत कार्यालय ज्ञापन जारी करने के पीछे यह इरादा रहा है कि अस्वच्छ व्यवसाय में लगे झाड़ूकशों आदि को चतुर्थ श्रेणी के दूसरे पदों पर लाया जाए ताकि उनकी पदोन्नति के नए मार्ग खुल सकें ।

रोस्टर रखना.—भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय का कार्यालय ही अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती करता है । मुख्यालय में अनुसचिवीय वर्ग की भर्ती भी वहीं करता है । प्रथम श्रेणी के पदों को छोड़ कर शेष सभी पदों पर पदोन्नतियों का नियन्त्रण अंचल-कार्यालयों द्वारा होता है और वही अपने अधीन दूसरे अमले की भर्ती भी करते हैं । यद्यपि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में ही हो गयी थीं, लेकिन आरक्षण के आदेश 1970 के बाद से ही लागू किये गये और तभी से रोस्टर भी रखे गये । जहां तक सीधी भर्ती का संबंध है, प्रथम कोटि के सभी पदों का वर्गीकरण कर दिया गया है और वेतन मानों और संबंधित ड्यूटियों का ध्यान रखते हुए 4 रोस्टर रखे गये । द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हर पद के लिए एक ही रोस्टर तैयार किया गया है जिसमें संबंधित कोटियों के अन्तर्गत सभी पदों का इकट्ठा रख दिया गया है ।

देखा गया कि जहां प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों के रोस्टर सही फार्म पर रखे गये, वहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों के रोस्टर एक सूची के रूप में रखे गये, जिनमें समय-समय पर नियुक्त उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं । आरक्षित पदों को इकट्ठा करके न तो आगे ले जाया गया और ना ही उन्हें इस तरह दिखाया गया । वास्तव में इस काम के लिए उपयुक्त फार्म हीं अपनाया गया । प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे विवरणिका के परिशिष्ठ 6 में बताए गये विहित फार्म को ही अपनाएं ताकि प्रतिवर्ष आगे ले जायी और आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों को उनमें सही सही दिखाया जा सके । जहां तक आरक्षित प्वाइन्टों को भरने का संबंध है, यह देखा गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के उम्मीदवार न मिलने पर ऐसे प्वाइन्ट भविष्य में भर्ती द्वारा भरने के लिए खाली छोड़ दिये गये । वास्तव में इस तरह खाली स्थान नहीं छोड़े जाने चाहिए । आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विवरणिका में निर्दिष्ट आवश्यक कदम उठाने के बाद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित कराने के बाद सामान्य उम्मीदवारों से भरा जा सकता है और इन्हें अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे लेजाया जा सकता है । प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे सरकारी अनुदेशों के अनुसार रोस्टरों को फिर से तैयार करें और वर्ष के अन्त में एक संक्षेप-सार तैयार करें, जिसमें उन पदों को आगे ले जाया गया/आगे लाया गया दिखाएं जो अधिकांश रोस्टरों में नहीं दिखाई गई । हर वर्ष के अन्त में दिए जाने वाले संक्षेप/सार का एक फार्म संबंधित अधिकारी को दिया गया ।

सरकारी अनुदेशों के अनुसार रोस्टर में दर्ज हर प्रविष्टि के नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि उनके सही होने को सुनिश्चत किया जा सके । किन्तु भारतीय खाद्यनिगम में हस्ताक्षर केवल पृष्ठ के अन्त में ही किए गए हैं । अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि 1970 से आगे के वर्षों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से न भरे जा सके बहुत से आरक्षित प्वाइन्टों को अनारक्षण विधि अपनाए बिना ही आगे लाया गया दिखा दिया गया है । विनियम-नियम का भी बहुत से मामलों अनुपालन नहीं किया गया, जिसके अनुसार नियुक्तकर्ता प्राधिकारी आगे लाई गई रिक्तियों के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों का विनियम कर सकता है । कम से कम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जो प्वाइन्ट अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के न मिलने पर सातवें दशक के शुरू में भरे नहीं गये, वे हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरे जा सकते थे । इस तरीके का पुनरालोकन शीघ्रतिशीघ्र किया जाना जरूरी है ।

जहां तक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों के आरक्षण का संबंध है, जुलाई, 1974 से प्रथम श्रेणी के निम्नतम पदों पर द्वितीय श्रेणी के पदों से व्यक्तियों को प्रवरण द्वारा पदोन्नति देने के लिए दो रोस्टर रखे गये हैं । इस तारीख से इस कोटि के पदों पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू किए थे । ऐसी दूसरी सभी पदोन्नतियों की देखभाल अंचल कार्यालय कर रहे हैं, जिन पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं । उपर के पैराओं में उल्लिखित सम्मिलित त्रुटियों के अलावा पदोन्नति रोस्टर में यह भी देखा गया कि सहायक प्रबन्धक से वरिष्ठ सहायक प्रबंधक/उप प्रबन्धक की 15 पदोन्नतियों में से आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक भी उम्मीदवार अभी तक निगम में नहीं मिला । सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में भी समान पदों के मामले में 1974 से 31 पदोन्नतियां हुई, लेकिन तीन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जनजाति का एक भी उम्मीदवार नहीं मिला । इस रोस्टर में इस बात का भी कोई संकेत नहीं

कि उसी वर्ष में विनियम, नियम के अधीन अनुसूचित जनजातियों की न भरी गयी रिक्तियों को पदोन्नति से भरने के लिए अनुसूचित जातियों के और उम्मीदवार उपलब्ध थे या नहीं। विनियम-नियम दूसरी कोटि में पदोन्नति और प्रवरण पद्धति से पदोन्नति द्वारा प्रथम कोटि के निम्नतम पदों के भरे जाने के मामलों में भी लागू होता है।

नियोजन के लिए विज्ञापन/मांगें.—विचार-विमर्श के दौरान पता चला कि भारतीय खाद्य निगम नियोजन संबंधी विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेज रही है, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुमोदित हैं। अध्ययन-दल को दी गयी समाचार-पत्रों की सूची में केवल ऐसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र ही थे, जिनका वितरण अखिल भारतीय स्तर पर होता है या प्रादेशिक स्तर पर। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या सामान्य रिक्तियों के साथ संयुक्त विज्ञापनों में आरक्षण पक्ष और दी जाने वाली विभिन्न छूटों/रियायतों का सामान्यतः स्पष्ट उल्लेख किया गया। प्राधिकारियों को बताया गया कि आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन मंगाने वाले विज्ञापन, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन वाले विज्ञापन, ऐसे प्रादेशिक समाचार पत्रों में भी दिए जाएं, जिनका वितरण जनजातियों के भारी संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में हो।

परिशिष्ट 17

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

अप्रैल, 1978 को गार्डन रीच शिप बिल्डिंग और इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए सेवा-सुरक्षणों का अध्ययन

गार्डन रीच फैक्टरी प्रारम्भ में निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी, किन्तु 1960-61 में इसे भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और रक्षा मंत्रालय के अधीन इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम म बदल दिया। प्रारम्भ में मजदूर स्तर का अधिकांश अमला स्थानीय जनता में से ही भर्ती किया गया, जो मुस्लिम थी। पंजियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत ही कम लोग थे। राष्ट्रीयकरण के बाद भी प्राधिकारियों ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कार्मिक लगाने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए। कहीं जाकर 1973 में प्राधिकारियों ने सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण के रोस्टर रखने शुरू किए, हालांकि फैक्टरी में पदों और सेवाओं पर आरक्षण के नियम लागू करने के निर्देश सरकार 1970-71 में ही जारी कर चुकी थी।

गार्डन रीच फैक्टरी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के अमल की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन-दल ने 29 अप्रैल, 1978 को फैक्टरी का दौरा किया। इस अध्ययन-दल के अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री वरयाम सिंह शामिल थे। इस दल ने रोस्टर-रजिस्टरों, रोजगार कार्यालयों को भेजे गये मांग-पत्रों, समाचार पत्रों में भेजी गई नियोजन-सूचनाओं आदि का अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान दल ने निम्नलिखित अधिकारियों से भेंट की और उनसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के निवेशन में सुधार जैसी अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श किया।

1. कमोडोर ए० एस० सरकार, प्रबंध संचालक
2. श्री ए० बनर्जी, सचिव
3. श्री एस० दत्त, कार्मिक प्रबन्धक (सम्पर्क अधिकारी)
4. श्री एस० एन० भट्टाचार्जी, मुख्य कल्याण अधिकारी
5. श्री एस० सान्याल, प्रशासन अधिकारी
6. श्री एस० बी० चौधरी, कार्मिक अधिकारी

अध्ययन के दौरान की गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को नीचे दिया गया है :

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व :

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस संगठन में आरक्षण आदेश देर में लागू किए जाने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व में अपेक्षित सीमा तक सुधार नहीं हो पाया, जो नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाएगा :

1 जनवरी, 1977 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

	कुल	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति
प्रथम श्रेणी	515	10(2.0)	5(1.0)
द्वितीय श्रेणी	267	7(2.6)	2(0.7)
तृतीय श्रेणी	8043	959(11.9)	135(1.6)

प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निम्न प्रतिनिधित्व का कारण यह बताया गया कि उन्हें इस उद्योग में निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और इसलिए बाजार में उपलब्ध सब से अच्छे उम्मीदवारों को ही लेना पड़ता है। जहां तक कर्मकार श्रेणी का संबंध है, ऐसा शायद प्रबंध की इस नीति के कारण हुआ कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के पुत्रों को ही नोकरी पर रखा जाए। इस कारण सीधी भर्ती कम से कम की गई। पिछले पांच-सात वर्षों के दौरान फैक्टरी के कार्यों में वृद्धि और प्रसार के कारण कर्मकार-श्रेणी में तेजी से बढ़ोतरी हुई, किन्तु उपर बताए कारणों से अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में कोई सुधार नहीं हुआ। अब चूंकि हालत यह है कि भर्ती की स्थिति संतृप्ति-बिन्दु तक पहुंच गयी है, इसलिए सीधी भर्ती के लिए कोई अवसर नहीं है। इस लिए सुझाव है कि जितनी भी रिक्तियां उपलब्ध हों (पदोन्नति वर्गों में उपलब्ध रिक्तियों समेत), वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए खुली रखी जाएं ताकि कम से कम "निर्देश" के कार्यान्वयन की तारीख से पिछला बकाया धीरे-धीरे पूरा किया जा सके। अवकाश ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के पुत्रों को नियुक्त करने और खुले बाजार से सर्वोत्तम उम्मीदारों को चुनने की नीति कारखाने की दृष्टि से वांछनीय हो सकती है, किन्तु आरक्षण आदेशों के अनसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का भर्ती संबंधी सांविधानिक उपबंधों की वंचना नहीं की जा सकती। इस तरह की नीति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के व्यक्तियों के हित के विरुद्ध है और इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। फैक्टरी में ही चालित परिपत्रों से भरी जाने वाली सभी आरक्षित रिक्तियां फैक्टरी में हीं उपलब्ध अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारोंसे भरी जानी चाहिए और अगर वहां उपलब्ध न हों तो उन्हें खुले बाजार से भरना चाहिए। अन्यथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व हमेशा कम बना रहेगा।

2. पदोन्नति में आरक्षण

यद्यपि पदोन्नतियों से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी आदेश सरकार ने 1972 में ही जारी कर दिये थे और उनके बाद सरकारी क्षेत्र की सभी यूनिटों को तत्सम्बन्धी निर्देश भी जारी कर दिए थे, किन्तु गार्डन रीच फैक्टरी के प्रबन्ध ने इन अनुदेशों को लागू नहीं किया। इसलिए प्राधिकारियों को चाहिए कि वे पिछली तारीखों से सभी पदों पर आरक्षण आदेश लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि सरकारी निर्देश का उल्लंघन न हो।

3. आरक्षण-रोस्टर

रोस्टर-रजिस्टरों को देखने से ऐसा लगा कि वे 100 प्वाइंट के क्षेत्रीय रोस्टर के आधार पर हाल ही में फिर से तैयार किया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। रोस्टर विहित फार्म पर तैयार किए गये थे, लेकिन वे चालू रूप में नहीं थे। उदाहरणार्थ, यदि किसी वर्ष में भर्ती एक चक्र के छटे प्वाइंट पर रुकती है तो अगले वर्ष की भर्ती में वह सातवें प्वाइंट से शुरू होगी। फलस्वरुप प्राधिकारियों को इस तरह की कमियां दूर करने की सलाह दी गयी।

4. अनारक्षण

देखा गया कि हर संवर्ग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जितने भी कर्मचारी उपलब्ध थे, उन्हें आरक्षित प्वाइंटों पर दिखा दिया गया और शेष आरक्षित प्वाइंटों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने से पहले औपचारिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनारक्षित कराए बिना अगले वर्ष आगे ले जाया गया दर्शित किया। वास्तव में प्राधिकारी यह समझते रहे कि आरक्षित प्वाइंटों को आगे लाने के तीसरे वर्ष में ही उन के व्यपगमन से पहले अनारक्षण कराना चाहिए। प्राधिकारियों को सही कार्यविधि अपनाने की सलाह दी गयी, जिसके अनुसार हर भर्ती वर्ष में अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अपने लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हैं तो शेष आरक्षित प्वाइंटों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरने से पहले, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद अनारक्षित कर देना चाहिए प्राधिकारियों को सभी मामलों के पुनरीक्षण की सलाह दी गयी जहां भी जरूरी हुआ, सुधार के कदम उठाने को कहा।

5. आरक्षित प्वाइंटों को आगे ले जाना और उनका व्यपगमन

मौजूदा कार्यविधि के अनुसार यदि आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिलें तो ऐसी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जा सकता है, लेकिन इन पदों को अगले तीन वर्षों तक आगे ले जाया जाता रहेगा। पदों के आगे ले जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विनियम-नियम लागू करने के बाद यह रिक्तियां व्यपदायित हो सकती हैं। किन्तु रोस्टर के अध्ययन से पता चला कि बहुत से मामलों में न भरी गई रिक्तियों को व्यपगमित दिखा दिया गया और उन्हें अगली भर्ती के प्रारम्भ में कभी नहीं दिखाया गया, जैसा कि रोस्टर के खाने 1 और 2 में दिखाना अपेक्षित है। प्राधिकारियों को इस संबंध में नियमों के अनुपालन का परामर्श दिया गया।

6. सैनिकों की भर्ती

प्राधिकारियों ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए शत प्रतिशत रिक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों से भरा जाता है और रक्षा मंत्रालय द्वारा जिन उम्मीदवारों का नामन किया जाता है, उन्हें नियुक्त कर लिया जाता है। इस सिलसिले में बताया जाता है कि आरक्षण आदेश इन पदों पर भी लागू होते है और संबंधित प्राधिकारियों के पास रिक्तियों की सूचना भेजते समय रोस्टर के प्वाइंटों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी भेजना जरूरी है। यदि रक्षा प्राधिकारी एक क्षेत्र से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के उम्मीदवारों का नामन न कर सकें तो दूसरे क्षेत्रों या यहां तक कि खुले बाजार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करने के प्रयास करने चाहिए। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि सैनिकों के संवर्ग में आरक्षित रिक्तियों की इकट्ठी हो गई संख्या का परिकलन किया जाय और भविष्य में आने वाली रिक्तियों से उनका समायोजन किया जाए।

7. विभागीय पदोन्नति समितियां/सेवा प्रवरण मंडल की बैठकें

अध्ययन दल को बताया गया कि 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान कारखाने में क्रमशः कुल 67 और 35 साक्षात्कार समितियां बनी और इन की बैठकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं किया गया। कथित अवधि में ही तृतीय श्रेणी के पदों के लिए क्रमशः कुल 52 और 23 पदोन्नति मंडल बनाए गए और इनकी बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक भी अधिकारी सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसे अधिकारियों को सम्मिलित न करने का कारण यह था कि वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नगण्य था। प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि साक्षात्कार समितियों/प्रवरण मंडलों में ऐसे अवसरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को जरूर शामिल किया जाए, जब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति और पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो। ऐसे अधिकारी निकटस्थ स्थित दूसरे उपक्रमों/मंत्रालयों तथा विभागों से बुला लेने चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों मे विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है और फिर यह भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के भी अनुकूल होगा।

8. सम्पर्क अधिकारी

कार्मिक प्रबन्धक को सम्पर्क अधिकारी नामित किया हुआ था और 1975, 1976 और 1977 के वर्षों के लिए उसकी रिपोर्टें सही पाई गई। इस संगठन में लगभग 11,000 कर्मचारी थे और उनमें से 1,500 कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के थे। इस कारण महसूस किया गया कि एक विशेष एकक कायम करने का सशक्त आधार मौजूद है और यह एकक सीधे सम्पर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखना चाहिए। इस एकक में कम से कम दो अधिकारी जरूर होने चाहिए, जो केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समस्या पर ही काम करें ताकि उन्हें आरक्षण आदि से संबंधित सरकारी आदेशों पर उचित रूप से अमल करने का जिम्मेदार ठहराया जा सके। फिर इससे कल्याण विभाग पर से कार्यभार भी हल्का किया जा सकेगा, क्योंकि उसे बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करनी पड़ती है।

9. समाचार पत्रों में विज्ञापन/मांगे

इस उपक्रम में अधिकांश रिक्तियां संबंधित विभाग/श्रमालय के कार्मिकों द्वारा भरी जाती हैं। यदि उनसे रिक्तियां पूरी न हो सकें तो संगठन के भीतर ही "आंतरिक परिपत्रों" के द्वारा उन्हें भरा जाता है। अन्त में समाचार पत्रों में विज्ञापन दे कर खुली मंडी से रिक्तियों को भरा जाता है। देखा गया कि आन्तरिक परिपत्रों में पदों के आरक्षण, रियातों/छूटों आदि को स्पष्ट नहीं किया गया। रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांग पत्रों में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनुभव में किस प्रकार की छूट दी गयी है। इसका उल्लेख उनमें किया जाना चाहिए था। 1977 के दौरान समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों अनुसूचित

के समुचित निपटान की कार्रवाईयां दर्ज की गयी थी। किन्तु देखा गया कि यह रजिस्टर उचित तरीके से नहीं रखे गये थे । सुझाव है कि सभी रजिस्टरों को अध्यतन बनाया जाए और आवेदन प्राप्ति की तारीख, फाइल संख्या, आवेदन पर कार्रवाई करने की तारीख, कार्रवाई का स्वरुप और मामले के अन्तिम निपटान जैसी कुछ बुनियादी सुचनाएं रजिस्टरों में स्पष्ट रूप से दर्ज की जानी चाहिएं।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कार्मिकों की परिषद् के प्रतिनिधियों ने 19 और 20 अप्रैल, 1978 को दुर्गापुर में अध्ययन-दल से भेंट की और दल को अपनी शिकायतों से अवगत कराया । अध्ययन-दल ने उन्हें सूचित किया कि व्यक्तिगत शिकायतें या तो उन्हें दे दी जाए या इनको आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए आयुक्त के कार्यालय में भेज दिया जाए क्योंकि इस अध्ययन दल का दौरा बहुत छोटी अवधि के लिए है और इस दौरे का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों को प्रदत्त सुरक्षण के स्वरुप और सीमा तथा यह पता लगाना है कि मौजूदा सरकारी नियमों और आदेशों का संतोषजनक रूप से अनुपालन किया जा रहा है या नहीं । दल ने प्रबंध-संचालक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की और दूसरे सामान्य समस्याओं के साथ-साथ निम्नलिखित समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया :--

(1) दल ने देखा कि 1976 में स्नातक प्रशिक्षुओं के अन्तर्गत कोई भर्ती नहीं की गयी और 1977 में 13 प्रशिक्षुओं को भर्ती किया गया, जिनमें से एक भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं था । प्रबंध को बताया गया कि कुछ वर्गों में संगठन के भीतर ही इन समुदायों के लोग उपलब्ध थे, लेकिन विशिष्ट शिल्पों/कार्यों में पर्याप्त प्रशिक्षित न होने के कारण वे पदोन्नति/उच्चतर ग्रेडों में नियुक्ति के पात्र नहीं थे । फिर 1969 से प्रचालन कार्यों में तकनीकी प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया, जिसके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ा । प्राधिकारियों ने दल को सूचना दी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक योजना पर प्रबंध सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। दल ने सशक्त शब्दों में कहा कि इस योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। प्रबन्ध से यह भी अनुरोध किया गया कि पदोन्नति के योग्य बनाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए दूसरी योजनाएं भी चलनी चाहिएं और उनके पदोन्नत होने पर उत्पन्न खाली जगहों को अकुशल ग्रेड में ताजा भर्ती के जरिए भरा जाना चाहिए। अगर भर्ती के प्वाईंटों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार न मिल सकें तो इन पर प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि 1976 में किया गया था।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आवास में प्रतिशत आरक्षण के संबंध प्रबन्ध ने अध्ययन-दल को बताया कि उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई शुरू की थी, कि स्टील आथारिटी आफ इंडिया अन्दास में आरक्षण के लिए सहमत नहीं हुई। दल ने विचार व्यक्त किया कि स्टील आथारिटी को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए और इसके एवज में उन्हें अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋणों की मंजूरी की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए।

(3) प्रबंध ने दल को सूचित किया कि उनके संगठन में अनेक संस्थाओं और संघों के होने के कारण उन सभी को उनके कार्यालयों के लिए जगह देना संभव नहीं है और न ही इन सब को रिक्ति-परिपत्र, मांगें आदि भेजने के लिए एक सूची में रखा जा सकता । दल ने सुझाव दिया कि ऐसे परिपत्रों को सूचना पट्टों पर सही तरीके से लगाना चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए रिक्ति-परिपत्रों और दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थानीय भाषा में जारी किया जाना चाहिए ताकि अर्ध-शिक्षित व्यक्तियों को भी इस तरह की सूचनाएं मिल सकें।

(4) दल को बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के अनारक्षण और उनके अधिक्रमण के मामलों पर प्रबंध संचालक अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले स्वयं पुनरीक्षण करते हैं। दल को यह भी बताया गया कि अधिक्रमण के सभी मामले संबंधित कर्मचारियों की प्रतिकूल रिपोर्टों के कारण हुए थे। चूंकि इस बारे में यह पता लगाने का कोई प्रभावी तरीका/पड़ताल का ढंग मौजूद नहीं है कि कौनसी रिपोर्ट पक्षपात पूर्ण है या नही इसलिए इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना कठिन है। किन्तु अनुभव किया गया कि चूंकि प्रबंध-संचालक को इतने बड़े संगठन के उत्पादन और प्रबन्ध संबंधी अनेक महत्वपूर्ण कार्य देखने पड़ते हैं, इसलिए अधिक्रमण के मामलों के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण-समिति बनाई जाए ।

परिशिष्ट 19

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

16 और 17 जनवरी, 1978 को हिन्दुस्तान एयरानाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर समूह सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्विष्ट सेवा सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन

भारत सरकार ने भूतपूर्व हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट्स लिमिटेड को जून, 1942 में अपने अधिकार में ले लिया था और बाद में अक्तूबर, 1964 में एयरनाटिक्स इंडिया लिमिटेड में इसका एकीकरण कर दिया था । फलस्वरूप जो कम्पनी सामने आई, उसका नाम हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड रखा गया । यह संगठन भारत के वायुयान उद्योग के विकास और उत्पादन का एकमात्र अभिकरण होने के कारण अद्वितीय स्थिति रखता है । इसके बंगलौर समूह में 20,000 कर्मचारी हैं और मुख्यालय के अतिरिक्त इसमें सात प्रभाग हैं । यह प्रभाग हैं : वायुयान प्रभाग, ओवरहाल प्रभाग, सेवाई प्रभाग, हेलिकाप्टर प्रभाग, डिजाइन प्रभाग, इन्जिन प्रभाग और ढलाई-गढ़ाई प्रभाग ।

2. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश 21 जनवरी, 1970 से लागू हुए । चूंकि बंगलौर समूह में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए अध्ययन दल ने केवल तीन प्रभागों, अर्थात् वायुयान प्रभाग, सेवाई प्रभाग और इंजिन प्रभाग का अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों से भेंट की:

1. श्री बी० के० मिश्र,
   कार्मिक उपाध्यक्ष, जो मुख्य कार्यालय में सम्पर्क अधिकारी भी हैं ;
2. श्री पी० के० मुकन्दम,
   मुख्य प्रशासन-प्रबंधक, जो बंगलौर समूह के सम्पर्क अधिकारी भी हैं;
3. श्री वी० एल० पाटिल,
   वरिष्ठ प्रशासन-प्रबंधक और इंजिन प्रभाग के सम्पर्क अधिकारी ;
4. श्री जे० एस० रामास्वामी,
   वायुयान, प्रभाग के प्रशासन-प्रबंधक;
5. श्री वाई० जे० देशपाण्डे,
   प्रशासन-प्रबंधक, सेवाई प्रभाग; और
6. श्री गुरुराजा राव,
   कार्मिक अधिकारी (मुख्य कार्यालय), जिन्होंने अध्ययन-दल के लिए समन्वय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया ।

I. पदों का वर्गीकरण

3. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का मुख्य कार्य-बल इन तीन वर्गों/कोटियों में विभाजित था :

	वेतनमान (रु०)	
वर्ग क	220—290 . .	चतुर्थ श्रेणी, मुख्य रूप से गैर-तकनीकी।
वर्ग ख	230—329 . .	तृतीय श्रेणी, तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों ।
वर्ग ग	265—410 . .	—वही—
वर्ग घ	295—505 . .	—वही—
वर्ग च	330—670 . .	—वही—
ग्रेड I	600—900 . .	द्वितीय श्रेणी
ग्रेड II	750—1150. .	द्वितीय श्रेणी
ग्रेड III	950—1550. .	प्रथम श्रेणी
ग्रेड IV	1350—1700 और ऊपर	प्रथम श्रेणी

सभी वर्गों और ग्रेडों में पदों की संख्या बहुत थी, चाहे वे पद तकनीकी थे या गैर-तकनीकी, किन्तु चाहे वर्ग/ग्रेड में संस्वीकृत नफरी कितनी ही बड़ी क्यों न थी, पूरे के पूरे वर्ग/ग्रेड के लिए एक ही रोस्टर रखा गया था । अधिकतर मामलों में पदों की संख्या 20 से अधिक थी विभिन्न पदों का समान वेतनमान ही उन्हें एक साथ रखने का आधार था । सरकारी आदेशों के अनुसार 20 पदों से अधिक की संस्वीकृत नफरी वाले प्रत्येक पद/संवर्ग के लिए अलग-अलग रोस्टर रखे जाते हैं । यह भी देखा गया कि पदोन्नति-पदों के मामलों में भी उनका वर्गीकरण किया गया था, जबकि इस विषय में सरकारी अनुदेश बहुत स्पष्ट हैं कि आरक्षण आदेशों के मंतव्य से पदोन्नति-पदों का वर्गीकरण न किया जाए और जिस पद पर आरक्षण योजना लागू की जा रही हो, उसके रोस्टर अलग रखे जाएं, चाहे पदों की संख्या कितनी भी क्यों न हों ।

II. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व

4. 1 जनवरी, 1978 को पूरे हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और उन प्रभागों की सेवाओं में, जिनका अध्ययन दल ने किया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़े अनुबंध 1 में दिए गए हैं । उसमें प्रदत्त आंकड़ों से देखा जा सकता है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी (वर्ग क) में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है और द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख) में लगभग 4 प्रतिशत (इंजिन प्रभाग को छोड़ कर जिसमें यह 10 प्रतिशत है) । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में वृद्धि की अत्यावश्यकता है, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय श्रेणियों (वर्ग क और ख) के पदों में सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के बहुलता प्रधान मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से प्रकाशित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भर्ती खूब प्रचारित की जाए । अगर आवश्यकता हो तो रिक्तियों की अधिसूचनाएं मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में भी जारी की जाएं, जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं । दूरस्थ क्षेत्रों से आवेदन भेजने वाले व्यक्तियों को साक्षात्कारों/परीक्षाओं में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान अवश्य किया जाए और उनके लिए आवास सुविधा का भी प्रबन्ध होना चाहिए ।

III. 1975, 1976 और 1977 के वर्षों में भर्ती की स्थिति

5. 1975, 1976 और 1977 के वर्षों में सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की स्थिति अनुबंध 2 और 3 में देखी जा सकती है । सम्पूर्ण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों की भर्ती की स्थिति संतोषजनक थी, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह स्तर तक नहीं आती थी । इन वर्षों में पदोन्नतियों के मामले में भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी । वायुयान प्रभाग द्वारा दी गयी सूचनाओं के अनुसार प्रवरण पद्धति से भरे जाने वाले पदोन्नति-पदों के लिए आरक्षण आदेश 1 दिसम्बर, 1975 से लागू किये गये थे । उच्चतर पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यून प्रतिनिधित्व के पीछे शायद यही मुख्य कारण था । दूसरा कारण यह था कि अधिकांश पद पदोन्नति से भरे गए थे । रु० 265—410 और उससे ऊपर के तथा रु० 600—900 के ग्रेडों में 75 प्रतिशत और रु० 1350—1700 के ग्रेडों तक के 50 प्रतिशत पदों की रिक्तियों को केवल पदोन्नति से भरा गया था ।

IV. पुष्टि

6. पुष्टि के चरण पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, किन्तु इस का कोई विशेष महत्व नहीं क्योंकि पुष्टि स्थायी रिक्तियों की उपलब्धि के अनुसार नहीं की जाती है । कर्मचारियों की पुष्टि परस्वाधीन-अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होते ही कर दी जाती है ।

V. प्रशिक्षण

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को संस्थागत और अन्य प्रशिक्षणों के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने से संबंधित सरकारी अनुदेशों के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के इंजिन तथा वायुयान प्रभाग ने 1975, 1976 और 1977 के वर्षों के लिए निम्नलिखित सूचना दी है :—

प्रभाग	संस्थागत प्रशिक्षितों की संख्या			दूसरे संस्थानों में प्रशिक्षितों की संख्या			प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए व्यक्तियों की संख्या			परिसंवादों/सम्मेलनों आदि में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की संख्या		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
वायुयान प्रभाग . .	92	6	..	112	6	..	6	..	..	44	3	..
इंजिन प्रभाग . .	38	4	1	7	1	..	15	..	..	41	1	..

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किये गये और परिसंवादों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजे गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कम संख्या इस बात का प्रमाण है कि इस संस्थान ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित इस सरकारी नीति का महत्व नहीं समझा था कि इससे उनके दृष्टिकोण में विस्तार होता है और वे उच्चतर दायित्वों के वहन के योग्य हो जाते हैं। सरकार ने तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत स्थान तक निश्चित कर रखे थे। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्ध को सलाह दी जाती है कि वह इस पक्ष पर अधिक जोर दे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रशिक्षण के लिए भेजे।

VI. बन्ध/डिजाइन प्रशिक्षणार्थी

8. 1975 के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिए 17 उम्मीदवार भर्ती किये थे, जिनमें से 3 अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जनजाति का था। प्रशिक्षण के बाद आरक्षित कोटि के सभी उम्मीदवारों को अपने यहां नियुक्त कर लिया था। 1976 और 1977 के दौरान प्रबन्ध-प्रशिक्षण (तकनीकी) के लिए भर्ती किये गये 54 उम्मीदवारों में से केवल 6 अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के थे। उसी अवधि में गैर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 35 उम्मीदवार भर्ती किये गये थे, जिनमें 7 अनुसूचित जातियों के और एक अनुसूचित जनजाति का था। फिर 35 डिजाइन प्रशिक्षणार्थियों में से एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं था। यदि प्रबन्ध अपने अधीन विभिन्न तकनीकी संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती बढ़ाने को उत्सुक है तो उसे इन समुदायों के और अधिक उम्मीदवार प्रबन्ध और डिजाइन प्रशिक्षणार्थियों के रूप में लेने चाहिए।

VII. विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का नामन

9. दल को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 1977 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों की उन सभी बैठकों में सम्मिलित किया गया, जिनमें केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया गया था। किन्तु इंजिन प्रभाग में हुई ऐसी 152 बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल 31 सदस्यों को शामिल किया गया था। दूसरी तरफ वायुयान प्रभाग में ऐसी 131 बैठकों में से 90 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सम्मिलित किया गया था।

VIII. पदोन्नति के मार्ग/झाड़ूकशों आदि के लिए पद-परिवर्तन

10. इंजिन प्रभाग में विचार-विमर्श के दौरान अध्ययन-दल को सूचना दी गयी कि एक ऐसी योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा और बुनियादी ज्ञान वाले झाड़ूकशों को चालकों/मदद-गारों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। उन्हें यह प्रशिक्षण अपनी निर्दिष्ट सामान्य ड्यूटियां करने के बाद काम के घंटों के दौरान ही दिया गया था। 1977 वर्ष के दौरान ऐसे 6 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था और उन्हें उनके पारम्परिक अस्वच्छ कार्यों से हटा कर बेहतर कार्यों पर लगाया गया था। वास्तव में यह बहुत ही अच्छी योजना है और अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति प्रारम्भ में झाड़ूकश के रूप में रखे गये थे, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दे कर अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ कार्यों पर अधिक से अधिक संख्या में लगाने के प्रयास जारी रखने चाहिएं।

IX. विज्ञापन

11. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सभी छूटों और रियायतों का उल्लेख था। किन्तु पदोन्नत रिक्तियों से संबंधित जारी किए गए आन्तरिक परिपत्रों में रिक्तियों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या नहीं दी गयी थीं।

X. सम्पर्क अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट

12. इंजिन प्रभाग में सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कुछ निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित था कि रोस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। 1974 वर्ष की निरीक्षण रिपोर्ट की मद संख्या 7 पर सम्पर्क अधिकारी ने लिखा था कि रोस्टर में खाली स्थान छोड़ा गया है, जो सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के विरुद्ध था। सम्पर्क अधिकारी को 1976 वर्ष की रिपोर्ट में लिखा था कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न समूहों और प्रभागों में केवल डिजाइन ब्यूरो द्वारा रखे गये दो रोस्टरों में खाली जगह छोड़ी गयी थीं, किन्तु अध्ययन-दल द्वारा रोस्टरों की संवीक्षा से पता चला कि दूसरे प्रभागों के रोस्टरों में भी खाली स्थान छोड़े गये थे।

XI. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष तदर्थ भर्ती

13. कार्मिक परिपत्र सं० 151, दिनांक 21-3-1970 (31-8-1976 तक यथा संशोधित) के पैरा 14 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तक सीमित विशेष तदर्थ भर्तियां हर प्रभाग में हर छमाही में या इससे भी कम अवधि में करनी अपेक्षित थीं ताकि जमा आरक्षित भर्तियों को पूरा भरा जा सके और भावी रिक्तियों की नामिका तैयार की जा सके। परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि यह पद्धति विभिन्न रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार देने के एक तैयार स्रोत के रूप में हर प्रभाग में रीढ़ का काम करेगी। किन्तु ऐसी विशेष तदर्थ भर्तियों के लिए उठाये गये कदमों के बारे में अध्ययन-दल को कोई सूचना नहीं दी गयी। सुझाव है कि पिछले तीन वर्षों (1975, 1976 और 1977) के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न प्रभागों द्वारा चलाये गये विशेष भर्ती अभियानों के परिणाम पूरे विवरणों सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पास भेज दिए जाएं।

XII. प्रतिनियुक्ति

14. यद्यपि प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों में कोई आरक्षण नहीं, लेकिन इस संबंध में अनुदेश मौजूद हैं कि प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण पर व्यक्तियों को लेते और भेजते समय भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें और प्रयत्न करें कि ऐसे पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा उचित अनुपात में भरे जायें। किन्तु निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय में सरकारी अनुदेशों पर कतई ध्यान नहीं दिया गया :

प्रभाग	वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति											
	1975			1976			1977			कुल जोड़		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
हिन्दुस्तान एयरानाटिक्स लि० (सभी समूह) . .	15	..	..	16	..	..	12	..	..	43	..	..
इंजिन प्रभाग . .	3	..	..	2	..	..	..	..	..	5	..	..
वायुमान प्रभाग . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..

XII. रोस्टरों पर अनारक्षण

15. 1973 से पहले हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर स्थित प्रभागों के लिए रोस्टर केंद्रीय रूप से सेवाई प्रभाग द्वारा रखे जाते थे। 1973 के बाद से प्रत्येक प्रभाग के लिए अपने-अपने रोस्टर रखना जरूरी बना दिया गया था।

अध्ययन-दल द्वारा जिन प्रभागों के रोस्टरों का अध्ययन किया गया, उनके संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

(i) इंजिन प्रभाग :

(क) वर्ग 'ग' के रोस्टर में अनेक पद ऐसे थे, जिन पर 100 से अधिक कर्मचारी थे। उन सब को एक ही वर्ग में डाल दिया गया था और इन पदों का एक ही रोस्टर रखा गया था। सुझाव था कि प्रबंध द्वारा सीधी भर्ती में, किसी संवर्ग में पदों की संख्या 20 से अधिक होने पर ऐसे पदों के लिए अलग रोस्टर रखे जाने चाहिएं। रोस्टरों में सभी प्वाइंट सही-सही चिह्नित थे, किन्तु रोस्टर में कुछ पाइन्टों के सामने भी जाने वाली प्रविष्टियाँ नहीं थीं। वहाँ यह टिप्पणियाँ थीं कि भर्ती पर पाबन्दी के कारण कार्रवाई नहीं की गयी है। संबंधित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया कि विवरणिका के परिशिष्ट 5 में निहित अनुदेश के अनुसार रोस्टर में कोई भी पाइन्ट खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए और अगले नियुक्त व्यक्ति को उस पाइन्ट पर दिखाया जाना चाहिए।

(ख) पदोन्नति रोस्टर में बहुत से पद एक ही वर्ग में डाल दिये गये थे, हालांकि वेतनमानों में प्रकारांतर था और पद विभिन्न प्रशिक्षणों के थे तथा उनकी पदोन्नति के चैनल भी भिन्न थे। वर्ग 'ख' के पदों के लिए रखे गये पदोन्नति रोस्टर में कुछ आरक्षित पाइन्ट खाली रखे गये थे और टिप्पणी वाले खाने में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं था। इसे ठीक किया जाना चाहिए।

(ग) विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की वैयक्तिक मिसिलों की समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों में बंगलौर के तहसीलदार ने जाति-प्रमाण पत्र जारी कर रखे थे, हालांकि वे कर्मचारी विभिन्न जिलों के थे। कुछ मामलों में प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर यह टिप्पणियाँ दर्ज थीं कि यह प्रमाण पत्र विधान सभा के सदस्यों या दूसरे प्राधिकारियों के प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी किये गये हैं, जिन्हें किसी व्यक्ति की जाति के प्रमाणन का प्राधिकार नहीं था। यहाँ तक कि कुछ प्रमाण पत्र बंगलौर के नगर निगम के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे और उनमें उप जातियों के नामों तक का उल्लेख नहीं था। संबंधित प्राधिकारियों को ऐसे सभी मामलों के पुनरीक्षण की सलाह दी गयी थी, जिनमें प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किये थे। ऐसे प्रमाण पत्रों को आवश्यक सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों या जिला कलक्टरों को प्रेषित करने के लिए कहा गया।

(ii) वायुयान प्रभाग :

(क) वायुयान प्रभाग में वर्ग 'क' में मददगारों और संदेशवाहकों के पदों को सीधी भर्ती के लिए एक ही वर्ग में डाल दिया गया था, हालांकि पदों को हर कोटि में अमले की नफरी 20 से अधिक थी। रोस्टर 1976 से ही रखे गये थे क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इससे पहले, अर्थात 1973 से पहले हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का सेवाई प्रभाग ही सभी प्रभागों के लिए केन्द्रीय रूप से रोस्टर रखता था। 1973, 1974 और 1975 के वर्षों में कोई भर्ती नहीं हुई थी क्योंकि उस दौरान भर्ती पर पाबन्दी लगी हुई थी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पाइन्ट संख्या 4 को अनारक्षण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अनारक्षित मान लिया गया था, जबकि इस पद पर अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार नियुक्त किया गया था। पाइन्ट संख्या 20, 21, 24, 25 और 26 को आरक्षित न होते हुए भी खाली पाया गया और न ही वहाँ ऐसी कोई टिप्पणी दर्ज थी कि इन पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पाइन्ट संख्या 31 भी खाली पायी गयी थी। 1976 वर्ष के अन्त में दिये गये सार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित रिक्ति के रूप में दिखाया गया, लेकिन अनारक्षण के बाद इस रिक्ति को आगे लाया नहीं दिखाया गया।

(ख) आरक्षण के उद्देश्य से बहुत से पद—वर्ग 'ग' में एक साथ डाल दिये गये थे, जिसमें प्रोजैक्टमैन, मैकेनिक 'ए', फिटर जनरल 'ए', क्लर्क 'ए' (लेखा) और इन्सपेक्टर 'बी' (विनिर्माण निरीक्षण) आदि शामिल थे। दूसरे रोस्टरों की तरह यह रोस्टर भी 1973 के बाद के वर्षों से रखा गया था। पाइन्ट संख्या 4 जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, उसे खाली छोड़ दिया गया था। टिप्पणी वाले खाने में लिखा गया था कि पद सेवाई प्रभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है। विवरणिका के परिशिष्ट 5 के अनुदेश का संदर्भ देते हुए अधिकारियों को स्थिति समझा दी गयी। पाइन्ट संख्या 8 (गैर-आरक्षित), संख्या 9 (अनुसूचित

जाति), और पाइन्ट संख्या 11 (गैर-आरक्षित) भी खाली दिखाये गये थे ।

(ग) विभिन्न ग्रेडों वाले पद आरक्षण आदेशों लिहाज से एक ही वर्ग में डाल दिये गये थे, जो नियमों के अनुसार ठीक नहीं था । पदोन्नति का रोस्टर केवल 1976 से रखा गया था, जबकि यह पता चला कि दिसम्बर,1975 में मुख्य कार्यालय मे प्रभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण संबंधी आदेश प्राप्त हो गये थे ।

(घ) 1977 के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पदों की एक बहुत बड़ी संख्या अनारक्षित कर दी गयी थी, किन्तु संबंधित रोस्टरों में इस का कोई उल्लेख नहीं किया गया था । अधिकारियों से बातचीत के दौरान अध्ययन-दल को सूचित किया गया कि सितम्बर, 1977 तक अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के अनुपलब्ध होने पर अना-रक्षण कराया जाता रहा था, लेकिन उसके बाद प्रबंध ने निर्णय लिया था कि अनारक्षण प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले दूसरे प्रभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को ढूंढा जाये और यदि एक समूह के किसी भी प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार न मिले तो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के दूसरे समूहों में उन्हें ढूंढने के प्रयास किये जायें । इसके बाद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जायेंगे । सभी स्रोतों से ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अनारक्षण की अनुमति दी जावेगी ।

(च) 1977 से पहले के विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता देने का कोई उल्लेख नही किया जाता था । किन्तु हाल के विज्ञापनों में इस तरह की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था ।

(iii) सेवाई प्रभाग :

यह प्रभाग 1973 तक सभी प्रभागों के लिए केन्द्रीय रूप से रोस्टर रखता था । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (सेवाई प्रभाग) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों पर किस सीमा तक अमल किया जा रहा है, यह जानने के लिए अध्ययन-दल ने रिपोर्टों, विभिन्न विवरणो और रोस्टरों आदि का अध्य-यन किया । निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ नीचे दी जाती है :

(क) 1976 वर्ष की निरीक्षण रिपोर्ट में प्रेषित कमियों को सार रूप में दिया गया था ।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन वैसे तो सही हालत में थे, किन्तु कुछ मामलों में आयु-सीमा में छूट का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ था । पदोन्नति विज्ञापनों से संबंधित जारी किये गये आन्तरिक परिपत्रों में उपलब्ध कुल रिक्तियों की वास्तविक संख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का उल्लेख नही किया गया था ।

(ग) हाल ही में प्रबन्ध ने यह निर्णय लिया कि किसी समूह विशेष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में उन्हें हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के देश के दूसरे भागों में स्थित दूसरे समूहों में ढूंढने के प्रयास किये जायें । यदि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने में सफलता न मिले तो ऐसे पदों के अनारक्षण के प्रस्ताव प्रबन्ध के पास भेजे जायें ।

(घ) सहायक इंजिनियरों (ग्रेड I) में पदों, जिनका वेतन-मान रु० 600—900 है, में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में 4 प्रतिशत की कमी थी । जब तक निम्नतर ग्रेड़ों में काम कर रहे मौजूदा अमले को कुछ छूटें और प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं दी जायेंगी, तब तक उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि होने की संभावनाएं बहुत कम हैं ।

(च) बहुत से जाति-प्रमाण पत्रों की संवीक्षा की गयी और देखा गया कि अधिकांश प्रमाण पत्र बंगलौर के तह-सीलदार ने जारी किये थे और उन में जातियों/जन जातियों के नाम तक नहीं दिये गये थे ।

(छ) पदोन्नति के रोस्टर के निरीक्षण से पता चला कि विभिन्न वेतनमानों तथा विभिन्न किस्म के कार्यों वाले अनेक पद एक ही वर्ग में डाल दिये गये थे । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था । संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा गया कि विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रोस्टर रखने होंगे, क्योंकि नियमों के अधीन पदोन्नति में पदों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं है ।

(ज) मददगार, वाच ब्वाय, आया, झाड़ूकश/अपमार्जक, संदेहवाहक आदि जैसे पदों वाले वर्ग 'क' 1970 और 1971 के वर्षों की भर्ती के रोस्टर में केवल पाइन्ट संख्या 4, 30 और 11 के सामने ही प्रविष्टियाँ दिखायी गयी थीं । बताया गया कि वह पद पिछले वर्षों के थे और इन पर भर्ती की कार्रवाई 1970 और 1971 के वर्षों तक चली थी । संबंधित अधिकारियों को बताया गया कि रोस्टर में प्रविष्टियां निरन्तर क्रम में रखनी चाहिएं और जब कभी कोई प्रविष्टि किसी विशेष समय पर न भरी जा सके तो अगले नियुक्त व्यक्ति को गैर आरक्षित पाइन्ट पर दिखाया जाना चाहिए और उसके साथ रिक्तियों के समायोजन से संबंधित उप-युक्त टिप्पणी भी दे देनी चाहिए । 1972, 1973 और 1974 के वर्षों के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई थी । वर्ष के अन्त में दिये गये सार में यथादर्शित पिछले वर्षों की आगे लायी गयी रिक्तियों समेत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरा भर दिया गया था । आगे 1976 और 1977 के वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति से लगभग सभी रिक्तियों को पूरा कर लिया गया था । 1977 के वर्ष में पाइन्ट संख्या 83 पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित रिक्ति को खाली दिखाया गया था । बताया गया कि इस पर भर्ती की कार्रवाई अभी तक चल रही है ।

(झ) काम्पटोमीटर आपरेटर—'ए', ड्राफ्टसमैन 'ए', वरिष्ठ क्लर्क, प्रोजेक्ट मैन 'ए' और स्टोरकीपर आदि के वर्ग 'घ' के पदों के रोस्टर में पहले के 1970 और 1972 के वर्षों में पाइन्टों को निरन्तर क्रम में नहीं रखा गया था, जैसा कि ऊपर वर्ग 'क' के पदों के मामले में बताया गया था । 1973 वर्ष के बाद से भर्ती निरन्तर पाइन्टों पर दिखायी गयी थी ।

(ट) वर्ग 'ख' के पदों के रोस्टर में भी वही कमियाँ पायी गयीं, जो वर्ग 'क' के रोस्टर म मिली थीं । रोस्टर में पाइन्ट खाली छोड़ दिये गये थे और बाद के वर्षों में नियुक्त व्यक्तियों को पिछले वर्षों में दिखाया गया था ।

अनुबंध 1

1 जनवरी, 1978 को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बताने वाला विवरण

प्रभाग	प्रथम श्रेणी (वर्ग क) प्रतिशतता		द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख) प्रतिशतता		तृतीय श्रेणी (वर्ग ग) प्रतिशतता		चतुर्थ श्रेणी (वर्ग घ) (झाड़ूकशों को छोड़कर) प्रतिशतता	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० (1-1-77 को सभी समूह)	1.78	..	4.13	0.48	10.31	1.46	24.84	3.36
बंगलौर समूह में इंजिन प्रभाग (1-1-78 को स्थिति)	3.4	1.1	4.8	10.0	9.9	10.0	26.2	4.2
बंगलौर समूह में वायुयान प्रभाग (1-1-78 को स्थिति)	6.6	..	4.3	0.4	12.0	0.14	25.0	2.2
बंगलौर समूह में सेवाई प्रभाग			—सूचना उपलब्ध नहीं की गयी—					

अनुबन्ध 2

1975, 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में भर्ती-स्थिति बताने वाला विवरण

प्रभाग		प्रथम श्रेणी (वर्ग क)			द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख)			तृतीय श्रेणी (वर्ग ग)			चतुर्थ श्रेणी (वर्ग घ) (झाड़ूकशों को छोड़कर)		
		कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० (सभी समूह)	1975	124	19	3	69	7	3	1,479	234	111	175	46	19
	1976	44	7	..	301	41	10	742	141	30	205	47	13
	1977	—सूचना उपलब्ध नहीं—											
इंजिन प्रभाग (बंगलौर समूह)	1975	6	..	..	10	..	1	47	10	10	..	..	..
	1976	..	..	..	10	2	2	14	3	..	18	4	..
	1977	..	..	..	22	4	1	23	4	3	26	4	6

योग (सभी ग्रेड/वर्ग*)

प्रभाग		कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वायुयान प्रभाग	1975	38	7	2
—वही—	1976	43	10	2
	1977	50	7	2
सेवाई प्रभाग —वही—		—प्रभाग न सूचना उपलब्ध नहीं करायी—		

*पृथक सूचना नहीं दी ।

अनुबन्ध 3

1975, 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० में पदोन्नतियों की स्थिति बताने वाला विवरण

प्रभाग		प्रथम श्रेणी			द्वितीय श्रेणी			तृतीय श्रेणी			चतुर्थ श्रेणी		
		कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	कुल जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति
(क) वरिष्ठता और योग्यता													
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० (सभी समूह)	1974	240	1	..	296	1	..	3,071	241	40	..	..	..
	1975	298	1	..	255	5	..	1,900	172	22	..	..	..
	1976	83	1	..	277	14	3	2,258	337	65	..	..	..
इंजिन प्रभाग	1975	..	..	..	12	..	..	129	8	..	..	..	..
	1976	..	..	..	8	1	..	61	..	1	..	..	..
	1977	..	..	..	8	2	..	120	17	4	..	..	..
वायुयान प्रभाग तीन					20	3	1	104	14	2	61	7	1
वर्षों का संयुक्त सेवाई प्रभाग					—सूचना नहीं दी गयी—								
(ख) प्रवरण													
इंजिन प्रभाग	1975	2	..	..	17	..	..	119	10	..	..	..	..
	1976	2	..	..	17	2	..	39	7	1	..	..	..
	1977	5	1	1	15	2	..	159	21	4	..	..	..
वायुयान प्रभाग	1975	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1976	1	..	..	14	3	..	89	18	2	..	..	..
	1977	26	3	..	18	..	..	173	29	1	..	..	..

परिशिष्ट 20

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.21)

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन

15 और 16 सितम्बर, 1978 को अध्ययन दल ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग का दौरा किया। इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और श्री बी० एम० मसन्द सम्मिलित थे। अध्ययन दल ने महाप्रबन्धक श्री बी० एन० भंडारी, वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक श्री ए० के० वर्मा, कार्मिक अधिकारी श्री एन० के० दीक्षित और अन्य अधिकारियों से भेंट की और उस संगठन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को प्रदत्त सेवा सुरक्षण के उपायों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। संबंधित अधिकारियों ने दल को पूर्ण सहयोग दिया, जिससे वह वस्तुपरक अध्ययन करने में सफल हुआ।

ज्ञात हुआ कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का कानपुर प्रभाग 1964 में स्थापित किया गया था, किन्तु सीधी भर्ती के पदों के आरक्षण संबंधी आदेश रक्षा मंत्रालय से राष्ट्रपति द्वारा जारी, निर्देश प्राप्ति के बाद ही 21 मार्च, 1970 से लागू किये गये थे। 21 मार्च, 1978 के बाद से की गयी भर्ती रोस्टरों में दिखायी गयी है, किन्तु जनशक्ति समिति द्वारा इस प्रभाग की स्थापना में धीरे-धीरे कमी करने की सिफारिश के फलस्वरूप 1976 में आगे भर्ती का काम रोक दिया गया था। जनशक्ति योजना समिति ने तो समय-समय पर कुल नफरी को उच्चतर सीमा की भी सिफारिश की थी। उस समय यहां की कुल नफरी 3,400 थी।

जनशक्ति योजना समिति के आगे भर्ती पर पाबन्दी के निर्णय के औचित्य पर विचार करने का हमारा कोई इरादा नही। किन्तु देखा यह गया कि अधिकांश गैर-आरक्षित पाइन्टों पर भर्ती की कार्रवाई 1970 वर्ष के दौरान पूरी कर ली गयी थी, जबकि आरक्षित रिक्तियों की एक बहुत बड़ी संख्या पर भर्ती का काम लम्बे समय तक जारी रहा। वर्ग 'ख' और 'ग' के पदों के मामले में देखा गया कि आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के काम में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लगाया गया। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के प्रवरण को अन्तिम रूप देते देते प्रभाग में भर्ती पर प्रतिबन्ध संबंधी आदेश आ पहुंचे और अन्ततः कुठाराघात हुआ इस पाबन्दी का आरक्षित पाइन्टों पर।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कार्मिक उपाध्यक्ष ने 1975 वर्ष को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और 29 अक्तुबर, 1977 के परिपत्र में इस विलम्ब का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था कि केवल उन्हीं रिक्तियों को रोस्टर में दर्ज किया गया था, जिन्हें भरा जाना था और ऐसा नही हो सकता था कि केवल आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने से ही प्रतिबन्ध की सीमा आगे बढ़ जाती। उन्होंने आरोप तक लगाया कि पिछले वर्षों के दौरान रोस्टर में दर्ज आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी और वे अभी तक नहीं भर गयी हैं। इस तथ्य की छानबीन और इस विलम्ब का दायित्व तय करना जरूरी है, क्योंकि इस के फलस्वरूप कानपुर प्रभाग में अमले की नफरी पर लगे प्रतिबन्ध के कारण अधिकांश आरक्षित रिक्तियाँ व्ययगमित हो गयी थीं।

3,400 की प्रतिबन्ध सीमा के संदर्भ में, 1 जनवरी, 1978 को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग में मौजूदा वास्तविक नफरी 3,355 थीं, जबकि संस्वीकृत नफरी 3,734 थी। बड़े खेद की बात है कि पूरे संगठन में तृतीय श्रेणी के एक पद पर अनुसूचित जनजाति का मात्र एक कर्मचारी कार्यरत था। यह सच होते हुए भी कि यह प्रभाग उत्तर प्रदेश में स्थित है जहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या केवल 0.22 प्रतिशत है, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को भारत सरकार के एक उपक्रम के नाते अपनी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए थे। उसे ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के खूब विज्ञापन देने चाहिए थे, जहाँ अनुसूचित जातियाँ बहुत संख्या में हैं और साथ ही उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ छूटें और रियायतें भी चारित करनी चाहिएं थी ताकि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति अपनी अगतिशीलता त्याग कर आगे आते।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर प्रभाग में प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। प्रथम श्रेणी के पदों में मात्र एक और द्वितीय श्रेणी में केवल दो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि तृतीय श्रेणी में भी अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व लगभग 5 प्रतिशत है जिससे परिलक्षित होता है कि प्रबंध ने प्रभाग के वर्षों में भी इस दिशा में प्रयत्न नहीं किये थे।

इसलिए अध्ययन दल जोरदार सिफारिश करता है कि प्रबन्ध इस प्रभाग में भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किये गये अन्याय को दूर करने के लिए तुरन्त निम्नलिखित कदम उठाये :—

(1) जनशक्ति योजना समिति द्वारा कार्मिकों की भर्ती पर लगायी गयी पाबन्दी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए इतनी ढील दी जानी चाहिए कि विभिन्न ग्रेड़ों में इकट्ठी हो गयी आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके (भारतीय व्यापार निगम में यही किया जा रहा है, जो वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक सरकारी उपक्रम ही है)।

(2) सीधी भर्ती और पदोन्नति में सभी भावी रिक्तियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया जावे और जब भी वे न मिल सकें तो निर्धारित पद्धति का अनुसरण करने के बाद इन रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जाये। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/3/73-एस्ट० (एस० सी० टी०-1) दिनांक 27 दिसम्बर, 1977 में निहित अनुदेशों के संदर्भ में अब ऐसा करना संभव है। इस ज्ञापन की एक प्रति प्रबंध को दे दी गयी थी। इसी तरह के उपायों पर भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी अमल किया है, जो रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का समवर्ती संगठन है। यही उपाय कार्मिक उपाध्यक्ष ने अपने 29 अक्तुबर, 1977 के परिपत्र में मद संख्या (9) पर सुझाया था।

(3) यदि पदोन्नति के अवसर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार शैक्षिक अर्हताएं पूरी करते मिलें, लेकिन उस लाइन में अपेक्षित अनुभव से रहित हों तो ऐसे व्यक्तियों को उस लाइन का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक यह व्यक्ति प्रशिक्षित न हो जायें, तब तक ऐसी रिक्तियाँ भरी न जायें।

(4) मुख्य कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में स्तर तक आने में असफल हो जाय तो उनके मामले पुनरीक्षण के लिए प्रबंध के पास भेजे जायें। प्रबंध केवल ऐसे दो मामले ही बता सका, जिनमें रियायत दी गयी थी। किन्तु अध्ययन दल ने पाया कि अनुसूचित जाति के उस कर्मचारी के मामले पर सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिए था, जिसके साक्षात्कार में मूल्यांकन में केवल 2 अंक कम थे। संबंधित कर्मचारी को न केवल पदोन्नति से वंचित किया गया, बल्कि दूसरी जातियों के उससे कनिष्ट व्यक्तियों को उसके ऊपर पदोन्नत कर दिया गया। ऐसे मामले में प्रबंध को नर्म रवैये से काम लेना चाहिए था ताकि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा जा सके। अधिक्रमण के मामले नियमों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी के पास भेजे जाने चाहिएं।

(5) जब निवेशी-संवर्ग में अपेक्षित अर्हताओं वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति न मिल सकें तो पदोन्नति पदों में उनके लिए आरक्षित कोटा स्पष्टतः उनके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसे मामलों में रिक्तियों का एक भाग विशेष सीधी भर्ती के लिए खुला छोड़ देना चाहिए ताकि खुले बाजार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इन आरक्षित रिक्तियों में प्रवरण द्वारा आने का अवसर मिल सके।

पदों का वर्गीकरण

आरक्षण आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से वर्गीकृत पदों की सूची देख कर पता चला कि विभिन्न कार्य वर्गों से संबंधित पदों को एक साथ वर्गों में डाल दिया गया है। यहां तक कि झाड़ूकशों/अपमार्जकों के पदों को वर्ग 'क' में शामिल कर दिया गया था, जिसमें अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे। वर्गीकरण की यह पद्धति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध पड़ती है। इसका कारण यह है कि जब वे कुशल और अर्ध कुशल पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए नहीं मिलते हैं तो उनका प्रवेश केवल कुछ निम्नतर ग्रेडों तक सीमित रह जाता है। सुझाव है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए, आरक्षण आदेश पर अमल करने के हेतु पद वर्गीकरण का यह तरीका उसी स्थिति में अपनाया जाये, जब पद अलग-अलग किस्म के हों और जब संवर्ग 20 पदों से कम का छोटा हो। अगर किसी संवर्ग में 20 से अधिक पद हों तो ऐसे पद के लिए अलग रोस्टर रखना उचित रहता है। जब इस तरह से अलग-अलग रोस्टर रखे जाते हैं तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष पदों पर ले जाने जैसी छलपूर्ण हरकत की कोई गुंजाईश नहीं रहेगी, जिनमें उच्चतर ग्रेड़ों पर पदोन्नति की संभावनाएँ सीमित हो सकती हैं। पदों की तकनीकी और गैर तकनीकी शिल्पों में भी एक दूसरे से एकदम भिन्न शिल्पों को इकट्ठा कर दिया गया था। उदाहरणार्थ, वर्ग 'ग' में चल क्रेन आपरेटर या ट्रैक्टर चालक का कार्य किसी भी दृष्टि से स्टाफ नर्स या सहायक स्टोरकीपर या टेलीफोन आपरेटर के कार्य से मेल नहीं खाता। इसी तरह प्रथम श्रेणी में कार्मिक सहायक, सहायक इंजीनियर (विभिन्न कार्य वर्गों में), सहायक सुरक्षा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी आदि के पदों के कार्य आवश्यकताएं एकदम भिन्न हैं।

उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए हर कार्य-वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का कोटा पूरा करने के लिए अध्ययन-दल ने निम्नलिखित सुझाव देता है :—

(1) झाड़ूकशों और अपमार्जकों के पद वर्ग 'क' से अलग कर देने चाहिए।

(2) वर्ग 'क' के अन्य पदों और दूसरे वर्गों के पदों के ऐसे संवर्गों के लिए अलग रोस्टर रखे जायें, जिनकी नफरी 20 हो या जिनमें पदों की संख्या 20 से अधिक हो।

(3) 20 से अधिक पदों के संवर्गों के लिए अलग-अलग रोस्टर रखने के बाद भी मुख्य कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का विभिन्न कार्य वर्गों में आवर्तन जारी रखा जाये ताकि एक सी मूल शैक्षिक अर्हताओं वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सभी कार्य वर्गों में उपयुक्त हिस्सा पाने के पर्याप्त अवसर मिलें। इस उद्देश्य के लिए उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के बाद उन्हें विभिन्न शिल्पों/कार्य-वर्गों में आवर्तित रखा जाये ताकि उन्हें आवश्यक अनुभव प्राप्त हो जाये।

सम्पर्क अधिकारी

कानपुर प्रभाग के लिए स्थानीय सम्पर्क अधिकारी के रूप में वरिष्ठ प्रशासन-प्रबन्धक श्री ए० के० वर्मा नामित थे, किन्तु रोस्टरों के निरीक्षण का काम हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कार्मिक उपाध्यक्ष श्री बी० के० मिश्र ने किया था। 1974 और 1975 की अवधियों के लिए सम्पर्क अधिकारी की रिपोर्टें आलोचनात्मक थीं और 1975 वर्ष की रिपोर्ट में उन्होंने बहुत से उपयोगी सुझाव और टिप्पणियाँ प्रस्तुत की थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पर्क अधिकारी द्वारा आरक्षण नियमों/आदेशों के कार्यान्वयन में रह गयी उन कमियों को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया था। महसूस किया गया कि सम्पर्क अधिकारी द्वारा रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण का कोई अर्थ नहीं रहता, अगर ऐसी रिपोर्टों पर आगे उचित कार्रवाई नहीं की जाती। अनुभव किया गया कि सम्पर्क अधिकारी अगली रिपोर्ट पर काम शुरू करने से पहले अपनी पहले की रिपोर्टों पर अनुसरणात्मक कार्रवाई करने पर जोर दें और अपनी अगली रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख करें।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य की देखभाल करने के लिए कोई विशेष सैल नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई पृथक रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है। प्रभाग की घटी हुई मौजूदा नफरी (3400) के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य को देखने के लिए एक विशेष सैल स्थापित करने का औचित्य स्पष्ट है। ऐसे सैल पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी मामले में भर्ती करने वाले प्राधिकारियों के कार्य पर निगरानी रखने तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतें निपटाने के अलावा आवश्यक आंकड़े तैयार रखने का दायित्व भी डाला जा सकता है।

पदोन्नति-नीति

अध्ययन-दल को बताया गया कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग में पदोन्नति के मामले में ग्रेड 1 और उससे नीचे के पदों के लिए अपेक्षित योग्यता-स्तर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाती थी। ग्रेड 2 और उससे ऊपर ग्रेड़ों में पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित गुणावगुण के आधार पर की गयी थीं लेकिन ग्रेड 4 और उससे ऊपर की पदोन्नतियों का कार्य 1975 में मुख्य कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

यह देख कर आश्चर्य हुआ कि ग्रेड 1 और उससे ऊपर पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के

आदेश 1 दिसम्बर, 1975 से लागू किये गये थे और ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3 में पदोन्नतियों में 1 अक्तुबर, 1976 से, हालांकि भारत सरकार ने योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों के संबंध में 27 नवम्बर, 1972 और प्रवरण के आधार पर पदोन्नतियों के संबंध में 20 जुलाई, 1974 को ही आदेश जारी कर दिये थे । इसलिए पिछली तारीखों से पदोन्नति -पदों में पिछले वर्षों से जमा होते आये आरक्षित पदों का परिकलन आवश्यक है । इसके लिए उन रिक्तियों पर आरक्षण लागू करना पड़ेगा, जो इन तारीखों के बाद घटित हुई और 27 दिसम्बर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन में निहित भारत सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की रिक्तियाँ भविष्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को देनी होंगी ।

29 अक्तुबर, 1977 के मुख्य कार्यालय के परिपत्र में उल्लिखित किया गया था कि सीधी भर्ती के रोस्टर में दर्ज आरक्षित रिक्तियों को बाद में पदोन्नत-रिक्तियों में बदल दिया गया था । सम्पर्क अधिकारी (कार्मिक उपाध्यक्ष) ने विचार व्यक्त किया था कि एक मर्तबा किसी रिक्ति के विशेष रोस्टर में दर्ज कर दिये जाने के बाद उस पर उसी रोस्टर की आवश्यकताओं के अनुसार काम होना चाहिए । यही बात रोस्टरों का अध्ययन करते समय दल ने देखी थी । उदाहरणार्थ, सीधी भर्ती के वर्ग 'ग' के रोस्टर में क्रम संख्या 5 और 7 के जो पाइन्ट 1974 के वर्ष में भर लिए गये थे, उन्हें पदोन्नति से भरा दिखाया गया । प्रबंध ने स्पष्ट किया कि बाहरी भर्ती पर पाबन्दी लगी होने के कारण आशु-लिपि में प्रवीणता रखने वाले आन्तरिक उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया था । ऐसी नियुक्तियों को पदोन्नतियों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती के नियमों के अनुसार जिस संवर्ग से यह व्यक्ति नियुक्त किये गये थे, वह आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए निवेशी संवर्ग नहीं बनता था । इस तरह की नियुक्तियाँ सीधी भर्ती की नियुक्तियाँ मानी जानी चाहिएँ और उनके नाम सीधी भर्ती के रोस्टर में दर्ज होने चाहिए । इन पाइन्टों को खाली रखना और पदोन्नति से भरा नहीं दिखाना चाहिए था ।

आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण

आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण संबंधी फाईलों की संवीक्षा से पता चला कि आरक्षण-पद्धति का अनुपालन किया गया था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी को उन स्थितियों से विस्तृत रूप से अवगत नहीं कराया गया था जिनके कारण अनारक्षण का कदम उठाना पड़ा था । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आकर्षित करने के लिए उठाये गये कदम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या और उनके न चुने जाने के कारण आदि जैसे तथ्य नहीं दिये गये थे । इस संबंध में प्रबंध का ध्यान उन प्रपत्रों की ओर दिलाया जाता है, जो कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 28/14/74-एस्टे० (एस० सी० टी०) दिनांक 12 जलाई, 1976 में निर्दिष्ट हैं । यह भी देखा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षित रिक्तियों का विनिमय नहीं किया गया, जबकि कुछ रिक्तियाँ व्ययगमित होने जा रही थीं और इस विषय में निर्धारित पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था । सम्पर्क अधिकारी ने 1975 के वर्ष की अपनी रिपोर्ट में इस त्रुटि को भी उजागर किया था । सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षित रिक्तियों के विनियम के नियम को इनके व्ययगमन से पहले अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए ।

भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार न भरी गयी जिन आरक्षित रिक्तियों को, आगे के भर्ती वर्षों में लाया जा रहा हो, उन्हें अगले ही वर्ष में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मिलते ही पहले भर लिया जाना चाहिए । वास्तव में सही पद्धति है कि रोस्टर में पिछले वर्षों से आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों में गैर रक्षित पाइन्टों पर अन्तर्वेशित कर देना चाहिए । अगर ऐसा किया जाता है तो उस वर्ष उपलब्ध कुल आरक्षण (साम्प्रतिक और आगे लाया गया) की झलक मिलेगी । पहले की आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध उम्मीदवारों का समायोजन किया जाए । फिर अनारक्षण पद्धति का अनुसरण करने के बाद वर्तमान रिक्तियों को आगे ले जाया जा सकता है । ध्यान दें कि आरक्षण वर्तमान और पिछले वर्षों को उन आरक्षित रिक्तियों का भी कराया जायेगा, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिलने पर तब तक नहीं भरी गयी थीं ।

30-9-1977 को मुख्य कार्यालय के परिपत्र सं० एच० ए० एल० /पी० ओ०/26 (17)-ए०/वाल्यू० 1/17767 में व्यवस्था थी कि यदि ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक में आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कर्मचारी न मिलें तो ऐसी रिक्तियों की अधिसूचना कंपनी के सभी प्रभागों/कार्यालयों को भेज देनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गये हों । इसके बाद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ही इस प्रकार की रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्ताव मुख्य कार्यालय को भेजने चाहिएं । इस सिलसिले में हाल ही में कार्मिक अधिकारी (ग्रेड 1) के पद पर प्रवरण संबंधी मिसिल देखी गयी और उसमें पाया गया कि सभी प्रभागों ने अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिया था । कुछ प्रभागों में ग्रेड 1 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार कतई उपलब्ध नहीं थे और कुछ अन्य प्रभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी उम्मीदवार ने इस परिपत्र के प्रत्युत्तर में आवेदन नहीं किया था । इस संबंध में संकेतित किया जा सकता है कि ग्रेड 1 और उससे ऊपर के ग्रेडों में सीधी भर्ती से रिक्तियाँ बहुत ही कम संख्या में भरी जाने के कारण दूसरे प्रभागों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है । तृतीय श्रेणी के निम्नतर पदों, अर्थात् क से च वर्गों में, बाहरी भर्ती पर वर्तमान प्रतिबन्ध से पहले बाहर से भरती भारी संख्या में की गयी थी, इसलिए इन पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिल सकते हैं । इसलिए सुझाव है कि दिनांक 30-9-1977 के मुख्य कार्यालय के परिपत्र में जिन आदेशों का हवाला दिया गया था, उन्हें वर्ग क से च तक के वर्गों में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर लागू कर दिया जाये ।

रोस्टरस

रोस्टरों की जाँच से निम्नलिखित अनियमितताएँ/कमियाँ सामने आयी :

(1) रोस्टरों को पदवार न रखकर ग्रेडवार और वर्ग वार रखा गया था, जबकि नियमानुसार स्वतंत्र रोस्टर रखे जाने के लिए कुछ पदों में 20 से अधिक की नफरी मौजूद थी ।

(2) रोस्टर में पाइन्टों की एक बहुत बड़ी संख्या खाली पायी गयी, जबकि संपर्क अधिकारी ने 1974, 1975 और 1976 के वर्षों को अपनी निरीक्षण रिपोर्टों में लिख रखा था कि कोई पाइन्ट खाली नहीं छोड़ा गया है ।

रोस्टर में पाइन्टों को लगातार कई वर्षों तक खाली नहीं रखा जा सकता, चाहे इस संबंध में कितना ही कहा जाये कि कार्रवाई चल रही है । यदि किसी कारण से पद समाप्त किया जाये या मुख्य कार्यालय या सम्पर्क कार्यालय को स्थानान्तरित किया जाये तो प्रवरण को अन्तिम रूप देने के समय तक इन पाइन्टों को अगले व्यक्ति से भरा हुआ दिखाया जाये और यदि पद आरक्षित पाइन्ट पर पड़ रहा हो तो आवश्यकता होने पर पद के अनारक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन ले लिया जाये ।

(3) रोस्टरों में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे लायी गयी स्थिति संकेतित नहीं थी, विशेषकर पिछले वर्षों में की गयी नियुक्तियों और भरी गयी रिक्तियों तथा आगे लायी गयी रिक्तियों के सार केवल 1975 और उससे आगे के वर्षों के ही दिये गये थे, किन्तु 1977 वर्ष का सार तैयार ही नहीं किया गया था ।

(4) पिछले वर्षों की रिक्तियों को पहले भरने की पद्धति से काम नहीं लिया गया था ।

(5) पदोन्नत पदों के रोस्टर विभिन्न कार्य-वर्गों/शिल्पों के लिए संयुक्त रूप से रखे गये थे, जो कि नियम विरुद्ध है । भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति पदों के रोस्टर हर पद के लिए अलग रखा जाना चाहिए ।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग को तकनीकी शिल्पों में कुल 209, वाणिज्य शिल्पों (बही खाता पद्धति, स्टोरकीपर और लिपिक) में 49, 12 स्नातक और 31 तकनीशियन (डिप्लोमाधारी) प्रशिक्षु प्रशिक्षित करना जरूरी है । इन सभी वर्गों में अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान के आरक्षण की व्यवस्था है । फरवरी, 1978 के दौरान नियोजित प्रशिक्षुओं के बारे में अध्ययन दल को निम्नलिखित सूचना दी गयी ।

शिल्प	कुल	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जनजातियाँ
तकनीकी शिल्प	202(209)	32 (लगभग 40)	2 (लगभग 10)
वाणिज्य शिल्प	40(49)	5(8) —	..(2)
स्नातक	3(12)	..	..
तकनीशियन (डिप्लोमाधारी)	28(31)	4(लगभग 6)	..

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये अंक खाना 2 में प्राधिकृत नफरी और खाने 3 और 4 में स्थान आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अरक्षित स्थानों की अपेक्षित संख्या बताते हैं ।

यह देखा जा सकता है कि 1977 के वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के 53 और अनुसूचित जनजातियों के एक उम्मीदवार को प्रशिक्षण दिया गया था, जबकि अनुसूचित जातियों के कुल प्रशिक्षु 41 और अनुसूचित जनजातियों के केवल 2 प्रशिक्षु थे । यह भी ज्ञात हुआ कि 1-1-1975 से 28-2-1978 तक की अवधि में कुल 804 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें से अनुसूचित जातियों के 110 और अनुसूचित जनजातियों के केवल 3 ही प्रशिक्षु थे ।

उल्लेखनीय तथ्य

कर्मचारियों के कमजोर वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के प्रबंध के प्रयत्नों के अन्तर्गत झाड़ूकश, अपमार्जक, मददगारों तथा संदेशवाहकों जैसे निम्नतम वर्गों में कार्यरत 26 कर्मचारियों को पिछले दो वर्षों में पदोन्नत किया गया था । इन में से 8 अनुसूचित जातियों के थे । एक अपमार्जक के लिपिक के पद पर पदोन्नति के मामले को समाचार पत्रों में खूब प्रचारित किया गया था ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर समुदायों के कर्मचारियों का आत्मबल बढ़े ।

प्रबन्ध ने एक ऐसी योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत वर्ग 'क' में काम करने वाले कर्मचारियों को टंकण और आशुलिपिक के प्रशिक्षण की सुविधा दी गयी । कर्मचारी द्वारा गैर सरकारी वाणिज्य संस्थानों में टंकण सीखने के लिए 6 महीने तक खर्च की गयी राशि को 10 रुपये प्रतिमास और आशुलिपि सीखने के लिए 12 महीने तक खर्च की गयी राशि की 20 रुपये प्रतिमास की दर से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है । अध्ययन दल को दी गयी सूचना के अनुसार यह योजना 1-12-1976 में प्रारम्भ की गयी थी । किन्तु 1977 में इस योजना के अन्तर्गत केवल 4 व्यक्तियों ने लाभ उठाया और उन 4 में से भी केवल एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का था । प्रशिक्षितों में से किसी को भी अभी तक उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर से भर्ती पर पाबन्दी के कारण प्रबन्ध ने एक अच्छी योजना का सूत्रपात किया था, ताकि इसके अन्तर्गत लिपिक-टंकक के पदों की रिक्तियां भरने के लिए कम वेतन वाले कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके । किन्तु यह योजना अभी तक कोई विशेष सफल नहीं हो पायी है । यदि प्रबन्ध को लगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अधिक मार्ग निर्देशन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसे उनके लिए प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने में नहीं झिझकना चाहिए ताकि उनके लिए आरक्षित कोटे का पूरी तरह से भरा जाना सुनिश्चित हो सके ।

विभागीय पदोन्नति समिति/प्रवरण मंडल की बैठकें

यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के कानपुर प्रभाग के प्रबंध ने विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों की ऐसी सभी बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति सदस्य के रूप में सम्मिलित किया था, जिनमें इस प्रभाग में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना था । किन्तु यह भी देखा गया कि बैठकों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी थी, जिनमें अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल नहीं किये गये थे, संभवतः इसीलिए कि उन बैठकों में केवल सामान्य उम्मीदवारों पर विचार किया गया था । इसकी कल्पना करना ही कठिन प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में भारी अपावशिष्ट होने के बावजूद ऐसा अवसर भी हो सकता था, जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षित रिक्ति न होती—बशर्ते आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने के अन्तर्वेशन संबंधी नियम और भर्ती/पदोन्नति के हर वर्ष में आरक्षण पद्धति का अनुसरण किया गया होता ।

विज्ञापन/रोजगार कार्यालयों को मांग

पिछले वर्षों में रोजगार कार्यालयों और समाचार पत्रों को भर्ती की मांग भेजते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हितों की अधिक सुरक्षण नहीं दिया गया था । 1975 तक तो अधिकांश मांगों में आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अनुमेय छूटों का वास्तविक स्वरूप उजागर तक नहीं किया गया था । किन्तु 1976 में मांग-पत्रों में अधिक सूचनाएं दी गयी सिफारिश की जाती है कि मांग पत्र भेजते समय सुनिश्चित कर लें कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव में छूट, सब से छोटे मार्ग से रेल/बस यात्रा व्यय के भुगतान आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । यदि स्थानीय/प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उम्मीदवारों के नाम ही न भेजे तो केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को लिखा जाये और अन्त में ऐसे प्रादेशिक/स्थानीय समाचार पत्रों (अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा, दोनों के) में विज्ञापन दिये जायें जिनका वितरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में बहुत अधिक होता हो । दूरस्थ आदि

वासी क्षेत्रों से आने वालों को आवास जैसी सुविधाएं दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। समाचार पत्रों की वर्तमान सूची में इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेटसमैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण हैं। यह सूची संपूर्ण नहीं।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र

अनेक जाति प्रमाण पत्रों को यह देखने के लिए समीक्षा की गयी कि ऐसे प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तविक व्यक्तियों को जारी किय गये हैं और प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितो को सुरक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी (लिपिक) के मामले में देखा गया कि उसका जाति-प्रमाण पत्र कानपुर के जिला-मजिस्ट्रेट की ओर से कानपुर के सहायक कलक्टर द्वारा जारी किया गया था। अनुसूचित जाति के एक और कर्मचारी (मास्टर तकनीशियन) ने ग्राम प्रधान द्वारा 1971 में जारी प्रमाण पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि उम्मीदवार गोंडा जिले की पासी जाति का है। वर्ग 'ख' ग्रेड में काम कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी का दावा था कि वह 'हेला' जाति का है। उससे जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी वैयक्तिक मिसिल को देखने से पता चला कि अध्ययन-दल के दौरे पर आने के समय तक उस ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उसी ग्रेड में कार्यरत अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने ऐसा प्रमाण पत्र पेश किया था, जिसे 1976 के वर्ष में कानपुर के सहायक जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया था और जिसमें लिखा था कि यह प्रमाण पत्र एक स्थानीय विधायक की सिफारिश पर दिया गया है। सहायक इंजिनियर के पद पर काम कर रहे अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने स्थानीय विधायक द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाया। यह 1970 में जारी किया गया था और इसमें लिखा था कि वह पासी जाति से संबंधित है। उच्च कोटि के तकनीशियन के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी के पास बिहार के मुंगेर जिले के जिला कल्याण अधिकारी द्वारा 1972 में जारी प्रमाण पत्र था, जिसमें लिखा था कि वह गोंड जनजाति का है जो बिहार में अनुसूचित जनजाति की कोटि में आती है। सुझाव है कि जिन कर्मचारियों ने अपने प्रमाण पत्र सही प्रपत्र पर प्रस्तुत नहीं किये हैं, उनसे प्रमाण पत्र पेश करने को कहा जाये या उनके मामले सत्यापन के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को भेज दिये जायें। सत्यापन रिपोर्टों की प्रतियां संबंधित कर्मचारियों की वैयक्तिक मिसिलों में लगा दी जायें ताकि अभिलेख अद्यतन बने रहें।

परिशिष्ट 21

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

16 मई और 17 मई, 1978 को भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम मूल रूप से भारतीय व्यापार निगम का ही भाग था, किन्तु 1 अक्तूबर, 1963 को इसका पृथक अस्तित्व बन गया। दूसरे उपक्रमों की तरह इस कंपनी को भी जनवरी, 1970 में अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रपति का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसलिए सीधी भर्ती के रोस्टर 1-1-1970 से रखे गये थे। योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण संबंधी आदेश भारत सरकार ने नवम्बर, 1972 में जारी किये थे और इन्हें कंपनी ने जरा सा भी विलंब किये बिना 1-4-1973 से लागू कर दिया था। (कुछ उपक्रमों में इन्हें 1975 या 1976 में लागू किया गया है)।

अध्ययन-दल में अनुसंधान अधिकारी श्री बी० एम० मसन्द और अन्वेषक कुमारी बीना राय थे, जिन्होंने वरिष्ठ महा प्रबंधक श्री एच० आर० चतुर्वेदी, संयुक्त प्रभाग प्रबंधक श्री एस० कुमार और अन्य अधिकारियों से भेंट की। इस दल को सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में प्रबंध का पूर्ण सहयोग मिला। संगत अभिलेखों और मिसिलों की जब भी आवश्यकता पड़ी, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के उपलब्ध कराया गया। इस दल को वस्तुपरक अध्ययन करने में बड़ी सहायता मिली, जिसके निष्कर्ष आगे के पैराग्राफों में प्रस्तुत किये गये हैं :

1-1-1978 को प्रतिनिधित्व-स्थिति

दल को यह समझ नहीं आया कि प्रबंध द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उचित आरक्षण की व्यवस्था के मामले में अत्यन्त उत्साह दिखाने के बावजूद 1-1-1978 को उनकी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता इतनी कम क्यों है। वर्ग क (प्रथम श्रेणी) के 95 अधिकारियों में से अनुसूचित जाति का केवल एक और वर्ग ख (द्वितीय श्रेणी) के 158 अधिकारियों में से केवल 6 अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जनजाति का है। वर्ग ग (तृतीय श्रेणी) के पदों तक की स्थिति बेहतर नहीं, क्योंकि कुल 453 कर्मचारियों में से केवल 19 अनुसूचित जातियों और केवल दो अनुसूचित जनजातियों के हैं। इस कम्पनी ने 1977 वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के तीन (वर्ग ख में एक और वर्ग ग में दो) कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

पिछले तीन वर्षों में भर्ती की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं थी। वर्ग 'ग' के पदों तक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति से पूरा नहीं किया जा सका था। वर्ग ग में 54 रिक्तियाँ थीं, जिनमें से 8 अनुसूचित जातियों और 5 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं, किन्तु अनुसूचित जाति के केवल 4 और अनुसूचित जनजाति के केवल 2 उम्मीदवार ही नियुक्त किये जा सके। 1975 से 1977 वर्षों के दौरान की गयी पदोन्नतियों में देखा गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के निवेशी-संवर्गों में अनुपलब्ध होने के कारण उनके लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं भरा गया था।

किन्तु इस विषय में बताया गया कि जहाँ तक वर्ग ग के पदों में आरक्षित रिक्तियों के पिछले वर्षों से चले आते शेष का संबंध है, विशेष कर सहायकों और कनिष्ठ सहायकों के पदों में, ऐसा नए पदों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण रिक्तियों के अनुपलब्ध होने के कारण है। इस सिलसिले में स्थिति यह है कि भारतीय व्यापार निगम में प्रबंध ने इस समस्या का हल इस तरह किया है कि आरक्षित रिक्तियों के शेष को प्रतिबन्ध के आदेशों की परिधि से बाहर लिया है। सुझाव है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम भी यही नीति अपनाये। पता चला कि सहायकों और कनिष्ट सहायकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का एक पैनल पहले से ही तैयार है और उस पैनल में से सीधे ही नियुक्तियाँ की जा सकती हैं और ऐसा करना भी चाहिए।

जहाँ तक प्रबंध-संवर्गों (प्रबंधक-II और लेखा-6) में शेष आरक्षित रिक्तियों का संबंध है, दल को बताया गया कि सीधी भर्ती के कोटे में शेष आरक्षित रिक्तियाँ अधिकतर वरिष्ठ पदों में हो हैं, क्योंकि इन के लिए उच्चतर अर्हताओं वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिले । इस तरह यह कमी चलती रहेगी और अन्त में हो सकता है कि यह शेष आरक्षित रिक्तियाँ व्यय-गमित हो जायें । लेकिन निम्नतर प्रबंध-पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार काफी बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, इसलिए उन्हें इन पदों पर भर्ती कर के इस समस्या को हल किया जा सकता है । यदि ऐसे व्यक्तियों को अभी नियुक्त कर लिया जाये तो अगले 3 से 6 वर्षों में वे वरिष्ठ पदों पर आने के पात्र बन जायेंगे ।

पदों का वर्गीकरण

अध्ययन दल को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार हर श्रेणी में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अलग-थलग पदों को उसी श्रेणी के दूसरे मिलते जुलते पदों के साथ मिला कर एक ही वर्ग में डाल दिया गया था । ऐसा करते समय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका में निहित अनुदेशों का ध्यान रखा गया था ।

संपर्क अधिकारी और विशेष प्रकोष्ट

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य को वर्तमान सम्पर्क अधिकारी (संयुक्त प्रभाग प्रबंधक श्री एस० कुमार) देख रहे हैं और उन्होंने यह कार्य नवम्बर, 1977 में अपने हाथ में लिया था । काम सम्हालने के बाद उन्होंने निगम के अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया और इन कार्यालयों में रोस्टरों का निरीक्षण किया । मुख्यालय की 1976 वर्ष की निरीक्षण रिपोर्ट देखने से पता लगा कि इससे पहले रोस्टरों का निरीक्षण कभी भी नहीं किया गया था और इसलिए 1976 की रिपोर्ट की अवधि 1970 से 1976 की रही । इस से स्पष्ट हो जाता है कि 1976 तक निगम में पदों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । यही कारण है कि विभिन्न पद-श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व में इतनी भारी कमी चली आ रही है । इसलिए सुझाव है कि प्रबंध न केवल मुख्यालय में, बल्कि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष प्रयास करे । सम्पर्क अधिकारी भी अपने अनुभव के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों का मार्ग निर्देशन करें । इसके लिए वह समय-समय पर दौरे लगा सकता है या कोई और तरीका अपना सकता है । यदि आवश्यकता हो तो विशेष प्रकोष्ट को और सुदृढ़ किया जाये, क्योंकि उसमें एक कार्यालय प्रबंधक और केवल एक सहायक ही कार्यरत हैं ताकि आंकड़े प्रस्तुत करने और पिछले शेष को पूरा करने के लिए भर्ती के विशेष अभियान से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सके । यह देख कर बड़ी दिलचस्पी उत्पन्न हुई कि कम्पनी ने अपनी 1976-77 वर्ष की रिपोर्ट में वर्ष के दौरान की गयी नियुक्तियों की संख्या और उस में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख किया था । प्रबंध को सुझाव दिया गया कि निगम में विभिन्न पद वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का और अधिक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट में भर्ती के विशेष अभियान चलाने के लिए किये गये प्रयत्न और वर्ष के अन्त में इस संबंध में हुए सुधार का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए । वार्षिक रिपोर्ट में सम्पर्क अधिकारी के अधीन विशेष प्रकोष्ट के विभिन्न कार्यकलापों पर भी प्रकाश डाला जा सकता है । पता चला कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को एक संयुक्त मिसिल में ही निपटाया जाता है, किन्तु प्रबंध ने शिकायतों का एक अलग रजिस्टर रखने में सहमति जतायी, जिसमें शिकायतों के स्वरूप और उनके अन्तिम निपटान का उल्लेख किया गया हो ।

रोस्टर

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के रोस्टर 1970 से ही रखे गये थे और योग्यता की शर्त सहित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के रोस्टर 1973 से । वैसे रोस्टर लगभग सही ही रखे गये थे, लेकिन उनमें निम्नलिखित छोटी-मोटी त्रुटियाँ पायी गयीं, जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए :

(क) वर्ग 'ग' के पदों में भर्ती मूलरूप से रोजगार कार्यालय से की जाती है, किन्तु कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 22-4-1970 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध 2 में निर्दिष्ट रोस्टर का अनुसरण भी आवश्यक है । सभी संगठनों, जिनमें संघ शासित दिल्ली में काम कर रहे संगठन भी शामिल हैं, को उसी प्रतिरूप-रोस्टर का अनुसरण करना होता है । किन्तु देखा गया कि चपरासियों, फर्राशों, झाड़ूकशों आदि के ग्रेड I के पदों के मामले में अनुबंध 2 का पालन किया गया था, लेकिन बाकी किसी और ग्रेड के पदों के लिए निर्दिष्ट रोस्टर नहीं रखा गया था जो एकदम गलत था । इस संबंध में प्रबंध को सुझाव दिया जाता है कि अनुबंध 2 में निर्दिष्ट प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्तियों में अन्तर का परिगणन किया जाये और इसे मौजूदा आरक्षित रिक्तियों के शेष में जोड़ दिया जावे तथा भविष्य में रोस्टर सही प्रतिरूप के अनुरूप तैयार किये और रखे जाएं, अर्थात् कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 22-4-1970 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध 2 के अनुसार ।

(ख) कुछ रोस्टरों में अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित कोटे से अधिक संख्या में वर्ष विशेष में नियुक्त कर लिया गया था, उन्हें आगे के वर्षों में लायी गयी शेष आरक्षित रिक्तियों पर दिखा कर समायोजित किया गया था । उदाहरणार्थ, ग्रेड I के पदों के रोस्टर में अनुसूचित जाति के जिस एक व्यक्ति को 1970 में निर्धारित संख्या से अधिक भर्ती कर लिया था, उसे 1971 में आरक्षित रिक्ति (अनुसूचित जाति) पर समायोजित किया गया था । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 1975 की एक और 1976 की दो रिक्तियों को 1972 और 1973 के वर्षों में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त उम्मीदवारों से समायोजित किया गया था । यदि पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार अतिरिक्त संख्या में उपलब्ध थे तो 1976 वर्ष में भी उपलब्ध हो सकते थे, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए दो रिक्तियाँ आरक्षित थीं । लगता यह है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि पिछले वर्षों में उनकी नियुक्तियाँ अतिरिक्त संख्या में कर ली गयी थीं । संयुक्त प्रभाग प्रबंधक को स्थिति समझायी गयी कि आरक्षित रिक्तियों में से न भरी गयी रिक्तियों को ही आगे लाया जाता है, न कि अतिरिक्त भर ली गयी आरक्षित रिक्तियों को, जिन्हें रोस्टर में गैर रक्षित पाइन्टों पर दिखाया जा सकता था । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और भविष्य में इस पर ध्यान रखने का वचन दिया ।

(ग) आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों के तीसरे भर्ती वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों के विनियम के नियम का कतई अनुसरण नहीं किया गया था । वास्तव में रिक्तियाँ अनिश्चित काल तक आगे ले जायी गयी थीं । इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया ।

(घ) देखा गया कि पिछली आरक्षित रिक्तियों को पहले भरा गया था, किन्तु संबंधित आरक्षित पाइन्टों पर उन्हें समायोजित करने की टिप्पणी, टिप्पणी वाले खाने में दर्ज नहीं की गयी थी ।

(च) हर वर्ष के अन्त में एक सार अवश्य तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें वर्ष के दौरान की गयी नियुक्तियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों (पिछले वर्षों से आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों समेत) की संख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, अगले वर्ष में आगे लायी गयी रिक्तियों की संख्या दी गयी हो । सार में आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग करके दिखाया जाये । इससे पता चल जायेगा कि सब से पुरानी आरक्षित रिक्तियों को न भरे कितने वर्ष हो गये हैं ताकि अगर रिक्तियों को आगे लाये गये पिछले व' में ऐसा हुआ हो तो इनका दूसरे वर्ग में उपलब्ध उम्मीदवारों से विनिमय किया जा सकता है ।

(छ) रोस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों पर न तो नियुक्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर थे और न ही इसके लिए प्राधिकृत किसी और अधिकारी के । वैसे सम्पर्क अधिकारी ने हाल ही में रोस्टरों का निरीक्षण कर रखा था । सुझाव है कि हर प्रविष्टि पर नियुक्ति के तुरन्त बाद हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

विज्ञान और रोजगार कार्यालय को भेजी गयी मांगें

पिछले वर्षों के कुछ विज्ञापनों में उल्लिखित किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को "नियमानुसार" आरक्षण दिया जाएगा । यहां तक कि 1976 में जारी किये गये विज्ञापन तक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था । किन्तु 1977 में जारी किये गये विज्ञापनों में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या दी गयी थी । यह भी देखा गया कि विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव में छूट का कोई उल्लेख नहीं किया गया था । इसी तरह पिछले वर्षों के विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान के विषय में कोई संकेत नहीं दिया गया था । लेकिन 1977 के विज्ञापनों में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले सभी उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख हुआ था । यह भी पता चला कि रिक्तियों की अधिसूचना आकाशवाणी से प्रसारित नहीं की गयी थी । प्रबंध को सलाह दी जाती है कि विज्ञापनों में इन सभी अनिवार्यताओं का ध्यान रखा जाये ।

पता चला कि विज्ञापन दिल्ली के हिन्दुस्तान टाइम्स, मद्रास के हिन्दु, कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका, दिल्ली/बम्बई के नवभारत टाइम्स, दिल्ली के स्टेट्समैन और एम्पलायमेंट न्यज में दिये गये थे । चूंकि भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है, इसलिए सुझाव है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां ऐसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्रों तथा एम्पलायमेंट न्यूज के भाषा संस्करणों में विज्ञापित की जायें, जो अनुसूचित जनजाति बहुत क्षेत्रों में खूब पढ़े जाते हों । आदिवासी लोग प्रायः अपने क्षेत्रों से बाहर कम ही जाते हैं, इसलिए दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों से उन्हें अधिक से अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिए आवास जैसे प्रेरकों की व्यवस्था की जाये । यदि किसी विशेष पद के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से आवेदन पर्याप्त संख्या में प्राप्त न हों तो उनके लिए भी इसी तरह के प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाये ।

अनारक्षण

बड़े खेद की बात है कि आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन की पद्धति का कतई अनुसरण नहीं किया गया था । यह सच है कि अब नए पदों की रिक्तियों पर प्रतिबन्ध है और यदि जमा आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए प्रबंध इस प्रतिबंध में ढील के लिए राजी हो जाता है तो केवल आरक्षित रिक्तियां ही भरे जाने की संभावना है । उस स्थिति में सामान्य उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । इसलिए अनारक्षण का कोई अवसर नहीं आना चाहिए । लेकिन सुझाव है कि यदि आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने की कोई अनिवार्य स्थिति उत्पन्न हो ही जाये तो अनारक्षण की स्थिति लाने वाले तथ्यों के स्पष्टीकरण के साथ अनारक्षण-पद्धति का अनुसरण किया जाये ।

विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों की बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य सम्मिलित करना

ज्ञात हुआ कि कनिष्ठ पद अधिकतर परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं और कार्यालय प्रबन्धक (विधि) के पद को छोड़ कर बाकी सभी पदों के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है । अध्ययन-दल को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आरक्षित और गैर आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने के लिए 1975—1977 में कनिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति की केवल दो बैठकें हुई थीं, किन्तु इन में से किसी में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था । इसी तरह वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति की 1975 में 6, 1976 में 5 और 1977 में 3 बैठकें हुई थी और इन बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक भी सदस्य शामिल नहीं किया गया था । 1-1 1978 को वर्ग क (प्रथम श्रेणी) में अनुसूचित जाति का केवल एक और वर्ग 'ख' में अनुसूचित जाति के 9 और अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी था, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों की इन बैठकों में शामिल किया जा सकता था । यदि इन बैठकों में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त पद का कोई अधिकारी न मिले तो वाणिज्य मंत्रालय या अपने ही मंत्रालय के अधीनस्थ अन्य उपक्रमों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी सम्मिलित किये जा सकते हैं । साक्षात्कार में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में विश्वास फूंकने और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है कि साक्षात्कार नियमानुसार संचालित किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण

सरकारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को संगठन के भीतर और बाहर प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाये ताकि उच्चतर पदों पर उनके प्रवरण की सम्भावनाएं बढ़ जायें । अध्ययन दल को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 1975-76 वर्ष में विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में केवल एक अनुसूचित जाति का था । किन्तु बाहर के संस्थानों में प्रशिक्षिण के लिए भेजे गये प्रथम श्रेणी के 208 अधिकारियों में से दो अवसरों में से प्रत्येक अवसर पर अनुसूचित जाति का एक अधिकारी भेजा गया था, एक 1975- 76 में और दूसरा 1977- 78 में । 1975-76 से 1977-78 की तीन वर्ष की अवधि में विदेशों में प्रशिक्षण के लिए 6 अधिकारी और परिसंवादों/गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए 55 अधिकारी भेजे गये, किन्तु अनुसूचित जाति के एक भी अधिकारी को अवसर नहीं दिया गया था । आशा की जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, बल्कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिलाने की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा ताकि उच्चतर दायित्वों को वहन करने के लिए उन्हें अधिक अनुभव प्राप्त हो सके और उनमें आत्मविश्वास पनपे ।

परिशिष्ट 22

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

अप्रैल, 1978 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन-दल ने 27 और 28 अप्रैल, 1978 को इस संगठन का दौरा किया। इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री बरयाम सिंह सम्मिलित थे। उन्होंने निम्नलिखित अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया :

1. डा० बी० के० दास,
   मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ।
2. श्री बी० बी० चटर्जी,
   मुख्य यांत्रिक अभियंता,
   मुख्य यांत्रिक अभियंता कार्यालय ।
3. मेजर एम० एन० बनर्जी,
   विशेष कार्य अधिकारी,
   मुख्य यांत्रिक अभियंता कार्यालय ।
4. श्री के० के० दास,
   भंडार नियंत्रक, भंडार विभाग ।
5. श्री आर० सी० घोष,
   उप मुख्य अभियंता, सिविल अभियांत्रिकी विभाग ।
6. श्री ए० पी० सेन,
   उप यातायात प्रबन्धक, यातायात विभाग ।
7. श्री आर० एल० सिन्हा,
   उप भू-प्रबन्धक, भूमि विभाग ।
8. कैप्टेन जी० के० दत्त,
   उप निदेशक, मैरीन विभाग ।
9. श्री एन० रे,
   वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग ।
10. श्री एस० बी० दास,
    सहायक, सचिव, सचिव कार्यालय ।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट (सी० पी० टी०) की स्थापना 1870 में हुई थी और यह कलकत्ता के सबसे बड़े और पुराने संगठनों में से एक है, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में 13 विभाग हैं और हर विभाग अपने अधीन विभिन्न पद-श्रेणियों में भर्ती के रोस्टर रखता है। अध्ययन के लिए आठ विभागों को चुना गया था और उनके रोस्टर रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय को प्रेषित मांग पत्रों, समाचार पत्रों को भेजे गये रिक्तियों के विज्ञापनों आदि की जांच पड़ताल की गयी। हर विभाग में अनेक अनुभाग थे, जो अपने अमले की भर्ती अपने आप कर रहे थे, इसलिए अध्ययन कुछ ही अनुभागों तक सीमित रखा गया। अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले विभाग थे: मैरीन-विभाग, विधि-विभाग, यातायात-विभाग, भंडार-विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विभाग, मुख्य यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग और लेखा-विभाग। अध्ययन दल की कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को नीचे दिया जाता है :

I. आरक्षण रोस्टर और अनारक्षण

अधिकारियों ने 1970 से रोस्टर रखे थे, जब कि इस संबंध में उन्हें केन्द्रीय सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ था। किन्तु 3 अक्तूबर, 1975 को त्यागी मंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ही प्रभावी रूप से कार्यान्वयन प्रारम्भ हुआ। प्राधिकारियों ने बताया कि आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर श्रमिक संघों ने परेशानी खड़ी कर दी थी और इस कारण इन्हें लागू करने में 5–6 वर्ष लग गये। इस प्रकार समय पर लागू कर दिये जाने पर, आरक्षित पदों पर नियुक्त हो सकने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के दावों की अवहेलना की गयी थी। निर्धारित आरक्षण को समुचित रूप से प्रभावी बनाने के लिए, प्रत्येक नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के लिए, सरकार द्वारा निर्दिष्ट 40/100 पाइन्टों में से हरेक रिक्ति को प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार आरक्षित और गैर आरक्षित मान कर चलना आवश्यक है। रोस्टर में पाइन्टों के आधार पर, जिनमें पिछले वर्ष की आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियां भी शामिल होती हैं, हर भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण किया जाता है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में रोस्टर पिछले तारीखों से तैयार किये गये थे, जिनमें उसे अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी मौजूद कर्मचारियों को दिखा दिया गया था। ऐसी स्थिति में रोस्टर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सही प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रभावी माध्यम नहीं माना जा सकता था।

अध्ययन के दौरान पता चला कि सचिव के कार्यालय ने 1976 में विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकारियों को इस विषय में विस्तृत अनुदेश जारी किये थे। किन्तु पदोन्नति पदों के रोस्टर 1975 से ही प्रारम्भ किये गये थे। न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को सही सही आगे लाया/आगे ले जाया गया था।

अनारक्षण के संबंध में प्राधिकारियों का कथन था कि सचिव के कार्यालय ने 20 नवम्बर, 1976 को अनुदेश जारी किये थे कि कोई भी आरक्षित रिक्ति सामान्यतया अनारक्षित न की जाये और यदि कार्य के हित में अनारक्षण अवश्यंभावी हो जाये तो आवश्यक अनुमोदन के लिए मामले को प्रशासन के पास भेज दिया जाये। जिस तरह केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनारक्षण के प्रस्ताव भेजे जाते हैं, उसी तरह कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में नियुक्त-कर्ता प्राधिकारियों को निर्धारित प्रपत्रों पर अनारक्षण के प्रस्ताव भेजने होंगे, जिनमें इस विषय में किये गये प्रयत्नों आदि का विस्तृत विवरण होना चाहिए। 20 नवम्बर, 1976 को प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से लगा कि यदि इन पर ईमानदारी से अमल किया जाता तो अनारक्षण का एक भी मामला न बनता। इन्हें संक्षेप में नीचे दिया जाता है :—

(1) यदि सीधी भर्ती की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए खुले बाजार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिल सकें तो इन्हें विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नत करके भरा जा सकता है।

(2) इसी तरह संगठन में से ही ऐसे उम्मीदवारों के अनुपलब्ध होने पर सीधी भर्ती से काम लिया जाये।

(3) यदि सीधी भर्ती का ऐसा कोई अंश न हो और जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध न होता हो तो नीचे के वर्ग में सीधी भर्ती कर ली जाये और सेवा अन्तर्गत गहन प्रशिक्षण दे कर उच्चतर पद के लिए उन पर विचार किया जाय।

(4) निचले पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति का पात्र बनाने के लिए शैक्षिक अर्हताओं में समुचित छूट दे कर, पदोन्नति के लिए नीचे के

तीन ग्रेडों तक के कर्मचारियों पर विचार किया जा सकता है।

आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती/पदोन्नति के मामलों में नियुक्तकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग की अनुमति देने वाले अनुदेशों के बावजूद ऐसे अनेक मामले देखने में आये, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने पर आरक्षित पाइन्टों को आगे ले जाना पड़ा था। 1977 के दौरान सहायक अधीक्षक (जहाजरानी)/कनिष्ट सहायक अधीक्षक (परिवहन) के पद पर भर्ती के मामले में भरे गये 11 पदों में से 3 पद आरक्षित थे–2 पद अनुसूचित जातियों तथा 1 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए (अनुसूचित जनजाति की रिक्ति 1976 से आगे लायी गयी थी)। किन्तु इस आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार न मिला। प्राधिकारियों ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पद अनारक्षित करा लिया गया था, किन्तु इस संबंध में रोस्टर रजिस्टरों में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गयी थी। इसी तरह उसी विभाग में अवर श्रेणी लिपिकों और बावर्ची के पदों की भर्ती के मामले में 1977 और 1978 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रत्येक पद को अनारक्षण की/अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना ही सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया गया था। अजीब बात है कि इन निम्नतर श्रेणियों के पदों के लिए भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार न मिल सके। पदोन्नति पदों के मामले में भी (यातायात विभाग में शंटिंग मास्टर और यार्ड लिपिक तथा भंडार-विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक) 1977 और 1978 के दौरान अनारक्षण पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था। यातायात और लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों के प्राधिकारियों को अनारक्षण संबंधी पद्धति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। वे इस गलत धारणा के शिकार थे कि आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने के तीसरे वर्ष में ही अनारक्षण कराना पड़ता है। वास्तव में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्षों तक आगे ले जाने के बाद ही अनारक्षण पद्धति पर अमल नहीं किया जाता, बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में, जब भी आरक्षित पाइन्ट पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त किया जाये तो हर भर्ती अवसर (वर्ष) पर अनारक्षण की पद्धति पर कार्रवाई की जावेगी। इसलिए सुझाव है कि ऐसे सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाये और इन्हें नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

अभिलेखों की विभागवार जांच से रोस्टरों के अनुरक्षण में निम्नलिखित त्रुटियां पायी गयी थीं :—

(1) मेरीन-विभाग

रोस्टर समुचित प्रपत्रों पर होते हुए भी खुले पृष्ठों की सूरत में थे और प्राधिकारियों को उन्हें रजिस्टरों की सूरत में रखने की सलाह दी गयी, क्योंकि यह स्थायी रिकार्ड होता है और इसे बार-बार देखने की आवश्यकता पड़ती रहती है। हर कैलेंडर वर्ष के अन्त में आरक्षण का एक सार भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं किया गया था। रोस्टर में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। टिप्पणी वाले खाने में अनारक्षण और रिक्तियों के व्यपगमन के बारे में टिप्पणी भी दी जानी चाहिए।

(2) सिविल अभियांत्रिकी विभाग

रोस्टर रजिस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों पर सक्षम प्राधिकारी ने न तो समुचित रूप से हस्ताक्षर किये थे और न ही उनका सत्यापन किया था। अधिकांश रोस्टर 1970 की अपेक्षा 1972 से प्रारम्भ किये गये थे और उनमें जमा आरक्षित रिक्तियां नहीं दिखायी गयी थीं। रोस्टर-रजिस्टरों में उन आरक्षित पदों के अनारक्षण का कोई उल्लेख नहीं था, जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं मिल सके थे। 1973 के दौरान अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति अतिरिक्त भर्ती कर लिया गया था, जिसे 1974 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पाइन्ट पर समायोजित कर के दिखाया गया था। यह सही नहीं था। किसी एक वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अतिरिक्त नियुक्त कर्मचारी भावी आरक्षण में समायोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक पाइन्ट को 1974 वर्ष में आगे लाकर दिखाया जाना चाहिए था और उसे भावी आरक्षित रिक्तियों में जोड़ देना चाहिए था।

(3) भूमि विभाग

1976 वर्ष से आगे कोई भर्ती/पदोन्नति नहीं थी। किन्तु पिछले वर्षों से आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को सही-सही दिखाया गया था।

(4) यातायात विभाग

रोस्टर रजिस्टर समुचित प्रारूप के अनुसार था। प्रत्येक प्रविष्टि समुचित रूप से हस्ताक्षरित थी, किन्तु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में दिया जाने वाला आरक्षण-सार तैयार नहीं किया गया था। रोस्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के न मिल सकने पर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण का कोई उल्लेख नहीं था। 1975 से पहले आरक्षण के आधार पर आरक्षित रिक्तियों का व्यपगमन अनियमित था, क्योंकि उससे पिछले वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। 1977 के रोस्टरों के वार्षिक निरीक्षण के आधार पर सम्पर्क अधिकारी ने टिप्पणी की थी कि अनारक्षण की अनुमति नहीं ली गयी है और सिफारिश की कि अध्यक्ष की कार्योत्तर अनुमति ले ली जाये, किन्तु अध्ययन के समय तक ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गयी थी।

(5) लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

अन्य विभागों के समान इस विभाग ने भी रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों को न तो सत्यापित कराया था और न ही प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में दिया जाने वाला सार तैयार किया था। न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने से पहले उनके अनारक्षण की अनुमति नहीं ली गयी थी। वैसे 1977 और 1978 के दौरान बहुत ही कम संख्या में भर्ती/पदोन्नतियां की गयी थीं।

(6) भंडार-नियंत्रक

रोस्टर सही प्रपत्रों पर नहीं थे और प्राधिकारियों को निर्धारित प्रपत्रों पर रोस्टर तैयार करने की सलाह दी गयी। रोस्टरों पर न तो किसी भी प्राधिकारी के हस्ताक्षर थे और न ही कोई निरीक्षण-रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। हर भर्ती-वर्ष के अन्त में आरक्षण का सार तैयार करने और प्रविष्टियों को सत्यापित कराने का परामर्श प्राधिकारियों को दिया गया। आरक्षण की पद्धति का भी अनुसरण नहीं किया गया था।

(7) मुख्य यांत्रिक अभियंता का कार्यालय

यह विभाग काफी बड़ा था और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अमले का अधिकांश भाग इसी में था। नई योजनाएं आरम्भ करने और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा चालित यातायात में कमी के कारण इस कार्यालय में भर्ती की कोई गुंजाईश नहीं थी। वास्तव में पिछले दो वर्षों के दौरान, जबकि आरक्षण आदेशों को लागू किया गया था, लगभग कोई भर्ती नहीं हुई थी। नई नियुक्तियों की कोई गुंजाईश नहीं थी। इस विभाग में लगभग 300 पद वर्ग थे और हर पद वर्ग के लिए 1970 से आगे सही रूप से रोस्टर रखे गये थे। प्राधिकारियों को प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर कराने और प्रत्येक भर्ती-वर्ष के अन्त में आरक्षण सार तैयार करने का परामर्श दिया गया। 1977 से पहले के वर्षों में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का व्यपगमन नियमित नहीं था। फिर आरक्षण का भी कोई उल्लेख नहीं था।

(8) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग

रोस्टर सही प्रपत्र पर थे और नियुक्तकर्ता प्राधिकारी ने प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर कर रखे थे। यह प्रशंसनीय बात थी कि आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

उम्मीदवारों की भर्ती के समुचित प्रयास किये गये थे और इस तारीख तक कोई आरक्षित रिक्ति भरने से शेष नहीं थी, यहां तक कि चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड तक में। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भैषजज्ञ की रिक्ति (1972) का 1974 के दौरान व्यपगमन अनियमित था क्योंकि आदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन केवल 1976 से प्रारम्भ किया गया था और इस प्रकार का व्यपगमन उसी के बाद ही अनुमत हो सकता था।

II. आरक्षण-विनिमय और भरे गये आरक्षित पाइन्टों को आगे लाने वाले तीसरे वर्ष में व्यपगमन

किसी भी आरक्षित रिक्ति के अनारक्षण और सामान्य उम्मीदवार से भर लिए जाने के बाद भी उसे अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे लाते रहते हैं तथा तीसरे वर्ष में व्यपगमन से पहले विनिमय-नियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जा सकता है, बशर्ते आरक्षित वर्ग में से उम्मीदवार उपलब्ध न हो। लेकिन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में अध्ययन के दौरान देखा गया कि 1972 से आगे न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने के तीसरे वर्ष में अनेक आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में व्यपगमित हो जाने दिया गया था। यद्यपि रोस्टर 1970/72 से रखे गये थे, लेकिन आदेशों पर प्रभावी रूप से अमल केवल 1976 से प्रारम्भ किया गया था और फलस्वरूप 1975 से यातायात विभाग, मुख्य यांत्रिक अभियंता के कार्यालय और चिकित्सा विभाग में आरक्षित रिक्तियों का व्यपगमन अनियमित था। आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती /पदोन्नत करने के तीन प्रभावशाली प्रयासों और विनिमय-नियम लागू करने के बाद उनके व्यपगमन की छूट दी जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि जो आरक्षित रिक्तियां इस तरह गलती से व्यपगमित हो जाने दी गयीं, उन्हें अगले तीन भर्ती वर्षों के लिये आगे लाए गये जमा खाते में सम्मिलित किया जाये और हर भर्ती वर्ष में उनका अनारक्षण कराया जाये तथा उन्हें वास्तविक रूप में व्यपगमित होने देने से पहले विनिमय-नियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ढूंढने का प्रयास किया जाये।

III. पदोन्नति में आरक्षण

यद्यपि पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी आदेश बहुत पहले से जारी थे, किन्तु कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में संचालक-मंडल द्वारा अनारक्षण नियम स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद ही 1976 से इन पर अमल प्रारम्भ हुआ था। लगा कि उसके बाद से अनुदेशों का अनुसरण कठोरता से किया गया है। आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने अनुदेश जारी किये थे कि यदि आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति से भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिल सके तो तीन ग्रेड नीचे तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति की परिधि में सम्मिलित करके उन पर विचार किया जा सकता है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस नियम पर दो-तीन मामलों में ही अमल किया गया था, जिनमें नीचे के पद-वर्गों में से पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुना गया था। किन्तु मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में एक ऐसा भी मामला देखने में आया था जिसमें ओवरसियरों की वरिष्ठता सूची में उपलब्ध अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर "निर्माण कार्य-लिपिक" के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था और इसका कारण यह दिया गया था कि वे सामान्य उम्मीदवारों से बहुत अधिक जूनियर थे। चूंकि इस मामले में पदोन्नति के लिए पात्रता की कोई शर्त नहीं थी और तीन ग्रेड नीचे तक के पदों पर काम करने वालों तक को पदोन्नति पर विचार करने के बारे में अनुदेश मौजूद थे। इसलिए आरक्षित रिक्ति के लिए अनुसूचित जाति के उपलब्ध उम्मीदवार की अवहेलना का कोई औचित्य नहीं था। इस पर फिर से विचार करना आवश्यक है। नवम्बर, 1976 में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने अपने सभी विभागों को अनुदेश जारी किया गया था कि यदि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिल सकें तो सीधी भर्ती की जा सकती है। किन्तु अध्ययन के दौरान देखा गया कि विभिन्न विभागों द्वारा कथित अनुदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसका कारण श्रमिक संघ से किया गया कोई समझौता हो सकता है कि पदोन्नति-पदों को विभाग में ही उपलब्ध उम्मीदवारों से भरा जायेगा। आरक्षण आदेशों के विलम्ब से कार्यान्वयन के कारण इस संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध थे। इसलिए सुझाव है कि पदोन्नति-पदों को, संगठन में पदोन्नति से न भरे गये आरक्षित पदों की सीमा तक खुला छोड़ दिया जाये और इन्हें बाजार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध उम्मीदवारों से भरा जाये।

IV. सम्पर्क अधिकारी और प्रकोष्ट

अध्ययन-दल को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सम्पर्क अधिकारियों की संख्या 13 थी और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अधीनस्थ हर विभाग से एक व्यक्ति इसके लिए नामित हुआ था। प्रत्येक सम्पर्क अधिकारी पर अपने विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की देखभाल का दायित्व था। सहायक सचिव एवं सम्पर्क अधिकारी श्री एस० बी० दास सचिव के कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की देखभाल कर रहे थे और वे ही सम्पर्क अधिकारियों के कार्यों का समन्वयन कर रहे थे। अनुभव किया गया कि विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के समुचित समन्वयन और इतने बड़े संगठन में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए सचिव के कार्यालय में एक विशेष सैल होना चाहिए, जो सम्पर्क अधिकारी को समन्वय कार्य में सहायता दे, संबंधित प्राधिकारियों के लिए विभिन्न आंकड़े एकत्र और समेकित करे तथा उन्हें भेजे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि नियुक्तकर्ता प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण आदेशों पर समुचित रूप से एक समान अमल हो। ऐसा सैल खोला जाये तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों पर असरदार तरीके से विचार किया जा सकता है ताकि उनका समुचित रूप से निपटान किया जा सके। इस कार्यालय में समय-समय प्राप्त जो वैयक्तिक प्रतिवेदन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को विस्तृत पड़ताल के लिए भेज दिये गये थे, उन पर और विलंब किए बिना विचार किया जाये और उन पर की गयी टीका/टिप्पणियाँ कृपया तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित कर दी जायें।

परिशिष्ट 23

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

नेशनल इन्स्ट्रुमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

भारत सरकार के उद्यम नेशनल इन्स्ट्रुमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षणों के उपायों का कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक दल ने 23 और 24 अप्रैल, 1978 को वहां का दौरा किया। इसमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजोत सेन और अन्वेषक श्री बरयाम सिंह सम्मिलित थे। प्रबन्ध ने दल को जो सहयोग दिया, उसके लिए वह आभारी है।

कलकत्ता स्थित अनेक संगठनों और संस्थानों के दल के दौरे के कार्यक्रम का समन्वय करने के लिए उप प्रबन्धक (कार्मिक) श्री एन० के० बसु के प्रति भी दल आभार प्रकट करता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित अनेक समस्याओं के बारे में दल ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक श्री एस०पी० चटर्जी, उप प्रबन्धक (कार्मिक) एवं सम्पर्क अधिकारी श्री एन० के० बसु और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संस्था तथा श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श किया था । रोस्टर रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय को भेजे गए मांग पत्रों, समाचार पत्रों को भेजी गयी रोजगार विज्ञप्तियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों का निरीक्षण किया गया और विभिन्न अभिलेखों और निष्कर्षों के आधार पर दल ने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :—

1. रोस्टर का अनुरक्षण

अधिकांश मामलों में, सीधी भर्ती की रिक्तियों के रजिस्टर 1971 से प्रारम्भ किये गये थे और उनमें 1966 से जमा आरक्षित रिक्तियों को आगे लाकर दिखाया गया था । वैसे तो रोस्टर के पाइन्ट सही-सही चिह्नित किए गए थे, किन्तु 1975 से पहले वर्ग 'क', वर्ग 'ख' और कुछ सीमा तक वर्ग 'ग' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं था । 1975 के बाद से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में भर्ती करने के प्रयत्न किए गए प्रतीत होते हैं ताकि उनके लिये आरक्षित विभिन्न रिक्तियों को भरा जा सके । देखा गया कि 1973 से पहले 1970–71 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेश पर अमल करने के लिये कदम उठाये गए थे ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को सुरक्षण दिया जा सके । किन्तु इस विषय में 1975 में जा कर कहीं कुछ होना शुरू हुआ था । इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को लागू करने में 1976 तक विलम्ब किया गया था, जबकि रोस्टरों में 1974 से जमा आरक्षित रिक्तियों की परिगणना की गयी थी । अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि रोस्टर निर्धारित प्रपत्र पर नहीं थे और इस तरह उनमें कोई ऐसा खाना नहीं था, जिसमें जमा हो गयी आरक्षित रिक्तियां दिखाई गयी हों । वास्तव में प्राधिकारियों ने इस गलती को कुछ समय पहले महसूस कर लिया था और इसलिए उन्होंने रोस्टरों को समुचित रूप से रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर रखी थी । दल को बताया गया कि इन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा । प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि रोस्टरों में दर्ज विशिष्टयों का सत्यापन सम्बन्धित प्रशासन अधिकारी द्वारा अवश्य कराया जाए और सम्पर्क अधिकारी प्रतिवर्ष रोस्टरों की पड़ताल करें ।

2. आरक्षण का व्यपगमन

सरकारी अनुदेशों के अनुसार न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्षों तक आगे लाने के बाद व्यपगमित दिखाया जा सकता है, किन्तु इनके वास्तविक रूप से व्यपगमित होने से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षित रिक्तियों के विनिमय का नियम भी लागू करना आवश्यक है । किन्तु अध्ययन के दौरान देखा गया कि आरक्षण रोस्टर में आगे लायी गयी दर्ज बहुत सी रिक्तियां तीसरे वर्ष में व्यपगमित दिखा दी गयी थी । विभिन्न रोस्टर रजिस्टरों में इस तरह आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों का व्यपगमन अनियमित था, क्योंकि नियमों के अधीन इन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरने का न तो कोई प्रयत्न किया गया था और न ही विनिमय-नियम लागू किया गया था । उदाहरणार्थ 1972, 1974 और 1977 के दौरान तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जनजाति की तीन रिक्तियों (1969, 1971 और 1974 में एक-एक) के व्यपगमन को ले लीजिए । यह रिक्तियां उन वर्षों में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरी दिखाई जा सकती थीं और अनुसूचित जाति की रिक्तियों को विनिमय-नियम के अन्तर्गत आगे ले जाया जा सकता था । कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि किसी वर्ष विशेष के दौरान की गयी नियुक्तियों को वर्तमान आरक्षित पाइन्टों पर समायोजित कर लिया गया था और आगे लाये गये पुराने पाइन्टों को अगले भर्ती वर्षों में ले आया गया था । वस्तुस्थिति यह है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सभी रिक्तियों (आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों समेत) को भरने के लिए न मिल सकें तो पहले से आगे लायी गयी रिक्तियों को पहले भरा जायेगा और बाद की आगे लायी गयी रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष के लिए दर्ज किया जायेगा । इसलिए 1975 में व्यपगमित दिखायी गयी अनुसूचित जाति की 1972 की आरक्षित रिक्तियों में से एक रिक्ति 1974 के दौरान नियुक्त अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार से समायोजित की जा सकती थी और तत्कालीन आरक्षित पद को आगे ले जाया जा सकता था । इसी तरह तृतीय श्रेणी के पदों के मामले में 1969 की अनुसूचित जाति की एक रिक्ति, 1971 की अनुसूचित जाति की दो रिक्तियां तथा 1972, 1973 और 1975 की अनुसूचित जाति की दो रिक्तियां, 1971, 1972 और 1973 के दौरान की गयी नियुक्तियों से समायोजित की जा सकती थीं । इसे ठीक करना जरूरी है ।

3. अनारक्षण

सभी आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन पदों का अनारक्षण करना चाहिए और फिर इन पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भरना चाहिए । प्राधिकारियों ने बताया कि 1975 के बाद से प्रथम और द्वितीय श्रेणी की न भरी गयी सभी आरक्षित रिक्तियों को संचालक मंडल तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के न भरे गये आरक्षित पदों को अध्यक्ष की अनुमति ले कर अनारक्षित करा लिया गया है और उसके बाद उन्हें अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है । किन्तु रोस्टरों में इन पाइन्टों के सामने यह नहीं लिखा गया था कि इन्हें आगे ले जाया गया है । नियमों के अनुसार ऐसा लिखना जरूरी था ।

4. पदोन्नति में आरक्षण

पदोन्नति पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में जारी सरकारी आदेश ऐसी सभी पदोन्नतियों पर लागू होते हैं, जहां सीधी भर्ती का अंश 66-2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता । नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस् में पदोन्नति के उन पद वर्गों में आरक्षण आदेश न लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत है । किन्तु ऐसे पदों के मामले में निश्चय ही आरक्षण आदेश लागू होंगे, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 66-2/3 प्रतिशत से कम है । प्राधिकारियों को ऐसी सभी पदों की पदोन्नति पर आरक्षण लागू करने की सलाह दी गयी, जो इस आधार पर आरक्षण की परिधि से बाहर कर दी गयी थीं कि उनमें सीधी भर्ती का अंश 50 से अधिक है, क्योंकि 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा कर अब 66-2/3% कर दिया गया है । पदों की औद्योगिक श्रेणी में भर्ती का पाइन्ट कुशल श्रेणियों के केवल निम्नतम पदों तक होता है और इसलिए इस श्रेणी में कोई पदोन्नति नहीं होती । किन्तु श्रमिक श्रम के साथ हुए एक समझौते के अनुसार कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर अगले कुशल ग्रेडों में 8 प्रतिशत उन्नति का लाभ मिल रहा है । इस योजना के अन्तर्गत पदों के 8 प्रतिशत का प्रति वर्ष ग्रेड ऊंचा कर दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग में वरिष्ठता के अनुसार पदधारियों को उच्चतर पदों का लाभ मिलता है । महसूस किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के सुरक्षण के लिए या तो "8 प्रतिशत उन्नति" की योजना में आरक्षण लागू किया जाए या ऐसी पदोन्नति पद्धति अपनायी जाये, जिसमें आरक्षण आदेशों को सरकार द्वारा पहले से लागू कर दिया गया हो ।

पदोन्नति की नीति

अगस्त, 1969 में प्रबन्ध, श्रमिक संघ और पश्चिमी बंगाल की सरकार के बीच त्रिपक्षी समझौता हुआ था और उसके बाद जून, 1974 में प्रबन्ध तथा श्रमिक संघ के बीच हुए एक समझौते के अन्तर्गत निर्णय हुआ था कि एक ग्रेड/वेतनमान से अगले उच्चतर ग्रेड/वेतनमान में की जाने वाली सभी पदोन्नतियों के लिए निम्नतर ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। दल ने महसूस किया कि तीन वर्ष का अनुभव न्यूनतम था, किन्तु ऐसे उपान्तिक मामलों में, जहां संगठन के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का अनुभव मामूली सा कम भी हो (जैसे 2 वर्ष और 10 महीने या इसी तरह की कोई और अवधि) और वे सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा कर रहे हों तो पदोन्नति के लिए उन पर विचार करना चाहिए, कम से कम आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तो अवश्य ही।

जिन पदों को केवल पदोन्नतियों से भरा जाता हो और जिन संवर्गों/श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और विशेष कर अधिकारी पद-वर्गों में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता बहुत न्यून या नगण्य हो, उन्हें बाजार से भर्ती के लिए खुला छोड़ दिया जाये और सीधी भर्ती से भर लिया जाये। स्थिति को देखते हुए ऐसा करने के लिए भर्ती के नियमों में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि निवेशी संवर्गों में उनके अनुपलब्ध होने तथा भर्ती के स्तरों पर ताजा भर्तियों में उनकी कम संख्या के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व न्यून बना रहेगा।

यह भी महसूस किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पदोन्नति के लिए भविष्य में उपलब्ध होना निश्चित करने के लिए निवेशी संवर्गों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए और ऐसा तभी सम्भव है, जब भर्ती पाइन्टों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सीधे बाजार से नियुक्त किये जायें तो पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ धीरे-धीरे उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के योग्य हो जायेंगे।

6. **विज्ञापन और नियुक्ति की मांग**

1976 और 1977 के दौरान समाचार पत्रों और रोजगार कार्यालय को भेजी गयी मांगों की जांच की गयी और वे नियमित पायी गयी। वरिष्ठ पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के न मिलने के सम्बन्ध में, दल का विचार था कि अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों में जारी किए जाएं, जिनका वितरण आदिवासी बहुल क्षेत्रों वाले पास के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में होता है। नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ऐसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनमें आदिम जनजातियों का भारी जमाव है। पश्चिमी बंगाल/पड़ोसी राज्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को लिख कर अन्तिम वर्ष के छात्रों की सूची मंगाई जा सकती है, क्योंकि सरकार ने उन्हें इस तरह की सूची तैयार रखने के निर्देश दे रखें हैं जो ऐसे संगठन उनसे मांग सकते हैं। स्थानीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संस्थानों से भी योग्य उम्मीदवारों के नाम मंगाये जा सकते हैं। यदि उनके द्वारा प्रवर्तित उम्मीदवारों ने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज न करा रखे हों तो उन्हें अपने नाम वहां दर्ज कराने की सलाह दी जाये और रोजगार कार्यालयों को उनके नाम भेजने के लिए कहा जाये। यह भी सुझाव है कि यदि स्थानीय रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जारी कर दे तो राज्य के रोजगार कार्यालय से अनुरोध किया जाये कि यदि दूसरे रोजगार कार्यालयों में उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम दर्ज हों तो उन्हें प्रेषित कर दिया जाये। फिर यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षाओं/साक्षात्कारों के लिए बुलाया जाये तो उन्हें बस/गाड़ी का वास्तविक भाड़ा दिया जाये। अनुभव किया जाता है कि जब तक इस प्रकार का अतिरिक्त कदम नहीं उठाया जाता, तब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में मिलने दुश्वार हैं।

7. **पदों का वर्गीकरण**

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के मामलों में अलग-अलग पदों और छोटे संवर्गों को रोस्टरों के अनुरक्षण के लिए रखी श्रेणी के पदों वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि आरक्षण आदेशों पर अमल किया जा सके। ऐसा करते समय पद विशेष के स्तर, वेतन और अपेक्षित अर्हता का ध्यान रखा जाए। ऐसे सभी पदों के लिए पृथक रोस्टर रखना आवश्यक है, जिसकी स्वीकृत नफरी 20 से अधिक हों। नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स में अध्ययन के दौरान पाया गया कि इस संगठन में सभी पद उनके स्तर के अनुसार चार वर्गों में वर्गीकृत किये गये हैं, यथा क, ख, ग, और घ (प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी), चाहे प्रत्येक पद-श्रेणी की संस्वीकृत नफरी कितनी भी क्यों न हों। वर्ग ग (तृतीय श्रेणी) में ही लगभग पांच कोटियां ऐसी हैं जिन की संस्वीकृत नफरी 20 से अधिक है और इसलिए सभी वर्गों की ऐसी सभी कोटियों के लिए अलग रोस्टर रखना अनिवार्य है। 20 से कम संस्वीकृत नफरी वाले पदों को ही दूसरे पदों के साथ यह ध्यान रखते हुए वर्गीकृत करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में मौजूदा अनुदेश क्या हैं और ऐसा करने से पहले प्रशासी मंत्रालय/विभाग की अनुमति ले लेनी चाहिए।

औद्योगिक कोटि के पदों के मामले में कुशल और अकुशल पदों को एक वर्ग में डाल रखा था और उनका एक ही रोस्टर था। इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि अकुशल कामगरों से सभी आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने की सम्भावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि यहां जनशक्ति की कोई कमी नहीं है, जबकि कुशल कोटियों के बहुत से शिल्पों में उनके प्रतिनिधित्व की सम्भावना ही न हो। पृथक रोस्टर होने की स्थिति में विभिन्न कार्यक्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या में भर्ती के समुचित प्रयास अनिवार्य हो जाएंगे। ऐसा न करने पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारों के हितों को हानि पहुंचना अवश्यंभावी है, क्योंकि ऐसे विभिन्न शिल्पों में उनके लिए आरक्षित पदोन्नति पदों में उनका प्रतिनिधित्व शून्य रहेगा जिनके लिए अलग रोस्टर रखना अनिवार्य है। यही स्थिति पदोन्नति पदों के सम्बन्ध में हैं, क्योंकि वहां भी वर्गीकरण अनुमेय नहीं है। इसलिए सुझाव है कि ऐसे सभी पदों के लिए पृथक रोस्टर रखा जाए, जिनकी संस्वीकृत नफरी 20 से अधिक है। सभी पदोन्नति पदों के रोस्टर तो अनिवार्य रूप से पृथक ही रखे जाये, चाहे उनकी संस्वीकृत कितनी हो क्यों न हो।

8. **अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व**

अध्ययन-दल को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर पाया गया कि वर्ग 'क' और 'ख' में अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं था और वर्ग 'ग' तथा 'घ' में अनुसूचित जनजाति का एक-एक अधिकारी था। अवर्गीकृत कोटि में 14 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति समुदाय के थे। 1975 और 1976 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों में सम्पर्क अधिकारी श्री एन० के० बसु ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की न मिलने की स्थिति पर प्रकाश डाला था। इन्हीं रिपोर्टों में 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' वर्गों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के न्यून प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी उठाया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सुनिश्चित करने के प्रयत्नों पर सम्बन्धित पैराग्राफों में पहले हो विचार किया जा चुका है।

9. **प्रशिक्षु**

स्नातक प्रशिक्षुओं मामले में पाया गया कि 1976 और 1977 वर्षों में कुल 7 प्रशिक्षु लिए गए थे और इन में से एक भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का नहीं था। किन्तु 1976 में 6 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षुओं में से 2 अनुसूचित जाति समुदाय के थे। 1977 में इसी वर्ग में 5 प्रशिक्षुओं में से एक अनुसूचित जाति का था। 1977 वर्ष में शिल्प प्रशिक्षु योजना के अन्तर्गत लिए गये 149 प्रशिक्षुओं में से 22 प्रशिक्षु अनुसूचित जातियों के थे। उसी वर्ष के दौरान 16 लिपिक

प्रशिक्षुओं में से 3 अनुसूचित जातियों के थे। इस तरह से देखा जा सकता है कि स्नातक प्रशिक्षुओं को छोड़कर बाकी सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित था। सुझाव है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लाने के प्रयास किए जायें।

10. कर्मशाला सफाई वाला

अध्ययन-दल को बताया गया कि अवर्गीकृत श्रेणी में 918 कर्मचारी थे, जो विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित थे। इनके कर्मशाला सफाई वाले (झाड़ूकश), ऊंचे दर्जे के कुशल, अर्ध कुशल तथा अकुशल कामगर आते थे। लगभग 30 कर्मशाला सफाई वाले थे, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के थे। कर्मशाला सफाई वालों के विषय में प्रबन्ध से विचार विमर्श के दौरान दल ने सुझाव दिया कि कर्मशाला सफाई वालों को झाड़ूकशों के पद-वर्ग में रखा जाये और कारखाने में ही कम से कम 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद योग्य पाये जाने पर अकुशल कामगर श्रेणी में इन्हें पदोन्नत कर दिया जाये/दूसरे वर्ग में डाल दिया जाये। यदि एक वर्ष में 5 कर्मशाला सफाई वालों को अकुशल कामगर के रूप में लिया जाये तो कम से कम 2 अनुसूचित जाति के कर्मशाला सफाई वालों पर भी विचार किया जाये, बशर्ते वे इन कार्यों के लिए अनुपयुक्त न पाये जायें। अनुसूचित जाति के कर्मशाला सफाई वालों को चौकीदारों, मालियों आदि के पदों पर खपाने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि प्रबन्ध के इस तरह के अनुकूल रूख से झाड़ूकशों को कुछ ऐसे व्यवसायों/उपजीविकाओं में जाने में सहायता मिलेगी, जो जाति पर आधारित नहीं हैं।

11. विभागीय पदोन्नति समितियां

अध्ययन-दल को बताया गया कि 1977 वर्ष के दौरान प्रवरण मंडल की 10 बैठकों का आयोजन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर विचार करने के लिए हुआ था और इन सभी 10 बैठकों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था। उसी वर्ष आरक्षित और गैर आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने के लिए आठ बैठकें हुई थीं, जिनमें से 7 बैठकों में अनुसूचित जाति के अधिकारी सम्मिलित थे। आरक्षित और गैर-आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को सम्मिलित करने के प्रबंध का प्रयास वास्तव में एक प्रेरक कदम है।

12. सम्पर्क अधिकारी की रिपोर्ट

1975, 1976 और 1977 वर्षों की सम्पर्क अधिकारी की रिपोर्टें देखी गयीं और उन्हें नियमित पाया गया। 1974 से ही उप प्रबंधक (कार्मिक) सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को उजागर किया था।

परिशिष्ट 24

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

17 और 18 जनवरी, 1978 को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स I और II, बंगलौर की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की लगभग 8 इकाईयां हैं। यह अध्ययन एच० एम० टी० की पहली और दूसरी यूनिट, बंगलौर तक ही सीमित रखा गया। अध्ययन-दल ने वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक श्री बी० रामास्वामी और कार्मिक प्रबंधक श्री के० पी० फिलिप्स से भेंट की, जिन्होंने अध्ययन करने में दल को पूर्ण सहयोग दिया।

2. एच० एम० टी० की पहली और दूसरी इकाइयों में लगभग 5,500 कर्मचारी थे, जिनमें से 4,375 कर्मचारी वर्ग 'ग' कोटि में थे। अनुसूचित जाति समुदायों का अधिकतम प्रतिनिधित्व वर्ग 'ग' तक ही सीमित था और उनकी प्रतिशतता 12.3 थी। अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम प्रतिशतता केवल वर्ग 'घ' तक सीमित थी और यह 4 प्रतिशत थी, जबकि वर्ग 'ख' और 'ग' में यह 1 प्रतिशत से भी कम थी। लगभग 109 कर्मचारी ऐसे थे, जो वास्तव में झाड़ूकशों (सफाई मददगारों) के कार्य कर रहे थे। किन्तु इन में 74 ही अनुसूचित जातियों के थे। चूंकि उनकी पदोन्नति की संभावनाएँ लगभग नहीं के बराबर थी और पहले भी अनुसूचित जाति के झाड़ूकश (सफाई मददगार) पद पर ही सेवा निवृत्त हो गये थे इसलिए प्रबंध से आग्रह किया गया कि जब तक वह उन्हें अस्वच्छ व्यवसाय से परिधर, संदेशवाहक, माली आदि जैसे स्वच्छ व्यवसायों में लाने के लिए विशेष प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उनका आर्थिक स्तर नहीं सुधारा जा सकता। उन्हें एक ऐसी योजना प्रारम्भ करने की सलाह दी गयी, जिसके अन्तर्गत झाड़ूकश पद-श्रेणी में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को 6 महीने या एक निश्चित अवधि के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएं और आवश्यक प्रशिक्षण के बाद यदि वे उच्चतर पदों के पात्र पाये जायें तो उन्हें ऐसे ही पदों पर पदोन्नत/नियुक्त कर दिया जाये।

पिछले दो वर्षों में भर्ती/पदोन्नति

3. एच०एम०टी० ने लगभग 1953 से कार्य करना प्रारम्भ किया था, किन्तु आरक्षण के आदेशों पर अमल 1-7-1970 से शुरू किया गया था। फलस्वरूप कंपनी को 1-1-1967 से आरक्षित रिक्तियों की परिगणना की सलाह दी गयी। 1975, 1976 और 1977 वर्षों में सीधी भर्ती की स्थिति नीचे दी गयी है :—

वर्ग	कुल	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
'क' . .	1	.	.
'ख' . .	44	10	.
'ग' . .	301	65	34
'घ' . .	64	18	10

उपरोक्त स्थिति पर्याप्त संतोषजनक है, लेकिन पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण 1972 से (वरिष्ठता) प्रारम्भ करने के बावजूद उस पर ईमानदारी से अमल 1976 से ही हुआ था। यदि हम 1975, 1976 और 1977 के वर्षों में वरिष्ठता योग्यता के आधार पर पदोन्नति से भरे गये पदों के आंकड़े देखें तो पायेंगे कि 'क', 'ख' और 'ग' वर्गों में पदोन्नतियों के बावजूद केवल 1976 के वर्ष में कुल आरक्षित रिक्तियों (अनुसूचित जाति—144, अनुसूचित जनजाति—72) में से अनुसूचित जातियों के 103 कर्मचारी वर्ग 'ग' में ही पदोन्नत किये गये थे। दूसरी तरफ 1975 में 'क', 'ख' और 'ग' वर्गों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक भी कर्मचारी पदोन्नत नहीं किया गया था और 1977 में अनुसूचित जनजाति के केवल एक व्यक्ति को वर्ग 'ग' में पदोन्नति दी गयी थी। यदि न भरी गयी जमा आरक्षित रिक्तियों की परिगणना करने और आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लाने के ईमानदारी से प्रयास किये गये होते तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अधिक संख्या में पदोन्नतियां हो सकती थीं, विशेषकर वर्ग 'ख' और 'ग' श्रेणियों में ।

विज्ञापन

4. समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ विज्ञापनों और आन्तरिक परिपत्रों की संवीक्षा से पता चला कि 1976 तक अधिकांश मामलों में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या, आरक्षण/छूटों तथा रियायतों के वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था । यदि इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट नियमों का कड़ाई से पालन किया गया होता तो प्रबन्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के और अधिक व्यक्ति भर्ती करने में सफल हो सकता था । प्रबन्ध ने 1976 और 1977 के दौरान विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आकृष्ट करने के विशेष प्रयास किये थे, लेकिन उनके कथनानुसार उन्हें उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले । विशेष प्रयासों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पाने के लिए लक्षद्वीप का दौरा भी शामिल था । विचार विमर्श के दौरान सुझाव दिया गया कि दक्षिणी क्षेत्र तक अपने प्रयासों को सीमित रखने के बजाय, यदि वे भारत के मध्य और उत्तर पूर्वी भागों से सम्पर्क करने का विशेष प्रयास करते तो सम्भवतः उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिक संख्या में ढूंढने में सफलता मिलती, क्योंकि इन क्षेत्रों तथा राज्यों में अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम जमाव है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों में विशिष्ट विज्ञापन दिये जाने चाहिए ताकि नियोक्ता और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम रह जाये । स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची मंगवानी चाहिए और इन संस्थानों से यह भी अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे अपने यहां ऐसे शिल्पों का प्रशिक्षण प्रारम्भ करें, जिनकी मांग है ताकि आवश्यकताओं/अनिवार्यताओं के अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकें ।

गलत प्रतिरूप-रोस्टर

5. भारत सरकार के आदेशानुसार स्थानीय या प्रादेशिक आधार पर भर्ती केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जानी चाहिए । किन्तु यह पाया गया कि एच० एम० टी० में द्वितीय श्रेणी के पदों तक पर भर्ती स्थानीय आधार पर की जाती है । पहले स्थानीय रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचना भेज दी जाती है । फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत के बजाय 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत था । यहां तक कि 1974 में एच० एम० टी० का दौरा करने वाली संसदीय समिति की भी सिफारिश यही थी कि जिस तरह प्रथम श्रेणी के पदों पर अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाती है, उसी तरह द्वितीय श्रेणी के पदों पर भी अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जानी चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि उस सिफारिश के बाद प्रबन्ध ने विवरणिका के अनुबन्ध एक में निर्दिष्ट 40 पाइन्ट वाला रोस्टर रखा था । यह खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर है । इस के लिए भर्ती का प्राथमिक स्रोत विज्ञापन है । यदि भर्ती का प्राथमिक स्रोत रोजगार कार्यालय हो तो अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट रोस्टर का अनुसरण करना होगा । इस प्रकार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी के पदों के रोस्टर गलत प्रतिरूप रोस्टरों के आधार पर रखे जा रहे थे । इसलिये प्रबन्ध को परामर्श दिया जाता है कि इन रोस्टरों को फिर से नये सिरे से तैयार किया जाये और जमा आरक्षित रिक्तियों की फिर से परिगणना की जाये ।

अनारक्षण

6. प्रबन्ध आरक्षित रिक्तियों के लिए अनारक्षण पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहा था । वह केवल न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जा रहा था । यह कार्रवाई भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार नहीं है । उदाहरणार्थ, यदि किसी संवर्ग विशेष में 10 रिक्तियां भरी जानी हैं और उनमें से 2 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में प्रबन्ध केवल 7 गैर-आरक्षित रिक्तियों को भर लेगा और शेष तीन आरक्षित रिक्तियां खाली रखी जाएंगी । सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण वास्तव में भरी गयी रिक्तियों की संख्या पर लागू होता है । इस तरह सात भरी गयी रिक्तियों में आरक्षण बरकरार रहेगा । जब यह सात रिक्तियां रोस्टर में दर्ज की जाएंगी तो सामान्य उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त दिखाया जायेगा, क्योंकि रोस्टरों में रिक्तियों के बीच खाली जगहें नहीं छोड़ी जाती हैं । इस तरह प्रबन्ध के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कराना आवश्यक हो जाएगा । जमा हो गया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती की व्यवस्था की जा सकती है । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 27–12–1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16–3–73–एस्टे० (एस० टी० सी०) में निहित सरकारी आदेशों के अन्तर्गत, यदि किसी संवर्ग विशेष में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियां काफी जमा हो गयी हों तो आगे लायी गयी रिक्तियों और वर्तमान आरक्षित रिक्तियों का जोड़ किसी वर्ष विशेष में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की 50 प्रतिशत की पूर्व प्रतिबन्धित सीमा से अब आगे बढ़ सकता है, बशर्ते उस संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व अभी भी आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता से कम पड़ता हो ।

शिल्प प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती

7. ज्ञात हुआ कि एच० एम० टी० ने एक ऐसी योजना प्रारम्भ की है, जिसमें केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार ही सम्मिलित हो सकते हैं । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एस० एस० एल० सी० पास उम्मीदवारों को प्रारम्भ में 200 रु० प्रतिमास की वृत्तिका पर शिल्प प्रशिक्षणार्थियों के रूप में लिए जाते हैं । 3 वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण को सफलता से पूरा करने के बाद उम्मीदवारों की रु० 235–334 के वेतनमान में पुष्टि कर दी जाती है । बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 35 और अनुसूचित जनजातियों के 25 उम्मीदवारों को भर्ती किया गया है । यह एक अच्छी योजना है । सुझाव है कि डिग्री और डिप्लोमाधारियों के लिए भी इसी तरह की योजनाएं चलानी चाहिएं ताकि उन तकनीकी पदों में भी उनकी नियुक्तियों की संख्या बढ़ सके, जिन पर नियुक्तियां सीधी भर्ती से की जाती है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

8. विभिन्न वर्गों/श्रेणियों में कार्यरत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वैयक्तिक अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जाति-प्रमाण पत्र अलग-अलग प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे और समुचित रूप से नियमित नहीं थे । जारी करने वाले प्राधिकारियों में स्थानीय विधायक और राजपत्रित अधिकारी आदि थे । कुछ मामलों में तो बंगलौर जिले के तहसीलदार ने विभिन्न जिलों के अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी कर रखे थें । जाति-प्रमाण पत्रों के अनुचित उपयोग से बचाव के लिए सुझाव था कि प्रबन्ध संदिग्ध किस्म के ऐसे मामलों को उचित प्राधिकारियों के पास जाति/जनजाति घोषणा पत्रों के सत्यापन के लिए भेजें ।

रोस्टरस

9. रु० 550–950 के वेतनमान (परिशोधित वेतनमान 750–1150) में द्वितीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती का रोस्टर देखा गया। बताया गया कि इन पदों की भी अधिसूचना पहले रोजगार कार्यालय को भेजी जाती है। वहां से अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद रिक्तियों को विज्ञापित किया जाता है। यह रोस्टर प्रारम्भ में 1970 के वर्ष से रखा गया था। बाद में कुछ ऐसे अनुदेश प्राप्त हुए थे, जिनके अनुसार 1967 से इन पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। इस मामले में अनुबन्ध 1 में निर्दिष्ट प्रतिरूप रोस्टर का पालन किया गया था। रिक्तियों की अधिसूचनाएं रोजगार कार्यालय को भेजी गयी थीं और उन्हें विज्ञापित किया गया था, इसलिए ऐसी भर्ती को अखिल भारतीय स्तर पर नहीं माना जा सकता। इसलिए इस दृष्टि से गृह मंत्रालय के 22 अप्रैल, 1970 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध 1 में निर्दिष्ट रोस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे रोस्टर सही तरीके से रखा गया था और 1973 के वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के अन्त में उल्लिखित न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की आगे लायी गयी स्थिति कमोबेश सही थी। रिक्तियों को हर वर्ष आगे लाया गया था, यहां तक कि तीन वर्षों से आगे भी और इस तरह उन्हें व्यपगमित न होने दिया गया था। 1970 से पहले के वर्षों से आगे लायी गयी रिक्तियों को भी ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के अन्त में दी जाने वाली आगे लायी न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की स्थिति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और पुनरीक्षित स्थिति को हर वर्ष के अन्त में देना चाहिए। वास्तव में प्रति वर्ष के अन्त में एक सार दिया जाना चाहिए, जिसका नमूना वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्ध को दिया गया था।

10. रु० 400–700 के वेतनमान में पदों का रोस्टर को अनुबन्ध 1 (40 पाइन्ट) के अनुसार रखा गया था। इस मामले में 100 पाइन्ट वाले रोस्टर का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी भर्ती प्राथमिक रूप से रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गयी थी। रु० 390–540 (परिशोधित वेतनमान रु० 490–740) के वेतनमान के पदों का रोस्टर कमोबेश सही था। किन्तु आगे लायी गयी न भरी आरक्षित रिक्तियों के तीसरे वर्ष में विनिमय-नियम का पालन नहीं किया गया।

11. वर्ग 'ग' के पदोन्नति-रोस्टर में देखा गया कि 1976 में भारी संख्या में पदोन्नति की गयी थी और इसमें ताजा पदोन्नत व्यक्तियों को आरक्षित पाइन्टों पर दिखा दिया गया था, जबकि पहले की आगे लायी गयी रिक्तियों को जमा रहने दिया गया था। सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में सही पद्धति के अनुसरण का परामर्श दिया गया।

परिशिष्ट 25

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

भाग 1

भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के सब से पुराने उद्यमों में से एक है, जिसमें विभिन्न पद श्रेणियों में 14,000 से अधिक कार्मिक नियोजित हैं। सब से पुराना संगठन और इसमें नियोजन की भारी सम्भावनाएं होने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने यह देखने के लिए एक अध्ययन दल भेजने का निर्णय किया कि अत्याधुनिक उपस्कर और उपकरणों को बनाने वाला वह संगठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों पर किस तरह अमल कर रहा है। इस अध्ययन दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और श्री बी० एम० मसन्द तथा आशुलिपिक श्री के० आर० गुप्ता सम्मिलित थे और यह अध्ययन 14 से 16 जनवरी, 1978 के दौरान किया गया था। दल ने महा प्रबंधक कर्नल जी० के० राव, मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री के० बी० एस० रेड्डी और कार्मिक एवं औद्योगिक संबंधों के प्रबंधक श्री एस० सुब्बारामण से भेंट की।

यह संगठन 1954 में स्थापित किया गया था, किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसकी सेवाओं में आरक्षण संबंधी आदेश 1971 से लागू किये गये थे, अर्थात रक्षा मंत्रालय से राष्ट्रपति का निर्देश प्राप्त होने के बाद। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उपरोक्त निर्देश के जारी होने के बाद ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्तियों की गति बढ़ गयी थी। इस संगठन में संसदीय समिति के दौरे के बाद यह गति तीव्र-तर हो गयी।

निःसंदेह आरक्षण नीति पर कार्यान्वयन में विलंब के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को हानि पहुंची थी, किन्तु निर्देश जारी होने तथा संसदीय समिति के दौरे के बाद के वर्षों में प्रबंध ने इन समुदायों की भर्ती में वृद्धि करने के प्रयास किये थे।

1973-1977 की अवधि में वर्ग 'ग' के पदों में कुल भर्ती 1714 थी, जिसमें से 605 पद अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से भरे गये। इसकी प्रतिशतता 35.3 बैठती है। उसी अवधि में वर्ग 'घ' के पदों (झाड़ूकशों को छोड़ कर) पर अनुसूचित जातियों की भर्ती की काफी अच्छी प्रतिशतता थी, अर्थात् 20 प्रतिशत। किन्तु वर्ग 'क' और 'ख' के पदों के संबंध में परिणाम संतोषजनक नहीं थे। प्रबंध द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद 1-1-1978 को भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में विभिन्न पद वर्गों में, विशेष कर वर्ग 'क' और 'ख' के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में दी गयी निम्नलिखित अद्यतन सूचना से कोई उत्साहजनक चित्र नहीं उभरता। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति तो और भी निराशाजनक है।

वर्ग	1-1-1978 को कुल संख्या	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
क	554	13	2.35	3	0.54
ख	717	41	5.7	3	0.42
ग	10,649	1,629	15.3	18	0.16
घ (झाड़ूकशों को छोड़कर)	1,396	304	21.8	2	0.14

प्रबंध का कथन था कि वर्ग 'क' और 'ख' के पदों, विशेषकर रेडार प्रौद्योगिकी, समाकलन-परिपथ, हाइब्रिड माइक्रो परिपथ, निर्वात प्रोद्योगिकी, नौ इलैक्ट्रोनिकी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के पदों, में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ढूंढ़ने में बड़ी कठिनाई का

सामना करना पड़ रहा है। इस कठिनाई पर नियंत्रण करने के लिए सुझाव दिया गया कि भारत के महत्वपूर्ण नगरों से प्रकाशित होने वाले भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में इन पदों को खूब प्रचारित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए दूरस्थ भुलस्थान भत्ते, आवास सुविधाएँ जैसे विशेष प्रेरकों की व्यवस्था की जा सकती है। विभिन्न पद-वर्गों के लिए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पाने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा जैसे जनजाति बहुल क्षेत्रों वाले कुछ राज्यों में इन की रिक्तियों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाये।

वर्ग 'क' और 'ख' के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यून प्रतिनिधित्व का एक और कारण भी है। प्रबंध की नीति के अनुसार इन वर्गों में अधिकांश वरिष्ठ पदों को आंतरिक उम्मीदवारों से भर लिया जाता है और आंतरिक उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिलने पर ही सीधी भर्ती की जाती है। इसी नीति के अनुसरण से ही वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रवेश नहीं हो पाता। चूंकि निम्नतर पद-वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व न्यून है, इसलिए प्रबंध यह आशा नहीं कर सकता कि वरिष्ठ पदों के लिए इन समुदायों के उम्मीदवार इन वर्गों में से पर्याप्त संख्या में मिल जायेंगे। इसलिए सुझाव है कि इस तरह के अधिक से अधिक पद बाहर से भर्ती के लिए खोल दिये जायें, क्योंकि वहां से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मिलने की संभावनाएं अधिक हैं।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में रखे गये रोस्टरों और अन्य अभिलेखों के अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि प्रबंध के प्रयासों के बावजूद इस संगठन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन की स्थिति अच्छी नहीं। इस संबंध में अध्ययन-दल ने जो तथ्य उजागर किये हैं, वे इस रिपोर्ट के भाग 2 में दिये गये हैं और प्रबंध को सुझाव दिया जाता है कि दल द्वारा संकेतिक कमियों और गलतियों को दूर करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि आवश्यकता अनुभव हो तो रोस्टरों को पूर्णतया नए सिरे से तैयार किया जाये और अगले भर्ती वर्षों में आगे लायी गयी रिक्तियों की स्थिति को परिशोधित किया जाए।

प्रबंध द्वारा प्रदत्त सहयोग और बंगलौर में स्थित अन्य संगठनों/कार्यालयों में दल के दौरे के कार्यक्रमों के समन्वय-कार्य के लिए दल उनका आभारी है।

भाग 2

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के बारे में अध्ययन-दल की टिप्पणियों का नोट

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में कार्मिकों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है—प्रबन्धक और गैर-प्रबन्धक। इन वर्गों के 9 उपवर्ग हैं, जो आगे तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदों में बांटे गए हैं। गैर-प्रबन्धक के उपवर्गों को 5 मुख्य कार्य वर्गों में रखा गया है।

कुछ पदों पर सीधी भर्ती के अतिरिक्त पहले तीन वर्गों में पदोन्नति के अवसर हैं। अन्तिम तीन वर्गों में पूर्णतया पदोन्नति-पद सम्मिलित हैं। पदोन्नति हर कार्यवर्ग के भीतर स्वयंमेव होती चलती है, बशर्ते कार्मिक ने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। इसके लिए रिक्ति/परीक्षा की भी आवश्यकता नहीं। किन्तु एक कार्य-वर्ग से दूसरे कार्य-वर्ग में पदोन्नति योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर निम्नलिखित कारकों से निर्णित होती है :

(क) न्यूनतम अर्हताएं
(शैक्षिक/शिल्प)
(ख) निम्नतर कार्य-वर्ग में अनुभव
(ग) विभागीय अर्हक परीक्षा/टैस्ट में सफलता।

चाहे कर्मचारी उपरोक्त (क) और (ख) शर्तें पूरी करते हों तो भी उन्हें प्रबन्ध द्वारा जारी आन्तरिक परिपत्रों के प्रत्युत्तर में परीक्षाओं में बैठने के लिए आवेदन देना पड़ता है। परीक्षा में बैठने वालों को कुल अंकों में से कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाती है अर्थात् यदि वे परीक्षाओं में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लें तो उन्हें सफल माना जाता है। यह भी बताया गया कि सामान्य उम्मीदवारों के लिए अपनी सेवा अवधि में निश्चित अर्हक अंक, गोपनीय रिपोर्टों में लिखित और मौखिक परीक्षाओं में ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक होता है, किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कुल 30% अंक प्राप्त करने पर ही पदोन्नति के लिए चुन लिया जाता है।

समझा जाता है कि योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर इन पदोन्नतियों के सिलसिले में प्रबन्ध की नीति के अनुसार प्रत्येक रिक्ति के पीछे परीक्षा/साक्षात्कार के लिए 4 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहीं व्यक्ति बुलाये जाते हैं जो पदोन्नति परिधि में आते हैं, अर्थात् एक रिक्ति के पीछे परीक्षाएं/साक्षात्कारों के लिए चार गुना उम्मीदवार बुलाये गये। इस सम्बन्ध में कहना है कि योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पदोन्नति परिधि में आने की शर्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती। न्यूनतम अर्हक सेवा और अपेक्षित अनुभव रखने वाले पदोन्नति के पात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने की छूट होनी चाहिए, चाहे वे विचार-परिधि में आते हों या नहीं। पदोन्नति की प्रत्येक रिक्ति के लिए चार व्यक्तियों पर विचार करना ही वह परिधि है।

यह भी पता लगा कि परीक्षाओं में सफल होने वाले व्यक्तियों में से जो कर्मचारी 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ उम्मीदवार माना जाता है और उन्हें अपने वरिष्ठ साथियों के ऊपर पदोन्नत कर दिया जाता है। पदोन्नति नीति में इस प्रकार की व्यवस्था श्रमिक संघ के परामर्श से तय की गयी बतायी जाती है, जो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण नीति से मेल नहीं खाती। मूलतः पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर किये जाने के बावजूद अंकों में उच्चतर प्रतिशतता के आधार पर अधिक लाभ देने की व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्तियों को गुणावगुण के आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जो वरिष्ठता के आधार के प्रतिकूल है। इस नीति के परिशोधन की आवश्यकता है।

कुछ कार्य-वर्गों में बाहर से भर्ती का कुछ अंश है। उनमें बाहर से भर्ती तभी की जाती है जब अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव वाले विभागीय उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं। केवल पदोन्नति से भरे जाने वाले कार्य-वर्गों में एक कमी यह है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अनुभव की विशेष शर्तें निर्धारित हैं। अगर इन पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार निवेशी वर्गों में उपलब्ध नहीं हैं या उपलब्ध भी हैं तो

विशेष अनिवार्यताएँ पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें पदोन्नति का पात्र नहीं माना जाता। इस प्रकार इन वर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों की बहुत कम गुंजाइश है। इसलिए सुझाव है कि जिन वर्गों में विशेष शर्तें पूरी करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं हैं और भविष्य में भी उपलब्ध नहीं होने वाले हैं तो उनमें सीधी भर्ती का अंश रख दिया जाये ताकि अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले बाहरी उम्मीदवारों से आरक्षित कोटा पूरा किया जा सके। यदि प्रबंध यह अनुभव करता है कि बाहर के उम्मीदवार अपेक्षित स्तरों के अनुसार विशिष्ट कार्य करने में अक्षम रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को सेवा में ही प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे अपने समकक्ष विभागीय कार्मियों के स्तर तक आ सकें।

प्रबन्ध के साथ हुए विचार-विमर्श और रोस्टरों तथा अन्य अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं :

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोस्टर में आरक्षित उन पाइन्टों को खाली छोड़ दिया गया था, जिनको भरने के लिए इन अनुसूचित समुदायों के उम्मीदवार नहीं मिल पाये थे। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पाइन्ट खाली रखे गए थे, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पाइन्टों पर पड़ने वाली रिक्तियों पर बाद के वर्षों में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पिछले वर्ष के आरक्षित पाइन्टों पर दिखा दिया गया था। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों का ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विषयक विवरणिका के परिशिष्ट 5 में निहित अनुदेशों की ओर दिलाया गया। इस परिशिष्ट के अनुदेश सं० 4 के अनुसार रोस्टर को पूरा करने में कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई रिक्ति मान लीजिए 25 वें पाइन्ट पर है और उस पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर उसे अनारक्षित मान लिया गया है तो वास्तव में नियुक्त व्यक्ति को उसी पाइन्ट पर दिखाया जायेगा। बाद के वर्ष में गैर-आरक्षित पाइन्ट पर भर्ती किए गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को उसी पाइन्ट पर दिखाया जाएगा।

2. यद्यपि न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष में आगे लाया गया दिखाया गया था, किन्तु प्रत्येक वर्ष के अन्त में दिया जाने वाला वह सार नहीं दिया गया था, जिसमें वर्ष के दौरान भरी गयी रिक्तियां दी गयी होती हैं। इस सार में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :—

   (1) वर्ष के दौरान भरी गयी रिक्तियों की कुल संख्या ;

   (2) वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या ;

(क) वर्तमान आरक्षण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(ख) आगे लाया गया आरक्षण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कुल आरक्षण		

   (3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भरी गयी रिक्तियों की संख्या ;

   (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच विनिमय से भरी गयी रिक्तियों की संख्या :—

   (क) अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरी गयी रिक्तियां।

   (ख) अनुसूचित जातियों की अनुसूचित जनजातियों से भरी गयी रिक्तियां।

   (5) अगले वर्ष में ले जायी गयी आरक्षित रिक्तियों की संख्या—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति.—अगले वर्ष में ले जायी गयी आरक्षित रिक्तियों के साथ उनका सम्बन्धित वर्ष भी दे देना चाहिए ताकि न भरी आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों का तीसरे भर्ती वर्ष में आपसी विनिमय किया जा सके और विनिमय-नियम लागू करने के बाद भी न भरी गयी ऐसी आरक्षित रिक्तियों के व्यपगमन की अन्त में छूट दी जा सके। आगे लायी आरक्षित रिक्तियों की परिगणना करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले की आरक्षित रिक्तियों को पहले भरा जाये ताकि उनके व्यपगमन के अवसर कम से कम रहें।

3. पिछले वर्षों में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनारक्षण की पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था। वास्तव में इस विषय में यह सोचना ही गलत था कि न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को तीन भर्ती वर्ष तक आगे लाने के बाद ही अनारक्षित कराना होता है। पता चला कि प्रबन्ध न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के पक्ष में ही नहीं था। प्रबन्ध अपनी यह छवि दिखाने के लिए बहुत आतुर था कि उसने कोई पद अनारक्षित नहीं किया। इसी आतुरता में उसने बताया कि जिन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिल सकें, उन्हें खाली रखा गया और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से नहीं भरा गया। किन्तु यह कथन ही गलत है कि आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से नहीं भरा गया था। यह बात एक उदाहरण से समझायी जा सकती है। मान लीजिए 10 रिक्तियां हैं और उनमें से दो अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में प्रबन्ध केवल 7 रिक्तियां भरता है और इन रिक्तियों पर सभी सामान्य उम्मीदवारों को नियुक्त कर देता है। चूंकि आरक्षण वास्तविक रूप से भरी गयी रिक्तियों पर लागू किया जाता है, इसलिए इन रिक्तियों को रोस्टर में दिखाया जाता है और रोस्टर में पाइन्टों के अनुसार इन 7 रिक्तियों में से कुछ रिक्तियों को अभी भी आरक्षित करना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि अनारक्षण-पद्धति से काम न लेते हुए भी सामान्य उम्मीदवारों से आरक्षित रिक्तियों को भरा गया। प्रबन्ध का ध्यान "सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण" सम्बन्धी विवरणिका के अध्याय 10 और 11 में निहित अनुदेशों की ओर दिलाया गया और उन्हें इन अध्यायों में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसरण का परामर्श दिया गया।

4. पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के रोस्टर नियमानुसार नहीं पाये गये। वास्तव में विभिन्न पद-वर्गों/शिल्पों को आरक्षण के उद्देश्य से एक ही वर्ग में डाल दिया गया था। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 20-12-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/74-एस्टे० (एस० सी० टी०) के साथ पठित

विवरणिका के अध्याय 6 में निहित अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया गया, जिसके अनुसार केवल सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का ही वर्गीकरण किया जा सकता है और वह भी ऐसे पदों और संवर्गों का, जो अलग-थलग हों या जिनकी संस्वीकृति नफरी 20 से कम हो। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के मामले में आरक्षण आदेश ऐसे प्रत्येक ग्रेड या पद पर अलग-अलग लागू किए जाने चाहिए, जो पदोन्नति से भरे जा रहे हों ।

5. यह भी बताया गया कि सीधी भर्ती के मामले में भी 20 या उससे अधिक की कुल नफरी के संवर्ग वाले पदों के रोस्टर अलग-अलग रखे जाने चाहिए । यदि प्रत्येक वर्ग में स्वतन्त्र रूप से 20 या उससे अधिक पद हों तो सीधी भर्ती में अनेक पदों को एक वर्ग में रखने की आवश्यकता नहीं ।

6. देखा गया कि यद्यपि भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में रखे गये रोस्टरों के अनुसार कुछ वर्गों में आरक्षित पाइन्टों की संख्या कम थी, किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति आरक्षित कुल रिक्तियों से अधिक रिक्तियों पर नियुक्त किए गए थे । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती में वृद्धि के लिए प्राधिकारियों ने निम्नलिखित उपायों पर अमल किया था :—

(1) सैद्धान्तिक रूप से वे आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की नीति के विरुद्ध थे, इसका कारण यह था कि यदि अनारक्षण की प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो ऐसी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त होने के लिए इस बीच अन्यथा अपात्र और अधिक उम्मीदवार पात्र बन जायेंगे । इन समुदायों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों पर अमल कराने वाले सम्बन्धित प्राधिकारी इस विषय में कुछ और प्रयास करेंगे और ऐसी पदोन्नतियों के लिए कुछ छुट, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करेंगे ताकि वे उम्मीदवार पात्र बन सकें ;

(2) 1972 से विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की ही भारी भर्ती की गयी थी और इन्हीं के कार्मिकों को पदोन्नत करने के विशेष प्रयास किए गए थे ।

इससे स्पष्ट है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का प्रबन्ध अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियां बढ़ाने के लिए चिन्तित रहा है ।

7. भारत सरकार ने 27 दिसम्बर, 1977 को अनुदेश जारी किये थे कि यदि किसी वर्ग विशेष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से कम है तो 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ायी जा सकती है । आशा है कि भारत सरकार द्वारा इन अब नए आदेशों के जारी होने के साथ ही भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का प्रबंध अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष भर्ती की अपनी नीति को जारी रखेगा ताकि उनकी नियुक्तियों में वृद्धि हो और जमा आरक्षित रिक्तियां पूरी हो जायें ।

8. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में रखे गये रोस्टरों में एक यह तथ्य भी दर्ज नजर आया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से भी अधिक इन समुदायों के अतिरिक्त उम्मीदवार भर्ती कर लिये गये थे और इन्हें अगले वर्षों में आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित दिखा दिया गया था । वास्तव मे उन्हें उसी वर्ष में गैर आरक्षित पाइन्टों पर दिखाया जाना चाहिए था । बताया गया कि आगे के वर्षों में भी समुचित आरक्षण रखा गया था और उन्हें वास्तव में भरा भी गया था । वस्तुतः प्रबन्ध की नीति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिक से अधिक संख्या में भरने की रही है, चाहे रोस्टरों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी भी क्यों न रही हो । यह नीति स्वागत योग्य है और आशा है कि प्रबन्ध इस नीति का अनुसरण करते हुए रोस्टरों को समुचित आधार पर रखने को और भी उचित ध्यान देगा । इस सम्बन्ध में उस स्पष्टीकरण की एक प्रति संलग्न की गयी है, जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड को भेजी थी । स्पष्ट हो गया होगा कि आरक्षित कोटे से अधिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के समायोजन के लिए अगले वर्षों में आरक्षित कोटे में कमी करने की आवश्यकता नहीं ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कुछ मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा सेवा में प्रवेश के समय अपनी अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बन्धित होने के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों को देखा गया । उन्हें देखने पर पता चला कि कुछ प्रमाण-पत्र निर्धारित समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गए थे । कुछ मामलों में बंगलौर के तहसीलदार ने प्रमाण-पत्र जारी कर रखे थे, किन्तु विद्यालय के प्राधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के सत्यापनों पर आधारित नहीं थे । इस सम्बन्ध में उल्लिखित किया जाता है कि इस विषय में जारी आदेशों के अनुसार जारीकर्ता प्राधिकारी को इस बात की स्वयं तसल्ली कर लेनी चाहिए कि व्यक्ति विशेष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही है । प्रबन्ध को जाति/जनजाति के प्रमाण पत्रों के पुनरीक्षण का परामर्श दिया जाता है और जहां उन्हें प्रमाणपत्र समुचित प्रपत्र (सेवाओं के लिए निर्धारित) पर न मिले या इस विषय पर भारत सरकार के जारी अनुदेशों के अनुसार निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न पाया जाये तो सम्बन्धित व्यक्ति से समुचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयां व्यक्त कर तो स्वयं प्रबन्ध इन मामलों को सक्षम प्राधिकारी के पास अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लिख भेजे ।

रिक्तियों का विज्ञापन/मांग

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा जारी किये गए विज्ञापनों को काफी बड़ी संख्या में यह मालूम करने के लिए देखा गया कि उनमें आरक्षित रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों के लिए छूटो/रियायतों को समुचित रूप से प्रचारित किया गया है या नहीं । पाया गया कि अधिकांश विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का उल्लेख था । एक विज्ञापन में 55 रिक्तियों की अधिसूचना थी, जिसमें से 8 अनुसूचित जातियों और 4 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित दिखाई गयी थी, जबकि वह विज्ञापन केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इस मन्तव्य से जारी किया गया था कि यदि आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार मिल गये तो उन्हे नियुक्त कर लिया जायेगा । अधिकांश विज्ञापनों में अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं था । केवल "30 वर्ष से कम आयु नहीं" "26 वर्ष से कम आयु नहीं" या 21 वर्ष से कम आयु नहीं" जैसे वाक्यांश लिखे गए थे । चूंकि अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए उसमें छूट का प्रश्न ही नही ,उ ता सभी विज्ञापनों में यह वाक्यआया था "प्रबन्ध के विवेक पर अर्हता/अनुभव/

आयु तथा अन्य शर्तों में छूट दी जा सकती है" । वास्तव में अनुचिसूत जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव और अनिवार्य अर्हताओं में छूट दी जाती है और इसलिए इसका उल्लेख विज्ञापनों में विशेष रूप से किया जाना चाहिए । जहां सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रथम श्रेणी की डिग्री अपेक्षित थी, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए केवल पास श्रेणी को ही पर्याप्त लिखा गया था ।

प्रशिक्षण

उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार 1975, 1976 और 1977 के वर्षों में कुल 21 व्यक्तियों को संस्थान से बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जिनमें से केवल एक अनुसूचित जाति का था । उसी अवधि के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए 8 व्यक्तियों को भेजा गया था , जिसमें अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं था । इसी अवधि में परिसंवाद/सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए 101 व्यक्ति प्रतिनियुक्त किये गए थे, किन्तु इनमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का केवल एक-एक व्यक्ति भेजा गया था । इस सम्बन्ध में आग्रह है कि अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को अधिक से अधिक अवसर दिये जाय ताकि उनका दृष्टिकोण विस्तृत हो और उनमें उच्चतर दायित्वों के वहन करने के लिए अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न हो ।

विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी सम्मिलित करना

अध्ययन दल को दी गयी सूचना से पता चला कि 1977 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों की 38 बैठकें आयोजित हुयी थी और उन सभी मे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी सम्मिलित किए गए थे ।

झाड़ूकशों/द्वारपालों/द्वारपालिनों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रबन्ध के साथ अध्ययन दल के विचार-विमर्श का एक प्रेरक तथ्य यह रहा कि कार्मिक प्रबन्धक ने झाड़ूकशों/द्वारपालों/द्वारपालिनों की एक योजना अनुमति के लिए प्रस्तुत की है ताकि उन्हें उनके प्रारम्भिक अस्वच्छ व्यवसायो से हटाकर अन्य तकनीकी कार्यों पर लगाया जा सके । इससे उन्हे दूसरे पदो पर पदोन्नतियों का लाभ भी मिलेगा । आशा है कि प्रबन्ध इस सम्बन्ध में शीघ्रही निर्णय लेगा ।

परिशिष्ठ 26

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भारतीय व्यापार निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन– 14, 15 और 17 अप्रैल, 1978

दिसम्बर, 1975 में इस संगठन के एक दल ने इस की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन रोस्टरों, अनुसूचित समुदायों के लिए निर्दिष्ट रियायतों, छूटों और आरक्षण विषयक आदेशों/अनुदेशों से संबंधित अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया गया था । रोस्टरो और दूसरे अभिलेखों का निरीक्षण करने के बाद इस अध्ययन-दल ने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं :

(1) अलग-थलग पदों और छोटे संवर्गों का आरक्षण आदेशों के आशय मे वर्गीकरण नहीं किया गया था;

(2) रोस्टर निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं रखे गये थे;

(3) अध्ययन के समय तक पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं किये गये थे और इसलिए कोई रोस्टर भी नहीं रखा गया था;

(4) एक संवर्ग विशेष में अनुसूचित जातियों की नियुक्तियां निर्धारित से अधिक थी, जिन्हें आगे ले जाकर अगले वर्षों में समायोजित दिखाया गया था;

(5) निगम न तो आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की पद्धति का अनुसरण कर रहा था और न ही न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्ष तक आगे लाकर अन्तिम वर्ष में उन पर विनिमय-नियम लागू कर रहा था;

(6) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का कार्य देखने वाले सम्पर्क अधिकारी ने नियमों के अधीन अभी तक एक भी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी;

(7) सम्पर्क अधिकारी के अधीन विशेष प्रकोष्ट में नियुक्त व्यक्ति एकमात्र निर्दिष्ट काम नहीं कर रहे थे ।

(8) प्रवरण मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों की किसी भी बैठक में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक भी अधिकारी सम्मिलित नहीं किया गया था ।

दिसम्बर, 1977 के अन्त और 1978 के आरम्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के पास कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि इस संगठन के दल द्वारा रोस्टर आदि के संबंध में की गयी सिफारिशों पर संगठन ने समुचित रूप से अमल नहीं किया है । इसलिए आयुक्त ने भारतीय व्यापार निगम में फिर से अध्ययन का आदेश दिया ताकि पता चल सके कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का निगम पालन कर रहा है या नहीं ।

इस अध्ययन दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्व जीत सेन और श्री बी० एम० मसन्द थे और उन्होंने 14, 15 और 17 अप्रैल, 1978 को भारतीय व्यापार निगम का दौरा किया । उन्होंने मुख्य कार्मिक प्रबंधक श्री० वी० एन सिंह, शाखा प्रबंधक श्री आर० एम० साईटा, सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे कार्मिक प्रबंधक श्री आर० एम० गुप्ता, उप कार्मिक प्रबंधक श्री बी० सी० मेहता और कार्यालय प्रबंधक एम० जी० चावला से भेंट की । अध्ययन-दल को बताया गया कि आरक्षण आदेशों को लागू करने के लिए रोस्टरों को हाल ही में फिर से तैयार किया गया था और मार्च, 1978 के अन्त में उनकी पड़ताल मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक से करायी गयी थी । फिर से तैयार रोस्टर कमीबेश सही-सही रखे गये थे, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण बातों की अभी भी अवहेलना की गयी थी, जैसे आरक्षण आदेशों पर अमल करने के लिए पदों का वर्गीकरण और आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की पद्धति का पालन । अध्ययन-दल के विस्तृत निष्कर्षों को आगे के पैराग्राफों में दिया जाता है :—

1. पदों का वर्गीकरण

जैसा कि पहले की रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था कि आरक्षण आदेशों को लागू करने के मंतव्य से अलग-थलग पदों और 20 से कम पदों वाले छोटे संवर्गों का भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है । ऐसे पदों के वर्गीकरण की पद्धति के पीछे

यही धारणा थी कि कुछ पदों और संवर्गों में रिक्तियां बहुत कम बार घटित होती हैं और इस कारण एक वर्ष में एक रिक्ति बनने के कारण इन्हें गैर आरक्षित मान लिया जाता है । इस तरह के पदों को एक ही वर्ग में डालना जरूरी था ताकि इस तरह बने वर्ग के अन्तर्गत आये कुल पदों में से कुछ पदों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सके । देखा यह गया कि पिछले दल की सिफारिश के बावजूद ग्रुप कार्यपालकों और मुख्य पणन प्रबंधक ग्रेड 1 के पदों को छोड़ कर शेषसभी अलग-थलग पदों और छोटे संवर्गों का वर्गीकरण नहीं किया गया था । इन दो पदों का वर्गीकरण हाल ही में मार्च, 1978 में किया गया था । अध्ययन-दल को उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार देखा गया कि ऐसे संवर्गों की संख्या बहुत बड़ी थी, जिनकी कुल नफरी 20 से कम थी और जो भर्ती के नियमों के अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप से सीधी भर्ती से भरे गये थे । वास्तव में इन पदों के लिए रोस्टर ही नहीं रखे जा रहे थे । प्रबंध को सुझाव दिया जाता है कि इन पदों का पुनरीक्षण किया जाये और इन पदों की अर्हताओं, स्तर और वेतन को ध्यान में रखते हुए इनके वर्गीकरण का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय को भेजा जाये । किन्तु इस संबंध में इतना जरूर कहा जा सकता है कि वर्गीकरण पद्धति पर ऐसे पदों के मामले में ही अमल किया जाये, जो पदोन्नति की अपेक्षा केवल सीधी भर्ती से ही भरे जाते हों । पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के मामले में ऐसे प्रत्येक पद का रोस्टर अलग रखा जाये, जिस पर आरक्षण आदेश लागू होते हों, चाहे पदों की संख्या कितनी भी हो ।

2. सम्पर्क अधिकारी और उसके अधीनस्थ विशेष प्रकोष्ट

ज्ञात हुआ कि कार्मिक प्रबन्धक श्री आर० एन० मेहता दिसम्बर, 1976 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारी नामित थे । विचार विमर्श के दौरान इसकी पुष्टि हो गयी कि पिछले सम्पर्क अधिकारी ने भारतीय व्यापार निगम द्वारा रखे गये रोस्टरों के निरीक्षण की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी । यद्यपि वर्तमान सम्पर्क अधिकारी ने 1976 वर्ष के लिए रोस्टरों की पड़ताल कर ली थी, किन्तु दल को सूचित किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उपलब्ध नही है, क्योंकि उसकी फाइल कहीं गलत जगह रख दी गयी है । किन्तु उन्होंने 1977 वर्ष की निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति दिखाई, जिसमें ऐसी किसी कमी या त्रुटि का उल्लेख नहीं था जो सम्पर्क अधिकारी को दृष्टि में आयी हो । निर्धारित खाने में कोई टिप्पणी नहीं दी गयी थी । फिर भी वाणिज्य मंत्रालय के अवर सचिव को एक रिपोर्ट 4-4-1978 को भेजी गयी थी । अध्ययन दल ने अनेक रोस्टरों का निरीक्षण किया और उसे कहीं ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि सम्पर्क अधिकारी ने इन्हें देखा और इनकी पड़ताल की है । दल को सूचित किया गया कि निगम में एक विशेष सैल भी है और हाल ही तक इस तथाकथित सैल का अध्यक्ष उप कार्मिक प्रबन्धक के पद का एक अनुसूचित जाति का अधिकारी था । इस समय केवल एक कार्यालय प्रबंधक ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य को देख रहा है । पूछने पर दल को बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के लिए सैल में अलग से कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है । किन्तु एक ऐसी मिसिल अवश्य है जिसमे सभी प्रतिवेदनों का निपटान किया जाता है । इस प्रकार देखा जा सकता है कि कार्यालय प्रबंधक पर ही अभिलेखों के अनुरक्षण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की देख भाल का दायित्व है और उनके साथ अलग से कोई अमला संयुक्त नहीं है ।

3. 1 जनवरी, 1978 को अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के प्रतनिधित्व की स्थिति

अध्ययन-दल को बताया गया कि भारतीय व्यापार निगम में 1972, 1976 और 1977 के वर्षों में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में रह गयी पिछली कमी को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाये थे । किन्तु 1 जनवरी, 1978 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़े देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत न्यून है, अर्थात् क्रमशः 5.76%, 2.83% और 5.46% है । अनुसूचित जनजातियों का वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' में क्रमशः 2.12%, 0.18% और 0.08% है । फिर भी उल्लेखनीय है कि भारतीय व्यापार निगम में पिछले तीन वर्षों 1975, 1976 और 1977 के दौरान की गयी भर्ती के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, जैसा कि आगे की तालिकाओं में दिये आंकड़ों से देखा देखा जा सकता है ।

(क) सीधी भर्ती : 1975, 1976 और 1977

वर्ग	1975, 1976 और 1977 वर्षों के दौरान भरी गयी रिक्तियों की कुल संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
वर्ग 'क' .	83(330)	17(19)	7(7)
वर्ग 'ख' .	87(529)	4(15)	1(1)
वर्ग 'ग' .	230(1,300)	33(71)	1(1)

टिप्पणी:—कोष्टक में दिये गये अंक 1-1-1978 को नियोजन-स्थिति क सूचक हैं ।

(ख) 1975, 1976 और 1977 के दौरान पदोन्नति

वर्ग	भरी गयी कुल रिक्तियों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्ति से भरी गयी रिक्तियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग 'क' .	63	10	5	1	..
वर्ग 'ख' .	401	59	29	13	..
वर्ग 'ग' .	153	24	11	12	..

पिछले वर्षों में की गयी भर्ती के आधार पर मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की परिगणना के अनुसार प्रबंध संवर्ग में ही 29 आरक्षित रिक्तियों का पिछला शेष है, जिनमें से 21 पद सीधी भर्ती के कोटे के हैं (अनसूचित जाति 12 और अनुसूचित जनजाति 9) । इसी प्रकार प्रबंध इतर संवर्गों में 134 पदों का पिछला शेष है, जिनमें से 87 पद सीधी भर्ती के कोटे के हैं (अनुसूचित जाति 46 और अनुसूचित जनजाति 41) । ज्ञात हुआ कि विभिन्न स्तरों पर और देश के विभिन्न क्षेत्रों में 53 पद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए हाल ही में जारी किये गये थे । इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालय को भी कनिष्ठ सहायकों के 19 पदों के लिए नाम भेजने को लिखा गया । प्रबंध को परामर्श दिया गया कि वे ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में भी विज्ञापन जारी करें, जहाँ अनुसूचित जनजातियों का भारी जमाव है ताकि जमा हुयी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अधिक संख्या में आकृष्ट किया जा सके । आशा की जाती है कि यदि इन्हीं दिशाओं में ईमानदारी से प्रयत्न जारी रखे गये तो कम से कम सीधी भर्ती के पदों में तो जमा शेष आरक्षित रिक्तियां भरी जा सकेंगी ।

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के विषय में ज्ञात हुआ कि कार्यालय प्रबंधक से लेकर उससे ऊपर के पदों तक अधिकांश प्रबंध-पद प्रवरण के आधार पर पदोन्नति से भरे जाते हैं। चूंकि यह पद वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' में हैं। इसलिए इनमें न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार प्रबंध संवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि निवेशी संवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। कुछ संवर्गों में उच्च स्तर के प्रबंध पदों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पदोन्नति से। ऐसे संवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार खुले बाजार से मिल सकते हैं। किन्तु ऐसे संवर्गों में इस तरह की कोई आशा नहीं की जा सकती, जिनमें पूरी रिक्तियां पदोन्नति से भरी जाती हैं और जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति नहीं मिलते हैं तथा आगे आने वाले वर्षों में भी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए सुझाव है कि जिन संवर्गों में पूरी रिक्तियां पदोन्नति से भरी जाती हैं, उनकी भर्ती के नियमों में सीधी भर्ती का अंश रख कर संशोधन किया जाये ताकि इनके लिए खुले बाजार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति मिल सकें।

यह भी ज्ञात हुआ कि 'क' और 'ख' वर्गों के प्रबन्ध संवर्गों में पदोन्नति प्रवरण के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तव में यह वरिष्ठता के आधार पर ही होती है। यह बात कार्यालय प्रबंधक के पदों पर पदोन्नति के बारे में 23 नवम्बर की की गयी एक कार्मिक घोषणा से स्पष्ट था, जिसमें लिखा गया था कि सामान्य वर्गों के 3 उम्मीदवारों के कार्य निष्पादन पर निरन्तर दृष्टि रखी जायेगी और उनकी उच्चतर पदों पर नियुक्तियां एक वर्ष तक मासिक विशेष रिपोर्टों के संतोष जनक होने पर निर्भर करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके कार्य निष्पादन का स्तर निवेशी संवर्गों में भी संतोषजनक नहीं था, किन्तु उनके नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में होने के कारण उन्हें पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार यदि पदोन्नतियाँ शुद्ध रूप से वरिष्ठता के आधार पर ही की जानी हैं तो वांछनीय यही है कि भर्ती के नियमों में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाये और तब उस स्थिति में पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में मिल सकेंगे। वास्तव में ज्ञात हुआ कि कार्यालय प्रबंधक (सामान्य) के एक विशेष मामले में पहले भी इस तरह का निर्णय लिया गया था कि चूंकि पहले पदोन्नतियां वरिष्ठता-योग्यता के आधार पर की गई हैं, इसलिए रोस्टर वरिष्ठता-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए तैयार किये जायें और न भरी गयी आरक्षित रिक्तियाँ आगे लाकर दिखायी जानी चाहिएं। इस निर्णय पर की गयी कार्रवाई रोस्टरों या किसी और रिकार्ड में परिलक्षित नहीं थी।

4. अनारक्षण

1975 में अध्ययन-दल द्वारा की गयी टिप्पणियों के बावजूद देखा गया कि आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने से पहले उनके अनारक्षण की पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि अब अध्यक्ष/संचालक-मंडल की कार्योत्तर अनुमति के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 1970 से अब तक की आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण माँगा गया है। यह भी बताया गया कि वर्ग 'ग' के पदों के प्रस्ताव पर अध्यक्ष पहले ही सहमत हो चुके हैं, किन्तु 'क' और 'ख' वर्गों के पदों के अनारक्षण के प्रस्ताव पर 29 अप्रैल, 1978 को होने वाली संचालक मंडल की बैठक में विचार होना था। रोस्टरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में आरक्षित रिक्तियों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भर लिया गया था और जिन पदों को आगे लाने के तीसरे वर्ष में भी नहीं भरा जा सका था, उन्हें व्यपगमित हो जाने दिया गया था। इस चरण में प्रबंध द्वारा कार्योत्तर अनुमति पाने की कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु केवल इस आधार पर आरक्षित रिक्तियों की व्यपगमित होने देना वांछनीय नहीं कि आगे लाने के तीसरे वर्ष में भी नहीं भरा जा सका। फिर यह भी नहीं पता कि इन वर्षों के दौरान इन आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए निर्धारित सभी कदम उठाये गये थे या नहीं। पूर्वानुमति प्राप्त करने के पीछे मंतव्य यही है कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अध्यक्ष/संचालक मंडल को स्पष्ट करे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आकृष्ट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं। रोस्टरों को देखने से यह भी पता चला कि कुछ मामलों में अकेली रिक्ति के भर्ती-वर्षों को भर्ती-वर्ष मान लिया गया था, जो कि सही नहीं था। इसलिए सुझाव है कि आगे आने वाले वर्षों में पिछले वर्षों की व्यपगमित होने दी गयी रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नियुक्त करने के और अधिक प्रयास किये जायें और इस बीच निर्धारित अनारक्षण-पद्धति का अनुसरण न किया जाय।

30 जून, 1977 को भारतीय व्यापार निगम को वाणिज्य मंत्रालय से आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आगे से आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से ही भरा जायेगा और उनके न मिलने पर इन्हें खाली रखा जायेगा। रोस्टरों में पाया गया कि 30 जून, 1977 के बाद की गयी भर्ती तक में आरक्षित रिक्तियों को, आरक्षण पद्धति अनुसरण किये बिना ही, सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि लोक उद्यम ब्यूरो ने भर्ती पर प्रतिबन्ध लागू करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था, किन्तु भारतीय व्यापार निगम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की न भरी गयी कुल जमा आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक छूट प्राप्त कर ली थी। किन्तु वाणिज्य मंत्रालय के 30 जून, 1977 के उस परिपत्र में खड़ा किया विवाद समझ नहीं आया, जिसमें आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर रोक लगायी गयी थी। इस संबंध में कहा जा सकता है कि आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की पद्धति उस स्थिति के लिए निर्दिष्ट है, जिसमें नियमों के अनुसार सभी अपेक्षित कदम उठाने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिले हों। इसके पीछे यही विचार था कि रिक्तियों को खाली रखे रखने से संगठन के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए सभी निर्धारित कदम उठाये जा चुके हों तो इन रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लेने में कोई आपत्ति नहीं है। विशेष रूप से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पदों के अनारक्षण पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, जहाँ अगले 4 या 5 वर्षों तक इन्हें भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार मिलने की कोई संभावना न हो इन्हें अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाना चाहिए।

5. रोस्टर

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि रोस्टर सही आधार पर रखे गये थे। 'क' और 'ख' वर्गों के सभी पदों में भर्ती खुली प्रतियोगिता की अपेक्षा अन्यथा अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है, अर्थात् भर्ती का प्राथमिक स्तर विज्ञापन होने के कारण गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/13/63-एस०सी०टी० (11), दिनांक 21-12-63 के अनुबंध 2 में निर्दिष्ट प्रतिरूप-रोस्टर का अनुसरण किया जा रहा था। कार्मिक विभाग के 22 अप्रैल, 1970 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध 2 के अनुसार रोस्टरों को समुचित रूप से परिशोधित कर लिया गया था। किन्तु रोस्टरों के अध्ययन के दौरान उनमें निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी :—

(1) रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।

(2) न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को सही-सही आगे ला कर दिखाया गया था, किन्तु वर्ग के अन्त में भरी गयी रिक्तियों का सार नहीं दिया गया था । संबंधित कार्यालय प्रबंधक को ऐसे सार की रूपरेखा दे दी गयी, जिसे प्रत्येक भर्ती वर्ष के अन्त में देना अनिवार्य होता है ।

(3) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की पद्धति का अनुसरण किये बिना सामान्य उम्मीदवारों से उन्हें भर लिया गया था ।

(4) अकेली रिक्ति वाले भर्ती वर्षों या आरक्षित कोटे को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए उठाये गये निर्धारित कदमों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षण पद्धति का अनुसरण किये बिना व्यपगमित हो जाने दिया गया था ।

(5) जहाँ अगले वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार मिल गये थे, वहाँ आरक्षित रिक्तियों पर उनके समायोजन की टिप्पणी के खाने में नहीं दर्ज की गयी थी । इस संबंध में कार्यालय प्रबंधक को स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी ।

(6) कुछ रोस्टर में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि पहले के वर्षों की रिक्तियों को पहले भरा गया था या नहीं ।

(7) आशुलिपिकों के पदों के मामले में कार्मिक विभाग के 22 अप्रैल, 1970 के कार्यालय विज्ञापन के अनुबंध 2 में निर्दिष्ट रोस्टर का पालन किया गया था । इस मामले में, यद्यपि भर्ती स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, किन्तु संघ शासित क्षेत्र में 40-पाइन्ट रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए । किन्तु चूंकि भर्ती प्राथमिक रूप से रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, इसलिए अनुबंध 2 में निर्दिष्ट प्रतिरूप-रोस्टर का ही पालन करना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 16-2/3% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2% आरक्षण का विधान है । इसलिए सुझाव है कि रोस्टर को फिर से तैयार किया जाये और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए की गयी आरक्षित रिक्तियों और उन रिक्तियों के बीच के अन्तर की परिगणना की जानी चाहिए, जो वास्तव में उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए थी और उन्हें अगली भर्ती से भरा जाना चाहिए ।

(8) इसी प्रकार 1975 से आगे की भर्ती में सहायकों (सीधी भर्ती) के पदों का रोस्टर भी गलत था, क्योंकि वह सही प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार नहीं था । इसे फिर से नए सिरे से तैयार करना चाहिए ।

(9) कनिष्ठ सहायकों के पद पर भर्ती के मामले में भर्ती का आधार स्थानीय या क्षेत्रीय होते हुए भी मुख्य कार्यालय में प्रत्येक शाखा के रोस्टर पृथक-पृथक रखे जा रहे थे । इसकी सात शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ट्यूटीकोरीन, बंगलौर, कोचीन और गुंटूर में थीं । बम्बई शाखा को छोड कर बाकी सभी शाखाओं में कनिष्ठ सहायकों के संवर्ग में पदों की संख्या 20 से कम थी । यद्यपि मुख्य कार्यालय में रोस्टर शाखावार रखे जा रहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिशतता अलग-अलग होने के कारण कनिष्ठ सहायकों के सभी पदों का एक वर्ग नहीं बनाया जा सका था । किन्तु इन पदों को संबंधित क्षेत्रों में मौजूद इसी श्रेणी के अन्य पदों के साथ एक वर्ग में रखने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(10) प्रवरण के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के मामले में, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के पदों पर आरक्षण आदेश जुलाई, 1974 से प्रभावी हुए थे, किन्तु इन वर्गों क रोस्टर 1970 से रखे जा रहे थे । लगभग सभी पाइन्ट आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कराये बिना सामान्य उम्मीदवारों से भरे गये थे । 1977 वर्ष के दौरान कनिष्ठ सहायकों से सहायकों/इन्सपेक्टरों की पदोन्नति में 1973 से आगे लायी जा रही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक रिक्ति को एक बार या अनारक्षित कराये बिना व्यपगमित दिखा दिया गया था । 1977 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों की चार नियुक्तियों में से एक नियुक्ति पर इस रिक्ति को समायोजित करके भरा दिखाया जा सकता था और इस संबंध में नियम भी यही है कि पिछले वर्षों की आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को पहले भरा जाना चाहिए ।

(11) कार्यालय प्रबंधक के पद पर पदोन्नति के एक मामले में, वर्ष विशेष में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में इस आधार पर आगे लाकर नहीं दिखाया गया था कि प्रवरण के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले वर्ग 'क' और 'ख' के पदों में आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने की कोई व्यवस्था नहीं है । संबंधित भर्ती नियमों में कार्यालय प्रबंधक का पद प्रवरण पद तृतीय श्रेणी (वर्ग 'ग') के रूप में दिखाया गया है, जो पूर्णतया पदोन्नति से भरा जाता है । इस प्रकार के पदों पर 11 जुलाई, 1968 का वह कार्यालय ज्ञापन लागू होता है, जिसमें आरक्षित रिक्तियों के लिए पृथक विचार परिधि की व्यवस्था है । उदाहरणार्थ यदि 10 रिक्तियों में से दो अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और विचार परिधि में रिक्तियों की संख्या 5 गुना रखी गयी है तो पदोन्नति के लिए कम से कम 10 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार करना चाहिए, बशर्ते वे पात्रता की शर्त पूरी करते हों । यदि विचार-परिधि में पात्र उम्मीदवार न मिले तो न भरी गयी आरक्षित रिक्ति को अगले तीन भर्ती (पदोन्नति) वर्षों में आगे लाया जाये । इस प्रकार ऐसी रिक्तियों को आगे न ले जाने का प्राधिकारियों का निर्णय सही नहीं था । विचार विमर्श के दौरान दल को बताया गया था कि कार्यालय प्रबंधक का पद 'ख' वर्ग का पद है, जबकि भर्ती नियमों में यह 'ग' वर्ग का पद है । यह भी पता चला कि 'ख' वर्ग के अधिकारियों को कर्मचारी संघ का सदस्य बनने की अनुमति नहीं, किन्तु कार्यालय प्रबंधकों को संघ की गति-विधियों में भाग लेने की छूट है । वे वर्ग 'ग' के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जैसे छुट्टी, यात्रा रियायत और बाहर की ड्यूटी पर दैनिक भत्ता । इस प्रकार सभी दृष्टियों से और भर्ती नियमों के अनुसार वे वर्ग 'ग' के कर्मचारी हैं । इसलिए न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने की व्यवस्था इस पद पर भी भली प्रकार लागू होती है, चाहे यह पद प्रवरण पद्धति से ही क्यों न भरा जाता हो

6 प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिएं और उन्हें परिसंवादों/गोष्ठियों में अधिक संख्या में भेजना चाहिए ताकि प्रथम श्रेणी के उच्चतर पदों में उनके प्रवरण की संभावनाएं और बढ़ें—विशेष कर प्रथम श्रेणी के भीतर ही पदोन्नति से भरे जाने वाले उन पदों म जहाँ

आरक्षण का अंश न हो। आसन्न उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रथम श्रेणी के अफसरों का आवश्यक मार्गदर्शन करना चाहिए और सुधार के लिए संस्था के अन्दर या बाहर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। अध्ययन-दल को दी गयी सूचना के आधार पर 1975 के दौरान प्रथम श्रेणी के किसी भी अधिकारी को इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 1976 में बाहर की संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए 24 अधिकारी भेजे गये थे, जिनमें 2 अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के थे। इसी वर्ष में प्रथम श्रेणी के 91 अधिकारियों को परिसंवाद/गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिनमें से केवल 2 अनुसूचित जातियों के थे। इस के पीछे यह कारण हो सकता है कि प्रथम श्रेणी के पदों पर अधिकांश भर्ती केवल 1977 में की गयी थी और निगम की नामावलियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। 1977 के वर्ष में चार अधिकारियों को विभाग में ही प्रशिक्षण दिया गया था और जिन 27 अधिकारियों को संगठन से बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उनमें से 6 अनुसूचित जनजातियों के थे। परिसंवादों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किये गये 45 अधिकारियों में से केवल 2 अनुसूचित जातियों के थे। आशा है कि भारतीय व्यापार निगम प्रशिक्षण के इस पक्ष की ओर विशेष ध्यान देगा, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण की ओर। कारण यह कि अब ऐसे अधिकारी पर्याप्त संख्या में हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है। उनके दृष्टिकोण का विस्तार करने और उन्हें उच्चतर दायित्वों के वहन योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है। पता चला कि प्रथम श्रेणी के उपरोक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलावा वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' के पदों पर काम कर रहे 20 अधिकारियों को भी 1976 के दौरान प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जिनमें 2 अधिकारी अनुसूचित जाति के थे। इसी प्रकार 1977 के दौरान प्रशिक्षण के लिए भेजे गये 34 अधिकारियों में 3 अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के थे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना को और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें उच्चतर पदों और पदोन्नतियों में नियुक्तियों के और अधिक अवसर मिल सकें।

7. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण

अध्ययन दल को उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार 1975-76 में भर्ती किये गये 23 प्रशिक्षुओं में से केवल 3 अनुसूचित जाति के थे इन 23 में से अन्त में केवल 8 को संगठन में नियुक्त किया था, जिनमें दो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे किन्तु 1976-77 के दौरान प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त 118 व्यक्तियों में से 30 अनुसूचित जातियों के और एक अनुसूचित जनजाति का था। इनमें से केवल अनुसूचित जातियों के 2 प्रशिक्षुओं को अन्त में संगठन में खपा लिया गया था। सुझाव है कि वर्ग 'ग' के पदों में निम्नतर पदों की भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में भारी कमी के कारण प्रशिक्षुता कार्यक्रम में अनुसूचित समुदायों के व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में लिया जाये और उन्हें अन्त में संगठन में खपा लिया जाये ताकि जमा हो गयी इन आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके।

8. अधिसूचनाएं/विज्ञापन

1975 वर्ष में प्रस्तुत पिछली रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि विज्ञापनों/मांगों को पूर्ण और उद्देश्ययुक्त बनाने के लिए उनमें रिक्तियों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल रिक्तियों की वास्तविक संख्या और निगम द्वारा उनको प्रदत्त छूटों और रियायतों के वास्तविक स्वरूप का उजागर रूप से उल्लेख होना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों का ध्यान अधिक से अधिक उनकी तरफ आकृष्ट हो। किन्तु इसके बावजूद 1977 वर्ष के अन्त तक कुल रिक्तियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या की परिगणना नहीं की गयी थी। फिर समाचार पत्र के विज्ञापनों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा भत्ते की व्यवस्था का भी उल्लेख नहीं किया गया था। यद्यपि इस समस्या को हम अपनी पिछली रिपोर्ट में भी उजागर कर चुके थे, किन्तु अध्यक्ष दल को बताया गया कि चाहे अर्हताओं में छूट का उल्लेख विज्ञापनों में नहीं हुआ था, फिर भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार करते समय उन्हें अर्हताओं में छूट दी गयी थी। चूंकि छूट का स्वरूप लचीला रखा गया था, इसलिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रदत्त छूटों/रियायतों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन था। इस तरह की प्रणाली में एक हानि यह है कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को इन छूटों/रियायतों से अवगत न कराया जाये तो हो सकता है कि वे आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आवेदन ही न करें। हाल ही में समाचार पत्रों में जारी किये गये विज्ञापन, विशेषकर केवल आरक्षित समुदायों के लिए जारी विज्ञापन, इस दृष्टि से सुविस्तृत थे कि उनमें आरक्षित रिक्तियों की संख्या और यात्रा-भत्ते के भुगतान का उल्लेख किया गया था, हालांकि छूटों/रियायतों के स्वरूप का उल्लेख अभी भी नहीं किया गया था। अध्ययन दल को सूचना दी गयी कि लिपिक सेवा के निम्नतम पद कनिष्ठ सहाय्यक पद को छोड़ कर बाकी सभी पद-वर्गों में नियुक्तियां विज्ञापनों के माध्यम से की जाती हैं। इस स्थिति में यदि विज्ञापनों को उद्देश्यपूर्ण नहीं बनाया जाता है तो आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में आकृष्ट करना कठिन होगा। दल को बताया गया कि सामान्यतया रिक्ति-विज्ञापन निम्नलिखित समाचार पत्रों को जारी किये जाते हैं :—

हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली)
इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास और सदर्न रीजन)
आसाम ट्रिब्यून (आसाम)
मातृभूमि (कोचीन)
अमृत बाजार पत्रिका (इलाहाबाद) और
एम्प्लायमेंट न्यूज (नई दिल्ली)

सुझाव है कि भविष्य में विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों में भी दिये जाने चाहिएं, जो अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में छपते हों और जिनका विस्तृत वितरण ऐसे क्षेत्रों में होता हो, जहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों का अधिकतम संकेंद्रण हो।

9. जाति-प्रमाण पत्र

यह सुनिश्चित करने के लिए कहीं सामान्य उम्मीदवार जाति-प्रमाण पत्रों का अनुचित उपयोग तो नहीं कर रहे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों और जाति-प्रमाण पत्रों की संवीक्षा की गयी। पाया गया कि बहुत से मामलों में वैसे तो जाति-प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये थे, किन्तु वे सही रूप में नहीं थे। कुछ मामलों में देखा गया कि जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये थे। उदाहरणार्थ, कुछ प्रमाण-पत्र भारतीय दलित संघ के कार्यालय सचिव ने 1971 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जारी किये थे और उनमें लिखा था कि यह व्यक्ति बाल्मिकी समुदाय के हैं। एक और प्रमाण-पत्र दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संस्था के महासचिव ने 1977 में यह लिखते हुए जारी किया था कि यह व्यक्ति जाटव समुदाय का है और दिल्ली का निवासी है।

केन्द्रीय सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किये गये एक प्रमाण-पत्र में लिखा था कि उम्मीदवार अद्धर्मी जाति का है और पंजाब का निवासी है। यह 1961 में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित था। एक और प्रमाण-पत्र 1975 वर्ष में बंगलौर के तहसीलदार

द्वारा इस उल्लेख के साथ जारी किया था कि यह प्रमाण पत्र समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया है। एक और मामले में प्रमाणपत्र 1977 वर्ष में बम्बई के उपकार्यपालक मजिस्ट्रेट ने इस आशय के साथ जारी किया था कि प्रत्याशी हिन्दु चमार जाति का है, किन्तु उस में निवास स्थान और अन्य विवरणों का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि कुछ मामलों में प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये थे और कुछ मामलों में वे सही प्रपत्र पर नहीं थे। हो सकता है कि यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति आरक्षित समुदायों के ही हों, किन्तु अभिलेखों को अद्यतन करने और अनुसूचित जाति/जनजाति के वास्तविक व्यक्तियों के हितों को हानि से बचाने के लिए सुझाव दिया जाता है कि जो प्रमाण पत्र सही प्रपत्र पर नहीं है और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये हैं, उनका सत्यापन कराया जाये और सत्यापन की रिपोर्ट संबंधित फाइलों में रखी जायें।

परिशिष्ट 27

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3·121)

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की दुर्गापुर ईकाई में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कार्मिकों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए 18 और 20 अप्रैल, 1978 को इस कार्यालय के एक दल ने इस संगठन का दौरा किया था। इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक वरयाम सिंह सम्मिलित थे। इस दल ने रोस्टर-रजिस्टरों, रोजगार कार्यालयों तथा समाचार पत्रों को भेजी रिक्ति माँगों, आन्तरिक परिपत्रों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ व्यक्तियों के वैयक्तिक अभिलेखों की पड़ताल की थी और निम्नलिखित अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया था :—

1. श्री ए० के० मित्रा, महाप्रबंधक ।
2. ब्रिगेडियर के० श्रीनिवासन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।
3. श्री एस० चट्टोपाध्याय, सहायक कार्मिक अधिकारी ।
4. श्री यु० पी० बनर्जी, कार्यालय अधीक्षक ।

1. भर्ती और पदोन्नति

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर (पहले इसका नाम फर्टिलाइजर कारपोरशन आफ इंडिया था) छटे दशक के मध्य के आस पास के वर्षों में स्थापित की गयी थी। प्राधिकारियों ने बताया कि कारखाने लगाने के कारण विस्थापित व्यक्तियों को इस कारखाने में नियोजित किये जाने का समझौता हुआ था। इस समझौते और सरकारी क्षेत्रों के निकायों को सरकारी निर्देश के विलम्ब से जारी किये जान के कारण इस कारखाने में शुरू में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने के विशेष प्रयत्न नहीं किये गये थे ।

कारखाने में भर्ती और पदोन्नति के अनुसार भर्ती पाइन्टों को छोड़ कर शेष सभी पद पिछले ग्रेड से अगले ग्रेड में कार्मिकों को पदोन्नत करते हुए भरे जाते हैं, बशर्ते अनुमत नियमों के अनुसार वर्ग विशेष में अर्हता और अनुभव प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हों। किसी इकाई के किसी पद-वर्ग विशेष या कारपोरेशन में पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ही सीधी भर्ती का सहारा लिया जाता है। चूंकि कारखाने के विभिन्न पद-वर्गों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को प्रबंध द्वारा भरे जाने की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि विभिन्न पद-वर्गों के रोस्टर भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार रखे गये थे, किन्तु आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुछ ही कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सका था और इसलिए इन रिक्तियों को अनारक्षित मान कर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भर लिया गया था। "निर्देश" को ताक पर रख कर पांच वर्ष की पात्रता की शर्त में एक वर्ष की छूट देकर अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के प्रबंध के प्रयास भी जमा आरक्षित रिक्तियों को कम नहीं कर सके थे। कारण यह था कि कारखाने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार थे ही थोड़े से। इसके अतिरिक्त दल को यह भी बताया गया कि भर्ती पाइन्टों (मजदूर, तकनीशियन), प्रशिक्षुओं (शिल्पकार प्रशिक्षणार्थी), स्नातक प्रशिक्षुओं (अवर श्रेणी लिपिक/टंकक आदि) में पिछले कई वर्षों में बहुत थोड़ी भर्ती हुई थी। उदाहरणार्थ, तकनीशियन प्रशिक्षणार्थियों के वर्ग में 1972 से कोई भर्ती नहीं हुई थी। स्नातक प्रशिक्षुओं के वर्ग में 1976 में कोई भर्ती नहीं थी और 1977 में केवल दो भर्तियां थीं, जिनमें से एक अनुसूचित जाति समुदाय की थी। इस प्रकार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाना वांछनीय है (i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मार्ग खोलना; और (ii) भर्ती पाइन्टों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अधिकतम भर्ती ।

(i) **पदोन्नति के मार्ग.**—कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो कर्मचारी अगले उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होते हुए भी किसी विशेष शिल्प/प्रशिक्षण में कुशलता प्राप्त न हों तो उन्हें चुन लिया जाये और उन्हें उस शिल्प/प्रशिक्षण की कुछ सिखलाई दी जाये। जो प्रशिक्षण कोर्स को सफलता से पूरा कर लें, उच्चतर पदों पर नियुक्त करने के लिए उन पर विचार किया जाय। अन्यथा हर वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पाइन्टों को अनारक्षित कराना पड़ेगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न्यून/नगण्य ही चलता रहेगा।

(ii) **भर्ती पाइन्ट.**—कारपोरेशन के भर्ती नियमों के अनुसार प्रशिक्षु तीन स्तरों पर लिये जायेंगे (1) विज्ञान विषय के साथ मैट्रिक पास उम्मीदवार शिल्प प्रशिक्षुओं के रूप में लिये जायेंगे जिन्हें अपना प्रशिक्षण पूरा करने बाद शिल्पकारों या कर्मियों के रूप में नियुक्त कर लिया जायेगा, (2) डिप्लोमाधारी/विज्ञान स्नातक को चार्जमैन प्रशिक्षणार्थियों के रूप में लेकर चार्जमैन पद पर नियुक्त कर लिया जायेगा और (3) स्नातक इंजीनियरों को कनिष्ठ इंजिनियरों के रूप में लिया जायेगा ।

यद्यपि ताजा भर्ती की कोई योजना कारपोरेशन के पास नहीं है, किन्तु अनुसूचित जातियों और विशेष कर अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में वृद्धि करके ही आनीत शेष आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में भी स्थिति में

सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं । इस प्रकार का समझौता और समायोजन अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांश भर्ती 1976 से पहले ही कर ली गयी थी और 1976 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनका देय भाग नहीं दिया गया था । जब कारपोरेशन उन्हें उनका देय भाग देने की स्थिति में अभी, नई भर्ती पर रोक लगा दी गयी । इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति न्याय के भाव से कारपोरेशन को अपनी वर्तमान नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और उन्हें कुछ छूट/रियायतें देनी होंगी ।

2. प्रशिक्षण

प्रबंध से विचार विमर्श के दौरान अध्ययन-दल को सूचित किया गया कि कारपोरेशन में एक प्रशिक्षण विभाग है, जिसमें पूर्व बुनियादी और उच्च पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं । 1976 और 1977 के दो वर्षों में एकत्र सामग्री से ज्ञात हुआ कि इन पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का भाग लेना या तो शून्य है या नगण्य । अनुभव किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने में प्रशिक्षण विभाग की सेवाओं का लाभकारी उपयोग किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में समुचित परिशोधन किया जाये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण देने के नए कार्यक्रम चलाये जायें । इन अनुसूचित समुदायों के हितों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रमों की अवधि और समयों में भी परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए ।

3. विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मण्डल

अध्ययन दल को दिये गये आंकड़ों के आधार पर दावा किया गया था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों/ प्रवरण मंडलों की 1976 और 1977 में आयोजित सभी बैठकों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था । ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि संगठन में अनुसूचित जाति समुदायों के अधिकारी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदों पर उपलब्ध थे । किन्तु यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि 'क' कोटि के वर्ग में अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं था और वर्ग 'ख' में अनुसूचित जनजाति का एक ही अधिकारी था ।

4. अनारक्षण

नियुक्तकर्ता प्राधिकारियों पर रोक रखने के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को उनके लिए उम्मीदवार न मिलने पर यह बताते हुए अनारक्षित करा लेना होगा कि ऐसे उम्मीदवारों के भर्ती करने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये थे । अध्ययन के दौरान पता चला कि प्राधिकारी इस पद्धति का प्रारंभ में अनुपालन नहीं कर रहे थे, किन्तु 1975 से आये ऐसे सभी मामलों को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के कार्यालय में भेजा जा रहा था । 1975 से पहले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियों में उनका देय भाग देने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये गये प्रतीत होते थे और न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को दूसरे व्यक्तियों से भरा दिखाया गया था । औपचारिक रूप से इनका अनारक्षण कराये बिना ही इन्हें पीछे के वर्षों से आगे ले आया गया था । इसलिए अपेक्षित वर्षों तक आगे लाने के बाद ऐसे सभी पाइन्टों को व्यपगमित होने देना उचित नहीं होगा । आगे लाने वाले तीसरे वर्ष को उस पहले वर्ष से गिना जाये, जब पाइन्ट को अनारक्षित और आगे ले जाया गया था । व्यपगमन का यही आधार होना चाहिए ।

5. सम्पर्क अधिकारी

कार्मिक अधिकारी का नामन सम्पर्क अधिकारी के रूप में हुआ था और उसके द्वारा प्रस्तुत 1976 और 1977 वर्षों की रिपोर्ट देखी गयीं और नियमित पायी गयीं । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से संबंधित कार्य की देखभाल एक विशेष सैल कर रहा था, जिसमें अंशकालिक आधार पर एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ अधिकारी काम कर रहा था । प्रतीत हुआ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सामान्य हितों का समुचित ध्यान रखा जा रहा है और उन कर्मचारियों की कोई बडी शिकायतें नही थीं ।

6. जाति प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलें यह सुनिश्चित करने के लिए देखी गयीं कि अन्य उम्मीदवारों द्वारा जाति-प्रमाण पत्रों का अनुचित उपयोग तो नहीं किया जा रहा । पता चला कि जाति-प्रमाण पत्रों के मूल की प्रतियां संबंधित फाइलों में रखी गयी थीं । कुछ मामलों में प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये थे । सुझाव था कि प्रमाण पत्र सही रूप में न हों तो उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के पास सत्यापन के लिए भेज दिया जाये और ऐसी सत्यापन रिपोर्टों को संबंधित फाइलों में लगा दिया जाये ताकि रिकार्ड अद्यतन और पूर्ण रहे ।

7. विज्ञापन/अधिसूचना

यह पाया गया कि सभी वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व न्यून या नगण्य है । 1976 और 1977 में समाचार पत्रों को जारी कुछ विज्ञापनों, रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांगपत्रों तथा 'आंतरिक परिपत्रों' की संवीक्षा की गयी और पाया कि बहुत से मामलों में अर्हताओं और अनुभव में दी गयी छूटों/रियायतों के स्वरूप का समुचित उल्लेख नहीं किया गया था । इसके बावजूद कि कारपोरेशन ने साक्षात्कारों/परीक्षाओं के लिए बुलाये सभी उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता दिया था, विज्ञापनों में इस व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं हुआ था । दल को सूचित किया गया कि कारपोरेशन के अनथक प्रयासों के बावजूद उन्हें कनिष्ठ आशुलिपिक, स्टाफ नर्स, भेषजज्ञ, सहायक सर्जन, वरिष्ठ आशुलिपिक जैसे पदों के लिए अनुसूचित जातियों और विशेष कर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है । प्राधिकारियों को सुझाव दिया गया कि वे ऐसे समाचार पत्रों (अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के) में ताजा विज्ञापन जारी करें, जिनका वितरण ऐसे राज्यों में बहुत अधिक संख्या में होता हो जहां जनजातियों की जनसंख्या का अधिकतम संकेन्द्रण हो । उन विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से इस का उल्लेख होना चाहिए कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है, उन्हें अर्हताओं और अनुभव में कितनी और कैसी छूट/रियायतें दी गयी हैं और साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों को सब से छोटे मार्ग से रेल/बस का भाड़ा दिया जायेगा । जिन राज्यों में जनजातियों का बाहुल्य है, वे हैं : नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और पश्चिमी बंगाल ।

परिशिष्ट 28

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भारत के महापंजीयक के कार्यालय, नई दिल्ली के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

भारत के महापंजीयक के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए 2, 3 और 4 मार्च, 1978 को इस संगठन में एक दल भेजा गया था, जिसमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री बरयाम सिंह सम्मिलित थे। दल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी अनेक समस्याओं पर सहायक महापंजीयक श्री के० के० चक्रवर्ती और प्रशासन अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी श्री एम० सी० माथुर से विस्तार से विचार विमर्श किया था। रोस्टर रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय को प्रेषित माँग पत्रों, समाचार पत्रों को भेजी गयी नियोजन सूचनाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों की पड़ताल की गयी और पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गयी :—

1. रोस्टर रजिस्टर

(1) प्रारम्भ में रोस्टर 1959 से रखे गये थे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के हर पद के लिए अलग-अलग रोस्टर थे, चाहे किसी पद की संस्वीकृत नफरी, वेतनमान और ड्यूटियाँ कुछ भी हों। इस उद्देश्य के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का एक साथ वर्गीकरण कर दिया गया था। यह स्थिति 1963 तक चलती रही और तब नए रोस्टर रजिस्टर प्रारम्भ किये गये थे। 27-3-1963 से शुरू किये गये रोस्टर सही रूप में थे, किन्तु किसी भी प्रविष्टि पर किसी भी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। 1970 से सीधी भर्ती वाले और पदोन्नति के पदों के लिए अलग-अलग रोस्टर शुरू किये गये थे और इनमें भी किसी प्रविष्टि पर किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। रोस्टर रखने के लिए पदों का वर्गीकरण करते समय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो आवश्यक होती है।

(2) ऐसा लगा कि पदोन्नति पदों के लिए कोई रोस्टर नहीं तैयार किया गया था। उस के बजाय केवल एक सूची रखी गयी थी, जिसमें पदोन्नत व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। रोस्टर निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं थे और न ही उनमें पदोन्नति वर्ष, न भरे आनीत आरक्षित पाइन्ट, आरक्षण पद्धति का कोई उल्लेख था।

(3) कुछ मामलों में जहाँ पदोन्नतियां प्रवरण पद्धति के आधार पर की गयी थीं, आरक्षण आदेश जुलाई, 1974 से लागू किये गये थे। फिर चूंकि 1977 तक नियमित पदोन्नतियां नहीं हुई थीं, इसलिए पहले से पदोन्नत व्यक्तियों के नाम दर्ज करके रोस्टर तैयार किये गये लगते थे। 1975 के दौरान वरिष्ठ आशुलिपिकों के मामले में चार रिक्तियाँ थीं और उनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दिखायी गयी थी। किन्तु पदोन्नति के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध न होने के बावजूद इस आरक्षित पाइंट पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने से पहले इसका अनारक्षण नहीं कराया गया था। इसी तरह द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी (सहायक निदेशक, जनगणना कार्य) की पदोन्नति के मामले में, 1977 वर्ष के दौरान की गयी 14 पदोन्नतियों में से तीन अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित दिखाई गयी थी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित तीनों रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भर लिया गया था, किन्तु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति को औपचारिक रूप से अनारक्षित कराये बिना सामान्य उम्मीदवार से भरा दिखाया गया था। इससे प्रतीत होता है कि रोस्टर एक औपचारिकता पूरा करने के लिए पदोन्नतियों के कुछ मामलों के लिए प्रारम्भ किये गये थे, न कि आरक्षण-नियम के प्रभावी माध्यम के रूप में।

2. अनारक्षण

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ति को तब तक सामान्य उम्मीदवार से नहीं भरा जा सकता, जब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार के न मिलने की स्थिति में निर्धारित पद्धति के अनुसार उसका अनारक्षण न करा लिया जाये। रोस्टरों के अध्ययन से पता चला कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पाइन्टों को वर्ष-दर-वर्ष आगे लाकर सही-सही दिखाया जाता रहा, किन्तु इन आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कराने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी। प्राधिकारी एक मामले को छोड़ कर इस तरह कोई और मामला पेश नहीं कर सके, जो उन्होंने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भेजा हो। मात्र एक मामला उन्होंने 1969 में उस विभाग के पास भेजा था। इसलिए सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी मामलों की परिगणना की जाये और व्यपगमन का कारण बताते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की कार्योत्तर अनुमति प्राप्त की जाये।

3. आरक्षित रिक्तियों का व्यपगमन

बहुत से ऐसे मामले थे, जिनमें न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को वर्ष-दर-वर्ष आगे लाया जाता रहा और औपचारिक रूप से इनका आरक्षण कराये बिना तीसरे आनीत वर्ष में इन्हें व्यपगमित तक हो जाने दिया गया था। वास्तव में आरक्षित रिक्तियों व्यपगमन से पहले उन्हें तीन वर्ष तक आगे लाया जाता है और उन्हें भरने के लिए भर्ती के सभी प्रयत्न किये जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार न मिलने पर उनके अनारक्षण के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखा जाता है। फिर आरक्षण विनियम का नियम भी लागू किया जाता है। तब कहीं जाकर इन्हें व्यपगमित होने दिया जाता है। अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि सामाजिक अध्ययन प्रभाग में कुछ पद-वर्गों में न भरी गयी जो आरक्षित रिक्तियां 1961 और 1962 से आगे लायी जा रही थीं, उन्हें 1966 में व्यपगमित हो जाने दिया गया था। इससे पहले इन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती करने के आवश्यक प्रयास नहीं किये गये थे। एक अकेले मामले में, सहायक संकलनकर्ता की 44 आरक्षित रिक्तियां (34 अनुसूचित जातियों और 10 अनुसूचित जनजातियों की) 1961 और 1962 से आगे लायी जा रही थीं उन्हें 1966 के दौरान व्यपगमित दिखा दिया गया था, जबकि वास्तव में 1966 में 13 रिक्तियों, 1965 में 2 और 1966 में केवल एक रिक्ति को भरा गया था। कुछ पदों की भर्ती के मामले में आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को पहले समायोजित और वर्तमान रिक्तियों को

आगे ले जाये बिना ही उन्हें व्यपगमित हो जाने दिया गया था । पुरानी रिक्तियों को इस तरह व्यपगमित होने से बचाया जा सकता था । इस प्रकार आरक्षण के व्यपगमन की प्राधिकारियों को कार्रवाई नियमित नहीं थी । इस कारण रोस्टरों को फिर से तैयार करने और आरक्षित रिक्तियों को सही-सही आगे ले जाने की पद्धति के अनुसरण की आवश्यकता है । पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अगर आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार न मिल पाये तो उनके व्यपगमन पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ।

4. सम्पर्क अधिकारी और रोस्टरों की पड़ताल

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार किसी भी स्थापना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्यों की देखभाल के लिए प्रशासन प्रभारी उप सचिव या समान पद का कोई अधिकारी सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा । किन्तु महापंजीयक के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद का एक अधिकारी-सम्पर्क अधिकारी के कार्यों को सरअंजाम दे रहा था । फिर संबंधित सम्पर्क अधिकारी को अपने कार्यालयों में रखे गये रोस्टरों की वार्षिक पड़ताल और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण संबंधी विवरणिका के परिशिष्ट 7 में निर्दिष्ट प्रपत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है । अध्ययन-दल को प्रदत्त सूचना के अनुसार तत्कालीन संपर्क अधिकारी ने ऐसी कोई पड़ताल नहीं की थी, जबकि उन्होंने अगस्त, 1977 में यह कार्यभार सम्भाल लिया था । यह भी पता लगा कि पिछले सम्पर्क अधिकारी ने भी कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी । जब तक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की योजना पर प्रभावी रूप से कार्यान्वयन में सुधार की कोई संभावना नहीं । इसलिए प्राधिकारियों को इस संबंध में सरकारी अनुदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए । इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों/कर्मचारियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों पर अमल करने के काम की अलग से देखभाल करने के लिए कम से कम 1 या 2 अधिकारी नियुक्त कर दिये जायें ।

5. मांग पत्र/रोजगार सूचनाएँ

इस संबंध में वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार रोजगार कार्यालयों को भेजी गयी अधिसूचनाओं और समाचार पत्रों के विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या और उन्हें दी गयी छूटों और रियायतों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा ताकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर सकें । किन्तु अध्ययन के दौरान देखा गया कि 1972 में कलाकार की एक आरक्षित रिक्ति की अधिसूचना रोजगार कार्यालय को भेजी गयी थी, उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूटों/रियायतों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था । अंत में 4 और पद उपलब्ध हो गये थे, किन्तु सारी रिक्तियां उन्हीं उम्मीदवारों से भर ली गयी थीं जिनके नाम रोजगार कार्यालय ने एक रिक्ति के लिए भेजे थे । रोजगार कार्यालय ने जो नाम भेजे थे, उनमें संयोग से एक अनुसूचित जाति का भी उम्मीदवार था और उसे चुन लिया गया था । किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार को भर्ती करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये थे, जबकि पद उसके लिए आरक्षित था ।

1976 में भी, प्रारम्भ में एक मानचित्रकार/भूगोलज्ञ के एक पद की अधिसूचना रोजगार कार्यालय को भेजी गयी थी और बाद में संभावित रिक्तियों के लिए प्रवरण हेतु और नाम मांगे गये थे । किन्तु रोजगार कार्यालय को यह सूचना कभी नहीं दी गयी कि वास्तविक रिक्तियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अपेक्षित आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी है । इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि संभावित रिक्तियों (तत्कालीन और आगे लायी गयी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियों की सूचना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संस्थाओं को भी नहीं भेजी गयी थी । इस प्रकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के सेवा हितों की अवहेलना की गयी है । इस विषय में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

6. पुष्टिकरण में आरक्षण

प्राधिकारियों ने सूचना दी कि सीधी भर्ती से भरे गये अनेक पदों के पुष्टिकरण के मामले में वे रोस्टर रजिस्टर में दर्ज मूल रोस्टर पाइन्टों का अनुसरण कर रहे हैं । इस उद्देश्य के लिए भी कोई अलग रोस्टर नहीं था । वास्तव में वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गयी अलग सूची की तरह इस मामले में भी अलग सूचियां तैयार की गयी थी और इस बात की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया था कि रोस्टर रजिस्टर के और खानों का भी अनुसरण कर लिया जाये ।

परिशिष्ट 29

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

दक्षिण पूर्वी रेलवे, कलकत्ता के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षणों के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

दक्षिण पूर्वी रेलवे की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षणों के उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने एक अध्ययन-दल की प्रतिनियुक्ति की, जिसमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री वरयाम सिंह सम्मिलित थे । दल ने 22 और 25 अप्रैल, 1978 को इस संगठन का दौरा किया और निम्नलिखित अफसरों से विस्तृत विचार विमर्श किया :—

1. श्री निहार दत्त, मुख्य कार्मिक अधिकारी ;
2. श्री ए० सेन, अतिरिक्त मुख्य कार्मिक अधिकारी;
3. श्री डी० एस० निगाह, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ।

अध्ययन के उद्देश्य से रोस्टर-रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय/समाचार पत्रों को भेजी गयी रोजगार सूचनाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कुछ कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों और कार्यालय के अन्य रिकार्डों का निरीक्षण किया गया । दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय एक बड़ा संगठन है, इसलिए अध्ययन कुछ विभागों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों तक सीमित रखा गया । निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गयीं :—

1. भर्ती के रोस्टर-रजिस्टर

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है । तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों पर नियुक्तियां रेलवे सेवा

आयोग, कलकत्ता के माध्यम से की जाती है । दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक को भी अधिकार प्राप्त है कि वह आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती कर सकता है और ऐसा करने में वह चयन के स्तरों में ढील भी दे सकता है । किन्तु यह स्थिति तभी आती है, जब रेलवे सेवा आयोग चयन के सामान्य स्तरों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नामन में असफल हो जाता है । प्राधिकारियों ने बताया कि इस रेलवे ने महाप्रबंधक को प्राप्त अधिकारों का 1976 और 1977 के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पक्ष में अधिकतम प्रयोग किया था ताकि विभिन्न स्तरों पर आरक्षण में आ गयी कमी को पूरा किया जा सके । 1964-65 वर्ष से आगे पद वर्गवार शेष आरक्षित रिक्तियों की परिगणना के बाद 1976-77 से रोस्टरों को सही रखना प्रारम्भ किया था । यह एकदम स्पष्ट था कि अगस्त, 1976 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये विस्तृत पत्र से पहले रोस्टरों के अनुरक्षण के दायित्वों के बारे में न तो कोई निर्धारित पद्धति थी और न ही कोई स्पष्ट अनुदेश थे । हर प्राधिकारी यह दायित्व दूसरे पर टालने की कोशिश में था । लेकिन तब रेलवे बोर्ड ने भर्ती प्राधिकारियों पर जोर डाल कर कहा था कि इस संबंध में आदेशों के कार्यान्वयन का दायित्व उन पर है । इस चरण पर पहुंच कर मामले को गम्भीरता से लिया गया और पहली अप्रैल, 1976 से कैलेण्डर वर्षों के बजाय वित्तीय वर्षों के अनुसार रोस्टर रखे गये । प्रशासन ने रजिस्टरों का मुद्रण कराया और उनमें संक्षेप में यह हिदायतें भी छपवा दी गयीं कि रोस्टरों को कैसे तैयार और रखना चाहिए । दक्षिण पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत आने वाले समूचे प्रदेश (बिलासपुर, नागपुर और खड़गपुर डिविजन) की जनसंख्या के आधार पर परिकलित अनुसूचित जातियों के लिए 14% और अनुसूचित जातियों के लिए 15% के आधार पर प्राधिकारियों ने 100 पाइन्ट का क्षेत्रीय रोस्टर अपनाया था । डिविजन के स्तर के रेलवे कार्यालयों में अधिकांश अमले की भर्ती डिविजन का प्रशासन करता है और उन्हीं कार्यालयों द्वारा सभी रोस्टर और अन्य रिकार्ड रखे जाते हैं । प्राधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय के कार्यालय में स्थापित विशेष सैल डिविजन-स्तर पर रखे गये रिकार्डों की पड़ताल कर रहा है ताकि सरकारी नीति का अनुपालन हो सके । यह सच हो सकता है कि विशेष सैल आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयत्न कर रहा हो, किन्तु मुख्यालय में मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय ने इस संबंध में उत्साहजनक स्थिति का उल्लेख नहीं किया और ऐसा लगा कि विशेष सैल ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये थे । बहुत से रोस्टरों में जमा शेष आरक्षित रिक्तियों का हिसाब नहीं लगाया गया था । बहुत से मामलों में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को ठीक ठीक आगे नहीं लाया गया था । रोस्टरों में आरक्षण पद्धति और आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने के तीसरे वर्ष में रिक्तियों के विनियम-नियम का कोई उल्लेख नहीं था । बहुत से मामलों में रोस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों पर किसी अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं कर रखे थे और प्रत्येक वर्ष के अन्त में तैयार किया जाने वाला आरक्षण-सार भी नहीं तैयार किया था ।

2. पदोन्नति में आरक्षण

यद्यपि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के प्रवरण-पदों के मामले में पदोन्नतियों में आरक्षण 1968 से और योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर भरी गयीं सभी पदों की पदोन्नतियों में आरक्षण नवम्बर, 1972 से तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के निम्नतम पद-वर्ग में पदोन्नतियों में आरक्षण 1974 से शुरू किया गया था, किन्तु रोस्टर केवल 1976-77 से रखे गये थे । इससे पहले बहुत से मामलों में, किसी भी अवसर पर पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार आरक्षण लागू किया गया था । मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में देखा गया कि श्रेणीवार वर्गीकृत सभी पदोन्नति-पदों के लिए एक संयुक्त रोस्टर रखा गया था । इस शाखा में शेष आरक्षित पदों का हिसाब 1968 के बजाय पिछले चार वर्षों में की गयी पदोन्नतियों के आधार पर लगाया गया था, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण 1968 से लागू हुआ था । अधिकांश मामलों में रोस्टर 1976-77 से प्रारम्भ किये गये थे, किन्तु कुछ मामलों में इससे पहले की तारखों से भी रोस्टर रखे गये थे । इसलिए सुझाव है कि प्रवरण या वरिष्ठता में से किसी भी एक आधार पर भरे जाने वाले पदोन्नति-पदों के 1976-77 से रखे गये रोस्टरों के मामले में जमा शेष आरक्षित रिक्तियों का परिकलन उस तारीख को उपलब्ध पदोन्नतियों की उस कुल संख्या के आधार पर किया जाये, जिस तारीख से इस संबंध में आदेश लागू किये गये थे ।

3. आरक्षित रिक्तियों में कमी

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रेलवे अधिकारियों को 1964-65 वर्ष में अनेक श्रेणियों में उत्पन्न कमी का पता लग गया था और उन्होंने 1976-77 में इस कमी को दूर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाये थे । बताया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रिक्तियों में आ गयी कमी को समाप्त करने के लिए प्राधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में तृतीय श्रेणी के गैर तकनीकी पदों के लिए भारी भर्ती की थी और इन आवश्यकताओं को उन्होंने लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया था । अध्ययन के दौरान पता चला कि विभिन्न पद-श्रेणियों में बहुत थोड़ी सी रिक्तियां थीं और 1977-78 के अन्त तक आरक्षित रिक्तियों का जमा शेष कमोवेश वैसा का वैसा ही रहा । पदोन्नति से भरी गयी पद-श्रेणियों में भी कोई सुधार नहीं देखा गया, क्योंकि उनमें पदोन्नतियों की संख्या अधिक नहीं थी ।

4. अनारक्षण

भारत सरकार के अनुदेश है कि जिन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलें, उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरने से पहले उनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनारक्षण करा लेना चाहिए । अध्ययन के दौरान पाया गया कि रिक्तियों को यह समझते हुए आगे ले जाया गया था कि उनके व्यपगमन से पहले आगे लाने के तीसरे वर्ष में ही अनारक्षण कराया जाता है । कहीं 1977 में जा कर जब रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की थी तो प्राधिकारियों द्वारा सही पद्धति का अनुसरण किया जाने लगा था । इस संबंध में उल्लेख कर दें कि रेलवे बोर्ड सभी रेलवे स्थानाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के अनारक्षण के लिए सक्षम है । महाप्रबंधकों को भी तकनीकी कर्मियों के पदों के अनारक्षण का अधिकार है । दक्षिण पूर्वी रेलवे के प्राधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल करने के लिए कायम किये गये विशेष सैल के माध्यम से ही अनारक्षण के सभी प्रस्ताव आगे भेजे जाते हैं । वही सैल सुनिश्चित करता है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भर्ती करने के सभी प्रयास किये गये हैं अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही विशेष प्रकोष्ट इन प्रस्तावों

को रेलवे बोर्ड में भेजता है । किन्तु देखा यह गया कि ऐसे बहुत से मामलों में अनारक्षण का कहीं उल्लेख तक नहीं था, जिनमें आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए थे। बेशक कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि 1978 में विशेष सैल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को अनारक्षण के प्रस्ताव भेजे गये थे । किन्तु अधिकांश मामलों में रोस्टर-रजिस्टरों में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दर्ज थी । इसलिए सुझाव है कि अनारक्षण पद्धति का अनुसरण किये बिना रिक्तियों को आगे लाने की स्थिति का पुनरीक्षण किया जाये और कार्योत्तर अनुमति ले ली जाये ।

5. आरक्षण का विनिमय और व्यपगमन

अधिकांश मामलों में रोस्टर 1976-77 से शुरू किये गये थे और इसलिए 1978-79 से पहले शेष आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने वाले तीसरे वर्ष में उनके व्यपगमन या रिक्तियों के विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर अनारक्षण की कार्य पद्धति पर अमल भी केवल 1977-78 से ही प्रारम्भ किया गया था । पदोन्नति से भरे गये रोकड़िये के पद के मामले में अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को पदोन्नत किया गया था, किन्तु उसे 1974-75 से आगे लाये गये अनुसूचित जनजाति के पाइन्ट पर समायोजित दिखाया गया था । वास्तव में होना चाहिए था कि उसे प्रत्येक भर्ती वर्ष में अनारक्षण के बाद कम से कम अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे लाया जाता । चूंकि यह कार्यवाही 1976-77 से पहले नहीं की गयी थी, इसलिए विनिमय अनियमित रहता । अनुसूचित जनजाति की इस रिक्ति को मौजूदा नियमों के अनुसार आगे ले जाना चाहिए ।

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रकोष्ट

दक्षिण पूर्वी रेलवे ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवाहितों की देखभाल के लिए एक विशेष प्रकोष्ट कायम कर रखा है । इसमें स्टाफ पर्याप्त संख्या में है और यह एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के अधीन काम करता है । यह प्रकोष्ट अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और उनकी शिकायतों का काम देखता है । अमले के कुछ सदस्य, जो इन्सपेक्टरों के पदों के हैं, डिविजन के कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं और रोस्टरों तथा अन्य संबंधित रिकार्डों की पड़ताल कर रहे हैं । यदि प्रकोष्ट का अमला भर्ती अधिकारियों को सही मार्ग पर चलाने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करे तो कोई कारण नहीं कि कुछ ही वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार न हो जाये । अनारक्षण और अधिक्रमण के मामलों को देखने तथा उनके लिए निर्दिष्ट अनेक सेवा सुरक्षणों के उपायों पर अमल कराने के काम के अतिरिक्त यह सैल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिवेदन भी प्राप्त करता है । 1973 से एक रजिस्टर भी रखा गया है और रजिस्टर के अनुसार 9-3-1977 तक इस अनुभाग में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनो की कुल संख्या 2400 थी । इनमें से 281 मामलो को अनुकूल दृष्टि से निपटा दिया गया था । 1919 मामलों को यह कह कर रद्द कर दिया गया था कि यह लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है । 200 मामलों पर पत्र व्यवहार चल रहा था । ऐसे प्रतिवेदनों के निपटान में अपनायी जाने वाली पद्धति के बारे में पाया गया कि सैल ऐसे प्रतिवेदनों को संबंधित डिविजन को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजता है । यह आवश्यक समझा गया कि सैल प्रारम्भ में इन प्रतिवेदनों का अध्ययन करे और जिन पर कार्रवाई चलाना ठीक समझे या जिन्हें तथ्यों पर आधारित महसूस करे, उनकी जांच इन्सपैक्टरों से करायें ताकि विलंब भी न हो और तथ्यों को तोड़-मरोड़ने या छुपाने की हरकत से भी बचा जा सके । ऐसा कदम उठाना बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि जिन लोगों ने जानबूझ कर या अनजाने में कोई गलत कार्रवाई कर दी है, वे उसे सही ठहराने का यत्न करेंगे । फलस्वरूप न्याय की अवहेलना होगी । प्रकोष्ट में प्राप्त प्रतिवेदनों के स्वरूप के बारे में उपलब्ध जानकारी से ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्रतिवेदन पदोन्नति और अधिक्रमण के बारे में थे ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संस्था के कुछ प्रतिनिधियों ने अध्ययन-दल से भेंट की और ऐसे कुछ मामलों के बारे में बताया, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियो के साथ अन्याय किया गया था । ये इतनी कम अवधि के दौरे में उन अलग-अलग मामलों पर अधिकारियों के साथ बातचीत करना संभव नहीं था और इसलिए वे मामले संबंधित अधिकारियों के पास टिप्पणी के लिए भेज दिये गये । आशा है कि सैल यह सुनिश्चित करेगा कि उन मामलों की सावधानी से छानबीन की जाये और संबंधित कर्मचारियों को सूचित किया जाये कि उनके मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ।

यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि कुछ डिविजनों में स्टाफ की नफरी 25,000 से अधिक थी और उनमें केवल एक सहायक कार्मिक अधिकारी ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की देखभाल कर रहा था । इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी कि जिन डिविजनों में अमले की नफरी 15,000 से अधिक है, वहां विशेष सैल खोले जायें जो केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के काम को ही देखें । इन सैलों में ऐसे व्यक्ति ही नियुक्त किये जाने चाहिए, जिनके बारे में पता हो कि वे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण में रुचि रखते हैं ।

7. विमुक्ति और बहिष्करण

आरक्षण आदेश प्रथम श्रेणी के निम्नतम पद-वर्गों से ऊपर के वर्गों के पदों पर लागू नही किये जाते, जिन्हें वैज्ञानिक या तकनीकी संज्ञा दी गयी है । इन के अन्तर्गत अनुसंधान या अनुसंधान का गठन, मार्ग निर्देशन और कार्यान्वयन से संबंधित पद आते हैं । दूसरे शब्दों में उपरिलिखित पदों को छोड़ कर शेष सभी पदों पर आरक्षण आदेश लागू होते हैं । किन्तु अध्ययन दल ने देखा कि रेलवे बोर्ड ने सतर्कता इन्सपेक्टर के पद को आरक्षण की परिधि से बाहर करने का अधिकार प्राधिकारियों को दे दिया था । इस संबंध में प्राधिकारियों ने बताया कि यह पद दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कार्यकाल के आधार पर भरा जाता है और इसलिए इस पर आरक्षण लागू नहीं होता । अनुभव किया गया कि सतर्कता इन्सपेक्टर का पद विमुक्ति पदों की कोटि में किसी भी तरह से नहीं आता, इसलिए इसे रोस्टर-प्रणाली के अन्तर्गत ले आना चाहिए ।

8. प्रशिक्षण

भारत और विदेश में आयोजित परिसंवादों, गोष्ठियों, सम्मेलनों और उच्चतर प्रशिक्षण आदि में भाग लेने के लिए भेजे गये अनुसूचित जाति/जनजाति के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजने के बारे में कोई सूचना सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, क्योंकि उम्मीदवारों को भेजते समय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों के बारे में पृथक से कोई रिकार्ड नही रखा गया था । भर्ती किये गये स्नातक प्रशिक्षुओं के बारे में पाया गया कि 1976 में कुल 55 प्रशिक्षु लिये गये थे, जिनमें

से दो अनुसूचित जातियों के थे और अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं था । 1976 के दौरान 1018 प्रशिक्षु भर्ती किये गये थे, जिनमें से 271 अनुसूचित जातियों के और 57 अनुसूचित जनजातियों के थे । चयन पूर्व प्रशिक्षण 2 वर्ष पहले शुरू किया गया था और इसके अन्तर्गत उच्चतर पदों के लिए उम्मीदवार तैयार किये जाते थे, किन्तु इसके बाद इसे बन्द कर दिया गया था । अनुभव किया गया कि इस योजना को फिर से चालू किया जाये और इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए समुचित संशोधन कर दिया जाये ।

9. विज्ञापन

1976 वर्ष के दौरान समाचार पत्रों को भेजे गये विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या और शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव में इनको दी जाने वाली छूटों और रियायतों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था । कुछ विज्ञापनों में इसका भी उल्लेख नहीं था कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा । अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित तकनीकी पद, जो लम्बी अवधि से खाली चले आ रहे हैं, ऐसे समाचार पत्रों (अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के) में विज्ञापित किये जाने चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खूब पढ़े जाते हों । ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल ।

परिशिष्ट 30

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

आकाशवाणी, मद्रास के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

आकाशवाणी, मद्रास के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक अनुसंधान दल ने मद्रास में इसके कार्यालय का 23 जनवरी, 1978 को दौरा किया । इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक वरयाम सिंह सम्मिलित थे । उन्होंने स्टेशन निदेशक श्री एस० कन्डास्वामी और वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री एम० रामचन्द्रन से भेंट की । अध्ययन की दृष्टि से रोस्टर रजिस्टरों, समाचार पत्रों को भेजे विज्ञापनों, रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांग पत्रों और अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों के अभिलेखों का निरीक्षण किया और निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की :—

रोस्टर

आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र के स्टेशन निदेशक केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी हैं । प्रथम और द्वितीय श्रेणियों (अराजपत्रित द्वितीय श्रेणी समेत) के पदों पर भर्ती आकाशवाणी के महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा की जाती है । सीधी भर्ती के कुछ पदों पर 100-पाइन्ट रोस्टर लागू था, किन्तु रोस्टर 1976 वर्ष में, आकाशवाणी, नई दिल्ली के महानिदेशक द्वारा विभिन्न स्तरों पर भर्ती के विकेन्द्रीकरण के बाद रखे गये थे और उनमें पिछले वर्षों की शेष आरक्षित रिक्तियों को नहीं दिखाया गया था । किन्तु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले लिपिकीय पदों के रोस्टरों को 1970 से प्रारम्भ किया था । इस वर्ग में पाइन्ट संख्या 5 (अनुसूचित जाति) और पाइन्ट संख्या 6 (अनुसूचित जनजाति) पर भर्ती 1971 के दौरान की गयी थी, किन्तु रोस्टर में इन पाइन्टों को खाली दिखाया गया था । आधार यह था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रोस्टर में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है । प्राधिकारियों को चाहिए था कि वे नियमों के अनुसार अनारक्षित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बाद इन को भर लेते और अगले वर्षों के लिए आगे ले जाते ।

प्राधिकारियों ने पदोन्नति-पदों पर 40 पाइन्ट वाला रोस्टर लागू किया था और इनके रोस्टर 1972 से रखने शुरू किये थे, जब वरिष्ठता योग्यता के आधार पर पदोन्नतियों पर आरक्षण आदेश लागू किये गये थे ।

अनारक्षण

सरकारी अनुदेशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आरक्षित पाइन्टों को अनारक्षित करा लेने के बाद सामान्य उम्मीदवारों को इन पर नियुक्त/पदोन्नत किया जा सकता है । किन्तु रिकार्डों से स्पष्ट था कि इन पाइन्टों का औपचारिक रूप से अनारक्षण कराये बिना ही सीधी भर्ती और पदोन्नति के पदों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त कर किये गये थे । ऐसा प्रतीत होता था कि प्राधिकारी इस सोच के शिकार थे कि आरक्षित रिक्तियो को आगे लाने के तीसरे वर्ष में ही अनारक्षित कराया जा सकता है, जो कि गलत है । इसलिए सुझाव है कि सामान्य उम्मीदवारों से भर लिये और अगले भर्ती वर्षों में ले आये गये सभी आरक्षित पाइन्टों को अनारक्षित करा लेना चाहिए और इसके लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से कार्योत्तर अनुमति ले लेनी चाहिए ।

सम्पर्क अधिकारी और रोस्टरों का निरीक्षण

सरकारी अनुदेश कहते हैं कि सम्पर्क अधिकारी को रोस्टरों को पड़ताल करनी होगी और अपने मंत्रालय को इसकी वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होगी । इस की एक प्रति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भी भेजी जायेगी । 1977 तक तो कोई सम्पर्क अधिकारी था ही नहीं, इसलिए इससे पहले कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी । दल को सूचित किया गया कि हाल ही में 2-1-1978 से स्टेशन निदेशक को ही सम्पर्क अधिकारी बनाया गया है, जो अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा हितों की देखभाल करेगा । 1977 के अन्त तक आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र में न तो सम्पर्क अधिकारी था और न ही कोई विशेष सैल जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल करता, इसलिए प्रतीत हुआ कि इस पक्ष की

और विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । आशा की जाती है कि सम्पर्क अधिकारी के रूप में स्टेशन निदेशक की नियुक्ति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को समुचित सेवा सुरक्षण दिया जायेगा ।

पदों का वर्गीकरण

सीधी भर्ती के पदों के मामले में, रोस्टरों के अनुरक्षण के उद्देश्य से अलग-थलग पदों और छोटे संवर्गों का वर्गीकरण आवश्यक होता है । और इसकी पूर्वानुमति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से ले लेनी चाहिए । आकाशवाणी, मद्रास मे 260-400, 330-560, 330-480, 260-350, 380-560, 470-750 वेतनमान के बहुत से पदों को रु० 260-400 वेतनमान के लिपित श्रेणी-2 के पदों के साथ एक ही वर्ग में डाल दिया गया था और इसका तथाकथित अनुमति आकाशवाणी, नई दिल्ली के महानिदेशक से ले ली थी । ऐसा करते समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि किस पद की ड्यूटी किस तरह की है। किन्तु इस संबंध में ली गयी अनुमति प्राधिकारियों के पास दल को दिखाने के लिए नहीं थी । समझा जाता है कि लिपिक श्रेणी-2 पदों के लिए रोस्टर अलग रखा जाये, जिनकी संस्वीकृत नफरी 41 है । इस तरह एक ही वर्ग में डाल दिये गये शेष पदों को तकनीकी और गैर तकनीकी, दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाये । इसकी अनुमति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से ले ली जाये ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का न मिलना

प्राधिकारियों ने सूचित किया कि उन्हें तकनीकी पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार पाने में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है । किन्तु रिकार्डों की विस्तृत जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि ऐसे उम्मीदवार पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किये गये थे । 1975 और 1976 के वर्षों में रोजगार कार्यालय को भेजी मांगों में आयु और अनुभव में वास्तविक छूट का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। वैसे 1977 वर्ष में समाचार पत्रों में जारी किये गये विज्ञापनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा-भत्ते का उल्लेख किया गया था, किन्तु इसका इस कारण कोई लाभ नहीं था, क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विशेष अनुसूचित जनजातियों को पता ही नहीं था कि यात्रा-भत्ते के नियम क्या है । आकाशवाणी से की गयी घोषणा में यह तथ्य प्रसारित नहीं किया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता दिया जायेगा । इन दिक्कतों से पार पाने के लिए प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विज्ञापनों/मांगों में स्पष्ट उल्लेख कर दें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निवास स्थान से साक्षात्कार-स्थल तक का बस/रेलगाड़ी का वास्तविक भाडा दिया जायेगा, जिसका भुगतान वहीं कर दिया जायेगा । सलाह दी जाती है कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अनुभव में कुछ छूट दी जाये और इस का उल्लेख सभी विज्ञापनों/घोषणाओं में किया जाये ।

जातियों का सत्यापन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अनेक वैयक्तिक फाइलों की जांच की गयी और पाया गया कि अधिकांश मामलों में जाति प्रमाण पत्र नियमित और निर्धारित प्रपत्रों पर नहीं थे । संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि वे कुल जाति प्रमाण पत्रों का उचित प्राधिकारियों से सत्यापन कराये और सत्यापित प्रमाण पत्रों को संबंधित फाइलों में लगा दें ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली छूटों का उपयोग बेईमान व्यक्ति न कर सकें ।

परिशिष्ट 31

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

इन्टिग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

संविधान के 338 वें अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षणों समेत अन्य सुरक्षण-उपायों से संबंधित सभी मामलों की छानबीन करेगा । इसी अनुबंध का अनुसरण करते हुए 23 और 27 जनवरी, 1978 को एक अध्ययन-दल इन्टिग्रल कोच फैक्टरी के दौरे पर भेजा गया था, जिसमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक वरयाम सिंह सम्मिलित थे । अध्ययन करने के लिए उप मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी श्री वेंकटरमण, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री एम० जयावलु और सहायक कार्मिक अधिकारी श्री जी० एम० पंजचरम् से भेंट की गयी । रोस्टर-रजिस्टरों, समाचार पत्रों को भेजे विज्ञापनों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कुछ कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों की पडताल की गयी । आई० सी० एफ० में विभिन्न पद-वर्गों की भर्ती/पदोन्नतियों का नियन्त्रण तीन अलग-अलग प्रभाग करते हैं, यथा कार्मिक, उपस्करण और ढांचा प्रभाग । अध्ययन के लिए केवल पहले दो प्रभागों को चुना गया ।

अध्ययन-दल को दी गयी सांख्यिकीय सूचना के अनुसार इस फैक्टरी के विभिन्न पद-वर्गों में 1 जनवरी, 1978 को 12,677 कर्मचारी थे । प्रथम श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती और पदोन्नति तथा द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती का नियन्त्रण रेलवे बोर्ड के हाथों में था, जबकि इस फैक्टरी का प्रबंध तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नतियों और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के सभी पदों की भर्ती और पदोन्नतियों की देखभाल कर रहा था । लगभग 300 पद-वर्ग (सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों के) थे, जिनके लिए शिल्पवार और विभागवार अलग-अलग रोस्टर रखे जा रहे थे । पदोन्नति से भरी जाने वाले अधिकांश तकनीकी पदों की वरिष्ठता सूचियां शिल्पवार रखी गयी थी । इस प्रकार पदोन्नतियां प्रत्येक शिल्प तक ही सीमित थीं और प्रत्येक शिल्प में कर्मचारियों की संख्या बहुत थोडी थी । इस कारण किसी शिल्प विशेष में एक से अधिक रिक्ति के बनने/उपलब्ध होने का अवसर कम ही आता था । फलस्वरूप वर्ष में अकेली रिक्ति होने के नाते उसे अनारक्षित मान लिया जाता था ।

अध्ययन-दल की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां संक्षेप में नीचे प्रस्तुत की जाती हैं :—

1. द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के पदों में प्रतिनिधित्व

अध्ययन-दल को दिये गये आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी, 1978 को फैक्टरी की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों में कुल पदों की तुलना में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3.45% और 11.61% था । प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जनजाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं था । चूंकि इन वर्गों में अधिकांश पद निचले पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे थे और निचले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व न्यून था, इसलिए ऊंचे पदों में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं थी ।

पदोन्नति नीति

प्रवरण पद्धति से पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों के मामले में सामान्य पद्धति यह थी कि निम्नतर पदों के निवेशी संवर्गों में काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति की रिक्तियां होने पर आवेदन देना पड़ता है और जो परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नत कर दिया जाता है । यद्यपि आरक्षण आदेश सभी पद वर्गों पर लागू कर दिये गये हैं, किन्तु आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार फैक्टरी में ही उपलब्ध होने पर निर्भर करती हैं । ऐसे उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में इनका अनारक्षण कराने के बाद इन्हें फैक्टरी में ही उपलब्ध सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया जाता है । पदोन्नति पदों के रोस्टर रजिस्टरों से लिये गये आंकड़ों से पता चला कि पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी बहुत ही कम संख्या में मिल पाये थे, क्योंकि अर्ध तकनीकी/तकनीकी पदों के निवेशी संवर्गों में उनका प्रतिनिधित्व न्यून था । फैक्टरी में निम्नतम श्रेणियों को छोड़ कर बाकी श्रेणियों में सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है और इस स्थापना के अनुसचिवीय पदों के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती के लिए 25% कोटा रखा गया है । देखा गया है कि जहां भी सीधी भर्ती का अंश है, वहां आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में मिल जाते है । इसलिए जोरदार सिफारिश की जाती है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले जिन पद-वर्गों में मौजूदा कमी को दूर करने के लिए, सामान्य पद्धति से अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार न मिलने पर आरक्षित रिक्तियों जितने पदोन्नति पद खुले छोड़ दिये जायें और उन पर बाजार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार ले लिये जायें । जिन पद वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पदोन्नतियों के लिए फैक्टरी में से ही सामान्यतया उपलब्ध न होते हों, उन पद-वर्गों में 50 प्रतिशत नियुक्तियां सीधी भर्ती से की जाने की व्यवस्था की जा सकती है ।

2. अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विज्ञापन/मांगें

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इन्टिग्रल कोच फैक्टरी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं था । तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी उनका प्रतिनिधित्व नगण्य था, यथा क्रमशः 0.40% और 1.85% । प्राधिकारियों ने बताया कि निवेशी संवर्गों में उनके नगण्य प्रतिनिधित्व के कारण उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जनजाति के थोड़े से उम्मीदवार परीक्षा के लिए आगे आते हैं और यही कारण है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी पदों में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य बना रहता है । सीधी भर्ती के संबंध में बताया गया कि तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य (0.75%) होने के कारण उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाते । प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि सामान्यतया रिक्तियों की सूचना रोजगार कार्यालय को भेजी जाती है और वहां से उम्मीदवार न मिलने पर इन्हें स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित कर दिया जाता है । प्राधिकारियों को सुझाव दिया गया कि यदि रोजगार कार्यालय से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न मिले तो इन्हें पास के ऐसे राज्यों के स्थानीय या प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाये, जिनमें जनजातियों का पर्याप्त संकेन्द्रण हो । इस सिलसिले में यह भी सुझाव है कि इन विज्ञापनों में अनिवार्य रूप से इन बातों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी है, उन्हें किस तरह की कितनी छूटें/रियायतें दी जायेंगी, परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को रेल गाड़ी/बस किराये का भुगतान या पास दिया जायेगा ।

3. रोस्टर-रजिस्टरों का अनुरक्षण

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इन्टिग्रल कोच फैक्टरी की उन दो शाखाओं को ही अध्ययन के लिए चुना गया था, जिन पर भर्ती/पदोन्नति पर आरक्षण आदेश लागू करने के लिए रोस्टरों के अनुरक्षण का दायित्व था । कार्मिक शाखा ही सभी अनुसचिवीय पदों पर सारी भर्ती और पदोन्नति तथा कुछ इंजीनियरी पद वर्गों में पदोन्नति करती है । उसने रोस्टर सही प्रपत्रों पर रखे हुए थे और उनमें रोस्टर पाइन्ट तथा आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों आदि को सही-सही दर्ज कर रखा था। किन्तु रोस्टर कैलेंडर वर्ष की अपेक्षा वित्तीय वर्ष के अनुसार रखे गये थे और बताया गया कि इसकी अनुमति रेलवे बोर्ड से ली गयी थी । न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को वर्ष-दर-वर्ष सही-सही आगे लाया गया था, किन्तु वर्ष के अन्त में दिया जानें वाला सार कई मर्तबा नहीं दिया गया था । मालियों और चपरासियों के रोस्टर देखने से पता चला कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ आरक्षित पाइन्टों को कई वर्ष तक आगे ले जाया जाता रहा था, जबकि वे तीसरे वर्ष में ही अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरे जा सकते थे क्योंकि उनके उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे । इस गलती को ठीक करना आवश्यक है । दूसरी शाखा पदोन्नति के कार्य को देख रही थी और इस में हर शिल्प में वरिष्ठता के आधार पर पदवार और शिल्पवार बहुत से रोस्टर रखे गये थे (हर पद के अन्तर्गत 9 से 12 तक शिल्प थे) । सभी पदोन्नतियां नीचे के पदों से की गयी थीं और इसके लिए उम्मीदवार को योग्यता परीक्षा देनी पड़ी थी । किन्तु अधिकांश वर्गों में पदोन्नतियां बहुत ही कम हुई थीं और कई अवसरों पर आरक्षित पाइन्ट को वर्ष की केवल एक रिक्ति होने के कारण गैर आरक्षित मान लेना पड़ा था । इस शाखा ने प्रत्येक भर्ती वर्ष के अन्त में तैयार किये जाने वाले सार की अनिवार्यता को कभी पूरा नहीं किया गया था । लगता है कि रोस्टरों के निरीक्षण की रिपोर्ट भी सम्पर्क अधिकारी ने अभी तक कभी प्रस्तुत नहीं की थी । प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे प्रत्येक वर्ष के अन्त में ऐसा अवश्य करें ।

4. अनारक्षण

उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पाइन्टों को वर्ष-दर-वर्ष

आगे लाकर दिखाया गया था, किन्तु लगता यह था कि 1975 से पहले अनारक्षण पद्धति की अवहेलना की गयी थी । प्राधिकारियों ने बताया कि पहले उन्हें अनारक्षण पद्धति के अनुपालन के बारे में पता नहीं था, किन्तु इस विषय में रेलवे बोर्ड से आदेश प्राप्त होने के बाद 1975 से अनारक्षण पद्धति का अनुसरण किये जाने लगा था ।

5. सम्पर्क अधिकारी और विशेष प्रकोष्ट

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी स्थापना संबंधी कार्य देख रहे थे और उन्हीं पर सम्पर्क अधिकारी के कार्यों का भी दायित्व था, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के उपायों पर अमल संबंधी काम आता है । यद्यपि इस संगठन में बारह हजार से अधिक कर्मचारी थे, किन्तु किसी एक व्यक्ति को केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल का दायित्व नहीं सौंपा गया था और आरक्षण सम्बन्धी नियमों/आदेशों के कार्यान्वयन को देखने के लिए कोई विशेष सैल अलग से स्थापित नहीं किया गया था । संगठन में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों के 3,000 और अनुसूचित जनजातियों के 100 कर्मचारी थे और आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए और भी व्यक्तियों को भर्ती किया जा सकता था । जब तक एक पृथक सैल स्थापित नहीं किया जाता, तब तक शायद इन लोगों के प्रति न्याय सुनिश्चित करना असंभव है । रोस्टरों के वार्षिक निरीक्षण का जो कार्य सम्पर्क अधिकारी का अनिवार्य दायित्व है, यह सैल देख सकता है ।

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का सत्यापन

जांच परीक्षण के तौर पर, कुछ ऐसे कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों का निरीक्षण किया गया, जिनके नाम रोस्टरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के रूप मे दर्ज थे ताकि उनके जाति/जनजाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा सके । अधिकांश प्रमाण पत्र नियमित थे । किन्तु निम्नलिखित मामलों में देखा गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के दावे संदेह से परे नहीं थे :—

(1) **श्री ए० वेंकटराव, अधीक्षक, ग्रेड I** —इस कर्मचारी की सेवा-पुस्तक में इसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने का कोई उल्लेख नहीं था और न ही नियुक्ति के समय उसने इसका कोई प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किया था । पुराने रिकार्डों की जांच करने पर पाया गया कि जो उम्मीदवार आन्ध्र प्रदेश की एक अनुसूचित जाति (कपु) का होने का दावा करता है, उसने अपने 26-6-54 के आवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया था । कार्यालय के रिकार्डों में आवेदक ने 1975 में अपना दावा पेश किया था, जिसके साथ तमिलनाडु राज्य के चिंगलपेट जिले के श्रीपेरमुदुर के तहसीलदार का प्रमाण पत्र साथ लगाया था, हालांकि वह आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की हिन्दु (कपु) जाति से संबंधित था । प्रमाण पत्र नियमित नहीं था । आवेदक ने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जो पश्चिमी गोदावरी जिले के इलुरू के तहसीलदार का था और उसमें लिखा था कि वह सवारा (कपु) जाति से संबंधित है । इस प्रकार आवेदक ने अपने जाति प्रमाण पत्र के कई रूप प्रस्तुत किये थे और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्राधिकारी जिला अधिकारियों से उसके दावे का सत्यापन करायें ।

(2) **श्री डा० श्रीनिवास-अधीक्षक ग्रेड I.**—कार्यालय के रिकार्डों के अनुसार इस कर्मचारी ने एक पिछड़ी जाति का होने का दावा किया था और इसकी पुष्टि के लिए 23-3-57 को आन्ध्र प्रदेश के कृष्णागिरी के तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था । किन्तु 1974 में कर्मचारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र में उसे कड्डुरबा जनजाति का बताया है, जो कर्नाटक की एक अनुसूचित जाति है और यह प्रमाण पत्र कर्नाटक के कोलार जिले के उपायुक्त द्वारा जारी किया गया था ।

(3) **श्री जे० के० प्रभाकर राव, चार्जमैन 'ए' (अनुसूचित जनजाति).**—सेवा-पुस्तक में आवेदक को आन्ध्र प्रदेश की हिन्दु अनुसूचित जनजाति का दिखाया गया था । इसका आधार था, नियुक्ति से पहले कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया मात्र एक प्रार्थना पत्र । उसकी वैयक्तिक फाइल में पाया गया कि एक विधायक द्वारा जारी किये गये एक प्रमाण पत्र में उसे जतापुर अनुसूचित जनजाति का दिखाया गया था और उसी के आधार पर प्राधिकारियों ने उसे अनुसूचित जनजाति का स्वीकार कर लिया था ।

(4) **श्री वी० कनकासपथी, क्लर्क ग्रेड I (अनुसूचित जाति).**—कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल में से देखा गया कि उसका जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था और उस पर 1955 में सेलम जिले के एक विधायक ने हस्ताक्षर किये थे और उसमें उसे हिन्दु बल्लुर हरिजन बताया था ।

ऊपर के कुछ उदाहरणों से देखा जा सकता है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जाति/जनजाति के प्रमाण पत्रों में कमियां/त्रुटियां हैं । इसलिए प्राधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि ऊपर बताये मामलों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी कर्मचारियों के रिकार्डों की पड़ताल करें और यह सुनिश्चित करें कि इन समुदायों को प्रदत्त लाभों का उपयोग सही व्यक्ति ही करें, न कि गलत दावों के आधार पर बेईमान व्यक्ति । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अधिग्रहण के बारे में प्राधिकारी अपने को पूर्णतया संतुष्ट करें और जरा सा भी सन्देह होने पर ऐसे मामलों को संबंधित जिला अधिकारियों या गृह मंत्रालय को भेज दें ।

7. खलासियों की भर्ती

प्राधिकारियों द्वारा अनुक्षरित भर्ती की वर्तमान पद्धति के अनुसार 50 प्रतिशत रिक्तियां फैक्टरी में से ही भर ली जाती हैं । शेष 50 प्रतिशत शिल्प शिक्षुओं (20%), भूतपूर्व सैनिकों (10%) से और बाकी अनुकम्पा के आधार पर भरी जाती हैं । प्रतीत हुआ कि 1976-77 से पहले इन का कोई समुचित रोस्टर नहीं रखा गया था । इसके लिए एक रजिस्टर बना रखा था, जिसमें नियुक्त व्यक्तियों के नाम अन्य संबंधित विवरणों के साथ दर्ज कर रखे थे । 1976-77 से निर्धारित आधार पर रोस्टर रजिस्टर रखा गया था, जिसमें जनवरी, 1977 के अन्त तक अनुसूचित जाति का एक आरक्षित पाइन्ट और अनुसूचित जनजातियों के 34 आरक्षित पाइन्ट पिछले शेष दिखा रखे थे ।

भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 42015/3/75-एस्टे (एस० सी० टी०), दिनांक 5-9-1975 और 16-9-1976 द्वारा साक्षर झाड़ूकशों की चपरासी, फर्राश आदि के पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया था ताकि उन्हें जातिगत अस्वच्छ व्यवसाय से हटाया जा सके । उसी के अनुसार इन्टिग्रल कोच फैक्टरी के

प्रबंध ने निर्णय किया था कि फैक्टरी में झाडूकश के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों से खलासियों के 10 प्रतिशत पद भरे जायेंगे । किन्तु इन अनुदेशों पर अमल 1977-78 में ही किया गया था और नवम्बर, 1977 तक भर्ती किये 483 खलासियों में से केवल 10 झाडूकश खलासी भर्ती किये गये थे । इसलिए खलासी के पदों पर और अधिक झाडूकशों की भर्ती बढ़ाने के लिए कदम उठाये जायें । अनुसूचित जनजातियों के लिए न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करके समायोजित किया जा सकता है, जो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ।

8. शिल्प शिक्षु

1975 वर्ष में इन्टिग्रल कोच फैक्टरी में 729 शिल्प शिक्षु थे, जिनमें से 364 अनुसूचित जाति के थे और अनुसूचित जनजाति का केवल एक शिक्षु था । 1976 वर्ष के दौरान कुल 546 शिक्षु लिये गये थे, जिनमें से 260 अनुसूचित जातियों के थे और अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं था। दोनों ही वर्षों में शिक्षुता पूर्ण करने के बाद आई० सी० एफ० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक भी शिक्षु नियुक्त नहीं किया गया था । किन्तु 1977 के वर्ष में 742 शिक्षुओं में से 245 अनुसूचित जातियों और 3 अनुसूचित जनजातियों के थे, जिनमें से अन्त में अनुसूचित जातियों के 53 शिक्षुओं को नियुक्त कर लिया गया था । चूंकि सभी तकनीकी पदों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कमी थी, इसलिए प्राधिकारियों को विभिन्न शिल्पों में अनुसूचित जनजातियों के शिक्षु पर्याप्त संख्या में लेने चाहिए थे ताकि उनकी कमी पूरा करने के लिए उन्हें अधिक संख्या में नियुक्त किया जा सकता । इसके अतिरिक्त 1977 में वे अनुसूचित जनजातियों के तीनों शिक्षुओं को अपने यहां नियुक्त कर सकते थे । प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऐसे शिल्पों में भर्ती के लिए केवल अनुसूचित जनजातियों के शिक्षुओं के लिए विज्ञापन प्रसारित करें जिनमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम है और बाद में उन्हें नियुक्त भी कर लें ।

9. नैमित्तिक अमला

अध्ययन के दौरान देखा गया कि बहुत से निम्नतर संवर्गों में भर्ती नैमित्तिक अमले में से उनके द्वारा की गयी सेवाओं के आधार पर की गयी थी और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जितने भी उम्मीदवार उपलब्ध थे, सभी को आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित कर लिया गया था । प्रबंध को सुझाव था कि गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/9/76-एस्टे० (एस०सी०टी०), दिनांक 10-2-1977 के अनुसार नैमित्तिक अमले की भर्ती के समय भी आरक्षण आदेश लागू किये जाने चाहिएं ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध उम्मीदवारों में से ही वे रिक्तियां भर ली जायें, जो नियमित रिक्तियों में उनके आरक्षित हों । 'नैमित्तिक अमले' में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने की सूरत में आरक्षित रिक्तियों को खुले बाजार से भी भरा जा सकता है ।

परिशिष्ट 32

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

समुद्रपार-संचार-सेवा, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

संविधान के 338 वें अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षणों समेत अन्य सुरक्षण उपायों से संबंधित सभी मामलों की छानबीन करेगा । इस प्रावधान का अनुसरण करते हुए एक अध्ययन-दल 6 और 8 मार्च, 1978 को समुद्रपार-संचार-सेवा के कार्यालय में भेजा गया था, जिनमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री वरयाम सिंह सम्मिलित थे । दल ने समुद्रपार-संचार-सेवा के निदेशक श्री एस० के० रायचंद और सहायक प्रशासन अधिकारी (सम्पर्क अधिकारी) श्री डी० एन० रायचौधरी से भेंट की और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सेवा स्थिति के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया। रोस्टर रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय को भेजी गयी मांगों और अनुसूचित जाति/जनजाति के कुछ कर्मचारियों के अभिलेखों आदि का निरीक्षण किया और विभिन्न खोजों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की :—

1. रोस्टर-रजिस्टर

समुद्रपार-संचार-सेवा के कार्यालय पर केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों की भर्ती का दायित्व है । प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों पर भर्ती तथा चतुर्थ श्रेणी को छोड़ कर शेष सभी श्रेणियों में पदोन्नतियों का नियन्त्रण बम्बई स्थित मुख्यालय का कार्यालय करता है । इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती के रोस्टर प्राधिकारियों ने सही रूप में तैयार कर रखे थे । तृतीय श्रेणी के पदों के रोस्टर 1970 से प्रारम्भ किये गये थे और चतुर्थ श्रेणी के रोस्टर 1968 से । पुराने रोस्टरों को बन्द कर दिया गया था और नए रोस्टर नियमानुसार 25 मार्च, 1970 से प्रारम्भ किये गये थे । अधिकांश मामलों में पुराने रोस्टरों से न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को नए रोस्टरों में ले आना चाहिए था, बशर्ते वे होतीं—किन्तु उन्हें नए रोस्टर में शून्य दिखाया गया था । किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पाइन्टों को निर्धारित प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार रखा गया था और प्रविष्टियां सही-सही दर्ज की गयी थीं ।

2. पदों का वर्गीकरण

20 से अधिक की संस्वीकृत नफरी वाले पदों के लिए अलग रोस्टर रखे जाते हैं, किन्तु प्राधिकारियों ने अवर श्रेणी लिपिक और कनिष्ठ जांचकर्ता जैसे दो पदों को भी एक ही वर्ग में डाल दिया था, जिन दोनों की संस्वीकृत नफरी 20 से अधिक थी । इस गलती को ठीक करने की आवश्यकता है । यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि दो मामलों में पदोन्नति पदों को सीधी भर्ती के पदों के साथ एक ही वर्ग में रख दिया गया था और उनका संयुक्त रोस्टर रखा गया था, किन्तु बाद में इन पदों को उन वर्गों से अलग कर दिया गया था ।

3. अनारक्षण

1974 के बाद से ऐसा कोई अवसर नहीं आया; जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के न मिलने के कारण किसी आरक्षित रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में ले जाया गया हो । किन्तु 1971, 1972 और 1973 में ऐसे कई अवसर आये थे, जब अनसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के न मिलने पर आरक्षित पाइन्टों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त कर दिये गये थे और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से अनारक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की पूर्वानुमति लिए बिना ही उन्हें आगे के वर्षों में ले जाया गया था। प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि ऐसे सभी मामलों में सरकार की कार्योत्तर अनुमति ले लें ।

4. सम्पर्क अधिकारी और रोस्टरों की वार्षिक निरीक्षण-रिपोर्ट

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका के चौथे अध्याय में निहित अनुदेशों के अनुसार उप सचिव के समकक्ष पद का कोई प्रशासन प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा, जो किसी भी स्थापना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी मामलों को देखेगा । समुद्रपार-संचार-सेवा में सहायक प्रशासन अधिकारी के पद का एक अधिकारी, सम्पर्क अधिकारी के कार्यों की देखभाल कर रहा था । सुझाव है कि उचित पद के किसी अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के कार्यों का निष्पादन करना चाहिए ।

इस संगठन में रोस्टरों के अनुरक्षण के वार्षिक निरीक्षण की सम्पर्क अधिकारी द्वारा तैयार रिपोर्ट के संबंध में देखा गया कि 1976 और 1977 की रिपोर्ट सही प्रपत्रों पर तैयार नहीं की गयी थीं । नियमों के अनुसार रोस्टरों का निरीक्षण प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अन्त में करना होता है और इसे निर्धारित प्रपत्रों में दर्ज करना होता है (सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका का परिशिष्ट 7) और इन्हें अधिक समय लगाये बिना उचित प्राधिकारी को भेज देना चाहिए ।

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का सत्यापन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलों की पड़ताल जांच-परीक्षण के रूप में की गयी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इन अनुसूचित समुदायों के लिए निर्दिष्ट लाभों का उपयोग किन्हीं और व्यक्तियों द्वारा तो नहीं किया जा रहा । पांच मामलों की पड़ताल की गयी। उनमें से दो मामलों (सर्वश्री एच० आर० सिंघल और तरलोक सिंह) में उनकी सेवा पुस्तकों में यह प्रविष्टियां दर्ज की थी कि वे अनुसूचित जातियों से संबंधित है, लेकिन उनकी वैयक्तिक फाइलों में उनके जाति प्रमाण पत्र मौजूद नहीं थे। प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि संतुष्ट होने के बाद उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उन्हीं को लौटा दी जाती हैं । यह आवश्यक समझा गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र की कम से कम एक अनुप्रमाणित प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा पुस्तकों में अवश्य रखनी चाहिए ।

सुझाव है कि ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को समुचित सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास भेज देनी चाहिएं, जो नियमित या सही प्रपत्र पर न हों ।

6. प्रवरण मंडल

सरकारी अनुदेशों के अनुसार जहां तक संभव हो, भर्ती अधिकारी ऐसे प्रवरण मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी के नामन का प्रयत्न करे/जो उनके अधीन सेवाओं/पदों में भर्ती/पदोन्नति के लिए होती हैं। किन्तु देखा यह गया कि 1976 और 1977 के कैलेंडर वर्षों में हुई प्रवरण-मंडलों की 8 बैठकों में से किसी में भी अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं किया गया था। यदि विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों की बैठकों में सम्मिलित करने के लिए संगठन में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी न मिल सके तो प्राधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे अधिकारी संचार मंत्रालय या किसी और मंत्रालय/विभाग से नियन्त्रित कर लें ।

परिशिष्ट 33

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

समुद्रपार-संचार-सेवा, मद्रास के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

यह देखने के लिए कि समुद्रपार संचार-सेवा, मद्रास के प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षण के उपायों पर अमल किया जा रहा है या नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय से एक अध्ययन दल 24 जनवरी, 1978 को वहाँ के दौरे पर भेजा गया था, जिसमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजित सेन और अन्वेषक वरयाम सिंह शामिल थे। इस उद्देश्य के लिए प्रमुख इंजिनियर श्री के० आर० हरिहरन और सहायक प्रशासन अधिकारी श्री बी० बी० केनेगल से सम्पर्क किया गया । रोस्टर रजिस्टर, रोजगार कार्यालय को भेजी गयी माँगों, रोजमार सूचनाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों के वैयक्तिक अभिलेखों का निरीक्षण किया गया और अध्ययन-दल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रस्तुत की :—

1. रोस्टर

समुद्र-पार संचार सेवा, मद्रास के प्रमुख इंजीनियर का कार्यालय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदो पर भर्ती और चपरासियों से दफ्तरियों को पदोन्नति करता है । प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और अन्य श्रेणियों में पदोन्नतियों का नियंत्रण समुद्रपार-संचार-सेवा, बम्बई के महानिदेशक के हाथों में है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत सीधी भर्ती के तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों के रोस्टर प्राधिकारियों ने सही प्रपत्रों पर तैयार किये थे और 100-प्वाइंट वाले क्षेत्रीय रोस्टर का अनुपालन किया गया था । किन्तु रोस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों से प्रकट हुआ कि आरक्षित रिक्तियों को आगे सही-सही लाकर दिखाया गया है, किन्तु कुछ छोटे-मोटे समायोजन भी किये गये थे । इसका कारण यह बताया गया कि 1970 से 1973 तक भर्ती 40-प्वाइंट रोस्टर के आधार पर की गयी थी । देखा गया कि क्षेत्रीय रोस्टर, जिसका आधार उस राज्य की जनसंख्या की प्रतिशतता पर होता है जिसमें कार्यालय स्थित होता है, भारत सरकार ने सभी कार्यालयों और विभागों को

आरक्षण आदेश लागू करने के लिए परिचालित किया था, किन्तु वह इस कार्यालय में फरवरी, 1974 में पहुंचा था। रोस्टर परिशोधित प्रतिशतता, यथा 18% की अपेक्षा 15% के आधार पर फिर से तैयार किया गया था। 1974 वर्ष के बाद से स्थिति संतोषजनक रही थी। केवल दफ्तरियों की पदोन्नतियों का रोस्टर 1973 से शुरू किया गया था। 27-11-1972 से वरिष्ठता-योग्यता वाले पदोन्नति पदों पर आरक्षण लागू करने के बाद ऐसा किया गया था। तब से 4 पदोन्नतियां की गयी थी, जिनमें दो अनुसूचित जातियों की थी। 1975 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 4-प्वाइंट पर मात्र एक रिक्ति बनी थी, उसी को गैर-आरक्षित मानकर आगे लाकर दिखा दिया गया था। उपरोक्त किसी भी वर्ग में कोई आरक्षित रिक्ति शेष नहीं थीं।

2. पदों का वर्गीकरण

रोस्टरों को तैयार करने के इरादे से तृतीय श्रेणी (वर्ग ग) के अनेक पद एक साथ एक ही वर्ग में डाल दिये गये थे। दल को पता चला कि इस तरह का वर्गीकरण वर्षों पहले किया गया था और कुछ पद-वर्गों को संस्वीकृत नफरी में वृद्धि के बावजूद अभी तक उसी तरह जारी है। सुझाव है कि वर्गीकरण की इस पद्धति का परिशोधन किया जाना चाहिए और इस संबंध में भारत सरकार के मौजूदा आदेशों का ध्यान रखते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से इसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्राधिकारियों ने इस सुझाव पर आवश्यक कार्रवाई का वचन दिया। झाड़ूकशों के जिन आठ पदों को चतुर्थ श्रेणी के दूसरे पदों को साथ वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उनका एक पृथक वर्ग बना दिया जाये और झाड़ूकशों के लिए दफ्तरियों/चपरासियों आदि के पदोन्नति-पदों पर 25% आरक्षण के हाल ही में जारी आदेशों पर भी अमल शुरू किया जाये।

3. सम्पर्क अधिकारी और रोस्टरों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार उपसचिव के समकक्ष प्रशासन प्रभारी पदाधिकारी का नाम न सम्पर्क अधिकारी के रूप में किया जाना चाहिए, जो किसी स्थापना में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी मामलों की देखभाल करे। किन्तु समुद्रपार संचार सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद का एक अफसर सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित था। वांछनीय यही है कि उच्चतर पद का कोई अधिकारी सम्पर्क अधिकारी का कार्य करे। सूचित किया गया कि रोस्टरों का निरीक्षण कर लिया गया है और इस की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत कर दी गयी है।

4. अनारक्षण

अधिकारियों से विचार विमर्श के दौरान पता लगा कि प्राधिकारी यह सोच कर चल रहे हैं कि अनारक्षण आरक्षित रिक्तियों को तीन अगले भर्ती वर्षों तक आगे ले जाने के बाद ही कराना होता है। प्राधिकारियों को सही स्थिति स्पष्ट की गयी कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने पर आरक्षित पाइन्टों को निर्धारित पद्धति से अनारक्षित कराना होता है और फिर इन पाइन्टों को आगे ले जाते हैं। तब इन पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त किये जाते हैं। किन्तु ऐसा कोई अवसर नहीं आया था, जब अनारक्षण की आवश्यकता पड़ी हो। हां, 40-पाइन्टों से 100-पाइन्टों के आधार पर रोस्टर फिर से तैयार करने के दौरान एक ऐसा मामला जरूर आया था।

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का सत्यापन

जांच-परीक्षण के तौर पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलें जांची गयी ताकि सुनिश्चित हो जाये कि इन अनुसूचित समुदायों के लिए निर्दिष्ट लाभों का उपयोग कोई बेईमान व्यक्ति तो नहीं कर रहा। एक ऐसा मामला अध्ययन-दल के सामने आया कि एक ईसाई धर्म परिवर्तक ने फिर से हिन्दू धर्म अपना लिया था और उसके भूतपूर्व समुदाय ने उसे अपने में स्वीकृत कर लिया था। वह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक पाइन्ट पर नियुक्त कर लिया गया था। इस विषय पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए दल को ज्ञात हुआ कि ऐसे बहुत से मामले तमिलनाडु में हैं, जिनमें बहुत से ईसाई धर्म परिवर्तकों के बाप-दादा अस्पृश्य माने जाते थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बरसों बाद वे अपने को हिन्दू धर्म परिवर्तक दिखाने लगे ताकि अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह बड़ी गम्भीर बात है और ऐसे व्यक्तियों को आरक्षित पाइन्टों पर नियुक्त करने से पहले उनका सत्यापन अवश्य कराना चाहिए। सुझाव है कि ऐसे सभी मामले भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेज देने चाहिएं और वहां से स्पष्टिकरण आने के बाद ही उन्हें अनुसूचित जातियों का मानना चाहिए।

6. प्रवरण बोर्ड

चतुर्थ श्रेणी के अमले के प्रवरण में अनुसूचित जाति के एक कनिष्ठ अधिकारी को संयुक्त किया जा रहा था। संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं था। सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार की मद्रास स्थित किसी स्थापना या राज्य सरकार के किसी कार्यालय से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए तृतीय श्रेणी और अन्य आरक्षित पदों के प्रवरण कार्य के साथ संयुक्त किया जा सकता है।

परिशिष्ट 34

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भाग 1

जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षणों के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट

9 और 16 दिसम्बर, 1977 को जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली का एक अध्ययन-दल ने दौरा किया था, जिसमें इस संगठन के अनुसंधान अधिकारी श्री बी० एम० मसन्द और अन्वेषक कुमारी बीनाराय सम्मिलित थे। यह दौरा इस कार्यालय में रखे गये रोस्टरों और अन्य रिकार्डों के इस दृष्टि से अध्ययन करने के लिए किया गया था कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पर किस तरह अमल हो रहा है। दल ने इस अध्ययन के सिलसिले में पोस्टमास्टर जे० सी० शर्मा और उप पोस्टमास्टर सर्वश्री एस० एस० छबलानी और एच० एल० सल्हण से भेंट की।

जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली समय-मान लिपिकों, पोस्टमैनों और परीक्षण वर्गों (पैकरों) तथा गैर परीक्षण वर्गों (फरोशों) के पदों के रोस्टर रख रहा था। इन रोस्टरों और भर्ती, पदोन्नतियों तथा पुष्टिकरण संबंधी अन्य रिकार्डों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलों का दल ने निरीक्षण किया और निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की :—

(क) समय-मान लिपिक : (सीधी भर्ती)

(1) यह रोस्टर सही प्रपत्रों पर था, किन्तु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियो के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार इसमें पाइन्ट नहीं रखे गये थे। सरकारी अनुदेशों के अनुसार, खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती के लिए, 21-12-1963 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (24 मार्च, 1970 तक की भर्ती के लिए) के अनुबन्ध 2 और 22 अप्रैल 1970 के कार्यालय ज्ञापन (25 मार्च, 1970 के बाद की भर्ती के लिए) के अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट रोस्टरों का अनुपालन अनिवार्य है। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुबन्ध 1 और अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट प्रतिरूप रोस्टरों में अन्तर है। अनुबन्ध 1 में 25 मार्च, 1970 से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 12-1/2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर से थी, किन्तु अनुबन्ध 2 में यह प्रतिशतता अनुसूचित जातियों के लिए 16-2/3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गयी थी। किन्तु 25 मार्च, 1970 के बाद अनुबन्ध 1 और अनुबंध 2 में निर्दिष्ट दोनों प्रतिरूप रोस्टरों में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिशतता 7-1/2 प्रतिशत की दर से है। किन्तु अनुबन्ध 1 में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिशतता 15 प्रतिशत रखी गयी थी, जबकि अनुबंध 2 में यह प्रतिशतता 16-2/3% है। इसलिए अलग-अलग समयों पर लागू सही प्रतिरूप रोस्टरों के अनुसार इस कार्यालय में भी रोस्टरों को फिर से तैयार करना चाहिए। यदि सही प्रतिरूप रोस्टरों के अनुसार रोस्टर रखे जाते तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी रिक्तियां आरक्षित होती, और वास्तव में कितनी आरक्षित रिक्तियां रखी गयी थीं। इन दोनों के अन्तर की परिगणना करनी चाहिए। इससे बाद के भर्ती वर्षों में आगे ले जायी गयी आरक्षित रिक्तियों की स्थिति बदल जायेगी। इस रोस्टर को फिर से तैयार करने के बाद इसमें प्रत्येक वर्ष में की गयी भर्ती का सार अन्त में दिया जाये, जिसमें अगले वर्ष में आगे ले जायी गयी आरक्षित रिक्तियां परिलक्षित हों।

(2) प्रत्येक वर्ष के अन्त में दर्शाये सार में पिछले वर्ष से आगे लायी गयी रिक्तियां अलग-अलग करके दिखायी जानी चाहिए। ऐसा यह मालूम करने के लिए आवश्यक है कि किस वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षित रिक्तियों का विनिमय किया जा सकता है।

(3) कुछ वर्षों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियो से अधिक संख्या में नियुक्त कर लिया गया था। स्पष्ट है कि यह नियुक्तियां उनकी योग्यता के आधार पर की गयी होंगी। इन अतिरिक्त रिक्तियों को अगले वर्ष में भावी आरक्षित पाइन्टों पर समायोजित करने के लिए आगे ले जाया गया था। यह तरीका एकदम गलत है। वास्तव में नियम तो यह कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में कमी को आगे ले जाया जाता है, न कि अधिक्य को। इस तरह अतिरिक्त नियुक्त व्यक्तियों को सामान्य रिक्तियों पर दिखाना चाहिए, न कि आरक्षित कोटे में। इस संदर्भ में वित्त-मंत्रालय को गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण की एक प्रति संलग्न की जाती है।

(ख) समय-मान लिपिक : (विभागीय पदोन्नति)

(1) रोस्टर सही प्रपत्रों पर रखा गया था और रोस्टर-पाइन्ट सही-सही दिखाये गये थे। हर प्रविष्टि पर पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर थे। हर वर्ष के अन्त में वर्ष के दौरान भरी गयी और अगले वर्ष में ले जायी गयी रिक्तियों का सार दिया गया था, किन्तु आगे लायी गयी रिक्तियों को अलग-अलग करके नहीं दिखाया गया था।

(2) पाया गया कि रोस्टर में दर्ज वास्तविक प्रविष्टियों की स्थिति से सार मेल नहीं खाता। रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार सार को वास्तविक स्थिति दर्शानी चाहिए। उदाहरणार्थ 1972 के वर्ष में रोस्टर में 9 वास्तविक रूप से भरी रिक्तियों में से 7 रिक्तियां (अनुसूचित जातियों के लिए 5 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2) आरक्षित दिखायी गयी थी और साथ ही अन्त में यह टिप्पणी दी गयी थी कि "1972 की रिक्तियों में से 25 उम्मीदवार (विभागीय) प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिल्ली अंचल की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आवंटित किये जाने हैं।" इनमें से 6 पर (अनुसूचित जातियों के लिए 4 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2) आरक्षित थे।

(3) आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवारों को पदोन्नत करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेने का कोई रिकार्ड नहीं था।

(ग) पोस्टमैन (सीधी भर्ती)

(1) यह रोस्टर सही प्रपत्रों पर था और रोस्टर के पाइन्ट भी सही-सही दिखाये गये थे। किन्तु पिछले वर्षों से आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को अलग-अलग करके नहीं दिखाया गया था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि पता चल जाये कि कब रिक्तियों का विनिमय करना है और कब उन्हें व्यपगमित होने देना है।

(2) 50 प्रतिशत की सीमा लागू किये बिना रिक्तियों को वर्ष-दर-वर्ष आगे लाया जाता रहा था। 50 प्रतिशत की सीमा (तत्कालीन और आगे लाये गये आरक्षण समेत) से अधिक रिक्तियां अपने आप आगे ले जायी जाती है। यह भी देखा गया कि रोस्टर में दर्ज वास्तविक प्रविष्टियों के अनुसार वास्तविक स्थिति को सार परिलक्षित नहीं करता था। बताया गया कि जिन कुछ रिक्तियों पर भर्ती की कार्रवाई पिछले वर्ष शुरू की गयी थी, उनके उम्मीदवार अगले वर्ष अपनी नियुक्तियों पर आगे थे और इस प्रकार उनकी नियुक्तियां अगले वर्ष में दिखायी गयी थीं। फलस्वरूप रोस्टर पाइन्टों से सार मेल नहीं खा रहा था। संबंधित अधिकारियों को बताया गया कि इस संबंध में इस तरह की पद्धति का पालन किया जाना चाहिए कि सार और रोस्टर पाइन्टों में अन्तर न आये।

(3) निर्धारित अवधि के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों के विनिमय-नियम का पालन किये बिना उन्हें व्यपगमित हो जाने दिया गया था। 1972 के वर्ष में अनुसूचित जनजातियों की दो आरक्षित रिक्तियों को व्यपगमित दिखाया गया था। वास्तव में उस वर्ष नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति के 3 उम्मीदवारों में से 2 को इन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 2 रिक्तियों पर

समायोजित किया जा सकता था, क्योंकि वे अपने अन्तिम वर्ष में आगे ले आयी गयी थी। उनके स्थान पर दो और रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के कोटे में आगे ले जानी चाहिए थी।

(4) अनुसूचित जाति के अतिरिक्त भर्ती कर लिये गये उम्मीदवारों को इसी रोस्टर में आगे लाकर दिखाया गया था और उन्हें अगले वर्ष में की गयी नियुक्तियों पर समायोजित कर लिया गया था। उदाहरणार्थ, 1975 के वर्ष में अनुसूचित जाति के जो 2 उम्मीदवार अतिरिक्त भर्ती कर लिये गये थे, उन्हें 1976 के वर्ष में अनुसूचित जाति के कोटे में समायोजित दिखाया गया था। इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1976 वर्ष में तत्कालीन रिक्तियों से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि 1975 वर्ष में अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त कर लिये गये थे। इस संबंध में सही स्थिति पहले ही समयमान लिपिकों के मामले में स्पष्ट कर दी गयी है।

(घ) पोस्टमैन (विभागीय पदोन्नति)

(1) यह रोस्टर सही प्रपत्र पर रखा गया था और रोस्टर-पाइन्ट सही-सही दिखाये गये थे। प्रत्येक प्रविष्टि समुचित रूप से हस्ताक्षरित थी। वर्ष के दौरान भरी गयी रिक्तियों और अगले वर्ष में ले जायी गयी रिक्तियों का सार वर्ष के अन्त में दिया गया था। किन्तु पिछले वर्ष से आगे लायी गयी रिक्तियों को इस रोस्टर में भी अलग-अलग करके नहीं दिखाया गया था।

(2) 1971 वर्ष में अनुसूचित जनजाति की दो आरक्षित रिक्तियाँ व्यपगमित दिखायी गयी थीं, लेकिन उससे पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों पर विनियम-नियम लागू नहीं किया था।

(3) इस रोस्टर में भी, अनुसूचित जाति के अतिरिक्त भर्ती कर लिये गये व्यक्तियों को आगे ला कर दिखाया गया था और अगले वर्षों में उन्हें समायोजित किया गया था।

(च) परीक्षण-वर्ग और गैर परीक्षण-वर्ग : (चतुर्थ श्रेणी अमला)

(1) परीक्षण वर्ग (पैकर) : भर्ती के नियमों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान था। किन्तु गैर परीक्षण वर्ग पूरा का पूरा सीधी भर्ती से भरा जाता था किन्तु देखा यह गया कि इन सभी पदों के लिए रोस्टर संयुक्त ही रखा गया था। ज्ञात हुआ कि परीक्षण वर्ग में 150 के लगभग पद थे। गैर परीक्षण-वर्ग में 34 पद थे, जिनमें 12 पद झाड़कशों के थे। झाड़कशों के पद छोड़ कर गैर-परीक्षण वर्ग में 22 पद थे और इसलिए इस पद-वर्ग के लिए अलग रोस्टर रखा जा सकता था।

(2) यह रोस्टर सही प्रपत्र पर रखा गया था और पाइन्ट को सही सही दिखाये गये थे। प्रत्येक वर्ष के अन्त में अगले वर्ष आगे ले जायी गयी रिक्तियों का सार दिया गया था। हर प्रविष्टि पर पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर थे।

(3) रोस्टर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को योग्यता कोटि/नियुक्ति-तारीख के अनुसार पाइन्टों पर दिखाया गया था, न कि उनके लिए आरक्षित पाइन्टों पर।

(4) सार में आगे लायी गयी रिक्तियों को वर्षवार अलग-अलग करके नहीं दिखाया गया था।

(5) इस रोस्टर में भी एक वर्ष में अनसूचित जाति के अतिरिक्त नियुक्त व्यक्तियों को अगले वर्ष में आरक्षित पाइन्टों पर समायोजित कर दिया गया था।

आरक्षित रिक्तियों के लिए अनारक्षण-पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया था। वास्तव में इस पद्धति को ठीक-ठीक समझा ही नहीं गया था। समझा यह जाता रहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने के कारण न भरी गयी रिक्तियों को केवल आगे ले जाते रहो और तीन वर्ष तक आगे ले आने के बाद तीसरे वर्ष में उनका अनारक्षण करा लो। प्राधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में अनारक्षण की निर्धारित पद्धति का अनुपालन करना होता है।

रोजगार कार्यालय को भेजी गयी माँगों और कुछ पदों के लिए जारी किये विज्ञापनों को भी देखा गया था। परीक्षण-वर्ग (तृतीय श्रेणी) के पद के लिए 20 अक्तुबर, 1975 को भेजी गयी माँग में 16 रिक्तियां थीं, जिनमें से 5 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी किन्तु अनुसूचित जातियों के लिए एक भी आरक्षित नहीं थी। विचित्र बात है कि 16 रिक्तियों में से एक भी रिक्ति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं थी। ऐसा शायद इस कारण से था कि पिछले वर्ष में अतिरिक्त नियुक्तियों को आगे लाकर दिखाया गया था और उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित कर दिया गया था। 1975 वर्ष में पोस्टमैन और ग्रामीण पोस्टमैन के पद के लिए जारी किये गये एक विज्ञापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां साफ-साफ दिखायी गयी थीं। उसमें अधिकतम आयु में छूट और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शुल्क रियायत का भी उल्लेख था। किन्तु साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाये गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं था। पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय, दिल्ली अंचल, नई दिल्ली में रोस्टर आदि के अध्ययन करने वाले दल ने अपनी रिपोर्ट में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ते के भुगतान के बारे में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। सुझाव है कि भविष्य में जारी किये जाने विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को यात्रा-भत्ते के भुगतान का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

इस कार्यालय में विशेष रूप से कोई सम्पर्क अधिकारी नहीं था, किन्तु पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली अंचल, नई दिल्ली के कार्यालय में एक सम्पर्क अधिकारी था और उसी को विवरणिका के परिशिष्ट 7 में निर्दिष्ट प्रपत्र पर रोस्टरों के निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करनी थी। बताया गया कि सम्पर्क अधिकारी ने अपने प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान आरक्षण पक्ष का भी निरीक्षण किया था। किन्तु एक ऐसी रिपोर्ट देखने पर पता चला कि उसमें रोस्टरों के बारे में कोई उल्लेख तक नहीं था।

इस कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक केवल दक्षता रोध के मामलों का निर्णय करने के लिए होती है। इस कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है। किन्तु बताया गया कि 50/55 वर्ष की आयु होने पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा में रखने या न रखने के मामलों की समीक्षा के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति की जो बैठकें बुलायी गयी थीं, उन में उप पोस्टमास्टर जनरल श्री एच० एल० मुल्हण (अनुसूचित जाति के अधिकारी) सम्मिलित थे।

इस कार्यालय में प्रशिक्षण का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, किन्तु बताया गया कि विभिन्न पदों पर भर्ती किये गये सभी व्यक्तियों को नियमित कार्य सौंपने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है।

यह देखने के लिए कि पुष्टिकरण के चरण पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है या नहीं, एक फाइल संख्या बी० 2/17, 1976 देखी गयी थी। दल को बताया गया कि प्रचलित पद्धति के अनुसार पुष्टिकरण वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है और इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या किसी और वर्ग को कोई छूट नहीं दी जाती। सरकार ने पुष्टिकरण के चरण पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान कर रखा है। इस तरह देखा जा सकता है कि पुष्टिकरण के चरण पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलें भी दल ने देखीं। श्री राजपाल (पोस्टमैन) के मामले में जाति प्रमाण पत्र विद्यालय के अधिकारियों ने जारी किया था, जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। श्री खयाली राम (लिपिक) के मामले में भी जाति-प्रमाण पत्र आल इंडिया शिड्यूल कास्टस् फेडरेशन (हिमाचल प्रदेश) ने जारी किया था और इसका अधिप्रमाणन जिला मजिस्ट्रेट ने किया था। अधिप्रमाणन का यह अर्थ नहीं कि यह प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया था। श्री प्रभुदयाल (लिपिक) के एक और मामले में फाइल से प्राप्त प्रमाण पत्र शिड्यूल कास्टस् वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा जारी था। इस प्रकार पाया गया कि इस कार्यालय ने सेवा में प्रवेश के समय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों की संवीक्षा में समुचित सावधानी नहीं बरती थी। इसलिए सुझाव है कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाये और जहाँ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी न किये गये हों, वहां संबंधित कर्मचारियों से अपने क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाये। क्षेत्र से अभिप्राय वह इलाका है, जहाँ वे साधारणतया निवास करते हों। नियुक्तकर्ता अधिकारी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने पर ही प्रमाणपत्र स्वीकार करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर सकते हैं।

भाग 2

डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक, मध्य डिविजन, नई दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा-सुरक्षणों के अध्ययन की रिपोर्ट

अनुसंधान अधिकारी श्री बी० एम० मसन्द और अन्वेषक कुमारी बीनाराय से युक्त एक दल ने डाक घरों के वरिष्ठ अधीक्षक, मध्य डिविजन, नई दिल्ली, के कार्यालय का दौरा किया। दिल्ली डाक अंचल में तीन मुख्य डिविजन हैं और मध्य डिविजन में उन्ही में से है, जिसे तत्कालीन नई दिल्ली डिविजन में से 1968 में अलग करके बनाया गया था। इसलिए उसी वर्ष से इस कार्यालयो में भर्ती/पदोन्नति के रोस्टर रखे गये थे। चूंकि मध्य डिविजन के डाक घरों के वरिष्ठ अधीक्षक का पद खाली पड़ा था, इसलिए दल ने सहायक डाकघर अधीक्षक श्रीकृष्ण गोपाल से भेंट की।

ज्ञात हुआ कि एस० एस० जी० 1 और एस० एस० जी० 2 तथा निम्नतर प्रवरण ग्रेड जैसे तृतीय श्रेणी के वरिष्ठ पदों पर भर्ती अंचल द्वारा की जाती है और इसलिए इस डिविजन में इन पदों रोस्टर नहीं रखे गये थे। यह भी बताया गया कि छंटाई डाकियों के रोस्टर अंचल कार्यालय रखता है, क्योंकि इन पदों पर प्रवरण अंचल के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इस डिविजन में लिपिकों के पदों के रोस्टर रखे जा रहे थे (लिपिकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष 50 प्रतिशत विभाग से ही भरे जा सकते थे, जिसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठना पड़ता था और इसमें पोस्टमैनों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो समेत निम्नतर ग्रेडों के कर्मचारी सम्मिलित हो सकते थे।) दो और पद-वर्ग थे, यथा पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी (डाक बक्सा चपरासी/पैकर)। इन पर भर्ती डिविजन करता था, किन्तु नियुक्तकर्ता अधिकारी इन्सपेक्टर था। इन्सपेक्टर ने ही इनके रोस्टर रखे थे। इस डिविजन में तीन इन्सपेक्टर हैं, जिनके कार्यालय (1) शास्त्री भवन, (2) करौल बाग में और (3) तिलक नगर के पास जेल रोड़ पर हैं। डिविजन में रखे गये लिपिकों के पदों के रोस्टर और शास्त्री भवन स्थित इन्सपेक्टर के कार्यालय में रखे गये रोस्टरों को देखा गया और इस विषय में अध्ययन दल ने निम्न लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। अध्ययन-दल जब अन्य दो इन्सपेक्टरों के कार्यालयो में पहुंचा तो वे उस दिन उपलब्ध नहीं हो सके। इसलिए सहायक अधीक्षक ने उन्हें रोस्टरों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय में पहुंचने का निर्देश दिया, किन्तु बार-बार टेलीफोन पर स्मरण कराने पर भी उन्होंने रोस्टर इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया।

I. डिविजन द्वारा रखे गये रोस्टर

(1) लिपिक-पदों पर भर्ती (सीधी भर्ती)

रोस्टर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार रखा गया था और सभी पाइन्ट 21 दिसम्बर, 1963 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार सही-सही चिन्हित किए गये थे। दूसरे 1968 से प्रविष्टियां दर्ज थी। किन्तु रोस्टर के आरम्भ में ही पिछले वर्षों से आगे लायी गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दो आरक्षित रिक्तियां (एक-एक दोनों की) दिखायी गयी थी। रोस्टर में न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की आगे लायी गयी स्थिति सही-सही दिखायी गयी थी, किन्तु 1969 वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक रिक्ति को अगले भर्ती वर्षों 1970 और 1973 में भरी न जा सकने के कारण 1973 वर्ष में व्यपगमित दिखा दिया गया था। वास्तव में इस रिक्ति को एक और वर्ष, यथा 1975 के भर्ती वर्ष तक आगे ले जाना चाहिए था। 1975 वर्ष में भरी गयी 19 रिक्तियों में से तीन अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी। उस वर्ष में अनुसूचित जाति के दो और अनुसूचित जनजाति के तीन उम्मीदवार नियुक्त किए गए थे। अनुसूचित जनजाति के इन तीन उम्मोदवारों में से दो को तत्कालीन रिक्तियों पर और एक को 1969 वर्ष से आगे लायी गयी रिक्ति पर समायोजित दिखाया जा सकता था। मुख्य लिपिक को परामर्श दिया गया कि वे रोस्टर में यह छोटी सी दुरुस्ती कर लें। वैसे हर तरह से यह रोस्टर सही सही रखा गया था और इसमें दर्ज प्रविष्टियों पर डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक के हस्ताक्षर थे। प्रत्येक वर्ष के अन्त में वर्ष के दौरान भरी और अगले वर्ष में ले जायी गयी रिक्तियों का सार दिया गया था।

(2) तृतीय श्रेणी (विभागीय पदोन्नति)

यह रोस्टर भी सही-सही रखा गया था और न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में सही-सही आगे लाकर दिखाया गया था।

II. शास्त्री भवन, नई दिल्ली के इन्सपेक्टर द्वारा रखे गये रोस्टर

(1) पोस्टमैन (सीधी भर्ती)

(क) रोस्टर समुचित प्रपत्रों पर रखा गया था, किन्तु पाइन्ट सही-सही चिह्नित नहीं थे। वास्तव में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्दिष्ट प्रतिरूप-रोस्टर (अर्थात अनुबन्ध 1), भर्ती से भरे जाने वालों पदों के लिए अनुरक्षित किया गया था। अनुबन्ध 1 और अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट रोस्टरों में यह अन्तर है कि अनुबन्ध 1 में 25 मार्च, 1970 से पहले

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 12-1/2% और 5% थी, जबकि अनुबन्ध 2 में यह दर अनुसूचित जातियों के लिए 16-2/3% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% थी। इस प्रकार 1968 से रखे गये रोस्टर में 24 मार्च, 1970 तक 38 रिक्तियां भरी गयी थीं और उन दोनों रोस्टरों में अन्तर होने के कारण अनुसूचित जातियों के लिए दो रिक्तियों और आरक्षित की जा सकती थीं। 24 मार्च, 1970 के बाद भी वही प्रतिरूप रोस्टर चालू रखा गया था और 25 मार्च, 1970 से 1975 के अन्त तक लगभग 40 और रिक्तियां भरी गयी थी। अनुसूचित जातियों के लिए वास्तव में आरक्षित रिक्तियों और सही प्रतिरूप रोस्टर अपनाने पर बन सकने वाली आरक्षित रिक्तियों के बीच के अन्तर की परिगणना की जानी चाहिए। वास्तव में इस रोस्टर को फिर से तैयार करना चाहिए और अगले भर्ती वर्षों में आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों की सही परिगणना करके उन्हें उस रोस्टर में दर्शाना चाहिए।

(ख) 1971 वर्ष के सार में एक रिक्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से भरी दिखायी गयी थी, किन्तु वास्तव में यह अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरी गयी थी। रोस्टर को फिर से बनाते समय इस पाइन्ट को भी हिसाब में ले लेना चाहिए।

(ग) रोस्टर में केवल 1975 वर्ष तक की नियुक्तियों की प्रविष्टियां दर्ज थीं। पता लगा कि 1976 और 1977 में कुछ और नियुक्तियां भी आबन्टित हुई थी। यह रजिस्टर में तो दिखायी गयी थीं, लेकिन इनकी प्रविष्टियां रोस्टर में दर्ज नहीं की गयी थीं। यह प्रविष्टियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए रोस्टर पर आगे ले जानी चाहिएं।

(2) पोस्टमैन (विभागीय पदोन्नति)

द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण 11 जुलाई, 1968 से प्रारम्भ किया गया था। पदोन्नति के रोस्टर की संवीक्षा से पाया गया कि यह रोस्टर 1972 से रखा गया था और यदि रिक्तियां शेष थीं तो उन्हें पिछले वर्षों से 1972 वर्ष के प्रारम्भ में आगे लाकर नहीं दिखाया गया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रविष्टियां उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में दर्ज की गयी थीं और इसलिए 1972 में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को एकदम नीचे दिखाया गया था। इस सम्बन्ध में उल्लेख कर दिया जाए कि परीक्षा में प्राप्त स्थिति के अनुसार उम्मीदवार की वरिष्ठता का रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से कुछ लेना-देना नहीं। इसलिए किसी वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्तियों को उनके लिए आरक्षित पाइन्टों पर दिखाया जाना चाहिए। नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी होने के नाते इन्स्पेक्टर ने ही रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर किये थे, किन्तु केवल वर्ष के अन्त में। वास्तव में हर प्रविष्टि पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(3) चतुर्थ श्रेणी (सीधी भर्ती)

(क) यह रोस्टर 1968 वर्ष से रखा गया था, किन्तु सही प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार नहीं था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 25-3-1970 से पहले की सभी नियुक्तियों के लिए 21-12-1963 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/13/63-एस० सी० टी०(1) के अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए था। 25-3-1970 से की गयी नियुक्तियों के लिए, 22-4-1970 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/11/1969 एस्टे० (एस० सी० टी०) अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट प्रतिरूप रोस्टर अपनाना चाहिए था। इसलिए वर्तमान रोस्टर को नये सिरे से तैयार करना होगा और आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों की सही स्थिति को परिगणना करनी होगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे में आने वाली अतिरिक्त रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में भरा जाना चाहिए।

(ख) रोस्टर में प्रविष्टियों पर केवल वर्ष के अन्त में हस्ताक्षर किये गये थे, जबकि प्रत्येक प्रविष्टि पर नियुक्ति के बाद हस्ताक्षर होने चाहिएं।

रोजगार कार्यालय को भेजे गये कुछ मांग पत्रों और समाचार पत्रों के विज्ञापनों को भी देखा गया। विज्ञापनों में यात्रा भत्ते के भुगतान के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, जो भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आवश्यक होता है। बताया गया कि जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया था, उनके नाम दिल्ली के रोजगार कार्यालय में दर्ज होने जरूरी थे और इसलिए उन्हें स्थानीय उम्मीदवार माना गया था। चूंकि विज्ञापन पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली के कार्यालय से जारी किये गये थे, इसलिए उस अध्ययन दल द्वारा दी गयी रिपोर्ट में सम्बन्धित प्राधिकारियों को पहले ही अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान के बारे में स्थिति समझा दी गयी थी, जिसने पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली के अंचल कार्यालय में अध्ययन किया था।

दल को बताया गया कि पदोन्नतियों पर विचार करने के लिए अंचल कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है। यह डिविजन तो केवल दक्षता रोध के लिए ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करता था। यह भी ज्ञात हुआ कि विभागीय पदोन्नति समिति की ऐसी दो बैठकें दक्षता रोध पार करने वाले मामलों पर विचार करने के लिए जून और अक्तूबर, 1977 में हुई थी। दोनों ही बैठकों में अनुसूचित जाति का एक सदस्य (श्री एच० एल० सुल्हण उप पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली) सम्मिलित किया गया था।

डिविजन में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की स्थिति को समुचित रूप से नहीं समझा गया था। उनका विचार था कि आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने वाले तीसरे वर्ष के अन्त में ही, उनके व्यपगमित होने की स्थिति में, अनारक्षण कराना होता है। उन्हें स्पष्ट किया गया कि आगे लाने की अवधि के अन्त की अपेक्षा आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पुर्वानुमति लेनी पड़ती है। इसलिए उन्हें परामर्श दिया गया कि वे इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए दिल्ली अंचल के पोस्टमास्टर जनरल को लिखें और उसके बाद ही आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवारों को नियुक्त करें।

सिफारिशें/सुझाव

1. करौल बाग और जेल रोड़ कार्यालय के इन्सपेक्टरों को सलाह दी जाये कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय में रोस्टरों के साथ उपस्थित हों और आने से पहले टेलीफोन पर मुलाकात का समय तय कर लें।
2. शास्त्री भवन में स्थित कार्यालय के इन्स्पैक्टर द्वारा रखे गए पोस्टमैन पद (सीधी भर्ती) का रोस्टर, सही प्रतिरूप रोस्टर के अनुसार फिर से तैयार किया जाये। 1968 से 24-3-1970 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के 21-12-63 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध 2 और 25-3-70 से आगे 22-4-1970 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट

प्रतिरूप रोस्टरों का पालन किया जाये। रोस्टर तैयार करते समय अनुसूचित जाति से भरी गयी उस रिक्ति को भी ठीक कर लिया जाये, जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भरी दिखा दी गयी थी। 1976 और 1977 के वर्षों में भर्ती की जो नियुक्तियां की गयी थीं, लेकिन जिन्हें इस रोस्टर में नहीं दिखाया गया था, उन्हें नये सिरे से रोस्टर तैयार करते समय प्रारम्भ की अवधि में दिखाना चाहिए।

3. 1972 के वर्ष में अनुसूचित जातियों के तीन व्यक्तियों को जिन नियुक्तियों को उस वर्ष की प्रविष्टियों में सब से नीचे दिखाया गया था, उन्हें रोस्टर में उनकी अवधियों में ही दिखाना चाहिए। इस प्रकार रोस्टर में दर्ज की गयी प्रविष्टियों से उसी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोस्टर में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि पर नियुक्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, न कि केवल वर्ष के अन्त में।

4. चतुर्थ श्रेणी के पदों (सीधी भर्ती) के रोस्टर भी सही प्रतिरूप रोस्टर के अनुरूप फिर से तैयार किये जाएं और आगे लायी गयी रिक्तियों की स्थिति की सही परिगणना की जानी चाहिए।

5. विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह तथ्य उस दल ने भी अपनी रिपोर्ट में उजागर किया था, जिसने जून, 1977 में पोस्टमास्टर के कार्यालय का दौरा किया था।

6. आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने से पहले प्रत्येक भर्ती वर्ष में उनके अनारक्षण के लिए निर्धारित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।

परिशिष्ट 35

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली अंचल, नई दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन हेतु रखे गये रोस्टरों और अन्य अभिलेखों के अध्ययन की रिपोर्ट

(20 और 22 जून, 1977 को अनुसंधान अधिकारी श्री बी० एम० मसन्द और अन्वेषक श्री बरयाम सिंह द्वारा किया गया अध्ययन)

पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली अंचल, नई दिल्ली का कार्यालय डाक-तार महानिदेशालय के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। ज्ञात हुआ कि इस अंचल में प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के सभी पदों पर नियुक्तियों का नियंत्रण डाक-तार महानिदेशालय करता है। किन्तु अंचल कार्यालय दिल्ली अंचल में केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में भर्ती/पदोन्नतियां करता है।

2. अध्ययन दल ने दिल्ली अंचल की डाक सेवाओं की निदेशिका श्रीमती जी० ई० बनर्जी से भेंट की, जो इस कार्यालय की अध्यक्षा हैं। दल ने सहायक पोस्टमास्टर जनरल श्री अमोलक राम से भी भेंट की। इन दोनों अधिकारियों और इनके अमले ने रोस्टरों और दूसरे अभिलेखों के अध्ययन की दल में पूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

3. अंचल कार्यालय जिन पदों की भर्ती/पदोन्नति का नियंत्रण करता है, वे नीचे दिए जाते हैं। उनके साथ ही उनकी संस्वीकृत नफरी, भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिए पदों का निर्धारित अनुपात आदि भी दे दिये गये हैं।

पद का नाम	पद की श्रेणी और वेतनमान	स्वीकृत नफरी	भर्ती की पद्धति		पदोन्नति किस संवर्ग से की गई	पात्रता की शर्तें
			सीधी भर्ती	पदोन्नति		
कार्यालय अधीक्षक	तृतीय रु० 700–900	1	..	100% (प्रवरण से)	एच० एस० जी० II	
एच० एस० जी० II प्रबन्धक पी० एम० डी०	तृतीय रु० 550–750	1	..	100% (वरिष्ठता)	मुख्य लिपिक	विदेशी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा
मुख्य लिपिक	रु० 425–700	10	..	66-2/3 (वरिष्ठता) 33–1/3 (प्रवरण)	एल० एस० जी० संवर्ग	निवेशी ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा
उच्च श्रेणी लिपिक	रु० 330–560	50	..	(1) 50%	स्थायी/अर्ध स्थायी टी०एस० लिपिक	विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं
				(2) 30%	स्थायी/अर्ध स्थायी अवर श्रेणी लिपिक	वही
				(3) 20%	वही	वरिष्ठता से
आशुलिपिक	रु० 330–560	..	50%	50%	अवर श्रेणी लिपिक	विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं
अवर श्रेणी लिपिक	रु० 260–400	47	50%	50%	स्थायी/अर्ध स्थायी चतुर्थ श्रेणी चपरासी	विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं
चतुर्थ श्रेणी	रु० 196–232	45	100%	..	..	रोजगार कार्यालय से

अंचल कार्यालय द्वारा रखे गए रोस्टरों का अध्ययन किया गया और अध्ययन दल ने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की :

(1) **कार्यालय अधीक्षक**

रोस्टर समुचित रूप से रखे गए थे और पाइन्ट सही-सही दिखाए गए थे। रोस्टर में पदोन्नति की केवल एक प्रविष्टि थी, जो दिसम्बर, 1975 में की गई थी। चूंकि यह अकेली रिक्ति रोस्टर के पाइन्ट सं० 1 पर थी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, इसलिए यह अनारक्षित मान कर सामान्य उम्मीदवार से भर ली गयी थी। इस प्रविष्टि पर सक्षम प्राधिकारी ने समुचित रूप से हस्ताक्षर कर रखे थे। दिसम्बर, 1975 के बाद कोई पदोन्नति नहीं की गयी थी।

(2) **एच०एस०जी० 11/प्रबन्धक, पी०एस०डी०**

इस रोस्टर में भी दिसम्बर, 1975 में एक रिक्ति भरी गयी थी और अकेली रिक्ति होने के आधार पर इसे भी अनारक्षित मान लिया गया था। दूसरी रिक्ति 1977 में भरी गयी थी। 1975 से आगे लायी गयी पहली रिक्ति के ऐवज में यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। किन्तु निवेशी संवर्ग में तीन वर्ष की सेवा अवधि का अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार न होने के कारण इस रिक्ति को सामान्य उम्मीदवार से भर लिया गया था और इसके अनारक्षण पूर्वानुमति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से ले ली गयी थी।

(3) **मुख्य लिपिक**

यह रोस्टर योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले 66-2/3% कोटे के लिए रखा गया था। इस कार्य पर नियुक्त सहायक ने बताया कि चूंकि एक बार में एक या दो रिक्ति घटित होती थी, इसलिए प्रवरण-पद्धति से एक तिहाई कोटे का हिसाब लगाना और भरना हमेशा सम्भव नहीं था। यह तर्क विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इस कोटे का पृथक रोस्टर रखा जा सकता था और जिसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8 और इसी क्रम में पाइन्टों को वरिष्ठता कोटे के लिए चिन्हित किया जा सकता था। दूसरी तरफ प्रवरण कोटे के लिए 3,6 और 9 आदि पाइन्ट चिन्हित किये जा सकते थे और इन कोटे पाइन्टो के अनुसार रिक्तियों को भरा जा सकता था। वैसे संस्वीकृत नफरी के अनुसार भरी गयी सभी 9 रिक्तियों को इस रोस्टर में दिखाया गया था। योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण 27-11-1972 से प्रारम्भ किया गया था, इसीलिए उसी के बाद सभी रिक्तियां घटित हुई थीं और उन्हें इस रोस्टर में दिखाया गया था। 1973 में केवल एक रिक्ति भरी गयी थी और हालांकि यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पाइन्ट सं० 1 पर घटित हुई थी, फिर भी इसे गैर आरक्षित मान लिया गया था। 1974 में 4 रिक्तियां भरी गयी थीं और इनमें से एक रिक्ति 1973 से आगे लाये गये पाइन्ट सं० 1 के ऐवज में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। एक रिक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित थी (रोस्टर का पाइन्ट सं० 4)। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरी गयी थी, किन्तु निवेशी संवर्ग में अनुसूचित जनजाति का कोई पात्र उम्मीदवार न मिलने पर उसे सम्बन्धित वर्ग के उम्मीदवार से नही भरा जा सका था। रोस्टर में दर्ज टिप्पणी में उल्लेख था कि अनारक्षण की समुचित पद्धति का अनुसरण किया गया है। 1975 में केवल दो रिक्तियां भरी गयी थी और उनमें से केवल एक 1974 से आगे लायी गयी रिक्ति के ऐवज में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की जा सकी थी। अभी तक भी अनुसूचित जनजाति का पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण इस रिक्ति को आगे ले जाया गया था। किन्तु दो में से एक रिक्ति अनुसूचित जाति के उस उम्मीदवार से भरी गयी थी, जिसे निवेशी संवर्ग में सबसे वरिष्ठ बताया गया था। 1976 वर्ष में कोई पदोन्नति नहीं की गयी थी। 1977 में अध्ययन के समय तक दो रिक्तियां भरी गयी थी और इन मे से एक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पाइन्ट पर थी और इसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा दिखाया गया था।

रोस्टर में दर्ज प्रविष्टियों पर सक्षम प्राधिकारी ने समुचित रूप से हस्ताक्षर कर रखे थे और टिप्पणीवाले खाने में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण का उल्लेख था।

(4) **उच्च श्रेणी लिपिक**

उच्च श्रेणी लिपिकों के पद निम्नलिखित तरीके से भरे जाते हैं :

(क) समय-मान लिपिकों को ग्रेड से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 50% पद ;

(ख) अवर श्रेणी लिपिकों के पदों से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 30% पद ;

(ग) अवर श्रेणी लिपिकों से वरिष्ठता योग्यता के आधार पर 20% पद।

उपरोक्त तीन कोटों के आधार पर प्राधिकारियों ने तीन अलग-अलग रोस्टर रख रखे थे, क्योंकि आरक्षण इन तीनों वर्गों पर लागू होता था। पहले दो वर्गों के रोस्टर 1963 और 1964 से रखे गए थे, किन्तु तीसरे वर्ग के रोस्टर 1973 वर्ष से शुरू किए गए थे, जब इस वर्ग के पदों पर आरक्षण आदेश लागू हुए थे। पहले दो वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पर्याप्त संख्या में रिक्तियां आरक्षित थी, किन्तु विभागीय परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके थे और इसलिए इन रिक्तियों को अगले भर्ती वर्षों में आगे ले आया गया था। ज्ञात हुआ जिन आरक्षित पाइन्टों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से नही भरा जा सका था, उन्हें अगले भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाने से पहले प्रथम वर्ग में अनारक्षण सम्बन्धी पद्धति का पालन नहीं किया गया था। 1975 वर्ष के अन्त में इन पद वर्गों में 2 आरक्षित रिक्तियां शेष थी, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए। वरिष्ठता योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले अन्तिम वर्ग अर्थात 20% कोटे में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को इन अनुसूचित समुदायों के पात्र उम्मीदवारों से भरा गया था और इसलिए कोई आरक्षित रिक्ति शेष नहीं थी।

(5) **आशुलिपिक**

इस वर्ग में दो अलग-अलग रोस्टर रखे गये हैं। अवर श्रेणी के पात्र लिपिकों में से, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पदों का रोस्टर और खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पदों का दूसरा रोस्टर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत 1974 तक कोई नियुक्ति नहीं हुयी थी और 1974 से 1976 तक घटित 9 रिक्तियों में से 2 रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी, किन्तु इन का कोई उम्मीदवार उपलब्ध न था। सूचित किया गया कि इन आरक्षित रिक्तियों को

न तो भरा और न ही इनका अनारक्षण कराया गया था। प्राधिकारियों को परामर्श दिया गया कि आरक्षण आदेश भरी गयी रिक्तियों की वास्तविक संख्या पर लागू किए जाते हैं और अगले भर्ती वर्ष में इन आरक्षित पाइन्टों को ले जाने से पहले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। पदोन्नति कोटों में से 1974 और 1975 के दौरान केवल 2 रिक्तियां उपलब्ध हुई थी, जिनमें से एक रिक्ति पाइन्ट सं० 1 पर आती थी और जो 1974 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ठहरती थी, किन्तु केवल एक रिक्ति होने के कारण उसे गैर आरक्षित मान लिया गया था। बताया गया कि 1977 के दौरान उपलब्ध दो रिक्तियों में से एक रिक्ति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।

(6) अवर श्रेणी लिपिक

पिछले कई वर्षों से भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस वर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई थी। किन्तु 1970 से 1976 तक की अवधि में 14 पदों को चतुर्थ श्रेणी के अमले में से पदोन्नति द्वारा भरा गया था। इन भरे गए 14 पदों में से 3 पद अनुसूचित जातियों और 1 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे और इन पर अनुसूचित जातियों के 6 व्यक्ति पदोन्नत कर दिए गए थे। 1970 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति को, 1974 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति से बदल लिया गया था और इस प्रकार इस वर्ग में भी कोई आरक्षित रिक्ति भरे जाने के लिए शेष नहीं थी।

(7) चपरासी

प्रतिबन्ध के कारण इस वर्ग में भी कोई भर्ती नहीं की गयी थी।

4. कार्यकाल-पद

यह बताया गया कि बेतार इन्स्पेक्टरों के पद निर्धारित अवधि, यथा 3 वर्ष के लिए भरे गए थे। समय मान लिपिक, जो स्थायी या अर्ध स्थायी हों, वे भी इस पद के लिए विभागीय परीक्षा में बैठ सकते हैं। चुने गए कर्मचारी 3 वर्ष तक इस पद पर रहते हैं और बाद में अपने मूल पदों पर प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। 3 वर्षों के अन्तराल के बाद वे फिर इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी तरह विकास अधिकारियों के पद थे जो 5 वर्ष के नियत कार्यकाल के लिए भरे गये थे। बताया गया कि इन पदों को "अनुज्ञा-पद" की संज्ञा दी गयी थी और डाक-तार महानिदेशक के पत्र संख्या आई० आर० 8045/एस० पी० बी० 11/67, दिनांक 5–1–1968 में निहित अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर विशेष प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आदेश लागू नहीं होते थे।

5. आरक्षित पदों के लिए विज्ञापन

आरक्षित रिक्तियों के लिए कुछ विज्ञापन भी देखे गए। वे कमोवेश नियमित थे। किन्तु इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद्वारों के लिए यात्रा भत्ते की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। दरअसल पता चला कि डाक-तार महानिदेशालय से यात्रा भत्ते के भुगतान के कोई आदेश नहीं मिले थे। इस कार्य को देखने वाले सहायक ने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि यह विज्ञापन स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए थे और केवल उन्हीं उम्मीद्वारों को बुलाया गया था जिनके नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय में दर्ज थे और इस प्रकार उन्हें स्थानीय उम्मीद्वार ही माना गया था। फलस्वरूप उनके लिए यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं था। उनका यह कथन एकदम गलत प्रतीत हुआ, क्योंकि दिल्ली के रोजगार कार्यालय में दूरदराज के स्थानों के कुछ उम्मीद्वारों के नाम भी तो दर्ज हो सकते है। इस सम्बन्ध में पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय का ध्यान उन अनुदेशों की ओर दिलाया जाता है, जो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका के पैरा 25 में निर्दिष्ट हैं। इन में स्पष्ट प्रावधान है कि यात्रा भत्ते के भुगतान सम्बन्धी आदेश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीद्वारों पर भी लागू होते है, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विभागीय स्तर के अलावा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए, रोजगार कार्यालय से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। किन्तु ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता सबसे छोटे मार्ग का और विवरणिका पैरा 25 में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन दिया जायेगा। इसलिए सुझाव है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए भविष्य में जारी किए गए विज्ञापनों में, अन्य संविधिक अनिवार्यताओं के साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा भत्ते के भुगतान का आवश्य उल्लेख किया जाये।

6. सम्पर्क अधिकारी और निरीक्षण रिपोर्ट

ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सबंधी कार्य की देखभाल के लिए दिल्ली की डाक सेवाओं की निदेशिका श्रीमती जी० ई० बनर्जी तत्कालीन सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामत थीं। विवरणिका के पैरा 51(5) में निहित अनुदेशों के अनुसार सम्पर्क अधिकारी को रोस्टरों की वार्षिक पड़ताल करनी होती है ताकि विवरणिका के परिशिष्ट 7 में निर्दिष्ट प्रपत्र पर आरक्षण आदेशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बताया गया कि निर्धारित प्रपत्र पर ऐसी कोई निरिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। किन्तु साथ ही यह भी बताया गया कि सम्पर्क अधिकारी रोस्टरों का निरीक्षण सामान्य प्रशासनिक निरीक्षणों के एक भाग के रूप में करते रहे हैं और अपनी रिपोर्टों में सम्पर्क अधिकारी ने रोस्टरों में रह गयी कमियों का उल्लेख भी किया था। पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली के कार्यालय में डाक सेवाओं के निदेशक द्वारा निरीक्षण की ऐसी एक रिपोर्ट दल को दिखायी भी गयी। सुझाव है कि पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में रखे गए रोस्टरों के निरीक्षण की रिपोर्ट सम्पर्क अधिकारी को प्रति वर्ष निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

बताया गया कि 1977 वर्ष के दौरान एल०एस० ग्रेड और एच०एस० ग्रेड में पदोन्नतियों के मामलों पर विचार करने के लिए 28–1–1977, 6–4–1977 और 1-6-1977 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित हुई थीं। डाक सेवाओं की निदेशिका श्रीमती जी० ई० बनर्जी स्वयं अनुसूचित जाति की हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की इन बैठकों में उनके अतिरिक्त एक और अधिकारी (श्री बी० के० कुबेर, जनरल मैनेजर, तार के कार्यालयों में उत्तरी क्षेत्र के डी०ई० (सी० एण्ड एम०) भी सम्मिलित हुए थे, जो अनुसूचित जाति के थे और जो इन सभी बैठकों में भारी सदस्य के रूप में आये थे। इसी प्रकार सहायक पोस्टमास्टर जनरल श्री अमोलक राम डाक एवं तार निदेशालय के टेलीफोन संचार खण्ड में कार्यरत नक्शानवीस ग्रेड I और II के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के नामित सदस्य हैं। उन्होंने एक ऐसे मामले के बारे में दल को बताया जिसमें निवेशी संवर्ग में उपलब्ध केवल स्थायी और अर्ध स्थायी व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के ऐसे कुछ व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा रहा था, जो तीन वर्ष की सेवा की अनिवार्य शर्त को पूरी करते थे, किन्तु उन्हें अर्ध स्थायी घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने बैठक में तर्क पेश किया था कि यह गलती उनकी नहीं थी कि उन्हें अर्ध स्थायी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए उन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। विभागीय पदोन्नति समिति के किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना वास्तव में प्रशंसनीय है और इससे अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन-जातियो के कर्मचारियों को, पदोन्नति से भरे जाने वाले पदो में आरक्षण का लाभ पाने में बड़ी सहायता मिलती है।

परिशिष्ट 36

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्ता के बंगलौर स्थित कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में 21 जनवरी, 1978 को किये गये अध्ययन की रिपोर्ट

अध्ययन दल ने 21 जनवरी, 1978 को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता श्री श्रीधर और कार्यालय अधीक्षक श्री के० एस० हनुमंथप्पन से भेंट की और उनके संगठन में नियोजित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को प्रदत्त अनेक सेवा सुरक्षणों के विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श और विभिन्न अभिलेखों और रिकार्डों की संवीक्षा के आधार पर निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियां प्रस्तुत की गयी :

रोस्टर

अलग-थलग किस्म के कुछ पदों के लिए अलग रोस्टर रखे जा रहे थे और ऐसे पदों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। संबंधित सहायकों का ध्यान "सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका" के छटे अध्याय में निहित अनुदेशों की ओर दिलाया गया, जिनके अनुसार आरक्षण आदेशों पर अमल करने के उद्देश्य से अलग-थलग पदों और 20 से कम पदों वाले छोटे संवर्गों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। बताया गया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को नहीं भेजा गया था और अब वे इस तरह का प्रस्ताव बोर्ड को भेजने वाले हैं।

2. इन्स्पेक्टरों के पदों (प्रवरण ग्रेड) में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के कुछ प्रस्ताव भी देखे गये। उन्हें देखने से विदित हुआ कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 22-1-1977 के कार्यालय ज्ञापन सं० 26011/3/76-एस्टे० (एस०सी०टी०) से पूर्व, पिछले वर्षों में अनारक्षित रिक्तियों को बाद के वर्षों में भेजे जा रहे प्रस्तावों में शामिल नहीं किया जा रहा था। यह तो कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण आने के बाद ही इस कार्यालय ने आगे लायी रिक्तियों के संबंध में अनारक्षण की पद्धति का अनुसरण प्रारम्भ किया था।

3. सीमैन ग्रेड II के रोस्टर में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पाइन्ट 4 पर पड़ने वाली एक रिक्ति को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा दिखाया गया था और इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पाइन्ट 1 पर समायोजित दिखाया गया था। बताया गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पाइन्ट को अनारक्षित कराने का प्रस्ताव अभी नहीं भेजा गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पाने के लिए नए प्रयत्न किये जा रहे हैं। संबंधित सहायकों को स्थिति से अवगत कराया गया कि चाहे 1976 और 1977 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भर्ती करने के लिए निर्दिष्ट सभी कदम क्यों न उठा लिये गये हों, 1978 के वर्ष में उन्हें फिर से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पाने के प्रयत्न जारी करने पड़ सकते हैं। इसलिए अच्छा यही रहता कि बोर्ड और कार्मिक विभाग को प्रस्तुत रिक्तियों के अनारक्षण का प्रस्ताव भेज देते।

4. योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों के रोस्टर नियमित रखे गये थे, किन्तु 1974 और 1975 के पिछले वर्षों में अनारक्षित रिक्तियों के बारे में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गयी थी। यह भी बताया गया कि अनारक्षण प्रति वर्ष कराया जा रहा है, जो उनकी फाइलों से भी पता चलता था।

5. उच्च श्रेणी लिपिकों के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के रोस्टर केवल 1976 से रखे गये थे और इसका कारण यह बताया गया कि उस वर्ष से पहले उच्च श्रेणी लिपिकों के सभी पद केवल पदोन्नति से भरे जा रहे थे। 1976 और 1977 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के उपलब्ध उम्मीदवारों से ही उनके लिए आरक्षित सभी पदों को समुचित रूप से भरा गया था। 1976 वर्ष में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 3 रिक्तियों में से एक रिक्ति का उपयोग 1977 में कर लिया गया था। शेष 2 को आगे ले जाया गया था। बताया गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों से भरने की पूर्वानुमति कार्मिक विभाग से नहीं ली गयी थी। स्पष्ट किया गया कि वे रिक्तियाँ अभी भी मौजूद हैं और उनका अनारक्षण नहीं माँगा गया है। संबंधित सहायक को समझाया गया कि कार्मिक विभाग से सामान्य उम्मीदवारों से भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कराने की पूर्वानुमति लेने की पद्धति क्या है। सुझाव दिया गया कि कार्यान्तर अनुमति लेने के लिए कार्मिक विभाग को लिखा जाये और भविष्य में अनारक्षण पद्धति का सावधानी से अनुपालन किया जाये। यह पद्धति कार्मिक विभाग के 22-1-1977 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट की गयी है।

6. ज्ञात हुआ कि 1976 वर्ष के दौरान केवल दो नियुक्तियाँ की गयी थीं, दोनों की अनुकंपा के आधार पर। फिर 1977 वर्ष में भी 8 नियुक्तियां की गयी थीं और वे भी अनुकंपा के आधार पर। बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिस वर्ष में केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ की गयी हों, उस वर्ष को आरक्षण और आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने के आशय से भर्ती वर्ष नहीं माना जायेगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, रोजगार कार्यालय पद्धति में छूट दे कर, अनुकंपा के आधार पर की गयी नियुक्तियों के मामले में, यदि रिक्ति आरक्षित पाइन्ट पर आती है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो रोस्टर में अगले पाइन्ट को आरक्षित मान लेना चाहिए और ऐसे मामलों में अनारक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती।

7. उप कार्यालय अधीक्षक (स्तर 1) के पद से कार्यालय अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति के रोस्टर में, 1977 वर्ष में पाइन्ट संख्या 31 पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति दिखायी गयी थी। इस संबंध में बताया गया कि सामान्य उम्मीदवार छुट्टीरिक्ति पर पदोन्नत किया गया था। चूंकि रिक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पाइन्ट पर पड़ रही थी, इसलिए इस कार्यालय ने अनारक्षण के लिए बोर्ड को लिखा था और समाहर्ता ने आदेश दिया था कि प्रदोन्नति अनियमित है, क्योंकि रिक्ति के अनारक्षण की पूर्वानुमति नहीं ली गयी है। इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण के आदेश केवल नियमित आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों पर लागू होते हैं, न कि अस्थायी रिक्तियों में पदोन्नतियों पर। इस मामले में सामान्य उम्मीदवार को समाहर्ता के आदेश पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था और रोस्टर में पाइन्ट सं० 31 को रोस्टर रखने के उद्देश्य से खाली पाइन्ट मान लिया गया था। वास्तव में ऐसी अस्थायी नियुक्तियों को रोस्टर में दिखाया ही न जाये, जो छुट्टी रिक्तियों पर की गयी हों और जिनके प्रत्यावर्तन की संभावनाएं मौजूद हों। उस स्थिति में अनारक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

8. अधीक्षक का पद उन इन्स्पेक्टरों में से प्रवरण के आधार पर पदोन्नति से भरा जाता है, जिन्होंने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इन पदों पर आरक्षण संबंधी आदेश 20 जुलाई, 1974 से लागू हुए थे।

इस तारीख के बाद 1974 में एक पदोन्नति की गई थी और रिक्त अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पाइन्ट संख्या 1 पर था। उस अनारक्षित करा लिया गया था। 1975 वर्ष में 28 रिक्तियां भरी गयी थीं, जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 4 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित थीं। सभी रिक्तियां आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरा गया था और उन्हें गैर आरक्षित पाइन्टों पर दिखाया गया था, किन्तु संबंधित वर्ग के लिए मूल रूप से आरक्षित पाइन्टों के सामने इस आशय का कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गयी थी। 1975 वर्ष में पाइन्ट सं० 4 के सामने टिप्पणी थी कि यह रिक्ति उसी वर्ष में पाइन्ट सं० 1 पर समायोजित दिखायी गयी है। चूंकि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए इस टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं। 1976 वर्ष के दौरान कुल 16 रिक्तियां भरी गयी थीं। वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 2 रिक्तियों को भर लिया गया था, किन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरा जा सका था। 1977 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 4 और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 2 रिक्तियों में से केवल अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 2 रिक्तियों को अनारक्षित करा लिया गया था, क्योंकि उसके उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। शेष रिक्तियों को आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से समुचित रूप से भर लिया गया था। बताया गया कि 1978 वर्ष में 17 पदोन्नतियां की गयी, जिनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 2-2 रिक्तियां आरक्षित थीं, किन्तु पदोन्नत व्यक्तियों में से कोई भी इन आरक्षित संवर्गों में से नहीं था। इन की प्राविष्टियों के सामने न तो तारांकन लिखा था और न ही जाति। अभी तक इनके अनारक्षण का प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया था। 1978 में की गयी पदोन्नति की प्राविष्टियों को छोड़ कर, इसे रोस्टर में शेष सभी प्राविष्टियों पर सहायक समाहर्ता (मुख्यालय) के हस्ताक्षर थे। बताया गया कि उम्मीदवार जब अपना ड्यूटी पर आ जायेंगे, तब इन प्राविष्टियों पर सहायक समाहर्ता (मुख्यालय) हस्ताक्षर करेंगे।

9. अवर ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से उप-कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड II के पद पर प्रवरण द्वारा पदोन्नति के मामले में ज्ञात हुआ कि 7 वर्ष की पूरी सेवा न्यूनतम पात्रता थी। किन्तु 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही उपलब्ध थे। 1976 में संघ लोक आयोग ने अपना रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि पात्रता की यह अवधि कम कर दी जाय और समाहर्ता इस सुझाव से सहमत थे। किन्तु मंत्रालय इस आधार पर सहमत नहीं हुआ कि मौजूदा नियमों में न्यूनतम अर्हक सेवा में छूट देने की गुंजाइश नहीं है। प्राधिकारी इस मामले पर फिर से विचार कर सकते हैं और भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करके 7 वर्ष की अर्हक सेवा को सभी उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति/जनजाति के तथा सामान्य) के लिए घटा कर 5 वर्ष कर दें। उस स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार इन पदोन्नति पदों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए पहले पात्र बन जायेंगे।

मांग पत्र/विज्ञापन

10. अगस्त, 1976 में सभी रोजगार कार्यालयों को भेजे गये मांग पत्र की संवीक्षा की गयी और पाया गया कि उसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान और अधिकतम आयु सीमा में छूट का उल्लेख था, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान का जिक्र नहीं किया गया था। उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान के बारे में उस समय सूचित किया गया था जब उन्हें साक्षात्कार के लिए पत्र प्रेषित किये गये थे। अनुभव/अर्हता में छूट का भी उल्लेख नहीं था।

11. मोटर चालक की नियुक्ति से संबंधित एक मांग पत्र सितम्बर, 1977 में रोजगार कार्यालय को भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, किन्तु साथ ही पाँच वर्ष के चालक लायसेंस के अनुभव का उल्लेख भी था। यह भी लिखा था कि प्राधिकारियों के विवेक पर अनुभव में छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जनजाति का एक उम्मीदवार उपलब्ध था, किन्तु उसने लिखा था कि वह बहुत दूर रहता है, इसलिए पैसे की कमी के कारण परीक्षा के लिए नहीं आ सकता। यह लगा कि अनुभव में छूट का विशेष और साक्षात्कार पत्र में यात्रा भत्ते के तुरन्त भुगतान का उल्लेख कर दिया जाता तो परीक्षा के लिए और अधिक व्यक्ति आ सकते थे। साक्षात्कार पत्र में इस तरह का संशोधन कर देना चाहिए कि यात्रा भत्ते का भुगतान स्थल पर ही कर दिया जायेगा।

12. चालकों के लिए न्यूनतम ऊंचाई और छाती विस्तार निर्धारित था, जबकि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार इस निर्धारित ऊंचाई के नहीं होते। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 फुट की ऊंचाई भी अधीक है। जून/जुलाई में आकाशवाणी से प्रसारित पदों की घोषणा में नहीं बताया गया था कि परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

13. दिसम्बर, 1976 में विभिन्न समाचार पत्रों में आशुलिपिक के पद के लिए विज्ञापन जारी किये गये थे, जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। विज्ञापन में अर्हता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। यात्रा भत्ते के प्रावधान का भी उल्लेख नहीं था। फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के आवेदन नगण्य रहे। सुझाव है कि भविष्य में सभी विज्ञापनों और रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांग पत्रों को, नियमों और ऊपर की गयी टिप्पणियों का ध्यान रख कर तैयार करके भेजा जाये।

14. कुछ जाति प्रमाण पत्रों की भी पड़ताल की गयी और अधिकांश प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्रों पर पाये गये। किन्तु कुछ प्रमाण पत्र बंगलौर के तहसीलदार ने उम्मीदवारों के शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी अभिलेखों/विवरणों के आधार पर जारी कर रखे थे। अनुभव किया गया कि प्राधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र उसी स्थिति में जारी करने चाहिएं, जब वे पुलिस जाँच और राजस्व अधिकारियों के विवरणों से संतुष्ट हो जायें। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार वे ऐसा करने के लिए सक्षम हैं।

15. रोस्टर क्रमोवेश सही आधार पर गये रखे थे, किन्तु इसके बावजूद सभी श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत ही न्यून था, जबकि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक था। इसलिए यह आवश्यक है कि बंगलौर समाहर्ता कार्यालय सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों को, अन्य राज्यों के अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापित करे, जहां जनजाति के समुदायों का भारी संकेन्द्रण हो। मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप ऐसे इलाके हैं। बंगलौर समाहर्ता कार्यालय की सूचनार्थ यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/3/73-एस्टे० (एस०सी०टी०), दिनांक 27-12-1977 के अनुसार पूर्व निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा ऐसे पदों के मामले में अब आगे बढायी जा सकती थी, जिनमें निर्धारित प्रतिशतता प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का प्रशिक्षण

16. दल को उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों को 1976 के दौरान विभागगत प्रशिक्षण दिया गया था। इनमें से एक प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जातियों का था।

उसी वर्ष में प्रथम श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी विभाग से बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। लेकिन विदेश में प्रशिक्षण के लिए किसी अधिकारी को नही भेजा गया था और न ही किसी अधिकारी को सम्मेलन, गोष्ठियों, परिसंवादों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। बंगलौर समाहर्ता कार्यालय में अनुसूचित जातियों के प्रथम श्रेणी के 6 अधिकारी थे। शेष तीन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति की संभावनाएं और बढ़ जाये, क्योंकि इस श्रेणी में आरक्षण का कोई अंश नहीं है।

17. बताया गया कि झाड़ूकशों और फर्राशों के लिए पदोन्नति/पद परिवर्तन के नए मार्ग खोलने से संबंधित आदेश इस कार्यालय में अगस्त, 1976 में प्राप्त हुए थे, हालाँकि भारत सरकार ने इन्हें 16-1-76 को जारी किया था। आगे अवगत कराया गया कि इन आदेशों के प्राप्त होने के बाद से समाहर्ता कार्यालय में सिपाही के पदों के भरने पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध के कारण उन पर कोई भर्ती नहीं की गयी थी। इस प्रकार झाड़ूकशों और फर्राशों आदि के इन पदों में 25% आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुभव किया गया कि इस प्रतिबंध के कारण जाति आधारित अस्वच्छ कार्यों से झाड़ूकशों आदि को चतुर्थ श्रेणी के स्वच्छ कार्यों वाले पदों पर नहीं लाया जा सकता। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को कम से कम 25%रिक्तियों की सीमा तक, सिपाहियों की भर्ती पर से प्रतिबंध में ढील देने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि कुछ झाड़ूकशों को तो चतुर्थ श्रेणी के दूसरे पदों पर लाया जा सके।

परिशिष्ट 37

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भारतीय टैक्नोलाजी संस्थान, कानपुर के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन के 17 और 18 मार्च, 1978 को किये गये अध्ययन की रिपोर्ट

संविधान के 16(4) और 335 अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के अध्ययन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एक अध्ययन दल ने इन आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए, कानपुर के भारतीय टैक्नोलाजी संस्थान का दौरा किया था। इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और श्री बी० एम० मसन्द सम्मिलित थे, जिन्हें रोस्टरों और अन्य संबंधित अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। दल ने रजिस्ट्रार श्री गिरिराज किशोर और उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) श्री आर० जी० सेठ तथा उन दूसरे अधिकारियों से भेंट की, जो इन आदेशों पर अमल करने के काम से सम्बद्ध थे।

सब से पहला जो तथ्य सामने आया, वह यह था कि इस संस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों को, सीधी भर्ती के पदों तक में, कहीं जाकर 5 सितम्बर, 1974 को लागू किया गया था। संस्थान के अधिकारियों और अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ (आई० आई० टी० शिड्यूल कास्ट्स/ट्राइब्स काँग्रेस) के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरक्षण आदेशों को लागू न करने के प्रयत्नों के पीछे प्रशासनिक प्राधिकारियों का हाथ रहा है। निम्नलिखित तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी ऐक्ट, 1961 के खंड 12(2) के अनुसार "नियुक्तियां करते समय नियुक्तकर्ता प्राधिकारी संस्थान में प्रशासनिक तथा अध्यापन की कार्यकुशलता के साथ सामंजस्य रखते हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखेगा।" इतने स्पष्ट प्रावधान के बावजूद संस्थान के प्राधिकारियों ने इस आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया था कि उपरोक्त खंड में इन समुदायों के लिए निर्दिष्ट आरक्षण प्रतिशतता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) काफी समय तक पत्र व्यवहार चलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 22 अक्तूबर, 1964 को उन्हें सूचित किया था कि 12-1/2 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों और 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए उस समय लागू प्रतिशतता के अनुसार आरक्षित करनी होगी।

(ग) आई० आई० टी०, कानपुर के गवर्नर मंडल की 1965 में हुई 15 वीं बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो इस प्रकार था कि "6 अक्तूबर, 1964 को कौंसिल की बैठक में स्वीकृत सिफारिशों को दर्ज किया गया और इस विषय में सहमति हुई कि कुछ प्रतिशत पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए, किन्तु आरक्षण शैक्षणिक तथा अनुसंधानपरक पदों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।" शिक्षा मंत्रालय के 22 अक्तूबर, 1964 के निर्देश के बावजूद, बोर्ड ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों में आरक्षित प्रतिशतता का स्पष्ट और निश्चित उल्लेख नहीं किया था। इतना होने पर भी, कभी कोई और कभी कोई कारण देकर अभी तक आरक्षण लागू नहीं किया गया था।

(घ) शिक्षा मंत्रालय स्वायत्त निकायों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए कानपुर के भारतीय टैक्नोलाजी संस्थान के साथ बराबर पत्र व्यवहार कर रहा था। उसने अपने पत्र संख्या एफ०_14-45/70-टी० 6, दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 में लिखा था कि आरक्षण आदेश लागू करने के मामले में संस्थान ने प्रगति की जो स्थिति लिख भेजी थी, वह मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दी गयी थी और उन्होंने भारतीय टैक्नोलाजी संस्थान, कानपुर द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति स्वीकार नहीं की है। मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि गृह मंत्रालय के 16 मई, 1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/3/70-एस्टे (एस०सी०टी०) के अनुसार, भारत सरकार के प्रावधान के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए मंत्रालय ने संस्थान पर जोर डाला कि इस मामले को परम अग्रता दी जाये और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाये। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संविधिक/भर्ती नियमों में संशोधन कर लिया जाये। इस संबंध में सरकारी नीति का अनुसरण किया जाये, क्योंकि प्रधानमंत्री

की अध्यक्षता में होने वाली उच्च स्तरीय समिति की बैठक के सिलसिले में, मंत्रिमंडल सचिवालय को इस विषय में हुई प्रगति की सूचना देनी है।

(च) मार्च, 1973 तक स्थिति इसी तरह से चलती रही थी। तब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने 19 और 20 जनवरी, 1973 की अपनी बैठकों के दौरान, इस संस्थान में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में सूचना माँगी थी। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त शिक्षा सलाहाकार (टी) संसदीय समिति द्वारा माँगी गयी इस सूचना के लिए संस्थान को लगातार पत्र लिख रहे थे। उन्होंने संस्थान के तत्कालीन निदेशक को लिखा था कि संविधि के खंड 12(2) ने गवर्नर-बोर्ड को इस तरह के आरक्षण देने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये हैं और इसके लिए उसमें संशोधन की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए उन्होंने इस विषय में किसी अस्पष्टता के बिन निदेशक से सूचना भेजने का आग्रह किया था।

(छ) इस बीच 15 फरवरी, 1972 को गवर्नर बोर्ड ने अपनी बैठक में संविधि में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार "नियुक्तियाँ करते समय संस्थान, बोर्ड के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में आरक्षण की आवश्यक व्यवस्था करेगा।" देखा जा सकता है कि इस संशोधित प्रस्ताव तक में आरक्षण की स्पष्ट प्रतिशतता नहीं बतायी गयी थी।

(ज) खेद की बात है कि यह प्रस्ताव 15 फरवरी, 1972 में पारित हुआ था और इसकी एक प्रति शिक्षा मंत्रालय के उप शिक्षा सलाहकार (टी) को एक वर्ष बीत जाने के बाद 28 फरवरी, 1973 को भेजी गयी थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन भेजने में डेढ़ वर्ष और लगा दिये थे। अन्त में आरक्षण आदेशों को 5 सितम्बर, 1974 से लागू किया गया।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि भारतीय टैक्नोलाजी संस्थान, कानपुर के अधीन सेवाओं और पदों में आरक्षण लागू करने में किस तरह अवहेलना की गयी और उन्हें लागू करने से किस तरह बचा गया। ऐसा इसके बावजूद हुआ कि संविधि में इसके लिए आवश्यक प्रावधान था। गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष, डा० एस० हुसेन जहीर को 13-8-1974 को एक आदेश जारी करना पड़ा कि 1965 में गवर्नर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय पर अमल न करने के लिए निदेशक, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाये। किन्तु लगता यह है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। भारतीय टैक्नोलाजी संस्थान, कानपुर के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी औपचारिक आदेश 28 अक्तूबर, 1974 को जारी किये थे, किन्तु तब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को जो क्षति पहुंचनी थी, पहुंच चुकी थीं। इस संस्थान की सेवाओं में उन्हें अपना देय भाग नहीं मिल सका था। कर्मचारियों के प्रतिनिधि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को भी इस स्थिति से अवगत करा चुके हैं और वे जोरदार सिफारिश करते हैं कि इस च्युति की जिम्मेदारी तय की जाये और उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये, जो इस प्रकार के कठोर रवैये के लिए जिम्मेदार हैं।

1. पदों का वर्गीकरण

भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार केवल ऐसे पदों का ही आरक्षण आदेशों के आशय से वर्गीकरण किया जाये, जो सीधी भर्ती से भरे जाते हों। और जो अलग-थलग या छोटे-छोटे संवर्गों (कुल नफरी 20 से कम हो) में हों। अध्ययन दर को दिये गये विवरण से पता चला कि गवर्नर मंडल ने 17-11-1975 को हुई अपनी 54वीं बैठक में पदों के वर्गीकरण की योजना का अनुमोदन किया था, जिसकी संगति इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेश से नहीं बैठती थी। इस योजना के अनुसार रु० 700–1300 (रु० 700–1100 के पुराने वेतनमान सहित) के वेतनमान से ले कर रु० 1500–2000 (रु० 1600–1800 के पुराने वेतनमान सहित) तक के वेतनमान वाले वर्ग 'क' (प्रथम श्रेणी) के सभी पद एक वर्ग में डाल दिये गये थे। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के सभी पदों को मिला कर एक वर्ग बना दिया गया था। इन दोनों वर्गों में अलग-थलग पदों और छोटे संवर्गों के पदों को डालने पर क्या एतराज हो सकता है, किन्तु इतना जरूर महसूस किया गया था कि वर्ग 'क' के पदों को आगे दो वर्गों में और बांटा जा सकता है, एक वर्ग में प्रथम श्रेणी के निम्नतम ग्रेड के पद हों और दूसरे वर्ग में उच्चतर ग्रेडों के। किन्तु इन पर शर्त वही लागू होगी कि इन वर्गों में ऐसे पद ही रखे जायं, जो सीधी भर्ती से भरे जाते हों। जो पद पूर्णतया पदोन्नति या आंशिक रूप से पदोन्नति और आंशिक रूप से सीधी भर्ती से भरे जाते हों, उनमें पदोन्नति से भरे जाने वाले भाग के लिए अलग रोस्टर रखे जायेंगे, चाहे ऐसे संवर्ग में पदों की संख्या कितनी ही कम क्यों न हो। इसी आधार पर वर्ग 'ख' के पदों का भी फिर से वर्गीकरण किया जाना चाहिए। विशेषकर वरिष्ठ फोरमैन सीनियर ग्रेड (28 पद), कनिष्ठ अधीक्षक (24 पद), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (47 पद), वरिष्ठ तकनीकी सहायक (62 पद) और इसी प्रकार के 20 या उससे अधिक नफरी वाले पदों के लिए अलग-अलग रोस्टर रखे जायें, किन्तु ध्यान रखें कि पदोन्नति अंश वाले पद वर्गीकरण की सीमा में न लाये जायें। वर्ग 'ग' और 'घ' में भी ऐसे बहुत से पद/संवर्ग हैं, जिनके रोस्टर अलग रखना उचित रहेगा, जैसे वर्ग 'ग' सभी पद सहायक (69 पद), अनुसंधान सहायक (154 पद), तकनीकी सहायक (74 पद) मैकेनिक ग्रेड 'ए' (45 पद), शिक्षक (33 पद), उच्च श्रेणी लिपिक (65 पद), मैकेनिक 'बी' ग्रेड (55 पद), प्रयोगशाला सहायक (22 पद), अवर श्रेणी लिपिक (79 पद), गेस्टेटनर चालक ग्रेड I (22 पद), मैकेनिक ग्रेड 'सी' (184 पद) और निर्माण सहायक (67 पद) और वर्ग 'घ' के सभी पद इंजिन चालक (29 पद), प्रयोगशाला परिचर (28 पद), चौकीदार ग्रेड I (70 पद), दफ्तरी (33 पद), माली ग्रेड I (64 पद), चौकीदार (65 पद), मददगार (161 पद) और मजदूर (26 पद)। सुझाव है कि उपरोक्त आधार पर सभी पदों का वर्गीकरण फिर से किया जाये।

2. सम्पर्क अधिकारी

ज्ञात हुआ कि उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) श्री आर० जी० सेठ को फरवरी, 1976 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य को देखने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। रोस्टरों और अन्य रिकार्डों को रखने के विषय में 1976 वर्ष की अपनी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट सम्पर्क अधिकारी ने निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं की थी, जैसा कि विवरणिका के परिशिष्ट 7 में निर्दिष्ट है। अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में उन्हों ने लिखा था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी रिकार्ड और सूचनाओं के अनुरक्षण की स्थिति अच्छी है, किन्तु भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान में उनकी वास्तविक नियुक्तियों की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं। उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में जोरदार शिफारिश की थी कि रिपोर्ट के अन्तिम पैरा में सुझाये गये

सुधार के उपायों पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किन्तु सुधार के जिन उपायों की उन्होंने सिफारिश की थी, उन पर अमल कौन करेगा— वे स्वयं ही तो उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) हैं। इस प्रकार रिपोर्ट एक सैद्धांतिक कवायद थी। वास्तव में उप रजिस्ट्रार के बजाय रजिस्ट्रार को सम्पर्क अधिकारी होना चाहिए ताकि सम्पर्क अधिकारी की रिपोर्ट उस संबंधित अधिकारी के लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न न करे, जो स्वयं ही कार्यान्वयन प्राधिकारी है।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि बहुत से पक्षों के बारे में वे स्वयं धुंधलके में थे। उदाहरणार्थ, उन्होंने लिखा था कि 1976 वर्ष में वर्ग 'क' में केवल दो नियुक्तियां हुई थीं और दोनों ही सामान्य रिक्तियों पर थीं। वे अपनी रिपोर्ट में पहले स्वयं लिख चुके थे कि वर्ष के प्रारम्भ में 4 रिक्तियां शेष में थीं—3 अनुसूचित जातियों और 1 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित। कम से कम इन 4 रिक्तियों में से एक रिक्ति को 1976 में भरी गयी रिक्तियों से पिछली रिक्तियों का उपयोग पहले करने वाले नियम के अन्तर्गत, अन्तरवेशित और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जा सकता था। इसी प्रकार वर्ग 'ख' के पदों के मामले में 7 स्थायी और 12 अस्थायी नियुक्तियों में से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की एक भी नियुक्ति नहीं थी। सम्पर्क अधिकारी के नाते उन्हें इस विषय में तसल्ली जरूर कर लेनी चाहिए थी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए सभी अपेक्षित प्रयास किए गए थे या नहीं।

3. पदोन्नति/मूल्यांकन नीति

28 अक्तूबर, 1974 के प्रारम्भिक ज्ञापन में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किन्तु यह प्रावधान लगभग अप्रभावी रहा—क्योंकि इस संस्थान में आन्तरिक पदोन्नति के बारे में कोई सुदृढ नीति नहीं है। 5-8-1977 से शिक्षण इतर अमले की भर्ती और पदोन्नति के नियम, 1977 के प्राख्यापन पर 'ख', 'ग' और 'घ' के पद वर्गों में भर्ती और पदोन्नति की पद्धति और पात्रता की शर्तें तय करने के लिए कुछ नियम बनाये गये। इन नियमों के खण्ड 4.2 के अनुसार खण्ड " 1.3 ('ख' 'ग' और 'घ' सभी वर्गों के पद) की सीमा में आने वाले संवर्गों में शामिल सभी रिक्त पद किसी भी समय भरने के लिए प्रस्तावित हुए तो इन्हें पहले संस्थान के भीतर ही विज्ञापित किया जायेगा। संस्था के निर्धारित अर्हता वाले कर्मचारी इनके लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार न मिले तो इस पद को खुले प्रवरण के लिए जारी कर दिया जाएगा।" इस खण्ड का मतव्य है कि पहले तो इन पदों को अपेक्षित अर्हताओं वाले उन कर्मचारियों के लिए खोला जाये, जो पहले से ही इस संस्थान में काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी न मिलने की स्थिति में ही बाहर से भर्ती का तरीका अपनाया जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उपलब्ध पदों के लिए उपयुक्त आन्तरिक उम्मीदवार मिलते रहे तो बाहर से उम्मीदवारों की भर्ती का कोई प्रयास नहीं किया जायेगा। अध्ययन दल को जो आंकड़े दिए गए थे, उनके अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व पहले से ही अत्यन्त न्यून है और इसकी भी कोई सम्भावना नहीं है कि भविष्य में उनके लिए आरक्षित पदोन्नति के कोटे को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार मिल सकेगा। जब तक बाहर की भर्ती से कुछ कोटा नहीं भरा जाता, तब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों में कोई सुधार नहीं होगा। सुझाव है कि उपरोक्त नियमों में इस तरह संशोधन किया जाये कि बाहरी भर्ती की गुंजाइश निकल आये या पदोन्नति पदों में न भरे गये आरक्षित कोटे को संस्थानगत उम्मीदवारों से भरने की अपेक्षा बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती से पूरा किया जाये।

केवल आन्तरिक उम्मीदवारों से पूरी भर्ती की नीति में एक कमी यह भी है कि उन सभी उम्मीदवारों को पदोन्नत समझा जाता है, जो निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हैं और चुन लिए जाते हैं। सभी मामलों में यह ठीक नहीं रहेगा। मान लीजिए कि एक विज्ञान स्नातक अनुसचिवीय पद पर काम कर रहा है और तकनीकी संवर्ग की किसी ऐसी रिक्ति के आने पर, जिसके लिए विज्ञान स्नातक की न्यूनतम अर्हता अपेक्षित हो, वह पात्र होने के कारण आवेदन कर सकता है। अन्त में उसके चुने जाने की स्थिति में उसे पदोन्नत माना जाएगा, जबकि अनुसचिवीय पद से तकनीकी पद में पदोन्नति का कोई सीधा चैनल नहीं है। ऐसे पदों को सीधी भर्ती का पद मानना ही उचित रहेगा और इसके लिए सीधी भर्ती से पदों के भरने वाली पद्धति का अनुसरण किया जाये। इस तरह के पदों के लिए बाहर जारी किये गए विज्ञापनों को संस्थान के भीतर भी परिचालित किया जाये और प्रवरण के समय आन्तरिक उम्मीदवारों को कुछ अग्रता दे दी जाए। प्रवरण के बाद आन्तरिक उम्मीदवारों को ऐसे पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त समझा जाये। इस पद्धति से संस्थानगत और संस्थान से बाहर के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रवरण का अवसर मिल जायेगा।

कानपुर के भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान की मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष ने अपने 7 दिसम्बर, 1977 के पत्र में निदेशक और रजिस्ट्रार को लिखा था कि चूंकि वर्ग 'घ' के पदों में पदोन्नतियां शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों से की जाती हैं, इसलिए इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। इसका यह अर्थ हुआ कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा यह वर्ग 'घ' के पदों को भरने के लिए कोई रोस्टर रखने की आवश्यकता नहीं। यह एकदम अनुचित बात है। आरक्षण रोस्टर रखने ही होंगे, चाहे सभी व्यक्ति विशुद्ध वरिष्ठता के आधार पर ही क्यों न पदोन्नत किए जायें। अब चाहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जूनियर ही हों, लेकिन उन्हें आरक्षित पाइन्टों पर पदोन्नत करना पड़ेगा और इस प्रकार के अपने वरिष्ठ साथियों से आगे निकल जायेंगे। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। मान लीजिये कि 10 व्यक्तियों को पदोन्नत करना है, जो रोस्टर में 1 से 10 पाइन्ट पर है। इन में से दो पाइन्ट (1 और 8) अनुसूचित जातियों और एक पाइन्ट (पाइन्ट 4) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यदि पहली दस पोजीशनों के भीतर वे वरिष्ठता के अनुसार उपलब्ध हैं तो उन्हें पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार नियमित पदोन्नति मिल जाएगी। यदि वे पहली दस पोजीशनों के भीतर उपलब्ध नहीं है तो निचली पोजीशनों पर ही उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को, पात्रता-शर्तें पूरी करने पर, उतने ही आरक्षित पदों पर पदोन्नत कर दिया जायेगा, जितने मौजूद होंगे।

4. आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण

दल को बताया गया कि कानपुर के भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान को किसी पद के अनारक्षण की अभी तक कोई आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है। किन्तु देखा गया कि 5 सितम्बर, 1974 के बाद भी बहुत सारे पदों को भरा गया था और सम्पर्क अधिकारी ने वर्ष-दर-वर्ष चली आती न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का उल्लेख भी किया था। सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि विवरणिका के दसवें अध्याय में निहित अनुदेशों के अनुसार, जब कभी भी आरक्षित रिक्ति पर कोई सामान्य उम्मीदवार नियुक्त किया जाता है, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति से, सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है और ऐसा करते समय निर्दिष्ट नियमों/आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। समझा जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समान, इस संस्थान में वर्ग 'क' और 'ख' के पदों के मामले में गवर्नर बोर्ड, और वर्ग, 'ग' और 'घ' के मामले में अध्यक्ष की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

5. न भरी गयी आरक्षित रिक्तियो आगे ले जाना

संपर्क अधिकारी ने 1976 वर्ष की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में लिखा है कि वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों और अनुसंधान सहायकों के पद विशुद्ध अस्थायी होने के कारण उन पर नियत अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गयी थीं और इसलिए भरी न गयी आरक्षित रिक्तियों की आगे ले जाना सम्भव नहीं था। इस सम्बन्ध में उन अनुदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका के पैरा 3 में दिये गए हैं। उन अनुदेशों के अनुसार आरक्षण आदेश ऐसे सभी पदों पर लागू होते हैं, जो 45 दिन या उससे अधिक दिनों की अवधि के लिए भरे जाते हैं और ऐसे विशुद्ध अस्थायी पदों के लिए अलग से रोस्टर रखना जरूरी होता है और इन्हें दूसरे स्थायी या अनिश्चित अवधि तक जारी रहने की सम्भावना वाले पदों के साथ न मिलाया जाये। जब कोई पद आरक्षण के अन्तर्गत पड़ता हो और आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के खयाल से उसके लिए रोस्टर रखा जाता हो तो उसकी न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे लाया जाता है। पिछले वर्षों से आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों समेत कुल आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने पर, इन्हें निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अनारक्षित कराया जा सकता है।

6. रोस्टर

रोस्टरों के अध्ययन से निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां सामने आयी :—

(क) वर्ग 'ख' के पदों (स्थायी नियुक्तियों) के रोस्टरों में पाइन्ट सही-सही चिह्नित नहीं थे। पाइन्ट सं० 24 को अनुसूचित जनजातियों और पाइन्ट सं० 26 को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित दिखा रखा था, जबकि पाइन्ट सं० 25 वास्तविक रूप से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित था।

(ख) जबकि पिछले वर्षों से आगे लायी रिक्तियों को अगले वर्ष के प्रारम्भ में दिखाया जा रहा था, इन्हें तत्कालीन रिक्तियों में नहीं जोड़ा जा रहा था। फलस्वरूप वर्ष के अन्त में केवल वही तत्कालीन रिक्तियां दिखायी गयी थीं, जिन्हें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति से नहीं भरा गया था। सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि किसी भी वर्ष में भर्ती करते समय रोस्टरों में सभी रिक्तियां दर्शित की जायें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तत्कालीन आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है। पिछले वर्षों की आगे लायी गयी रिक्तियों को भी रोस्टर में अन्तर्वेशित कर लेना चाहिए और कुल आरक्षण उस वर्ष में भरी गयी कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक सीमित रखना चाहिए। (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 27-12-1977 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार 50% की इस सीमा में भी संशोधन कर दिया गया है।) उस वर्ष नियुक्ति के लिए उपलब्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पहले पिछले वर्षों से आगे लायी गयी उन रिक्तियों से उसी क्रम में समायोजित किया जाये, जो रोस्टर में गैर आरक्षित पाइन्टों पर अन्तर्वेशित की गयी हों। शेष आरक्षित रिक्तियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से अगले भर्ती वर्षों में आगे ले जाया जाये। यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि तत्कालीन आरक्षित रिक्तियों और पिछले वर्ष से आगे लायी गयी शेष रिक्तियों के मामले में अनारक्षण का प्रावधान बरकरार रहेगा, चाहे आगे लायी गयी शेष रिक्तियों का पिछले वर्ष अनारक्षण करा लिया गया हो। इसका कारण यह है कि अनारक्षण पद्धति का अनुपालन प्रत्येक भर्ती वर्ष में किया जाता है।

(ग) इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि उपरोक्त (ख) में बतायी गयी स्थिति के सन्दर्भ में अनारक्षण पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया था।

(घ) सभी पद-वर्गों के लिए वर्ष के दौरान भरी गयी रिक्तियों का सार तैयार किया गया था। अधिकारियों को बताया गया कि यह सार हर वर्ग के लिए अलग-अलग रोस्टर में दर्ज अन्तिम प्रविष्टि के नीचे दिया जाना चाहिए। सार में शामिल करने के लिए कुछ और कालमों का भी सुझाव दिया गया।

(च) शेष आरक्षित रिक्तियों के मामले में रिक्ति घटित होने वाले वर्ष के अलावा तीसरे भर्ती वर्ष में आरक्षित रिक्तियों के विनिमय के नियम का पालन नहीं किया गया था। वास्तव में कुछ मामलों में तो यह भी पाया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के ऐसे किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जा सका था, जिसे आरक्षण के विनिमय के अनुसार किया जा सकता था।

(छ) नियमों के अनुसार नियुक्तकर्ता अधिकारी ने रोस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(ज) विशुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों के वर्ग 'घ' पदों के रोस्टर में झाड़ूकशों के पद भी दर्ज दिखाए गये थे, जब कि हाल ही में जारी अनुदेशों के अनुसार वर्ग 'घ' के पदों के रोस्टरों में झाड़ूकशों की नियुक्तियां नहीं दिखायी जानी चाहिए।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1-1-1978 के प्रतिनिधित्व की स्थिति

अध्ययन दल को उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार वर्ग 'क' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का एक भी अधिकारी नहीं था और वर्ग 'ख' में केवल अनुसूचित जाति का एक अधिकारी था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले के वर्षों में कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था। और तो और 5-9-1974 से वास्तविक रूप में आरक्षण प्रभावी होने के बाद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आकर्षित और नियुक्त करने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया था। वर्ग 'ग' में भी अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था, क्योंकि कुल 1093 व्यक्तियों में से उनके केवल 53 व्यक्ति थे। इसका प्रतिशतता 4.1 ठहरता है। वर्ग 'ग' के पदों में अनुसूचित जनजातियों के केवल 11 कर्मचारी (1.00 प्रतिशत) थे। इस सिलसिले में उल्लेख कर दिया जाये कि अध्ययन दल को पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, विशेष कर सवगवार प्रतिनिधित्व और पिछले तीन वर्षों में की गयी भर्ती/पदोन्नतियों के बारे में। इसलिए यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं। विभिन्न संवर्गों और पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए प्राधिकारी किस हद तक तैयार हैं। सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को, नियोजन में उनका देय भाग देने के लिए प्रशासन को ईमानदारी और गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पाने के लिए ऐसे राज्यों/क्षेत्रों के अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं, जहां अनुसूचित जातियों का पर्याप्त संकेंद्रण हो। दूरस्थ आंचलों क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए आवास सुविधा जैसे प्रकार को ऐसे विज्ञापनों में खूब उजागर करना चाहिए।

8. विभागीय पदोन्नति समिति/प्रवरण-मंडल की बैठकें

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1975 वर्ष के दौरान आरक्षित और गैर-आरक्षित उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए प्रवरण मंडलों की 20 बैठकें हुई थीं, किन्तु इनमें से किसी भी बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति का एक भी अधिकारी सम्मिलित नहीं किया गया था। किन्तु 1976 वर्ष में 12 बैठकों में से 7 और 1977 वर्ष में 11 बैठकों में से 8 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सम्मिलित किये गये थे। 'क' और 'ख' वर्गों के पदों की पूरी नफरी में, वर्ग 'ख' में अनुसूचित जाति का केवल एक अधिकारी था। इस संबंध में यहीं पर यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि यदि किसी संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी न मिल सकें तो ऐसी बैठकों में शामिल करने के लिए किसी और कार्यालय से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को बुलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में आत्म-विश्वास उत्पन्न हो सके और फिर ऐसा अधिकारी आरक्षण आदेशों पर अमल से बचने की हरकत पर नजर रखने का काम भी करता है।

9. रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांगपत्र/समाचार पत्रों में विज्ञापन

प्राधिकारियों ने दल को सूचित किया कि आरक्षित रिक्तियों, विशेषकर तकनीकी पदों, को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पाने में उन्हें बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किन्तु 1975, 1976 और 1977 के वर्षों में रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांगपत्रों तथा समाचार पत्रों को जारी किये गये विज्ञापनों की पड़ताल से ज्ञात हुआ कि इनमें से अधिकांश में न तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या दी गयी थी और न ही स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि पद आरक्षित है या नहीं। ऐसे मांग पत्रों में अनुभव अर्हता में छूट के प्रावधान का भी कोई उल्लेख नहीं था, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने बहुत ही कम संख्या में आवेदन भेजे थे। प्राधिकारियों को इस विषय में सही कार्यपद्धति अपनाने का परामर्श दिया गया और ऐसे सभी मांगपत्रों/विज्ञापनों को सम्पूर्ण जानकारी से युक्त करने को कहा गया। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली सभी छूटों/रियायतों का उल्लेख आ जाता है। यदि रोजगार कार्यालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम न भेज सके तो क्षेत्रीय और केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों को पत्र लिखें। विज्ञापन ऐसे समाचार पत्रों (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के) में जारी किये जायें, जो अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में खूब पढ़े जाते हों। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में पदों को संस्थान के कर्मचारियों से भरा जाता है, इसलिए प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे अपने आंतरिक परिपत्रों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या और अर्हताओं तथा अनुभव में छूटों/रियायतों का स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें ताकि संस्थान में काम करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का ध्यान इनकी तरफ आकृष्ट हो।

10. यह देखने के लिए कुछ जाति प्रमाण पत्रों की जांच की गयी कि कहीं झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सामान्य उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों पर गलत नियुक्तियां तो नहीं करा बैठे हैं। संभव है कि संस्थान में इस प्रकार का एक भी मामला न हो, लेकिन कुछ जाति प्रमाण पत्र सही प्रपत्र पर और नियमित नहीं थे। एक मामले में पाया गया कि ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लिखा था कि यह व्यक्ति मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति से संबंधित है और यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। सुझाव है कि भारतीय टैक्नालाजी संस्थान के प्राधिकारी यदि किसी जाति प्रमाण पत्र को नियमित न पायें तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए भेज दें और इसका रिकार्ड संबंधित फाइल में लगा दें।

परिशिष्ट 38

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, मद्रास की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट

भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों पर अमल किस सीमा तक किया जा रहा है या नहीं, इसका अध्ययन करने के लिए एक दल ने 28 जनवरी, 1978 को इस संस्थान का दौरा किया था। इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेशक श्री वरयाम सिंह शामिल थे। इन्हों ने निम्नलिखित अधिकारियों से भेंट की : —

1. श्री एम० एच० राव, उप रजिस्ट्रार।
2. श्री त्याग राजन, सहायक रजिस्ट्रार।
3. श्री जी० आर० रघुनाथ राव, सहायक रजिस्ट्रार।
4. श्री आर० गंगाधरन, अधीक्षक।

अध्ययन की दृष्टि से रोस्टर रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय को भेजे गये मांग पत्रों, समाचार पत्रों को जारी किए गए रोजगार विज्ञापनों और अन्य संगत अभिलेखों की जांच की गयी थी।

यह संस्थान तीन प्रकार की सेवाओं में भर्ती कर रहा है—शैक्षणिक, तकनीकी और अनुविवीय। सूचना के अनुसार आरक्षण आदेश केवल द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के पदों पर ही लागू किये जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1-1-1977 को विभिन्न पद वर्गों में अमले की कुल नफरी 1564 थी लेकिन वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' में अनुसूचित जातियों के केवल 20 व्यक्ति थे और अनुसूचित जनजाति का केवल एक व्यक्ति था। वर्ग 'घ' में स्थिति कुछ संतोषजनक थी, क्योंकि इसमें 22% पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति थे। चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं था। अध्ययन के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षणों पर संक्षेप में, निम्नलिखित पैराग्राफों में विचार किया गया है :—

1. भर्ती नीति

भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान में सभी नियुक्तियां, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी के अधिनियमों और संविधियों, अर्थात् इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी ऐक्ट, 1961 के अनुसार की जाती हैं। इस अधिनियम में यह प्राविधान है कि संस्थान में, सामान्यतया सभी नियुक्तियां विज्ञापनों द्वारा की जायेंगी। किन्तु निदेशक की सिफारिशों पर बोर्ड को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि पद विशेष विज्ञापन द्वारा भरा जाये या संस्थान के अमले के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा। किन्तु विचार विमर्श के दौरान ज्ञात हुआ कि सभी नियुक्तियां संस्थान के कर्मचारियों तक ही सीमित रखी जा रही है। इसके कारण यह बताये गये (1) इस आशय का एक निर्णय निदेशक द्वारा लिया गया था (2) कर्मचारी संघ खुले बाजार से भर्ती का प्रतिरोध करता है। इस सिलसिले में उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, मद्रास में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या बहुत थोड़ी है और संगठन में से ही सभी आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने की कोई सम्भावना नहीं। आयुक्त

की दृढ धारणा है कि ऐसे मामलों में सांविधानिक सुरक्षणों को, दूसरे पक्षों से पहले अग्रता देनी चाहिए, चाहे वे प्रशासनिक हो या कोई और क्योंकि सांविधानिक सुरक्षण संविधान के समान ही पवित्र होते हैं । सांविधानिक सुरक्षणों के अनुसरण में जारी किये गये उन आदेशों/अनुदेशों को, श्रमिक संघों के साथ किये गये समझौते से ऊपर अग्रता देना आवश्यक होगा, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नियुक्तियों/पदोन्नतियों में आरक्षण देते हैं । इसलिए जोरदार सिफारिश की जाती है कि संस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को दूर करने के लिए तब तक खुली भर्ती की जाये, जब तक आरक्षित रिक्तियों का जमा शेष बराबर न हो जाये ।

2. आरक्षणों के लिए रोस्टर

संस्थान में विभिन्न पद वर्गों के लिए रोस्टर 1970 से तैयार किये गये थे, किन्तु प्रपत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न भरी गयी रिक्तियों को आगे ले जाने और आगे लाने के लिए कोई स्थान नहीं था । प्राधिकारियों को सही प्रपत्र पर रोस्टर रखने की सलाह दी जाती है । इस का नमूना, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका (चौथा संस्करण) के छटे परिशिष्ट में दिया गया है । रोस्टर रजिस्टरों की सूरत में रखे जाते हैं ताकि आरक्षित रिक्तियों के खाते में अग्रेनीत/आनीत रिक्तियां सही सही दिखायी जा सकें और पिछले वर्ष से अगले वर्ष में उन्हें समायोजित किया जा सके ।

3. सम्पर्क अधिकारी और रोस्टरों का निरीक्षण

"विवरणिका" के 15 वें अध्याय में निर्दिष्ट भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, प्रशासन प्रभारी उपसचिव (या इस कार्य के लिए नियुक्त कोई और अधिकारी) सम्पर्क अधिकारी के रूप में, किसी संस्थान और उसके अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्यों को देखेगा । भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, मद्रास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और फलस्वरूप रोस्टरों के अनुरक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण का प्रश्न ही नही उठता । इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि कम से कम उप रजिस्ट्रार के पद का एक अधिकारी इस कार्य के लिए तुरन्त नियुक्त किया जाये। वह ऐसी विभिन्न विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करे, जिनमें विभिन्न चरणों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या दी गयी होगी और वह रोस्टर अनुरक्षण की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट उस प्रपत्र पर प्रस्तुत करे, जो "विवरणिका" के परिशिष्ट 7 में दिया गया है ।

4. विभागीय पदोन्नति समितियां/प्रवरण मंडल

निसन्देह विभागीय पदोन्नति समितियां/प्रवरण मंडल सामान्यतया समुचित पदों और योग्यताओं वाले विभागीय अधिकारों से गठित किये जाते हैं और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार के पद/पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति पर विचार करने के लिए समिति/मण्डल को गठित किया जा रहा है । किन्तु इस सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान है कि जहां तक सम्भव हो, विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों का गठन करते समय उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी के नामन के प्रयत्न किए जाने चाहिए । इसलिए सुझाव है कि भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान, मद्रास तुरन्त इस उपबन्ध का अनुपालन करें क्योंकि वह अभी तक ऐसा नहीं कर रहा है ।

5. विमुक्ति और बहिष्करण

संस्थान के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान ज्ञात हुआ कि इस समय शैक्षणिक पदों पर आरक्षण आदेश लागू नहीं किये जा रहे हैं । उन्हें सलाह दी गयी कि चाहे पद शैक्षणिक हो या तकनीकी या अनुसचिवीय; उन सभी पर तब तक आरक्षण आदेश लागू किए जाएं, जब तक उन्हें आरक्षण आदेशों के घेरे से विमुक्त नहीं करा लिया जाता । यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि सम्बन्धित मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति से कोई पद विशेष आरक्षण की परिधि से विमुक्त हो सकता है, बशर्ते पद विशेष निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता हो :—

(1) यह पद प्रथम श्रेणी के निम्नतम ग्रेड से ऊपर के ग्रेडों में तथा कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/2/73–एस्टे0 (एस० सी० टी०), दिनांक 23–6–1975 में परिभाषित "वैज्ञानिक या तकनीकी" वर्ग का होना चाहिए ।

(2) यह पद अनुसंधान करने या अनुसंधान कार्य के गठन, पथ-प्रदर्शन और निर्देशन के लिए होना चाहिए ।

इसलिए सुझाव है कि संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को, नियोजन में उनके समुचित देय भाग से वंचित न करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाये ।

परिशिष्ट 39

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के, 13 और 14 मार्च, 1978 को किये गये अध्ययन की रिपोर्ट

प्रारम्भ में इसका नाम इन्स्टीट्यूट आफ शुगर टैक्नोलाजी था और बाद में इसका नाम इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ शुगर टेक्नोलाजी कर दिया गया था । केन्द्र सरकार ने 1954 में इसे अपने अधिकार में ले लिया था और 1957 में इसका नाम नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट रख दिया था । सरकार द्वारा अधिकार में लेते ही इस संस्थान में नियुक्तियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेश लागू कर दिये गये थे ।

यह संस्थान तीन महत्वपूर्ण कार्य करता है; शर्करा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श । इसके अलावा यह संस्थान चीनी का एक कारखाना भी चलाता है । सब को मिलाकर इस संस्थान में 1–1–1978 को कुल नफरी 328 थी । इसके अतिरिक्त दैनिक पद पर भी अमला नियुक्त था ।

अध्ययन दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और श्री बी० एम० मसन्द सम्मिलित थे और इन्होंने संस्थान के निदेशक डा० एन० ए० रमैया, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री एम० जी० मेनन और मुख्य शिल्प विज्ञानी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारी) श्री जे० सी० भार्गव से भेंट की । यहाँ यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि संबंधित अधिकारियों के पास दल के लिए कोई समय नहीं था । दल के सामने रिकार्ड प्रस्तुत करने और उनके प्रश्नों के उत्तर देने का काम एक उच्च श्रेणी लिपिक को सौंप दिया गया था । इतना होने पर भी अध्ययन दल को संबंधित अमले से पूर्ण सहयोग मिला और दल ने जो भी रोस्टर और दूसरे संगत रिकार्ड मांगे, वे तुरन्त उपलब्ध कराये गये । दल ने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं :—

1. सम्पर्क अधिकारी और विशेष प्रकोष्ट

सरकारी अनुदेश कहते हैं कि उप सचिव या उससे उच्च पद का ऐसा अधिकारी इस कार्य के लिए संपर्क अधिकारी नामित किया जायेगा, जो प्रशासन कार्य को देख रहा हो। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, मुख्य शिल्प विज्ञानी श्री जे० सी० भार्गव संपर्क अधिकारी नामित किये गये हैं। ज्ञात हुआ कि संपर्क अधिकारी ने अभी तक एक ही निरीक्षण रिपोर्ट पेश की थी, 1975 की। वे 1976 और 1977 वर्षों के लिए निरीक्षण कार्य नहीं कर सके थे, क्योंकि संस्थान द्वारा यथाप्रस्तावित पदों के फिर से वर्गीकरण का काम चल रहा था। इस वर्गीकरण को अभी तक मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था और यह कोई ऐसा ठोस कारण नहीं था कि सम्पर्क अधिकारी रिकार्डों का निरीक्षण ही न करें। संपर्क अधिकारी के अधीन कोई विशेष सेल भी नहीं था, किन्तु इस कार्य को स्थापना अनुभाग का अमला अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त देख रहा था। यद्यपि इस अनुभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से भारी शिकायत प्राप्त हुई थी, लेकिन उनको दर्ज करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था। दल का सुझाव है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व और इन समुदायों के कार्मिकों की शिकायतों के निपटान कार्यों के लिए अलग से विशेष सैल न बनाया जा सकता हो तो कम से कम एक या दो व्यक्तियों को केवल इन्हीं कार्यों पर लगा दिया जाये।

2. पदों का वर्गीकरण

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में भर्ती खाद्य और कृषि मंत्रालय करता है, इसलिए संस्थान में इन पदों के रोस्टर नहीं रखे जा रहे थे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती संस्थान ही करता है। वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (जैविक रासायनिकी), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (अभियांत्रिकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी) जैसा द्वितीय श्रेणी के कुछ पदोन्नति पदों को, वर्ग "क" में तृतीय श्रेणी के पदों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया है। वर्ग "क" में अधिकांश अलग-अलग पद और छोटे संवर्ग आते हैं। वर्ग "क" के अन्तर्गत पदों की सूची से देखा जा सकता है कि कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, सामान्य अभिलेखाकार, मुख्य नक्शानवीस (50% की सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से), फोरमैन, सांख्यिकीय सहायक और अन्तरंग सहायक और संसाधन कार्मिकों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का, वर्ग, "क" के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के साथ वर्गीकरण कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्ग "ख" में भी पदोन्नति पदों और सीधी भर्ती के पदों को एक साथ रख दिया गया था। 1977 तक रोस्टर पदों के उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर तैयार किये गये थे। बताया गया कि विभागीय पदोन्नति समिति ने 29 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में मंत्रालय को इस वर्गीकरण की सिफारिश की थी, जिसका अनुमोदन मंत्रालय ने अभी तक नहीं किया था। किन्तु संस्थान ने नए प्रस्तावित वर्गीकरण के अनुसार रोस्टरों को फिर से तैयार करना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में उल्लेख किया जा सकता है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर पद वर्गीकरण संबंधी अनुदेश लागू नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक पदोन्नति पद के लिए अलग रोस्टर रखा जाना चाहिए।

3. रोस्टर

पाया गया कि रोस्टर 1954 से रखे गये थे। इसी वर्ष से सरकार ने संस्थान को अपने अधिकार में लिया था। किन्तु पिछली अवधि के लिए रोस्टर निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किये गये थे। 1954 से रखे गये अधिकांश रोस्टर उपलब्ध थे, किन्तु 1961 और 1973 के बीच और कुछ मामलों में 1963 से 1973 की अवधियों के रोस्टर उपलब्ध नहीं थे। वर्ग "क" के लिए 40-पाइन्ट रोस्टर रखा गया था, जिसमें खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पद आते थे। वर्ग "ख" के लिए रोस्टर, 100-पाइन्ट वाले रोस्टर के आधार पर रखे गये, जो स्थानीय या प्रादेशिक आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित है। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत हैं :—

(1) यद्यपि वर्ग "ग" और "घ" के पदों पर भर्ती स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर की गयी थी, इसलिए उनके लिए 40-पाइन्ट वाला प्रतिरूप रोस्टर "ग" रखा गया था। इसमें पाइन्ट संख्या 4, 12, 16, 20, 28, 32, 36 और 40 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे और पाइन्ट संख्या 8 और 24 अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ग। "ग" के पदों की तरह वर्ग "घ" के पदों में। पाइन्ट संख्या 8 और 24 की अपेक्षा पाइन्ट संख्या 4 और 20 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित चिन्हित थे। समझ नहीं आया कि भारत सरकार के किस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 40-पाइन्ट वाला रोस्टर अपनाया गया था, जबकि 100-पाइन्ट वाले रोस्टर का अनुपालन किया जाना चाहिए था।

(2) 1961/63 तक की पिछली अवधि में, हर वर्ष के प्रारम्भ में पिछले वर्षों से रिक्तियों को आगे लाकर नहीं दिखाया गया था।

(3) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पाइन्टों पर उनके उम्मीदवारों की नियुक्तियां नहीं दिखायी गयी थी, बल्कि कुछ मामलों में तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्तियों के सामने टिप्पणी वाले खाने में समायोजन के नोट दर्ज किये गये थे।

(4) आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों की स्थिति सही-सही नहीं दिखायी गयी थी और न ही वर्ष के अन्त में कोई सार दिया गया था। एक मामले को छोड़ कर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों पर आपसी विनिमय का नियम कभी भी लागू नहीं किया गया था। वर्ग "घ" में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक रिक्ति 1970 से आगे लायी गयी थी और 1974 में उसे अनुसूचित जाति की रिक्ति से बदल दिया गया था (1972 वर्ष में कोई भर्ती नहीं हुई थी)।

(5) 1977 वर्ष तक आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कराने की पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था। जब 1975 में संपर्क अधिकारी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस च्युति की ओर संकेत किया, तभी संस्थान के प्राधिकारियों में इसके अनुपालन की चेतना जागी। संपर्क अधिकारी की टिप्पणी के बावजूद आरक्षित रिक्ति के अनारक्षण का पहला प्रस्ताव सितम्बर, 1977 में भेजा गया था।

(6) नियुक्तियों की जो प्रविष्टियां रोस्टर में दर्ज थी, उन पर कभी भी किसी भी प्राधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। यहां तक कि संपर्क अधिकारी ने 1976 वर्ष में इस आशय के हस्ताक्षर नहीं किये थे कि उन्होंने रोस्टरों की पड़ताल कर ली है।

(7) संपर्क अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि 45 दिनों से अधिक अवधि की नियुक्तियों को रोस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए उनका सुझाव था कि 45 दिनों और उससे अधिक की अवधि की ऐसी नियुक्तियों को विशुद्ध अस्थायी नियुक्तियों वाले उस रजिस्टर में नहीं रखा जाना चाहिए, जिनके अनिश्चित समय तक जारी रहने की संभावना है। संपर्क अधिकारी की इसी टिप्पणी के अन्तर्गत दो अलग रोस्टर रखे गये थे एक रोस्टर स्थायी और अनिश्चित समय तक जारी रहने की संभावना वाली रिक्तियों के लिए और दूसरा विशुद्ध अस्थायी नियुक्तियों के लिए। किन्तु पाया

यह गया कि कुछ पदों की नियुक्तियां कई वर्षों तक विशुद्ध अस्थायी रिक्तियों वाले रोस्टरों में दिखायी जाती रही थी। उदाहरणार्थ, वर्ग "क" में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद समुचित अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के न मिलने पर नहीं भरे जा सके थे, इसलिए इन पदों का निम्न कोटिकरण करके और तदर्थ आधार पर दो उम्मीदवार अनुसंधान सहायकों के रूप में नियुक्त करके इन्हें भर लिया गया था। यह नियुक्तियां लम्बी अवधि तक चलती रही थी, इसलिए संस्थान के अधिकारियों ने रोस्टर को फिर से तैयार किया और उन्हें स्थायी पदों के रोस्टर पर ले आया गया।

(8) वर्ग "घ" में चतुर्थ श्रेणी के पदों में झाड़ूकशों के पद भी शामिल कर लिये गये थे। 1956 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित केवल दो रिक्तियां थी, किन्तु इस समुदाय के 5 व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया था। इन में से 1 फार्म कुली और 4 झाड़ूकश थे। लगता यह है कि झाड़ूकशों के पदों पर की गयी तीन अतिरिक्त नियुक्तियों को 1958 और 1959 वर्षों में समायोजित कर दिया गया था, जो कि नियमित नहीं था। कमी को आगे ले जाने का तो प्रावधान है, आधिक्य को नहीं। ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त नियुक्त कर लिये गये कर्मचारियों को गैर आरक्षित पाइन्टों पर दिखाया जा सकता है।

(9) केवल "घ" वर्ग के पदों को रोस्टर 25 मार्च, 1970 से परिशोधित किया गया था, जबकि जनगणना के नये आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ायी गयी थी।

(10) तृतीय श्रेणी के अधिकांश पदों को योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरा गया था, लेकिन उन पर आरक्षण आदेश नवम्बर, 1972 से लागू किये गये थे। इनके रोस्टर 1975 से ही रखे गये थे। अधिकांश पदों में 1975 वर्ष के दौरान एक-एक रिक्तियां घटित हुई थीं और अकेली रिक्तियां होने के कारण इन्हें गैर आरक्षित मान लिया गया था। कुछ मामलों में, 1976 में फिर अकेली रिक्ति घटित हुई तो आगे लायी रिक्ति के ऐवज में उसे आरक्षित माना गया, किन्तु उस पर तदर्थ आधार पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त करके आरक्षण से बचा गया था। सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले में, 1976 में दूसरी रिक्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए थी, किन्तु उस पर सामान्य उम्मीदवार की तदर्थ नियुक्ति कर दी गयी। निदेशक ने स्वयं इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि इस के बारे में मामला अदालत में चल रहा है, क्योंकि एक उच्च श्रेणी लिपिक ने रोकने का आदेश ले लिया है। बताया गया कि उच्च श्रेणी लिपिक के पद के भर्ती नियमों में प्रावधान है कि 50% पद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से और शेष 50% विभागीय परीक्षा के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिकों से भरे जायेंगे। किन्तु वास्तव में कोई परीक्षा अभी तक नहीं ली गयी थी और पिछले दस वर्षों से सभी नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की जा रही थी। इस संदर्भ में एक उच्च श्रेणी लिपिक ने अदालत में इस आधार पर मुकदमा दायर कर दिया था कि नियुक्तियां भर्ती नियमों के अनुसार नहीं की जा रही हैं और इसलिए केवल वरिष्ठता के आधार पर और पदोन्नतियां की जानी चाहिएं। निदेशक ने स्पष्ट किया कि प्रबंध, मंत्रालय और अमले के अधिकांश सदस्य वरिष्ठता के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति की यही पद्धति जारी रखने पर राजी हो गये हैं, किन्तु वह व्यक्ति मुकदमा वापस नहीं ले रहा है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी, हालांकि निदेशक स्वयं अनुसूचित जाति के उस उम्मीदवार के कार्य निष्पादन से संतुष्ट थे और उसे आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नत करना चाहते थे।

4. तदर्थ नियुक्तियां

चीनी का प्रायोगिक कारखाना जनवरी, 1977 से प्रारम्भ किया गया था और इस में जनवरी, 1977 से मई, 1977 तक की अवधि में, बढ़ई, लुहार, जूनियर खलासी, मोटर चालक, मजदूर, आयलमैन, सीनियर खलासी जैसे चतुर्थ श्रेणी (वर्ग "घ") के पदों पर अनेक व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी थी। अक्तूबर, 1977 में जब रिक्तियों को नियमित आधार पर भरे जाने का विचार किया गया तो रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजे गये, जिनमें हर पद की कुल उपलब्ध रिक्तियों और आरक्षित रिक्तियां दी गयी थी। रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा गया था। रोजगार कार्यालय ने आरक्षित वर्ग के अनेक उम्मीदवारों के नाम भेजे, किन्तु प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच कुछ विवाद होने के कारण अन्तिम प्रवरण नहीं किया जा सका। जिन व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्तियां हुई थी, वे अभी भी तदर्थ आधार पर चल रहे थे और इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सुझाव है कि अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षण का ध्यान रखते हुए इस मामले में जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाये और नियमित नियुक्तियां की जायें। प्राधिकारी इस प्रकार की नियुक्तियों के भी रोस्टर रखें।

5. रोजगार कार्यालय/समाचार पत्रों को भेजी गयी मांगें

1976 और 1977 वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालय को भेजे गये अधिकांश मांग पत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुभव में दी जाने वाली छूट का उल्लेख नहीं था। समाचार पत्रों में जारी किये गये बहुत से विज्ञापनों में भी, स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख नहीं था कि पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है या नहीं। यात्रा भत्ते के भुगतान का उल्लेख कभी नहीं किया गया था। प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही यह भी दे दें कि साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सब से छोटे मार्ग का रेल/बस का किराया दिया जायेगा। इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कुछ तकनीकी पदों के लिए रोजगार कार्यालय से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं भेजे और अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र जारी कर दिये थे। तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया गया था। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए उनकी मान्यता प्राप्त संस्थाओं और केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को नहीं लिखा गया था। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे आरक्षित रिक्तियों को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए, इन मांग पत्रों की प्रतियां अनुसूचित जाति/जनजाति की मान्यता प्राप्त संस्थाओं और केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को भी भेजें। उन्हें ऐसे क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने की भी सलाह दी गयी, जो अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल संख्यक क्षेत्रों में खब पढे जाते हैं।

6. जाति/जनजाति प्रमाण पत्र

अनेक जाति प्रमाण पत्रों की पड़ताल की गयी और पाया गया कि उनमें से कुछ कानपुर के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये थे और उनमें उल्लिखित था कि वह व्यक्ति कानपुर के निवासी हैं। कुछ

प्रमाण पत्र विधायकों की सिफारिशों पर जारी किये गये थे। इन प्रमाण पत्रों को अन्तिम रूप से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, किन्तु संबंधित व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। संस्थान ऐसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को लिखें।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतें

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। अधिकारियों और अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के दौरान पाया गया कि यह स्थिति नेशनल शुगर इन्स्टीटयूट में कुछ पदों में अवरोध के कारण उत्पन्न हुई है। पदोन्नति से भरे जाने वाले कोटे में थोड़ी सी रिक्तियां घटित हुई थी और जब इन पर आरक्षण लागू किया गया तो पहले की रिक्तियाँ रोस्टर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित निकली। फलस्वरूप पदोन्नति से भरे जाने वाले इन पदों में आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी अपने वरिष्ठ सहयोगियों से ऊपर जाने के हकदार हो गये। लगा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा उन सामान्य कर्मचारियों के हितों के बीच टकराव पैदा हो गया था और इन में वे लोग भी शामिल थे, जो प्रशासन के रोजमर्रा के कामों पर थे। उन्होंने तदर्थ नियुक्तियां करके आरक्षण से बच कर निकलने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों पर आरक्षण आदेश लागू नहीं होते थे। 1975 से 1976 तक के वर्षों में काम में व्यवधान न पड़ने देने का तर्क दे कर, "ख" वर्ग के पदों पर 6, "ग" वर्ग के पदों पर 10 और "घ" वर्ग के पदों पर 2 तदर्थ नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ की गयी थी। नेशनल शुगर इन्स्टीच्यूट और कृषि मंत्रालय ध्यान दें कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की योजना देश के उच्चतम न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैद्य घोषित की गयी है और इस योजना तथा निर्णय के अनिवार्य प्रतिफलन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अपने अन्य वरिष्ठ सहयोगियों से आगे निकल जाने का अधिकार प्राप्त है। फिर भी प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे उन मामलों के बारे में अपने उत्तर/टिप्पणियां तुरन्त भेजें, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त के संगठन ने संस्थान के प्रबन्ध को भेज रखे हैं।

8. आरक्षण आदेशों की परिसीमा से पदों की विमुक्ति

अध्ययन दल को दी गयी सूचनाओं के अनुसार पता चला कि खाद्य विभाग के 4-5-1964 के पत्र संख्या 3-182/63 शुगर के अन्तर्गत; रू० 1300-1600, रू० 1100-1400, रू० 700-1250, रू० 400-950 रू० 350-900 के वेतनमानों वाले बहुत सारे पदों और यहाँ तक कि कुछ अराजपत्रित पदों तक को आरक्षण आदेशों की परिसीमा से विमुक्त रखा गया था। किन्तु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 23-6-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/2/73 एस्टे० (एस० सी०टी०) के संदर्भ में विमुक्ति की इस योजना का पुनरीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रथम श्रेणी के निम्नतम स्तर के जो पद पहले आरक्षण आदेशों की परिसीमा से विमुक्त थे, अब विमुक्त नहीं रहे थे। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन का ध्यान रखते हुए पूर्व विमुक्ति का पुनरीक्षण करने की प्राधिकारियों को सलाह दी गयी।

9. वे पद, जिनके लिए भर्ती के नियम बने ही नहीं थे

पता लगा कि वर्ग "क" के एक पद (गन्ना अधिकारी), वर्ग "ख" के तीन पदों (सहायक वास्तिकी अभियंता, कल्याण अधिकारी और कनिष्ठ विद्युत अभियन्ता), वर्ग "ग" में 7 पदों (प्रमुख मिस्त्री, सामान्य अभिलेखाकार, भंडार सहायक, फोरमैन-बी, फिटर सीनियर ग्रेड, गोदाम उत्पाद शुल्क लिपिक और सहायक विद्युत फोरमैन) और वर्ग घ में एक पद (फिटर) ऐसे थे, जिनके लिए भर्ती के नियम ही नहीं बने थे। बताया गया कि यह पद एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं और इनमें से अधिकांश पदों के भर्ती नियम मंत्रालय के पास रूके पड़े हैं। सुझाव है कि इन नियमों पर अविलम्ब अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाये ताकि आरक्षण संबंधी सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लाभ मिलने में देर न हो।

10. विभागीय पदोन्नति समिति/प्रवरण मंडल की बैठकें

अध्ययन दल को दी गयी जानकारी से स्पष्ट था कि उन अनुदेशों पर कतई ध्यान नहीं दिया गया था, जिनके अनुसार प्रवरण बोर्डों की बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को सम्मिलित करना अनिवार्य होता है। किन्तु विभागीय पदोन्नति समिति की तीन बैठकें 1977 में हुई थी, जिनमें अनुसूचित जाति से एक अधिकारी को सम्मिलित किया गया था। संस्थान को सलाह दी जाती है कि वे प्रवरण मंडल की बैठकों में भी अनुसूचित समुदायों का एक अधिकारी अवश्य सम्मिलित करें ताकि प्रवरण मंडल के सामने आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में आत्मविश्वास पैदा हो। फिर इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में रख कर देखने में भी सहायता मिलेगी। पाया गया कि संस्थान में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं था, जिसे विभागीय पदोन्नति समिति / प्रवरण मंडल की बैठकों में सम्मिलित किया जा सके। इस संबंध में विवरणिका के पैरा 57(2) में निर्दिष्ट अनुदेशों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इनके अनुसार यदि किसी कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी उपलब्ध न हो तो किसी दूसरे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से ऐसा अधिकारी सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

11. 1-1-1978 को सांख्यिकीय सूचना

कानपुर के नेशनल शुगर इन्स्टीच्युट के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित सूचना दी गयी थी :--

श्रेणी/वर्ग	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों समेत कुल	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जन-जातियाँ	अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता	अनुसूचित जन-जातियों की प्रतिशतता
1 (वर्ग क)	31	..	..	..	..
2 (वर्ग ख)	33	1	..	3.5	..
3 (वर्ग ग)	139	16	..	11.51	..
4 (वर्ग घ) (झाड़ूकशों समेत)	114	15	..	13.15	..
झाड़ूकश	11	11	..	100.00	..

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक भी अधिकारी प्रथम श्रेणी में नहीं है। द्वितीय श्रेणी में भी एक ही अधिकारी हैं; रू० 550-900 के वेतनमान में वरिष्ठ तकनीकी सहायक शर्करा प्रौद्योगिकी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में अभी भी अनुसूचित जातियों के अधिक व्यक्तियों की भर्ती की गुंजाइश है, किन्तु प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार की तुरन्त आवश्यकता है।

मुख्य टिप्पणियों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उजागर किया जा सकता है कि अध्ययन दल के दौरे के समय तक 1976 और 1977 वर्षों की निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गयी थी। तकनीकी और

गैर तकनीकी संवर्गों के पदों का वर्गीकरण मौजूदा नियमों का उल्लंघन करता है। कुछ मामलों में तो पदोन्नति और सीधी भर्ती के पदों को एक वर्ग में डाल दिया गया था, जो सरासर नियम विरुद्ध है। कुछ पद वर्गों के लिए 100-पाइन्ट रोस्टर के बजाय 40-पाइन्ट रोस्टर रखा गया था। आरक्षित रिक्तियां सही-सही आगे नहीं लायी गयी थी और न ही उनका समायोजन ठीक तरीके से किया गया था। 1976 वर्ष तक अनारक्षण पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया था। यद्यपि संपर्क अधिकारी ने इस च्युति की ओर अपनी 1975 वर्ष की रिपोर्ट में संकेत किया था, किन्तु अनारक्षण का पहला प्रस्ताव कहीं जाकर सितम्बर, 1977 में भेजा गया था। विशुद्ध अस्थायी रिक्तियों के रोस्टरों में दर्ज कुछ पदों की नियुक्तियां कई वर्षों तक चलती रही थी। फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को नजरअन्दाज किया गया था। रोजगार कार्यालयों को भेजे गये आरक्षित रिक्तियों के मांग पत्र और समाचार पत्रों में जारी किये गये विज्ञापन अधूरे और नियमों के अनुसार नहीं थे। कार्य में व्यवधान न आने देने का बहाना ले कर, अधिकारियों ने अधिकांश नियुक्तियां तदर्थ की थी। इसके पीछे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित करने का इरादा साफ जाहिर होता था। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से बहुत से पदों को अनारक्षण की परिसीमा से विमुक्त कराने की पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी। बहुत से पदों के भर्ती नियम अभी तक नहीं बनाये गये थे। अनुमोदित नहीं कराये गये थे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को चुनने और पदोन्नति करने के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति/प्रवर मंडल की बैठकों में इन अनुसूचित समुदायों के किसी अधिकारी को सम्मिलित न हीं किया गया था और इस तरह इस संबंध में जारी अनुदेशों का कतई पालन नहीं हुआ था।

इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रशासन के संबंधित अधिकारियों नें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की अवहेलना की थी। फलस्वरूप संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था और संगठन में रहते हुए भी उनको पदोन्नति की संभावनाओं को नजरअन्दाज किया गया था। आवश्यक है कि मौजूदा सरकारी अनुदेशों/आदेशों की अवहेलना/उल्लंघन करने की जिम्मेदारी तय की जाये और संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार दंडित किया जाये इसके अतिरिक्त आरक्षण आदेशों आदि को लागू न करने के कारण, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किन्हीं कर्मचारियों को क्षति पहुंची है तो उन्हें वरिष्ठता, पुष्टिकरण, पदोन्नति आदि के मामले में पिछली तारीखों से लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 40

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3,121)

जन शिक्षण सहायक निदेशक, मैसूर के कार्यालय समेत कर्नाटक सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन का सामान्य अध्ययन

भाग I

अध्ययन दल 14-1-1978 से 21-1-1978 तक बंगलौर के दौरे पर रहा था और इस दौरे के कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों और कर्नाटक सरकार के एक विभाग के रोस्टरों आदि का निरीक्षण सम्मिलित था। दलने 17 जनवरी, 1978 को कर्नाटक के समाज कल्याण आयुक्त एवं सचिव श्री के० आर० रामचन्द्रन और समाज कल्याण निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री शिवराज से भेंट की और यह निर्णय किया गया कि दल बंगलौर स्थित जन शिक्षण निदेशालय और इसके चारों डिविजनों में से मैसूर स्थित एक डिविजन में सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन करें। इस के बाद दल ने कर्नाटक के जन शिक्षण निदेशालय के निदेशक श्री एम० कुचैय्या, समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक श्री दौराई राजू, उप निदेशक श्री पप्पन रेड्डी और उप निदेशक (नियोजन सैल) श्री बासव राज से भेंट की थी। जन शिक्षण निदेशालय के निदेशक ने बताया कि उनका निदेशालय बहुत बड़ा संगठन है और विभिन्न डिविजनों तथा हर डिविजनों के विभिन्न जिला कार्यालयों से इतनी कम अवधि में अपेक्षित सूचनाएं मंगाना और इकट्ठी करना संभव नही है। किन्तु उन्होंने सामान्य सूचना अवश्य उपलब्ध करा दी।

विचार विमर्श के दौरान दल को ज्ञात हुआ कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक और स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, किन्तु भर्ती के रिकार्ड प्रत्येक डिविजन और जिला रखता है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक, शिल्प अध्यापक, शारीरिक प्रशिक्षण अध्यापक, संस्कृत अध्यापक आदि की भर्ती जन शिक्षण निदेशालय की राज्य स्तर की भर्ती समिति करती है।

जन शिक्षण निदेशालय के निदेशक ने दल को जानकारी दी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरी पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को दूर करने के लिए, सरकार नें प्राथमिक विद्यालयों के प्रति वर्ष लगभग 3,800 अध्यापकों की सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों के 3,000 अध्यापकों के पद और संस्वीकृत किये हैं। 1978 में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 6,800 है और इन में से, 3,150 रिक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों से भरने का निर्णय किया गया है। इनका अनुपात यह होगा :

(1) अनुसूचित जातियां— 3150 का 56%
(2) अनुसूचित जनजातियां— 3150 का 12%
(3) पिछड़े समुदाय— 3150 का 16%
(4) पिछडी जातियां— 3150 का 8%
(5) पिछड़ी जनजातियां— 3150 का 4%
(6) विशेष वर्ग— 3150 का 4%

बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पद के लिए निर्धारित अर्हता, शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के साथ एस०एस०एल०सी० है। किन्तु यदि पिछड़े समुदायों के शिक्षण-प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति अधिक संख्या में न आये तो बुनियादी, अर्हता, एस०एस०एल०सी० वाले उम्मीदवारों को भी ले लिया जायेगा और उन्हें बाद में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। सहायक निदेशक (नियोजन सैल) ने सूचित किया कि उन्होंने रोजगार सैल में दर्जा सभी उम्मीदवारों को पत्र से सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के एस०एस०एल०सी० पास व्यक्ति पद के लिए पात्र हैं। विशेष भर्ती जारी थी और बताया गया कि भर्ती की सारी कार्रवाई पुरी होने के बाद उसके परिणाम तुरन्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय में भेज दिये जायेंगे।

दल को बताया गया कि जन शिक्षण निदेशक और संयुक्त निदेशक, जब अपने सामान्य निरीक्षण दौरे पर जाते हैं तो वे आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पक्षका भी निरोक्षण करते हैं । किन्तु मैसूर में जन शिक्षण के संयुक्त निदेशक के कार्यालय का जब अध्ययन दल ने दौरा किया और वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि उस डिविजन की सामान्य निरोक्षण रिपोर्टों में इस पक्ष का कहीं कोई उल्लेख नहीं था ।

जन शिक्षण निदेशक ने दल को यह भी सूचना दी थी कि 29-7-1964 से सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को भी सूचित किर दिया गया था कि उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी अनुदेशों का पालन करना होगा । उनके कथनानुसार सरकारी सहायता पाने वाले सभी संस्थानों में अध्यापकों की सभी नियुक्तियों को शिक्षा विभाग से अनुमोदित कराना पड़ता है । अध्ययन दल ने संयुक्त जन शिक्षण निदेशक, मैसूर को सुझाव दिया कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों से अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती संबंधी प्रगति की सावधिक विवरणियाँ भेजने के लिए कहा जाये और संबंधित संस्थान को अगले अनुदान की स्वीकृति देते समय इस पक्ष की भी जाँच की जाये ।

जन शिक्षण निदेशालय के कार्यालय में कुछ विज्ञापनो की पड़ताल की गयी । 23-6-1977 को जन शिक्षण विभाग बंगलौर की भर्ती समिति के अध्यक्ष ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कला अध्यापक ग्रेड 2 के पदों हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नही किया गया था । फील्ड सहायकों (कृषि) और ग्रेड 2 के शिल्प अध्यापकों के पदों के लिए, सामान्य उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष थी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छुट दी गयी थी । अर्थात 30 वर्ष की आयु सीमा उनके लिए अधिकतम थी । इस छूट का कतई उल्लेख न करना या सरकार द्वारा निर्धारित छूट से कम छूट देना नियमित नहीं था और इस विषय में सरकारी अनुदेशों का सावधानी से पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं ।

विज्ञापनों में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते देने का भी उल्लेख नहीं था । बताया गया कि उम्मीदवारों को भर्ती जिला स्तर पर की गयी थी और इसलिए यात्रा भत्ते के भुगतान की आवश्यकता नहीं समझी गयी थी ।

दल ने 20 जनवरी, 1978 को मैसूर में संयुक्त जन शिक्षण निदेशक के कार्यालय का दौरा किया था । अनेक पक्षों पर विचार विमर्श हुआ था और बहुत सी बातों का निरीक्षण भी किया गया था । उसी आधार पर दल ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रस्तुत की है, वे इस रिपोर्ट के भाग 2 में दी गयी हैं ।

भाग 2

जन शिक्षण निदेशालय, मैसूर

अध्ययन दल ने जन शिक्षण निदेशालय, मैसूर के संयुक्त निदेशक श्री के० के० वीरप्पा और शिक्षा अधिकारी श्री वेदान्त से भेंट की । इस बैठक में सहायक समाज कल्याण निदेशक (मुख्यालय) श्री बासवराज और म्हैसूर के उप समाज कल्याण निदेशक श्री एस०जी० पाटिल भी उपस्थित थे । प्रारम्भिक विचार विमर्श के पश्चात् दल ने रिक्तियों के रजिस्टर और अरिक्तियों की अधिसूचना तथा वर्गीकरण आदि के अन्य अभिलेखों की पड़ताल की । निम्नलिखित पैराग्राफों में अध्ययन दल की टिप्पणियाँ दी जाती हैं :—

1. अधिसूचना

माध्यमिक विद्यालय सहायक, ग्रेड 2 के पद के लिए स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति से संबंधित 19-12-1977 की एक अधिसूचना देखी गयी । 50 रिक्तियाँ विज्ञान स्नातकों और 35 रिक्तियाँ कला स्नातकों (कुल 85) से भरी जानी थी । बताया गया कि यह नियुक्तियाँ विशुद्ध रूप से अस्थायी थीं, केवल 9 महीने अवधि के लिए थीं । इस अधिसूचना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या नहीं दी गयी थी । उसमें मात्र यह संकेत था कि अनुसूचित जातियों/ जनजातियों को वरियता दी जायेगी । इन पदों के लिए अनिवार्य अर्हता थी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य, में स्नातक की डिग्री और जिनके पास शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी०टी० या बी०एड०) होगी, उन्हें वरीयता दी जानी थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गयी थी । अनुभव का किसी विशेष अवधि का उल्लेख नहीं था । वैसे स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अनुभव अपेक्षित था । सरकारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुभव में अपेक्षित छूट का भी उल्लेख नहीं था ।

2. रोस्टर/आवर्तन चक्र

संयुक्त जन शिक्षण निदेशक, मैसूर के कार्यालय के उस डिविजन में भर्ती के लिए रख गये कुछ रिक्ति रजिस्टर को देखा गया । उनमें पाया गया कि कर्नाटक सरकार के 4-3-1977 के आदेश संख्या डी०पी०ए० आर०/एस० बी०सी० 77 द्वारा निर्धारित आवर्तनचक्र के अनुसार रखे जाने वाले रिक्ति रजिस्टरों में 4-3-1977 से पहले की भर्ती भी दिखायी गयी थी ।

सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों के लिए रिक्ति-रजिस्टर रखे गये थे । प्रथम श्रेणी लिपिकों के पद के भर्ती नियमों के अनुसार 50% रिक्तियाँ पदोन्नतियों से भरी जाती हैं और इसलिए इस रजिस्टर में एकान्तर रिक्तियाँ पदोन्नति से भरे जाने के लिए चिन्हित की गयी थीं । चूंकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में कोई आरक्षण नहीं था, इसलिए सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पदों में एकान्तर पाइन्टों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था :

1. अनुसूचित जनजातियाँ
2. अनुसूचित जातियाँ
3. पिछड़े वर्ग
4. अन्य जातियाँ . . खुली प्रतियोगिता
5. पिछड़े वर्ग
6. अन्य जातियाँ
7. अनुसूचित जातियाँ
8. पिछड़े वर्ग
9. अन्य जातियाँ
10. अन्य जातियाँ
11. पिछड़े वर्ग
12. अन्य जातियाँ
13. अन्य जातियाँ
14. अनुसूचित जातियाँ और आगे भी इसी प्रकार

1974-75 वर्ष के विशेष रिक्ति रजिस्टर में पाइन्ट 1 पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति थी, किन्तु उसे पदोन्नति से भरा दिखाया गया था, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये जिस पहले व्यक्ति को पद पर आने का प्रस्ताव भेजा गया था, वह पद पर

नहीं आया था। इस संबंध में स्पष्ट कर दिया जाये कि रिक्ति पदोन्नति से भरे जाने के बजाय, इस पाइन्ट की रिक्ति का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गयी सूची में से अनुसूचित जाति के अगले व्यक्ति को भेजना चाहिए था। पाइन्ट संख्या 2 की रिक्ति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी और उसे गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्थानान्तरित करके भर दिया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पाइन्ट संख्या 14 की रिक्ति को भी पदोन्नति से भरा गया था, हालांकि इस पद का प्रस्ताव भी पहले एक सामान्य उम्मीदवार को दिया गया था, जो बाद में इसपर नहीं आया था।

पाया गया था कि 4–3–1977 के सरकारी आदेश में निर्धारित रोस्टर के आधार पर ही आवर्तन चक्र रखा गया था, किन्तु इससे पहले की नियुक्तियाँ भी इसमें दिखायी गयी थीं। 4 मार्च, 1977 के बाद की गयी नियुक्तियों की रिक्ति रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियाँ भी नियमित प्रतीत नहीं होती थी। 30 मार्च, 1977 को की गयी पहली नियुक्ति पदोन्नति कोटे में चिन्हित थी। 31 मई, 1977 को की गई दूसरी नियुक्ति सीधी भर्ती के लिए चिन्हित थी, किन्तु रिक्ति के वर्गीकरण का कोई संकेत नहीं था। वास्तव में अन्य जातियों के लिए आरक्षित पाइन्ट सं० 20 के बाद की प्रविष्टियों के वर्गीकरण का कतई उल्लेख नहीं किया गया, अर्थात् 31–8–1976 के बाद की। अध्ययन दल ने प्राधिकारों को आरक्षण आदेशों पर अमल करने के लिए एक व्यावहारिक योजना प्रारम्भ करने का सुझाव दिया। इस योजना को अपनाने और अपने अधीन विभिन्न कार्यालयों और विभागों को इस पर अमल का सुझाव देने की वाँछनीयता पर विचार करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण को समुचित रूप से लागू किया जा सके। किसी एक अवसर पर न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अगले अवसर के लिए आगे ले जाया जा सकता है। 4–3–1977 के अपने सरकारी आदेश में कर्नाटक सरकार ने इस पद्धति की रूपरेखा दे दी थी। उसी के अनुसार रिक्तियों को आगे ले जाना चाहिए। आशा है कि यदि इस पद्धति पर अमल किया जाये तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और दूसरे समुदायों के लिए, आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर सही निगरानी रखना संभव हो जायेगा। निरीक्षण करने वाले स्टाफ को वांछित आधार पर निरीक्षण करने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

3. रिक्ति रजिस्टर रखने की पद्धति

चूंकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण नहीं है, इसलिए रिक्ति रजिस्टर केवल सीधी भर्ती के पदों के लिए रखा जाना चाहिए और वह भी 20 या उससे अधिक की नफरी वाले प्रत्येक पद क लिए अलग-अलग। मान लीजिए कि किसी वर्ग में 34 रिक्तियाँ भरी जानी हैं : 5 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से और एक अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार से। ऐसी स्थिति में यदि राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य स्तर की भर्ती समिति द्वारा अनुमोदित सूची में अनुसूचित जातियों के दो और अनुसूचित जनजाति का एक उम्मीदवार मौजूद हों तो अनुसूचित जाति के दोनों उम्मीदवारों को आवर्तनचक्र में उनके लिए आरक्षित पहले दो उपलब्ध पाइन्टों पर दिखाया जा सकता है, अर्थात् क्रमांक 2 और 7 के पाइन्टों पर। पाइन्ट संख्या 14, 21 और 28 पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित शेष रिक्तियों और पाइन्ट सं० 33 पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति पर दूसरी पिछड़ी जातियों के या सामान्य उम्मीदवार दिखाये जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः आरक्षित इन 3 और 1 रिक्ति को नियमों के अनुसार अगले भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाना चाहिए। दल ने यह सिफारिश भी की कि ऐसी एक सुनिश्चित पद्धति होनी चाहिए, जिसके अनुसार एक नियुक्तकर्ता प्राधिकारी किसी भी स्वतंत्र प्राधिकारी मान लीजिए कर्नाटक सरकार के कार्मिक विभाग को स्पष्ट कर सके कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर दूसरे उम्मीदवार नियुक्त करने से पहले कौन-कौन से कदम उठाये जाते हैं। यह पद्धति कभी किसी और कभी किसी आधार पर आरक्षण आदेशों की अवहेलना की हरकतों पर रोक लगाने का काम करेगी। भर्ती के विशेष अवसर के अन्त में एक सार देना चाहिए, जिसमें निम्न- लिखित तथ्य सम्मिलित हों :

(1) भरी गयी कुल रिक्तियों की संख्या— 34
(2) इनके लिए आरक्षित संख्या :
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 5 (पाइन्ट 2, 14, 21, 28 और 35)
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 33)
(3) इनसे भरी गयी संख्या :
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 2
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — कोई नहीं
(4) अगले अवसर के लिए आगे ले जायी गयी संख्या :
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 3 (पाइन्ट 21, 28 और 35)
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1

यदि अगले अवसर पर 25 और रिक्तियाँ घटित हों तो उन्हें रिक्ति रजिस्टर में पाइन्ट सं० 35 से 59 तक दिखाया जायेगा। इनमें से तत्कालीन आरक्षण के अनुसार 4 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी। आगे लायी गयी रिक्तियों को जोड़ने पर कुल आरक्षण इस प्रकार होगा : 7 अनुसूचित जातियों के लिए (3+4) और 1 अनुसूचित जनजातियों के लिए। यदि इस अवसर पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों के 6 व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है तो उन में से पाइन्ट सं० 35 से 38 तक और शेष 2 पाइंट सं० 42 और 49 पर दिखाये जायेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले अवसरों से आगे लायी गयी पिछली आरक्षित रिक्तियों का उपयोग पहले किया जायेगा और उन्हें पहले पड़ने वाले पाइन्टों पर समायोजन की उपयुक्त टिप्पणी के साथ दिखाना चाहिए। अर्थात् पाइन्ट सं० 35, 36, 37 और 38 पर दिखाये गये अनुसूचित जाति के व्यक्ति क्रमशः पाइन्ट सं० 14, 21, 28, 35 की आरक्षित रिक्तियों के समायोजन में होने चाहिए। इसलिए भर्ती अवसर के अन्त में इस प्रकार का सार दिया जाना चाहिए :

(1) भरी गयी रिक्तियों की कुल संख्या— 25
(2) इनके लिए इस अवसर पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या :
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 4 (पाइन्ट 35, 42, 49 और 56)
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — कोई नहीं
(3) पिछले अवसर से आग लायी गयी रिक्तियों की संख्या :
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 3 (पाइन्ट 14, 21 और 28)
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 33)
(4) इस अवसर पर कुल आरक्षण :
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 7
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1
(5) भरी गयी रिक्तियों की संख्या
  (क) अनुसूचित जातियाँ — 6
  (ख) अनुसूचित जनजातियाँ — कोई नहीं

(6) अगले अवसर को आगे ले जायी गयी रिक्तियों की संख्या :

(क) अनुसूचित जातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 56 की)

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 33 की)

मान लीजिए कि तीसरे अवसर पर केवल 15 रिक्तियाँ घटित होती हैं, अर्थात् पाइन्ट सं० 60 से 74 तक। जिन की सिफारिश की गयी है, उनमें से 2 उम्मीदवार अनुसूचित जातियों के हैं। उन्हें पाइन्ट सं० 60 (पाइन्ट सं० 56 की आरक्षित रिक्ति से समायोजित) और पाइन्ट संख्या 63 पर दिखाया जायेगा। सार इस प्रकार बनेगा :—

(1) रिक्तियों की कुल संख्या — 45

(2) इस अवसर पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या

(क) अनुसूचित जातियाँ — 3 (पाइन्ट सं० 63 और 70)

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 66)

(3) पिछले अवसर से आगे लायी गयी रिक्तियाँ :

(क) अनुसूचित जातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 56)

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 33)

(4) कुल आरक्षण :

(क) अनुसूचित जातियाँ — 3

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 2

(5) भरी गयी रिक्तियों की संख्या :

(क) अनुसूचित जातियाँ — 2 (पाइन्ट 56 और 63 के समायोजन में)

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ — कोई नहीं

(6) आगे ले जायी गयी रिक्तियों की संख्या

(क) अनुसूचित जातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 70)

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ — 1 (पाइन्ट सं० 66)

देखें कि पाइन्ट संख्या 33 की रिक्ति, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, व्यपगमित हो जायेगी क्योंकि यह भर्ती का तीसरा अवसर है। किन्तु पाइन्ट सं० 70 की अनुसूचित जातियों की रिक्ति, नियमों के अनुसार, अगले दो भर्ती अवसरों तक आगे ले लायी जायेंगे इसी तरह पाइन्ट सं० 66 पर, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति भी अगले दो भर्ती वर्षों तक आगे जायेगी।

भाग 3

कर्नाटक सरकार के मैसूर डिविजन का समाज कल्याण विभाग

अध्ययन दल ने 20-1-1978 को मैसूर के उप समाज कल्याण निदेशक श्री एस० जी० पाटिल और मैसूर के जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री पी० वाई० सिद्धलिंगप्पा से भेंट की। यह अध्ययन यह जानने के लिए किया गया था कि समाज कल्याण विभाग, मैसूर में अपने यूनिट कार्यालयों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आदेशों पर किस तरह अमल कर रहा है। उप निदेशक ने दल को बताया कि विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने 1972 में कुछ निरीक्षण किया था और उसके बाद से इस कार्यालय में 4 वर्षों तक उप निदेशक के पद का कोई नियमित अधिकारी नहीं भेजा गया था। इस लिए इस संबंध में आगे कोई निरीक्षण नहीं किया जा सका था। 1976 वर्ष की कुछ रिपोर्टें देखी गयी और उनमें पाया गया कि रिक्ति रजिस्टरों के रखने के बारे में कुछ टिप्पणियाँ थीं। यद्यपि दल को यह सूचना दी गयी थी कि ऐसे निरीक्षणों की अनुपालन रिपोर्टें भी संबंधित संगठनों से प्राप्त हुई थीं, किन्तु ऐसे कोई रिपोर्ट दल को नहीं दिखायी जा सकी।

उप निदेशक के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरी ढूंढने वालों का एक रजिस्टर भी रखा जा रहा था। दल को बताया गया कि कर्नाटक सरकार ने ऐसे आदेश जारी कर रखे हैं, जिनके अनुसार यदि किसी नियोक्ता को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का उपयुक्त उम्मीदवार, रोजगार कार्यालय के माध्यम से न मिल पाये तो वह समाज कल्याण निदेशालय या उसकी जिला यूनिट को इसके लिए पत्र लिखेगा। किन्तु सामान्यतया जिला समाज कल्याण द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों पर तब तक विचार नहीं किया जाता है, जब तक उनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। इस प्रकार इस दोहरे काम से कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकलता। समाज कल्याण निदेशालय के रोजगार सैलों के प्रभावी संचालन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :

(1) सरकार यह आवश्यक अनुदेश जारी करे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती की अधिसूचना भेजते समय, सभी नियोक्ता इनकी प्रतियाँ समाज कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ रोजगार सैलों तथा जिला कल्याण अधिकारियों को भी भेजें।

(2) इस रजिस्टर में एक ऐसा खाना होना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की रोजगार कार्यालय को पंजीकरण संख्याएं दर्ज हों ताकि मुख्यालय का सैल और जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोजगार कार्यालय को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के योग्य उम्मीदवारों के नाम भेज सकें और उनके यहाँ दर्ज ऐसे उम्मीदवारों के बारे में पूछ सके कि उनका क्या हुआ।

(3) प्रत्येक सैल अपने यहाँ दर्ज उम्मीदवारों और तिमाही के दौरान पा गये उम्मीदवारों के बारे में तिमाही आंकड़े तैयार करे। इन आंकड़ों में, उनके चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या भी होनी चाहिए। हर तिमाही में विभिन्न शिल्पों के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों के आंकड़ों को खूब प्रचारित करना चाहिए।

(4) जन शिक्षण निदेशालय सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों को यह आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे रोजगार कार्यालय को भेजे जानेवाले माँग पत्रों की प्रतियाँ समाज कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ सैलों को जरूर भेजें और समाज विभाग द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को समुचित महत्व और उन पर उचित ध्यान दें।

(5) विकल्प के रूप में यह भी किया जा सकता है कि समाज कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ मौजूदा सैलों को रोजगार कार्यालयों के समान कार्य करने की मान्यता दे दी जाये ताकि उनकी उपयोगिता बढ़ायी जा सके। दूसरे शब्दों में, महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचलित योजना के अनुरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपने नाम केवल समाज कल्याण विभाग द्वारा नियंत्रित सैलों/कार्यालयों में ही दर्ज करायें।

(6) इन सैलों/कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नामों के पंजीकरण की अन्तिम रूप से अपनायी जाने वाली पद्धति को समाचार पत्रों, रेडियो जैसे प्रचार साधनों से खूब प्रचारित किया जाये ताकि राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को इस विषय में सही पद्धति का ज्ञान हो जाये।

भाग 4

जाति/जनजाति प्रमाण पत्रों को जारी करना—कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श और प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के आधार पर टिप्पणियां

विभिन्न संगठनों में जाति प्रमाण पत्रों को पड़ताल की गयी और इस विषय में कर्नाटक सरकार के उपसचिव (सेवाएं) तथा समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारियों से भी विचार विमर्श हुआ। इनके आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

(1) जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने की पद्धति बड़ी उदार बना दी गयी है। जिसके अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी व्यक्ति अपने हलफनामे के आधार पर ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। निःसंदेह इस पद्धति से जाति प्रमाण पत्र पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाइयों और इसमें लगने वाले विलम्ब से तो विस्तार मिल गया, किन्तु इस छूट से इसके दुरुपयोग के मार्ग भी खूब प्रशस्त हो गये। केवल हलफनामा देकर जाति प्रमाण पत्र पाने का लालच बहुत से लोगों को लुभायेगा। ऐसे मामले पकड़ में भी बहुत कम आते हैं। केवल शिकायतों से ही इनका पता चलता है। इस तरह बहुत से नकली आवेदक एकदम बच निकलेंगे और केवल अनुसूचित जातियों/जनजातियों को प्रदत्त लाभों से लाभान्वित होंगे। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा समुचित जाँच पड़ताल के बाद ही जारी किये जाने चाहिएं। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं० बी०सी० 1275/3/76-एस० सी० टी०-1, दिनांक 29-3-1976 की एक प्रति संलग्न की जाती है। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकारी प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने से पहले समुचित सावधानी बरतनी होगी। केवल इतना ही नहीं, यदि उनमें से कोई प्राधिकारी असावधानी और समुचित सत्यापन के बिना प्रमाण पत्र जारी करने का दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक और भारतीय दंड संहिता के अधीन कार्रवाई की जायेगी। कर्नाटक सरकार से इस विषय पर फिर से विचार करने और इस संबंध में आवश्यक अनुदेशों के अनुसार समुचित पद्धति अपनाने का आग्रह किया जाता है।

(2) दल को इस प्रकार की सूचना भी दी गयी थी कि ऐसे प्रमाण पत्र दो प्रकार के हैं (1) शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और (2) सेवा उद्देश्यों के लिए। यदि प्रमाण पत्र पर यह उल्लेख नहीं हुआ कि यह किस उद्देश्य के लिए जारी किया गया और नियुक्तकर्ता प्राधिकारियों को इस भिन्नता की जानकारी नहीं करायी गयी तो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जारी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सेवा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये जाये कि सेवा उद्देश्यों के लिए, ऐसे प्रमाण पत्रों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु आवेदक को स्पष्ट कर दिया जाये कि उसकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के साथ की गयी है और यदि उसने अपेक्षित प्रमाण पत्र पेश नहीं किया तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी प्रमाण पत्र जारी करने का समुचित तरीका होना चाहिए ताकि इन लाभों का उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से इतर जातियों वाले व्यक्ति न कर पायें।

(3) एक मामले में पाया गया कि बंगलौर के तहसीलदार ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी कर रखा था, जो धारवार जिले का निवासी था। समझ नहीं आया कि तहशीलदार साहब ऐसे प्रमाण पत्र कैसे जारी कर सकते हैं, चाहे इसका आधार किसी जिम्मेदार अधिकारी का साक्ष्यांकन ही क्यों न हो। नियमों के अनुसार वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित न हो। कर्नाटक सरकार इस विषय में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने की वांछनीयता पर विचार कर सकती है।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक त्रुटि है, जो बचाव का रास्ता खोल सकती है। प्रमाण पत्र के दूसरे पैरा में आवेदक को साधारण निवास स्थान देना होता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने को खास बंगलौर का निवासी घोषित करे, जबकि वह हो किसी और जिले का। इसलिए "साधारण निवास" के स्थान पर "मूल स्थान" उपबंध का सुझाव दिया जाता है ताकि सत्यापन में सुगमता हो जाये कि व्यक्ति विशेष जाति या जनजाति विशेष से संबंधित है।

परिशिष्ट 41

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.121)

तमिलनाडु सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के अध्ययन की रिपोर्ट

तमिलनाडु सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय से गये एक अध्ययन दल ने, तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री पी० कंडास्वामी और अवर सचिव श्री शिवरामकृष्ण से भेंट की। इस दल में अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री वरयाम सिंह सम्मिलित थे। इन्होंने उपरोक्त अधिकारियों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवा सुरक्षणों के बारे में विचार विमर्श किया। बैठक में निर्णय किया गया कि दल शिक्षा विभाग के रोस्टर और संबंधित अभिलेखों का अध्ययन करेगा, क्योंकि इस विभाग में भारी संख्या में भर्ती की जाती है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सेवा सुरक्षणों से संबंधित विभिन्न नियमों/आदेशों के कार्यान्वयन का प्रतिनिधिक चित्र मिल जायेगा। अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा प्रभाग चुना गया और इस के लिए विद्यालय शिक्षा के संयुक्त निदेशक श्री आनन्दराजा से भेंट की गयी। प्रभाग में रखे गये रोस्टर रजिस्टरों, रोजगार कार्यालय/समाचार पत्रों को भर्ती के लिए भेजे गये मांग पत्रों और अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच पड़ताल की गयी। अध्ययन दल ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, उन पर आगे के पैराग्राफों में विचार किया गया है—

आरक्षण

सरकारी अनुदेशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी वर्ग को छोड़कर, शेष सभी पदों की भर्ती में 18 प्रतिशत की दर से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त आरक्षण है। 31 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षित हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत की दर से पृथक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से 1 प्रतिशत अतिरिक्त है। खतरा इस बात का है कि यदि उनके लिए पृथक आरक्षण कोटा नहीं रखा गया तो वे कम संख्या और बहुत अधिक पिछड़े होने के कारण अनुसूचित जातियों से प्रतियोगिता में पीछे रह सकते हैं। यह तथ्य नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट हो जाता है। यह तालिका 1-8-1976 को तमिलनाडु के विभिन्न विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व दर्शाती है और यह भी बताती है कि शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के अध्यापक कितनी कम संख्या में हैं :

विद्यालय का प्रकार	कुल अध्यापक	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जनजातियाँ
1. उच्च विद्यालय	70,907	3,895 (5.5%)	23 (.0003%)
2. माध्यमिक विद्यालय	67,846	7,681 (11.3%)	22 (.0003%)
3. प्राथमिक विद्यालय	1,10,733	13,449 (12.1%)	35 (.000013%)

चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पद, आरक्षण आदेशों की परिसीमा से बाहर रखे गये थे और पदों में आरक्षण संबंधी नियमों में इसका कोई कारण नहीं दिया गया था। यह नियमानुकूल नहीं है और सुझाव दिया जाता है कि इन पद वर्गों पर भी आरक्षण लागू करने के लिए शीघ्रताशीघ्र कदम उठाये जायें। पदोन्नति पद वर्गों पर भी अभी तक आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

रोस्टर रखना और रिक्तियाँ आगे ले जाना

आरक्षण आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्धारित प्रपत्र पर 100-पाइन्ट वाला रोस्टर अपना रखा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार ने सभी विभागों को मुद्रित रजिस्टर जारी कर रखे हैं और स्थापना द्वारा रोस्टरों का अनुरक्षण नियमित रूप से किया जाता है। एक उत्साहजनक तथ्य यह था कि नियमित निरीक्षण के एक अंग के रूप में रोस्टरों का भी वार्षिक निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत की गयी थी।

राज्य कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 20-12-1977 को जारी आदेशों से पहले, न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तब ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। किन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि यदि सीधी भर्ती के किसी अवसर पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्धारित अर्हता प्राप्त उम्मीदवार अपनी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नहीं मिलते हैं तो न भरे गये आरक्षित पाइन्टों को अगले भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जायेगा। उसके अन्त में यदि, तब भी आगे लायी गयी आरक्षित रिक्तियों को नहीं भरा जा सका तो वे व्यपगमित हो जायेंगी। यहीं पर यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि रोस्टर रजिस्टर में न भरे गये पाइन्टों को आगे ले जाने/आगे लाने के खाने नहीं हैं और उनके न होने से हो सकता है कि ऐसे पाइन्टों पर अगले भर्ती वर्षों में ध्यान हो न दिया जाये। इसलिए सुझाव है कि रोस्टर के प्रपत्र में, प्रारम्भ में एक खाना रखा जाये, जिसमें पिछले वर्षों से आगे लाये गए पाइन्ट दिखाये जा सकें और इसमें तत्कालीन भर्ती वर्ष के आरक्षित पाइन्ट जोड़े जा सकें। हर वर्ष के अन्त में इन सब का विवरण देने के लिए सार का भी खाना होना चाहिए, जिसमें आरक्षित रिक्तियाँ, अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों से वास्तविक रूप से भरी रिक्तियाँ और अगले भर्ती वर्ष को आगे लाये गये पाइन्ट स्पष्ट दिखाये जा सकें। प्रपत्र के "टिप्पणी" वाले खाने में कमी के कारण दर्ज किये जा सकते हैं। रोस्टर में समुचित जाँच पड़ताल के बाद हर प्रविष्टि पर नियुक्तकर्ता अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए।

अनारक्षण

सरकारी अनुदेशों के अनुसार, न भरी गयी रिक्तियाँ एक वर्ष आगे ले जाने के बाद व्यपगमित हो जायेंगी। इस संबंध में कहना यह है कि दूसरे भर्ती वर्ष में आरक्षित पाइन्ट को व्यपगमित होने देने से पहले इस बात की भी कोई जाँच कसौटी होनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित उम्मीदवार भर्ती करने के लिए उचित प्रयास किये गये हैं या नहीं। रोजगार कार्यालय से ऐसे उम्मीदवार न मिलने पर इन्हें समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि व्यपगमन से पहले नियुक्तकर्ता अधिकारी राज्य कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमति ले। इस के लिए वह विस्तार से एक नोट लिख कर भेजे, जिसमें आरक्षित रिक्तियों की स्थिति, भर्ती के लिए किये गये प्रयत्न और इस कमी के कारण दिये गये हों। यह एक प्रकार का औपचारिक अनारक्षण हो गया और इससे किसी चूक या त्रुटि के कारण आरक्षित रिक्तियों को व्यपगमित होने से रोके जा सकेगा।

सरकार से अनुदान पाने वाले संस्थान

एक प्रशंसनीय बात यह है कि सरकार ने राज्य और अधीनस्थ तथा स्थानीय निकायों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर रखा है। किन्तु यह भी पाया गया कि राज्य के अन्तर्गत सभी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण आदेश लागू हैं, किन्तु सरकार से शत प्रतिशत अनुदान पाने वाली अनेक गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बहुत बड़ी संख्या में संचालित विद्यालयों में यह आरक्षण आदेश लागू नहीं हैं। निम्नलिखित तालिका में दर्शित 1-8-1976 को सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या से कुछ सीमा तक अनुमान लगाया जा सकेगा कि इन संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नियोजन के बहुसंख्यक अवसरों से वंचित किया जा रहा है :

विद्यालय का प्रकार	मिशन	गैर मिशन
1. उच्च विद्यालय	167 (लड़के)	440 (लड़के)
	128 (लड़कियाँ)	118 (लड़कियाँ)
2. माध्यमिक विद्यालय	782	1,188
3. प्राथमिक विद्यालय	2,137	2,885

भारत सरकार ऐसे संगठनों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में पहले ही अनुदेश जारी कर चुकी है। ऐसे संगठनों को सरकारी अनुदान को संस्वीकृत देते समय उपरोक्त निर्णय का ध्यान रखना चाहिए।

इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि तमिलनाडु सरकार को ऐसी उन सभी संस्थाओं तथा संगठनों पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए जोर डालना चाहिए, जो विद्यालय और अन्य संस्थान चलाने के लिए सरकारी अनुदान पा रहे हैं। इस संबंध में अन्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक सरकार ने बड़े जोरदार कदम उठाये हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का मार्ग खोल दिया है।

कर्नाटक सरकार के अनुसरण में, यदि आवश्यक हो तो "तमिलनाडु रिकागनाइज्ड प्राइवेट स्कूल्ज (रेगुलेशंज) रूल्स, 1975" में उचित संशोधन करके, गैर सरकार संस्थानों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना अनिवार्य बना दिया जाये और इस प्रकार वे सांविधानिक उपबंधों का अनुपालन करें। यदि सरकारी नीतियों के पालन में यह गैर सरकारी संस्थान विरोधी रवैया अपनाये तो इन्हें सरकारी सहायता देना बन्द कर दिया जाये। कर्नाटक सरकार तो इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गयी है। इन सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को अनुदान की मंजूरी देने से पहले वह इनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाती है कि राज्य सरकारों के सहायता अनुदान के नियमों में ऐसी शर्तों और निबंधनों का समावेश किया जाये, जिससे इन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थानों की सेवाओं में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अनिवार्य हो जाये और इस प्रकार उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

परिशिष्ट 42

(संदर्भ के लिये देखिए पैरा 3, 121)

पश्चिमी बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर किये गये अध्ययन की रिपोर्ट

पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपनी सेवाओं और पदों की रिक्तियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए, 1976 में "द वेस्ट बंगाल शिड्यूल कास्ट्स एंड शिड्यूल ट्राइब्स (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) ऐक्ट, 1976" पारित किया था; क्योंकि राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। इस पर अमल करने के लिए 15-8-1976 को कार्यपालक अनुदेश "वेस्ट बंगाल शिड्यूल कास्ट्स एंड शिडयूल ट्राइब्स (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1976" जारी किये गये थे, जो इसी तारीख में कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में इस कानून के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए, इस कार्यालय से एक अध्ययन दल राज्य सरकार द्वारा रखे गये संबंधित रिकार्डों का स्थल पर ही अध्ययन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें अनुसंधान अधिकारी डा० विश्वजीत सेन और अन्वेषक श्री बरयाम सिंह शामिल थे। अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग को चुना गया और 21, 24, 25 अप्रैल तथा 2 मई, 1978 को किये गये दौरों के दौरान दल ने निम्नलिखित अधिकारियों से भेंट की :

1. श्री जी० एस० बनर्जी, सचिव, शिक्षा विभाग।
2. श्री एल० के० चटर्जी, उप सचिव, शिक्षा विभाग।
3. डा० यू० के० रे, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जन-जाति कल्याण विभाग।
4. डा० एस० एन० घोषाल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
5. प्रो० अधीर चक्रवर्ती, उप निदेशक (जन शिक्षण निदेशालय)।
6. श्री बी० के० रे, विशेष ड्यूटी पर अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति विभाग।

विभिन्न स्तरों पर किये गये विचार विमर्श के दौरान प्रतीत हुआ कि पिछले दो वर्षों के दौरान (चूंकि संबंधित कानून अगस्त, 1976 में पारित हुआ था) इस क्षेत्र में प्रगति बहुत ही कम हुई है। शिक्षा विभाग का प्रशासन खंड प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में नियुक्तियों और पदोन्नतियों का कार्य देखता है और इसने जिला स्तर पर पदों में भर्ती और पदोन्नति के लिए एक रोस्टर प्रारम्भ कर रखा था। इन में जिला सामाजिक शिक्षा अधिकारी, जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद आते थे। बताया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग को उपरोक्त पदों में, भर्ती के लिए भेजे गये सभी मांग पत्रों में, आरक्षित रिक्तियों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दी जाने वाली छूटों/रियायतों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। रोस्टर रजिस्टर में प्रविष्टियों की संख्या बहुत थोड़ी थी, इसलिए आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने आदि के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में किये गये अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 1977-78 के वर्ष में राज्य में 7,838 उच्च और ज्यूनियर उच्च विद्यालय थे, जिनमें से केवल 39 सरकारी विद्यालय थे। शेष सभी विद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं/सामाजिक या धार्मिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे थे। उनके स्टाफ के वेतन और भत्तों पर किये गये व्यय में से प्रबंध द्वारा शुल्क आदि से एकत्र रकम घटा कर, शेष राशि के बराबर उन्हें सरकार से सहायता अनुदान मिल रहा था। इसके अतिरिक्त लगभग 58 सहायता प्राप्त नामी विद्यालयों को राज्य सरकार ने प्रायोजित विद्यालयों के रूप में अपना लिया था और इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लिए बिना ही इन्हें शत प्रतिशत अनुदान सहायता दी जा रही थी। सरकारी विद्यालयों में, अध्यापकों की नियुक्तियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है, जो भर्ती करने वाला प्राधिकारी है। किन्तु प्राधिकारियों ने अभी तक कोई रोस्टर पद्धति नहीं अपनायी है ताकि उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को चिन्हित किया जा सके। प्राधिकारियों को इस पद्धति की प्रक्रिया के पालन की सलाह दी जाती है ताकि सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को आरक्षण दिया जा सके।

बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले वर्षों में सरकारी सहायता पाने गैर सरकारी विद्यालयों ने अपने प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र नियम बना रखे थे और स्टाफ की नियुक्तियों में सरकार का कतई हस्तक्षेप नहीं था। यही कारण है कि इन विद्यालयों के अधीन सेवाओं और पदों में आरक्षण योजना पर अमल का प्रश्न ही नहीं उठता था। अधिनियम पारित और 15-8-1976 से लागू होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मामले को आगे बढ़ाया और दिसम्बर, 1976 में अपने अधीन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को अधिनियम और नियमों की प्रतियाँ भेजी और उनसे अनुरोध किया कि इन्हें खूब प्रचारित किया जाये और इन्हें लागू करने के लिए सरकारी सहायता पाने वाले सभी विद्यालयों के प्राधिकारियों को इनसे अवगत कराया जाये। जिला निरीक्षकों को निर्धारित प्रपत्र पर इस विषय में सूचना देने के लिए कहा गया कि इन विद्यालयों में नियमों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है।

इस संबंध में देखा जा सकता है कि अधिनियम को पारित हुए दो वर्ष बीत जाने के बाद भी प्राधिकारी निश्चय से नहीं कह पा रहे थे कि इन गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रबंधों ने आरक्षण आदेशों का पालन किया है या नहीं। वैसे प्राधिकारियों ने आश्वासन दिलाया कि यदि इन विद्यालयों ने अपने यहाँ आरक्षण नियम अभी तक लागू नहीं किये होंगे तो उन्हें लागू कराने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायेंगे। जन शिक्षण निदेशालय में पाया गया कि उन्होंने अपने अधीन सेवाओं और पदों में,

अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षणों पर अमल करने के उद्देश्य से, अभी तक रोस्टर अनुरक्षण के बारे में भी कोई कदम नहीं उठाया था। इसका कारण उन्होंने यह दिया कि वे इस काम के लिए आवश्यक स्टाफ की संस्वीकृति के लिए पहले ही सरकार को लिख चुके हैं, किन्तु अभी तक स्टाफ मंजूर हो कर नहीं आया है।

स्पष्ट है कि अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए समुचित स्तर पर कोई उपयुक्त मशीनरी न होने के कारण जारी किये गये अनुदेशों के सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। जब तक इस पद्धति की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए कोई जाँच कसौटी नहीं होगी तो वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकेगा या उसे पाने का प्रयत्न ही नहीं किया जायेगा। देखा गया कि कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग समेत सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में प्रगति के बारे में वार्षिक रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है। किन्तु दल के दौरे के समय तक किसी ने भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। इसलिए सुझाव है कि कायपालक अनुदेशों में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उप-सचिव के समकक्ष या उससे ऊपर के पद किसी विभाग स्तर के अधिकारी को, सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाये और उसे अपने विभागों में इन विभिन्न उपायों पर तेजी से अमल कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बना दिया जाये। चूंकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और यह नियोजन के सब से अधिक अवसर प्रदान करता है, इसलिए 2 या 3 कर्मचारियों के साथ एक विशेष सैल स्थापित किया जाये ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों/कार्मिकों के हितों को भविष्य में तो हानि न पहुंचे।

सरकारी सहायता पाने वाले 7,838 उच्च और ज्यूनियर उच्च विद्यालयों में, 1-1-1978 को 87,540 अध्यापक काम पर थे और इनमें अभी भी बहुत भारी संख्या में भर्ती की गुंजाइश है। चूंकि ऐसे सभी विद्यालयों को सरकारी सहायता मिल रही है, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार में उचित भाग देने की सरकारी नीति पर अमल करने के लिए, इन विद्यालयों के प्रबंधों पर जोर डाला जाये। अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार से सहायता पाने वाले शैक्षिक संस्थान भी इस अधिनियम की परिसीमा में आते हैं। यदि कोई नियुक्तकर्ता प्राधिकारी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से दंडित होगा। इसलिए प्रबंध द्वारा सरकारी आदेशों/नियमों की अवहेलना की गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विद्यालयों को अनुदान सहायता के भुगतान को नियंत्रित करने वाली उप विधियों में इस तरह का संशोधन कर दिया जाये कि प्रबंध इस सरकारी नीति को लागू करने का लिखित में वचन दें और लागू न करने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनसे निपटा जाये।

राज्य स्तर पर रिकार्डों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा इन अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु रखे गये रिकार्डों की पड़ताल के लिए प्राधिकृत किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय में विचार विमर्श के दौरान सूचित किया गया कि सचिव के स्तर पर सभी विभागाध्यक्षों को अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद, विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में एक भी विशेष रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में ही राज्य स्तर का एक विशेष सैल खोल दिया जाये, जो सेवा सुरक्षण के कार्यान्वयन का काय देखे और यह सैल संबंधित विशेष संपर्क अधिकारियों से इस संबंध में सर्वाधिक/प्रगति रिपोर्टें मांग सके। चूंकि इस समय प्रशासनिक विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सांख्यिकीय सूचनाएं आदि रखने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए राज्य की सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठा करना अत्यन्त कठिन है। यही सैल राज्य की सेवाओं में विभिन्न स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने का काम भी कर सकता है। जिला स्तर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का तंत्र (जिला कल्याण अधिकारी) इन कानूनी उपायों को लागू कराने में प्रभावी योगदान दे सकते है। जिला कल्याण अधिकारीयों से, अन्य विभागों/कार्यालयों समेत सभी शैक्षक संस्थानों (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों) के रोस्टरों और अन्य अभिलेखों का नेमी निरीक्षण करने और विशेष सैल या विशेष ड्यूटी पर अधिकारी को इन रिपोर्टों का सारांश भेजने के लिए कहा जाये। तब विशेष सैल या विशेष ड्यूटी पर अधिकारी अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि इस प्रकार की निगरानी और जाँच नहीं रखी गयी तो इन आदेशों/नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना कठिन होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान कुछ चुने हुए कार्यालयों/उपक्रमों/संगठनों में सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में खोज अध्ययन या प्रतिदर्श अध्ययन करे।

परिशिष्ट 43

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 3.124)

विवरण सं० 1

जनवरी, 1976 से मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनिधित्व-स्थिति बताने वाला विवरण (31-3-78 की स्थिति)

मंत्रालय/विभाग का नाम	1976			1977			1978			जोड़		कुल जोड़
	खोले गये मामले	बंद मामले	अनिर्णित मामले	खोले गये मामले	बंद मामले	अनिर्णित मामले	खोले गये मामले	बंद मामले	अनिर्णित मामले	खोले गये मामले	बंद मामले	अनिर्णित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
परमाणु ऊर्जा	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	1
ऊर्जा	26	15	11	16	6	10	4	2	2	46	23	23
मंत्रिमंडल सचिवालय	18	14	4	6	5	1	3	1	2	27	20	7
वाणिज्य	27	18	9	30	12	18	7	3	4	64	33	31
शिक्षा एवं समाज कल्याण	44	23	21	37	25	12	17	2	15	98	50	48
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	51	24	27	53	30	23	9	1	8	113	55	58
सूचना एवं प्रसारण	70	39	31	33	9	24	16	2	14	119	50	69
उद्योग	65	44	21	33	13	20	13	3	10	111	60	51
सप० एवं० रैब०	4	2	2	13	6	7	2	..	2	19	8	11
एस० सी० टैंक	44	22	22	22	16	6	7	2	5	73	40	33
एस० एवं० एम०	69	29	40	22	11	11	7	..	7	98	40	58
टी० एवं सी० ए०	100	76	24	58	28	30	26	6	20	184	110	74
संघ लोक सेवा आयोग	5	4	1	1	1	..	..	..	..	6	5	1
गृह मंत्रालय	56	41	15	32	12	20	13	2	11	101	55	46
योजना	14	7	7	9	5	4	3	1	2	26	13	13
पेट्रोलियम	30	18	12	26	15	11	2	1	1	58	34	24
उर्वरक एवं रसायन	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	2	1
एल० जे० एंड सी० ए०	4	2	2	6	4	2	1	..	1	11	6	5
डब्ल्यू० एंड० एच०	170	111	59	97	58	39	13	1	12	280	170	110
शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट	82	52	30	40	13	27	11	5	6	133	70	63
विदेश मंत्रालय	2	1	1	2	2	..	1	..	1	5	3	2
निर्वाचन आयोग	4	2	2	1	1	..	..	..	..	5	3	2
अंतरिक्ष	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	..	..
इलैक्ट्रोनिकल	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	2	..
रक्षा	117	50	67	63	25	38	69	16	53	249	091	158
वित्त	143	59	84	87	51	36	60	13	47	290	123	167
रेलवे	586	118	468	165	30	135	107	4	103	358	152	706
संचार	160	78	82	78	35	43	69	7	62	307	120	187
कृषि	198	101	97	222	111	111	50	10	40	470	222	248
सी०ए०जी०	17	13	4	..	..	..	..	..	..	17	13	4
एल० एवं ई०	130	67	63	58	33	25	22	8	14	210	108	102
	2,242	1,030	1,206	1,213	558	753	538	94	444	3,987	1,684	2,303

विवरण सं० 2

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1-1-1976 से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ चलाये गये मामलों की स्थिति (31-3-1978 को) बताने वाला विवरण

राज्य का नाम	1976			1977			1978			कुल जोड़		
	खोले गये मामले	बन्द मामले	अनिर्णित मामले	खोले गये मामले	बन्द मामले	अनिर्णित मामले	खोले गये मामले	बन्द मामले	अनिर्णित मामले	खोले गये मामले	बन्द मामले	अनिर्णित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आन्ध्र प्रदेश	21	14	7	8	3	5	3	..	3	32	17	15
2. आसाम	4	..	4	2	..	2	1	..	1	7	..	7
3. बिहार	16	4	12	20	2	18	10	1	9	46	7	39
4. गुजरात	9	4	5	4	1	3	..	..	..	13	5	8
5. हरियाणा	22	7	15	10	4	6	5	..	5	37	11	26
6. हिमाचल प्रदेश	8	5	3	10	4	6	1	..	1	19	9	10
7. जम्मू एवं काश्मीर	1	..	1	1	..	1	..	..	..	2	..	2
8. कर्नाटक	11	3	8	7	..	7	1	..	1	19	3	16
9. केरल	11	5	6	4	..	4	..	..	..	15	5	10
10. मध्य प्रदेश	16	5	11	23	6	17	3	..	3	42	11	31
11. महाराष्ट्र	87	30	57	30	14	16	7	.	7	124	44	80
12 उड़ीसा	5	3	2	6	2	4	1	..	1	12	5	7
13. पंजाब	23	9	14	11	3	8	3	..	3	37	12	25
14. राजस्थान	15	1	14	6	2	4	6	..	6	27	3	24
15. तमिलनाडु	30	15	15	11	1	10	3	..	3	44	16	28
16. त्रिपुरा	2	..	2	..	..	..	2	..	2	4	..	4
17. उत्तर प्रदेश	43	16	27	12	2	10	8	1	7	63	19	44
18. पश्चिमी बंगाल	17	8	9	8	2	6	5	1	4	30	11	19
19. दिल्ली	154	67	87	85	45	40	33	6	27	272	118	154
20. गोवा दमन द्वीप	2	1	1	2	1	1	..	..	..	4	2	2
21. पांडिचेरी	3	2	1	2	..	2	2	1	1	7	3	4
22. लक्षद्वीप	1	..	1	1	1	..	..	..	..	2	1	1
23. सिक्किम	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	1
24. चण्डीगढ़	2	1	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1
25. मणिपूर	2	..	2	2	..	2	..	..	..	4	..	4
26. अरुणाचल प्रदेश	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	1
	505	200	305	267	93	174	94	10	84	866	303	563

परिशिष्ट 44

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 4.14)

विवरण संख्या 1

अनुसचित जातियों के कल्याण के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974-75, 1975-76, 1976-77 के दौरान परिव्यय और व्यय तथा 1977-78 के दौरान राज्य क्षेत्र में परिव्यय और व्यय बताने वाला विवरण

(लाखो रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ग	पांचवी योजना का कुल परिव्यय	किया गया व्यय			परिव्यय	व्यय
				74–75	75–76	76–77	77–78	77–78 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	शिक्षा	627.92	43.29	56.00	101.00	191.75	191.75
		आर्थिक उत्थान	463.50	47.24	60.00	40.00	138.75	138.75
		स्वास्थ्य, आवास आदि	..	..	..	..	..	..
		योग	1,091.42	90.53	116.00	141.00	330.50	330.50
2.	असम	शिक्षा	..	5.80	9.85	10.00	11.25	9.25
		आर्थिक उत्थान	..	7.50	11.60	13.75	10.75	11.85
		स्वास्थ्य, आवास आदि	+567.00	6.30	11.00	9.45	14.00	15.17
		योग	567.00	19.60	32.45	33.20	36.00	36.27
3.	बिहार	शिक्षा	379.05	63.119	86.069	99.00	100.80	100.80
		आर्थिक उत्थान	50.00	10.00	5.00	10.00	8.20	8.20
		स्वास्थ्य, आवास आदि	13.00	2.865	14.791	19.00	39.20	39.20
		योग	442.05	76.004	105.850	128.00	148.20	148.20
4.	गुजरात	शिक्षा	193.77	39.16	33.12	40.00	49.54	49.54
		आर्थिक उत्थान	49.42	7.48	6.42	7.47	15.20	15.20
		स्वास्थ्य, आवास आदि	116.97	28.74	29.44	27.53	21.26	21.26
		योग	360.16	75.58	68.98	75.00	86.00	86.00
5.	हरियाणा	शिक्षा	20.00	2.00	7.00	8.68		
		आर्थिक उत्थान	43.20	4.95	3.36	4.57	अनुपलब्ध	
		स्वास्थ्य, आवास आदि	236.80	14.31	25.31	10.84		
		योग	300.00	21.26	35.67	24.09		
6.	हिमाचल प्रदेश	शिक्षा	3.23	0.45	0.21	0.17		
		आर्थिक उत्थान	1.00	0.09	0.47	0.17	अनुपलब्ध	
		स्वास्थ्य, आवास आदि	2.43	0.39	1.06	0.30		
		योग	6.66	0.93	1.74	0.64		
7.	जम्मू और कश्मीर	शिक्षा	30.27	3.15	3.95	6.11	10.90	7.36
		आर्थिक उत्थान	2.93	0.11	0.18	0.38	1.00	0.24
		स्वास्थ्य, आवास आदि	21.80	0.65	0.65	1.00	1.90	2.41
		योग	55.00	3.91	4.78	7.49	13.80	10.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	कर्नाटक	शिक्षा	743.61	110.25	98.11	143.15	150.75	150.75
		आर्थिक उत्थान	170.39	34.30	33.96	41.90	49.75	49.75
		स्वास्थ्य, आवास आदि	61.00	17.63	50.59	29.15	27.00	27.00
		योग	975.00	162.18	182.66	214.20	227.50	227.50
9.	केरल	शिक्षा	87.00	11.84	9.80	16.56	18.64	18.64
		आर्थिक उत्थान	23.00	2.15	2.20	5.45	7.37	7.37
		स्वास्थ्य, आवास आदि	103.00	7.66	22.56	27.49	28.95	28.95
		योग	213.00	21.65	34.56	49.50	54.96	54.96
10.	मध्य प्रदेश	शिक्षा	653.00	70.60	97.65	124.70	159.25	159.25
		आर्थिक उत्थान	503.00	104.80	102.30	97.80	98.30	98.30
		स्वास्थ्य, आवास आदि	310.00	59.60	61.10	62.60	66.10	66.10
		योग	1,460.00	235.00	261.05	285.10	323.65	323.65
11.	महाराष्ट्र	शिक्षा	116.28	7.54	6.97	25.95	87.67	87.67
		आर्थिक उत्थान	28.76	14.27	5.60	15.31	13.37	13.37
		स्वास्थ्य, आवास आदि	113.80	10.80	26.12	60.16	42.45	42.45
		योग	258.14	32.61	38.69	101.42	143.49	143.49
12.	उड़ीसा	शिक्षा	77.49	12.76	14.28	15.50	14.40	14.40
		आर्थिक उत्थान	20.69	1.44	3.05	4.90	4.40	4.40
		स्वास्थ्य, आवास आदि	2.11	0.61	..	0.50	..	..
		योग	100.29	14.81	17.33	20.90	18.80	18.80
13.	पंजाब	शिक्षा	355.00	5.98	135.99	148.77	65.00	65.00
		आर्थिक उत्थान	177.00	11.12	111.12	99.34	..	..
		स्वास्थ्य, आवास आदि	142.00	224.52	236.75	244.15	12.00	12.00
		योग	614.00	241.62	483.86	492.56	77.00	77.00
14.	राजस्थान	शिक्षा	115.00	8.93	18.18	4.09	8.56	8.56
		आर्थिक उत्थान	120.00	12.01	12.03	0.16	..	..
		स्वास्थ्य, आवास आदि	145.00	41.12	2.63	..	10.00	10.00
		योग	480.00	62.16	32.84	4.25	18.56	18.56
15.	तमिलनाड	शिक्षा	646.05	76.95	105.84	141.73	189.91	189.91
		आर्थिक उत्थान	62.50	17.15	24.00	22.63	32.61	32.61
		स्वास्थ्य, आवास आदि	327.00	480.80	1,137.41	511.30	510.77	530.77
		योग	1,035.55	574.90	1,267.25	675.66	753.29	753.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	त्रिपुरा	शिक्षा	अनिर्धारित	2.782	2.978	0.759	3.020	2.429
		आर्थिक उत्थान	अनिर्धारित	3.258	5.168	0.503	6.430	6.430
		स्वास्थ्य, आवास आदि	अनिर्धारित	0.950	0.343	0.117	1.450	1.450
		योग	..	6.970	8.489	1.379	10.900	10.309
17.	उत्तर प्रदेश	शिक्षा	1,459.00	164.871	168.586	122.00		
		आर्थिक उत्थान	265.00	44.500	71.450	52.636	अनुपलब्ध	
		स्वास्थ्य, आवास आदि	367.00	36.637	46.285	63.514		
		योग	2,091.00	246.008	286.321	238.140		
18.	पश्चिम बंगाल	शिक्षा	274.26	39.72	41.38	54.06	64.60	64.60
		आर्थिक उत्थान	88.46	5.69	6.37	50.00	10.40	10.40
		स्वास्थ्य, आवास आदि	43.98	8.22	7.56	7.20	8.00	8.00
		योग	406.70	53.63	55.31	11.26	83.00	83.00
19.	दिल्ली	शिक्षा	35.00	3.16	3.76	7.90	13.00	13.00
		आर्थिक उत्थान	31.50	3.00	..	5.00	17.50	17.50
		स्वास्थ्य, आवास आदि	91.50	18.51	25.33	21.10	26.50	26.50
		योग	158.00	24.67	29.09	34.00	57.00	57.00
20.	गोआ, दमन व दीव	शिक्षा	12.15	0.44	0.49	0.68	0.94	0.54
		आर्थिक उत्थान	9.04	2.14	1.31	1.07	1.20	1.20
		स्वास्थ्य, आवास आदि	15.61	1.56	2.77	2.22	1.30	1.28
		योग	36.80	4.14	4.57	3.97	3.44	3.02
21.	पांडिचेरी	शिक्षा	54.31	5.75	6.78	10.66	12.17	16.49
		आर्थिक उत्थान	36.64	0.86	3.35	7.61	6.28	3.01
		स्वास्थ्य, आवास आदि	44.05	17.57	11.28	12.97	16.54	19.12
		योग	135.00	24.18	21.41	31.24	34.99	38.62
		महायोग (अ०जा०)						
		शिक्षा	5,882.390	679.262	907.193	1,081.769	1,929.650	1,828.480
		आर्थिक उत्थान	2,086.030	334.538	469.488	481.299	421.510	418.580
		स्वास्थ्य, आवास आदि	2,157.050	980.442	1,714.479	1,111.891	847.420	851.660
		योग	10,125.470	1,994.242	3,091.360	2,674.959	3,098.580	3,098.720
			+ 567.000					
			10,692.470					

+असम में अ०जा०/अ०आ०जा० के लिए सम्मिलित परिव्यय

विवरण संख्या 2

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 4.14)

अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974–75, 1975–76, 1976–77 के दौरान परिव्यय और व्यय तथा 1977–78 के दौरान राज्य क्षेत्र में परिव्यय और व्यय बताने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ग	पांचवी योजना का कुल परिव्यय	किया गया व्यय			परिव्यय	व्यय
				1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1977–78 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	शिक्षा	435.15	12.87	60.81	77.77	119.42	119.42
		आर्थिक उत्थान	880.14	31.35	58.25	42.48	128.36	128.36
		स्वास्थ्य, आवास आदि	..	24.11	24.67	6.10	..	..
		योग	1,315.29	68.33	143.73	126.35	247.78	247.78
2.	असम	शिक्षा		10.30	13.52	15.00	19.00	18.00
		आर्थिक उत्थान	अनु०जा०/अनु.ज०जा०	948.48	11.67	12.45	17.25	17.25
		स्वास्थ्य, आवास आदि	के लिए सम्मिलित	20.07	25.20	27.47	17.75	7.75
		योग	सम्मिलित	39.85	50.39	54.92	54.00	54.00
3.	बिहार	शिक्षा	558.20	69.362	86.347	114.00	112.50	112.50
		आर्थिक उत्थान	60.00	9.442	17.76	15.50	14.50	14.50
		स्वास्थ्य, आवास आदि	98.25	11.113	14.003	26.50	21.80	21.80
		योग	716.45	89.917	118.110	156.00	148.80	148.80
4.	गुजरात	शिक्षा	381.65	71.57	59.18	63.37	101.23	101.23
		आर्थिक उत्थान	138.77	22.43	11.91	37.04	54.66	54.66
		स्वास्थ्य, आवास आदि	93.18	10.69	10.94	24.59	22.61	22.61
		योग	613.60	114.69	62.03	125.00	178.50	178.50
5.	हिमाचल प्रदेश	शिक्षा	8.52	1.11	1.54	1.99		
		आर्थिक उत्थान	6.60	0.54	2.08	2.28	अनुपलब्ध	
		स्वास्थ्य, आवास आदि	4.63	1.16	1.87	1.87		
		योग	19.75	2.81	5.49	6.14		
6.	केरल	शिक्षा	31.00	1.79	5.29	6.02	7.07	7.07
		आर्थिक उत्थान	43.00	2.92	3.63	9.24	11.43	11.43
		स्वास्थ्य, आवास आदि	20.00	1.23	6.48	5.10	6.50	6.50
		योग	94.00	5.94	15.40	20.36	25.00	25.00
7.	कर्नाटक	शिक्षा	94.32	5.01	3.14	9.02	8.57	8.57
		आर्थिक उत्थान	52.93	4.00	3.99	6.02	7.03	7.03
		स्वास्थ्य, आवास आदि	12.85	1.19	8.37	9.01	5.90	5.90
		योग	160.00	10.20	15.50	24.05	21.50	21.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	मध्य प्रदेश	शिक्षा	1,374.00	199.15	235.35	274.80	309.20	309.20
		आर्थिक उत्थान	1,045.00	168.00	230.10	224.70	213.00	213.00
		स्वास्थ्य, आवास आदि	265.00	44.00	48.50	53.00	57.50	57.50
		योग	2,684.00	411.15	513.95	552.50	579.70	579.70
9.	महाराष्ट्र	शिक्षा	54.00	7.90	4.99	36.05	17.73	17.73
		आर्थिक उत्थान	17.91	5.09	3.36	5.26	11.01	11.01
		स्वास्थ्य, आवास आदि	888.95	99.89	116.70	171.25	52.18	52.18
		योग	960.86	112.88	125.05	212.58	80.92	80.92
10.	मेघालय	शिक्षा	..	3.58	5.76	50.00		
		आर्थिक उत्थान	378.00	43.61	48.82	65.00	अनुपलब्ध	
		स्वास्थ्य, आवास आदि	..	..	..	..		
		योग	378.00	47.19	54.58	115.00		
11.	उड़ीसा	शिक्षा	340.42	37.24	62.87	65.40	76.02	76.02
		आर्थिक उत्थान	42.74	5.84	8.90	9.50	4.00	4.00
		स्वास्थ्य, आवास आदि	13.30	2.32	2.12	2.15	2.60	2.60
		योग	396.40	45.40	73.89	77.05	82.62	82.62
12.	राजस्थान	शिक्षा	105.00	7.60	7.27	2.11	4.25	4.25
		आर्थिक उत्थान	135.00	6.92	5.01	6.24	0.25	0.25
		स्वास्थ्य, आवास आदि	20.00	3.75	..	..	..	..
		योग	260.00	18.27	12.28	8.35	4.50	4.50
13.	तमिलनाडु	शिक्षा	27.40	4.04	2.66	52.77	7.42	7.42
		आर्थिक उत्थान	14.25	5.93	4.57	2.93	3.50	3.50
		स्वास्थ्य, आवास आदि	42.00	7.63	5.76	4.43	5.35	5.25
		योग	83.65	17.64	12.99	60.13	16.27	16.27
14.	त्रिपुरा	शिक्षा	अनिर्धारित	2.569	2.124	0.718	2.300	1.210
		आर्थिक उत्थान	अनिर्धारित	33.626	35.917	7.339	37.900	37.900
		स्वास्थ्य, आवास आदि	अनिर्धारित	1.935	0.847	0.255	2.900	2.900
		योग	..	38.220	38.888	8.313	43.100	42.010
15.	उत्तर प्रदेश	शिक्षा	72.60	4.005	4.900	6.900		
		आर्थिक उत्थान	46.00	9.400	11.600	16.600	अनुपलब्ध	
		स्वास्थ्य, आवास आदि	36.00	29.829	22.334	41.150		
		योग	154.60	43.234	38.834	64.650		
16.	पश्चिम बंगाल	शिक्षा	161.02	21.33	20.84	24.84	39.25	39.25
		आर्थिक उत्थान	33.97	3.20	3.77	11.51	7.50	7.50
		स्वास्थ्य, आवास आदि	17.24	5.60	3.47	1.70	2.50	2.50
		योग	212.23	30.13	28.08	38.05	49.25	49.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	शिक्षा	..	1.650	1.880	1.750	1.750	1.750
		आर्थिक उत्थान	..	0.486	5.651	6.860	3.250	3.250
		स्वास्थ्य, आवास आदि	23.800*	..	0.250	0.100	..	..
		योग	23.800*	2.136	7.781	8.710	5.000	5.00
			इसमें अक जाति का परिव्यय शामिल है।					
18.	गोआ, दमन व दीव	शिक्षा	..	0.14	0.015	0.38	†	0.07
		आर्थिक उत्थान						
		स्वास्थ्य, आवास आदि	..	0.09	0.20	0.43	0.30	नहीं
			..	0.09	0.05	0.20	0.50	0.40
		योग	..	0.32	0.265	1.01	0.80	0.47
	महायोग							
		शिक्षा	3643.58	461.216	578.486	710.395	825.710	823.550
		आर्थिक उत्थान	2894.31	362.654	467.188	475.379	513.940	524.640
		स्वास्थ, आवास आदि	1,510.90	264.647	291.564	374.876	198.090	187.990
		योग	80,48.79	1088.517	1,337.238	1,560.650	1,537.740	1,536.18
			+23.80					
			8,072.59					

नोट

*शिक्षा, आर्थिक उत्थान, स्वास्य, आवास आदि के लिए सम्मिलित परिव्यय

+शिक्षा और आवास के लिए सम्मिलित परिव्यय

† भारत सरकार द्वारा अनु०जा०/अनु० ज०जा० दोनों को दिया गया

परिशिष्ट 45

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 4.20)

राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विधि निर्धारित करने की दिशा में उठाए गए कदम

1. आंध्र प्रदेश

हरिजन कल्याण के निदेशक को राज्य सरकार ने निदेश दिया कि वह प्रत्येक विभाग के लिए उसके 15 प्रतिशत बजट तक के अनुरूप स्कीमों के बारे में विचार करके उनका विवरण तैयार करें।

2. बिहार

सरकार ने अपने सभी विभागों को इस आशय के निदेश जारी किए कि विभिन्न विभागों की विधि की 23 प्रतिशत तक राशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए खर्च की जाए। यह निर्देश पीने का पानी मुहैया करवाना, आवास निर्माण, ग्रामीण मार्ग निर्माण, कृषि विकास, लघु सिंचाई योजना, कुटीर उद्योग, गांवों में सफाई का प्रबंध और स्वास्थ्य तथा पशुपालन जैसी स्कीमों को कारगर बनाने के लिये लागू होने थे। इन निर्देशों के पालन की देख रेख के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था ।

3. असम

वर्ष 1977–78 के दौरान, सरकार ने अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए सामान्य क्षेत्र की स्कीमों जैसे कृषि, लघु सिंचाई योजनाओं, भूमि संरक्षण, सहकारिता, ग्रामीण विद्युतीकरण, कुटीर उद्योग, मार्ग निर्माण शिक्षा, जल आपूर्ति और आवास आदि के वास्ते 267.00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की ।

4. हरियाणा

अनुसूचित जातियों के लिए विधि निर्धारित करने का कार्य एक समिति को सौंपा गया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि आर्थिक और सांख्यिक सलाहकार, योजना और वित्त विभाग के प्रतिनिधि और समाज कल्याण के निदेशक शामिल थे। समिति के लिए एक उप-निदेशक योजना) का पद प्रदान किया गया जिसे सहायक स्टाफ भी दिया गया । विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया। इसके अलावा मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की एक उप-समिति का भी गठन किया गया। इन समितियों का मुख्य कार्य राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना और निर्धारित विधि के प्रयोग की प्रगति को देखना था।

5. गुजरात

गुजरात सरकार ने वर्ष 1976–77 में अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रम से 283.70 लाख रुपए राशि की स्वीकृति दी थी। वर्ष 1977–78 में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी।

6. कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक उप-योजना तैयार की है इसमें पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विकास विभागों के लिए 26 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

7. मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने नीति संबंधी निर्णय लिया कि विकासीय विभागों के बजट का कम से कम 14 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अलग रखना चाहिए और यह राशि उन पर खर्च की जानी चाहिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त सचिवों की एक समन्वय समिति का गठन किया गया जिसका कार्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित विधि के उपयोग की प्रगति की देखभाल करना था।

8. महाराष्ट्र

जिला परिषदों को निर्देश दिया गया था कि वे सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में लिए निर्धारित विधि का कम से कम 15 प्रतिशत भाग पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों पर खर्च करें।

9. केरल

वर्तमान निर्देशों के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र की स्कीमों का 10 प्रतिशत परिव्यय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए अलग से रखा जाना चाहिए। इन निर्देशों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाली ऐसी स्कीमों के कार्यान्वियन की प्रगति बहुत धीमी रही है। सितंबर, 1977 में, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मदों पर वास्तविक व्यय निर्धारित राशि 4 करोड़ रूपए से बहुत कम होगा।

10. पंजाब

पंजाब में आवास व ग्रामीण योजना विभाग ने सभी शहरी संपदा के 10 प्रतिशत भूखंडों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया था, राज्य सरकार ने उद्योग विभाग का अग्रिम ऋण का 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित करने का भी फैसला किया था।

11. तमिलनाडु

पंचायत संघों द्वारा अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों के लाभ के कार्य के लिए 20 प्रतिशत काम का आवंटन को उनके लिए अलग से रखा जाना था।

12. उत्तर प्रदेश

वर्ष 1977-78 के वार्षिक बजट के कुल परिव्यय 2510 करोड़ रूपए में से हरिजन कल्याण स्कीमों के लिए 14.40 करोड़ रूपए की राशि में से सिर्फ 2.74 करोड़ रूपए 2496 करोड़ रूपए राशि में से सिर्फ 2.74 करोड़ रुपए की स्कीमों निर्धारित की गई। इतनी कम राशि निर्धारित करने का कारण यह दिया गया कि विभागीय बजटों में इन समुदायों क कल्याण के लिए निर्धारित मदों को संभवतः भलीभांति पहचाना नहीं गई होंगी।

*हरिजन कालोनियों को बिजली और पानी सप्लाई ई०एस०पी० टाईप शौचालयों की व्यवस्था, हरिजन कालोनियों और भूमि सुधार कार्यों क लाभग्राहियों को नारियल के पौधों की सप्लाई तथा हरिजन कालोनियों और क्षेत्रों को ग्रामीण मार्गों के जरिए जोड़ना।

परिशिष्ट 46

(सन्दर्भ के लिए देखिए पैरा 4.20)

अनुसूचित जातियो के लिए सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से निर्धारित निधि

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निर्धारित निधि की मात्रा			
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	76.70	..	..	241.00
2.	असम	..	..	211.50	267.00
3.	गुजरात	..	..	283.70	283.70
4.	हरियाणा	..	..	..	..
5.	हिमाचल प्रदेश	1.55	1.86	1.91	3.00
6.	जम्मू व कश्मीर	..	..	..	..
7.	कर्नाटक	..	..	..	..
8.	केरल	..	..	341.64*	400.00
9.	मध्य प्रदेश	..	..	..	..
10.	महाराष्ट्र	..	..	..	..
11.	उड़ीसा	..	1.00	2.00	..
12.	पंजाब	..	..	..	1,700.00
13.	राजस्थान	..	..	2,044.00	..
14.	तमिलनाडु	..	2,812.97*	2,950.70*	3,200.00*
15.	त्रिपुरा	..	..	..	..
16.	उत्तर प्रदेश	..	..	..	274.00
17.	पश्चिम बंगाल	..	..	..	..
18.	चंडीगढ़	..	..	0.50	..
19.	दिल्ली	..	..	..	..
20.	गोआ, दमन व दीव	..	..	..	..
21	पांडिचेरी	..	2.82	6.94	8.01
		78.25	2,818.65	5,842.89	6,376.71

*ये संख्याएं अनु० जाति एवं अनु० आदिम जातियों के लिए अनुमानित निधि की सूचक है।

परिशिष्ट 47

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 4.32)

ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता का विवरण

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	जिस अवधि की सूचना प्राप्त हुई है	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
			लाभग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि	लाभग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78	143	1.41	पिछले खानों में शामिल किया जा चुका	
2.	हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78			है।	
3.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31-12-77 तक				
4.	प्राग्ज्योतिष गाओलियां बैंक	..	बैंक ने जाति या जनजाति को ध्यान में रखे बिना छोटे तथा सीमान्त कृषकों में पूंजी लगाई।			
5.	मगध ग्रामीण बैंक	1977-78	190	2.02	..	..
6.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	1977-78	304	0.79	502	1.79
7.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	1977-78	1,425	9.19	230	1.79
8.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	1977-78	1,076	13.30	अनुसूचित जातियों के खानों में सम्मिलित है	
9.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78	2,513	11.27	अनुसूचित जातियों के खानों में सम्मिलित	
10.	गौड़ ग्रामीण बैंक	31-3-78 तक	6,481	31.21	अनुसूचित जातियों के खानों में सम्मिलित है	
11.	बोलनगीर सुचालक ग्राम्य बैंक	1977-78	5,573	25.78	3,720	18.24
12.	जम्मू रुरल बैंक	1977-78	1,165	10.11	..	..
13.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	1977-78	838	9.45	..	..
14.	नागर्जुन ग्रामीण बैंक	1977-78	14,396	284.77	17,466	291.79
15.	कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78	257	1.99	63	0.35
16.	जयपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78	2,142	27.99	465	8.44
17.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	1977-78	875	5.00	326	1.97
18.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	1977-78	1,805	10.05	220	2.51
19.	नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक	1977-78	673	2.77	अनु० जातियों के खानों में सम्मिलित है	
20.	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78	19	0.17	,,	
21.	उत्तर वंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1977-78	322	3.22	,,	,,
22.	चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31-3-78 तक	967	5.30	41	0.28
23.	साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक	1977-78	1,349	3.05	173	0.45
	योग		42,332	449.31	23,206	327.61

*अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित।

परिशिष्ट 48

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 5.10)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय द्वारा मार्च, 1978 में रोहतास जिले के बिशरामपुर गांव में हुई घटनाओं की जांच के लिए अप्रैल, 1978 में भेजे गये अध्ययन दल की रिपोर्ट

घटना

बिहार राज्य के रोहतास जिले के बिशरामपुर और कनियारी गांवों में 25 मार्च 1978 को दो हरिजनों, एक कुर्मा और दो कनुओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। हिंसात्मक घटनाओं में अनेक घरों की आग लगा दी गई। राज्य प्रशासन ने इस बात का खंडन किया कि लूटपाट, आगजनी और हत्या की इन घटनाओं के पीछे जातिगत विद्वेष का हाथ था और इसे अपराधियों के दो गुटों के बीच झगड़े की संज्ञा दी। लेकिन कुछ अन्य के अनुसार यह घटना "कृषि संबंधी लम्बे विवाद की चरम परिणति थी," क्योंकि एक पिछड़ा लेकिन समृद्ध समुदाय नहीं चाहता था कि हरिजनों को जमीनें मिलें। समाचार पत्रों में प्रकाशित परस्पर प्रतिकूल खबरों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने दल के द्वारा इस घटना के बारे में घटनास्थल पर जाकर जानकारी प्राप्त करने का निर्णय किया और इस उद्देश्य से अपने मुख्यालय से एक अध्ययन दल वहां भेजा।

यह दल एक अप्रैल 1978 को सुबह को पटना पहुंचा और उसने वहां श्री के० एन० अर्धनारीश्वरन, आयुक्त (पटना प्रभाग) और श्री एल० बी० सिंह उप-महानिरीक्षक (केंद्रीय रेंज) से संपर्क स्थापित किया आयुक्त (पटना प्रभाग) ने उन्हें जिला मजिस्ट्रेट और रोहतास जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट को प्रति उपलब्ध कराई।

रोहतास जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संबंधित संक्षिप्त अंश

25 मार्च, 1978 को सुबह दस बजे कनियारी गांव के हीरा कुर्मा की केश्वर दुसाध, नगीना कनु आदि ने हत्या कर दी। दिनार पुलिस थाने में सूचना मिली कि बिशरामपुर गांव के कुछ निवासी हीरा कुर्मा को बलातु ले गए हैं। थाना इन्चार्ज के आदेश पर एक सशस्त्र पुलिस दल अस्थाई उप-निरीक्षक श्री एस० ए० कंवर में दोपहर 12.30 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हो गया और 2.30 बजे दोपहर कनियारी गांव पहुंच गया। इस बीच, उसे यह खबर मिली कि आस-पास के गांवों के करीब 500–600 कुर्मियों ने बिशरामपुर गांव को घेर लिया है। उन्होंने हीरा कुर्मा के मृत शरीर की देख रेख की उचित व्यवस्था की और गांव की ओर चल पड़े। बिशरामपुर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ मकानों को आग लगी हुई है और कुर्मा समुदाय के व्यक्तियों ने गांव को घेरा हुआ है। बंसरोपन कनु के घर की छत पर चढ़े हुए कुछ व्यक्ति गोलीबारी भी कर रहे थे। कुर्मा भी गांव की दिशा में गोलिया चला रहे थे। पुलिस ने कुर्मियों को तितर-बितर करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, और इस लिए श्री कंवर ने पुलिस के सशस्त्र जवानों को हवाई फायर करने का आदेश दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिनार पुलिस थाने के पुलिस थाना इंचार्ज को सूचना दी कि वे कुमक के साथ वहां पहुंचे। सशस्त्र पुलिस का दल शाम 6 बजे बिशरामपुर पहुंचा और तब तक अधिकांतर ग्रामवासी वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने वहां दो व्यक्तियों को पकडा और उनके पास से दो राइफलें बरामद की। पुलिस ने देखा कि कुछ मकानों को आग लगा दी गई है। पुलिस ने गांव वालों से आग बुझाने के लिए सहयोग मांगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ।

जांच करने पर उन्हें मालूम हुआ कि हीरा कुर्मा की हत्या के बाद कुर्मा समुदाय के व्यक्तियों ने कनियारी गांव में इकठ्ठा होने शुरू कर दिया। इन लोगों को मालूम हुआ कि हीरा कुर्मा के हत्यारे बिशरामपुर गांव में छिपे हुए हैं। लगभग 600 कुर्मा इकठ्ठे हो चुके थे और दोनों पक्षों ने खुलकर गोली-बारी की। एक व्यक्ति को गोली लगने से उसे साधारण चोट आई और बिनार हस्पताल के उसका उपचार कर दिया गया।

गांव में घुसने पर मालूम हुआ कि 18 व्यक्तियों के घर जलाए गए थे, जिनमें से 6 हरिजनों के थे। वहां से दो जले हुए शव भी मिलें। इनमें से एक मृतक को भूखन दुसाध के रूप में शनाख्त किया गया और दूसरा शव बंसरोपन कनु की मां का था। बताया गया कि रामश्रम-राम (हरिजन) की भी हत्या कर दी गई थी लेकिन उसका शव बरामद नहीं किया जा सका है। बंसरोपन कनु के पिता सुंदर कनु के पिता भी लापता थे। आग में चार पशु भी जल गए, डा० आर० बी० पी० सिन्हा की छावनी के गैरेज में एक ट्रैक्टर भी आग की भेंट हो गया था।

इस घटना के बारे में दिनार पुलिस थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला संख्या 16(3)78 भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 1494, 302, और 27 वें शस्त्र अधिनियम के अधीन दर्ज था और दूसरा मामला संख्या 17(3)78 भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 436, 302, 364, 428 तथा 27 वें शस्त्र अधिनियम के अधीन दर्ज था पहले मामले में 6 व्यक्तियों (केश्वर, दुसाध, गांव भनपुरा बिशरामपुर गांव में पी० एस० नोखा, नगीना कनु, सत्यनारायण अहीर, राम बचन कहार और जगदीश तथा कनियारी गांव के श्याम बिहारी दुसाध) के नाम का उल्लेख था। दूसरे मामले में 33 अभियुक्तों का नाम दर्ज था।

बताया जाता था कि बंसरोपन कनु के गुट ने हीरा कुर्मा की हत्या की थी। बिशरामपुर गांव में हुई घटना (जिसमें तीन हत्याएं और 18 मकान जल गए) के लिए कुर्मा समुदाय के व्यक्तियों और उनके साथियों को जिम्मेदार ठहराया गया। बताया गया कि बंसरोपन कनु और हीरा कुर्मा अपने-अपने गुटों के नेता थी और उनमें पुरानी दुश्मनी थी। कारगर पुलिस थाने में कुछ दिन पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 308 के अधीन दर्ज मामला संख्या 1 (3) 78 अनुसार एक डायरी प्राप्त की गई थी जिसमें बंसरोपन कनु का नाम था। इसके आधार पर बंसरोपन कनु के घर की तलाशी ली गई और एक देशी बंदूक बरामद की गई तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दिनार पुलिस थाने में मामला संख्या 6(3)78 दर्ज किया गया। यह सूचना भी मिली कि कुख्यात डाकू दलपति नौतिया बंसरोपन कनु के घर आकर ठहरा करता है। उसके घर की दुबारा तलाशी ली गई। जिसके फलस्वरुप बंसरोपन कनु को सासाराम कस्बे में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तब से वह जेल की चार दीवारों में कैद था। बंसरोपन साथियों को शक हुआ कि बंसरोपन कनु के घर पर मारे गए छापों में हीरा कुर्मा का हाथ है। मई, 1977 में डा० आर० बी० पी० सिन्हा के ट्रैक्टर ड्राइवर की बिशरामपुर गांव में हत्या कर दी गई थी। बंसरोपन कनु की चालबाजियों के कारण इस घटना के लिए हीरा कुर्मा का नाम अभियुक्त के रूप में लिया जाने लगा, लेकिन बाद में यह बात गलत साबित हो गई। होली के दिन नगीना कनु और केश्वर दुसाध ने जो बंसरोपन गुट के सदस्य थे और अपराधी अतीत के थे, ने हीरा कुर्मा की हत्या कर दी। जहां तक तीन व्यक्तियों की हत्या और 18 घरों को जलाने की बात है, कुर्मियों ने यह बदले के रूप में किया। इसे हरिजनों पर अत्याचार की संज्ञा इसलिए नहीं दी जा सकती कि हीरा कुर्मी के कथित तीन हत्यारे अनुसूचित जाति समुदाय के थे और बिशरामपुर गांव में हुई घटना में जहां 6 मकान हरिजनों के जलाए गए,

वहीं साथ ही 12 घर अन्य समुदाय के व्यक्तियों के जले थे । अभी तक यह तभी प्रकाश में नहीं आया है कि बिशरामपुर की वारदात के 33 अभियुक्तों में से किसी भी बिशरामपुर गाँव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से कोई दुश्मनी थी या नहीं । केवल बंसरोपन के समर्थकों के मकानों को आग लगाई गई । हीरा कुर्मा की हत्या के सिलसिले में तीन व्यक्तियों (केश्वर दुसाध, सत्यनारायण आदि और राम बचन कहार) को गिरफ्तार किया गया । 33 अभियुक्तों में से सिर्फ दो व्यक्ति (महंत कुर्मा और राम दुलार राय) को गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस दल की प्रभावहीनता के सिलसिले में दो व्यक्तियों पी०एस० आई० श्री एस० ए० कंवर और एस० आई श्री जगमोहन सिंह को निलंबित किया गया । गांव में पुलिस की एक सशस्त्र यूनिट तैनात की गई ।

प्रभावित व्यक्तियों को राशन, कम्बल व साड़ियां आदि दी गई । प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए सहायता भी दी गई । इस बात पर भी विचार किया जा रहा था कि अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों के संबंधियों की मृत्यु इस वारदात में हो गई थी, उन्हें भूमि आबंटित की जाए ।

आयुक्त और डी०आई०जी० (केंद्रीय रेंज) ने भी मामले की जांच की थी । उन्होंने अपनी टिप्पणी में इस बात का उल्लेख किया कि आरोप पत्र तैयार करने की काफी सामग्री मौजूद है, और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रति पूरी तरह सजग है और पुलिस अधीक्षक ने इस उद्देश्य समुचित पुलिस दल तैनात किया हुआ है ।

कुछ अभियुक्तों के अपराधी रिकार्ड

आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट में तीन व्यक्तियों के खिलाप आपराधिक मामलों की एक सूची संलग्न थी* । सूची में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख था :

व्यक्ति का नाम	मामला संख्या
हीरा कुर्मा	1. दिनार पुलिस थाने में 22–5–1977 को भारतीय दंड संहिता की धारा 457/388 के अधीन मामला संख्या 18....
	2. दिनार पुलिस थाने में 4–6–1977 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302234 के अधीन दर्ज मामला संख्या 2 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त
	3. सी० एस० कारधर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/307/382 और शस्त्र अधिनियम 27 के अधीन मामला संख्या 387 : 4
	4. माजोर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/326/336 और शस्त्र अधिनियम 27 के अधीन दर्ज मामला संख्या 12 (11) 77
बंसरोपन कनु .	1. कारधर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 382/380 के अधीन मामला संख्या 2(3)78
	2. दिनार पुलिस थाने में 2–3–1978 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(क) के अधीन मामला संख्या 6
	3. दिनार पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 148/4522388 के अधीन मामला संख्या के अधीन मामला संख्या 9(5)77
राम बचन कहार	1. किनारा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 457/388 के अधीन मामला संख्या 18(1)67, 3(3)67, 4(3)67, 4(1)67 और 1(11)67

*सूची जिस प्रकार प्राप्त हुई थी उसी प्रकार पुनः प्रस्तुत की जा रही है ।

ऊपर कहे गए मामलों का विवरण प्राप्त करने के लिए दल में संबद्ध पुलिस थाने का दौरा किया ।

हीरा कुर्मा पुत्र रामाधार कुर्मा, गांव कनियारी

(i) दिनार पुलिस थाने में 22–5–1977 को भारतीय दंड संहिता की धारा 457/380 के अधीन दर्ज मामला संख्या 10 (गलती से इस मामले की संख्या 18 लिखी गई)

गाजीपुर टोला के शिवमंगल राय ने शिकायत की कि 21/22 मई, 1977 रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घर का सामान चुरा लिया । पुलिस को शक था कि इस चोरी के जिम्मेदार हीरा कुर्मा और केश्वर कुर्मा थे । मामला सुराग न मिलने कारण समाप्त हो गया ।

(ii) दिनार पुलिस थाने में 4–6–77 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दर्ज मामला संख्या 2

फरियादी अवध बिहारी दास ने कहा कि 3/4 जून 1977 की रात को कनियारी गांव के हीरा कुर्मा, निहोरामहतो, केश्वर महतो और हेमराज मेहमो ने राम जन्म दुसाध की हत्या कर दी । लेकिन बिक्रय गंज के सी० आई० ने सासाराम के एस० पी० को खबर दी कि अंतिम रिपोर्ट धारा 302 में अधीन सत्य है लेकिन अभियोग गलत है ।

(iii) कारधर पुलिस थाने में 2–4–76 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/34/201 और शस्त्र अधिनियम 27 के अधीन दर्ज मामला संख्या 1

कारघर पुलिस थाने के बदाकी अखेली गांव के हरिकिशन चमार के पुत्र फरियादी मुद्रिका चमान ने कहा कि 1/2 अप्रैल की रात को हीरा कुर्मा, केदार कुर्मा, भगवान कुर्मा मुसाफिर कुर्मा और तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अनसूचित जाति के व्यक्तियों पर हमला किया । यह कहा गया कि अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों और उनके कुर्मा नियोक्ता के बीच एक बैठक हुई जिसमें मजदूरों की ओर से यह मांग रखी गई थी कि उन्हें प्रति 12 बोझों में से एक बीघा मिलना चाहिए, जबकि नियोक्ता प्रति 16 बोझों में एक दोझा देने के लिए तैयार था । कोई समझौता न हो सकने के कारण मजदूरों ने वह स्थान छोडने का फैसला किया लेकिन कुर्मियों ने अनसूचित जाति के मजदूरों पर हमला कर दिया और एक मजदूर सुख विलास चमार गोलियों से घायल होकर मर गया । चन्द्रमा चमार की छाती भी गोलियों की मार से जख्मी हो गई । इस मामले के सिलसिले में हीरा कुर्मा, केदार कुर्मा, भगवान कुर्मा, मसाफिर कुर्मा, राम बदन कुर्मा, शिव बचन कुर्मा और सीता राम कुर्मा के खिलाफ 30 अक्तूबर 1976 की विधि की आरोप पत्र संख्या 28 प्रस्तुत की गई, जिसमें इन सभी को फरार बताया गया ।

यहां यह उल्लेखनीय हो सकता है कि इस विशेष मामले के बारे में रोहेतास के पुलिस अधीक्षक ने 18 सितम्बर, 1976 को एक नोट लिखा था कि न्यूनतम मजदूरों से संबंधित, कथित विवाद असत्य पाया गया ।

(iv) नोखा पुलिस थाने में 21–11–77 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/226/338 और शस्त्र अधिनियम 26 के अधीन दर्ज मामला संख्या 12

सिंगवा गांव के रामजी चौधरी ने गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठे होकर हमला किए जाने की शिकायत की और अभियुक्तों के स्थान पर सम दुलार राय, राम सागर राय, शिव मुनी राय, राम बचन राय, हीरा सिंह, धरम, राज राय, सत्यनारायण राय, भोला सिंह, सूरज सिंह और राम चन्दर राय के नाम लिए । मामले की अभी जांच की जानी है ।

हीरा कुर्मा के ऊपर कहे गए आपराधिक रिकार्ड से मालूम होगा कि कारधर पुलिस थाने में 2 अप्रैल 1976 को दर्ज मामला संख्या 1 को छोड़कर जिसमें हीरा कुर्मा और उसके कुछ साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, मृतक हीरा कुर्मा की अपराधिकता के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

बंसरोपन कनु पुत्र सुंदर कनु, बिशरामपुर गांव

(i) कारधर पुलिस थाने में 1-3-78 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/380 के अधीन दर्ज मामला संख्या

कपासिया गांव के रूप नारायण पाठक के पुत्र फरियादी राज किशोर पाठक ने कहा था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने राज नारायण पाठक की हत्या करके अदा लती दस्तावेजों से भरा संदूक उठाकर ले गये।

घटनास्थल के निकट ही पुलिस को एक डायरी प्राप्त हुई, जिसमें बिशरामपुर गांव के बसरोपन कनु, पुलिस थाना दिनार के गांव सरोसर के शिवनाथ कनु, भोट शाह उर्फ राजेश्वर कनु, दिनार की धरचना समिति के रामचन्दर कोयरी और साजिग सिंह यादव तथा धनपुरा गांव के केश्वर दुसाध का नाम लिखा हुआ था।

इस मामले के सिलसिले में कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया।

(ii) दिनार पुलिस थाने में 3-3-1978 को शस्त्र अधिनियम 25 के अधीन दर्ज मामला संख्या 6

दो मार्च, 1978 को, कारधर पुलिस थाने के एस०आई०ओ०/आई० रमा शंकर सिंह ने बसरोपन कनु के घर छापा मारकर एक देशी राईफल बंदूक बरामद की। बंसरोपन को हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच चल रही है।

(iii) दिनार पुलिस थाने में 20-5-77 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/452/380 के अधीन दर्ज मामला सं० 9

कुसाही गांव के रामजनम सिंह ने शिकायत की कि शंकर दुसाध बिलि राम दुसाध, बंसरोपन कन, बदाई दुसाध, रामलाल चमार, श्यामलाल चमार, अनु चमार और श्री भगवान यादव ने गैर-कानूनी तौर पर इकट्ठे होकर मेरे घर से आभूषण तथा घर के अन्य सामान की चोरी की। मामले की जांच चल रही है।

ऊपर कहे गए तीन मामलों में, बंसरोपन कनु की अपराधिकता साबित नहीं होती। राजनारायण पाठक की हत्या करने के सिलसिले में बंसरोपन कनु के खिलाफ कोई आरोपपत्र नहीं दाखिल किया गया। दो अन्य मामलों पर पुलिस द्वारा जांच की जानी बाकी है। यह भी बताया जा चुका है कि 3 मार्च, 1978 से बंसरोपन कनु को हिरासत में रखा हुआ था तथा हीरा कुर्मा की हत्या और विशराम पुर गांव में लुटपाट और आगजनी की घटना 25 मार्च 1978 को हुई।

जहां तक राम बचन कहार के खिलाफ मामलों का संबंध है, दिनार पुलिस थाने के रोजनामचे के निम्नलिखित अंश के अलावा और कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है यह मामला इस प्रकार है :

रोजनामचा (भाग 3) खंड -2 में समय-समय पर हुई घटनाओं और गतिविधियों की सूचना

इस सर्किल ने सैंधमारी के मामलों की रिपोर्ट दी है और कहा है कि अपराध एक स्थान पर न किया जा कर अनेक स्थानों पर किया गया। ये मामले हैं : 10(1)67, 3(3)67, 4(3)67, 5(6)67, 4(9)67 और 1(11)67 तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 4572380 के अधीन दर्ज किया गया है।

इन मामलों के सक्रिय अपराधी थे—रत्तु कुर्मा रामनाथ दुसाध, दशरथ तेली और राम राज कुर्मा। ये अपराधी दंड प्रक्रिया संहिता 110 के अंतर्गत आते है। अकोड़ा क्षेत्र जहां के ये अपराधी है, से बाकायद एक शिष्ट बंडल भी प्राया। आयदौरे के दाहिया कुर्मा के साथ राम राज कुर्मा इलाहाबाद में बसने के इरादे से अपना घर और खेत बेच रहा है और फिलहाल गांव चुरखी चला गया।

बिशरामपुर में राम बचन ने अपना अलग गुट बना लिया है। जिसमें पुलिस थाना नोखा के अधीन सीसरित क्षेत्र के अपराधी शामिल है। अक्तूबर, 1967 से इन पर कड़ी निगरानी रखी गई और इसके अनकूल परिणाम प्राप्त हुए है।

हस्ताक्षर

ओ/सी दिनार पुलिस थाना
20-1-1978

धनपुरा गांव के देवी दुसाध का पुत्र केश्वर दुसाध

हालांकि आयुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट में केश्वर दुसाध के आपरोधिक रिकार्ड के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था फिर भी रोजनामचों में दर्ज मामलों में उसकी आपरांधिक गतिविधियों का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि इस व्यक्ति को मीसा के अंतर्गत नजरबंद रखा गया था, लेकिन उसमें नजरबंदी की अवधि का उल्लेख नहीं है। सासाराम के कलक्टर से हमारी बातचीत के दौरान उसने हमें बताया कि वे लोग अपने रिकार्डों की जांच कर रहे हैं कि क्या कभी बंसरोपन कनु को भी मीसा के अंतर्गत नजरबंद रखा गया था। जो भी हो केश्वर दुसाध के खिलाफ निम्नलिखित पांच मामले दर्ज थे :

(i) कारधर पुलिस थाने में 12-5-1974 को भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के अधीन दर्ज मामला संख्या 10

सिमरीपरा गांव के बनारसी प्रसाद के पुत्र कालिका प्रसाद ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डकैती डालने की शिकायत की। पुलिस को शक था कि केश्वर दुसाध तथा उसमें 6 अन्य साथी इस अपराध के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन कोई सुराग न मिलने के कारण मामला समाप्त हो गया। एफ० आर० टी०

(ii) नोखा पुलिस थाने में 1-4-1976 को शस्त्र अधिनियम की धारा 389/411/25 के अधीन दर्ज मामला संख्या 1

धनपुरा के बैजनाथ राम के पुत्र हरिनारायण ने शिकायत की कि केश्वर दुसाध और पूरब दुसाध ने चोरी की है। इस मामले में बिना लायसंस के हथियार की बरामदी भी शामिल थी। सिर्फ केश्वर दुसाध की शस्त्र अधिनियम 25 के अधीन आरोप पत्र दिया गया मामला अदालत के अधीन था।

(iii) कारधर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन दर्ज मामला संख्या 6(4) 77

नामवा गांव के रामजतन पांडे के पुत्र सहदेव पांडे ने शिकायत की कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने डकैती की है। पुलिस को केश्वर दुसान और उसके साथियों पर इस डकेती डालने का संदेह था। लेकिन किसी सुराग के अभाव में मामला समाप्त हो गया। एफ० आर० टी०

(iv) नोखा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन दर्ज मामला संख्या—6(12)77

रामसागर मिश्र के पुत्र श्री राज किशोर मिश्रा ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सीसरिन गांव में डकैती के संबंध में शिकायत की पुलिस ने इस अपराध के लिए धनपुरा के केश्वर दुसाद और उसके चार साथियों पर शक किया। मामले की जांच अभी बाकी है।

(v) नोखा पुलिस थाने में 25-5-1977 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन दर्ज मामला संख्या 1

मामनारा के पुत्र ब्रहमदेव पांडे ने 25-5-77 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डकैती की शिकायत की पुलिस ने इस अपराध के लिए धनपुरा गांव के केश्वर दुसाध और भारंग के रामश्रय दुसाध पर शक किया। केश्वर

दुसाध को सासाराम में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरोप प्रमाणित न होने के कारण बाद में रिहा करना पड़ा। कोई सुराग न मिलने के परिणामस्वरूप मामला समाप्त हो गया।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि एक अप्रैल 1976 के नोखा पुलिस थाने के मामला संख्या-1 को छोड़कर केश्वर दुसाध के खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया और उसके खिलाफ किसी भी अन्य अपराध का मामला नहीं प्रमाणित हुआ है।

कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विचार

इस दौरे के बीच, दल को निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का भी मौका मिला जो घटना से पूरी तरह परिचित थे।

1. श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह
2. डा० आर० बी० पी० सिंहा
3. डा० आर० ए० पो० सिंहा
4. श्री बिपिन बिहारी सिंहा
5. श्री जाबिर हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री
6. श्री राम सुंदर दास
7. श्रीमती कमला कुमारी सिंहा
8. श्री आर० जी० पी० सिंहा

1. श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह, भूतपूर्व उप-कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय

उन्हें डा०आर०बी०पी० सिंहा से 27 मार्च 1978 को मालूम हुआ कि करीब 500 कुर्मियों हिंसक भीड़ ने बिशरामपुर के हरिजन टोले पर हमला किया था। उन्हें बताया गया कि इस घटना में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। उनकी सूचना के अनुसार हरिजन टोले पर हमला 25 मार्च, 1978 को अपरान्ह 3 बजे हुआ। उनका विचार था कि वस्तुतः तनाव सुबह से बढ़ना शुरू हो गया होगा उनकी सूचना के अनुसार गाँव में भेजे गये सशस्त्र पुलिस के सदस्य दर्शक मात्र ही थे। उनकी इस संभावना से इनकार नहीं किया कि इसमें स्थानीय पुलिस को साथ गांठ भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में सूचना 26 तारीख की शाम को सासाराम पहुंची, जो प्राधिकारियों के लापरवाह दृष्टिकोण का द्योतक है। श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह ने कूट घटनाओं के बारे में भी बताया। उनका विचार था कि कुर्मियों ने हरिजनों पर इसलिए हमला किया कि वे कनुओं को सहायता कर रहे थे। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में रोहतास जिले में हुई कुर्मियों की उस बैठका का हवाला दिया, जिसमें कुर्मी नेताओं ने जोरदार शब्दों में अपने समुदाय के सदस्यों में एकता का अनुरोध किया था। और कुछ निधि भी इकट्ठी की गई थी। श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार, ऐसी बैठक का प्रचार किया जाना चाहिए था। वह बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं थे जिसमें कहा गया था कि यह दो अपराधी गुटों के बीच कुआ संघर्ष था और कुछ प्रमुख दैनिकों के माध्यम गुटों के से यह इच्छा व्यक्त की थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से बिसरामपुर कांड का विस्तृत अध्ययन कराया जाना चाहिए। श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह जातिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि साफ तौर पर कुर्मियों द्वारा हरिजनों तथा अन्यों पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करना था। उनका यह भी विचार था कि इस घटना का कुछ कृषि विवाद संबंधी पृष्ठभूमि भी थी। यह विवाद मनदुरी या जमीनों को काश्त से संबंधित हो सकता है। उनका मत था कि प्रशासन कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने में खास उत्सुक नहीं है।

2. डा० आर० बी० पी० सिंहा

डा० सिंहा ने बताया कि वे पांच भाई हैं और उनके पास करीब 100 बीघा जमीन है। इस जमीन की काश्त के लिए वे ऐसी जातियों को जैसे चमार, कनु, दुसाध और तेली आदि परिवारों को गांव ले आए, उन्होंने इसे अच्छे रख-रखाव वाला गांव बताया। काश्त उनके ट्रैक्टर से की जाती है जो कुर्मियों को हिंसात्मक भीड़ द्वारा की गई घटनाओं में जला दिया गया। डा० सिंहा ने बताया कि वह गांव वालों को चलाने की लागत की अदायगी के एवज में अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने देते थे। डा० सिंहा की बातचीत से ऐसा भी लगा कि वे समय समय पर गांव वालों को कुछ ऋण भी देते रहे हैं, जिनमें कुछ डूब भी गया। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि उनके जिस ट्रैक्टर ड्राइवर की करीब एक वर्ष पूर्व हत्या कर दी गई थी उसे वे पट्टे पर अपनी कुछ जमीन देना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि अपनी हत्या से कुछ दिन पूर्व उनके ड्राइवर ने अपनी जान पर के खतरे के बारे में उन्हें सूचित किया था। डा० सिंहा महसूस करते थे कि इस अपराध के पीछे किसी बहुत चालाक व्यक्ति (जिसका नाम लेने से उन्होंने इनकार कर दिया) का हाथ है। उन्होंने इस घटना की समुचित जांच कराए जाने की इच्छा प्रगट की। डा० सिंहा ने कहा कि गांव को वर्ष के 12 महीने पहुंच में रखने के लिए लगभग आधा किलोमीटर लम्बा मार्ग (चाहे कच्चा ही क्यों न हो) यथा शीघ्र बनाया जाना चाहिए। डॉ० सिंहा ने मृतक हीरा कुर्मी को इस क्षेत्र के राबिन हुड की संज्ञा दी और कहा कि उसके भय के कारण इस क्षेत्र में डकैती नहीं हो सकती है। डा० सिंहा ने कहा कि लल्लन नायक व्यक्ति को छोड़कर गांव के सभी लापता व्यक्ति वापिस लौट आए हैं। बाद में मालूम हुआ कि लल्लन भी लौट आया है। डा० सिंहा ने बताया कि बिशरामपुर में 25 मार्च को कुर्मियों ने आग लगाई थी और ये आग 27 तारीख को शाम तक भी पूरी तरह नहीं बुझाई गई थी। डा० सिंहा ने इच्छा व्यक्त की कि सरकार जिस प्रकार गांव के हरिजन उत्पीड़ितों को कुछ सहायता देने पर विचार कर रही है, उसी प्रकार उनकी (डा० सिंहा की) संपत्ति और उनके ट्रैक्टर की क्षति का भी भरपूर मुआवजा उन्हें दिया जाना चाहिए।

3. डा० आर० ए० पो० सिन्हा, पुलिस के भूतपूर्व महानिरीक्षक

उन्होंने कपासिया डकैती व हत्याकांड का जिक्र किया और बताया कि फरियादी जिसी अपराधी का नाम नहीं ले सका, लेकिन पुलिस ने बंसरोपन को इस मामले में फंसा दिया। उसके घर की तलाशी ली गई और उस गरीब आदमी अपनी बेटी के गौना समारोह के लिए जो भी थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया था पुलिस ने वहां से हटा दिया। बंसरोपन को जमानत पर रिहा नहीं किया गया था। श्री सिंहा के अनुसार, बंसरोपन के पास कोई भूमि नहीं थी और न ही वह अपराधी था। उसकी एक मात्र कमी यह थी कि वह जबान का कड़वा और बेलिहाज था। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि एक बार हीरा कुर्मी उनके पास भी आया था और सिन्हा परिवार को भूमि पर काश्त करने की अनुमति चाही थी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दिनों उन लोगों को बंदूक रखने में अंधाधुंध लायसेंस दिए गए, जिन्होंने सरकार को महसूस अदा किया। श्री सिंह ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि इस क्षेत्र के लोगों का प्रतिशोध प्रधान स्वभाव है, इसलिए अगर सभी अपराधियों को पकड़ने में जरा भी ढील दी गई तो कुछ और व्यक्तियों की हत्या भी की जा सकती है। उन्होंने इसे दो अपराधी गुटों के बीच संघर्ष की संज्ञा नहीं दी, बल्कि कुर्मियों और अन्य समुदायों बीच झगड़ा बना था।

4. श्री बिपिन बिहारी सिंहा, विधायक

उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी पुलिस के सेवा-निवृत्त महानिरीक्षक श्री आर० ए० पो० सिंहा के जरिए मिली कि बिशरामपुर की कुछ दगहयों ने आग लगा दी है। श्री सिन्हा ने कुशधर चमार नामक व्यक्ति भी उनके घर भेजा। उन्होंने बताया कि 26 मार्च 1978 तक भी, डी० आई० जी० (श्री० एल० बी० सिंह) को इस घटना की जानकारी नहीं थी। बाद में, श्री बिपिन बिहारी सिंहा बिहार के राजस्व विभाग के मंत्री श्री शिवनंदन पासवान, एक युवा नेता श्री रघुपति और स्थानीय विधायक श्री शिव पूजन सिंह के साथ दोपहर में डेढ़ बजे दिनार पुलिस थाने पहुंचे, बिशरामपुर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां के निवासी अत्यंत निर्धन हैं। पूरे

*बिशरामपुर गाँव में पक्की ईंटों से बना एक भी मकान नहीं था। खंड विकास अधिकारी (श्री सहाय) ने उन्हें बताया कि बिशरामपूर निवासियों ने खुद अपने घरों को आग लगाई थी। उन्होंने बंसरोपन के घर की दीवारों गोलियों के 26 निशान पाएं। कुछ झोपड़ियों में अभी भी आग लगी हुई थी। दिनार पुलिस थाना लौटते वक्त रास्ते में उनकी भेंट डी०आई०जी० और आयुक्त से हुई। श्री० सिंहा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ कर दोनों अधिकारियों से कह रहा था कि पुलिस के निर्देशों के अनुरूप उसने बिशरामपुर की घटनाओं के बारे में बयान दे दिया है और उसने डी०आई०जी० से प्रार्थना की कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। इस घटना से श्री० बिपिन बिहारी सिंहा को शक हुआ कि सचाई को दबाने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस शायद गवाहों को यातना पहुंचा रही है।

उन्होंने बिशरामपुर में करीब 25 महिलाओं को रोते बिलखते पाया। गांव में 50 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। रामश्रम की मां ने रक्तरंजित वस्त्र पहने हुए थे। श्री बिपिन बिहारी सिंहा को मालूम हुआ कि जब बिसरामपुर गाँव में विनाशलीला चल रही थी, पुलिस गेहूं के खेतों में छुप गई थी। उन्होंने बताया कि बंसरोपन का रिकार्ड अच्छा नहीं था। उन्होंने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर द्वारा विधान सभा में दिए गए भाषण का† हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 18, मार्च 1978 को कोचस गांव में कुर्मियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विधि इक्ट्ठी की गई और कुर्मियों में एकता बनाए रखने की अपील की गई। राज्य मंत्रीमंडल के एक सदस्य (श्री जोगेश्वर मंडल) और श्री भोला सिंह (विधानसभा सदस्य) को भी इस बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया। श्री बिपिन बिहारी सिंहा से अनुरोध किया गया कि वह इस मामलों से संबंधित अंधों की एक प्रति उपलब्ध कराएं। हालांकि उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था, लेकिन बाद पटना में उनके उपलब्ध न रहने के कारण कार्यवाही उनसे प्राप्त नहीं की जा सकी।

श्री बिपिन बिहारी सिंहा का विचार था कि इस घटना के मूल में न तो कोई कृषि संबंधी विवाद था और न ही यह अपराधी दलों के बीच हुआ संघर्ष था। फिर भी, श्री सिंहा का विचार था कि हीरा कुर्मी एक कुख्यात अपराधी था और उसके साथियों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। बंसरोपन का नाम पर्याप्त आधारों के न होने के बावजूद लिया गया था। श्री सिंहा ने पुलिस पर अयोग्यता और उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि सभी पुलिस थानों पर वायरलेस सैट थे और दिनार पुलिस थाने के लिए यह मुश्कील काम नहीं था कि बिना अधिक समय गंवाए वह हम घटना के बारे में संदेश भेज देता।

5. श्री आबिर हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री

27 मार्च, 1978 को स्थानीय विधायक श्री शिवपूजन सिंह ने उन्हें टेलिफोन किया और बिशरामपुर में हुई भयानक घटनाओं की जानकारी उन्हें दी। बिसरामपुर रवाना होने से पूर्व उन्होंने डी०आई० जी० और आई०जी० को टेलिफोन करके घटना के बारे में कुछ जानना चाहा। आई० जी० ने उन्हे सलाह दी कि वे पुलिस की प्रथम रिपोर्ट आने तक इंतजार करें। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से जो उस समय दिल्ली में थे, बात की और अपने कुछ साथियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। रवाना होने से ठीक पहले डी०आई०जी० (सतर्कता विभाग) से कुछ प्रारंभिक सूचना मिली कि बिशरामपुर में 10 घरों को जलाया गया है। वह चार घंटों में दिनार पुलिस थाने पहुंचे और खंड विकास अधिकारी तथा सर्किल अधिकारी से भेंट की। उन्होंने श्री बिपिन बिहारी सिंहा के उस बयान का समर्थन नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि खंड विकास अधिकारी ने कहा है कि बिशरामपुर के गांववालों ने कुछ अपने घरों को आग लगाई थी। डी०आई०जी० और आयुक्त पहले से ही घटनास्थल का दौरा कर चुके थे। बिशरामपुर में उन्हें जितने भी लोग मिले, उनमें से अधिकतर वहां के निवासी नहीं थे उन्होंने यह भी बताया कि यह गलत बयानी है कि पुलिस ने गवाहों को यातनाएं दी, जिस बात का उल्लेख श्री बिपिन बिहारी सिंहा ने अपने बयान में किया था। श्री जाबिर हुसैन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मामले में पुलिस की सांठ गांठ है लेकिन पुलिस पर अयोग्यता का आरोप उन्होंने भी लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष जातियों में जरूरत से ज्यादा उग्रता पनप रही है और कुछ राजनीतिक स्वयं को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं; क्योंकि उनके कोई राजनीतिक सिद्धांत नही है।

6. श्री रामसुन्दर दास, श्रीमति कमला कुमारी सिंहा और श्री बिपिन बिहारी सिंहा के विचार

वे इस बात सहमत नहीं थे कि यह गुंडो के दो दलों के बीच की लडाई थी उन्होंने बताया कि बिशरामपुर गांव की पूरी आबादी आतंकित थी। पूरी आबादी को अपराधी प्रवृत्ति का नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ 500 कुर्मियों की भीड़ ने बिशरामपुर गांव को घेर लिया था। इतनी बड़ी भीड़ को अपराधी नहीं कहा जा सकता। इस झगड़े की जड़ गैर मुजरुआ जमीनों के किसी झगड़े में ही हो सकती है। उनके अनुसार इस क्षेत्र को मजदूरों को खेतिहर मजदूरी सब से कम मिलती थी। कुछ हद तक इसे जातीयता का झगड़ा, अनुसूचि जातियों पर अत्याचार का मामला कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश पीड़ित व्यक्ति हरिजन समुदाय के थे। उन्हें कुर्मा महा सम्मेलन के बारे में भी कुछ संदेह था और उन्होंने सुझाव दिया कि इस कागजों से पूरी छानबीन पुलिस से करानी चाहिए।

(i) श्री राम सुन्दर दास ने बिहार सरकार द्वारा स्थापित हरिजन सैल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके विशेष सचिव के पास बहुत छोटा अमला है, जिसमें एक उप-पुलिस अधीक्षक, दो इन्सपैक्टर, दो लिपिक और दो चपरासी है और इन्हें पूरे बिहार की इस प्रकार की समस्याएं निपटानी होती है। फिर यह सैल मामलों को सीधा नहीं लेता है। मामले फिर उसी पुलिस के पास भेज दिये जाते है, जिसने किसी एक चरण पर ऐसे मामलों में बेरुखी का रवैया अपनाया होता है। इस सैल को मामले सीधे चलाने का अधिकार नहीं है। श्री रामसुन्दर दास ने कहां की सैल को इस प्रकार के पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिएं।

(ii) उन्होंने स्वयं सेवी संगठनों को सहायता देने का सुझाव भी दिया ताकि वे अनुसूचित जातियों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर सके। उनका यह भी सुझाव था कि स्वयंसेवी संगठनों को अतिरिक्त निधियां दी जानी चाहिएं ताकि वे ऐसी घटनाओं को छानबीन कर सके।

(iii) उनका ख्याल था कि बिसरामपुर के ग्रामीण अत्यन्त भयभीत हैं। उनके सम्भावनाओं में स्थिरता और मन में विश्वास पैदा करने के लिए कम से कम छे महीने के लिए एक थाना चौकी गांव में कायम कर देनी चाहिए।

*बिशरामपुर की कुल जनसंख्या 219 है और इनमें 65 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। कनियारी गांवों की कुल जनसंख्या 677 में से 155 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं।

†बिहार विधानसभा की 29 मार्च 1978 की कार्यवाही।

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्य विधायी कल्याण समिति को ऐसे मामलों की छानबीन करने का अधिकार नहीं था और वह केवल आरक्षण के मामलों को ही देख सकती थी। श्री सुंदर दास ने सुझाव दिया कि इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

(v) उन्होंने अनुसूचित जातियों पर किये जाने वाले अत्याचारों के मामलो के बारे में मुख्यमंत्री के जल्दबाजी में किये गये वक्तव्यों की आलोचन को और उन्हें गुंडों के दो दलों की बीच का झगड़ा बताने के उनके प्रयास को अनुचित ठहराया।

7. सूरजपुरा के श्री आर० जी० पी० सिंहा (ज्वाला बाबू)

वे एक बूढ़े व्यक्ति हैं और मुलाकात के समय वे कुछ अस्वस्थ से थे। उन्होंने बताया कि बिसरामपुर की घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों के बारें में, इसके सिवाए वे कुछ नहीं कहना चाहते कि इस घटना की जड़ में बंसरोपन कनु है। उन्होंने घोषित किया कि वे बंसरोपण को छोड़कर किसी और कुर्मा से नहीं डरते। 25 फरवरी, 1978 को बिशरामपुर गांव में उनकी संपत्ति के जो क्षति पहुंची है सरकार द्वारा उसका पूरा मुआवजा देने का उन्होंने आग्रह किया।

रोहतास जिले का दौरा

दल 3 अप्रैल, 1978 की शाम को रोहतास जिले में पहुंचा और वहां 8 अप्रैल, 1978 तक रहा। दल ने बिसरामपुर, कनियारी, कोचास और जलबंयान-चारो गांवों का दौरा किया इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सहायक सुपरिटेन्डेट पुलिस और पुलिस तथा राजस्व के अन्य अधिकारियो, गैर अधिकारी व्यक्तियों तथा गांव वालों से संपर्क किया गया। हीरा कुर्मा की हत्या और बिसरामपुर की घटना के मामलों की डायरियों को भी दल ने देखा।

हरिजनों में भूमिहीनता का प्रकार और कुर्मियों की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति

टुर्का, बिसरामपुर, बामडैया और कनियारी–चार गांवों में खेती योग्य भूमि के स्वामित्व की स्थिति के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रस्तूत है:—

क्रमांक	गांव	खेती योग्य भूमि		कुर्मियों के अधिकार में खेतीयोग्य भूमि		अनुसूचित जातियों में खेतीयोग्य भूमि		अन्य	
		क्षेत्र	सं०	क्षेत्र	सं०	क्षेत्र	सं०	क्षेत्र	सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	टुर्का . .	111.38	40	110.88	39	शून्य	शून्य	0.50	1
2.	बिसरामपुर . .	403.09	132	244.63	65	6.96	4	151.50	63
3.	बाम-डैया . .	163.12	43	87.72	28	4.72	3	70.68	12
4.	कनियारी . .	964.22	343	244.84	62	31.25	11	688.13	270

अनुसूचित जातियों के अधिकांश व्यक्ति मजदूरों के रूप में काम करते थे और उन्हें मजदूरी दैनिक मासिक या वार्षिक आधार पर दी जाती थी। वार्षिक मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्तियों कनिहार बहलाते हैं। उन्हें उनके मालिक दो बीघा जमीन दे देते हैं और इसके एवज में वे अपने मासिक के लिए पूरा साल काम करते हैं। इस जमीन के टुकडों की पैदावार खेतिहर मजदूरों का हिस्सा माना जाता है। फिर बनिहार मजदूर होते है जो पहले से तय पर पैदावार में से बटाई लेते हैं। फिर ऐसे मजदूर होते हैं, भी खेतों से खलिहानों तक पैदावार का बोझा ढोने के भार के अनुसार भुगतान पाते है। 12 या 16 बोझे के पीछे अक्सर उनको एक बोझा मजदूरी में मिलता है। मासिक मजदूरी की दर हैं, 50 रुपये और दो जून का खाना।

बिसरामपुर और कनियारी गांव के कुछ अग्रणी भूस्वामियों के विवरण

गांव	नाम	स्वामित्व
1. कनियारी	श्री हीराप्रसाद सिह राजपूत .	150 बीघा
	श्री हीरा कुर्मा . . .	30 ,,
	श्री शंकरदयाल सिह राजपूत .	30 ,,
	श्री नाथू सिह राजपूत . .	30 बीघा
	श्री भखी सिह राजपूत . .	25 ,,
	श्री बंसीधर चमार . .	30 ,,
2. बिसरामपुर	श्री आर० ए० पी० सिंहा . .	
	बल्द श्री विभूति प्रसाद सिंहा .	8.77 एकड
	डा० आर०वी०पी० सिंहा .	10.31 ,,
	श्री राम गणेश सिंहा . .	
	(ज्वाला बाबू) . .	9.88 ,,
	श्री राम रुद्र प्रसाद सिंह .	9.12 ,,
	श्री आर०एच०पी० सिंहा .	9.15 ,,
	5 भाईयों के नाम से संयुक्त .	5.18 ,,

ज्ञात हुआ कि पिछले तीन बरसों में बिसरामपुर और कनियारी गांवों में केवल पांच व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गयी थी और इन पांच में से तीन व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे। इन दो गांवों में घर और खेतो के लिए आबंटित भूमि का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

बिसरामपुर और कनियारी में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों को भूमि का आवंटन

सं०	भूमि प्राप्तकर्ता का नाम और पता	खाता सं०	चक सं०	क्षेत्र	केस सं०	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सिधूराम दुसाध पुत्र श्री चतर राम गांव कनियारी ।	344	959	0.02 डीसीएम	2/73	और मजरुआ मालिक
			965 (घर के लिए)	0.03 ,,	74	
2.	श्री द्वारका दुसाध पुत्र श्री देवनाथ दुसाध गांव बिसरामपुर ।	122	278 (खेती के लिए)	0.16 ,,	45/78	–वही–
3.	श्री मशरुराम चमार पुत्र श्री सलूकीराम गांव कनियारी ।	344	1308 (खेति के लिए)	0.32 ,,	3/77 78	–वही–
4.	श्री चाबी कहार पुत्र श्री लालचंद कहार गांव बिसरामपुर ।	122	446	0.02 ,,	4/77	–वही–
			445	0.01 ,,	78	
			(घर के लिए)	0.03 ,,		
5.	श्रीमति मौसम्मत मौरजिया पत्नी श्री भगवाद कहार गांव बिसरामपुर ।	37	56	0.26 ,,	5/77	–वही–
			55	0.06 ,,	78	
				0.32 ,,		

दिनारा पुलिस थाने के अन्तर्गत क्षेत्र में बंदूकों के लायसेंस धारी व्यक्ति

दिनारा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में 641 व्यक्तियों के पास बंदूकों के लायसेंस थे । दिनारा पुलिस थाने के अधिकारियों से ज्ञात हुआ कि बिसरामपुर गांव में किसी ग्रामीण के पास बंदूक का लायसेंस नहीं । किन्तु शनिचारी गांव के हीरा कुर्मा बल्द रामधार कुर्मी तथा हीरा सिंह बल्द राम जनम सिंह के पास हथियारों के लायसेंस थे । हीरा सिंह को राइफल संख्या 104841 का लायसेंस 31 दिसम्बर, 1973 में जारी किया गया था, जबकि हीरा सिंह को डी० बी०बी०एल० बन्दूक संख्या : 17540 का लायसेंस 20 जून, 1978 को दिया गया था ।

कुर्मा महासम्मेलन का आयोजन

कोचास नामक गांव में 18 और 19 मार्च, 1978 को कुर्मा महासंमेलन आयोजित किया गया था इसमें आसपास के गांवों में प्रमुख व्यक्तियों ने कुर्मा समुदाय के काफी बड़ी संख्या के एकत्र लोगों के सामने भाषण दिये थे । इतना भी निश्चित है कि इसमें इस समुदाय के सदस्यों के हितों के सुरक्षण के लिए धन भी इक्ट्ठा किया गया था । भारतीय सेना में कुर्मियों की अपनी यूनिट खड़ी करने की मांग भी रखी गयी थी और कुर्मियों में एकता बनाये रखने की बात पर बहुत जोर दिया गया था पता लगा कि कोचास पुलिस थाने ने इस सम्मेलन की गोपनीय रिपोर्ट ससाराम के पुलिस अधीक्षक को भी भेजी थी ।

बिसरामपुर और कनियारी गांव का दौरा

4 अप्रैल, 1978 को इस ग्राम का दौरा किया गया था । बिसरामपुर में बिहार मिलेटरी पुलिस से एक सशस्त्र टुकड़ी तैनात थी, जिसमें श्री रामआसरे नामक एक हवालदार और 4 कान्सटेबुल थे । इस टुकड़ों के पास 1 स्टेनगन और चार राइफलें थीं । इसके बाद इनकी दो नफरी से एक और टुकड़ी तथा रिसालदार के अधीन दस घुड़सवार पुलिस के जवान भी 29 मार्च 1978 से गांव में तैनात थे ।

श्री कुशधर चमार बल्द रामदयाल चमार ने सूचित किया कि उसके पास कुछ भूमि तो अपनी है और इसके अलावा वह सिंहा परिवार के पांच बीघों में भी खेती करता है सिंहा परिवार ने वार्षिक मजदूरी के आधार पर भूखन दुसाध और सुरेश दुसाद को कुछ भूमि दे कर अपने यहां नौकर रखा था । खेतों के व्यस्त मौसम में सिंहा परिवार दैनिक मजदूरों पर हरिजन मजदूर रखता था । बिसरामपुर गांव के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आजीविका पद्धति और उनमें से कुछ की पहुंची क्षति की सूचना नीचे दी गयी हैं :–

क्रमांक	नाम	आजिविका पद्धति	पहुंची क्षति
1.	कुशधर चमार बल्द राम दयाल चमार	पट्टे पर नहर विभाग के चार बीघा जमीन पर खेती डा०आर०बी०पी० सिंहा को 5 बीघा जमीन पर भी खेती	1. एक घर जला । 2. मछली पकड़ने का एक जाल और घरेलू सामान निकाल लिया गया ।
2.	केशो दुसाध बल्द भूखन दुसाद	4 बीघा जमीन अपनी/श्री आर०ए०पी० सिंहा को 2 बीघा और डा० सिंहा की 1-1 बीघा जमीन पर भी खेती ।	1. उसके घर की पांच कोठरियां जल गयी । 2. उसका पिता भूखन दुसाध मारा गया ।
3.	जगदीश दुसाध बल्द भूखन दुसाध	डा० सिंहा की दो बीघा जमीन पर खेती	घर की आठ कोठरियां और एक गाय जल गयी ।
4.	सुरेश दुसाध बल्द केशो दुसाध	डा० सिंहा को 7 कट्टा जमीन पर खेती दूसरे मालिकों के यहां दैनिक मजदूरी पर भी काम करता था ।	घर की तीन कोठरियां जल गयी थी ।
5.	परगन दुसाध बल्द मुहरिका दुसाध	बूढा आदमी दैनिक मजदूरी पर काम करता था	घर की तीन कोठरियां जल गयी ।
6.	दशरथ दुसाध बल्द परगन दुसाध	गांव का चौकीदार, हर तिमाही में 100 रु० मिलते हैं ।	घर की तीन कोठरियां जल गयी ।

क्रमांक	नाम	आजिविका पद्धति	पहुंचि क्षति
7.	द्वारिका दुसाध बल्द देवनाथ	अपनी 3 बोघा भूमि	घर का एक हिस्सा जला और एक भैंस मारी गयी
8.	शिवचरन दुसाध बल्द राजनाथ	डा० सिंहा की जमीन पर काम करता था, लेकिन शारीरिक अशक्तता के कारण दैनिक मजदूरी पर काम कर दिया था ।	घरेलू सामान निकाल लिया गया ।
9.	शंकर दुसाध बल्द राजनाथ	7 कट्टा अपनी जमीन। इसके अलावा राम बिलास बनिए की जमीन पर भी काम करता था ।	घरेलू सामान निकाल लिया गया ।
10.	रामवचन दुसाध बल्द राजनाथ	दैनिक मजदूरी पर काम	एक घर जल गया ।
11.	बुद्धू दुसाध	दैनिक मजदूरी पर काम	एक घर जल गया ।
12.	अलगू दुसाध बल्द रामजगो दुसाध	3 बोघा अपनी जमीन	साइकिल, कपड़े वगैरह निकाल लिये गये । छरों से घायल और ससाराम अस्पताल में दाखिल ।
13.	केदार दुसाध बल्द रामजनम दुसाध	दैनिक मजदूरी पर	घर की पांच कोठरियां जल गयी, 3 बकरियां मारी गयी, घरेलू सामान और धान उड़ा लिया गया ।
14.	नगीना डोम	टोकरियां बनाने का काम	अनाज और बर्तन उड़ा दिये गये ।

बिसरामपुर गांव के ग्रामीणों के आपराधिक कार्यकलापों के बारे में केवल इतना ही पता चला कि हीरा कुर्मा की हत्या के मामले में जगदीश दुसाध बल्द भुखन दुसाध का नाम आया था । बिसरामपुर के गांव वालों और अखौरी गांव के कुछ कुर्मियों के बीच एक पोखर के किनारे की लगभग 7 एकड़ गैर मजरुआ मालिक जमीन के फैसले को लेकर होने वाले झगड़े का जिक्र आया । पता चला कि किसी समय यह भूमि सिंहा परिवार और कुछ राजपूतों के कब्जे में रही थी । इस जमीन में सिंहा परिवार का एक रुपए में से 6 आने और राजपूतों का दस आने का हिस्सा था । बाद में यह भूमि सरकार के अधिकार में आ गयी थी । बिसरामपुर के हरिजन कान, कहार जैसी जातियों के लगभग 20 व्यक्तियों ने दशहरा के समय दिनारा के सर्किल अधिकारी को इस जमीन के व्यवस्थापन के लिए आवेदन दिये थे । किंतु जब दिनारा के सर्किल अधिकारी से इस विषय में संपर्क किया गया तो उसने इंकार किया कि बिसरामपुर गांव के लोगों से प्राप्त इस प्रकार के किसी आवेदन की उन्हें कोई जानकारी नहीं । खैर अवध बिहारी दास नाम के एक यादव ने इस भूमि पर एक कच्चो झोपड़ी डाल ली थी, किंतु कुछ कुर्मियों (रामआसरे राय, सरजू राय, श्याम सुन्दर राय, राम दयाल राय, इन्दर दया राय, अंतू राय, विक्रमराय, रामपति राय, रामजो राय, आदि) ने हथियार बन्द हमला किया और इस झोपड़े को गिरा दिया था । बताया गया कि इस मामले की सूचना गांववालों ने पुलिस को भी दी किंतु उनके पास इस अर्जी से कोई नकल नहीं थी । पुलिस ने अपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत दिनारा पुलिस थाने में बिसरामपुर गांव के 19 और अखौरी गांव के 21 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था । इस मामले पर एस०डी० ओ० को अदालत में दो महीने बाद समझौता हो गया था ।

ज्ञात हुआ था कि बिसरामपुर गांव के अनुसूचित जाति के कुछ मजदूर आस पड़ोस के गांवों में कुर्मियों की जमीनों पर काम करते थे । एक झलकू दुसाध बल्द रामबचन दुसाध अखौरी गांव के किसी रामनरेश राय के घर में काम करता था, किन्तु बिसरामपुर की घटना के बाद उसने उसके यहां काम करना बन्द कर दिया था । रामनरेश दुसाध बल्द दशरथ दुसाध अखौरी गांव के सत्यनारायण कुर्मा के यहां तब भी काम करता बताया गया । इन लोगों को 50 रुपए महीना, खाना और कपड़ा मिलता था ।

पता चला कि एक कनियारी गांव के रामाचनण चमार का किसी हरी शंकर पांडे के साथ मजदूरी पर झगड़ा था । वह मजदूर 4 दिन के काम के 16 रुपए मांग रहा था । संबंधित अधिकारियों को इस मामले की रिपोर्ट कनियारी गांव के अनुसूचित जाति किसी शिक्षित व्यक्ति ने दी । अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामले का आपसी समझौता हो गया । किंतु अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों बताया कि ऊंची जाति के लोगों ने इस घटना को अपनी मानहानि के रूप में लिया और उनमें से कई को यह कहते सुना गया कि अनुसूचित जाति के इन व्यक्तियों को ठीक करने के लिए कनियारी गांव में भी बिसरामपुर वाली बारदात करनी पड़ेगी ।

यह भी बताया गया कि तीन वर्ष पहले अखौरी गांव के कुछ हरिजनों ने सासाराम के श्रम इन्सपैक्टर से अपने कुर्मा मालिकों के खिलाफ कम मजदूरी देने को शिकायत की थी । किंतु कुर्मा (केदार राय, भगवानराय, मुक्तेश्वर राय, रामबदन राय और सीताराम राय) इस पर गुस्सा हो उठे थे । कुर्मियों की तरफ से हीरा चौधरी ने अपने कुछ कुर्मा साथियों के साथ मिलकर, सुख बिलास नामक एक हरिजन की हत्या कर दी थी और मनका चमार और चन्द्रमा को घायल कर दिया था । उन्होंने जलवायन गांव में गैर मजरुआ मालिक भूमियों पर, खेती के मामले को लेकर, हरिजनों और राजपूतों के बोच कुछ और झगड़ों का भी उल्लेख किया ।

गांव में अध्ययन दल ने देखा कि कुर्मियों की भीड़ ने घरों को अन्धाधुंध आग नहीं लगायी थी । बिसरामपुर के जिन गांव वालों से उनकी अदालत थी । शायद उसी के अनुसार उन्होंने चुनचुन कर घरों को आग लगाया थी । उदाहरणार्थ, बुद्धू दुसाध, शंकर दुसाध और विवचन दुसाध के घरों को छुआ तक नहीं गया था । जबकि बाकी सभी घरों में आग लगा कर वहां का सामान लूट लिया गया था । बसरोपण कानु की पत्नी श्रीमति तिलेश्वरी देवी ने बताया कि उसके घर पर हमले के समय वह श्री आर० ए०पी० सिंहा की चावनी में छुप गयी थी । किंतु बसरोपण के माता पिता को कुर्मियों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था । वह अपने सांस ससुर के हत्यारों में कनियारी गांव के हरी शंकर पांडे, समुहरी गांव के भोला चौधरी और अखौरी गांव के निहोरा राय का नाम ही बता सकी ।

जिन व्यक्तियों के घरों को आग लगायी गयी

1. डा० आर०बी०पी० सिंहा	12. शिवबचन कहार
2. अवध बिहारी दास	13. सुरेश दुसाध
3. द्वारिका दुसाध	14. रामबचन दुसाध
4. परगन दुसाध	15. केदार दुसाध
5. भूखन दुसाध	16. परयाग कानु
6. बसन्त दुसाध	17. बंसरोपण कानु
7. केशो दुसाध	18. तिमिल कानु
8. दशरथ दुसाध	19. बदन कहार
9. जगदीश प्रसाद दुसाध	20. बद्री कहार
10. केशव दुसाध	21. नौथुरा कानु
11. कुशधर दुसाध	22. सीतल कहार

जिन व्यक्तियों के घरों को आग नहीं लगायी गयी	
1. बुद्धु दुसाध	3. शिवबचन दुसाध
2. शंकर दुसाध	4. अलगू दुसाध

कनियारी गाँव में मृतक हीरा कुर्मी के चाचा श्री जगदीश प्रसाद कुर्मी ने बताया कि हीरा कुर्मी की मृत्यु के समय उसके पास कनियारी गांव में 30 बीघा भूमि थी, जबकि 40 वर्षीय बसरोपण के पास बिसरामपुर में ज़रा सी भी जमीन नहीं थी और वह पिछले बीस बरसों से सिंहा परिवार के जमीनों को देखभाल कर रहा था उन्होंने बताया कि सोनार, कहार जातियों के कुछ व्यक्ति उनके खेतों पर काम करते थे और बदले में उन्हें उनके अपने इस्तेमाल के लिए जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने को छूट और रखी थी। उनका आरोप था कि अनुसूचित जाति के दो व्यक्ति बंसीधर चमार और गुप्तेश्वर चमार हीरा कुर्मी के हत्यारों में से थे। हीरा कुर्मी की हत्या के बारे में पुलिस के पास शिकायतें पहुंचाने वालों में से एक विश्वनाथ सिंह था। उस ने बताया कि मामलें के शुरु दौर में उसने इन दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं किया था, क्यों कि 25 मार्च, को ऐसी बातों के बारे में सोचने के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।

श्री बासुदेव पांडे कनियारी गांव के पुराने निवासी थे और वे अध्यापक और डाकबाबू का काम करते थे। उन्होंने स्वर्गीय हीरा कुर्मा की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह सामाजिक कार्यकलापों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क से उनके गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण और कनियारी गांव में पुस्तकालय की स्थापना जैसे मामलों में हीरा चौधरी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और कनियारी गांव के लोग इस के लिए उसके बहुत आभारी थे।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने गांव में मंदिरों में और आम दावतों वगैर में अपने साथ बरते जाने वाले भेदभाव की शिकायत की किन्तु चाय की दुकानों आदि पर छुआछूत की किसी घटना का उन्होंने जिक्र नहीं किया। पीने के पानी की व्यवस्था से वे संतुष्ट प्रतीत होते थे अधिकांश अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में सचेत नहीं थे अनुसूचित जाति का सब से अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति जलवायन गांव का था और वह भी तीसरी श्रेणी तक पढ़ा था। कनियारी गांव में स्थिति कुछ बेहतर थी। वहां का एक व्यक्ति स्नातक स्तर तक शिक्षित था और रांची में डाक विभाग में कर्मचारी था।

राहत उपाय

30 मार्च, 1978 को लोक सभा में गृह मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान कर दिया गया था। घर बनाने के लिये भी हर परिवार को 500 रुपए से 1,000 रुपए तक दे दिये गये थे। आटा, चावल, कपड़े और कंबल भी बांटे गये थे और अस्थायी आवास के लिए उन्हें टेरापालिन की चादर वगैरह दी गयी थी।

किंतु सासाराम के कलक्टर श्री बसन्त प्रसाद से ज्ञात हुआ कि 7 अप्रैल, 1978 तक कोई नकद भुगतान नहीं हुआ था। यह भी बताया गया कि पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को भूमि-आबंटन कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, हालांकि कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में लिखा था कि इस घटना में जिन हरिजन परिवारों के संबंधी मारे गये हैं, उन्हे भूमि देने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

25 मार्च को बिसरामपुर गांव में स्थिति से निपटने में पुलिस का जो योग रहा वह वास्तव में निन्दनीय था। उन्होंने दिनारा पुलिस थाने से घटना स्थल पर पहुंचनेमें अनावश्यक रूप से अधिक समय लगाया था और वहां पहुंचने के बाद भी हमलावरों की हिंसा से, बिसरामपुर के गांव वालों को बचाने के लिए, कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। वास्तव में बिसरामपुर में हमलावरों ने जो आग 25 तारीख को लगायी थी, वह अगले दिन तक जलती रहने दी गयी थी बताया गया कि इसके विपरीत वे अपनी जान बचाने के लिए खेतों में छुप गये थे। कुमक आने के बाद भी हमले में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से वे केवल दो अपराधियों को ही पकड़ा जा सकता था।

लगता यह है कि बिसरामपुर की घटना की रिपोर्ट के मामले में कुछ कुछ पक्षों की ओर से इस दुखड़ घटना को और रंग देने के प्रयास किये गये हैं। किंतु तटस्थ गांव और बारीकी से देखें तो इस घटना के पीछे अनेक कारण रहे हैं। इसे बदमाशों के दो दलों के बीच का झगड़ा कहना कुछ सीमा तक ही सही ठहर सकता है क्योंकि बिहार सरकार इस घटना से संबंधित 500 या 600 व्यक्तियों में से केवल 4 या 5 के खिलाफ ही अपराध के कुछ मामले गिना सकी है। फिर वे मामले भी अदालत में साबित नहीं हो पाये थे। दूसरी तरफ इस घटना में चार व्यक्तियों की हत्या हुई थी और बड़े पैमाने पर संपत्तियों की क्षति हुई थी और राज्य विधान सभा और लोकसभा तक में इसकी प्रतिक्रिया गूंजी थी फिर कुछ प्रमुख व्यक्तियों और सिंहा परिवार के सदस्यों से हमारी जो बातचीत हुई, उसके आधार पर तो इसे बदमाशों के दो दलों के बीच झगड़े की संज्ञा देना और भी कठिन होगा। उदाहरणार्थ, डा० आर०वी०पी० सिंहा ने बताया कि राजनगम दुसाध की हत्या के मामले, प्रथम सूचना रिपोर्ट में हीरा कुर्मा और उसके साथियों का नाम जोड़ कर, पुलिस को गलत मार्ग पर डालने के निश्चित प्रयास किये गये थे, जबकि इस अपराध के लिए गांव के दूसरे आदमियों को जिम्मेदार माना जा रहा था। सिंहा परिवार के दूसरे भाई ने बसरोपण कानु की बहुत प्रशंसा और हीरा कुर्मा की निन्दा की, जबकि तीसरे भाई ज्वाला बाबू ने बताया कि यह पूरी घटना बसरोपण कानु की बदमाशी की हरकतों के कारण घटित हुई थी। उन्होंने हीरा कुर्मा का नाम तक नहीं लिया परस्पर विरोधी धारणाओं के कारण इस विषय में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि हीरा कुर्मा की हत्या का षडयंत्र रचने वाला और बिसरामपुर गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का तथा कथित नेता, बसरोपण कानु वास्तव में गुंडा था या गरीबों का रक्षक था। इस बारदात को गुंडों के दो दलों के बीच की लड़ाई सिद्ध करने तथ्य को पुष्टि के लिए बिहार सरकार को साथ साथ यह भी बताना चाहिए था कि उस क्षेत्र में गुंडों के कौन कौन से दल सक्रिय थे, उनको पुरानी गतिविधिया क्या रही थीं और यह दल कैसे बने थे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कुर्मियों ने अपने को जाति के आधार पर संगठित कर रखा था और उनमें से कुछ का आपराधिक रिकार्ड भी रहा था। हो सकता है कि अनुसूचित जातियों से इतर जातियों के कुछ व्यक्तियों से बदला लेने के लिए कुर्मियों ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी आतंकित करने का इसे अच्छा मौका समझा होगा। उपरोक्त सभी बातों और उन प्रमुख व्यक्तियों, जो इसे मात्र जातिगत झगड़ा कहना पसंद नहीं करते, से हुई बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि यह झगड़ा कुर्मियों द्वारा हरिजनों और अन्य वर्गों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास था।

यह सभी मानते है कि इस जिले में बहुत अपराध होते हैं और बहुत सी हत्याओं की तो दर्ज तक नहीं कराया जाता। अधिकारी तक स्वीकार करते हैं कि गांव वालों के पास बगैर लायसेंस के बंदूकें हैं, किन्तु इस का कोई रिकार्ड नहीं है कि बिसरामपुर के गांव वालों के यहां से इस तरह के हथियार बरामद हुए थे या नहीं बिसरामपुर गांव मे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के झोपड़े जला दिये गये थे। किंतु इस गांव से किसी लायसेंस बंदूक के बरामद होने का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। घटना के शिकार व्यक्तियों को गुंडो के दल का सदस्य कहने से पहले सरकार को घर-घर की तलाशी करा लेनी चाहिए थी ताकि पता चल जाता कि किन किन व्यक्तियों के पास पाई गयी लायसेंस रहित बंदूकें थी।

उपरोक्त तथ्यों के बारे में स्पष्ट और निश्चित प्रमाणों के अभाव में, बिसरामपुर गांव के अनसूचित जाति के व्यक्तियों को गुंड कट की ओर इस बारदात को गुंडों के दलों के बीच का झगड़ा बता कर पीड़ित लोगों के दुखों को छोटा करके दिखाने का क्या औचित्य है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बिसरामपुर गांव के अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्ति अपराधी नहीं थे, बल्कि उस कुर्मा समुदाय के सदस्यों के शिकार थे, जिनका हित उन्हे अपने दबाव में रखने में था ताकि वे भूमि आबंटन था अधिक मजदूरी के लिए अपनी आवाज बुलन्द न कर सके।

यह घटना कुछ सीमा तक भूमि संबंधी उन तनावों से भी जुड़ी हुई थी, जो कुर्मा समुदाय के भूस्वामियां और अनुसूचित जातियों के मजदूरों के बीच झगड़ों के कारण चले आते थे। कुछ भूमि और कुछ मजदूरी संबंधी झगड़े वहां बराबर बने रहे थे। कभी मजदूरी के भुगतानों का समझौता करते समय अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से कुर्मा जमीदारो ने मार डाला था। किन्तु यह कहना सही न होगा कि बिहार की पिछली सरकार मे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो कुछ भूमि बांटी थी, उसी के कारण पिछड़ी जातियों के सदस्यों में रोष था। वस्तुस्थिति यह है कि इन गांवों में अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास नाम का कोई प्रयत्न किया ही नहीं गया है, जबकि कहा यह जाता रहा है कि समय समय पर भूमि आबंटन जैसे अभियान चलाये गये हैं। फिर यह कहना भी इतना ही गलत है (जैसा कि कुछ समाचारपत्रों में छपा है) कि बिसरामपुर गांव के अनुसूचित जाति के 65 व्यक्ति अभी तक लापता हैं। बिहार सरकार ने मृतकों और घायलों की संख्या सही सही घोषित की है।

इस घटना ने जातिगत झगड़े का रूप कुछ हद तक तब लिया था, जब हीरा कुर्मा की हत्या के बाद पास के गांवों उसकी जाति के लोग इकट्ठा हो गये थे ताकि बिसरामपुर के गांव वालों को दंडित किया जा सके, क्योंकि हीरा कुर्मा की हत्या के लिए वे उन्हे ही दोषी मान रहे थे। बिसरामपुर गांव वालों के खिलाफ कुर्मियों के इस संयुक्त जिहाद के पीछे कोचास गांव में हुए कुर्मा महा सम्मेलन का भी कुछ हद तक योग हो सकता है, जिसमें उनके नेताओं ने अपने समुदायों के हितों की रक्षा के लिए सभी कुर्मियों को एक जुट रहने का आवाहन किया था और इस काम के लिए धन भी इकट्ठा किया था।

बिहार सरकार ने बिसरामपुर की घटनाओं को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार का मामला मानने से इंकार कर दिया है। उन्होंने इस तर्क का सहारा लिया है कि बिसरामपुर गांव में हुई चार हत्याओं मे से दो हत्याएं गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हुई हैं। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि बिसरामपुर गांव की आबादी में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की काफी बड़ी संख्या है और उनमे से कुछ पास के गांवों के कुर्मियों की जमीनों पर काम कर रहे थे और कुछ का मजदूरी के बारे में उनसे कुछ झगड़े भी वैसे भी यह बात सभी जानते हैं कि हमारे देश के देहातों में अनुसूचित जाति के लोग अन्य जातियों के साथ साथ बिखरे हुए है और इस कारण अन्य समुदायों के साथ उनके हितों का संयुक्त और संबंधित होना अनिवार्य है इस कारण यह तर्क दे कर कि इन व्यक्तियों में से कुछ गैर अनुसूचित जातियों के थे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि यह घटना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटना नहीं थी।

अन्त में यहीं कहना है कि बिहार सरकार हताहत व्यक्तियों के पीड़ित परिवारों को मुआवजे की रकम तुरंत देने की व्यवस्था करें। सरकार को अनुसूचित जातियों के उन परिवारों को भूमि देने के मामले पर विचार करना चाहिए, जिनके संबंधी इस दुखद घटना की भेंट चढ़ गए हैं।

परिशिष्ट 49

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 5.48)

1977-78 के दौरान एस०एफ०डी०ए०/एम०एफ०एल०ए० एजेन्सियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छोटे/उपांतिक किसानों, खेतिहर मजदूरों को प्राप्त लाभों को बताने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	एजेन्सी का नाम	लाभ भोगियों की संख्या				1977-78 के दौरान किया गया व्यय			
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य	योग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एस०एफ०डी०ए०, करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)	1,301*	..	3,237	4,538	2.16*	..	8.69	10.85
2.	एस०एफ०डी०ए०, वारंगल (आंध्रप्रदेश)	1,126*	..	1,536	2,662	27.97*	..	45.59	73.56
3.	एस०एफ०डी०ए०, विशाखापट्नम (आंध्र प्रदेश)	1,418	अ	अ०	1,418	5.15	अ०	अ०	5.15
4.	एस०एफ०डी०ए०, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	2,387	288	3,226	5,901	10.42	1.28	17.57	29.27
5.	एस०एफ०डी०ए०, गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	711	215	1,301	2,227	3.56	0.69	4.53	8.78
6.	एस०एफ०डी०ए०, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)	1,108	787	2,645	4,540	4.84	3.87	14.50	23.21
7.	एस०एफ०डी०ए०, कृष्णविजयवाडा (आंध्र प्रदेश)	430	67	2,307	2,807	2.54	0.58	10.05	13.17
8.	एस०एफ०डी०ए०, खम्माम (आंध्र प्रदेश)	2,017	1,346	4,311	7,664	14.61	11.95	36.84	63.40
9.	एस०एफ०डी०ए०, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)	894	अ०	3,812	4,706	14.35	अ०	99.20	113.55
10.	एस०एफ०डी०ए०/एम०एफ०एल०ए०, कर्बी अंगोलांग, दीफू (आसाम)	..	1,682	अ०	1,682	..	2.09	अ०	2.09
11.	एस०एफ०डी०ए०, पश्चिमी चम्पारण (बिहार)	7,371	169	37,569	45,109	0.36	अ०	अ०	4.90
12.	एस०एफ०डी०ए०, नालन्दा, बिहारशरीफ(बिहार)	8,511	..	31,288	39,799	0.65	..	20.77	21.42
13.	एस०एफ०डी०ए०, पूर्णिया (बिहार)	194*	..	2,523	2,717	1.75*	..	17.03	18.78
14.	एस०एफ०डी०ए०, समस्तीपुर (बिहार)	1,372	..	6,716	8,088	1.06	1.79	21.43	22.49
15.	एस०एफ०डी०ए०, संथाल परगना, दूमका (बिहार)	981	8,424	3,455	12,860	0.22	1.18	0.96	2.97
16.	एस०एफ०डी०ए०, सिंहभूम, जमशेदपुर (बिहार)	83	673	358	1,114	0.41	0.14	2.21	3.80
17.	एस०एफ०डी०ए०, गिरडीह (बिहार)	120	80	965	1,165	0.21	अ०	15.73	16.08
18.	एस०एफ०डी०ए०, मधुबनी (बिहार)	201	..	3,135	3,336	अ०	67.37	अ०	अ०
19.	एस०एफ०डी०ए०, सूरत (गुजरात)	641	4,324	2,808	7,773	2.24	अ०	6.69	25.30
20.	एस०एफ०डी०ए०, बडोदरा (गुजरात)	2,662	50	7,556	10,268	4.89	अ०	30.02	64.38
21	एस०एफ०डी०ए०, भड़ौच (गुजरात)	3,043*	..	2,021	5,064	10.32*	..	12.37	22.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	एस०एफ०डी०ए०, वलसाड (गुजरात)	251	4,089	3,248	7,588	अ०	..	अ०	अ०
23.	एस०एफ०डी०ए०, हिसार (हरियाणा)	2,800	..	12,363	15,163	12.80	..	23.36	36.16
24.	एस०एफ०डी०ए०, गुड़गांव (हरियाणा)	1,292	..	27,879	4,171	11.31	..	27.56	48.87
25.	एस०एफ०डी०ए०, अम्बाला (हरियाणा)	1,905	..	7,448	9,353	14.25	..	41.20	55.45
26.	एस०एफ०डी०ए०, जम्मू	636	..	1,774	2,410	1.32	..	4.96	6.28
27.	एस०एफ०डी०ए०, क्विलोन (केरल)	3,150*	..	7,092	10,242	7.64*	..	30.07	37.71
28.	एस०एफ०डी०ए०, त्रिचूर (केरल)	4,507*	..	14,542	19,049	अ०	..	अ०	अ०
29.	एस०एफ०डी०ए०/एम०एफ०एल०ए०, हसन (कर्नाटक)	856*	..	4,062	5,918	2.51*	..	9.93	12.44
30.	एस०एफ०डी०ए०, बेल्लारी (कर्नाटक)	1,593*	..	13,674	15,267	1.22*	..	8.24	9.46
31.	एस०एफ०डी०ए०, तूमकुर (कर्नाटक)	1,736*	..	2,506	22,242	3.04*	..	अ०	3.04
32.	एस०एफ०डी०ए०, शिमोगा (कर्नाटक)	1,708	511	3,495	5,714	1.37	0.56	6.01	7.94
33.	एस०एफ०डी०ए०, कारवाड़, एन०के० (कर्नाटक)	221*	..	2,974	3,195	0.57*	..	9.76	10.33
34.	एस०एफ०डी०ए०/एम०एफ०एल०ए०, सिहोर रायसेन भोपाल (म०प्र०)	1,335*	..	14,595	15,930	1,11*	..	17.09	18.20
35.	एस०एफ०डी०ए०, उज्जैन (म० प्र०)	3,317*	..	8,690	12,007	18.79*	..	अ०	अ०
36.	एस०एफ०डी०ए०, सतना (म०प्र०)	3,584	..	12,434	19,766	अ०	अ०	अ०	अ०
37.	एस०एफ०डी०ए०, छिंदवाड़ा (म०प्र०)	1,325	1,986	1,787	5,098	7.58	11.32	28.32	47.13
38.	एस०एफ०डी०ए०, सरगुजा (म०प्र०)	1,978	158	1,582	3,811	0.41	2.66	4.31	7.38
39.	एस०एफ०डी०ए०, परभनी (महाराष्ट्र)	712*	..	3,338	4,050	2.11*	..	18.50	20.61
40.	एस०एफ०डी०ए०, रत्नागिरि (महाराष्ट्र)	551*	..	3,395	3,946	0.95*	..	6.44	7.39
41.	एस०एफ०डी०ए०, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	998*	..	1,839	2,837	4.45*	..	9.00	13.45
42.	एस०एफ०डी०ए०, चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	156	174	542	872	0.62	0.62	2.45	3.69
43.	एस०एफ०डी०ए०, थाणे (महाराष्ट्र)	202	642	1,599	2,443	0.62	3.40	14.43	18.45
44.	एस०एफ०डी०ए०, सातारा (महाराष्ट्र)	709*	..	6,611	7,320	1.88*	..	19.09	20.97
45.	एस०एफ०डी०ए०, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	696*	..	2,622	3,318	2.38*	..	8.68	12.25
46.	एस०एफ०डी०ए०, मणिपुर	507	4,226	1,297	6,030	0.36	8.88	2.45	11.78
47.	एस०एफ०डी०ए०, कोहिमा (नागालैंड)	..	12,843	अ	12,843	..	23.83	अ०	23.83
48.	एस०एफ०डी०ए०, अमृतसर फिरोजपुर (पंजाब)	1,164*	..	4,913	6,577	14.29*	..	18.30	32.59
49.	एस०एफ०डी०ए०, जालंधर कपूरथला (पंजाब)	997	..	3,537	4,534	6.88	..	20.06	26.94
50.	एम०एफ०एल०ए० विकास एजेंसी अजमेर (राजस्थान)	293	48	1,211	1,552	1.05	0.20	4.96	6.21
51.	एस०एफ०डी०ए०, उदयपुर (राजस्थान)	1,496	..	4,270	5,766	14.45	..	25.87	40.32

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	एजेंसी का नाम	लाभ भोगियों की संख्या				1977-78 के दौरान किया गया व्यय			
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य	योग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	एस०एफ०डी०ए०, त्रिचरापल्लि (तमिलनाडु)	902	746	6,114	7,762	2.11	1.96	17.03	21.10
53.	एस०एफ०डी०ए०, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	368	7	6,855	7,230	0.90	0.20	15.25	16.17
54.	एस०एफ०डी०ए०, कांचीपुरम (तमिलनाडु)	1,012*	..	10,054	11,066	1.90*	..	16.79	18.69
55.	एस०एफ०डी०ए०, तंजौर (तमिलनाडु)	839	..	6,517	7,356	1.27	..	15.34	16.61
56.	एस०एफ०डी०ए०, कायम्बट्टूर (तमिलनाडु)	532*	..	12,712	13,244	2.05*	..	21.79	23.84
57.	एस०एफ०डी०ए०, मदुराई (तमिलनाडु)	3,893*	..	24,154	28,047	5.65*	..	20.37	26.02
58.	एस०एफ०डी०ए०, चेंगम उत्तरी अकीर (तमिलनाडु)	2,365	237	9,277	11,879	6.40	0.64	24.87	31.91
59.	एस०एफ०डी०ए०, कुड्डालोर, दक्षिणी अकीर, (तमिलनाडु)	578*	..	28,244	28,822	0.70 *	..	19.89	20.59
60.	एस०एफ०डी०ए०, सेलम (तमिलनाडु)	1,355*	..	17,230	18,575	1.46 *	..	25.05	26.51
61.	एस०एफ०डी०ए०, तुनेवल्ली (तमिलनाडु)	1,427*	..	6,802	8,229	3.68 *	..	13.67	17.35
62.	एस०एफ०डी०ए०, कृष्णानगर अगरतला (त्रिपुरा)	10,484	18,734	17,204	46,422	2.03	2.13	5.08	9.24
63.	एस०एफ०डी०ए०, लखीमपुरखेरी (उत्तर प्रदेश)	3,499*	..	अ०	3,499	4.36 *	..	अ०	4.36
64.	एस०एफ०डी०ए०, बरेली (उत्तर प्रदेश)	1,565	..	4,497	6,062	4.09	..	9.91	14.00
65.	एस०एफ०डी०ए०, बलिया (उत्तर प्रदेश)	3,184	..	13,477	16,661	5.18	..	27.34	32.52
66.	एस०एफ०डी०ए०, उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	4,195	..	7,572	11,767	3.68	..	9.67	13.35
67.	एस०एफ०डी०ए०, मथुरा (उत्तर प्रदेश)	837	..	2,572	3,409	5.02	..	14.07	19.09
68.	एस०एफ०डी०ए०, गढ़वाल, कोटदेवार (उत्तर प्रदेश)	363*	..	4,772	5,135	1.14*	..	8.79	9.93
69.	एस०एफ०डी०ए०, हरदोई (उत्तर प्रदेश)	5,300	..	6,209	11,409	8.87	..	अ०	8.87
70.	एस०एफ०डी०ए०, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	2,336*	..	7,926	10,262	7.35*	..	33.26	40.61
71.	एस०एफ०डी०ए०, खलीलाबाद (उत्तर प्रदेश)	2,165	..	6,839	9,004	2.81	..	17.99	20.80

परिशिष्ट 49—जारी

(रुपए लाखों में)

1	2	3		4	5	6	7	8		9	10
72.	एस०एफ०डी०ए०, मेरठ (उत्तर प्रदेश) . .	..	4,047*	..	8,019	12,066	..	14.84*	..	26.22	41.06
73.	एस०एफ०डी०ए०, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) .	..	2,99*	..	13,769	14,068	..	0.79*	..	30.21	31.00
74.	एस०एफ०डी०ए०, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) .	..	4,102*	..	10,520	14,622	..	5.81*	..	21.18	26.99
75.	डी०पी०ए०डी०/एस०एफ०डी०ए० बांकुडा (पश्चिमी बंगाल)	259	..	17	595	871	1.27	..	0.11	2.96	4.36
76.	एस०एफ०डी०ए०, 24 परगना (पश्चिमी बंगाल) .	3,749	..	322	16,294	20,365	..	3.09*	..	13.96	17.05
77.	एस०एफ०डी०ए०, तीमारपुर (दिल्ली) . . .	1,028	..	..	1,867	2,895	5.29	..	..	10.41	15.70
78.	एस०एफ०डी०ए०, गोवा (गोवा, दमन और दीव) .	..	27*	..	5,734	5,761	..	0.08*	..	14.94	15.02
	योग .	98,272	51,169*	66,593	570,913	786,936	187.45	156.04*	96.27	11.71.33	1,645.45
		12.48%	0.65%	8.46%	72.54%	100%	11.36%	9.48%	5.83%	71.18%	100%

7 *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त ।

अ० का तात्पर्य 'उपलब्ध नहीं' है ।

परिशिष्ट 50

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 6.5)

1977–78 के वर्ष के दौरान जयपुर और डूंगरपुर जिलों में सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन

	सामान्य			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	लड़के	लड़किया	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला जयपुर									
(कन्या विद्यालय)									
पहली से पांचवी श्रेणी .	7,417	19,286	26,703	638	893	1,531	179	277	456
छटी से आठवीं श्रेणी .	154	11,262	11,416	18	188	206	1	30	31
नवीं से ग्यारहवीं श्रेणी .	..	7,647	7,647	..	70	70	..	16	16
डूंगरपुर जिला									
(सभी विद्यालय)									
पहली से पांचवी श्रेणी .	37,712	12,118	49,830	1,508	355	1,863	19,969	3,525	23,494
छटी से आठवीं श्रेणी .	7,837	1,609	9,446	282	21	303	1,584	120	1,704
नवीं से ग्यारहवीं श्रेणी .	4,319	648	4,967	175	3	178	1,246	50	1,296
	49,868	14,375	64,243	1,965	379	2,344	22,799	3,695	26,494

परिशिष्ट 51

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 6.15)

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कन्या-छात्रावासों की योजना के अधीन 1976–77 वर्ष में किया गया व्यय और 1977–78 के लिए प्रदत्त परिव्यय

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1976-77 के दौरान किया गया व्यय (पूर्वानुमानित)	1977-78 के दौरान परिव्यय
आन्ध्र प्रदेश . .	8.25	14.50
आसाम . .	4.00	4.75
बिहार . .	3.00	3.50
गुजरात . .	3.30	9.00
हरियाणा . .	0.30	0.50
हिमाचल प्रदेश . .	1.80	1.40
जम्मू और कश्मीर .	2.20	1.25
कर्नाटक . .	1.85	1.85
केरल . . .	2.25	28.00
मध्य प्रदेश . .	3.90	47.40
महाराष्ट्र . .	2.50	3.80
मणिपुर . .	1.00	1.25
मेघालय . .	0.75	..
नागालैंड . .	0.50	..
उड़ीसा . .	5.75	4.50
पंजाब . . .	0.50	0.80
राजस्थान . .	4.55	6.36
तमिलनाडु . .	4.35	3.44
जयपुर . . .	1.50	2.00
उत्तर प्रदेश . .	7.25	4.35
पश्चिमी बंगाल . .	10.50	10.20
दादरा और नगर हवेली .	2.00	..
दिल्ली . .	1.50	..
मिजोरम . .	2.50	2.00
पांडिचेरी . .	1.00	..

परिशिष्ट 52

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 6.21)

1976–77 के दौरान पंजाब में अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रदत्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का जातिवार आवंटन बताने वाला विवरण

क्रम सं०	जाति का नाम	जनसंख्या	स्नातक		स्नातकोत्तर		व्यावसायिक/तकनीकी विषय के छात्रों की संख्या	
			कुल संख्या	प्रति 10,000 व्यक्ति	संख्या	प्रति 10,000 व्यक्ति	संख्या	प्रति 10,000 व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रामदासिया	9,81,471	2545	26	130	13	467	5
2.	आद्धर्मी	4,39,632	2,041	46	128	29	511	12
3.	मजहबी	9,62,546	392	4	14	1	90	1
4.	मेघ	52,608	273	52	13	25	51	10
5.	कबीरपंथी/जुलाहा	37,625	61	16	7	19	21	6
6.	डूमना, महाशा या डूम	91,685	112	12	2	2	22	2
7.	वाल्मिकी	4,01,960	388	10	14	3	60	1
8.	सांसी/भेड़कूट/मनेश	39,084	37	9	6	13	6	1
9.	बाजीगर	75,092	29	4	..	..	4	नगण्य
10.	सरोड़ा	5,969	20	34	1	17	6	10
11.	बोरिया या बावरिया	42,713	1	नगण्य	1	2	..	..
12.	घाणक	27,910	12	4	..	..	1	नगण्य
13.	खटीक	5,943	9	15	..	..	4	7
14.	बंजारा	1,907	4	21	..	..	..	..
15.	कोरी/कोली	2,057	..	..	..	..	1	5
16.	बटवाल	6,210	7	11	1	16	1	2
17.	बराड़, बुराड़ या बेराड़	1,911	3	16	..	..	1	5
18.	सींकरीबंद	1,948	10	51	..	..	4	21
19.	पासी	1,713	3	18	..	..	..	..
	योग	31,79,534	5,947	19	317	1	1,250	4

परिशिष्ट 53

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 7.7)

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चालित कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. आन्ध्र प्रदेश

अस्पृश्यता के कारण किसी भी प्रकार की निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को, जिला कलक्टर को कानूनी सहायता समेत वित्तीय राहत की मंजूरी देने का प्राधिकार प्राप्त है। कानूनी सहायता अनुसूचित जातियों और और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय नगरों में 2,000 और मुफसिल क्षेत्रों में 1,500 रु० से अधिक न हो।

2. बिहार

कानूनी सहायता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को दी जाती है, जिसकी वार्षिक आय 3,600 रु० से अधिक न हो। भमि सुधार कानूनों, खेतिहार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूर संरक्षण और अन्य अधिकार संरक्षण से जुड़े मुकदमों में ही कानूनी सहायता दी जाती है।

3. गुजरात

कानूनी सहायता उन व्यक्तियों में दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 2,400 रु० से अधिक न हो और जिनके पास 5,000 रुपये की अचल संपत्ति हो। जब अनुसूचित जातियों के व्यक्ति अदालत में पेश होने जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी तालिका के अनुसार उन दिनों की आय की क्षति का मुआवजा और सबसे सस्ती सवारी से आने जाने का भाड़ा दिया जाता है।

4. उड़ीसा

अनुसूचित जाति के जिस व्यक्ति को वार्षिक आय 2,500 रु० से अधिक नहीं है या जिसके पास 2 मानक एकड़ तक भूमि है, वह बेदखली या दखल अधिकार और अस्पृश्यता के मुकदमों के लिए कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

5. राजस्थान

कानूनी सहायता इस प्रकार के मुकदमों क लिए दी जाती है :—

(क) जब पुलिस पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट पर किसी अभियुक्त का चालान करने से इंकार कर दे और ऐसे व्यक्ति को अदालत में अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करनी पड़े ;

(ख) जब किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता–निवारण के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों से लाभान्वित होने के प्रयास के कारण फौजदारी मुकदमों में फसाया गया हो ;

(ग) जब किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के शिकार के रूप में दीवानी मुकदमा दायर करना पड़े या प्रतिवादी के रूप में मुकदमा लड़ना पड़े ।

6. महाराष्ट्र

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातजतियों के उन व्यक्तियों को दीवानी अदालतों, फौजदारी अदालतों और मामलतदार अदालतों में चल रह मुकदमो के लिए कानूनी सहायता दी जाती, जिनकी वार्षिक आय 2,400 रुपये महा बम्बई में सेशन के मुकदमों और विशेष मुकदमों के लिए 2,500 रुपये से अधिक न हो ।

7. मध्य प्रदेश

उन भूमिहीनों, खतिहर मजदूरों और देहाती कारिगरों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जिनकी वार्षिक आय 2,400 रुपये से अधिक नहीं या जिनके पास 1 हैक्टर सिंचित या 2 हैक्टर असिंचित भूमि हो ।

8. उत्तर प्रदेश

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निम्नलिखित प्रकार के मुकदमों क लिए कानूनी सहायता दी जाती है :—

(क) ऋण उन्मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमिहीन खेतीहर मजदूर ।

(ख) देहाती बुनकर प्रवर्ग (ऋणों का अधिस्थगण और वसूली) ।

(ग) उत्तर प्रदेश बधुआ मजदूर प्रतिषेध अधिनियम ।

(घ) देहज प्रतिषेध अधिनियम ।

(च) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ।

(छ) गृह निर्माण हेतु आबन्टित भूमि के मुकदमें ।

9. पंजाब

अनुसूचित जातियों के ऐसे भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कानूनी सहायता दी जाती जिनकी वार्षिक आय 6,000 रुपये अधिक न हो या जिनके पास 1 हैक्टर सिंचित या दो हैक्टेर असिंचित भूमि हो ।

10. तमिलनाडु

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति दीवानी और फौजदारी अदालतों में :

(i) बेदखली और वंचन ;

(ii) दुर्घटनाओं ;

(iii) सेवा सम्बन्धी मामलों ;

(iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत की गयी निजी शिकायतों समेत सामाजिक या आर्थिक अधिकारों के मामलों से उद्भूत मुकदमों के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

परिशिष्ट 54

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 7.14)

अस्पृश्यता और अत्याचारों के मामलों के लिए राज्यों में स्थापित विशेष संगठन

1. आन्ध्र प्रदेश

उप-महा निरीक्षक पुलिस (अपराध शाखा) के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सैल कायम किया गया है, जो आवश्यकता पड़ने पर नागरिक अधिकार, संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की विशष तफतीश करता है । हर जिला पुलिस कार्यालय और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के कार्यालय में इस प्रकार के सैल खोले गये हैं ।

2. बिहार

उप पुलिस महानिरीक्षक की देखरेख में एक हरिजन शिकायत सैल काम कर रहा है । यह सैल जिला पुलिस के माध्यम से कार्य करता है और यह महत्वपूर्ण मामलों में जांच पड़ताल या तफतीश का काम स्वयं भी करता है अत्याचार के मामलों को दर्ज करने के लिए सचिवालय स्तर पर भी एक विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त एक विशेष सैल भी कायम किया गया है जिसका सचिव भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी होता है ।

3. महाराष्ट्र

मुख्य मंत्री के सचिवालय में एक सैल कायम किया गया है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार/उत्पीड़न की शिकायतों का निपटान करता है, के एक वरिष्ठ अधिकारी गृह विभाग में भी पर्यवेक्षण में एक सैल काम कर रहा है । पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में भी एक विशेष सैल बनाया गया है, जो उप-पुलिस महानिरीक्षक के अधीन काम करता है, जिसे उप पुलिस महानिरीक्षक (पी० सी० आर०) का पदनाम दिया गया है । यह अनुसूचित जातियों आदि पर अत्याचार/उत्पीड़न की सभी शिकायतों का निपटान करता है और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन से भी देखता है । रेंज स्तर पर कृतिक बलों के प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक की सीधी देख रेख में काम करते हैं । जिला स्तर पर, नशाबन्दी और अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों के लिए एक कृतिक बल कायम किया गया है, जो जिले के कार्यों का समन्वय, असाधारण किस्म की शिकायतों की जांच पड़ताल और जटिल मामलों की स्वयं तफतीश करता है इस का प्रभार उप पुलिस अधिक्षक पर होता है । स्थानीय अपराध शाखा को भी सम्बन्धित सूचना एकत्र करने, तफतीश करने और विशेष रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे रखें हैं । अनुलिपि अपराध रजिस्टर भी रखे जाते हैं ।

4. गुजरात

बड़ौदा और राजकोट रेंजों में, सहायक अमले के साथ दो उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो बड़ौदा और राजकोट के अपने उप पुलिस महानिरीक्षक के सीधे नियंत्रण में काम करते हैं । यह विभिन्न अपराधों की तफतीश, आसूचना एकत्र करने और ऐसे उपायों पर अमल करने का कार्य करते हैं, जिनसे हरिजनों और अन्य वर्गों के प्रति दुर्व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न स्थितियों को रोका जा सके । जिलों में जिला सतर्कता समितियों को यह कार्य सौंपा गया है । समाज कल्याण का राज्य निदेशक, कलक्टर और मामलतदार राज्य, जिला और ताल्लुका स्तर पर इस कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं ।

5. मध्य प्रदेश

पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक के अधीन हरिजन कल्याण सैल नाम से एक विशेष सैल कायम किया गया है । फील्ड तफतीश जांच के लिए सैल के नियंत्रण में सात पुलिस थाने हैं और हर थाना का कार्य क्षेत्र वही है, जो उप पुलिस महानिरीक्षक की रेंज का है । यह पुलिस थाने उप पुलिस अधीक्षक के अधीन काम करते हैं और भोपाल, मुरैना, उज्जैन, पन्ना, जबलपुर, रायपुर और बिलासपुर में स्थित हैं ।

6. पंजाब

चण्डीगढ़ के पुलिस मुख्यालय में एक छोटा सा सैल कायम किया गया है, जिसका प्रभार उप पुलिस अधीक्षक पर है ।

7. उत्तर प्रदेश

प्रज्ञेय और अप्रज्ञेय मामलों की तफतीश और जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष सैल स्थापित किया गया है जिसका अध्यक्ष उप पुलिस महानिरीक्षक है । तफतीश जिला पुलिस से एजेन्सी द्वारा करायी जाती है ।

8. कर्नाटक

"नागरिक अधिकार प्रवर्तन सैल" नाम से, पुलिस विभाग में एक विशेष सैल बनाया गया है, जिसका प्रभार उप पुलिस महानिरीक्षक पर है ।

9. केरल

त्रिवेन्द्रम के उप पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) क प्रशासनिक नियंत्रण में, कन्नानोड़ जिले के कासर गोडे स्थान पर एक विशेष चल पुलिस दस्ता गठित किया गया है ।

10. उड़ीसा

इस कार्य के लिए, राज्य के पुलिस मुख्यालय को अपराध शाखा में एक सैल बनाया गया है ।

11. राजस्थान

गृह विभाग में एक पृथक सैल स्थापित किया गया है ।

12. तमिलनाडु

राज्य स्तर पर, उप पुलिस महानिरीक्षक के अधीन एक विशेष सैल बनाया गया है । दक्षिणी अर्कोट, तंजवयूर, त्रिचरापल्ली, मदुराई, कोयम्बटूर और तिरूनावेली जिलों के लिए चल दस्ते भी बनाये गये हैं ।

परिशिष्ट 55

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 7.16)

लखनउ में आयोजित हरिजन और समाज-कल्याण विषय पर संगोष्ठी में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपायुक्त श्री एस० के० कौल द्वारा पठित सामाजिक अशक्तताओं की सीमा और उनसे उत्पन्न तनाव तथा उनसे निपटने के लिए अपेक्षित सामाजिक कानूनी ढांचा— शोधक से शोध-पत्र

देश के अनेक भागों में मंदिरों, जन कूपों, होस्टलों और चाय घरों में अनुसूचित जातियों की अभी तक पहूंच नहीं हुई है । कभी कभी, अनुसूचित जातियों को धर्मशालाओं, गांव के चबूतरों, पंचायत-सभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गांव के अन्य समारोहों में आज्ञा कर बिठाया जाता है । गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा के बहुत से भागों में उनके शमशान भी अलग हैं । नावों और बैलगाड़ियों से यात्रा करते समय भी उनसे भेदभाव बरता जाता हैं । बहुत से स्थानों पर धोबी और नाई न तो उनके कपड़े धोते है और न ही उनकी हजामत बनाते हैं । इसके अलावा उन्हें कम मजदूरी देकर, उनकी फसलों को क्षति पहुंचा कर, उनके घरों को जलाकर और उनको मुकदमों में उलझा कर उन्हें हानि पहुंचायी जाती है और आर्थिक असमानता का शिकार बनाया जाता है ।

2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 1971 से 1976 तक की अवधि में दर्ज मामलों और प्रति वर्ष उनके निपटान के बारे में सूचना नीचे दी जाती है :–

वर्ष	पुलिस के पास दर्ज मामलों की संख्या			प्रति वर्ष के अन्त में निपटाये गये मामले		
	कुल	चालान किया गया	दोषी सिद्ध	दोष युक्त	प्रशमनित	अनिर्णित
1	2	3	4	5	6	7
1971	526	439	91	96	138	114
1972	1515	1416	631	252	233	299
1973	2949	2356	1207	312	388	499
1974	1908	1588	699	247	288	384
1975	3528	2588	936	480	611	561
1976	3099	2598	86	360	155	1997

3. राज्य सरकारों से केन्द्र को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, 1977 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के 8905 मामले बने थे । अत्याचारों के मामलों की सबसे बडी संख्या, 4974* उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी । मध्य प्रदेश से अत्याचार के 2133 मामलों की सूचना मिली थी । आन्ध्र प्रदेश (70), बिहार (421), गुजरात (331), केरल (136), महाराष्ट्र (367), राजस्थान (179) और पंजाब (81) ऐसे राज्य रहे, जिनमें अत्याचार के मामलों की संख्या काफी बडी थी । सामान्यतया देखा गया है कि अनुसूचित जातियों पर अत्याचार भूमि संबंधी झगडें, कम दरो पर मजदूरी के भुगतान नीच कार्य कराने के लिए हरिजनों पर जबरदस्ती और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में अडचन डालने के कारण होते हैं ।

4. किन्तु समस्या की गंभीरता और विस्तार को जानने और उसे दूर करने के उपाय सुझाने के लिए केवल आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । मान लीजिए कि यदि किसी इलाके से भेदभाव के किसी मामले को रिपोर्ट नहीं आती तो इसका यह अर्थ कतई नहीं कि उस इलाके में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को कोई शिकायत ही नहीं है हो सकता है कि रिपोर्ट करने की प्रणाली ही विश्वसनीय न हो या अनुसूचित जाति के शिकायत करने वाले बहुत भीरू हों या ऐसी घटनाओं की खबरें दबाने के जानबूझ कर प्रयास किये जाते हों ।

5. इस शोध पत्र में देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी के स्रोतों के उपयोग के सिलसिलें में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से बरते जा रहे भेदभाव पर विस्तार से विचार करने का प्रयास किया गया है । स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देहाती क्षेत्रों में पानी के स्रोतो के उपयोग में बहुत बडे स्तर पर भेदभाव रखा जाता था । अभी तक कुछ गांवों में अनुसूचित जातियों को जल स्रोतों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है और पीने का पानी प्राप्त करने में उन्हें बडी भारी प्रचारताना सहनी पड़ती है । देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी के स्रोत हैं, कुएं, तालाब, नल या नदियां और जल टंकियों से जुड़े नल । यह विश्वास प्रचलित है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों

*एक अन्य स्रोत से ज्ञात हुआ है कि 1977 में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों की संख्या 5,739 थी । इसकी तुलना में अत्याचार के मामलों की संख्या 1975 में 6,760 और 1976 में 3,423 थीं ।

एक अन्य स्रोत के अनुसार 1977 के दौरान बिहार में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार और उत्पीडन के 970 मामले रिकोर्ड हुए थे ।

के छूने से जल स्रोत दूषित हो जाते है और इसी विश्वास के आधार पर समाज के सभी वर्गों द्वारा जलस्रोतों के उपयोग के सिलसिले में भेदभाव बरता जाता है। गांवों में स्वर्ण हिन्दुओं में यह विश्वास बहुत जड़ पकड़े हुए हैं और स्वर्ण हिन्दु अनुसूचित जातियों को पीने के पानी के संयुक्त स्रोतों का मुक्त उपयोग नहीं करने देते और भेदभाव बरतते हैं। अनुसूचित जातियों के कुछ वर्गों तक में इस कुप्रथा का प्रचलन देखा गया है, जो अपने को ऊंची अनुसूचित जाति का मानते है और अपने से नीचे से अनुसूचित जातियों से भेदभाव बरतते हैं। अनुसूचित जातियों के इन निम्नतम वर्गों में भंगी, मेहतर, डोम आदि आते है। धर्म परिवर्तन भी नवबौद्धों को, गांवों में जल स्रोतों तक सुगम पहुंच की समानता नहीं दिला पाया है।

6. स्वतंत्रता प्राप्ति क बाद बहुत बड़ी संख्या में गांवों, गांवों की मुख्य बस्ती से दूर या उनके सीमान्त पर रहने वाली अनुसूचित जातियों या वर्गों के लिए पीने क पानी क अलग कुएं बनवा दिये गये थे इस तरह एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता पूरी हुई। किंतु यह पता नहीं कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग कुएं बनने से पहले स्वर्ण हिन्दुओं पर संयुक्त कुओं से अनुसूचित जातियों द्वारा पानी खचने से छुट दिलाने के लिए दबाव डाला गया था या नहीं और मौजूदा संयुक्त जल-स्रोतों से अनुसूचित जातियों को पीने का पानी दिलाने के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों से काम लिया गया था या नहीं। यदि अनुसूचित जातियों के लिए अलग कुएं बना दिये जाते हैं तो अस्पृश्यता बरकरार रहती है। स्वतंत्रता के बाद जनता के प्रतिनिधियों और प्रशासन ने मिलजुल कर, देहाती क्षेत्रों में तनाव पैदा किये बिना लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया था। इसी लिए आज हम पाते है कि देहाती क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों और उनके बीच के वर्गों तक के पास अपने उपयोग के लिए पृथक कुएं है।

7. मोटे तौर पर रहें तो देहाती क्षेत्रों में, जल स्रोतों के उपयोग की दृष्टि से, गांवों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :—

1. वे गांव, जहां सवर्ण हिन्दु और अनुसूचित जातियां पीने का पानी संयुक्त जल स्रोतों से बिना किसी भेदभाव के लेते है।
2. वे गांव, जहां सवर्ण हिन्दु और अनुसूचित जातियां पीने का पानी संयुक्त स्रोतों से लेते हैं, किन्तु इस मामले में अनुसूचित जातियों पर कुछ पाबन्दिया भी है, जो नीचे दी जाती हैं :—
   (i) कुएं से पानी खेचते समय अनुसूचित जातियां उसकी जगह पर चढ़ सकती है, किंतु यदि उस समय कोई सवर्ण हिन्दु पानी खेंच रहा हो तो वे ऐसा नहीं कर सकतीं।
   (ii) जब पानी टंकियों से चालू किया जाता है तो एक ही स्थान पर पानी के लिए कई नल लगे होते हैं किन्तु अनुसूचित जातियों के नल अलग होते हैं।
3. वे गांव, जहां अनुसूचित जातियों के लिए पानी की पृथक व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर विश्वास प्रचलित है कि अनुसूचित जातियों के छूने से जल स्रोत दूषित हो जाता है। किंतु इन गांवों में प्रचलित अस्पृश्यता के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं :—
   (i) अनुसूचित जातियों और अन्य उपजातियों के अपने अपने मोहल्ले में कुएं होते हों।
   (ii) यदि कुएं उनके इलाकों में सफलता से नहीं खोदे जा सके हों तो उनसे परे स्थानों पर उनके लिए बने कुओं से पानी लेने के लिए अनुसूचित जातियां और उपजातियां जाती हों।
   (iii) अनुसूचित जातियां चश्में, नल और नदी के निचले हिस्से से ही पानी भर सकते हों, जबकि सवर्ण हिन्दु उनके ऊपरी हिस्सों से।
   (iv) अनुसूचित जातियां पशुओं के जोहड़ों से सटे छोटे तालाबों से ही पानी ले सकते हो जब कि सवर्ण हिन्दु ऊंचे धरातला पर बने बड़े तालाबों से लेते हो। अलग-अलग तालाबों में पानी बैलों आदि से खेच कर भरा जाता है, जैसा कि राजस्थान के कुछ जिलों में देखा गया है।
   (v) अनुसूचित जातियां नालों से पानी उन्हीं घाटों से भरती हों, जो उनके लिए निर्धारित हैं।
   (vi) जब पानी जल टंकियों से सप्लाई किया जाता हो तो अनुसूचित जातियों उनके मोहल्लों में या उनसे बाहर अलग नल दे दिए जाते हों।
4. वे गांव जहां अनुसूचित जातियों से सवर्ण हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त जल स्रोतों से पानी नहीं लेते दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के अपने जलस्रोत नहीं है और वहां यह विश्वास प्रचलित है कि अनुसूचित जातियों के छूने से पानी दूषित हो जाता है। इन गांवो में पीने के पानी के मामले में अनुसूचित जातियां अन्य समुदायों की कृपा पर निर्भर रहती है।

8. विभिन्न राज्यों के अधोलिखित जिलों में जल स्रोतों के उपयोग के मामले में अस्पृश्यता अपेक्षाकृत अधिक उजागर है :—

राज्य	वे जिले जहां पीने के पानी को संयुक्त स्रोतों के इस्तेमाल के मामलों में नियोग्यता देखी गयी
1. आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, आदिलाबाद, विशाखा-पट्टनम, निजामाबाद, कुरनूल, बारंगल, पूर्वी गोदावरी, बैल्लोर, हैदराबाद।
2 बिहार	पलागू, गया, शहाबाद, छपरा, भागलपुर।
3. गुजरात	अहमदाबाद, मेहसाना, बरोड़ा, कैरा, भावनगर, जामनगर, राजकोट, कच्छ।
4. हरियाणा	रोहतक।
5. हिमाचल प्रदेश	महासू, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमूर, बिलासपुर, हमीरपुर, उना, कांगड़ा।
6. कर्नाटक	मैसूर, कुर्ग, दक्षिण केनारा, हसन, बंगलोर, धारवाड़, चिकमगलूर, रायचूड़।
7. मध्यप्रदेश	राजगढ़, मुना, रतलाम, पन्ना, शाहडोल, रायगढ़, सीधी-सरगुजा, मांडला, बस्तर, राजनन्द गांव, देवास, शिवपुर, विलासपुर, सतना, खरगोने, रायपुर, सागर, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन, बालाघाट।
8. महाराष्ट्र	बुलडाना, नासिक, नांदेड, जलगांव, परभनी।
9. पंजाब	संगरूर।
10. राजस्थान	जोधपुर, झुनझुन-उदयपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, चुरु, सिकर।
11. तमिलनाडु	सेलम, दक्षिण अर्काट, रामनाथ-पुरम, तंजौर, तिरुनेवेल्लो, त्रिचुरा-पल्ली।

12.	उत्तर प्रदेश .	सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, जालौन, बांदा, गोंडा, इलाहाबाद, बलिया, हरदोई, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती ।
13.	पश्चिमी बंगाल .	बीरभूम ।
14.	दिल्ली .	देहाती क्षेत्र ।
15.	गोवा . .	देहाती क्षेत्र ।

9. देश के विभिन्न भागों में यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि देहाती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए जल आपूर्ति के मामले में अस्पृश्यता के कौन कौन से रूप और गंभीरता की किस सीमा तक देखने में आते है । किन्तु ऐसा अनुभव किया गया है कि गांवों को लगभग प्रतिशतता को इन चार वर्गों में बांटा जा सकता है :–

I वे गांव, जहां भेदभाव के बिना अनुसूचित जातियां और सवर्ण हिन्दू सयुक्त जल स्रोतो से पोने का पानी लेते हैं । 5%

II वे गांव, जहां कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुसूचित जातियों को पीने के पानी के लिए संयुक्त जल स्रोतों का उपयोग करने दिया जाता है कि जो अस्पृश्यता के प्रचलन का द्योतक है । 10%

III वे गांव, जहा अनुसूचित जातियों के पेय जल के अपने स्रोत हैं और अस्पृश्यता के प्रचलन का द्योतक है । 75%

IV वे गांव, जहां अनुसूचित जातियों को पेय जल के संयुक्त स्रोतों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं । आमतौर सवर्ण हिन्दू उनके बर्तनों में पानी उड़ेल देते हैं या अनुसूचित जातियों को खेती वाले कुओं या चश्मों और नदियों से पानी भर कर लाना पड़ता है । 10%

इस प्रकार 95% गांवों में, जलस्रोतों तक पहुंच की दृष्टि से अस्पृश्यता प्रचलित है । यहां एक बार फिर से उल्लेख किया जाता है । यह प्रतिशतताएं किसी सर्वेक्षण पर नहीं बल्की कुछ सामान्य प्रेक्षरण पर आधारित है । दूसरे, तीसरे और चौथे वर्गों वाले गांवों में, जल स्रोतों के मामले में, अस्पृश्यता के प्रचलन का अमूल्य करने के लिए, संगठनात्मक नीतियों और सक्रियात्मक उपायों की जांच करनी होगी । दूसरे वर्ग के गांवों में उचित प्रचार करने सवर्ण हिन्दूओं की मानसिक प्रवृत्ति को बदला जा सकता है ताकि अनुसूचित जातियां उन्हीं की तरह किसी भेदभाव के बीना कुओं से पानी खींच सके ।

10. यह बात बिना किसी हिचक के कही जा सकती है कि देहाती क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों को पेय जल की आपूर्ति के मामले में अस्पृश्यता, के प्रचलन को समाप्त करने के लिए, राज्य सरकारों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है । चौथे वर्ग के जीवों में विशेष रूप से मामले के इस पक्ष पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है । सामाजिक और युवा कार्यकर्ताओं तथा प्रशासन के अन्य प्रभागों के सहयोग से राजनीतिक नेताओं को सवर्ण जातियों की व्यवहार पद्धतियों को परिवर्तित करने के लिए एक जूट हो कर अभियान चलाने चाहिए । यदि वे इस अभियान में असफल हो जायें तो अनुसूचित जातियों द्वारा जल आपुर्ति के संयुक्त साधनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अपराधियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराये जाये । राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दर्ज इन गांवों के मामलों पर शीघ्र निर्णय लिया जाये ।

11. तीसरे वर्ग के गांवों में जन कूओं को सबके लिए खोलने की समस्या जटिल है । अनुसूचित जातियों के लिए पृथक जल स्रोतों की व्यवस्था के लिए किये गये कल्याणकारी उपायों के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गयी है । बेशक कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों के लिए उनके मुहल्लों के पास ही जल व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता थी और उस सीमा तक पृथक कुओं का निर्माण उचित था । किंतु उस अवसर का उपयोग अनुसूचित जातियों के लिए उन कुओं को खुलवाने के लिए किया सकता था । इन गांवों में प्रचारकार्यों के माध्यम से अस्पृश्यता के प्रचलन को समाप्त करने के लिए जनमत तैयार करना चाहिए । आगे से नए जल स्रोतों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाना चाहिए, जहां से सवर्ण हिन्दु और अनुसूचित जातियां एक साथ पानी ले सकें । यदि इन गांवों में पानी की टंकियां बनायी जावें तो सभी गाव वालों के संयुक्त नल स्टैण्ड बनाये जाने चाहिए ।

12. देहाती क्षेत्रों में जल स्रोतों की समस्या के एक पक्ष की ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है । नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत, जो कोई भी अस्पृश्यता के आधार पर किसी नदी, नल, चश्मे, कुएं, ताल, बावड़ी, नल या पानी के दूसरे साधनों के उपयोग या उन तक पहुंच के संबंध में किसी व्यक्ति को नियोग्य बनाता हैं .....उसे दंडित किया जा सकता है । बहुत से गांवों में सवर्ण हिन्दुओं ने ऐसे निजी कूप बना रखे हैं, जो उनके घरों की चार दीवारी के भीतर न हो कर बाहर की तरफ बने हुए है और कहीं कही तों गांव सभा की भूमि पर बने हैं और उनका उपयोग घरों के मालिकों के परिवार के सदस्य, उनकी बिरादरी के लोग और उसी सामाजिक स्तर के अन्य जातियों के सदस्य करते हैं । इस संबंध में अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती है ताकि स्पष्ट हो जाये कि यह अधिनियम प्रत्येक संपत्ति पर लागू होता है, जो चाहे किसी के स्वामित्व में ही क्यों न हो । जो कुएं निजी भवन को चार दीवारी के भीतर नही है और जिनका इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, उन्हें सार्वजनिक कुए घोषित कर दिया जाना चाहिए और उन्हें समाज के हर वर्ग के लिए खोल देना चाहिए ।

13. सामाजिक कार्यकर्ताओं से ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे सवर्ण हिन्दुओं को अस्पृश्यता को त्यागने के लिए विवश होना पड़े । निस्संदेह सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से मामले दर्ज कराये है, किंतु इन मामलों में वे बहुत कम व्यक्तियों को दोषी सिद्ध करा सके हैं और जुर्माना भी कम हो मामलों में हो पाया है । स्थिति कोई विशेष उत्साह वर्धक नहीं है इसके लिए आंशिक रूप से देहातों के आर्थिक ढांचे में अनुसूचित जातियों की नाजुक स्थिति और आंशिक रूप से विशिष्ट कानूनी अमले का अभाव जिम्मेदार है । वास्तव में आवश्यकता तो कानूनी कार्यवाई के एक ऐसे समान्वित कार्यक्रम प्रारम्भ करने की है, जो अनुसूचित जातियों के लिए जल स्रोतों को खुलवाने के लिए जोर शोर से चलाता जाये प्रख्यात वकीलों की एक छोटी सी कमेटी इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलायी जाये और इसके बाद समस्या मूलक गांवों के कुछ महत्वपूर्ण दर्ज मुकदमों को लड़ने के लिए अनुभवी वकीलो की सेवाएं प्राप्त की जायें ।

14. पांचवी पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत देहाती इलाकों में जल व्यवस्था परियोजनाओं पर 573 करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे और अनुमान था कि इस के अधीन ऐसे सभी गांव आ जायेंगे, जहां पीने का पानी का कोई स्रोत नहीं है या जो समस्या मूलक गांव हैं । पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम से 610 लाख लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है । सुझाव है कि पेय जल को आपूर्ति के लिए नए कुएं और जल जहां तक समाज के सभी समुदाओं के लोग आसानी से पहुंच सकें । जहां जल सप्लाई की टंकिया बनायी जाये, वहां अधिकारियों के लिए यह आनिवार्य कर दिया जाये कि वे अनुसूचित जातियों के नल-स्टैण्ड अलग न बनायें । सभी सार्वजनिक कुओं पर प्रादेशिक भाषाओं में खुद इस आशय के शिलालेख लगाने पर बड़े स्तर का कार्यक्रम संबंधित अधिकारियों द्वारा चलाया जाना चाहिए कि यह कुआं सार्वजनिक कुआ है यह शब्द मोटे मोटे अक्षरों में खुदे होने चाहिए ।

15. राज्य और जिला स्तर पर हरिजन सम्मेलनों का गठन किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों द्वारा राज्य/जिला तालुका स्तर पर छोटी छोटी ऐसी कमेटियां बनायी जानी चाहिए, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि और अधिकारी (पुलिस अधिकारियों समेत) सम्मिलित हों यह कमेटियां सुनिश्चित करे कि सभी सार्वजनिक कुएं अनुसूचित जातियों के लिए खुले रहे । यह कमेटियां गांवों का दौरा करें, मौके पर जाकर जांच पड़ताल करें और सार्वजनिक कुओं से अनुसूचित जातियों के लिए खुलवाने के बारे में आवश्यक कदम उठाये । दो महीनों के अन्तराल के बाद इन कमेटियों को फिर से उन्हीं गांवों के दौरों के निर्देश यह देखने के लिए दिए जाये कि अनुसूचित जातियों को उन कुओं का खुला उपयोग करने दिया जा रहा है या नहीं । इस सुझाव के पीछे यह कारण है कि बाहर वालों के गांव में प्रस्तान के बाद स्थिति वही लौटी आती है और संयुक्त जल स्रोतों में से अनुसूचित जातियों को पानी लेने से रोक लिया जाता है और उनके लिए अलग जल साधन की व्यवस्था की जाती है यह कमेटी ऐसे समुचित कार्यक्रम बनाये, जिसके अन्तर्गत सभी गांव आ जायें । जीप से दौरे करने के बजाय पैदल दौरे किए जाने चाहिए और शाम के समय हरिजन बस्तियों में पड़ाव डालने चाहिए ।

16. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा दंड के प्रावधान और अधिक कठोर बना दिये गए हैं । किन्तु आवश्यकता ऐसे मुकदमों के शीघ्र निपटान की है । इस प्रकार के मुकदमें अदालतों में लंबे अर्से के लिए लटके रहते हैं और इस बीच अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अनेक प्रकार के दबाव डाले जाते हैं । फलस्वरूप या तो मुकदमें हार दियें जाते हैं या आपसी समझौता हो जाता है । अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसी विशेष अदालते कायम नहीं की है, जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों पर मुकदमा चलाया जा सके । राज्य सरकारें इस विषय में यह तर्क देती है कि ऐसे अपराधों की संख्या को देखते हुए विशेष अदालतें कायम नहीं की जा सकती । यह तर्क आधारहीन हैं । चाहे इस समय ऐसे मुकदमों की संख्या इतनी बड़ी न हो, किन्तु इनका निपटान कितनी धीमी गति से हो रहा है । विशेष अदालते ऐसे मुकदमों को तेजी से निपटा सकेगी और अस्पृश्यता उन्मूलन की समस्या पर इस शीघ्रता से निपटान का निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा ।

17. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर यह दायित्व भी डाला है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू और उन पर अमल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समुचित तन्त्र भी गठित करें । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अस्पृश्यता अधिनियम को लागू करने के लिए गठित तंत्र को और मजबूत बनाने के वास्ते 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था थी, किन्तु खेद की बात है कि इस राशि का आमतौर पर कोई उपयोग नहीं किया गया । अधिनियम में, इस उपबन्धों के कार्यान्वियन के सावधिक सर्वेक्षण का भी प्रावधान था । ऐसे क्षेत्रों का पहचान भी इसी के अन्तर्गत आती थी, जहां अस्पृश्यता का प्रचलन है । किन्तु राज्य सरकारों ने ऐसे क्षेत्रों को पहचान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जहां यह समस्या विभिन्न रूपों में मौजूद है । सावधिक सर्वेक्षण और नियोज्यता वाले क्षेत्रों की पहचान का कार्य विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के प्रख्यात विद्वानों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उनके निष्कर्ष सभी सम्बन्धित पक्षों को मान्य हो । उनके लिए आवश्यक तकनीकी 4 स्टाफ की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसे सर्वेक्षण तुरन्त प्रारम्भ किये जाने चाहिए ताकि राज्य सरकारें अधिनियम के उपबन्धों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुधारात्मक कदम उठा सके और ऐसे क्षेत्रों से अस्पृश्यता के उन्मूलन के आवश्यक उपाय कर सकें । जहां इसका प्रचलन सिद्ध हो गया हो । यह जानकर हर्ष हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के बांदा जिले में हिरिजनों पर अत्याचारों के स्वरूप और मूल कारणों का पता लगाने के लिए, घर घर का सर्वेक्षण कराने के बाद, हरिजन सैल के पुनर्गठन के निर्देश सूत्र तैयार करने का निर्णय लिया है मार्ग दर्शी परियोजना सर्वेक्षणों के लिए बांदा जिले को इस लिए चुना गया है । क्योंकि वहां अत्याचार की घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है और हरिजनों की आबादि की भी काफी संख्या है । बताया गया कि दो पुलिस सब इन्सपैक्टर और कान्स्टेबुलों के एक दल द्वारा प्रतिदिन 35 हरिजन परिवारों से साक्षात्कार और सूचना एकत्र किए जाने का अनुमान और सर्वेक्षण तीन महीने में पूरा हो जाना है । यह भी देखा गया है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में समाविष्ट कुछ नए उपबन्धों पर भी सम्बन्धित अधिकारियों ने पर्याप्त ध्यान दिया है । अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता देने के लिए राज्य सरकारों ने जो राशियां आबन्टित की है, वे अपर्याप्त हैं ।

18. अस्पृश्यता के प्रचलन का भी अनुसूचित जातियों पर किये जाने वाले अत्याचारो में काफी सीमा तक योग रहा है । इस प्रथा के शिकार व्यक्तियों के मन में दूसरों के द्वारा अपने प्रति किये गये दुर्व्यवहार पर बड़ी कड़ुवाहट होती है और जो व्यक्ति छुआछूत का व्यवहार करते हैं वे इसे अपना एकमात्र अधिकार मानते हैं और समझते हैं कि वे ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए सक्षम है । अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को उन क्षेत्रों की सूची तैयार करनी चाहिए, जहां इस प्रकार की घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं । उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं की स्थिति जानने और ऐसी घटनाओं को घटीत होने से रोकने के लिए राज्य के मुख्यालय में पुलिस का एक विशेष सैल गठित किया जाना चाहिए । पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों में कुछ प्रतिशत अधिकारी अनुसूचित जातियों के रखने के अनुदेश जारी किये जाने चाहिए । जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को भूमि, गृह आदि के आबन्टन जैसे विशेष कार्यक्रम चलाये गए हों, वहां इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि निहित स्वार्थ वाले लोग अनुसूचित जातियों को इन लाभों से वंचित करने में सफल न होने पाये । अदालतों में लम्बे अर्से तक मुकदमें न लटकने पायें, इस विषय में भी सावधानी बरतनी चाहिए । यदि अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के मुकदमें लम्बे अर्से से चल रहे हो तो सम्बन्धित राज्य सरकार को विशेष अदालत कायम करने के विषय में विचार करना चाहिए ।

19. अनुसूचित जातियों की समस्याओं को जानने की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समस्याओं के हल मालूम किये जा सकें । बंधुआ मजदूरों के पहचान और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने जैसी समस्याओं पर सम्बन्धित प्राधिकारियों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । बहुत सी राज्य-सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में पिछड़े वर्गों में बंधुआ मजदूर प्रथा के प्रचलन को स्वीकार करने से हिचकती है । इसके फलस्वरूप इन वर्गों के मजदूर पहले की तरह ही पिस रहे हैं । बंधुआ मजदूरों की प्रथा का चलन देहरादून, उत्तरकाशी और टेहरी गढ़वाल के जिलों में भी है और वहां से सूचना प्राप्त हुई है कि 2540 परिवार (3575) व्यक्ति इस कुप्रथा के शिकार हैं । मजदूरों को न्यूनतम खेतीहर मजदूरों का भुगतान न करने पर मजदूरो सम्बन्धी झगड़े खड़े होते हैं और कभी-कभी इनसे अत्याचार की घटनाएं घटित होती हैं । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यो में मजदूरों को न्यूनतम खेतीहर मजदूरी नहीं दी जाती है । यदि भूमीहीन खेतीहर मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए गम्भीरता से प्रयत्न और मुक्त बंधुआ मजदूरों के समुचित पुनर्वास के प्रयास जोर-शोर से नहीं किए गए तो व्याधि इसी प्रकार बनी रहेगी ।

20. अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने और उन्हें संरक्षण देने की पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिक्षक पर होनी चाहिए । जरा सी भी ढील पर इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित अत्याचार के समाचारों को पढ़ताल तुरन्त इन अधिकारियों द्वारा स्वयं या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए । अत्याचारों की घटनाओं की साप्ताहिक विवरणियां राज्य के मुख्यालय और केन्द्र सरकार को भेजी जानी चाहिए । भूमि सम्बन्धी झगड़ों या अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों या पीड़न की आशंका की स्थिति में भूस्वामी वर्गों से बन्दूकों और अन्य घातक हथियारों को जब्त करने के अनुदेश सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त जारी कर देने चाहिए । किन्तु यह भी ज्ञात हुआ है कि घनी व्यक्तियों के हथियार जब्त कर देने पर वे अपने हथियारों को पुनरापित के लिए हमेशा अदालतों में जा सकते हैं । त्रुटता यह है कि मौजूदा शस्त्र अधिनियम बहुत उदार है और उसमें कुछ कड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है । यह भी ज्ञात हुआ है कि अधिकांश अपराध अवैध हथियारों के इस्तेमाल के कारण किये जाते हैं, क्योंकि देश के कुछ इलाकों में अवैध हथियार सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हैं और भारी संख्या में उनका निर्माण हो रहा है । अवैध हथियारों के इस प्रकार आसानी से उपलब्ध होने के बारे में पूरी जांच करायी जानी चाहिए ।

21. अत्याचार के मुकदमें लड़ने के लिए अनुसूचित जातियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए । जिला मजिस्ट्रेट को महत्वपूर्ण मुकदमों के लड़ने के लिए अच्छे स्थानीय वकीलों को लगाने का अधिकार दे देना चाहिए । यह वकील ऐसे हो, जो योग्य और अनुभवी होने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के उदार के प्रति सहानुभूति-पूर्ण दृष्टिकोण रखते हो । अनुसूचित जातियों के जिन व्यक्तियों की सरकार द्वारा आवन्टित भूमियों या घरों से बेदखल कर दिया गया है, उनकी ओर से सरकार अपील करें । किन्तु व्यवहार में देखा गया है कि कानूनी सहायता के रूप दी जाने वाली रकम लगभग नगण्य सी होती है ।

22. राज्य सरकारों को अपनी अपनी राजधानी और ऐसे इलाकों के पास पुलिस स्टेशन स्थापित करने चाहिए, जहां अत्याचार की घटनाएं अक्सर होती हों ताकि वहां आसानी से शिकायतें दर्ज करायी जा सकें । ऐसे पुलिस स्टेशनों का कार्यक्षेत्र पूरा राज्य होना चाहिए और जो शिकायतें और किसी थाने में न दर्ज करायी जा सकें, वे इन पुलिस स्टेशनों में दर्ज करायी जा सकती हो । कार्मिक और पुलिस विभागों में अधिकारियों का ऐसा पूल बनाया जाये, जिनमें अनुसूचित जातियों के बीच कल्याण कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को चून कर रखा जाए और जिला ब्लाक स्तर के सभी पदों पर इन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए इस आशय के अनुदेश भी जारी किए जाने चाहिए कि सिविल और पुलिस अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों में एक कालम और जोड़ा जाए, जिसमें समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों के प्रति उनके रुख का उल्लेख किया जाये । सिविल और पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी इस प्रकार के संशोधन किये जाने चाहिए ताकि उनमें कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति के भाव पनप सकें । समय-समय पर अनुसूचित जातियो आदि से सम्बन्धित प्रशासनात्मक समस्याओं को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए, ताकि उनमें अपेक्षित सुधार किये जा सकें । इस प्रकार का प्रावधान भी दिया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं के बारे में सही सूचना देगा, उसे इनाम दिया जायेगा । सभी उप-मंडल अधिकारियों द्वारा अपने जिलों मजिस्ट्रेटों को ऐसा पाक्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया जाना चाहिए, जिनमें कुछ पैराग्राफों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटनाओं और उनके सिलसिले में की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख हों । गंभीर किस्म के मामलों की सीधी तफ्तीश के लिए उड़न दस्ते बनाए जाने चाहिए । सम्बन्धित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की प्रतियां सभी पुलिस थानों में और सम्बन्धित कर्मचारियों के पास उनकी प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हों । राहत निधियां कायम करने की भी व्यवस्था करनी चाहिएं ताकि सम्बन्धित अधिकारी पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त राहत प्रदान कर सके ।

23. इस प्रकार समाज और सरकार कमजोर वर्गों पर किये गये अत्याचारों को मात्र कानून तोड़ने की कार्रवाई के रूप में न ले, बल्कि उन्हें समाज के विरुद्ध ऊंचे वर्गों द्वारा किये गये ऐसे पापों के रुप में देखें, जिनका पूर्ण निराकरण हमारे सामाजिक विकास के निर्दिष्ट सन्दर्भ में न तो कानून कर सकता है और न ही अदालतें ।

24. सामाजिक अन्याय के मामलों को कानून भंग के साधारण मामलों से अलग करने, प्रमाण भार सम्बन्धी कानून, साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक पद्धति संहिता में भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की तरह समुचित संशोधन करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए और आर्थिक सामाजिक न्याय सम्बन्धी मामलों के लिए चल यूनिटों के साथ विशेष अदालतें कायम करने का मुद्दा भी विचारणीय विषय हैं ।

परिशिष्ट 56

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 7.23)

1977–78 वर्ष के दौरान अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया कार्य

1. आकाशवाणी, नई दिल्ली

1977–78 वर्ष के दौरान आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किये गये :—

(i) नाटक/रूपक . . .	450
(ii) वार्ता	1106
(iii) विचार गोष्ठी . . .	344
(iv) रेखाचित्र . . .	61
(v) गान और नृत्य . . .	234
(vi) विभिन्न कार्यक्रम . .	946
	3,141

2. दूरदर्शन

1977–78 वर्ष के दौरान कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल), दिल्ली, गुलबर्गा (कर्नाटक), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), अहमदाबाद (गुजरात) के विभिन्न केन्द्रों से अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय पर काफी संख्या में कार्यक्रम प्रदर्शित किये गये ।

3. पत्र सूचना ब्यूरो

1977–78 वर्ष के दौरान पत्र सूचना ब्यूरो ने समयबद्ध पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार और अस्पृश्यता प्रथा के उन्मूलन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को प्रचारित और उजागर किया । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले कल्याण

कार्यों, जिनमें उनके लिए सांविधानिक तथा कानूनी सुरक्षण के प्रावधान भी सम्मिलित थे, को भी सरकारी समाचार विज्ञप्तियों, हैंड आउटों और रूपकों के माध्यमों से प्रचारित किया था। जनता पार्टी के शासन के एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकार द्वारा किये गये कल्याण कार्यों के बारे में भी एक विस्तृत समाचार-विज्ञप्ति जारी की गयी थी। समय बद्ध योजना के अन्तर्गत अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयास के साथ-साथ कमजोर वर्गों को संरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों को भी प्रचारित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की दो रिपोर्टों को भी संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखने के बाद, समाचार पत्रों को दिया गया था और इस तरह उनका प्रचार किया गया था। कुल मिलाकर 1977–78 वर्ष में हैंड आउटों, प्रेस टिप्पणियों, समाचार रूपकों आदि समेत 26 प्रेस विज्ञाप्तियां जारी की गयी थीं।

4. प्रकाशन प्रभाग

1977–78 वर्ष के दौरान "योजना" (अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल और अन्य भाषाएं) 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेजी और हिन्दी) और 'आजकल' (उर्दू और हिन्दी) में अस्पृश्यता निवारण के विषय पर अनेक लेखादी प्रकाशित किए गए थे। उनमें से कुछेक महत्वपूर्ण शीर्षक नीचे दिये जाते हैं :–

(i) गांधी जी और हम।
(ii) गांधीवादी मार्ग–हमारे लिए एक मात्र पंथ।
(iii) अस्पृश्यता के बारे में गांधी जी के सूत्र-वाक्य।
(iv) अस्पृश्यता राष्ट्र के लिए कलंक, हरिजनों का उद्धार, तुरन्त कदम उठाने जाने चाहिए।
(v) अस्पृश्यता पर एक कविता।
(vi) हरिजन कल्याण और अस्पृश्यता की बुराइयों पर विशेष लेख।
(vii) हरिजनों में आवन्टित भूमि की सुरक्षा–स्पाट लाइट वार्ता पर आधारित टिप्पणियां।
(viii) आन्ध्र प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए कल्याण कार्य।
(ix) हरिजनों का उद्धार हमारा अनिवार्य कर्तव्य।
(x) हरिजनों पर अत्याचार, लेख।
(xi) मानवीय अधिकारों के लिए अनुसूचित जातियों का संघर्ष।
(xii) अस्पृश्यता की समस्याएं।
(xiii) अस्पृश्यता––कल और आज।
(xiv) हरिजनों की समस्याओं पर एक हरिजन नेता के साथ बिहार के एक विख्यात पत्रकार की बातचीत।
(xv) प्रस्तुत विषय पर गांधी के सूत्रवाक्य।
(xvi) अस्पृश्यता निवारण में पुलिस सहायता।
(xvii) पिछड़े वर्गों का कल्याण।
(xviii) अस्पृश्यता––उन्मूलन पर एक परिसंवाद की रिपोर्ट।

क्षेत्र प्रचार निदेशालय

अस्पृश्यता प्रथा के विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार करना अनेक उद्देश्यों में से एक ऐसा प्रमुख उद्देश्य है जिसे क्षेत्र प्रचार निदेशालय अपनी यूनिटों के माध्यम से प्रचारित करता है। यह यूनिटें विभिन्न फिल्मों, गीत एवं नाट्य कार्यक्रमों, धार्मिक वार्ताओं, लोकगीतों, फोटो प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से देश के कोने-कोने में रहने वाली जनता तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाती है।

'रविदास', 'चण्डालिका', 'एन्शेन्ट कर्स' (अन्धेरे से उजाले में), ब्राह्मण, 'चिल्ड्रेन आफ गॉड', और 'कहे कबीर', जैसे वृत्तचित्रों और 'पुनर्मिलन', 'सुजाता' 'प्रार्थना', और 'माई-मोली' जैसे रूपक चल-चित्र खूब प्रदर्शित किये गये ताकि जनता में इस विषय का प्रचार हो सकें।

1977–78 वर्ष के दौरान इस विषय पर किए गए कुछ प्रमुख प्रचार कार्यों के अन्तर्गत मई, 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित 'अस्पृश्यता पखवाड़ा' मनाने के सिलसिले में क्षेत्र प्रचार यूनिटों ने महाराष्ट्र में बड़े जोर-शोर से भाग लिया था। बिहार में, इन यूनिटों ने 'कमजोर वर्ग संरक्षण पखवाड़ा' मनाने के सिलसिले में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था जिनमें संविधान के अन्तर्गत हरिजनों को प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को विशेष रूप से उजागर किया गया था। इसी प्रकार 1977–78 के दौरान समूचे देश में इन यूनिटों ने अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार अभियान निरन्तर जारी रखे थे।

गीत और नाटक प्रभाग

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विषयों में से एक प्रमुख विषय अस्पृश्यता उन्मूलन भी रहा था। 1977–78 के दौरान इस प्रभाग के प्रादेशिक अधिकारियों और क्षेत्र प्रचार निदेशालय ने 6,000 कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। नाटकों, लोकनाटकों, मिले-जुले कार्यक्रमों, गाथा-गीतों, लोक और पौराणिक कथाओं, लोक गीतों, कठपुतली के तमाशों, धार्मिक प्रवचनों आदि जैसे अनेक मनोरंजन के साधनों से यह प्रचार कार्य किया गया था।

देश के विभिन्न भागों में पंजीकृत प्राइवेट पार्टियां और विभाग के दलों द्वारा इस प्रभाग के क्षेत्र अधिकारियों ने अस्पृश्यता के विषय पर अनेक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया था। 1977–78 के दौरान अनेक मेलों और उत्सव-समारोहों में अवसर विशेष की आवश्यकता के अनुसार उचित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे।

फिल्म प्रभाग

1977–78 वर्ष के दौरान देश के सार्वजनिक प्रेक्षागृहों में जारी की गयी भारतीय समाचार दर्शन फिल्मों में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय से सम्बन्धित निम्नलिखित समाचार रीलें सम्मिलित हुई थी :–

भारतीय समाचार दर्शन नं०		विषय
1491	.	सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष की पचासवीं वर्षगांठ (महाराष्ट्र)
1496	.	आदिवासीथों का पुनर्वास (मध्य प्रदेश)
1503	.	हरिजन की हत्या (आन्ध्र प्रदेश)
1508	.	बेलची की घटना (बिहार)
1513	.	अस्पृश्यता मानवता के विरुद्ध अपराध
1520	.	मुख्य धारा में आदिवासियों का प्रवेश।
1521	.	विचित्र किन्तु सत्य।
1535	.	'जातिवाद के विरुद्ध जिहाद' शीर्षक के अन्तर्गत। (i) गुरू रविदास की 601 वीं जन्मशती (दिल्ली)। (ii) सामुदायिक विवाह।

इन समाचार रीलों के अतिरिक्त 1977–78 वर्ष के लिए फिल्म प्रभाग की निर्माण योजनाओं के अन्तगत अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक वृत्त चित्र भी बनाया जाना है। इस चल चित्र की पटकथा तैयार हो रही है। पटकथा तैयार होने और प्रायोजक द्वारा नामित इस विषय के विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदन के पश्चात इस वृत्तचित्र पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह वृत्त चित्र समूचे भारत में सार्वजनिक प्रेक्षागृहों में सामान्य प्रदर्शन के लिए जारी की जाये।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने अस्पृश्यता प्रथा के उन्मूलन के बारे में अनेक मुद्रण कार्य लिए थे । इनके अतिरिक्त उसने देश के तमाम भाषा समाचार पत्रों में 2 अक्तूबर, 1977 को महात्मा गांधी के जन्म दिन पर 3 कालम का 20 से० मी० का प्रदर्शन विज्ञापन जारी किया था जिसकी लागत 50,000 रुपये आयी थी ।

अनुसन्धान और संदर्भ प्रभाग

1977 वर्ष के दौरान अनुसंधान और सन्दर्भ प्रभाग ने "टूवर्डस् एबोलिशन आफ अनटचेबिलिटी" (अस्पृश्यता उन्मूलन की ओर) शीर्षक से एक संदर्भ शोध पत्र जारी किया था । इस शोध पत्र में समाज में से अस्पृश्यता प्रथा के उन्मूलन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का गहन अध्ययन किया गया था ।

परिशिष्ट 57

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.5)

आदिवासी उप-योजना के लिए राज्य सेक्टर और विशेष केन्द्रीय सहायता से मिलने वाली निधियां

(रु० लाखों में)

राज्य	1975-76		1976-77		1977-78		1978-79	
	राज्य उप-योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य उप-योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य उप-योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य उप-योजना	विशेष केन्द्री सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश .	665.00	123.00	960.00	194.75	1,192.52	285.25	1,473.00	253.00
2. आसाम . .	66.00	100.00	570.00	203.00	734.00	257.00	1,000.00	325.00
3. बिहार .	1,742.00	281.00	4,115.00	614.00	5,378.00	807.50	6,225.00	975.00
4. गुजरात .	800.00	200.00	1,600.00	326.00	3,250.00	473.10	3,350.14	596.00
5. हिमाचल प्रदेश .	140.00	31.00	250.00	68.00	372.39	90.00	590.35	130.00
6. कर्नाटक .	एन०ओ०*	10.00	100.00	20.00	128.50	24.00	203.00	24.00
7. केरल .	एन०ओ०*	15.00	एन०ए०	26.00	51.00	25.00	91.00	18.00
8. मध्य प्रदेश .	2,300.00	506.00	4,000.00	1,097.00	5,324.00	1,554.00	6,354.00	1,826.00
9. महाराष्ट्र .	1,350.00	104.00	2,155.00	231.00	3,272.79	378.25	4,851.81	397.00
10. मणीपुर . .	472.00	43.00	700.00	90.00	869.00	128.00	1,434.00	177.00
11. उड़ीसा . .	2,125.00	292.00	2,617.00	587.00	3,360.35	770.15	7,551.60	960.00
12. राजस्थान .	629.00	150.00	963.00	246.00	622.25	298.10	1,374.00	327.00
13. तामिलनाडु .	एन०ओ०*	12.00	117.00	44.00	153.27	45.00	159.00	49.00
14. त्रिपुरा . .	234.00	36.00	408.00	68.00	460.00	96.40	722.50	105.00
15. उत्तर प्रदेश .	एन०ओ०*	5.00	50.00	11.00	25.00	15.00	58.00	17.00
16. पश्चिमी बंगाल .	387.00	72.00	823.00	149.00	1,352.00	225.00	1,354.60	263.00
17. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन०ओ०*	20.00	..	17.00	41.60	17.00	75.00	36.00
18. गोवा, दमन और द्वीप	एन०ओ*	शून्य	20.00	8.00	29.07	11.00	45.00	22.00
योग .	10,911.00	2,000.00	19,178.00	4,000.00	25,721.74	5,500.00	34,412.00	6,500.00
							(आरक्षित) +	500.00
								7,000.00

*अनिर्धारित

परिशिष्ट 58

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.6)

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की तैयारी की प्रगति बताने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना योग	तैयारशुदा की सं०
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	7
2.	आसाम	19	1
3.	बिहार	14	10
4.	गुजरात	9	8
5.	हिमाचल प्रदेश	3	3
6.	कर्नाटक	5	3
7.	केरल	5	2
8.	मध्य प्रदेश	42	40
9.	महाराष्ट्र	15	15
10.	मणिपुर	5	..
11.	उड़ीसा	23	19
12.	राजस्थान	5	4
13.	तमिलनाडु	9	9
14.	त्रिपुरा	3	
15.	उत्तर प्रदेश	2	1
16.	पश्चिमी बंगाल	12	6
17.	अण्डमान और निकोबार द्विपसमुह	1	..
18.	गोवा दमन और दीव	1	..
	योग	180	129

परिशिष्ट 59

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.14)

आदिम जातियों के रूप में पहचाने गये/पहचाने जाने वाले समुदाय बताने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आदिम जातियां: अभी तक स्वीकृत — संख्या	अभी तक स्वीकृत — नाम	विचाराधीन — संख्या	विचाराधीन — नाम
आन्ध्र प्रदेश	3	चेन्चू कोलाम, कोंडा रेड्डी	7	गडावा, कोंडा डोरा, कोंड (सामंथा), पोरजा सावारा थोटी, येनाडी (चल्ला)
बिहार	9	बीरहोर, असुर, बीरजला, कोरबा, हिल खड़िया, पड़ाहिया, माल पहाड़िया, सावर, सौरिया पहाड़ी		..
गुजरात	2	काठोडी, कोट-वालिया†	2	पठारी, सीधीज
कर्नाटक	..	..	2	जेनू कुरुबा, कोरगा
केरल	2	चोला नायकन, कुरुम्बा	..	..
मध्य प्रदेश	4	अबुझ माड़िया, बैगा, गाडिया,† हिल कोरवा	1	सहारिया
महाराष्ट्र	3	कोटकारी, कोलम, मारिया गोंड†	..	..
उड़ीसा	9	बोन्डो, सौरा, कुटिया कोंढ, पौड़ी भूजन, जुआंग, मन-कीड़िया, लान-जिया, सौरास खाड़िया, डोंग-रिया, कोंढ	..	..
राजस्थान	1	सहारिया*	..	..
तमिलनाडु	6	टोडा कोटा, इरुला कुरुम्बा, काट्टू नायकन, पानिया†*	4	कानो, पालिगर, पालियार, कानीक-करन
त्रिपुरा	1	रियांग	..	..
उत्तर प्रदेश	1	राजी	..	..
पश्चिमी बंगाल	3	बोरहोर*, टोटे, लोधा†	3	असुर, राभा, लेपचा
अण्डमान और निकोबार	5	ग्रेट अण्डमानी, ओंगे, जरावा, सेटीनेरी और शोम्पेन	..	..
योग	49		19	

†राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इन समुदायों के उन विशिष्ट वर्गों की पहचान करे, जो विकास के कृषि पूर्व और साक्षरता पूर्व चरणों में हों । आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, दमन और दीव में आदिम जातियाँ नहीं है ।

*तारक चिन्हित समुदाय दो या दो से अधिक राज्यों में मिलते हैं ।

परिशिष्ट 60

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.16)

आदिम जातियों के लिए विकास कार्यक्रमों के वास्ते राज्य सरकारों को दी गयी धनराशियां बताने वाला विवरण

	दी गयी धनराशियां (रु० लाखों में)		
	1975–76	1976–77	1977–78 (21-7-79 तक)
आन्ध्र प्रदेश .	—	10.00	5.00
बिहार . .	1.00	9.00	4.50
गुजरात . .	—	1.00	0.50
कर्नाटक . .	—	—	—
केरल . .	1.00	8.00	4.00
मध्य प्रदेश . .	6.00	6.00	3.00
उड़ीसा . .	2.00	5.00	2.50
राजस्थान . .	1.00	—	0.50
तमिलनाडु . .	—	4.00	2.00
त्रिपुरा . .	—	10.00	5.00
उत्तर प्रदेश .	—	1.00	0.50
पश्चिमी बंगाल .	—	5.00	2.50
अंडमान और निकोबार.	20.00	5.00	2.50
	31.00	70.00	33.00

परिशिष्ट 61

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.44)

आदिवासी अनुसंधान संस्थानों द्वारा 1977–78 के दौरान पूरे किये गये शोध-अध्ययन

I. आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, कोझीकोड़

1. जी० आर० बी० टी० स्कूलों की कार्य-प्रणाली का पुनर्अध्ययन ।
2. केरल की स्वास्थ्य और आदिवासी औषधियां ।

II. आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पूना

1. चन्द्रपुर जिले में कोढ़ की समस्या ।
2. नासिक और थाना जिले की बघाड़ और सूर्य सिंचाई परियोजनाओ से अनसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ ।
3. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, किनवात नंदेड़ जिला ।
4. थाना जिले में बंधुआ मजदूर ।
5. महाराष्ट्र में आदिम जनजातियों की स्वास्थ्य तथा पोषण समस्या ।
6. महाराष्ट्र की हलवा जनजाति को दी जाने वाली मैट्रिकपूर्व छात्र-वृत्तियां के बारे में रिपोर्ट ।
7. महाराष्ट्र राज्य की जनजातियों के बारे में नृजातीय नोट ।
8. महाराष्ट्र में अनसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक समस्याएं ।

III. सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता

1. पश्चिमी बंगाल की अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक प्रगति रोकने वाले कारक ।
2. पश्चिमी बंगाल के संथालों का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन ।
3. निरहोर नामक आदिम जनजाति का प्रबंध संबंधी अध्ययन ।
4. पश्चिमी बंगाल में आदिवासियों के आन्दोलन ।
5. अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की जनसंख्या की विभिन्नता ।
6. पश्चिमी बंगाल में अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के साक्षरता और शैक्षिक स्तर ।
7. विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की जनसंख्या का योग ।
8. पश्चिमी बंगाल में अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की जनसंख्या का आकार, साक्षरता स्तर और व्यावसायिक निर्भरता ।
9. अनसूचित जनजातियों में वैवाहिक स्थिति ।
10. अनसूचित जनातियों/अनसूचित जनजातियों के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं पर सिंहावलोकन ।
11. 24 परगना और मुर्शिदाबाद जिलों के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट ।

IV. आदियासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद

1. आदिलाबाद जिला—मनुष्य शक्ति साधनों का अध्ययन ।
2. उप-योजना और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं की तैयारी ।
3. उप-योजना/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यक्रमों की समीक्षा ।
4. आन्ध्र प्रदेश में अनसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का संग्रह ।
5. आन्ध्र प्रदेश में अनसूचित क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरकों और शिकायतों का गुटका ।
6. कोंडा रेड्डी कोलमों के विकास के लिए तैयार योजनाएं ।
7. अनसूचित जातियों में प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का अध्ययन ।
8. आन्ध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन ।
9. आन्ध्र प्रदेश के आदिवासियों में पत्नी रेहन रखने की प्रथा ।
10. श्रीकाकुलम और पश्चिम गोदावरी जिलों में दुधारू पशुओं के वितरण का अध्ययन ।
11. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का बैंच मार्क सर्वेक्षण ।
12. आन्ध्र प्रदेश के आदिवासियों में खपत-प्रतिमानों का अध्ययन ।
13. आदिलाबाद जिले के आदिवासियों का कर्मकांडी ढांचा ।
14. आदिवासी शिक्षा में प्रेरक कारक ।
15. श्रीकाकुलम जिले में मनुष्य शक्ति साधनों का अध्ययन ।
16. विशाखापटनम जिले में मनुष्य शक्ति साधनों का अध्ययन

परिशिष्ट 62

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.47)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर खोज-अध्ययनों में लगे अन्य संस्थानों की सूची

1. निदेशक,
   ए० एन० सिन्हा इन्स्टीच्यूट फार सोशल स्टडीज,
   पटना ।
2. सचिव,
   राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अनुसंधान खंड, आदिवासी शिक्षा यूनिट,
   श्री अरविन्द मार्ग,
   नई दिल्ली ।
3. निदेशक,
   इन्स्टीच्यूट फार सोशल एंड इकानोमिक चेंज, पोस्ट बाक्स 5120,
   कूलटन हाउस, पैलेस रोड,
   बंगलौर-560 001 ।
4. निदेशक,
   भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, 11 पी० ए० होस्टल,
   इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
   नई दिल्ली ।
5. निदेशक,
   राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर,
   हैदराबाद ।
6. निदेशक,
   नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ बैंक मेनेजमेंट, 85 नेपियन सी रोड,
   बम्बई-400006.
7. रजिस्ट्रार,
   नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइट इकानोमिक रिसर्च, इन्द्रप्रस्थ,
   एस्टेट,
   नई दिल्ली ।
8. निदेशक,
   इन्स्टीच्यूट आफ एडवान्सड स्टडीज,
   शिमला ।
9. भारत का महापंजीयक,
   सामाजिक अध्ययन प्रभाग, रामकृष्णपुरम,
   नई दिल्ली ।
10. निदेशक,
    भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण, 27, जवाहरलाल नेहरु रोड,
    कलकत्ता-13 ।
11. निदेशक,
    राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, सी-1/4, सफदर-
    जंग डेवलपमेंट एरिया, हौज खास,
    नई दिल्ली ।
12. निदेशक,
    गोखले इन्स्टीच्यूट आफ पालिटिक्स एंड इकानोमिक्स,
    पूना ।
13. निदेशक,
    राष्ट्रीय जन संचार संस्थान, साऊथ एक्सटेंशन,
    नई दिल्ली ।
14. अध्यक्ष,
    राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ए बी-6, सफदरजंग एन्क्लेव,
    नई दिल्ली ।
15. निदेशक,
    टाटा इन्स्टीच्यूट आफ सोशल साइन्सेज, दियोनार,
    बम्बई ।

परिशिष्ट 63

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 8.47)

1977–78 के दौरान अन्य संस्थानों द्वारा किया गया अनुसंधान-कार्य

1. गोखले इन्स्टीच्यूट आफ पालिटिक्स एंड इकानोमिक्स चेंज, पूना ।

(i) आदिवासी विद्यालय शिक्षा में अपव्यय और प्रगति-रोध ।

(ii) भारत में नवबौद्ध आन्दोलन का समाज-वैज्ञानिक अध्ययन ।

2. ए० एन० एस० इन्स्टीच्यूट आफ सोशल स्टरीज, पटना ।

मुंडा जनजाति का पुनर्अध्ययन ।

3. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

(i) उत्तर प्रदेश की अनुधिसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में आदिवासी बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।

(ii) शोषित वर्गों में शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कार्य-छुट्टियों की परियोजना और शिक्षा गोष्ठियां ।

(iii) लाहौल और स्पिति के शैक्षणिक विकास का अध्ययन ।

4. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता

(i) आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चुनिन्दा आदिवासी कबीलों में प्रचलित आदिवासी आचरिक कानून का विशेष अध्ययन ।

(ii) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के बंजारा जनजाति के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर रिपोर्ट ।

(iii) कर्नाटक की सौलिगा, उड़ीसा की पेंगों और साओरा, आन्ध्र-प्रदेश की कोन्डाकपुर पर नृजातीय तथा मध्य भारत से गोंड जनजाति की राजनीतिक पद्धति पर क्षेत्र-कार्य ।

(iv) लघु अंडमान की ओंगे जनजाति का विशेष नृजातीय अध्ययन ।

परिशिष्ट 64

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 9·11)

महाराष्ट्र राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र में हुई घटनाओं के संबंध में औरंगाबाद, पारबनी और नांदेड जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त श्री शिशिर कुमार के 11 से 14 अगस्त, 1978 तक के दौरे की रिपोर्ट

मराठवाड़ा की घटनाओं से संबंधित समाचार पत्रों की रिपोर्ट

अगस्त, 1978 के प्रथम सप्ताह में कुछ समाचार पत्रों में ऐसी सनसनीखेज खबरें "मराठवाडा में हरिजन युवक को कुल्हाडे से काट दिया गया", "हरिजनों की झोपड़ियों को आग लगाने की नीयत से हमला", "मराठवाडा क्षेत्र में मुख्य रूप से हरिजनों पर हमला" आदि प्रकाशित हुई थीं। मराठवाडा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० बी० आर० अम्बेडकर के नाम पर रखने के सिलसिले में मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी 5 जिलों में नव-बौद्ध और सवर्ण हिन्दुओं के बीच जम कर संघर्ष होने की खबरें मिली थी। स्थिति की नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को अनेक स्थानों पर गोली चलानी पड़ी और कर्फ्यु लगाना पड़ा।

मराठवाड़ा घटनाओं के संबंध में 7 अगस्त, 1978 को लोक सभा में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री धनिकलाल मंडल का वक्तव्य

2. 7 अगस्त, 1978 की गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री धनिकलाल मंडल ने लोक सभा में उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में एक वक्तव्य दिया जो मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रश्न पर हिंसा और अराजकता से संबंधित घटनाओं के सिलसिले में पेश किया गया था। वक्तव्य इस प्रकार था :—

"महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए बहुत लम्बे अरसे से मांग की जा रही थी। यह मामला महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन था और 17 जलाई से पूर्व यह फैसला किया गया कि विधान मंडल के दोनों सदनों में इस परिवर्तन के पक्ष में प्रस्ताव किए जाएं। ऐसे आशय के प्रस्ताव, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में नाम परिवर्तन करने के पक्ष में 27 जलाई को स्वीकार कर लिए गए।

"विद्यार्थी कृति समिति" नामक एक संस्था ने प्रस्तावों की तिथि वाले दिन मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ कस्बो में 'बन्द' का आवाहन दिया। जब यह सर्वविदित हो गया कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तो औरंगाबाद और पारबनी जिलों में इन प्रदर्शनो ने उग्र रूप धारण कर लिया।

प्रभावित कस्बों में आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किए गए। पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सरकारी कार्यालयों, राज्य परिवहन और रेलगाड़ीयों पर हमले किए गए और कुछ स्थानों पर आगजनी की भी घटनाएं हुई। हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच झगड़ो की कुछ वारदातें हुई और हरिजन बस्तियों पर भी हमला किया गया। अनेक अवसरों पर पुलिस दल पर भी हमला किया गया और एक स्थान पुलिस चौकी को आग तक लगा दी और पुलिस के एक उप निरीक्षक को आग में झोंक कर मार दिया गया। यह घटनाएं नांदेड नगर और उस्मानाबाद जिले के देगलूर, औरंगाबाद, पारबनी और तुलजापुर क्षेत्रों में हुई। इन घटनाओं से निपटने के लिए 29 जुलाई और 5 अगस्त, 1978 के बीच 13 स्थानों पर गोलियां चलानी पड़ी। गोली चलाने की इन घटनाओं में उपलब्ध सूचना के अनुसार, तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 8 व्यक्ति घायल हो गए। राज्य सरकार के अनुसार, स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और पिछले दो दिनों में यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा क्षेत्र के संसद सदस्यों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों, छात्र नेताओं सहित अन्य नेताओं, दलित पैन्थरों तथा नव-बौद्धों की संस्थाओं के साथ बातचीत शुरू की है। वह उनसे 4 अगस्त (दोपहर) और 5 अगस्त (अपराह्न) को भेंट भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि आन्दोलन को जातिगत या सांप्रदायिक रंग लेने से रोकने के लिए वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। अन्तिम सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप सफल रहा है और आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिर शुरू नहीं होगा तथा संगठक जातिगत विद्वेष की भावनाओं के जोर पकड़ने के खतरे को महसूस करेंगे।"

मराठवाड़ा की घटनाओं के संबंध में 11 अगस्त, 1978 को राज्य सभा में गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य

3. बाद में गृह राज्य मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सिलसिले में राज्य सभा में 11 अगस्त, 1978 को दिए गए अपने वक्तव्य में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दी :—

"राज्य सरकार के अनुसार, मराठवाड़ा क्षेत्र में 28 जुलाई और 7 अगस्त 1978 के बीच हरिजनों और सवर्णों के बीच हुए संघर्षों की 19 घटनाएं हुई, जिनमें 2 हरिजनों की मृत्यु हुई तथा 15 घायल हो गए। आगजनी की घटनाओं में, हरिजनों की करीब 1500 झोपड़ियां जला दी गई या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को 14 अवसरों पर गोली चलानी पडी। इनमें से चार बार फायरिंग हरिजनो और गैर-हरिजनों के झगड़ों के सिलसिले में करनी पडी। कुल मिलाकर, पुलिस की गोली से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 10 व्यक्ति घायल हो गए।"

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए गठित संसदीय समिति द्वारा जांच कराने के वास्ते 14 अगस्त, 1978 को लोक सभा में प्रस्ताव पारित।

4. 14 अगस्त को लोक सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :—

"महाराष्ट्र राज्य में, मराठवाड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए कथित उपद्रवों और कुछ हत्याओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के बाद, यह सदन गहरी चिन्ता व्यक्त करता है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए नियुक्त संसदीय समिति को निर्देश देता है कि वह इन घटनाओं के कारणों की जांच करे तथा इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करें और वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दे। साथ ही, भारत के किसी भी भाग में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी उपयुक्त उपाय यह समिति सुझाए।"

औरंगाबाद, पारबनी और नांदेड जिलों का दौरा :

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त श्री शिशिरकुमार ने 11 से 14 अगस्त, 1978 तक औरंगाबाद, पारबनी और नांदेड जिलों का दौरा किया। दौरे में उनके साथ उपायुक्त श्री एस० के० कौल के अलावा, महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक श्री आर० एल० प्रदीप भी थे। पिछड़ वर्ग कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक श्री एस० एल० दुबे भी नांदेड से उनके साथ दौरे में शामिल हो गए। अपने दौरे के बीच, आयुक्त ने अधिकारियों तथा गैर-सरकारी लोगों से भेंट की तथा तीन जिलों में हुई घटनाओं से संबन्द्ध अनेक गांवों का भी दौरा किया। 14 अगस्त, को, आयुक्त बंबई में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री श्री शरद पवार से भेंट की और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया तथा उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में स्थिति सामान्य करने से संबंधित अनेक सुझाव दिए।

औरंगाबद जिले का दौरा

6. उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने से पूर्व आयुक्त ने औरंगाबाद प्रभा के आयुक्त, कलक्टर, औरंगाबाद की जिला परिषद् के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी तथा मराठवाडा क्षेत्र के सभी पांचों जिलों के जिला पुलिस अधीक्षकों से विस्तार से विचार-विमर्श किया। आयुक्त को प्रभाग में हुए दंगों की घटनाओं तथा स्थिति से निपटाने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। औरंगाबाद नगर में छात्रों ने सड़कों की प्रकाश व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और विश्वविद्यालय का दुबारा नामकरण करने के विरोध में अनेक जुलूस निकाले, लेकिन स्थिति को होशियारी से निपट लेने के कारण कोई हिंसक घटना नहीं हुई। आयुक्त को बताया गया कि इस आंदोलन का नांदेड और पारबनी जिलों पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ है। 100 से भी अधिक गांवों में हिंसात्मक उपद्रव हुए, जिनमें 1200 मकानों को आग लगा दी गई, 6 व्यक्तियों को पुलिस से हुए झगड़ों और उनके गोली चलाने से प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अनेक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। सरकारी संपत्ति जैसे मालगाड़ी के डिब्बे, बसें, जीप आदि को नुकसान पहुंचाया गया या जला दिया गया तथा संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने की नीयत से पुलों और पुलियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई स्थानों पर टेलिफोन की लाइनों को काट दिया गया। बाद में, आयुक्त ने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, दलित पैंथर नेताओं और मराठवाड़ा विद्यार्थी कृति समिति के नेताओं से भी भेंट की। वे जलना तहसील में स्थित अकोला और कंदारी गांवों में भी गए। बदनपुर में प्रभावित व्यक्तियों के लिए आयोजित राहत शिबिर में भी वे गए और अकोला गांव के उन अनेक नव-बौद्धों से मिले जो अपने गांव लौटने पर हिचकिचा रहे थे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों जैसे जस्टिस श्री बी० आर० भोले, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व रजिस्ट्रार श्री एन० बी० चिटनिस तथा अन्य व्यक्तियों से भी भेंट की।

अकोला गांव

7. अकोला गांव में, 4 नव-बौद्धों के मकान 2 अगस्त, 1978 की रात को जला दिए गए थे। इससे, डा० अम्बेडकर की एक प्रतिमा भंग की गई। जिस घर को सबसे पहले आग लगाई गई, वह पुलिस पाटिल श्री काशीनाथ बोर्डे का था। श्री पाटिल के पास गांव में 14 एकड़ कृषि भूमि है। उसने गांव में एक आटा चक्की लगाई थी और अच्छा खाता-पीता था। यह बताया गया कि उसका एक भाई जो सेना में था, 1971 के भारत-पाक युद्ध में मारा गया था। वह सवर्ण हिन्दुओं के क्रोध का प्रमुख रूप से शिकार इस लिए बना, क्योंकि वह अपनी सरकारी हैसियत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्पीडन के मामलों की रिपोर्ट संबद्ध प्राधिकारियों को कर देता था। उसकी बैलगाड़ी और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को जलाकर राख कर दिया गया। पुलिस घटनास्थल पर उस समय पहुंची, जब घर को आग लगाई जा चुकी थी और उपद्रवी वहां से भाग चुके थ। अग्निशमन सेवा ने आग बुझाई और अगर ऐसा न किया जाता तो पड़ौसी घरों के भी आग की लपेट में आने का खतरा था। हमलावरों ने मशालों की सहायता से आग लगाई थी। नवबौद्धों ने अपनी महिलाओं और बच्चों को खेतों में छुपा दिया और अपने घरों को जलता हुआ देखते रहे। गांव वालों ने पुलिस को उन तीस व्यक्तियों के नाम दिए जिन्हें वे आग लगाने का जिम्मेदार मानते थे। आयुक्त को बताया गया कि अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अधीन अपराध दर्ज किए गए। दौरे के समय तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी और पुलिस के अनुसार, संबद्ध व्यक्ति अभी तक भागे हुए थे। जबकि कुछ नव-बौद्धों का कहना था कि भगोडे इलाके में मजे में आजादी से घूम रहे हैं। गांव वालों से बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि नव-बौद्धों का गांव में अलग से अपना कुआं है। मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। यह स्पष्ट था कि गांव में प्रतिद्वन्दिता का वातावरण भी और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के दुबारा नामकरण के मामले का उपयोग पिछले हिसाब-किताब चुकाने के लिए किया गया। इससे पहले भी, पुलिस पाटिल द्वारा लगाए गए फलदार पेड़ों को काट दिया गया और उसके मुर्गीघर के पक्षियों को जहर दिया गया। नव-बौद्ध इसलिए भयभीत थे कि यह तीसरी बार थी, जब सवर्ण हिन्दुओं ने उनके घरों पर हमला किया था। पहली बार हमला कई वर्ष पूर्व, अम्बेडकर जयंती समारोह के दौरान किया गया था। दूसरी बार के झगड़े में एक बारात पर पत्थर फेंके गए थे और प्रतिमाएं भंग की गई थीं। वे बदनपुर से जहां आयुक्त ने उनसे भेंट की, लौटने के लिए तैयार नहीं थे। 2 अगस्त की घटनाओं के बाद, उन्हें यहां ले आया गया था तथा जिला प्राधिकारियों ने उनके लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। आयुक्त के इस विशेष रूप से पूछे गए प्रश्न पर कि वे अपने गांव कब लौटेंगे, पुलिस पाटिल ने उत्तर दिया कि उसे तथा उसके साथियों को अपने प्राणों की सुरक्षा को खतरा है और अपने गांव लौटने को तैयार नहीं हैं। उसने इच्छा प्रगट की कि उन्हें बदनपुर या औरंगाबाद नगर में पुनर्वासित किया जा सकता है। आयुक्त के एक और प्रश्न के उत्तर में पुलिस पाटिल ने बताया कि वह गांव लौटने के स्थान पर अपनी कृषि योग्य बेच देगा। आयुक्त ने उन्हें सलाह दी कि अगर उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान की समुचित सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया जाता है तो उन्हें गांव लौट जाना चाहिए।

कंडेरी गांव

8. कंडेरी बुडरुक (बड़) गांव में अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव बरता जाता था और उनकी बस्तियां गांव के बाहरी हिस्सों में थीं। जिला परिषद् ने अनसूचित जातियों के लिए उन्हें आबंटित किए गए आवासिय भूखंडों पर कुछ घरों का निर्माण किया था। यह मालूम हुआ कि गांव में गड़बड़ 4 अगस्त, 1978 को शुरू हुई और एक स्कूल शिक्षक श्री साकाराम का घर देर शाम को जला दिया गया। पांच एकड़ भूमि के स्वामी श्री साका राम ने इस काम के लिए जिम्मेदार किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया क्योंकि उन्हें बदले की कार्यवाही का डर था। कुल मिलकर 13 घर (9 गांव के अन्दर और 4 बाहर) और 4 पशुशालाओं को जलाया गया। यह बताया गया कि सवर्ण हिन्दुओं और अनुसूचित जातियों के बीच कड़वेपन का आंशिक धारण अनुसूचित जाति के श्री विश्वनाथ नांदेव बोर्डे का सवर्ण हिन्दु समुदाय के पुलिस पाटिल की पुत्री से विवाह करना था। लेकिन श्री बोर्डे के घर को आग नहीं लगाई गई थी। कंडेरी खुर्द (छोटे) गांव में 5 घरों को आग लगाई गई थी। 21 सुवर्ण हिन्दुओं के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 12 व्यक्ति फरार बताए जाते थे कंडेरी बुडरुक और कंडेरी खुर्द की कुल जनसंख्या करीब 2800 में से, अनुसूचित जातियों तथा नव-बौद्धों की संख्या 250 थी। यह उल्लेखनीय है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के घर जलाए गए, जो कृषि योग्य भूमि के स्वामी थे। जिला प्राधिकारियों ने प्रति प्रभावित व्यक्ति को सरकारी निधि से 15 दिन के भोजन और वस्त्र के लिए 50 रुपये तथा सार्वजनिक रूप से इकट्ठी की गई दान राशि में से प्रति प्रभावित परिवार को बर्तन, एक धोती और एक साड़ी देने की व्यवस्था की हुई थी। यह बताया गया कि इस गांव में अनुसूचित जातियों और नव-बौद्धों को आबंटित बाटन भूमि का एक बड़ा भाग भू-पतियों के कब्जे में चला गया है। शाम को आयुक्त बदनपुर से पारबनी की ओर रवाना हो गए तथा रास्ते में अनेक स्थानों पर उन्होंने देखा कि कई पुलों और पुलियों को नुकसान पहुंचाया गया है। स्पष्ट है, यह कार्य आवश्यक उपकरणों से सज्जित हिंसक भीड़ ने ही किया होगा। इसके परिणामस्वरूप, अनेक स्थानों पर संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थीं।

पारबनी जिले में दौरा

9. पारबनी में, आयुक्त की भेंट राज्य के परिवहन विभाग के मंत्री श्री एस० जी० नखाते से हुई जो उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। बाद में उन्होंने कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिषद के मुख्य कार्य

कार्यपालक अधिकारी जिसने जिले के विभिन्न भागों में हुए उपद्रवों के बारे में विस्तृत विवरण दिया, से विस्तार से विचार-विमर्श किया। आयुक्त को बताया गया कि परभनी नगर में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण करने के विरोध में 24 और 25 जुलाई, 1978 को जुलूस निकाले गए। 26 जुलाई को एक बन्द का आह्वान किया गया जिसके फलस्वरूप शिक्षा संस्थाएं, दुकानें आदि पूरी तरह बन्द रहे। 26 जुलाई को ही, लगभग 3,000 छात्रों ने एक जुलूस निकाला और आर० डी० सी० को एक ज्ञापन दिया। कुछ छात्र नेताओं ने तो इस हद तक घोषणा की गई बताते हैं कि अगर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण न करने की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वे मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को जलाने की सीमा तक जाएंगे। 27 जुलाई, 1978 को, परभनी नगर में 70 प्रतिशत से अधिक दुकानें बन्द रहीं। एक मोर्चे का गठन किया गया तथा जिला मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया। मनमाड-काचीगुड़ा गाड़ी को करीब 45 मिनट तक रोके रखा। बसना -परभनी मार्ग पर दो बसों को नुकसान पहुंचाया गया। नगर की प्रकाश व्यवस्था को भंग कर दिया गया। 28 जुलाई से आंदोलन पूरे जिले में फैल गया। सैलू में काचीगुड़ा-मनमाड गाड़ी का एक डिब्बा और मनमाड-काचीगुड़ा गाड़ी के 5 डिब्बों को जला दिया गया। 28 जुलाई से 5 अगस्त, 1978 तक, 3,22,500 रुपए मूल्य की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। 3 अगस्त, 1978 को कुछ छात्र नेता आदि मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए बंबई पहुंचे। वे 5 की रात या 6 की सुबह को जिला मुख्यालय वापिस लौट आए और 6 अगस्त, 1978 को दोपहर को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके खत्म होने के बाद रेडियो पर यह समाचार सुनाई पड़ा कि मराठवाड़ा विद्यापीठ कृति समिति ने आंदोलन को वापिस लेने का फैसला किया है तथा परभनी की छात्र तथा नागरिक एक्शन समिति ने भी आंदोलन को वापिस लेने का फैसला किया है। आयुक्त को यह बताया गया कि आंदोलन को किसी प्रतिष्ठित नेता का समर्थन प्राप्त नहीं था। आंदोलन की पूरी अवधि के दौरान किसी भी विधान सभा या विधान परिषद् सदस्य ने जिले का दौरा नहीं किया। यह बताया गया कि औरंगाबाद के छात्रों ने परभनी की छात्र एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों की हिंसात्मक कार्रवाई के लिए उकसाने के उद्देश्य से चूड़ियां भेजी थीं। आम तौर पर उपद्रव के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ गंगाखेड इस बात का अपवाद था जहां भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री टी० एम० सावंत और आर० पी० आई० के नेता श्री भालेराव की संपत्ति को गंगाखेड के छात्रों ने नुकसान पहुंचाया। सिंचाई विभाग कार्यालयों को संपत्ति आम तौर पर उपद्रवियों के हमले का शिकार बनी।

अडगांव गांव

10. परभनी जिले के 40 गांव इन दंगों से प्रभावित रहे। आयुक्त ने इनमें से दो गांवों—अडगांव और कवलगांव का 12 अगस्त, 1978 को दौरा किया। अडगांव गांव में, 2 अगस्त, 1978 को नव-बौद्धों के 43 घरों के सवर्ण हिन्दुओं ने उनके मकानों को आग लगाई। सरपंच को मकानों को आग लगाने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। स्कूल शिक्षक श्री बापूराव ज्ञानोजी लोंदे, जिनका मकान जल गया था, ने बताया कि वह इस स्थान पर काम नहीं करना चाहते और उन्होंने स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र भी भेज दिया था। इस गांव के अनुसूचित जातियों के बहुत कम व्यक्तियों के पास भूमि थी और यह समझा जाता है कि खेतीहर मजदूरों को निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी नहीं दी जाती थी। नव-बौद्धों के पानी पीने के लिए गांव में अलग कुआं था।

कवलगांव गांव

11. कवलगांव गांव में दंगे 31 जुलाई की प्रातः हुए। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 3,000 में से अनुसूचित जातियों/नव-बौद्धों की जनसंख्या करीब 500 थी। यह बताया गया कि सुबह जब अनुसूचित जाति के लोग/नव-बौद्ध कुएं से पानी भरने गए तो सवर्ण हिन्दु छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद सवर्ण हिन्दु मंदिर में इकट्ठे हुए और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से वहां आने के लिए कहा गया। जब कुछ नव-बौद्ध मंदिर में आए तो सवर्ण हिन्दुओं ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। यह बताया गया कि जिन सवर्ण हिन्दु छात्रों ने नव-बौद्धों पर हमला किया था, वे गांव के ही थे। जिस समय यह घटना घटी, सरपंच और गांव के शेष सभी सदस्य गांव में ही थे। नव-बौद्धों ने बताया कि सरपंच ने उनका बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन वह सवर्ण हिन्दुओं पर काबू पाने में असफल रहा। इस गांव में अधिकतर नव-बौद्ध/अनुसूचित जाति के लोग मुख्य रूप से मजदूरी करते हैं और उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। किसी के भी पास भूमि नहीं है। अधिकतर नव-बौद्ध/अनुसूचित जाति के लोग सवर्ण हिन्दु भूपतियों की भूमि पर काम करते हैं। गांव के सरपंच के पास करीब 100 एकड़ भूमि है। आयुक्त को बताया गया कि अनेक नव-बौद्ध गांव छोड़ कर भाग गए थे, लेकिन अब लौट रहे हैं। बताया जाता है कि उपद्रवियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नांदेड जिले में दौरा

12. नांदेड में आयुक्त ने कलक्टर से भेंट की, जिसने उन्हें बताया कि उसके जिले में घटनाक्रम कैसे विकसित हुआ और प्रशासन ने उस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए। उन्होंने डी० आई० जी० श्री एस० एस० साहनी और पुलिस अधीक्षक से भी भेंट की। विशेष ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी श्री श्रीनिवासन, जिन्हें बम्बई से विशेष रूप से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की योजना बनाने के लिए यहां भेजा गया था, ने भी रात को आयुक्त से भेंट की। नांदेड में अपने पड़ाव के दौरान, आयुक्त ने अनेक* नव बौद्धों/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भी मुलाकात की जिन्होंने उन्हें अपने पर हुए अत्याचारों से अवगत कराया। सब जिलों से अधिक नांदेड में दंगों का प्रभाव पड़ा। जिले के आठ तालुकों में से 2 तालुके अप्रभावित रहे और शेष 6 तालुकों में से देगलूर, नांदेड, कंधार, बिलोली और मुखेड़ क्षेत्रों में सबसे अधिक असर पड़ा। नांदेड तालुका के सुगांव गांव में और बिलोली तालुका के तेंभुरनी गांव में, आयुक्त ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के जले हुए घर देखे। नांदेड में, प्रभावित व्यक्तियों के शिविर का भी दौरा किया। वे नांदेड के सिविल अस्पताल भी गए।

13. आयुक्त को दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के विधान मंडल के दोनो सदनों में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पुनः नामकरण की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से घोषित किए जाने से पूर्व,

---

*उनमें से कुछ प्रवक्ताओं के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) प्रोफेसर मंजरामर अनंत, प्रधान, मराठवाड़ा आर० पी० आई०।
(2) श्री यशवंत रामचन्द्र अथवाड, प्रधान, मराठवाड़ा रिपब्लिकन मजदूर संघ, नांदेड।
(3) श्री पी० के० सोनकाम्बले, प्रधान, देगलूर तालुका रिपब्लिकन पार्टी, जिला नांदेड।
(4) श्री आर० एन० गजपारे, सचिव, देगलूर, पी० डब्ल्यु० पी०, नांदेड।
(5) श्री एम० एम० मनबलत, अध्यक्ष, भारतीय बंध महासभा, नांदेड।
(6) श्री एकनाथराव काम्बले, प्रधान, रिपब्लिकन मिल वर्कर्स यूनियन।
(7) श्री नरेन्द्र गायकवाड़, प्राध्यापक, यशवंत कालेज, नांदेड।

27 जुलाई 1978 की शाम को नांदेद में असंतोष के चिन्ह स्पष्ट हो चुके थे । 27 जुलाई, 1978 को नांदेद बंद का आह्वान दिया गया । 28 जुलाई, 1978 के तड़के यह मालूम हुआ कि लिम्बगांव रेलवे स्टेशन के निकट रेल की पटरियों फिश प्लेटें निकाल दी गई हैं । 28 जुलाई, 1978 की सुबह, जिला मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त हुई कि लिम्बगांव में हिंसक भीड़ ने करीब दो घंटों तक एक गाड़ी को रोके रखा । राज्य परिवहन की बसों पर आक्रमण किया गया । 28 से 29 जुलाई, 1978 के बीच, मुखेड से नांदेद की टेलिफोन लाइन को काट दिया गया । दो सरकारी जीपों को जलाने के प्रयास किए गए । लोहा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने 7 बसों को रोके रखा । मुड़ावा में एक बैगन को आग लगा दी गई । 29 जुलाई, 1978 की सुबह को, भोकोट, उमरी और किनवट पर बसों और रेलगाड़ियों पर हमला करने के प्रयास किए गए । स्थिति पर काबू पाने के लिए एस०आर०पी० की दो कम्पनियाँ तैनात की गई । 30 जुलाई, 1978 दोपहर को, देगलूर नगर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई । 31 जुलाई, 1978 के बड़े सबेरे धरमाबाद रेलवे स्टेशन पर मनमाड से काचीगुड़ा जाने वाली गाड़ी को रोक लिया गया और हिंसक भीड़ ने रेलवे स्टेशन, नगर परिषद, चुंगीघर और विश्रामगृह पर हमला कर दिया और वहां का फर्नीचर, घारले तथा अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया । भोकोट तालुका के उमरी नामक स्थल पर एक सरकारी जीप को आग लगा दी गई और विश्रामगृह पर हमला किया गया । उत्तेजित भीड़ ने करीब 125 गांवों में आतंक का वातावरण फैला दिया और 48 गांवों के 693 घरों को जला कर राख कर दिया । अनुसूचित जातियों के अनेक व्यक्तियों ने अपने-अपने गांव छोड़ कर नांदेद नगर में शरण ली । 3 अगस्त, 1978 को हिंसक भीड़ ने नांदेद नगर के मार्गों पर बाधाएं खड़ी कर दीं, टेलीफोन के खम्भों को क्षति पहुंचाई तथा सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया । नगर में 3 अगस्त से 6 अगस्त, 1978 तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया ।

14. पुलिस को कंधार (लोहा), मुखेड (मुडेड), देगलूर (देगलूर), नांदेद (टुप्पा), बिलौली (आदयपुर) और भोकोट (उमरी) में 9 बार गोली चलानी पड़ी । यह बताया गया कि 7 अगस्त, 1978 की सुबह, स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई और किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली । 9 अगस्त, 1978 तक, 952 प्रभावित परिवारों को 1,06,791 रुपये की सहायता प्रदान की गई । अनुमान लगाया जाता है कि नांदेद जिले में, दंगों के दौरान 32.34 लाख रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया ।

सुगांव गांव

15. आयुक्त ने सुगांव गांव का दौरा किया जहां 4 अगस्त की सुबह अनुसूचित जातियों के 55 घरों को आग लगा दी गई थी । आयुक्त को बताया गया कि उससे पिछली रात सवर्ण हिन्दु भजन-कीर्तन के लिए इकट्ठे हुए थे और सुबह करीब 4 बजे, उन्होंने अनुसूचित जातियों के घरों को घेर कर उनके घरों को आग लगा दी । आग लगाने के लिए उन्होंने बिजली करघे की तकुलियों को मिट्टी के तेल या इंजिन के तेल में डुबोकर इस्तेमाल किया तथा उन पर आग लगा कर मकानों पर फेंक दिया । इस तथ्य की पुष्टि सुगांव बुड़रुक के भूतपूर्व सरपंच श्री विट्ठल अबाजी वैद्य ने भी की, जिन्होंने नांदेद के सरकारी अस्पताल में आयुक्त से भेंट करके उन्हें बताया कि वे लोग अपने घरों में सो रहे थे कि उन्हें बड़े सबेरे मारुति मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, जो वस्तुतः नव-बौद्धों/अनुसूचित जातियों के घरों पर हमला करने का संकेत चिन्ह निकला । उसने बताया कि इससे पूर्व लिम्बगांव के पुलिस थाने में, नांदेद में जिला पुलिस अधीक्षक और कलक्टर को पत्र भेजे गए थे, लेकिन गांव में समय पर कोई पुलिस दल नहीं भेजा गया । 53 व्यक्तियों को पीटा गया, जिनमें से 24 अभी तक नांदेद अस्पताल में थे । उपद्रवियों ने आम तौर पर महिलाओं और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लगभग 13 वर्ष के एक लड़के को लाठी की चोट लगी थी और उसकी दायीं बांह पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था । वृद्धों के साथ भी मारपीट की गई है । आयुक्त ने एक 80 वर्षीय वृद्ध को भी देखा, मार पीट में जिसके शरीर पर अनेक घाव हो गये थे । बैलगाड़ियों को आग लगा दी गई और घर में रखा सारा सामान राख का ढेर बन गया । एक घर में जली हुई साइकिल देखी जा सकती थी । मिट्टी के बर्तन, अन्य बर्तन, अनाज भंडारण के टिन और अन्य घरेलू सामान के अब अवशेष ही बचे थे । एक तेल निकालने की मिल भी आग में जली पाई गई ।

16. इस गांव में अनुसूचित जातियों के 70 परिवार थे और 55 घरों को आग लग जाने के बाद अनुसूचित जाति के 300 व्यक्ति गांव छोड़ कर भाग गए और अपने प्राण बचाने के लिए नांदेद शिविर में आ गए। यह एक पूर्व-नियोजित आक्रमण था । यह इसी बात से स्पष्ट है कि जिन सवर्ण हिन्दुओं ने अनुसूचित जाति के घरों पर हमला किया, उन्होंने लाल बिल्ले लगाए हुए थे, ताकि आपस में पहचान बनी रहे और मार-पीट न हो जाए । अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति श्री जनार्दन जयदेव मावदे ने हमलावरों का बहादुरी से मुकाबला किया । लेकिन उसे घर से घसीट कर बाहर लाया गया और अन्ततः मार दिया गया ।

17. गांव वालों से बातचीत के दौरान आयुक्त ने उनसे पीने का पानी प्राप्त करने की व्यवस्था के बारे में पूछा । उन्हें बताया गया कि उनका अपना अलग कुआँ है और घटना वाले दिन सवर्ण हिन्दुओं ने उसमें जहर मिला दिया था, जो अभी तक साफ नहीं किया गया है । आयुक्त के साथ दौरे पर चल रहे स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले ही दिन कुएं से पानी निकाल कर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, जिससे पानी मानव-उपयोग के योग्य बन जाए ।

तेंभुरनी गांव

18. नयागांव में, एक स्थानीय नेता और विधान परिषद् के सदस्य श्री बलवंतराय चौहान ने आयुक्त से भेंट की और उनके साथ बिलोली तालुका के तेंभुरनी गांव गया, जहां 4 अगस्त, 1978 को अनुसूचित जातियों के 35 मकान जला दिए गए थे । आयुक्त को यह देख कर धक्का-सा लगा कि अनुसूचित जाति के मकानों को न सिर्फ जलाया गया था बल्कि विस्फोटकों की सहायता से गिरा भी दिया गया था । एक ग्रामवासी ने आयुक्त को बताया कि उसकी पत्नी को नवजात शिशु के साथ घसीट कर घर से बाहर लाया गया और बाद में घर को आग लगा दी गई । गांव के करीब 100 सवर्ण हिन्दुओं ने अनुसूचित जातियों के घरों पर हमला किया था । इस गांव में पोचीराम मारिपा कामरे नामक एक व्यक्ति को जीवित जला दिया गया । उसकी विधवा श्रीमती डोंडीबाई ने आयुक्त को बताया कि कैसे उसके पति मारा और जलाया गया । मृतक के दो मित्र श्री कामरे के घर आए और उसे चेतावनी दी कि सवर्ण हिन्दु उनके घरों को आग लगाने की तैयारियां कर रहे हैं तथा उनके प्राण खतरे में हैं । वह उन्हें अपने घर ले गया और शरण दे दी । इस बीच सवर्ण हिन्दू अनुसूचित जातियों की बस्ती के पास आ गए और उनके घरों को आग लगा दी । उन्होंने श्रीमती डोंडीबाई से उसके पति के बारे में पूछा । अनुसूचित जातियों के घरों की बुरी तरह छान-बीन करने के बाद, उनके अनाज और घरेलू काम की चीजों को लूट लिया । उसके बाद, सवर्ण हिन्दू मृतक के मित्र के घर आ गए । मृतक के मित्रों ने श्री कामरे से कहा कि वह भाग कर अपने प्राण बचा ले । ऐसा प्रतीत होता है कि हमला-वरों को श्री कामरे का अता-पता मालूम था । वे उसे खींचकर वापिस गांव ले आए, मार दिया और उसके शव को जला दिया । उसके बाद सवर्ण हिन्दुओं ने पुलिस पाटिल को बताया कि उन्होंने श्री कामरे को मार दिया है और उसे उन्हें बचाना चाहिए । पुलिस पाटिल से आयुक्त ने विशेष रूप से यह प्रश्न किया कि क्या उसने श्री कामरे की नृशंस हत्या की रिपोर्ट की ? इस पर पुलिस पाटिल ने जवाब दिया कि उसने घरों की आग लगाने की घटना की मौखिक रिपोर्ट 6 अगस्त को अपने कोतवाल के जरिए पुलिस को की थी (जबकि घरों को आग लगाने

की घटना 4 अगस्त को हुई) और उसे हत्या की कोई जानकारी नहीं थी। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि पुलिस पाटिल, उसका भाई तथा अन्य गांव वाले इस अपराध में शामिल थे और उन्होंने भी लूटपाट तथा घरों को आग लगाने में भाग लिया था। यह कहा गया कि 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला प्राधिकारियों ने मृतक की विधवा को 1000/- रुपये की राशि दी।

19. आयुक्त को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि देगलूर तालुका के अनुसूचित जाति/नव-बौद्धों के व्यक्ति बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के पड़ौसी जिलों में सुरक्षा के लिए चले गए हैं। कुछ व्यक्तियों का कहना था कि आंध्र प्रदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या करीब 5,000 से 6,000 हो सकती है। एक स्थानीय नेता तथा विधान परिषद के सदस्य श्री बलवंत राव चौहान का अनुमान था कि आंध्र प्रदेश जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2,000 होगी। नांदेड लौटने पर आयुक्त ने इस तथ्य की जानकारी डी० आई० जी० (पुलिस) और कलक्टर को कराई और उनसे इन लोगों की संख्या की पुष्टि करने तथा अनुसूचित जातियों से अपने गांवों को वापिस लौटने का अनुरोध करने के लिए कहा।

नांदेड शिविर का दौरा

20. आयुक्त ने नांदेड नगर में उस शिविर का दौरा किया जहां प्रभावित गांवों के 1,400 व्यक्ति अस्थाई रूप बहुमुखी हाई स्कूल के भवन में टिकाए हुए थे और जहाँ उन्हें दो दिन के लिए निःशुल्क भोजन तथा अन्य सुवधाएं प्रदान की हुई थीं। उसके बाद, प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक भोजन के लिए डेढ़ रुपया और वस्त्रों के लिए 27.50 रुपए की राशि दी गई। मालूम हुआ कि दंगों की चरम सीमा की अवधि में शिविर में 17 गांवों (नांदेड तालुका के 4, कंधार तालुका के 11 और बिलोली तालुका के दो गांव) के 1,825 व्यक्ति थे। ये व्यक्ति अपने गांवों में असुरक्षित महसूस करने के कारण नांदेड नगर में आ गए थे। कुछ व्यक्ति अपने गांवों में लौट गए थे। जो व्यक्ति आयुक्त से मिले, उन्होंने कहा कि वे अपने गाँवों में तभी लौटेंगे, जब उनके जान-माल की सुरक्षा की गारंटी मिल सकेगी तथा साथ उन्हें आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह शिकायत भी की कि उन्हें नगण्य सहायता दी जा रही है और इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और मांग की कि उनके घरों के निर्माण के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए और उनके नुकसान का पूरा मुआवजा उन्हें दिया जाना चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों की बड़ी संख्या बलिरामपुर (एम० आई० डी० सी०) के लोगों की थी। इनमें कुछ व्यक्ति सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं।

नांदेड अस्पताल का दौरा

21. आयुक्त ने नांदेड अस्पताल का दौरा किया जहाँ घायल व्यक्तियों को दाखिल किया गया था। आयुक्त ने श्री महाजनराव पाटिल नामक व्यक्ति से भेंट की जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने गांव काहला बुजुर्ग के हरिजनों की रक्षा करने की कोशिश की थी। हालांकि उसने पुलिस को नव बौद्धों/अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ गांववालों की शैतानी योजनाओं की जानकारी पहले से दे दी थी, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। अन्ततः महाजन पाटिल, उसके 80 वर्षीय वृद्ध पिता, माता, साली और सास पर नृशंस आक्रमण किया गया और वे लोग अभी तक नांदेड अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। नव-बौद्धों की रक्षा करने के प्रयास में श्री महाजन पाटिल द्वारा दिखाया गया अभूतपूर्व साहस निःसन्देह प्रशंसा का पात्र है।

22. 13 अगस्त की रात को औरंगाबाद लौटने के बाद, आयुक्त की प्रभागीय आयुक्त, स्थानीय अधिकारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक और लम्बी बैठक हुई।

मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श

23. 14 अगस्त को आयुक्त ने बम्बई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भेंट की और घटनाक्रम के बारे में उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। विचार-विमर्श के दौरान, वित्त विभाग के राज्य मंत्री श्री एम० आई० जमखानवाला, समाज कल्याण और आवास विभाग की राज्य मंत्री कुमारी शांति नायक, गृह तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव और समाज कल्याण के निदेशक भी मौजूद थे। आयुक्त ने मुख्यमंत्री को निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए :—

(1) प्रभावित गांवों और महाराष्ट्र के अन्य भागों के नव-बौद्धों/अनुसूचित जातियों के लोगों के मन में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए यह वांछनीय है कि जिन गांवों में नव-बौद्धों/अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार किए गए हैं, उन पर सामुहिक जुर्माना किया जाए। उन्होंने बताया कि फिलहाल हिंसक उपद्रव जरूर रुक गए हैं, लेकिन नव-बौद्ध/अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं तथा उन्हें भविष्य में उपद्रव की आशंका है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि अपराधियों के विरुद्ध अविलम्ब जांच की जाए तथा उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं तथा सरकार को अपने प्रयासों में स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सामाजिक कार्य कर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

(2) इन उपद्रवों में जो व्यक्ति दीन स्थिति में पहुंच गए हैं, उन्हें प्रदान की जा रही सहायता में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए, जिनसे उनके समुचित आर्थिक पुनर्वास में सहायता मिल सके।

(3) मकान के निर्माण के लिए प्रस्तावित 1,500/- रुपये की राशि बहुत नगण्य है, और इसे बढ़ाकर प्रति घर कम से कम 5,000/- रुपये की जाने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि उनके मकानों के निर्माण तक उनके लिए अस्थाई रूप से बनाए गए शैड फौरन बना दिए जाने चाहिए, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री ने आयुक्त के एक को छोड़कर शेष सभी सुझावों से अपनी सहमति प्रगट की। सामूहिक जुर्माने के बारे में उनका मत था कि इसके विषय में कुछ कहने से पूर्व इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।

24. मुख्यमंत्री द्वारा यह पूछे जाने पर कि आयुक्त ऐसे मामलों में न्यायाधिक आयोग की नियुक्ति के बारे में अपना मत दें, आयुक्त ने कहा कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि न्यायाधिक आयोग की नियुक्ति का सुझाव महाराष्ट्र जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री एस० एम० जोशी जैसे गणमान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया था। जस्टिस श्री बी० आर० भोले ने भी ऐसी ही मांग की थी। उन्होंने मुख्य मंत्री को बताया कि मेरा विचार है कि न्यायाधिक जांच जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, ऐसे मामलों में पर्याप्त नहीं होती जहाँ सामाजिक आर्थिक कारण भी शामिल हों। मराठवाड़ा में नव-बौद्धों/अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों के बारे में ऐसे जांच की मांग अधिक सार्थक नहीं है, जो मात्र कानूनी दिखावा हो। आवश्यकता इस बात की है कि घटनाओं के संबंध में व्याप्त सामाजिक आर्थिक तनावों के मूलभूत कारणों के उद्देश्यों का पता लगाया जाए और आयुक्त ने इस सिलसिले में 3-सदस्यीय जांच आयोग का सुझाव दिया जिसे जांच आयोग अधिनियम के अधीन सभी आवश्यक अधिकार प्राप्त हों। आयोग में एक न्यायाधीश और कम से कम दो समाजशास्त्री नियुक्त किए जा सकते हैं।

परिशिष्ट 65

(संदर्भ के लिए देखिए पैरा 9.26)

आगरा शहर में 1 और 2 मई, 1978 को अनुसूचित जातियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने तथा लाठीचार्ज करने की घटना से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्ट

घटनाओं के बारे में समाचार

समाचार पत्रों में ये खबरें प्रकाशित हुई थीं कि आगरा शहर में 1 और 2 मई, 1978 को कई स्थानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने तथा लाठीचार्ज करने के कारण अनुसूचित जाति के अनेक व्यक्तियों की जानें गईं। शहर में 1 मई, 1978 को कर्फ्यु लगा दिया गया और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की चौकसी तथा नागरिक प्रशासन को कानून और व्यवस्था स्थापित करने में सहायता देने के लिए सेना को तैनात किया गया। इस घटना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के दोनों सदनों में बहस हुई, संसद के दोनों सदनों में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा यह मामला उठाया गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय के अध्ययन दल द्वारा जाँच

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने निर्णय किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त श्री आर० जखुमा एक अनुसंधान अधिकारी तथा एक अन्वेषक की सहायता से घटनास्थल पर जाकर जाँच करें। यह दल 4 मई, 1978 को आगरा पहुँचा और 7 मई, 1978 तक वहीं रहा। इस दौरान दल अनेक अधिकारियों, गैर-अधिकारियों से मिला और उन बस्तियों में गया, जहाँ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। दल जिला जेल, जिला हस्पताल और सरोजिनी नायडू हस्पताल में गया और इसके अतिरिक्त घटना से संबंधित अन्य स्थानों का भी उसने दौरा किया (अनुबंध I)।

3. 1971 की जनगणना के अनुसार आगरा शहर की कुल आबादी 6.28 लाख थी। इनमें से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 1.38 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों में जाटव समुदाय के अधिकांश व्यक्ति चमड़े का काम करते थे। अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां अनुसूचित जाति के लोग अधिक संगठित हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। इनमें से कुछ आर्थिक दृष्टि से बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं।

अधिकारियों के साथ बातचीत

4. बातचीत के दौरान आगरा के जिला मजिस्ट्रेट ने अध्ययन दल को बताया कि 14 अप्रैल, 1978 को डा० बाबासाहब अम्बेडकर का जन्म-दिन मनाने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला गया था। जुलूस निकालने की आवश्यक अनुमति जिला अधिकारियों से ले ली गई थी। जुलूस शहर के 20 से भी अधिक प्रमुख स्थानों से गुजरा। जब इस जुलूस का पिछला सिरा रात्रि के 11 बजे रावतपारा नामक स्थान से गुजर रहा था तो जलूस पर कुछ पत्थर और एक लकड़ी का तख्ता फेंके गये। जुलूस में शामिल कुछ लोग गुस्से से पान/चाय की दुकानों में घुस गये और इन्हें नुकसान पहुंचाया। 15 अप्रैल, 1978 को रावतपारा के कुछ* सवर्ण हिन्दु दुकानदारों ने स्थानीय पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई और इसमें इल्जाम लगाया कि उनकी दुकानें लूट ली गई थीं और उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा था। अनुसूचित जातियों को जुलूस पर पत्थर फेंके तथा सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए जाने पर क्षोभ था। अनुसूचित जाति के सदस्यों ने 23 अप्रैल को एक मौन जुलूस निकाला। इसके बारे में फैसला हो चुका था कि उक्त जुलूस रावतपारा की बजाय जौहरी बाजार की तरफ से निकाला जायेगा। लेकिन जुलूस में शामिल कुछ लोग रावतपारा की ओर चल दिये और जिला प्राधिकारियों ने लाठी-चार्ज करने का आदेश दिया। अपने कुछ नेताओं सहित जुलूस के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिये गये। जुलूस के पीछे-पीछे जाने वाले एक पुलिस ट्रक के जला दिये जाने की भी खबर है। 24 अप्रैल से 29 अप्रैल, 1978 तक अनुसूचित जाति के लोग दफा 144 को भंग कर कलक्टरी के आगे स्वयं को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत करते रहे। 1 मई, 1978 को अनुसूचित जाति के लगभग 200 व्यक्ति कलक्टरी के आगे हिंसा पर उतारू हो गये और उन्होंने उस भवन के दरवाजे तथा खिड़कियों के शीशों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया। परिणामस्वरूप वे लोग विभिन्न दिशाओं और स्थानों में फैल गये और जन संपत्ति जैसे कि बसें, लैंप पोस्ट और डाक घर आदि को नुकसान पहुंचाने लगे। यह आरोप था कि कुछ लोगों ने कलक्टरी के पास के रेलवे लाईन से फिश प्लेटें हटाने की कोशिश भी की। लगभग छह बसें जलायी गईं और मछली बाजार के डाकघर को नुकसान पहुंचाया गया। घटना को इस तरह बढ़ते देख जिला प्रशासन ने जरूरी समझा कि लाठीचार्ज करने तथा गोली चलाने का आदेश दिया जाए। रात्रि के समय कर्फ्यु लगा दिया गया और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सेना की सहायता ली गई। पुलिस की गोली से आठ व्यक्ति हताहत हुए। दो हेड कांस्टेबल बुरी तरह घायल हुए और 7 कांस्टेबुलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो पुलिस कर्मियों की स्थिति व्यग्रता का कारण बनी हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि बेकाबू भीड़ ने हिंसात्मक कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप पी०ए०सी० ट्रक के एक ड्राइवर के हाथ जल गये और 3 स्कूटरों को आग लगा दी गई।

*1. हरीश चन्द जैन	. .	पान की दूकान
2. हीरालाल बालानी	.	अरसरा होटल
3. राजेन्द्र कुमार	. .	गल्ला व्यापारी
4. गंगाधर यादव	. .	दूध बेचने वाला
5. राजकुमार	. .	भगवान होटल
6. मादल लाल	. .	हलवाह
7. लक्ष्मी चंद	. .	फुटपाथ पर सामान बेचने वाला
8. राम बाबू	. .	सब्जी बेचने वाला
9. श्रीमती श्याम देवी	.	सब्जी बेचने वाली तथा दो अन्य

घटना से संबंधित जानकारी देने में जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों की आनाकानी

5. जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया गया कि वह अध्ययन दल को कुछ संबंधित कागजात तथा रिपोर्टें उपलब्ध करवायें ताकि घटना के विभिन्न पहलुओं का पता लग सके। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह अनुरोध लिखित भी होना चाहिए। अतः एक अर्ध-शासकीय पत्र (अनुबंध-II) उन्हें दिया गया। तब उन्होंने कहा कि संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। यह अत्यन्त खेद की बात है कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के समय तक तत्सम्बन्धी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अध्ययन दल को जो एकमात्र शासकीय प्रलेख दिखाया गया था, वह 14 अप्रैल, 1978 के जुलूस के लिए पुलिस बन्दोबस्त से संबंधित था।

6. सूचना उपलब्ध करवाने से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के रवैये के बारे में मंडल आयुक्त को अवगत करवाया गया। 6 मई, 1978 को अध्ययन दल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री एस० पी० एन० सिन्हा और पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री एस० पी० मिश्र से भी मिला। इस मुलाकात के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट भी कुछ समय के लिए वहाँ उपस्थित रहे। इन अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे 1 मई, 1978 की घटनाओं के बारे में विस्तार से बतायें लेकिन इन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास इस समय तत्सम्बन्धी पूर्ण जानकारी नहीं है और इसके लिए उन्हें विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करनी होगी। उनके इस सुझाव पर अगले दिन का समय निश्चित किया गया। लेकिन जब अध्ययन दल निर्धारित समय पर वहाँ पहुंचा तो उनसे भेंट नहीं हो सकी क्योंकि उक्त अधिकारी मंडल आयुक्त की बैठक में व्यस्त थे। तब उन्हें मिलने का दूसरा समय तय किया गया लेकिन यह मुलाकात केवल 15 मिनट की ही रही। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन दल द्वारा जिला अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न विफल रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला अधिकारी अध्ययन दल के साथ घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए उत्सुक नहीं थे।

7. अवर जिला मजिस्ट्रेट श्री रामकुमार कुंवर से भेंट की गई ताकि गोली चलाने के लिए जारी आदेशों का कारण जाना जा सके। उन्होंने बताया कि भीड़ हिंसात्मक कार्रवाई कर रही थी और जन सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रही थी। उन्होंने इन लोगों को पक्के अपराधी बताया और आगे कहा कि इनसे पिटने के लिए सख्ती से पेश आना जरूरी था।

घटना के बारे में संसद में बहस

8. 1 मई, 1978 को आगरा में हुई घटना से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में गृह मंत्री ने लोक सभा में एक वक्तव्य दिया। इसी तरह का एक वक्तव्य मंत्री महोदय ने राज्य सभा में दिया, जो 4 मई, 1978 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिया गया था। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस प्रकार था :—

"आगरा में हुई हिंसा की दुःखद घटनाओं के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है और इसकी जोरदार निन्दा की जानी आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 14 अप्रैल, 1978 को डा० अम्बेडकर के जन्म-दिवस पर निकाला जाने वाला जुलूस जब शाम को आगरा के रावतपारा और पीपल मंडी से गुजर रहा था तो पत्थर फेंकने की घटना घटी और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा। पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने से जुलूस शांतिपूर्वक गुजर गया। डा० अम्बेडकर जयंती समिति के तत्वावधान में कुछ व्यक्तियों ने 23 अप्रैल, 1978 को और जुलूस उसी रास्ते से निकालने का निश्चय किया जिसके लिए रावतपारा तथा पीपल मंडी के कुछ दुकानदारों ने विरोध किया था। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जुलूस किसी दूसरे रास्ते से निकाला जाये और एहतियाती कार्रवाई के तौर पर दफा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश भी जारी कर दिये गये। लगभग 3,000 व्यक्तियों ने 23 अप्रैल, 1978 को जुलूस निकाला और काफी अनुनय के बाद जुलूस के नेताओं ने विविध क्षेत्र म न जाने के लिए राजी हो गये। लेकिन जुलूस जब रावतपारा और पीपल मंडी क्षेत्र के पास पहुंचा तो भीड़ हिंसात्मक हो गई और पुलिस की घेरे बन्दी को तोड़ कर निषिद्ध क्षेत्र में जबरदस्ती घुस गई। पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। तितर-बितर भीड़ ने पी०ए०सी० के एक ट्रक को आग लगा दी और ट्रक ड्राईवर को जलते तारपीन के ट्रक में धकेल दिया। जिससे उसे जलने के सात घाव लगे तथा सिर पर चोटें आई। 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दो मामले रजिस्टर किये गये। 1 मई, 1978 के जाटव समुदाय के लगभग 80 व्यक्तियों ने कलक्टरी के सामने प्रदर्शन किया और तोड़-फोड़ करने लगे। उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, फर्नीचर को क्षति पहुंचाई और कचहरी के एक क्लर्क पर हमला किया। पुलिस ने स्थिति में दखल देकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति पुलिस थाने ले जाये जा रहे थे तो लगभग 100 प्रदर्शनकारी, जो अब तक घटनास्थल पर एकत्र हो चुके थे, हिंसा पर उतारू हो गये और पुलिस ने लाठियां बरसा कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। भागती भीड़ के एक हिस्से ने इस बीच रोड़वेज की एक बस को आग लगा दी, जो उस समय वहां से गुजर रही थी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भारी पथराव किया। आरोप है कि एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चलाई और आत्म-रक्षा में उक्त इंस्पेक्टर द्वारा चलाई गई गोली से प्रदर्शनकारी वहीं ढेर हो गया। अनेक स्कूटरों तथा बसों को आग लगाई गई। रोडवेज की क्षेत्रीय कार्यशाला को लूटने की कोशिश की गई और एक पावर हाउस, एक डाकघर तथा इंसुयन आँचल के एक पेट्रोल डिपो को आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस द्वारा समय रहते हस्तक्षेप करने से ये प्रयास विफल कर दिये गये। मकानों की छतों से लगातार पत्थर बरसाये जाने तथा जन संपत्ति को भारी नुकसान पहुचाने की कोशिशों को देखते हुए पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए, दो स्थानों पर गोली चलाई। कर्फ्यू लगा दिया गया और नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना तैनात कर दी गई। 2 मई की घटनाओं के फलस्वरूप 5 व्यक्तियों की जानें गई और आम जनता में से 34 व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाये गये। पुलिस के 4 कर्मियों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इनमें से दो की हालत गंभीर बतायी जाती है।

2 मई को सायं 5 से 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई लेकिन इस अवधि में कोई अवांछित घटना नहीं घटी। किन्तु जब पुलिस का एक दस्ता जगदीशपुरा में दोबारा कर्फ्यू लगने की घोषणा करने पहुंचा तो कुछ दंगइयों ने जगह-जगह रास्ता बन्द कर दिया, भारी पत्थरबाजी की और छतों पर से पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक दूसरा व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ तथा अगली सुबह उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने एक सिनेमा बिल्डिंग पर भी पत्थर बरसाये और शाम को पास के एक टाल को आग लगा दी। पुलिस ने दखल दिया और दंगइयों को तितर-बितर कर दिया। घायलों में से एक की मृत्यु हो जाने के बाद इन घटनाओं में कुल आठ व्यक्तियों की जानें गई।

जगदीशपुरा के अतिरिक्त शेष सभी बस्तियों में 3 मई को सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दोबारा ढील दी गई। कल किसी अवांछित घटना के घटने की खबर नहीं मिली है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस के दस्तों को घटनास्थल पर तैनात कर दिया है। स्थिति के काबू में होने की खबर है और धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है।"

9. संसद सदस्यों ने घटना के बारे में जिन बातों को उठाया था, उनके उत्तर में मंत्री महोदय ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया :—

"राज्य सरकार की चिन्ता मुख्यतः कानून और व्यवस्था थी और केन्द्र का नैतिक दायित्व केवल यही था कि राज्य से सूचना एकत्र कर संसद के सामने रखी जाये।" ..... "जुलूस के लिए अनुमति अवश्य ली गई होगी। शान्तिपूर्ण जुलूस पर पत्थर फेंकने की घटना निन्दनीय है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर

जुलूस को शान्तिपूर्वक गुजर जाने दिया। सरकार के पास उन व्यक्तियों के नामों की जानकारी नहीं थी जिनकी छतों से पत्थर बरसाये गये और न ही इन व्यक्तियों के राजनीतिक रुझान की उसके पास कोई जानकारी है। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की क्योंकि वह तनाव को बढ़ाना नहीं चाहती थी।

23 अप्रैल, 1978 को अश्रु गैस छोड़ने तथा लाठीचार्ज करने की घटनाओं के बाद 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से 280 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 220 व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया था।

कुल मिलाकर 4 स्थानों पर गोली चलाई गई और कुल 35 गोलियाँ बरसाई गई। ऐसा अवर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया गया था।

अनुमान है कि ये घटनाएं पूर्व योजनाबद्ध तथा संगठित ढंग से हुई थी। किन्तु फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जाँच पूरी हो जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यह सुझाव कि इस संबंध में एक आयोग नियुक्त किया जाये, राज्य सरकार के विचारार्थ भेज दिया जायेगा।

इसमें संदेह नहीं कि यह एक त्रासद घटना थी जिसमें अनेक लोगों की अमूल्य जानें गई। "....." कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को ऐसी घटनाओं पर सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अपना वक्तव्य देना होता है। पी०ए०सी० के उप महानिरीक्षक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसके लिए उसे निलम्बित किया जाये। यदि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कुछ ठोस आरोप प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनकी जाँच करवाई जायेगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

घटना से संबंधित जाँच करवाने से कतराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास कानून और व्यवस्था से संबंधित किसी मामले पर आयोग नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि राज्य का विषय है फिर भी मंत्री महोदय सदन के सदस्यों की भावनाओं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को परिचित करवायेंगे।"

घटना की उत्पत्ति तथा परवर्ती वारदातें

10 इस घटना की उत्पत्ति 14 अप्रैल, 1978 की अवांछित वारदातों में खोजी जा सकती है जिस दिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने डा० बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म-दिन मनाने के लिए जुलूस निकाला था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आगरा में 1957 से हर वर्ष शहर के विभिन्न इलाकों से जुलूस निकाला जाता रहा है। इन वर्षों में यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है और इसमें भाग लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आगरा शहर पहुंचते हैं। ऐसा समझा जाता था कि जिला अधिकारियों से जुलूस निकालने की पूर्व अनुमति ले ली गई थी और सम्बद्ध अधिकारियों ने भी कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रबन्ध कर लिये थे। जुलूस टोला शेख मन्नू से शुरु हुआ और वापस उसी स्थान पर आने से पहले 20 से अधिक स्थानों से गुजरता था। 14 अप्रैल का जुलूस सुबह 8 बजे शुरु हुआ और अगली सुबह 10 बजे समाप्त हुआ। इसमें 45 झाँकियाँ, 4 हाथी और 22 बैंड थे। एक हाथी पर डा० बाबा साहब अम्बेडकर का सुसज्जित चित्र रखा गया था। जब जुलूस सिरा रावतपारा नामक स्थान से गुजर रहा था तो, कहा जाता है कि, एक तिमंजली बिल्डिंग से जुलूस पर तीन पत्थर तथा एक लकड़ी का तख्ता फेंका गया। लेकिन इससे कोई घायल नहीं हुआ। किन्तु लकड़ी का तख्ता पुलिस की एक गाड़ी पर गिरा और एक भिखारी को, जो जुलूस में शामिल था, मामूली चोटें आई। जुलूस निकालने वालों से पुलिस ने कहा कि वे जिस छत से यह वारदात की गई है, वहाँ जमा लोगों को वे हटायें। यह घटना रात्रि के लगभग 11 बजे हुई और कुछ पान तथा चाय की दुकानों को छोड़ कर बाकी की दुकानें बन्द थीं। कहा जाता है कि जुलूस के कुछ लोग गुस्से से भर गये और उन्होंने चाय तथा पान की कुछ दुकानों को क्षति पहुंचाई। लेकिन मुख्य जुलूस और किसी घटना के बिना गुजर गया।

11. अध्ययन दल को दी गई सूचना के अनुसार रावतपुरा के कुछ सवर्णहिन्दु दुकानदारों ने 15 अप्रैल, 1978 को स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रपट दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उनकी दुकानें पिछले दिन लूट ली गई थीं। लेकिन जुलूस निकालने वालों में से किसी ने भी पत्थर फेंकने की घटना की प्रथम सूचना रपट दर्ज नहीं करवाई।

12. 14 अप्रैल की घटना के विरोध में अनुसूचित जाति के सदस्य 23 अप्रैल, 1978 को एक मौन जुलूस निकालना चाहते थे और उनके मार्ग में रावतपारा भी पड़ता था। 22 अप्रैल, 1978 को जिला अधिकारियों तथा अनुसूचित जातियों के नेताओं के बीच विचार-विमर्श हुआ, जो प्रातः 2 बजे तक जारी रहा। जिला अधिकारियों ने उन्हें जुलूस न निकालने के लिए सहमत करवाने का प्रयास किया, अगर जुलूस निकालना जरूरी हो तो उसे रावतपारा की तरफ से न निकाला जाय। जिला अधिकारियों ने दल को बताया कि अनुसूचित जाति के नेताओं ने वायदा किया था कि जुलूस रावतपारा से न निकाल कर जौहरी बाजार से निकाला जायेगा। जब अनुसूचित जाति के नेताओं से यही बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था कि किसी भी हालत में जुलूस रावतपारा से नहीं निकाला जायेगा। वे तो केवल इस बात के लिए सहमत हुए थे कि जुलूस निकालने वालो को रावतपारा से नहीं जाने की सलाह देंगे। इन दो विरोधी मतों को सुनने के बाद अध्ययन दल ने लिखित अनुमति की एक प्रति चाहे जिसमें जुलूस का मार्ग संकेतित हो। लेकिन जिला अधिकारियों ने दल को ऐसे कोई कागजात नहीं दिखाया। जुलूस जौहरी बाजार में दिन के 11 बजे के करीब जब रावतपारा की ओर जाने वाले एक रास्ते के पास से गुजरा तो जुलूस में भाग ले रहे कुछ व्यक्तियों ने जुलूस को रावतपारा बाजार में से ले जाने के लिए कहा। कहा जाता है कि इसके लिए जुलूस के कुछ नेताओं ने भी उनका साथ दिया। लेकिन जुलूस में शामिल कुछ लोग अपनी बात पर अड़े रहे और जैसे ही जुलूस रावतपारा बाजार की ओर बढ़ा, जिला अधिकारियों ने पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि लाठीचार्ज केवल रावतपारा बाजार में से जा रहे जुलूस के केवल एक हिस्से पर ही नहीं बल्कि समस्त जुलूस पर आगे, बीच में तथा पीछे से एक साथ लाठी चार्ज हुआ। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आरोप को गलत बताया और कहा कि जुलूस के केवल उस हिस्से पर ही लाठीचार्ज किया गया जिसने रावतपारा में जाने की कोशिश की थी। लेकिन अवर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने लाठीचार्ज के बारे में अध्ययन दल को जो वक्तव्य दिया, उससे इस आरोप को बल मिलता है। उन्होंने बताया कि जब लाठीचार्ज का आदेश दिया गया तो जुलूस के हर हिस्से पर एक साथ लाठियां बरसाई गई। यह बात इस तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि लाठीचार्ज पी०ए०सी० तथा जुलूस के साथ चल रहे जवानों ने और रावतपारा चौक पर जमा स्थानीय पुलिस ने किया था। अनुसूचित जाति के नेताओं की शिकायत थी कि लाठीचार्ज बड़ी बेरहमी से किया गया। जुलूस के साथ चल रहे पुलिस के एक ट्रक को आग लगा दी गई। जुलूस में शामिल कुछ व्यक्ति नेताओं सहित गिरफ्तार कर लिए गये। जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि जुलूस को मौन रहकर निकलना था लेकिन 'चाहे जो हो जाये जुलूस रावतपारा से निकलगा' जैसे कुछ

नारे भी लगाये गये थे। इस बात का पता नहीं चल सका कि नारे कब लगने शुरू हुए---जब जुलूस जौहरी बाजार और रावतपारा के चौक पर था या जिला मजिस्ट्रेट के कथनानुसार शुरु से ही।

13. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने 24 अप्रैल, 1978 से कलक्टरी के सामने दफा 144 को शान्तिपूर्ण ढंग से भंग करके स्वयं को गिरफ्तार के लिए पेश करने का निर्णय लिया। वे 29 अप्रैल, 1978 को गिरफ्तारियां देते रहे। किन्तु जिला अधिकारियों से यह सूचना नहीं मिल सकी कि इस अवधि में कुल कितने लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। 30 अप्रैल, 1978 को रविवार था और उस दिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

14. दल को सूचित किया गया कि 1 मई, 1978 को अनुसूचित जाति के लगभग 200 व्यक्ति सुबह 10.30 बजे के आसपास जिला कलक्टरी पहुंचे। उनमें से दो ट्रकों में आ जाने लायक व्यक्ति गिरफ्तार कर दूर भेज दिये गये, जबकि बाकियों को वहीं प्रतीक्षित रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति कचहरी के अहाते में घुस गये और वहां जिला अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ें हुईं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शिकायत है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको जाति के एक एडवोकेट को जाति संबंधी अपशब्द कह कर उसका अपमान किया और उक्त एडवोकेट को कमीज के कालर से पकड कर खींचा। प्रतीत होता है कि इस भीड का गुस्सा बढ़ गया और उसने खिड़कियों के शीशें तोड़ डाले तथा फर्नीचर को उलट-पुलट दिया। पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें कलक्टरी से बाहर खदेड़ दिया। लाठीचार्ज की बात सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्र हो गये थे और विभिन्न स्थानों पर कुछ बसें जला दी गई तथा कलक्टरी के पास की रेलवे लाइन से फिश प्लेटें निकालने की कोशिश भी की गई। संभवतया इन लोगों ने जूतों के निर्माण में काम आने वाला ऐसा पदार्थ भी फेंका जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और शहर भर में दंगा फैल गया।

पुलिस की गोली से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के मरने/घायल होने तथा उनके घरों को आग लगाने की वारदात से संबंधित अध्ययन दल को दिया गया ब्यौरा

15. 1 मई, 1978 को भीड़ पर गोली चलाने के आदेश चाकीपत बाजार और काजीपारा जैसे स्थानों के लिए दिये गये थे। लगभग 12.30 बजे अशोक बाबू सुपुत्र श्री श्रीराम सिंह की चाकीपत बाजार में पुलिस की गोली लगने से मत्यु हो गई, जब वह मैट्रिक की परीक्षा देकर वापिस लौट रहा था। लड़के के पिता का कहना था कि उसके बेटे पर हरि पर्वत पुलिस थाना, आगरा के सवर्ण हिन्दू सब-इंस्पेक्टर बी० के० त्यागी ने निशाना साध कर गोली चलाई थी और उसक बेटे की घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई। रकाब गंज पुलिस थाने के एक पुलिस इंस्पेक्टर हरिराम लाभ ने अध्ययन दल को बताया कि अशोक कुमार की मृत्यु गन द्वारा आत्म-रक्षा में गोली चलाने से हुई थी। उसने यह भी बताया कि लड़के के पास हथियार थे। यह बताया जा चुका था कि मृत अशोक बाबू पर एक पुलिस मामला चल रहा था और वह पहले कभी गिरफ्तार भी किया गया था। अबर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए घटना-स्थल पर पहुंच कर गोली चलाने के आदेश दिये थे। परिणामस्वरूप अशोक बड़ा भाई भरत सिंह भी गोली लगने से घायल हुआ था और उसी हालत में घर में पड़ा था। दया सिंह नामक एक और व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हुआ था और दिल्ली के आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज में भर्ती किया गया था।

16. काजीपारा इसके साथ लगता हुआ हरिजनों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में रामेश्वरी नाम की एक अनुसूचित जाति की महिला की पुलिस की गोली लगने से एक बिल्डिंग की पहली मंजिल के एक कमरे में मृत्यु हुई थी। अनुसूचित जाति के कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस के जवानों, जिनमें पी०ए०सी० के कांस्टेबुल भी शामिल थे, ने बंसल नाम के एक व्यापारी के घर से की थी। इस व्यक्ति की पुलिस से मिलीभगत थी। यह संदेह भी प्रकट किया गया कि रामेश्वरी की मृत्य उक्त व्यापारी के साथियों के हाथों हुई थी। अनुसूचित जाति के तीन व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए थे और अनुसूचित जाति के 30 व्यक्तियों को लाठी आदि से चोटें आई। जब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री राम कुमार कंधर से पुलिस द्वारा गोली चलाने और एक बिल्डिंग की पहली मंजिल के कमरे में रामेश्वरी की मौत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यद्यपि वह मौके पर उपस्थित थे लेकिन जो कुछ हुआ, उस सबको देख पाना संभव न था।

17. चाकीपत बाजार से पी०ए०सी० बल मछली बाजार के हरिजन बस्ती चाकीपत मोहल्ले की ओर बढ़े। यह मोहल्ला शहर के परिवहन भवन के पिछवाड़े है। इस स्थान पर अनुसूचित जातियों के 7 और मुसलमानों के 2 घर जलाये गये। उनके कालीन, चमड़े का सामान आदि को भी पुलिस तथा परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा जलाये जाने का आरोप लगाया गया। 30 वर्षीय नाथीलाल पर तब गोली चलाई गई, जब वह अपने घर की छत पर खड़ा था। गोली लगने के बाद वह नीचे गिर पड़ा और बिना उपचार के उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। मृतक नाथी लाल की माँ तथा अनुसूचित जाति के कुछ अन्य व्यक्तियों को भी पुलिस ने पीटा। दल को यह बताया गया कि मृतक के छोटे भाई द्वारका की शादी के लिए एकत्र सामान को भी पुलिस ले गई। सामान्यतः जब हिंसक भीड़ आग लगाने के काम करती है तो उसका निशाना प्रायः सरकारी संपत्ति और सम्पन्न लोगों की सम्पत्ति होती है। किन्तु यह जानकर आश्चर्य होता है कि इस मामले में गरीब मजदूर वर्ग तथा जूता बनाने वालों की झोपड़ियों को आग लगाई गई थी। प्राधिकारियों ने आरोप लगाया कि घरों को आग उनके स्वामियों ने लगाई थी जिनमें एक पुलिस की गोली से मारा गया था।

18. यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ नृशंसतापूर्ण व्यवहार शहर के विभिन्न हरिजन इलाकों में एक ही समय किया था। ऐसी कुछ बस्तियों का अध्ययन दल ने दौरा किया था। शिव दासनी नगर स्थान पर अनुसूचित जातियों के लगभग 50 व्यक्ति पुलिस के लाठीचार्ज तथा गोली चलाने से घायल हुए थे। गणेश सुपुत्र समराती लाल और रविन्दर सुपुत्र बाबू लाल नामक अनुसूचित जाति के दो युवकों की जानें गई। यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों में घुस कर उनकी सम्पत्ति को लूटा। डाक एवं तार विभाग के अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को पुलिस ने पकड़ कर बुरी तरह पीटा। उसकी पत्नी के जेवर तथा कलाई घड़ी पी०ए०सी० के एक जवान ने छीन लिए थे। उक्त महिला तथा उसकी सास को पीटा भी गया। इसी मोहल्ले के रत्तन सिंह नामक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मोटर-साइकिल को भी पुलिस ने आग लगा दी थी। रत्तन सिंह द्वारा तैयार कुछ जूते तथा नकदी पी०ए०सी० के जवानों ने ले ली। अध्ययन दल ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कम से कम 10 घर ऐसे देखे जिसमें जबरदस्ती घुस कर संपत्ति लूटने का पुलिस पर आरोप लगाया गया था। अध्ययन दल को मोहल्ले के उन व्यक्तियों से मिलवाया गया जिन्हें चोटें आई थीं। इनमें एक महिला तथा एक बच्चा भी था।

19. प्रकाश नगर की अनुसूचित जाति की विवाहित नवयुवती मीना, जिसके पति का नाम मोतीलाल है, ने अध्ययन दल को बताया कि पी०ए० सी० बल के कुछ सदस्य उनके घर में जबरदस्ती घुस आए थे। उक्त नवयुवती तथा 14 अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को

वे हरि पर्वत पुलिस थाने से ले गए । उसने शिकायत की कि जेवर तथा अन्य सामान, जिसकी कीमत लगभग 25 हजार रुपए थी, पुलिस ने छीन लिए थे । उसने जो कपड़े पहने हुए थे, वे फाड़ डाले गये और अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने उसे तन ढ़कने के लिए अपनी बुशर्ट तथा पाजामा दिया था । उसकी माँ तथा चाची को भी पुलिस ने पीटा था । उसने बताया कि उसे तथा अनुसूचित जाति के 14 अन्य व्यक्तियों को पुलिस थाने में लगभग 24 घंटे तक बन्द रखा गया और इस दौरान उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया । यह आरोप भी लगाया गया कि सब-इंसपेक्टर श्री त्यागी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश भी की थी और आधी रात के बाद श्री त्यागी ने अपनी खाट इस नवयुवती के पास बिछा ली थी । मीना ने दल को बताया कि उसने वहाँ बन्द अनुसूचित जाति के 14 व्यक्तियों को रात भर जागते रहने के लिए कहा । ऐसा इसलिए किया गया कि वह श्री त्यागी द्वारा अपमानित न की जा सके । उसने यह भी बताया कि उस के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी । इस तरह 24 घंटे तक बन्द रखने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया, जहां उक्त नवयुवती को तीन दिन तक बन्द रखा गया और बाद में रिहा कर दिया गया । दल को घर के टूटे दरवाजे दिखाये गये जो वैसे मजबूत लकड़ी के बने हुए थे । दल को स्टील का बड़ा ट्रंक भी दिखाया गया जिसे पुलिस ने तोड़ दिया था । यह आरोप लगाया गया कि घर का मुख्य दरवाजा पुलिस ने हथोड़े से तोड कर खोला था । अध्ययन दल को चार और टूटे दरवाजे तथा स्टील का एक टूटा हुआ ट्रंक भी दिखाया गया । पुलिस द्वारा इन्हें तोड़ने का आरोप था । मीना, उसकी माँ तथा चाची को पुलिस की मार से आई चोटें भी हमें दिखाई गई ।

20. मुख्यतः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा बसी बारा खंभा बस्ती के निवासियों ने शिकायत की कि उनकी बस्ती पर 1-5-1978 को सराय ख्वाजा पुलिस थाने के सिपाहियों तथा पी० ए०सी० ने मिलकर हमला किया था । बताया जाता है कि 15 व्यक्ति गोलियों से जख्मी हुए और 100 से अधिक व्यक्तियों को लाठीचार्ज से चोटें आई । पुलिस कर्मियों ने इस बस्ती के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सम्पत्ति को बुरी तरह लूटा । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने सराय ख्वाजा पुलिस थाने के सब-इंस्पेक्टर श्री चौहान के व्यवहार के लिए भी शिकायत की । उक्त सब-इंस्पेक्टर को लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया ।

21. अनुसूचित जाति बहुल एक और बस्ती जगदीशपुरा में 2 मई, 1978 को पुलिस लाठीचार्ज तथा गोली चलने से लगभग 100 व्यक्तियों को चोटें आईं जिनमें से 10 व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए थे । लगभग 40 वर्षीय रामस्वरूप और लगभग 25 वर्षीय रूपसिंह की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हुई । पुलिस ने घटनास्थल से उनकी लाशें भी नहीं उठाने दीं । लोगों का कहना था कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उक्त दोनों व्यक्ति दवाइयां तथा घरेलू सामान खरीदने के लिए बाहर निकले थे । उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया था कि पुलिस उत्तेजित हो जाये । गोली चलने के बाद पूरी रात के लिए दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया और इस बीच पी० ए०सी० के जवानों ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के घरों में जबरदस्ती घुसकर उन्हें पीटा और उनकी सम्पत्ति को लूटा । इस स्थान के दौरे के समय अध्ययन दल ने गोली तथा लाठी से आई चोटें देखीं ।

जिला जेल का दौरा

22. अध्ययन दल ने 5 मई, 1978 को जिला जेल आगरा का दौरा किया और आगरा की जिला जेल के अधीक्षक श्री पी० एस० सिसौदिया से बातचीत की । उन्होंने बताया अनसूचित जातियों के 249 व्यक्तियों को जेल में डाला गया था । इनमें से 242 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 332, 436 तथा कुछ अन्य धाराओं के अधीन गिरफ्तार किये गये थे । बाकी के 7 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन गिरफ्तार किये गये थे । अध्ययन दल को जिला जेल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उसने घायल व्यक्तियों की सूची तैयार की थी । इन में अनेक गंभीर रूप से घायल थे । जब यह पूछा गया कि जेल प्राधिकारियों के पास गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की सूची है तो चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनके पास गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की अलग सूची नहीं है । 57 घायल व्यक्तियों में से एक को क्षय रोग था और दो पक्षाघात के शिकार थे । जेल में एक विद्यार्थी को भी बन्द रखा गया। जिसे बोर्ड की परीक्षा में बैठना था । एक 20 वर्षीय युवक को इतना पीटा गया कि वह न तो खड़ा हो सकता था और चल सकता था ।

हस्पतालों का दौरा

23. अध्ययन दल ने दो हस्पतालों, जिला हस्पताल तथा सरोजिनी नायडू हस्पताल का दौरा किया । जिला हस्पताल में अनुसूचित जाति के 8 व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पड़े थे और पी० ए०सी० का एक जवान भी वहां भर्ती था जिसे पत्थरबाजी में सिर पर चोटें आई थीं । जिस दिन अध्ययन दल वहां पहुंचा तो बताया गया कि 1 मई, 1978 को अनुसूचित जाति के 32 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद वापिस भेज दिया गया था । चिकित्सा अधीक्षक ने अध्ययन दल को बताया कि कुल 18 घायल व्यक्ति हस्पताल में भर्ती किये गये थे जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई, 2 को सरोजिनी नायडू हस्पताल में स्थानांतरित किया गया और बाकियों को वापिस भेज दिया गया जिनसे, एक को चिकित्सा सलाह के विरुद्ध वापस भेज दिया गया था 1 मई से 5 मई, 1978 के दौरान 73 पुलिस कार्मी हस्पताल लाए गए थे । यह महत्वपूर्ण बात है कि इनमें से अधिकांश पुलिस कार्मी 3 मई, 1978 के बाद हस्पताल लाए गये थे । 3 मई तक केवल घायल पुलिस कार्मी ही हस्पताल लाए गये थे । सभी को प्राथमिक उपचार के बाद वापिस भेज दिया गया था । केवल पी०ए०सी० के एक जवान को भर्ती किया गया था जिसके बारे में हम पिछले पैरा में लिख चुके हैं ।

24. सरोजिनी नायडू हस्पताल में अनुसूचित जाति के विभिन्न व्यक्तियों के 21 घायलों को भर्ती किया गया था । इनमें से 13 के गोली लगने से घायल हुए थे और 8 को तेज हथियारों से चोटें पहुंची थीं । ये सभी व्यक्ति 1 मई, 1978 को भर्ती किये गये थे । दूसरी ओर, 2 मई, 1978 को पी०ए०सी० पुलिस बल के 7 जवान भर्ती किये गये । इनमें से 5 को साधारण तथा 2 को गंभीर चोटें आई थीं ।

25. अध्ययन दल को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को चोटों का सही-सही ब्यौरा नहीं मिल सका । जिला प्राधिकारियों ने केवल यही बताया कि अनुसूचित जाति के 34 व्यक्तियों को चोटें आई थीं और समाचार पत्रों में इस बात की खबर छपी थी । किन्तु जेल का दौरा करने से पता चला था कि अनुसूचित जाति के कम से कम 57 घायल व्यक्ति जेल लाए गये थे । अनेक व्यक्तियों ने विभिन्न बस्तियों में प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाया था । अध्ययन दल को अनुमान था कि अनुसूचित जाति के घायल व्यक्तियों की संख्या सैकड़ों में रही होगी और पुलिस की गोली से अनुसूचित जाति के मरने वाले 8 व्यक्तियों की संख्या सही प्रतीत होती है ।

संसद सदस्यों आदि से मुलाकात

26. 4 मई, 1978 को दल ने संसद सदस्य श्री रामजी लाल सुमन से मुलाकात की । इनका विचार था कि 14-4-1978 को डा० बाबा साहब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला प्राधिकारियों तथा अनुसूचित जातियों के नेताओं को अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभाना चाहिए था । उनके विचार में डा० अम्बेडकर प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे; अतः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पहले की तरह गैर-अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्तियों को भी समारोह में शामिल होने

के लिए कहना चाहिए था । दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी पहले वर्षों की तरह सतर्कता नहीं करती । उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि यदि जिला अधिकारियों ने घटना के पहले ही दिन अर्थात 14 अप्रैल, 1978 को आवश्यक एहतियात बरती होती और समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार कर लिया होता तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता था । वे राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं थे ।

27. संसद सदस्य श्री एस० एन० चतुर्वेदी ने अध्ययन दल को सूचित किया कि वह आगरा से 30 अप्रैल, 1978 को ही चले गये थे और 1 मई को शहर में नहीं थे । किन्तु उनका विचार था कि पहले वर्षों की तरह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को डा० बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती समारोहों में गैर-अनुसूचित जाति के विभिन्न समुदायों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी आमंत्रित करना चाहिए था । उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सूचना के अनुसार रावतपारा बाजार के गैर अनुसूचित जाति के कुछ दुकानदारों को नुकसान पहुंचा था और उन्होंने पुलिस में इस बारे में रपट में लिखवाई थी । उनके अनुसार कि संघर्ष केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और स्थानीय पुलिस व पी०ए०सी० बल के बीच ही हुआ था । उनका कहना था कि जिला प्रशासन ने स्थिति का समुचित विधि से सामना नहीं किया लेकिन, फिर भी, उसकी कार्रवाई को उन्होंने उचित ठहराया ।

28. विधायक श्री गुलाब चन्द सिहारे का मत था कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सम्पन्नता के प्रति सवर्ण हिन्दू ईर्षालु हो गये हैं । उनके विचार में यह संभव हो सकता है कि 14 अप्रैल, 1978 के जुलूस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पत्थर फेंके हों । उनके अनुसार पुलिस को चाहिए था कि वह शरारती तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में क्षोभ पैदा करने वाले को गिरफ्तार कर लेती । उनके विचार से पी०ए०सी० के जवानों द्वारा की गई ज्यादति जातिगत पूर्व ग्रहों के कारण हुई क्यों कि पी०ए०सी० बल के अधिसंख्य सदस्य जाट तथा यादव समुदायों के हैं । उनका इसमें विश्वास नहीं था कि रावत-पारा के कुछ लोगों ने वहां से जुलुस न जाने देने का कारण वहां शिव मंदिर का होना था—जैसा कि अनुसूचित जाति के कुछ लोगों का आरोप है बल्कि इसका कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तत्वों का वहाँ अधिक प्रभावशाली होना है ।

29. ऐसा प्रतीत होता था कि विधायक श्री एस०डी० पालीवाल ने स्थिति का बडी बारीकी से विश्लेषण किया है । उनका विचार था कि जिला प्रशासन ने स्थिति को समुचित तरीके से नहीं संभाला । उन्होंने संकेत किया कि जिन स्थानों पर बसें आदि जन सम्पत्ति को नुकसान पहुचाया गया, वहां गोली नहीं चलाई गई । उदाहरण के लिये सुदरपारा तथा उसके पास की रेलवे लाइन, जहां बसें जलाई गईं या फिश प्लेटें हटाई गईं, वहां गोली नहीं चलाई गई, बल्कि अनुसूचित जाति की उन बस्तियों में गोली चलाई गई, जहां किसी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई या आग लगाने की कोई घटना नहीं हुई ।

प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई

30. जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि जाटवों के अनुरोध पर हरिजन मोहल्लों में पी०ए०सी० को हटा कर सी०आर०पी० को तैनात किया गया था । अध्ययन दल ने देखा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति सी०आर०पी० के तैनात किये जाने से काफी संतुष्ट थे । यह भी ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट तथा एस० एस० पी० का आगरा से तबादला कर दिया है । जहाँ तक प्रभावित लोगों का संबंध है, समाचार पत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक व्यक्ति के संबंधियों को 5,000 रुपये की राहत राशि देने का निश्चय किया है । गंभीर रूप से घायल को 2,000 रुपये और साधारण रूप से घायल को 200 रुपये दिये जायेंगे । जिला मजिस्ट्रेट से यह भी ज्ञात हुआ कि मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें स्थानीय नेताओं, पुलिस महानिरीक्षक, जिला स्तर के अधिकारियों, स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधायकों और विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था ताकि नगर में सामान्य स्थिति बनाने के प्रयासों के बारे में सोचा जा सके ।

निष्कर्ष

31. अध्ययन दल को आम जनता के सदस्यों, अनुसूचित जातियों के नेताओं, जनता के प्रतिनिधियों और आगरा जिले के अधिकारियों से घटना के अनेक रूप सुनने को मिले । अध्ययन दल उन स्थानों पर भी गया था जहां पुलिस ने गोलियां चलाई थी और हरिजनों के घरों को पुलिस कर्मियों ने जलाया, तोड़ा-फोड़ा या लूटा था । दल उन हस्पतालों में भी गया, जहां घायलों का इलाज किया गया था । दल जिला जेल भी गया था ।

32. यह अनुभव किया जाता है कि जिला प्रशासन बेहतर उपाय कर सकता था ताकि 14 अप्रैल, 1978 के जुलूस के समय रावतपारा नामक नाजुक क्षेत्र में इस घटना को होने से रोका जा सकता । दल को बताया गया कि वर्ष 1974 में भी इस क्षेत्र में डा० बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती समारोह के समय कुछ गड़बड़ हुई थी । दल को सूचित किया गया कि बाद के वर्षों में सावधानी के उपाय किये गये थे ताकि डा० अम्बेडकर के जयंति अवसर पर निकाले जाने वाल जुलूस के समय गड़बड़ी न हो । अनुसूचित जाति के कुछ नेताओं के अनुसार 1977 में इसी स्थान पर जनरेटर को फेल करने कोशिश की गई थी । जिला प्राधिकारियों को इन तथ्यों पर गौर करना चाहिए था और 14 अप्रैल, 1978 को पत्थर फेंके जाने की घटना के बाद पुलिस को दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में ज्यादा ईमानदारी बरतनी चाहिए थी ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भावनाओं को शांत किया जा सकता । अनुसूचित जाति के कुछ नेताओं का कहना था कि रावतपारा के निवासियों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि जुलूस के रास्ते पर शिव मंदिर पड़ता है । अध्ययन दल मंदिर भी गया और वहां कूछ लोगों से बातचीत की । दल को इस भावना का कोई ठोस सबूत नहीं मिला । विस्तृत जाँच के अभाव में कहा जा सकता है कि मंदिर भी तनाव का एक कारण हो सकता है ।

33. जहां तक 23 अप्रैल की घटना का संबंध है, ऐसा प्रतित होता है कि संभावित गड़बड़ी को देखते हुए जिला प्राधिकारियों ने रावतपारा से जुलूस को निकालने की अनुमति न देकर ठीक ही किया था किन्तू अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बात पर विश्वास किया जाये तो लाठीचार्ज बेरहमी से तथा बिना किसी भेदभाव से किया गया था । यह भी ज्ञात हुआ कि रावतपारा से यदि जुलूस निकाला जाता है तो उसमें गड़बड़ी पैदा करने के लिए कुछ सवर्ण हिन्दू रावतपारा में एकत्र हो गये थे । यह ज्ञात नहीं हो सका कि पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके कारण क्या थे ।

34. जहाँ तक 1 मई की घटनाओं का संबंध है, सभी वारदातों का विस्तार पूर्वक सिलसिला निर्धारित करना कठिन है । एक ही समय में शहर की विभिन्न बस्तियों में अनेक घटनाएं घटी थीं । किन्तु अध्ययन दल द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि पुलिस कार्रवाई अपेक्षा से अधिक थी । इनमें से कुछ बातों का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है । अध्ययन दल के कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण नीचे दिये गये हैं :—

(क) यह एक तथ्य है कि 1 मई, 1978 को विभिन्न स्थानों पर कुछ बसें जलाई गई थी और कुछ लोगों ने दंगा-फसाद के कुछ काम किये थे । यह देखा गया कि जिन स्थानों पर बसें

जलीं या रेलवे लाइन से फिश प्लेटें हटाने का आरोप है, उनमें से किसी भी एक स्थान पर गोली नहीं चलाई गई । इसके विपरीत हरिजनों के 5 मोहल्लों में गोली चलाई गई । दो या तीन स्थानों को छोड़ कर गलियों के अन्दर या मोहल्लों में गोलियां चलाई गईं जिससे घरों के अन्दर या छत्तों पर लोगों की मृत्यु हुई । संभाव्यतः गोली तब चलाई जाती है जब भीड़ की पुलिस के साथ सड़कों आदि खुली जगहों पर मुठभेड़ हो । लेकिन इस मामले में लगता है कि पुलिस ने कुछ हरिजनों का उनके मोहल्ले में जाकर पिछा किया और बिना किसी विवेक के गलियों तथा घरों में गोलियां चलाई ।

(ख) जैसा कि पहले देखा जा चुका है, चाकीपत मोहल्ल का मामला विशिष्ट है । यहां जिन गरीब हरिजनों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, उनके सात घरों को पुलिस न आग लगा दी । हरिजनों का यह आरोप सच प्रतीत होता है कि पुलिस ने परिवहन भवन की छत्त पर से हरिजन बस्ती पर गोलियां चलाईं और उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई । गोली चल चुकने के बाद कुछ लोग, जिनकी पुलिस के साथ मिलीभगत थी, वहां आये और उन्होंने झोपड़ियों को आग लगा दी । यह इसलिए भी सच प्रतीत होता है कि जिला प्राधिकारियों के पास इस घटना का कोई स्पष्टीकरण या कोई दूसरा रूप नहीं था ।

(ग) यह देखा गया कि पुलिस कर्फ्यू के समय तथा बाद में भी हरिजन मोहल्लों में घुसी थी और उसने वहां लोगों के साथ मारपीट की व जबरदस्ती घरों में घुसी । कुछ मामलों में यह आरोप सच प्रतीत होता कि पुलिस कर्मियों ने इन लोगों की संपत्ति तथा नकदी लूटी थी ।

(घ) कुछ लोगों का विचार है कि ये सभी घटनाएं पूर्व-नियोजित थीं । किन्तु अध्ययन दल का विचार है कि वे घटनाएं अकस्मात हुई थीं और उसे पहले से की गई तैयारी का कोई सबूत नहीं मिला ।

(ङ) यह देखा गया कि पुलिस न केवल हरिजनों के घरों में घुसी बल्कि बेगुनाह लोगों को भी बेरहमी से पीटा । श्रीमती मीना का मामला रिपोर्ट में दिया जा चुका है । अध्ययन दल विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति के ऐसे अनेक व्यक्तियों से मिला था जिन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आई थीं ।

(च) अध्ययन दल ने पाया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की तुलना में पुलिस को बहुत साधारण चोटें आई थीं । यद्यपि जिला प्राधिकारियों ने घायलों की संख्या केवल 34 बतायी है लेकिन वास्तविक रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या सैकड़ों में है । इसके विपरीत पुलिस के घायल कार्मियों की संख्या बहुत कम थी । लगभग आधा दर्जन पुलिस कर्मी हस्पताल में भर्ती करवाये गये थे ।

(छ) यद्यपि 1 मई को कई वारदातें और 2 मई को केवल एक वारदात हुई थी किन्तु यह समझ में नहीं आया कि घायल होने वाले अधिकांश पुलिस कर्मी 4 मई तथा उसके बाद हस्पताल क्यों पहुंचे थे ।

35. अध्ययन दल दृढता से अनुभव करता है कि घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच करवाई जाये ताकि सत्य को जाना जा सके । सरकार को सच्ची बात जानने से संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जिला प्रशासन द्वारा हुई भूलों को सुधारा जा सकता है । अनुसूचित जातियों को पक्का यकीन था कि राज्य सरकार ने दोषी जिला प्राधिकारियों के विरुद्ध संतोषजनक कार्रवाई नहीं की । दल अनुभव करता है कि अनुसूचित जातियों में असंतोष का भाव भीतर ही भीतर पनप रहा है और संभावित संघर्ष के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं । यदि न्यायिक जांच करवाई जाती है तो उससे अनुसूचित जातियों में फिर से विश्वास स्थिर तथा पैदा हो जायेगा ।

अनुबन्ध 1

उन अधिकारियों, गैर-अधिकारियों तथा संस्थानों की सूची जहां अध्ययन दल गया था

1. अधिकारी

1.	श्री ए० एच० अबीदीन	आयुक्त,
2.	श्री बी० एन० चक्रा	जिला मजिस्ट्रेट, आगरा
3.	श्री पी० एस० सिन्हा	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4.	श्री एच० पी० मिश्र	पुलिस अधीक्षक
5.	श्री रामकुमार कंवर	सहायक जिला मजिस्ट्रेट
6.	श्री डी० एस० सिसोदिया	अधीक्षक, जेल
7.	श्री हरिराम लाभ	इंस्पेक्टर, रकाब गंज पुलिस थाना

2. गैर-अधिकारी

1.	श्री रामजी लाल सुमन	संसद सदस्य
2.	श्री एस० एन० चतुर्वेदी	संसद सदस्य
3.	गुलाब चन्द सिहारे	विधायक
4.	श्री श्याम दत्त पालीवाल	विधायक
5.	श्री बी० एल० विप्र	भूतपूर्व विधायक
6.	श्री खेमचन्द सुगच	भूतपूर्व विधायक
7.	श्री दया सिंह जरारी	जेल में भेंट की गई
8.	श्री कर्ण सिंह वर्मा	जेल में भेंट की गई
9.	श्री हरिराम भारती	जेल में भेंट की गई
10.	श्री ए० लक्ष्मण दास	जेल में भेंट की गई
11.	श्री करतार सिंह भारती	वकील, जेल में भेंट की गई

3. संस्थान

जिला हस्पताल—

1.	डा० नरेन्द्र लाल	प्रधान चिकित्सा अधिकारी
2.	डा० आर० बी० माथुर	हस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक

मरीज

पुलिस

1.	श्री धनी राम	सिपाही, जो गोली लगने से घायल हुआ था ।

अन्य

सर्वश्री	आयु	स्थान	चोट का स्वरूप
1. पटयू सुपुत्र श्री बाबूलाल	15 वर्ष	बाराखंभा	कई चोटें + गोले लगने से घायल
2. लक्ष्मी नारायण सुपुत्र हरिदास .	18 वर्ष	फकीरचंद मोहल्ला	कई चोटें + गोली लगने से घायल
3. नेमीचंद सुपुत्र भागीराम .	20 वर्ष	बाराखंभा	कई चोटें + गोली लगने से घायल
4. सन्तोष सुपुत्र भामी लाल .	23 वर्ष	नदोता	गोली लगने से घायल
5. पलटू राम सुपुत्र गुलानीराम	23 वर्ष	नदोता	कई चोटें + गोली लगने से घायल
6. नेमिशंकर सुपुत्र लखराज .	22 वर्ष	नागलाचौक	कई चोटें + गोली लगने से घायल
7. सुनहरी लाल सुपुत्र रामशरन .	25 वर्ष	नागला लाल सिंह	गोली लगने से घायल
8. रामजीलाल सुपुत्र रामदीन .	50 वर्ष	नवीबाग	गोली लगने से घायल

सरोजिनी नायडू हस्पताल

7 पी०ए०सी०/पुलिस कर्मचारी 2–5–78 को भर्ती हुए।

13 जाटव 1–5–78 को गोली लगने से घायल होकर भर्ती हुए।

8 जाटव 1–5–78 को साधारण चोटें लगने के बाद भर्ती हुए।

अनुबन्ध 2

आगरा के जिला मजिस्ट्रेट श्री विवेक नारायण चन्ना को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त श्री आर० जखमा द्वारा 5 मई, 1978 के भेजे गये अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक 7/यू०पी०–27/78–आर० यू०–3 की प्रति

जैसे कि आपसे 4 मई, 1978 को बातचीत हुई थी, मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रलेख तथा सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि हमें 1 मई, 1978 से पहले तथा बाद की वास्तविक घटनाओं की जांच करने में सहायता मिल सके और साथ ही स्थिति का मूल्यांकन भी किया जा सके :—

(1) 14, 15 अप्रैल और 23 अप्रैल से 3 मई, 1978 तक की घटनाओं से संबंधित रिपोर्टें।

(2) उपर्युक्त घटना के बारे में जिला प्राधिकारियों, पुलिस के महानिरीक्षक या उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई पुलिस रिपोर्टें।

(3) उपर्युक्त घटना के बारे में उच्च प्राधिकारियों जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई रिपोर्टें।

(4) 23 अप्रैल, और उसके बाद आगरा नगर में आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने के आदेश।

(5) 23 अप्रैल, 1978 को जुलूस निकालने वालों को नगर के विभिन्न मार्गों से निकलने की अनुमति संबंधी आदेश/अनुज्ञा।

(6) 3 मई, 1978 को मंडल आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक आदि की संसद सदस्यों विधान सभा सदस्यों और नगर के नेताओं के साथ हुई बातचीत का कार्यवृत्त।

(7) पुलिस द्वारा गोली चलाने के कारण मृतकों तथा घायलों के परिवारों के लिये प्रस्तावित राहत उपाय।

(8) घटनाओं के संबंध में की गई प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में संगत दस्तावेजों/कागजों की प्रतियां।

———

NIEPA
G0155

National Institute of Educational Planning and Administration
LIBRARY
G-4155

भा० स० मु० ना०—से०4—126 एम आफ एच ए/नई दिल्ली/79—दिनांक 14 जुलै 1979—2,000